THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

14 OF 1947

[11th March, 1947]

(All amendments have been duly incorporated at their respective places and are not separately indicated)

An Act to make provision for the investigation and settlement of industrial disputes, and for certain other purposes.

WHEREAS it is expedient to make provision for the investigation and settlement of industrial disputes, and for certain other purposes hereinafter appearing;

It is hereby enacted as follows:—

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement .-(1) This Act may be called The Industrial Disputes Act, 1947.

(2) It extends to the whole of India;

(3) It shall come into force on the first day of April, 1947.

2. Definitions .-In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "appropriate Government "means—

(i) in relation to any industrial dispute concerning any industry carried on by or under the authority of the Central Government, or by a railway company or concerning any such controlled industry as may be specified in this behalf by the Central Government or in relation to an industrial dispute concerning a Dock Labour Board established under section 5-A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948),or the Industrial Finance Corporation of India Limited formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)[1],or the Employees ' State Insurance Corporation established under section 3 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), or the Board of Trustees constituted under section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), or the Central Board of Trustees and the State Boards of Trustees constituted under section 5A and section 5-B, respectively, of the Employees 'Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), or the Life Insurance Corporation of India established under section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), or the Oil and Natural Gas Corporation Limited registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)[1], or the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under section 3 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961),or the Central Warehousing Corporation established under

1. *Now See*, the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

क्रमांक 14 सन् 1947

(11 मार्च, 1947)

(सभी संशोधनों को उनके संबंधित स्थानों पर विधिवत सम्मिलित किया गया है और उन्हें अलग से प्रदर्शित नहीं किया गया है)

औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के लिए और कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

यह समीचीन है कि औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के लिए और इसमें इसके पश्चात् वर्णित कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिए उपबन्ध किया जाए;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. – (1) यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह 1947 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, –

(क) "समुचित सरकार से–

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन या किसी रेल कम्पनी द्वारा चलाए जाने वाले किसी उद्योग से सम्पृक्त अथवा किसी ऐसे नियंत्रित उद्योग से सम्पृक्त, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, या किसी औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में या, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9), की धारा 5क के अधीन स्थापित डॉक श्रम बोर्ड या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)[1] के अधीन बनाया गया और रजिस्ट्रीकृत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 3 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम, या कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क के अधीन गठित न्यासी बोर्ड या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की क्रमशः धारा 5क और धारा 5ख के अधीन गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड और राज्य न्यासी बोर्ड या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)[1] के अधीन रजिस्ट्रीकृत तेल और प्रकृतिक गैस निगम लिमिटेड या निक्षेप बीमा और प्रत्यय प्रत्याभूति निगम अधिनयम, 1961 (1961 का 47) की धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा और प्रत्यय प्रत्याभूति निगम, या भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय भण्डागारण निगम, या भारतीय यूनिट ट्रस्ट,

---

1. अब देखें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

section 3 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), or the Unit Trust of India established under section 3 of the Unit Trust of India Act, 1963, or the Food Corporation of India established under section 3, or a Board of Management established for two or more contiguous States under section 16 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964),or the Airports Authority of India constituted under section 3 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), or a Regional Rural Bank established under section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), or the Export Credit and Guarantee Corporation Limited or the Industrial Reconstruction Bank of India Limited, the National Housing Bank established under section 4 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), or an air transport service, or a banking or an insurance company, a mine, an oilfield a Cantonment Board, or a major port, any company in which not less than fifty-one percent of the paid up share capital is held by the Central Government, or any corporation, not being a corporation referred to in this clause, established by or under any law made by Parliament, or the Central public sector under taking, subsidiary companies set up by the principal undertaking and autonomous bodies owned or controlled by the Central Government, the Central Government, and

(ii) in relation to any other industrial dispute, including the State public sect-or undertaking, subsidiary companies set up by the principal undertaking and autonomous bodies owned or controlled by the State Government, the State Government:

Provided that in case of a dispute between a contractor and the contract labour employed through the contractor in any industrial establishment where such dispute first arose, the appropriate Government shall be the Central Government or the State Government, as the case may be, which has control over such industrial establishment.

(aa) "arbitrator "includes an umpire;

(aaa) "average pay "means the average of the wages payable to a workman—

(i) in the case of monthly paid workman, in the three complete calendar months,

(ii) in the case of weekly paid workman, in the four complete weeks,

(iii) in the case of daily paid workman, in the twelve full working days,

preceding the date on which the average pay becomes payable if the workman had worked for three complete calendar months or four complete weeks or twelve full working days, as the case may be, and where such calculation cannot be made, the average pay shall be calculated as the average of the wages payable to a workman during the period he actually worked;

(b) "award "means an interim or a final determination of any industrial dispute or of any question relating thereto by any Labour Court, Industrial Tribunal or National Industrial Tribunal and includes an arbitration award made under section 10-A;

या खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम, या दो अथवा दो से अधिक समीपस्थ राज्यों के लिए धारा 16 के अधीन स्थापित प्रबन्ध बोर्ड, या भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, या निर्यात, उधार और प्रत्याभूति निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी वायु परिवहन सेवा अथवा बैंककारी या बीमा कम्पनी खान, तेलक्षेत्र छावनी बोर्ड या महापत्तन, ऐसी किसी कंपनी, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित ऐसे किसी निगम, जो इस खंड में निर्दिष्ट निगम नहीं है या केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्रमुख उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वशासी निकायों से सम्पृक्त औद्योगिक विवाद के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, तथा

(ii) किसी अन्य औद्योगिक विवाद के संबंध में, जिसके अंतर्गत राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्रमुख उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वशासी निकायों से संबंधित विवाद भी है, राज्य सरकारः

परन्तु यह कि किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में, जहां ऐसा विवाद पहली बार हुआ था, किसी ठेकेदार और ठेकेदार के माध्यम से नियोजित ठेका श्रम के बीच किसी विवाद के मामले में, समुचित सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार होगी, जिसका ऐसे औद्योगिक स्थापन पर नियंत्रण है

(कक) मध्यस्थ" के अन्तर्गत अधिनिर्णायक आता है;

(ककक) "औसत वेतन" से उस मजदूरी का औसत अभिप्रेत है, जो कर्मकार को–

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे मासिक संदाय किया जाता है, उन तीन पूरे कलेण्डर मासों में,

(ii) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे साप्ताहिक संदाय किया जाता है, उन चार पूरे सप्ताहों में,

(iii) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे दैनिक संदाय किया जाता है, उन बारह पूरे कार्य दिवसों में,

संदेय थी, जो उस तारीख के पूर्ववर्ती हो, जिस तारीख को औसत वेतन संदेय हो जाता है, यदि उस कर्मकार ने, यथास्थिति, तीन पूरे कलेण्डर मास तक या चार पूरे सप्ताह तक या बारह पूरे कार्य–दिवस तक काम किया है, और जहां कि ऐसी गणना नहीं की जा सकती वहां औसत वेतन की गणना उस मजदूरी के औसत के रूप में की जाएगी जो कर्मकार को, उस कालावधि के दौरान संदेय थी, जिसमें उसने वास्तव में काम किया;

(ख) "अधिनिर्णय" से किसी औद्योगिक विवाद के या तत्सम्बन्धी किसी अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा किया गया अन्तरिम या अन्तिम अवधारण अभिप्रेत है, और धारा 10क के अधीन किया गया माध्यस्थम् पंचाट इसके अन्तर्गत आता है;

(bb) "banking company "means a banking company as defined in section 5 of the Banking Companies Act, 1949 (10 of 1949) , having branches or other establishments in more than one State, and includes the Export-Import Bank of India, the Industrial Reconstruction Bank of India, the Small Industries Development Bank of India established under section 3 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) the Reserve Bank of India, the State Bank of India, a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), and any subsidiary bank, as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);

(c) "Board "means a Board of Conciliation constituted under this Act;

(cc) "closure "means the permanent closing down of a place of employment or part thereof;

(d) "conciliation officer "means a conciliation officer appointed under this Act;

(e) "conciliation proceeding "means any proceeding held by a conciliation officer or Board under this Act;

(ee) "controlled industry "means any industry the control of which by the Union has been declared by any Central Act to be expedient in the public interest;

(f) "Court "means a Court of Inquiry constituted under this Act;

(g) "employer "means-

(i) in relation to an industry carried on by or under the authority of any department of the Central Government or a State Government, the authority prescribed in this behalf, or where no authority is prescribed, the head of the department;

(ii) in relation to an industry carried on by or on behalf of a local authority, the chief executive officer of that authority;

(gg) "executive ", in relation to a trade union, means the body, by whatever name called, to which the management of the affairs of the trade union is entrusted;

(i) a person shall be deemed to be "independent "for the purpose of his appoint -ment as the Chairman or other member of a Board, Court or Tribunal, if he is unconnected with the industrial dispute referred to such Board, Court or Tribunal or with any industry directly affected by such dispute:

Provided that no person shall cease to be independent by reason only of the fact that he is a shareholder of an incorporated company which is connected with, or likely to be affected by, such industrial dispute; but in such a case, he shall disclose to the appropriate Government the nature and extent of the shares held by him in such company;

(j) "industry "means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers and includes any calling service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen;

(खख) "बैंककारी कम्पनी" से बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 में यथापरिभाषित ऐसी बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है, जिसकी शाखाएं या अन्य स्थापन एक से अधिक राज्यों में हों और भारतीय निर्यात–आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक (बैंककारी कम्पनी) (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्सथानी नया बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित कोई भी समनुषंगी बैंक इसके अन्तर्गत आते हैं;

(ग) "बोर्ड" से इस अधिनियम के अधीन गठित सुलह बोर्ड अभिप्रेत है;

(गग) "बंदी" से किसी नियोजन का स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी रूप से बन्द किया जाना अभिप्रेत है;

(घ) "सुलह अधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सुलह अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "सुलह कार्यवाही" से किसी सुलह अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्यवाही अभिप्रेत है;

(ङङ) नियंत्रित उद्योग" से कोई ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित कर दिया गया है;

(च) न्यायालय" से इस अधिनियम के अधीन गठित जांच न्यायालय अभिप्रेत है;

(छ) "नियोजक" से–

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए गए उद्योग के सम्बन्ध में, इस निमित्त विहित प्राधिकारी, या जहां कि कोई प्राधिकारी विहित नहीं है, वहां विभागाध्यक्ष, अभिप्रेत है;

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से चलाए गए उद्योग के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(छछ) कार्यपालिका" से किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, ऐसा निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिसे व्यवसाय संघ के कार्यकलाप का प्रबंध सौंपा गया हो;

(झ) किसी बोर्ड, न्यायालय या अधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति "स्वतन्त्र" समझा जाएगा यदि वह ऐसे बोर्ड, न्यायालय या अधिकरण को निर्देशित औद्योगिक विवाद से या ऐसे विवाद से प्रत्यक्षतः प्रभावित किसी उद्योग से संसक्त नहीं हैः

परन्तु किसी भी व्यक्ति का केवल इसी तथ्य के कारण स्वतन्त्र होना समाप्त नहीं हो जाएगा कि वह किसी ऐसी निगमित कम्पनी का शेयरधारक है जो ऐसे औद्योगिक विवाद से संसक्त है या जिसका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, किन्तु ऐसी दशा में वह समुचित सरकार को यह प्रकट करेगा कि उस कम्पनी में उसके द्वारा धारित शेयर किस प्रकार के हैं और कितने के हैं;

(ञ) उद्योग से नियोजकों का कोई भी कारबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है और कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अन्तर्गत आता है;

(k) "industrial dispute "means any dispute or difference between employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labour, of any person;

(ka) "industrial establishment or undertaking "means an establishment or undertaking in which any industry is carried on:

Provided that where several activities are carried on in an establishment or undertaking and only one or some of such activities is or are an industry or industries, then,-

(a) if any unit of such establishment or undertaking carrying on any activity, being an industry, is severable from the other unit or units of such establishment or undertaking, such unit shall be deemed to be a separate industrial establishment or undertaking;

(b) if the predominant activity or each of the predominant activities carried on in such establishment or undertaking or any unit thereof is an industry and the other activity or each of the other activities carried on in such establishment or undertaking or unit thereof is not severable from and is, for the purpose of carrying on, or aiding the carrying on of, such predominant activity or activities, the entire establishment or undertaking or, as the case may be, unit thereof shall be deemed to be an industrial establishment or undertaking;

(kk) "insurance company "means an insurance company as defined in section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), having branches or other establishments in more than one State;

(kka) "khadi "has the meaning assigned to it in clause (d) of section 2 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956);

(kkb) "Labour Court "means a Labour Court constituted under section 7;

(kkk) "lay-off "(with its grammatical variations and cognate expressions) means the failure, refusal or inability of an employer on account of shortage of coal, power or raw materials or the accumulation of stocks or the break-down of machinery or natural calamity or for any other connected reason to give employment to a workman whose name is borne on the muster rolls of his industrial establishment and who has not been retrenched.

***Explanation*.**-Every workman whose name is borne on the muster rolls of the industrial establishment and who presents himself for work at the establishment at the time appointed for the purpose during normal working hours on any day and is not given employment by the employer within two hours of his so presenting himself shall be deemed to have been laid-off for that day within the meaning of this clause:

Provided that if the workman, instead of being given employment at the commencement of any shift for any day is asked to present himself for the purpose during the second half of the shift for the day and is given employment then, he shall be deemed to have been laid-off only for one-half of that day:

Provided further that if he is not given any such employment even after so presenting himself, he shall not be deemed to have been laid-off for the second half of the

(ट) "औद्योगिक विवाद" से नियोजकों और नियोजकों के बीच का, या नियोजकों और कर्मकारों के बीच का, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निबंधनों या श्रम–परिस्थितियों से संसक्त है;

(टक) "औद्योगिक स्थापन या उपक्रम" से ऐसा स्थापन या उपक्रम अभिप्रेत है जिसमें कोई उद्योग चलाया जाता है:

परन्तु जहां किसी स्थापन या उपक्रम में अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं और ऐसे क्रियाकलापों में से केवल एक उद्योग है या कुछ क्रियाकलाप उद्योग हैं वहां, –

(क) यदि ऐसे क्रियाकलाप, जो एक उद्योग हैं, करने वाले स्थापन या उपक्रम की कोई यूनिट ऐसे स्थापन या उपक्रम की अन्य यूनिट या यूनिटों से पृथक्करणीय है, तो ऐसे यूनिट को एक पृथक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा;

(ख) यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में किया जाने वाला प्रधान क्रियाकलाप या प्रधान क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप, एक उद्योग है और ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में चलाया जा रहाअन्य क्रिया–कलाप या अन्य क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप पृथक्करणीय नहीं हैं और ऐसे प्रधान क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के चलाए जाने या चलाए जाने में सहायता करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, सम्पूर्ण स्थापन या उपक्रम या उसके यूनिट को एक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा;

(टट) "बीमा कम्पनी" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 में यथापरिभाषित ऐसी बीमा कम्पनी अभिप्रेत है जिसकी शाखाएं या अन्य स्थापन एक से अधिक राज्यों में हो;

(टटक) "खादी" का वही अर्थ है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 6) की धारा 2 के खण्ड (घ) में है;

(टटख) "श्रम न्यायालय" से धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अभिप्रेत है;

(टटट) "कामबंदी" से (उसके व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित) किसी नियोजक की किसी ऐसे कर्मकार को, जिसका नाम उसके औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छंटनी नहीं की गई है, कोयले, शक्ति या कच्ची सामग्री की कमी के या स्टाक के संचित हो जाने के या मशीनरी के ठप्प हो जाने के कारण या प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य संबंधित कारण से काम देने में असफलता, इन्कार या असमर्थता अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण–हर ऐसे कर्मकार के बारे में, जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जो किसी दिन प्रसामान्य काम घंटों के दौरान उस समय, जो तत्प्रयोजनार्थ नियत है, औद्यो –गिक स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित होता है और नियोजक द्वारा उसे काम उसके ऐसे उपस्थित होने के दो घंटे के अन्दर नहीं दिया जाता है, यह समझा जाएगा कि उसकी इस खंड के अर्थ के अन्दर उस दिन के लिए कामबंदी की गई है:

परन्तु यदि कर्मकार को किसी दिन की किसी पारी के प्रारंभ में काम दिए जाने के बजाए उससे कहा जाता है कि वह उस दिन की पारी के दूसरे अर्ध भाग के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपस्थित हो और तब उसे काम दिया जाता है तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसकी उस दिन के केवल आधे भाग के लिए कामबंदी की गई है:

परन्तु यह और कि यदि उसे इस प्रकार उपस्थित होने पश्चात् भी ऐसा कोई काम नहीं दिया जाता है तो उसके बारे में यह न समझा जाएगा कि उसकी उस दिन की पारी के दूसरे अर्ध

shift for the day and shall be entitled to full basic wages and dearness allowance for that part of the day;

(l) "lock-out "means the temporary closing of a place of employment, or the suspension of work, or the refusal by an employer to continue to employ any number of persons employed by him;

(l-a) "major port "means a major port as defined in clause (8) of section 3 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);

(l-b) "mine "means a mine as defined in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

(ll) "National Tribunal "means a National Industrial Tribunal constituted under section 7-B;

(lll) "office bearer ", in relation to a trade union, includes any member of the executive thereof, but does not include an auditor;

(m) "prescribed "means prescribed by rules made under this Act;

(n) "public utility service "means-

(i) any railway service or any transport service for the carriage of passengers or goods by air;

(ia) any service in, or in connection with the working of, any major port or dock;

(ii) any section of an industrial establishment, on the working of which the safety of the establishment or the workmen employed therein depends;

(iii) any postal, telegraph or telephone service;

(iv) any industry which supplies power, light or water to the public;

(v) any system of public conservancy or sanitation;

(vi) any industry specified in the First Schedule which the appropriate Government may, if satisfied that public emergency or public interest so requires, by notification in the Official Gazette, declare to be a public utility service for the purposes of this Act, for such period as may be specified in the notification:

Provided that the period so specified shall not, in the first instance, exceed six months but may, by a like notification, be extended from time to time, by any period not exceeding six months, at any one time, if in the opinion of the appropriate Government, public emergency or public interest requires such extension;

(o) "railway company "means a railway company as defined in section 3 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890)[1];

(oo) "retrenchment "means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action but does not include—

(a) voluntary retirement of the workman; or

(b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or

1. *Now See*, the Railway Act, 1989 (24 of 1989).

भाग के लिए कामबंदी की गई है और वह उस दिन के उस भाग के लिए पूरी आधारिक मजदूरी और पूरे मंहगाई भत्ते का हकदार होगा

(ठ) "तालाब्रन्दी" से नियोजन–स्थान का अस्थायी रूप से बन्द कर दिया जाना या काम का निलम्बन, या नियोजक का अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से कितने ही व्यक्तियों को नियोजन में लगाए रखने से इन्कार करना अभिप्रेत है;

(ठक) "महापत्तन" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 3 के खंड (8) में यथापरिभाषित महापत्तन अभिप्रेत है;

(ठख) खान" से खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) में यथापरिभाषित खान अभिप्रेत है;

(ठठ) "राष्ट्रीय अधिकरण" से धारा 7ख के अधीन गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है;

(ठठठ) "पदाधिकारी" के अन्तर्गत किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, उसका कोई भी सदस्य आता है, किन्तु इसके अन्तर्गत लेखापरीक्षक नहीं आता;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "लोक उपयोगी सेवा" से अभिप्रेत है–

(i) कोई भी रेल सेवा या वायु सेवा द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए कोई भी परिवहन सेवा;

(iक) किसी महापत्तन या डॉक या अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगा हुआ कोई औद्योगिक स्थापना या इकाई में या उसके कार्यकरण से संबंधित कोई सेवा;

(ii) किसी औद्योगिक स्थापन का ऐसा अनुभाग, जिसके कार्यकरण पर उस स्थापन का या उसमें नियोजित कर्मकारों का क्षेम निर्भर करता है;

(iii) कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा;

(iv) कोई उद्योग जो जनता को शक्ति, रोशनी या जल का प्रदाय करता है;

(v) सार्वजनिक मलवहन या सफाई का कोई तंत्र;

(vi) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा उद्योग, जिसे समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो गया है कि लोक आपात या लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उतनी कालावधि के लिए, जितनी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, लोक उपयोगी सेवा घोषित करे :

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि प्रथमतः, छह महीने से अधिक की न होगी, किन्तु उसे वैसी ही अधिसूचना द्वारा एक समय में छह मास से अनधिक की किसी कालावधि के लिए समय–समय पर उस दशा में बढ़ाया जा सकेगा जिसमें लोक आपात या लोक हित में इस प्रकार बढ़ाया जाना समुचित सरकार की राय में अपेक्षित है;

(ण) "रेल कम्पनी" से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9)[1] की धारा 3 में यथापरिभाषित रेल कम्पनी अभिप्रेत है;

(णण) "छंटनी" से नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा का ऐसा पर्यवसान अभिप्रेत है, जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड से भिन्न किसी भी कारण से किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते–

(क) कर्मकार की स्वेच्छया निवृत्ति; अथवा

(ख) अधिवार्षिकी आयु का हो जाने पर कर्मकार की उस दशा में निवृत्ति जिसमें नियोजक और संयुक्त कर्मकार के बीच हुई किसी नियोजन संविदा में उस निमित्त कोई अनुबन्ध अन्तर्विष्ट हो; अथवा

1. अब देखें रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24)।

(bb) termination of the service of the workman as a result of the non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated under a stipulation in that behalf contained therein; or

(c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health;

(p) "settlement "means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer;

(q) "strike "means a cessation of work by a body of persons employed in any industry acting in combination, or a concerted refusal, or a refusal, under a common understanding, of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or to accept employment;

(qq) "trade union "means a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926);

(r) "Tribunal "means an Industrial Tribunal constituted under section 7-A and includes an Industrial Tribunal constituted before the 10th day of March, 1957, under this Act;

(ra) "unfair labour practice "means any of the practices specified in the Fifth Schedule;

(rb) "village industries "has the meaning assigned to it in clause (h) of section 2 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956);

(rr) "wages "means all remuneration capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of employment, expressed or implied, were fulfilled, be payable to a workman in respect of his employment, or of work done in such employment, and includes-

(i) such allowances (including dearness allowance) as the workman is for the time being entitled to;

(ii) the value of any house accommodation, or of supply of light, water, medical attendance or other amenity or of any service or of any concessional supply of foodgrains or other articles;

(iii) any travelling concession;

(iv) any commission payable on the promotion of sales or business or both;

but does not include—

(a) any bonus;

(b) any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or for the benefit of the workman under any law for the time being in force;

(c) any gratuity payable on the termination of his service;

(s) "workman "means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or

(खख) नियोजक और सम्पृक्त कर्मकार के बीच हुई नियोजन संविदा के समाप्त हो जाने पर उसका नवीकरण न किए जाने या नियोजन संविदा में उस निमित्त अन्तर्विष्ट किसी अनुबंध के अधीन ऐसी संविदा का पर्यवसान किए जाने के फलस्वरूप किसी कर्मकार की सेवा का पर्यवसान; या"

(ग) इस आधार पर कर्मकार की सेवा का पर्यवसान कि उसका स्वास्थ्य बराबर खराब रहा है;

(त) "समझौता" से सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया समझौता अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किए गए करार से अन्यथा नियोजक और कर्मकार के बीच हुआ कोई ऐसा लिखित करार आता है जिस पर उसके पक्षकारों ने ऐसी रीति से हस्ताक्षर किए हों जैसी विहित की जाएं और जिसकी एक प्रति समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को और सुलह अधिकारी को भेज दी गई हो;

(थ) "हड़ताल" से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बन्द कर दिया जाना या कितने ही ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार नियोजित हैं या नियोजित रहें हैं, काम करते रहने से या नियोजन प्रतिगृहीत करने से सम्मिलित रूप से इन्कार करना या सामान्य मति से इन्कार करना अभिप्रेत है;

(थथ) "व्यवसाय संघ" से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है;

(द) "अधिकरण" से धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन 10 मार्च, 1957 के पहले गठित औद्योगिक अधिकरण आता है;

(दक) "अनुचित श्रम व्यवहार" से पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यवहारों में से कोई व्यवहार अभिप्रेत है;

(दख) "ग्रामोद्योग" का वही अर्थ है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 2 के खण्ड (ज) में है;

(दद) "मजदूरी" से धन के रूप में अभिव्यक्त हो सकने वाला वह सब पारिश्रमिक अभिप्रेत है जो किसी कर्मकार को, यदि नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धनों की पूर्ति हो गई होती तो उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए काम की बाबत उसे संदेय होता और इसके अन्तर्गत आते हैं:—

(i) (मंहगाई भत्ता सहित) ऐसे भत्ते जिनके लिए कर्मकार तत्समय हकदार है;

(ii) किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख—सुविधा के प्रदाय का या किसी सेवा का या खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय का मूल्य;

(iii) कोई यात्री रियायत;

(iv) विक्रय या कारबार या दोनों के संवर्धन के लिए संदेय कोई कमीशन;

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं:—

(क) कोई बोनस;

(ख) किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी पेंशन—निधि या भविष्य—निधि में या कर्मकार के फायदें के लिए नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय कोई अभिदाय;

(ग) उसकी सेवा के पर्यवसान पर संदेय कोई उपदान;

(ध) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत शिक्षु भी आता है) अभिप्रेत है, जो किसी उद्योग में भाड़े या इनाम के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, संक्रियात्मक,

supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to an industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with, or as a consequence of, that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute, but does not include any such person—

(i) who is subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), or the Army Act, 1950 (46 of 1950), or the Navy Act, 1957 (62 of 1957); or

(ii) who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison, or

(iii) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity, or

(iv) who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding ten thousand rupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature.

2-A. Dismissal, etc., of an individual workman to be deemed to be an industrial dispute .—(1) Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman, any dispute or difference between that workman and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute.

(2) Notwithstanding anything contained in section 10, any such workman as is specified in sub-section (1) may, make an application direct to the Labour Court or Tribunal for adjudication of the dispute referred to therein after the expiry of forty-five days from the date he has made the application to the Conciliation Officer of the appropriate Government for conciliation of the dispute, and in receipt of such application the Labour Court or Tribunal shall have powers and jurisdiction to adjudicate upon the dispute, as if it were a dispute referred to it by the appropriate Government in accordance with the provisions of this Act and all the provisions of this Act shall apply in relation to such adjudication as they apply in relation to an industrial dispute referred to it by the appropriate Government.

(3) The application referred to in sub-section (2) shall be made to the Labour Court or Tribunal before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service as specified in sub-section (1)

CHAPTER II

Authorities Under This Act

3. Works Committee .-(1) In the case of any industrial establishment in which one hundred or more workmen are employed or have been employed on any day in the preceding twelve months, the appropriate Government may by general or special order require the employer to constitute in the prescribed manner a Works Committee consisting of representatives of employers and workmen engaged in the establishment, so however that the number of representatives of workmen on the Committee shall not be less than the number of representatives of the employer. The representatives of the workmen shall be chosen in the prescribed manner from among the workmen engaged in the establishment and in consultation with their trade union, if any, registered under the Indian Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926).

लिपिकीय या पर्यवेक्षणिक कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित, और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युत या उन्मोचित कर दिया गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है अथवा जिसकी पदच्युति, उन्मोचन या छंटनी किए जाने से वह विवाद पैदा हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो–

(i) वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन हो; अथवा

(ii) पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो; अथवा

(iii) मुख्यतः प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो; अथवा

(iv) पर्यवेक्षणिक हैसियत में नियोजित होते हुए प्रतिमास दस हजार रुपए से अधिक मजदूरी लेता हो अथवा या तो पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का प्रयोग करता है जो मुख्यतः प्रबन्धकीय प्रकृति के हैं ।

2क. एक कर्मकार की पदच्युति आदि का भी औद्योगिक विवाद समझा जाना– (1) जहां कि कोई नियोजक किसी कर्मकार को उन्मोचित या पदच्युत कर देता है या उसकी छंटनी कर देता है, या उसकी सेवाएं अन्यथा पर्यवसित कर देता है, वहां ऐसे उन्मोचन, पदच्युति या छंटनी या पर्यवसान से संसक्त या उद्भूत कोई विवाद या मतभेद जो उस कर्मकार और उसके नियोजक के बीच हो, इस बात के होते हुए भी कि न तो अन्य कर्मकार और न कर्मकारों का कोई संघ उस विवाद में पक्षकार है, औद्योगिक विवाद समझा जाएगा ।

(2) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई कर्मकार, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, उस तारीख से, जिसको उसने विवाद के सुलह के लिए समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन दिया है, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् उसमें निर्दिष्ट विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय या अधिकरण को सीधे आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर श्रम न्यायालय या अधिकरण को विवाद के संबंध में न्यायनिर्णयन करने की शक्तियां और अधिकारिता ऐसे होंगी, मानो वह समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे निर्देशित किया गया विवाद हो और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे न्यायनिर्णयन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे समुचित सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए गए किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में लागू होते हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन श्रम न्यायालय या अधिकरण को उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदभारमुक्ति, पदच्युति, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा ।

अध्याय 2
इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

3. कर्म समिति–(1) ऐसे औद्योगिक स्थापन की दशा में, जिसमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, समुचित सरकार नियोजक से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह नियोजकों के और उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों के प्रतिनिधियों की एक कर्म समिति विहित रीति से गठित करे, किन्तु ऐसे कि समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो । कर्मकारों के प्रतिनिधि उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों में से विहित रीति से और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उनके व्यवसाय संघ से, यदि कोई हों, परामर्श करके चुने जाएंगे ।

(2) It shall be the duty of the Works Committee to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and workmen and, to that end, to comment upon matters of their common interest or concern and endeavour to compose any material difference of opinion in respect of such matters.

4. Conciliation officers .-(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, appoint such number of persons as it thinks fit, to be conciliation officers, charged with the duty of mediating in and promoting the settlement of industrial disputes.

(2) A conciliation officer may be appointed for a specified area or for specified industries in a specified area or for one or more specified industries and either permanently or for a limited period.

5. Boards of Conciliation .-(1) The appropriate Government may as occasion arises by notification in the Official Gazette constitute a Board of Conciliation for promoting the settlement of an industrial dispute.

(2) A Board shall consist of a Chairman and two or four other members, as the appropriate Government thinks fit.

(3) The Chairman shall be an independent person and the other members shall be persons appointed in equal numbers to represent the parties to the dispute and any person appointed to represent a party shall be appointed on the recommendation of that party:

Provided that, if any party fails to make a recommendation as aforesaid within the prescribed time, the appropriate Government shall appoint such persons as it thinks fit to represent that party.

(4) A Board, having the prescribed quorum, may act notwithstanding the absence of the Chairman or any of its members or any vacancy in its number:

Provided that if the appropriate Government notifies the Board that the services of the Chairman or of any other member have ceased to be available, the Board shall not act until a new Chairman or member, as the case may be, has been appointed.

6. Courts of inquiry .-(1) The appropriate Government may as occasion arises by notification in the Official Gazette constitute a Court of Inquiry for inquiring into any matter appearing to be connected with or relevant to an industrial dispute.

(2) A Court may consist of one independent person or of such number of independent persons as the appropriate Government may think fit and where a Court consists of two or more members, one of them shall be appointed as the chairman.

(3) A Court, having the prescribed quorum, may act notwithstanding the absence of the chairman or any of its members or any vacancy in its number:

Provided that, if the appropriate Government notifies the Court that the services of the chairman have ceased to be available, the Court shall not act until a new chairman has been appointed.

7. Labour Courts .-(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more Labour Courts for the adjudication of industrial disputes relating to any matter specified in the Second Schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under this Act.

(2) A Labour Court shall consist of one person only to be appointed by the appropriate Government.

(2) कर्म समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्द्र और अच्छे सम्बन्ध सुनिश्चित करने और बनाए रखने के उपाय संप्रवृत्त करे और इस उद्देश्य से ऐसे मामलों पर, जिनमें उनका सामान्य हित है या जिनसे उनका सामान्य सरोकार है, टीका–टिप्पणी करे और ऐसे मामलों की बाबत किसी भी तात्विक मतभेद का प्रशमन करने का प्रयास करे ।

4. सुलह अधिकारी–(1) समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को, जितने वह ठीक समझे, सुलह अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करने और उनमें समझौता कराने के कर्तव्य से भारित किए जाएंगे ।

(2) सुलह अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए, या एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए, और या तो स्थायी रूप से या सीमित कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ।

5. सुलह बोर्ड–(1) समुचित सरकार, जब भी ऐसा अवसर उद्‌भूत हो, औद्योगिक विवाद का समझौता संप्रवृत्त करने के लिए सुलह बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी ।

(2) बोर्ड, अध्यक्ष और दो या चार अन्य सदस्यों से, जैसा भी समुचित सरकार ठीक समझे, गठित होगा ।

(3) अध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बराबर–बराबर संख्या में नियुक्त व्यक्ति होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त व्यक्ति उसी पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई पक्षकार यथापूर्वोक्त सिफारिश विहित समय में करने में असफल रहे तो समुचित सरकार उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिन्हें वह उचित समझे ।

(4) विहित गणपूर्ति होने पर ऐसा बोर्ड, अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति या अपनी सदस्य–संख्या में कोई रिक्ति होने पर भी, कार्य कर सकेगा :

परन्तु यदि समुचित सरकार बोर्ड को यह अधिसूचित करे कि अध्यक्ष या उसके किसी अन्य सदस्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं रह गई हैं तो बोर्ड तक तक कार्य नहीं करेगा जब तक, यथास्थिति, नया अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं कर दिया जाता ।

6. जांच न्यायालय–(1) समुचित सरकार, जब भी ऐसा अवसर उद्‌भूत हो, किसी औद्योगिक विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले की जांच के लिए जांच न्यायालय का गठन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगा ।

(2) न्यायालय एक स्वतन्त्र व्यक्ति से या उतने स्वतन्त्र व्यक्तियों से, जितने समुचित सरकार ठीक समझे, गठित हो सकेगा और जहां कि कोई न्यायालय दो या अधिक सदस्यों से गठित हो वहां उनमें से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ।

(3) विहित गणपूर्ति होने पर ऐसा न्यायालय, अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति या अपनी सदस्य–संख्या में कोई रिक्ति होने पर भी कार्य कर सकेगा :

परन्तु यदि समुचित सरकार न्यायालय को यह अधिसूचित करे कि अध्यक्ष की सेवाएं उपलब्ध नहीं रह गई हैं तो न्यायालय तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर दिया जाता ।

7. श्रम न्यायालय.–(1) समुचित सरकार द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय सम्बन्धी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के पालन के लिए, जैसे इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाएं, एक या अधिक श्रम न्यायालयों का गठन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी ।

(2) श्रम न्यायायल केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी ।

(3) A person shall not be qualified for appointment as the presiding officer of a Labour Court, unless-

(a) he is, or has been, a Judge of a High Court; or
(b) he has, for a period of not less than three years, been a District Judge or an Additional District Judge; or
(c) [***]
(d) he has held any judicial office in India for not less than seven years; or
(e) he has been the presiding officer of a Labour Court constituted under any Provincial Act or State Act for not less than five years.
(f) he is or has been a Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Joint Commissioner of the State Labour Department, having a degree in law and at least seven years' experience in the labour department including three years of experience as Conciliation Officer:

Provided that no such Deputy Chief Labour Commissioner or Joint Labour Commissioner shall be appointed unless he resigns from the service of the Central Government or State Government, as the case may be, before being appointed as the presiding officer; or

(g) he is an officer of Indian Legal Service in Grade III with three years' experience in the grade.

7-A. Tribunals .-(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more Industrial Tribunals for the adjudication of industrial disputes relating to any matter, whether specified in the Second Schedule or the Third Schedule, and for performing such other functions as may be assigned to them under this Act.

(1A) The Industrial Tribunal constituted by the Central Government under sub-section (1) shall also exercise, on and from the commencement of Part XIV of Chapter VI of the Finance Act, 2017, the jurisdiction, powers and authority conferred on the Tribunal referred to in section 7D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952)

(2) A Tribunal shall consist of one person only to be appointed by the appropriate Government.

(3) A person shall not be qualified for appointment as the presiding officer of a Tribunal unless—

(a) he is, or has been, a Judge of a High Court; or
(aa) he has, for a period of not less than three years, been a District Judge or an Additional District Judge;
(b) he is or has been a Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Joint Commissioner of the State Labour Department, having a degree in law and at least seven years' experience in the labour department including three years of experience as Conciliation Officer:

Provided that no such Deputy Chief Labour Commissioner or Joint Labour Commissioner shall be appointed unless he resigns from the service of the Central Government or State Government, as the case may be, before being appointed as the presiding officer; or

(c) he is an officer of Indian Legal Service in Grade III with three years' experience in the grade.

(4) The appropriate Government may, if it so thinks fit, appoint two persons as assessors to advise the Tribunal in the proceeding before it.

(3) कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह–

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो, या न रह चुका हो, अथवा

(ख) कम से कम तीन वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो, अथवा

(ग) [***]

(घ) भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम सात वर्ष तक धारण न कर चुका हो, अथवा

(ङ) किसी प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित श्रम न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष तक पीठासीन अधिकारी न रह चुका हो;

(च) ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो, जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम–से–कम सात वर्ष का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव भी है:

परन्तु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है; या

(छ) भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में तीन वर्ष का अनुभव न हो ।

7क. अधिकरण.–(1) समुचित सरकार चाहे द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय सम्बन्धी औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाएं एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी ।

(1क) केन्द्रीय सरकार द्वारा, उपधारा (1) के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारम्भ से ही कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7घ में निर्दिष्ट अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का भी प्रयोग करेगा।

(2) अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह–

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो, या न रह चुका हो, अथवा

(कक) कम से कम तीन वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो;

(ख) ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो, जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम–से–कम सात वर्ष का अनुभव हो, जिसके अन्तर्गत सुलह अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव भी है:

परन्तु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह, पीठसीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है; या

(ग) भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में तीन वर्ष का अनुभव न हो ।

(4) समुचित सरकार, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही में सलाह देने के लिए, दो व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

7-B. National Tribunals .-(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more National Industrial Tribunals for the adjudication of industrial disputes which, in the opinion of the Central Government, involve questions of national importance or are of such a nature that industrial establishments situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such disputes.

(2) A National Tribunal shall consist of one person only to be appointed by Central Government.

(3) A person shall not be qualified for appointment as the presiding officer of a National Tribunal unless he is, or has been, a Judge of a High Court.

(4) The Central Government may, if it so thinks fit, appoint two persons as assessors to advise the National Tribunal in the proceeding before it.

7-C. Disqualifications for the presiding officers of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals .-No person shall be appointed to, or continue in, the office of the presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal, if-

(a) he is not an independent person; or

(b) he has attained the age of sixty-five years.

7D. Qualifications, terms and conditions of service of Presiding Officer.— Notwithstanding anything contained in this Act, the qualifications, appointment, term of office, salaries and allowances, resignation and removal and other terms and conditions of service of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 7A, shall, after the commencement of the Tribunals Reforms Act, 2021, be governed by the provisions of Chapter II of the said Act:

Provided that the Presiding Officer appointed before the commencement of Part XIV of Chapter VI of the Finance Act, 2017 (7 of 2017), shall continue to be governed by the provisions of this Act, and the rules made thereunder as if the provisions of section 184 of the Finance Act, 2017 had not come into force.

8.Filling of vacancies .-If, for any reason a vacancy (other than a temporary absence) occurs in the office of the presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal or in the office of the Chairman or any other member of a Board or Court, then, in the case of a National Tribunal, the Central Government and in any other case, the appropriate Government, shall appoint another person in accordance with the provisions of this Act to fill the vacancy, and the proceeding may be continued before the Labour Court, Tribunal, National Tribunal, Board or Court, as the case may be, from the stage at which the vacancy is filled.

9. Finality of orders constituting Boards, etc .-(1) No order of the appropriate Government or of the Central Government appointing any person as the Chairman or any other member of a Board or Court or as the presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall be called in question in any manner; and no act or proceeding before any Board or Court shall be called in question in any manner on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of, such Board or Court.

(2) No settlement arrived at in the course of a conciliation proceeding shall be invalid by reason only of the fact that such settlement was arrived at after the expiry of the period referred to in sub-section (6) of section 12 or sub-section (5) of section 13, as the case may be.

7ख. राष्ट्रीय अधिकरण.–(1) केन्द्रीय सरकार ऐसे औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए, जिनमें केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं या जो इस प्रकृति के हैं कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों का ऐसे विवादों में हितबद्ध होना, या उनसे प्रभावित होना सम्भाव्य है, एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ।

(4) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, राष्ट्रीय अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही में सलाह देने के लिए, दो व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

7ग. श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के लिए निरर्हताएं.–कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, और न बना रहेगा, यदि–

(क) वह स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं है, अथवा

(ख) उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ।

7घ. पीठासीन अधिकारी की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें.– इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार द्वारा 7क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अर्हता, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र तथा पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) और उस अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा शासित होंगी :

परंतु वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त पीठासीन अधिकारी का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा मानों वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त ही नहीं हुए थे।

8. रिक्तियों का भरा जाना.–यदि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में या बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष के या किसी अन्य सदस्य के पद में (अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न) कोई रिक्ति किसी भी कारण से हो जाती है तो राष्ट्रीय अधिकरण की दशा में केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य दशा में समुचित सरकार, किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त करेगी, और कार्यवाही उस प्रक्रम से, जब रिक्ति भरी जाती है, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, बोर्ड या न्यायालय के समक्ष चालू रखी जा सकेगी ।

9. बोर्डों आदि को गठित करने वाले आदेशों की अंतिमता.–(1) समुचित सरकार का या केन्द्रीय सरकार का कोई भी आदेश, जिससे किसी व्यक्ति की नियुक्ति, बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में की गई है, किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा; और किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष का कोई भी कार्य या कार्यवाही ऐसे बोर्ड या न्यायालय में किसी रिक्ति के या उसके गठन में किसी त्रुटि के अस्तित्व के आधार पर ही किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं की जाएगी ।

(2) सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया कोई भी समझौता केवल इस तथ्य के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा कि ऐसा समझौता, यथास्थिति, धारा 12 की उपधारा (6) में या धारा 13 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् किया गया था ।

(3) Where the report of any settlement arrived at in the course of conciliation proceeding before a Board is signed by the Chairman and all the other members of the Board, no such settlement shall be invalid by reason only of the casual or unforeseen absence of any of the members (including the Chairman) of the Board during any stage of the proceeding.

CHAPTER II-A

Notice Of Change

9-A. Notice of change .-No employer, who proposes to effect any change in the conditions of service applicable to any workman in respect of any matter specified in the Fourth Schedule, shall effect such change,-

(a) without giving to the workmen likely to be affected by such change a notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed to be effected; or

(b) within twenty-one days of giving such notice:

Provided that no notice shall be required for effecting any such change-

(a) where the change is effected in pursuance of any settlement or award; or

(b) where the workmen likely to be affected by the change are persons to whom the Fundamental and Supplementary Rules, Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, Civil Services (Temporary Service) Rules, Revised Leave Rules, Civil Service Regulations, Civilians in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules or the Indian Railway Establishment Code or any other rules or regulations that may be notified in this behalf by the appropriate Government in the Official Gazette, apply.

9-B. Power of Government to exempt .-Where the appropriate Government is of opinion that the application of the provisions of section 9-A to any class of industrial establishments or to any class of workmen employed in any industrial establishment affect the employers in relation thereto so prejudicially that such application may cause serious repercussion on the industry concerned and that public interest so requires, the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of the said section shall not apply or shall apply, subject to such conditions as may be specified in the notification, to that class of industrial establishments or to that class of workmen employed in any industrial establishment.

CHAPTER IIB

Grievance Redressal Machinery

9C. Setting up of Grievance Redressal Machinery. - (1) Every industrial establishment employing twenty or more workmen shall have one or more Grievance Redressal Committee for the resolution of disputes arising out of individual grievances.

(2) The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of members from the employer and the workmen.

(3) The chairperson of the Grievance Redressal Committee shall be selected from the employer and from among the workmen alternatively on rotation basis every year.

(3) जहां कि बोर्ड के समक्ष की सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किए गए किसी समझौते की रिपोर्ट पर बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सभी सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं वहां ऐसा समझौता केवल इसी कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम के दौरान बोर्ड के सदस्यों में से (जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष आता है) कोई आकस्मिक अथवा अपूर्वकल्पित रूप में अनुपस्थित था ।)

अध्याय 2क

तब्दीली की सूचना

9क. तब्दीली की सूचना.–कोई भी नियोजक, जो किसी कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों में किसी ऐसे विषय की बाबत, जो चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, कोई तब्दीली करने की प्रस्थापना करता है–

(क) ऐसे कर्मकार को, जिस पर ऐसी तब्दीली का प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो, प्रस्थापित तब्दीली की प्रकृति की विहित रीति से सूचना दिए बिना, अथवा

(ख) ऐसी सूचना देने के इक्कीस दिन के भीतर, ऐसी तब्दीली नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी कोई तब्दीली करने के लिए उस दशा में किसी भी सूचना की अपेक्षा नहीं होगी जिसमें कि–

(क) तब्दीली किसी समझौते या अधिनिर्णय के अनुसरण में की गई है, अथवा

(ख) वे कर्मकार, जिन पर उस तब्दीली का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फंडामेंटल एण्ड सप्लीमेंटरी रूल्स अर्थात् मौलिक और अनुपूरक नियम, सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स अर्थात् सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सर्विसेज (टेम्पोरेरी सर्विस) रूल्स अर्थात् सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम,रिवाइज्ड लीव रूल्स अर्थात् पुनरीक्षित छुट्टी नियम, सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स अर्थात् सिविल सेवा विनियम, सिविलियन्स इन डिफेंस सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स अर्थात् रक्षा सेवाओं के सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, या भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम, जो समुचित सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, लागू होते हैं ।

9ख. छूट देने की सरकार की शक्ति.–जहां कि समुचित सरकार की यह राय हो कि औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के किसी वर्ग को धारा 9क के उपबन्धों का लागू होना उससे सम्बद्ध नियोजकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि इस प्रकार लागू किए जाने से सम्पृक्त उद्योग पर गम्भीर प्रतिक्रिया होगी और यह कि लोकहित ऐसा अपेक्षित करता है, वहां समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उक्त धारा के उपबन्ध औद्योगिक स्थापनों के उस वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के उस वर्ग को लागू नहीं होंगे या ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

अध्याय 2ख

शिकायत प्रतितोषण तंत्र

9ग. शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना.–(1) ऐसे प्रत्येक औद्योगिक स्थापन में, जिसमें बीस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, व्यष्टिक शिकायतों से उद्‌भूत होने वाले विवादों के हल के लिए एक या अधिक शिकायत प्रतितोषण समिति होगी ।

(2) शिकायत प्रतितोषण समिति नियोजक और कर्मकारों से बराबर संख्या में सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(3) शिकायत प्रतितोषण समिति के अध्यक्ष का चयन नियोजक से और कर्मकारों में से आनुकल्पिक रूप में प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में किया जाएगा ।

(4) The total number of members of the Grievance Redressal Committee shall not exceed more than six:

Provided that there shall be, as far as practicable, one woman member if the Grievance Redressal Committee has two members and in case the number of members are more than two, the number of women members may be increased proportionately.

(5) Notwithstanding anything contained in this section, the setting up of Grievance Redressal Committee shall not affect the right of the workman to raise industrial dispute on the same matter under the provisions of this Act.

(6) The Grievance Redressal Committee may complete its proceedings within thirty days on receipt of a written application by or on behalf of the aggrieved party.

(7) The workman who is aggrieved of the decision of the Grievance Redressal Committee may prefer an appeal to the employer against the decision of Grievance Redressal Committee and the employer shall, within one month from the date of receipt of such appeal, dispose off the same and send a copy of his decision to the workman concerned.

(8) Nothing contained in this section shall apply to the workmen for whom there is an established Grievance Redressal Mechanism in the establishment concerned

CHAPTER III

Reference Of Disputes To Boards, Courts Or Tribunals

10. Reference of dispute to Boards, Courts or Tribunals .-(1) Where the appropriate Government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended, it may at any time, by order in writing-

(a) refer the dispute to a Board for promoting a settlement thereof; or

(b) refer any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute to a Court for inquiry; or

(c) refer the dispute or any matter appearing to be connected with, or relevant to, the dispute, if it relates to any matter specified in the Second Schedule, to a Labour Court for adjudication; or

(d) refer the dispute or any matter appearing to be connected with, or relevant to, the dispute, whether it relates to any matter specified in the Second Schedule or the Third Schedule, to a Tribunal for adjudication:

Provided that where the dispute relates to any matter specified in the Third Schedule and is not likely to affect more than one hundred workmen, the appropriate Government may, if it so thinks fit, make the reference to a Labour Court under clause (c):

Provided further that where the dispute relates to a public utility service and a notice under section 22 has been given, the appropriate Government shall, unless it considers that the notice has been frivolously or vexatiously given or that it would be inexpedient so to do, make a reference under this sub-section notwithstanding that any other proceedings under this Act in respect of the dispute may have commenced:

Provided also that where the dispute in relation to which the Central Government is the appropriate Government, it shall be competent for the Government to refer the dispute to a Labour Court or an Industrial Tribunal, as the case may be, constituted by the State Government

(4) शिकायत प्रतितोषण समिति के सदस्यों की कुल संख्या छह से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि शिकायत प्रतितोषण समिति में दो सदस्य हैं तो यथासाध्य एक महिला सदस्य होगी और यदि सदस्यों की संख्या दो से अधिक है तो महिला सदस्यों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकेगी।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, शिकायत प्रतितोषण समिति के गठन से उसी विषय के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन औद्योगिक विवाद उठाने के कर्मकार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(6) शिकायत प्रतितोषण समिति, व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर तीस दिन के भीतर अपनी कार्यवाहियों को पूरा कर सकेगी।

(7) ऐसा कर्मकार, जो शिकायत प्रतितोषण समिति के विनिश्चय से व्यथित है, शिकायत प्रतितोषण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नियोजक को अपील कर सकेगा और नियोजक, ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, उसका निपटारा करेगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति संबंधित कर्मकार को भेजेगा ।

(8) इस धारा की कोई बात ऐसे कर्मकार को लागू नहीं होगा, जिसके लिए संबंधित स्थापन में स्थापित एक शिकायत प्रतितोषण तंत्र है।

अध्याय 3

विवादों का बोर्डों, न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश

10. विवादों का बोर्डों, न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश–(1) जहां कि समुचित सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है वहां वह लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय–

(क) उस विवाद का समझौता कराने के लिए उसे बोर्ड को निर्देशित कर सकेगी, अथवा

(ख) विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को जांच के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा

(ग) विवाद को, या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को, यदि वह किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में हो जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, न्यायनिर्णयन के लिए किसी श्रम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा

(घ) विवाद को, या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को, चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हो, न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी :

परन्तु जहां कि विवाद तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो और उससे एक सौ से अधिक कर्मकारों पर प्रभार पड़ना सम्भाव्य न हो वहां यदि समुचित सरकार ठीक समझे तो वह खण्ड (ग) के अधीन श्रम न्यायालय को निर्देश कर सकेगी :

परन्तु यह और कि जहां कि विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के सम्बन्ध में हो और धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई हो, वहां जब तक कि समुचित सरकार का यह विचार न हो कि सूचना तुच्छतया या तंग करने के लिए दी गई है, या ऐसा करना समीचीन न होगा, वह इस बात के होते हुए भी कि विवाद की बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्यवाहियां प्रारम्भ हो चुकी हों, इस उपधारा के अधीन निदेश करेगीः

परन्तु यह और कि जहां विवाद ऐसा है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, वहां वह सरकार, विवाद को राज्य सरकार द्वारा गठित, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण को, निर्देशित करने के लिए सक्षम होगी ।

(1-A) Where the Central Government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended and the dispute involves any question of national importance or is of such a nature that industrial establishments situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such dispute and that the dispute should be adjudicated by a National Tribunal, then, the Central Government may, whether or not it is the appropriate Government in relation to that dispute, at any time, by order in writing, refer the dispute or any matter appearing to be connected with, or relevant to, the dispute, whether it relates to any matter specified in the Second Schedule or the Third Schedule, to a National Tribunal for adjudication.

(2) Where the parties to an industrial dispute apply in the prescribed manner, whether jointly or separately, for a reference of the dispute to a Board, Court, Labour Court, Tribunal or National Tribunal, the appropriate Government, if satisfied that the persons applying represent the majority of each party, shall make the reference accordingly.

(2-A) An order referring an industrial dispute to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal under this section shall specify the period within which such Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall submit its award on such dispute to the appropriate Government:

Provided that where such industrial dispute is connected with an individual workman, no such period shall exceed three months:

Provided further that where the parties to an industrial dispute apply in the prescribed manner, whether jointly or separately, to the Labour Court, Tribunal or National Tribunal for extension of such period or for any other reason, and the presiding officer of such Labour Court, Tribunal or National Tribunal considers it necessary or expedient to extend such period, he may for reasons to be recorded in writing, extend such period by such further period as he may think fit:

Provided also that in computing any period specified in this sub-section, the period, if any, for which the proceedings before the Labour Court, Tribunal or National Tribunal had been stayed by any injunction or order of a Civil Court shall be excluded:

Provided also that no proceedings before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall lapse merely on the ground that any period specified under this sub-section had expired without such proceedings being completed.

(3) Where an industrial dispute has been referred to a Board, Labour Court, Tribunal or National Tribunal under this section, the appropriate Government may by order prohibit the continuance of any strike or lock-out in connection with such dispute which may be in existence on the date of the reference.

(4) Where in an order referring an industrial dispute to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal under this section or in a subsequent order, the appropriate Government has specified the points of dispute for adjudication, the Labour Court or the Tribunal or the National Tribunal, as the case may be, shall confine its adjudication to those points and matters incidental thereto.

(5) Where a dispute concerning any establishment or establishments has been, or is to be, referred to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal under this section and the appropriate Government is of opinion, whether on an application made to it in this behalf or

(1क) जहां कि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है और विवाद में राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, या विवाद इस प्रकृति का है कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापन का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, और यह कि विवाद राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्याय–निर्णीत होना चाहिए, वहां केन्द्रीय सरकार, चाहे वह उस विवाद के सम्बन्ध में समुचित सरकार हो या न हो, विवाद को या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले मामले को चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हो, न्यायनिर्णयन के लिए, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी समय राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी ।

(2) जहां कि औद्योगिक विवाद के पक्षकार विवाद का निर्देश बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किए जाने के लिए विहित रीति से, चाहे संयुक्ततः चाहे पृथक्तः, आवेदन करते हैं, वहां यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति हर एक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वह तद्नुसार निर्देश करेगी ।

(2क) इस धारा के अधीन श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किसी औद्योगिक विवाद को निर्देशित करने वाले आदेश में वह कालावधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर, ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण उस विवाद के सम्बन्ध में अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को, प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यष्टिक कर्मकार से संबंधित है, वहां ऐसी कालावधि तीन मास से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां किसी औद्योगिक विवाद के पक्षकार विहित रीति से, चाहे संयुक्ततः या पृथक्तः ऐसी कालावधि के विस्तार के लिए या किसी अन्य कारण से, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आवेदन करते हैं, और यदि ऐसे श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी कालावधि का विस्तार करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह ऐसे कारणों सहित, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि का विस्तार ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी कालावधि की, यदि कोई हो, संगणना करने में वह कालावधि जिसके लिए श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को किसी सिविल न्यायालय के किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया था, अपवर्जित की जाएगीः

परन्तु यह और भी कि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियां केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं हो जाएंगी कि इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने के पूर्व, समाप्त हो गई थी ।

(3) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद बोर्ड, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संसंग में की गई किसी ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी को, जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हों, चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(4) जहां कि किसी औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित करने वाले किसी आदेश में या किसी पश्चात्वर्ती आदेश में समुचित सरकार ने न्यायनिर्णयन के लिए विवाद के प्रश्न विनिर्दिष्ट कर दिए हैं वहां यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण अपने न्यायनिर्णय को उन प्रश्नों और उनसे आनुषंगिक विषयों तक ही सिमित रखेगा ।

(5) जहां कि किसी स्थापन या किन्हीं स्थापनों से सम्पृक्त कोई विवाद श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है या किए जाने को है और समुचित सरकार की राय, या तो उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा, यह हो कि विवाद इस

otherwise, that the dispute is of such a nature that any other establishment, group or class of establishments of a similar nature is likely to be interested in, or affected by, such dispute, the appropriate Government may, at the time of making the reference or at any time thereafter but before the submission of the award, include in that reference such establishment, group or class of establishments, whether or not at the time of such inclusion any dispute exists or is apprehended in that establishment, group or class of establishments.]

(6) Where any reference has been made under sub-section (1-A) to a National Tribunal, then notwithstanding anything contained in this Act, no Labour Court or Tribunal shall have jurisdiction to adjudicate upon any matter which is under adjudication before the National Tribunal, and accordingly,-

(a) if the matter under adjudication before the National Tribunal is pending in a proceeding before a Labour Court or Tribunal, the proceeding before the Labour Court or the Tribunal, as the case may be, in so far as it relates to such matter, shall be deemed to have been quashed on such reference to the National Tribunal; and

(b) it shall not be lawful for the appropriate Government to refer the matter under adjudication before the National Tribunal to any Labour Court or Tribunal for adjudication during the pendency of the proceeding in relation to such matter before the National Tribunal.

Explanation **.-**In this sub-section, "Labour Court "or "Tribunal "includes any Court or Tribunal or other authority constituted under any law relating to investigation and settlement of industrial disputes in force in any State.

(7) Where any industrial dispute, in relation to which the Central Government is not the appropriate Government, is referred to a National Tribunal, then, notwithstanding anything contained in this Act, any reference in section 15, section 17, section 19, section 33-A, section 33-B and section 36-A to the appropriate Government in relation to such dispute shall be construed as a reference to the Central Government but, save as aforesaid and as otherwise expressly provided in this Act, any reference in any other provision of this Act to the appropriate Government in relation to that dispute shall mean a reference to the State Government.

(8) No proceedings pending before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal in relation to an industrial dispute shall lapse merely by reason of the death of any of the parties to the dispute being a workman, and such Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall complete such proceedings and submit its award to the appropriate Government.

10-A. Voluntary reference of disputes to arbitration .-(1) Where any industrial dispute exists or is apprehended and the employer and the workmen agree to refer the dispute to arbitration, they may, at any time before the dispute has been referred under section 10 to a Labour Court or Tribunal or National Tribunal, by a written agreement, refer the dispute to arbitration and the reference shall be to such person or persons including the presiding officer of a Labour Court or Tribunal or National Tribunal as an arbitrator or arbitrators as may be specified in the arbitration agreement.

(1-A) Where an arbitration agreement provides for a reference of the dispute to an even number of arbitrators, the agreement shall provide for the appointment of another person as umpire who shall enter upon the reference, if the arbitrators are equally divided in their opinion, and the award of the umpire shall prevail and shall be deemed to be the arbitration award for the purposes of this Act.

प्रकृति का है कि उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन, स्थापनों के समूह या वर्ग का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, वहां समुचित सरकार निर्देश करते समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, किन्तु अधिनिर्णय निवेदित किए जाने से पूर्व, उस निर्देश में ऐसे स्थापन, स्थापनों के समूह या वर्ग को सम्मिलित कर सकेगी, चाहे ऐसे सम्मिलित किए जाने के समय उस स्थापन, स्थापनों के समूह या वर्ग में कोई विवाद विद्यमान हो या न हो या उसके होने की आशंका हो या न हो ।

(6) जहां कि कोई निर्देश उपधारा (1क) के अधीन राष्ट्रीय अधिकरण को किया गया है वहां, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी श्रम न्यायालय या अधिकरण को किसी ऐसे मामले पर, जो राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन हो, न्यायनिर्णयन की अधिकारिता नहीं होगी, और तद्नुसार,–

(क) यदि राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन का कोई मामला श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही में लम्बित है तो, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की कार्यवाही, जहां तक कि वह ऐसे मामले से संबद्ध है, राष्ट्रीय अधिकरण को ऐसे निर्देश पर अभिखण्डित हो गई समझी जाएगी; तथा

(ख) समुचित सरकार के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन का कोई मामला, ऐसे मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही के राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लम्बित रहने के दौरान, न्यायनिर्णयन के लिए किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण को निर्देशित करे ।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा में श्रम न्यायालय" या अधिकरण" के अन्तर्गत कोई ऐसा न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी आता है जो औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के सम्बन्ध में किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित हो ।

(7) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार नहीं है, राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किया जाता है वहां, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विवाद के सम्बन्ध में धारा 15, धारा 17, धारा 19, धारा 33क, धारा 33ख और धारा 36क में समुचित सरकार के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार के प्रति निर्देश है किंतु यथापूर्वोक्त के और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्ततः उपबन्धित है उसके सिवाय, उस विवाद के सम्बन्ध में समुचित सरकार के प्रति इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी निर्देश से राज्य सरकार के प्रति निर्देश अभिप्रेत होगा ।

(8) किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियां केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं हो जाएंगी कि विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की, जो कर्मकार है, मृत्यु हो गई है और ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसी कार्यवाहियों को पूरा करेगा और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

10क. विवादों का माध्यस्थम् के लिए स्वेच्छया निर्देश.–(1) जहां कि कोई विवाद विद्यमान हो या होने की आशंका हो और नियोजक और कर्मकार विवाद, माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाने के लिए सहमत हों, वहां वे विवाद के धारा 10 के अधीन श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किए जाने से पूर्व किसी भी समय विवाद को लिखित करार द्वारा, माध्यस्थम् के लिए निर्देशित कर सकेंगे और निर्देश ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को (जिनके अन्तर्गत श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी आता है) जिन्हें माध्यस्थम् करार में विनिर्दिष्ट किया जाए, मध्यस्थ या मध्यस्थों के रूप में होगा ।

(1क) जहां कि माध्यस्थम् करार यह उपबन्ध करता है कि विवाद समसंख्यक मध्यस्थों को निर्देशित किया जाए, वहां करार किसी अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त करने का उपबन्ध करेगा, जो निर्देश पर उस समय कार्यारम्भ करेगा जब मध्यस्थ राय में बराबर बंटे हों और अधिनिर्णायक का पंचाट अभिभावी होगा और वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए माध्यस्थम् पंचाट समझा जाएगा ।

(2) An arbitration agreement referred to in sub-section (1) shall be in such form and shall be signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed.

(3) A copy of the arbitration agreement shall be forwarded to the appropriate Government and the conciliation officer and the appropriate Government shall, within one month from the date of the receipt of such copy, publish the same in the Official Gazette.

(3-A) Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the appropriate Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, the appropriate Government may, within the time referred to in sub-section (3), issue a notification in such manner as may be prescribed; and when any such notification is issued, the employers and workmen who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute, shall be given an opportunity of presenting their case before the arbitrator or arbitrators.

(4) The arbitrator or arbitrators shall investigate the dispute and submit to the appropriate Government the arbitration award signed by the arbitrator or all the arbitrators, as the case may be.

(4-A) Where an industrial dispute has been referred to arbitration and a notification has been issued under sub-section (3-A), the appropriate Government may, by order, prohibit the continuance of any strike or lock-out in connection with such dispute which may be in existence on the date of the reference.

(5) Nothing in the Arbitration Act, 1940 (10 of 1940)[1], shall apply to arbitrations under this section.

CHAPTER IV

Procedure, Powers And Duties Of Authorities

11. Procedure and power of conciliation officers, Boards, Courts and Tribunals .-(1) Subject to any rules that may be made in this behalf, an arbitrator, a Board, Court, Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall follow such procedure as the arbitrator or other authority concerned may think fit.

(2) A conciliation officer or a member of a Board, or Court or the presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal may, for the purpose of inquiry into any existing or apprehended industrial dispute, after giving reasonable notice, enter the premises occupied by any establishment to which the dispute relates.

(3) Every Board, Court, Labour Court, Tribunal and National Tribunal shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), when trying a suit, in respect of the following matters, namely:-

(a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) compelling the production of documents and material objects;

(c) issuing commissions for the examination of witnesses;

(d) in respect of such other matters as may be prescribed;

and every inquiry or investigation by a Board, Court, Labour Court, Tribunal or National Tribunal, shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860)[2].

1. *Now See*, Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996).
2. *Now See*, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थम् करार ऐसे प्ररूप में होगा और उस पर उसके पक्षकार ऐसी रीति से हस्ताक्षर करेंगे जैसी विहित की जाए ।

(3) माध्यस्थम् करार की एक प्रति समुचित सरकार और सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी और समुचित सरकार, ऐसी प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

(3क) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया गया हो और समुचित सरकार का यह समाधान हो गया हो कि निर्देश करने वाले व्यक्ति हर एक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां समुचित सरकार, उपधारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी रीति से अधिसूचना निकाल सकेगी, जैसी विहित की जाए, और जब ऐसी कोई अधिसूचना निकाली गई हो, तब उन नियोजकों और कर्मकारों को, जो माध्यस्थम् करार के पक्षकार नहीं हैं किंतु विवाद से सम्पृक्त हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला उपस्थित करने का अवसर दिया जाएगा ।

(4) मध्यस्थ विवाद का अन्वेषण करेगा, या करेंगे और, यथास्थिति, मध्यस्थ द्वारा या सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित माध्यस्थम् पंचाट, समुचित सरकार को निवेदित करेगा या करेंगे।

(4क) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया गया है और उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संसंग में की गई किसी ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी को, जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हों, चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(5) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10)[1] की कोई भी बात इस धारा के अधीन के माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 4

प्राधिकारियों की प्रक्रिया, शक्तियां और कर्तव्य

11. सुलह अधिकारियों, बोर्डों, न्यायालयों और अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियां. – (1) उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, मध्यस्थ, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी मध्यस्थ या अन्य प्राधिकारी, जो सम्पृक्त हो, ठीक समझे ।

(2) सुलह अधिकारी, या बोर्ड का सदस्य, या न्यायालय या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, किसी विद्यमान या आशंकित औद्योगिक विवाद की जांच के प्रयोजन के लिए, युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा जो किसी ऐसे स्थापन के अधिभोग में हो जिससे वह विवाद संबद्ध हो ।

(3) हर बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण को निम्नलिखित विषयों की बाबत, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने के लिए,

(ख) दस्तावेज और भौतिक पदार्थ पेश करने को विवश करने के लिए,

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने के लिए,

(घ) ऐसे अन्य विषयों की बाबत, जैसे विहित किए जाएं,

वही शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निहित होती हैं और बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण) द्वारा की जाने वाली हर जांच या अन्वेषण को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)[2] की धाराओं 193 और 228 के अर्थ के अन्दर न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।

---

1. अब देखें माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)।
2. अब देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)।

(4) A conciliation officer may enforce the attendance of any person for the purpose of examination of such person or call for and inspect any document which he has ground for considering to be relevant to the industrial dispute [or to be necessary for the purpose of verifying the implementation of any award or carrying out any other duty imposed on him under this Act, and for the aforesaid purposes, the conciliation officer shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of enforcing the attendance of any person and examining him or of compelling the production of documents.

(5) A Court, Labour Court, Tribunal or National Tribunal may, if it so thinks fit, appoint one or more persons having special knowledge of the matter under consideration as an assessor or assessors to advise it in the proceeding before it.

(6) All conciliation officers, members of a Board or Court and the presiding officers of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860)[1].

(7) Subject to any rules made under this Act, the costs of, and incidental to, any proceeding before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall be in the discretion of that Labour Court, Tribunal or National Tribunal and the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall have full power to determine by and to whom and to what extent and subject to what conditions, if any, such costs are to be paid, and to give all necessary directions for the purposes aforesaid and such costs made, on application made to the appropriate Government by the person entitled, be recovered by that Government in the same manner as an arrear of land revenue.

(8) Every Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)[2].

(9) Every award made, order issued or settlement arrived at by or before Labour Court or Tribunal or National Tribunal shall be executed in accordance with the procedure laid down for execution of orders and decree of a Civil Court under order 21 of the Code of Civil Procedure, 1908.

(10) The Labour Court or Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall transmit any award, order or settlement to a Civil Court having jurisdiction and such Civil Court shall execute the award, order or settlement as if it were a decree passed by it.

11-A. Powers of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals to give appropriate relief in case of discharge or dismissal of workmen .-Where an industrial dispute relating to the discharge or dismissal of a workman has been referred to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal for adjudication and, in the course of the adjudication proceedings, the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified, it may, by its award, set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, or give such other relief to the workman including the award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may require:

---

1. *Now See*, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).
2. *Now See*, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023).

(4) सुलह अधिकारी किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति की हाजिरी प्रवर्तित करा सकेगा या किसी ऐसी दस्तावेज को मंगा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा, जिसके बारे में उसके पास यह समझने का आधार हो कि वह औद्योगिक विवाद से सुसंगत है या किसी अधिनिर्णय के कार्यान्वयन को सत्यापित करने या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक है और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की हाजिरी प्रवर्तित कराने और उसकी परीक्षा करने या दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने की बाबत सुलह अधिकारी को वे ही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं ।

(5) यदि न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसा करना ठीक समझे तो वह विचाराधीन विषय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को अपने समक्ष की कार्यवाहियों में सलाह देने के लिए असेसर या असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(6) सभी सुलह अधिकारी, बोर्ड या न्यायालय के सदस्य और श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)[1] की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझे जाएंगे ।

(7) श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही के और उससे आनुषंगिक खर्चों को दिलाना इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए उस श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के विवेकाधिकार में होगा और, यथास्थिति, उस श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को यह अवधारित करने की, कि ऐसे खर्च जिसके द्वारा और जिसको और कितने तक तथा किन शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए दिए जाने हैं, और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश देने की पूरी शक्ति होगी और ऐसे खर्च, हकदार व्यक्ति द्वारा समुचित सरकार को आवेदन किए जाने पर, उस सरकार द्वारा उस रीति से वसूल किए जा सकेंगे जैसे भू–राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

(8) हर श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)[2] की धारा 345, 346 और 348 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(9) श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक पंचाट, जारी किए गए आदेश या उसके समक्ष किए गए समझौते का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

(10) यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी पंचाट, आदेश या समझौते को, अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस पंचाट, आदेश या समझौते का निष्पादन ऐसे करेगा मानो वह उसके द्वारा पारित की गई कोई डिक्री हो ।

11क. कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करने की दशा में समुचित अनुतोष देने की श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्ति.—जहां किसी कर्मकार की सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया हो तथा, न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियों के अनुक्रम में, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का समाधान हो जाए, कि सेवोन्मुक्ति या पदच्युति का आदेश न्यायोचित नहीं है, वहां वह अपने अधिनिर्णय द्वारा सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के आदेश को अपास्त कर सकेगा तथा कर्मकार के, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह ठीक समझे, पुनःस्थापन का निदेश दे सकेगा या कर्मकार को ऐसा अन्य अनुतोष जिसके अन्तर्गत सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के बदले न्यूनतर दण्ड का अधिनिर्णय भी है, दे सकेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो:

---

1. अब देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)।
2. अब देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)।

Provided that in any proceeding under this section the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall rely only on the materials on record and shall not take any fresh evidence in relation to the matter.

12. Duties of conciliation officers .—(1) Where any industrial dispute exists or is apprehended, the conciliation officer may, or where the dispute relates to a public utility service and a notice under section 22 has been given, shall, hold conciliation proceedings in the prescribed manner.

(2) The conciliation officer shall, for the purpose of bringing about a settlement of the dispute, without delay investigate the dispute and all matters affecting the merits and the right settlement thereof and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement of the dispute.

(3) If a settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conciliation proceedings, the conciliation officer shall send a report thereof to the appropriate Government or an officer authorised in this behalf by the appropriate Government together with a memorandum of the settlement signed by the parties to the dispute.

(4) If no such settlement is arrived at, the conciliation officer shall, as soon as practicable after the close of the investigation, send to the appropriate Government a full report setting forth the steps taken by him for ascertaining the facts and circumstances relating to the dispute and for bringing about a settlement thereof, together with a full statement of such facts and circumstances, and the reasons on account of which, in his opinion, a settlement could not be arrived at.

(5) If, on a consideration of the report referred to in sub-section (4), the appropriate Government is satisfied that there is a case for reference to a Board, Labour Court, Tribunal or National Tribunal, it may make such reference. Where the appropriate Government does not make such a reference, it shall record and communicate to the parties concerned its reasons therefor.

(6) A report under this section shall be submitted within fourteen days of the commencement of the conciliation proceedings or within such shorter period as may be fixed by the appropriate Government:

Provided that, subject to the approval of the conciliation officer,the time for the submission of the report may be extended by such period as may be agreed upon in writing by all the parties to the dispute.

13. Duties of Board .-(1) Where a dispute has been referred to a Board under this Act, it shall be the duty of the Board to endeavour to bring about a settlement of the same and for this purpose the Board shall, in such manner as it thinks fit and without delay, investigate the dispute and all matters affecting the merits and the right settlement thereof and may do all such things as it thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement of the dispute.

(2) If a settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conciliation proceedings, the Board shall send a report thereof to the appropriate Government together with a memorandum of the settlement signed by the parties to the dispute.

(3) If no such settlement is arrived at, the Board shall, as soon as practicable after the close of the investigation, send to the appropriate Government a full report setting forth the

परन्तु इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण केवल उसी सामग्री पर निर्भर करेगा जो अभिलेख पर हो और उस विषय के संबंध में कोई नया साक्ष्य नहीं लेगा ।

12. सुलह अधिकारियों के कर्तव्य–(1) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है, वहां सुलह अधिकारी विहित रीति से सुलह कार्यवाहियां कर सकेगा या जहां कि विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के सम्बन्ध में हैं और धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई है, वहां वह ऐसी कार्यवाहियां विहित रीति से करेगा ।

(2) सुलह अधिकारी विवाद का समझौता कराने के प्रयोजन के लिए विवाद का तथा उसके गुणावगुण और उसके ठीक समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलम्ब करेगा और विवाद का ऋजु तथा सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ वे सभी बातें कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे ।

(3) यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में हो जाता है, तो सुलह अधिकारी समुचित सरकार का या समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारीट को उसकी रिपोर्ट, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन सहित भेजेगा ।

(4) यदि ऐसा कोई समझौता नहीं हो पाता है तो सुलह अधिकारी अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से समुचित सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें विवाद से सम्बद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का अभिनिश्चय करने और विवाद का समझौता कराने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदम, और साथ ही उन तथ्यों और परिस्थितियों का पूरा–पूरा विवरण और वे कारण भी, जिनसे उसकी राय में समझौता नहीं हो सका, उपवर्णित होंगे ।

(5) यदि उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने पर समुचित सरकार का समाधान हो जाए कि बोर्ड, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देश करने के लिए मामला बनता है तो वह ऐसा निर्देश कर सकेगी । जहां कि समुचित सरकार ऐसा निर्देश नहीं करती वहां वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी और सम्पृक्त पक्षकारों को संसूचित करेगी ।

(6) इस धारा के अधीन रिपोर्ट, सुलह कार्यवाहियां प्रारम्भ होने के चौदह दिन के भीतर, या ऐसी अल्पतर कालावधि के भीतर, जैसी समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए, निवेदित की जाएगी :

परन्तु सुलह अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुएट रिपोर्ट निवेदित करने का समय इतनी कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जितनी के बारे में विवाद के सभी पक्षकारों में लिखित रूप में सहमति हो जाए ।

13. बोर्ड के कर्तव्य.–(1) जहां कि कोई विवाद इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को निर्देशित किया गया है, वहां बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह उसका समझौता कराने का प्रयास करे और बोर्ड इस प्रयोजन के लिए विवाद का तथा उसके गुणागुण और उसका ठीक समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलम्ब और ऐसी रीति से, जैसी वह उचित समझे, करेगा और विवाद का ऋजु तथा सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ वे सभी बातें कर सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे ।

(2) यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में हो जाता है तो बोर्ड समुचित सरकार को उसकी रिपोर्ट, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन सहित, भेजेगा ।

(3) यदि ऐसा कोई समझौता नहीं हो पाता है तो बोर्ड अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से समुचित सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें विवाद से संबद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का

proceedings and steps taken by the Board for ascertaining the facts and circumstances relating to the dispute and for bringing about a settlement thereof, together with a full statement of such facts and circumstances, its findings thereon, the reasons on account of which, in its opinion, a settlement could not be arrived at and its recommendations for the determination of the dispute.

(4) If, on the receipt of a report under sub-section (3) in respect of a dispute relating to a public utility service, the appropriate Government does not make a reference to a [Labour Court, Tribunal or National Tribunal under section 10, it shall record and communicate to the parties concerned its reasons therefor.

(5) The Board shall submit its report under this section within two months of the date [on which the dispute was referred to it or within such shorter period as may be fixed by the appropriate Government:

Provided that the appropriate Government may from time to time extend the time for the submission of the report by such further periods not exceeding two months in the aggregate:

Provided further that the time for the submission of the report may be extended by such period as may be agreed on in writing by all the parties to the dispute.

14. Duties of Courts .—A Court shall inquire into the matters referred to it and report thereon to the appropriate Government ordinarily within a period of six months from the commencement of its inquiry.

15. Duties of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals .-Where an industrial dispute has been referred to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal for adjudication, it shall hold its proceedings expeditiously and shall, within the period specified in the order referring such industrial dispute or the further period extended under the second proviso to sub-section (2-A) of section 10, submit its award to the appropriate Government.

16. Form of report or award .-(1) The report of a Board or Court shall be in writing and shall be signed by all the members of the Board or Court, as the case may be:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent any member of the Board or Court from recording any minute of dissent from a report or from any recommendation made therein.

(2) The award of a Labour Court or Tribunal or National Tribunal shall be in writing and shall be signed by its presiding officer.

17. Publication of reports and awards .-(1) Every report of a Board or Court together with any minute of dissent recorded therewith, every arbitration award and every award of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall, within a period of thirty days from the date of its receipt by the appropriate Government, be published in such manner as the appropriate Government thinks fit.

(2) Subject to the provisions of section 17-A, the award published under sub-section (1) shall be final and shall not be called in question by any Court in any manner whatsoever.

17-A. Commencement of the award .-(1) An award (including an arbitration award) shall become enforceable on the expiry of thirty days from the date of its publication under section 17:

Provided that-

(a) if the appropriate Government is of opinion, in any case where the award has been given by a Labour Court or Tribunal in relation to an industrial dispute to which it is a party; or

अभिनिश्चय करने और विवाद का समझौता कराने के लिए बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाहियों और उठाए गए कदम, और साथ ही उन तथ्यों और परिस्थितियों का पूरा–पूरा विवरण, उन पर उसके निष्कर्ष और वे कारण जिनसे उसकी राय में समझौता नहीं हो सका तथा विवाद का अवधारण कराने के लिए उसकी सिफारिशें उपवर्णित होंगी ।

(4) यदि लोक उपयोगी सेवा से सम्बद्ध विवाद की बाबत उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समुचित सरकार धारा 10 के अधीन श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देश नहीं करती तो वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी और सम्पृक्त पक्षकारों को संसूचित करेगी।

(5) बोर्ड इस धारा के अधीन अपनी रिपोर्ट, उस तारीख से, जिसको उसे विवाद निर्दिष्ट किया गया था दो मास के भीतर या ऐसी अल्पतर कालावधि के भीतर, जैसी समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए, निवेदित करेगा :

परन्तु समुचित सरकार रिपोर्ट निवेदित करने का समय ऐसी अतिरिक्त कालावधियों के लिए, जो कुल मिलाकर दो मास से अधिक की न होंगी, समय–समय पर बढ़ा सकेगी :

परन्तु यह और कि रिपोर्ट निवेदित करने का समय इतनी कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जितनी के बारे में विवाद के सभी पक्षकारों में लिखित रूप में सहमति हो जाए ।

14. न्यायालयों के कर्तव्य–न्यायालय अपने को निर्देशित मामलों की जांच करेगा और उन पर अपनी रिपोर्ट समुचित सरकार को, जांच के प्रारम्भ से मामूली तौर पर छह महीनों की कालावधि के भीतर देगा ।

15. श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के कर्तव्य.–जहां कि कोई औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया है वहां वह अपनी कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक करेगा और ऐसे औद्योगिक विवाद को निर्दिष्ट करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या धारा 10 की उपधारा (2क) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विस्तारित अतिरिक्त कालावधि के भीतर अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को निवेदित करेगा ।

16. रिपोर्ट या अधिनिर्णय का प्ररूप.–(1) बोर्ड या न्यायालय की रिपोर्ट लिखित रूप में होगी और उस पर, यथास्थिति, बोर्ड या न्यायालय के सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे :

परन्तु इस धारा की किसी भी बात से यह न समझा जाएगा कि वह बोर्ड या न्यायालय के किसी सदस्य को रिपोर्ट से, या उसमें की गई किसी सिफारिश से विसम्मति का टिप्पण अभिलिखित करने से निवारित करती है ।

(2) श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का अधिनिर्णय लिखित रूप में होगा, और उस पर उसका पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा ।

17. रिपोर्टों और अधिनिर्णयों का प्रकाशन.–(1) बोर्ड या न्यायालय की हर रिपोर्ट, उसके साथ अभिलिखित किसी विसम्मति के टिप्पण सहित, हर माध्यस्थम् पंचाट और श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का हर अधिनिर्णय, समुचित सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, ऐसी रीति से, जैसी समुचित सरकार ठीक समझे, प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) धारा 17क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित पंचाट या अधिनिर्णय अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

17 क. अधिनिर्णय का प्रारंभ.–(1) अधिनिर्णय (जिसके अन्तर्गत माध्यस्थम् पंचाट आता है) धारा 17 के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा :

परन्तु–

(क) यदि किसी ऐसे मामले में, जिसमें किसी ऐसे औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में, जिसमें समुचित सरकार पक्षकार है, कोई अधिनिर्णय श्रम न्यायालय या अधिकरण ने दिया है, समुचित सरकार की यह राय हो, अथवा

(b) if the Central Government is of opinion, in any case where the award has been given by a National Tribunal,

that it will be inexpedient on public grounds affecting national economy or social justice to give effect to the whole or any part of the award, the appropriate Government, or as the case may be, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the award shall not become enforceable on the expiry of the said period of thirty days.

(2) Where any declaration has been made in relation to an award under the proviso to sub-section (1), the appropriate Government or the Central Government may, within ninety days from the date of publication of the award under section 17, make an order rejecting or modifying the award, and shall, on the first available opportunity, lay the award together with a copy of the order before the Legislature of the State, if the order has been made by a State Government, or before Parliament, if the order has been made by the Central Government.

(3) Where any award as rejected or modified by an order made under sub-section (2) is laid before the Legislature of a State or before Parliament, such award shall become enforceable on the expiry of fifteen days from the date on which it is so laid; and where no order under sub-section (2) is made in pursuance of a declaration under the proviso to sub-section (1), the award shall become enforceable on the expiry of the period of ninety days referred to in sub-section (2).

(4) Subject to the provisions of sub-section (1) and sub-section (3) regarding the enforceability of an award, the award shall come into operation with effect from such date as may be specified therein, but where no date is so specified, it shall come into operation on the date when the award becomes enforceable under sub-section (1) or sub-section (3), as the case may be.

17-B. Payment of full wages to workman pending proceedings in higher Courts .- Where in any case, a Labour Court, Tribunal or National Tribunal by its award directs reinstatement of any workman and the employer prefers any proceedings against such award in a High Court or the Supreme Court, the employer shall be liable to pay such workman, during the period of pendency of such proceedings in the High Court or the Supreme Court, full wages last drawn by him, inclusive of any maintenance allowance admissible to him under any rule if the workman had not been employed in any establishment during such period and an affidavit by such workman had been filed to that effect in such Court:

Provided that where it is proved to the satisfaction of the High Court or the Supreme Court that such workman had been employed and had been receiving adequate remuneration during any such period or part thereof, the Court shall order that no wages shall be payable under this section for such period of part, as the case may be.

18. Persons on whom settlements and awards are binding .-[(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and workman otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.

(2) Subject to the provisions of sub-section (3), an arbitration award which has become enforceable shall be binding on the parties to the agreement who referred the dispute to arbitration.

(3) A settlement arrived at in the course of conciliation proceedings under this Act [or an arbitration award in a case where a notification has been issued under sub-section (3-A) of section 10-A or an award of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal which has become enforceable shall be binding on-

(ख) यदि किसी ऐसे मामले में, जिसमें अधिनिर्णय राष्ट्रीय अधिकरण ने दिया, केन्द्रीय सरकार की यह राय हो,

कि राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था या सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले लोक आधारों पर पूरे, अधिनिर्णय या उसके किसी भाग को प्रभावशील करना असमीचीन होगा तो, यथास्थिति, समुचित सरकार या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अभिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि अधिनिर्णय तीस दिन की उक्त कालावधि के अवसान पर प्रवर्तनीय न होगा ।

(2) जहां कि किसी अधिनिर्णय के सम्बन्ध में कोई घोषणा उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन की गई है, वहां समुचित सरकार या केन्द्रीय सरकार अधिनिर्णय की धारा 17 के अधीन प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अधिनिर्णय को प्रतिक्षेपित या उपान्तरित करने का आदेश कर सकेगी और अधिनिर्णय को, आदेश की प्रतिलिपि सहित, यदि आदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया हो तो राज्य के विधान–मंडल के समक्ष, या यदि आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो तो संसद् के समक्ष प्रथम उपलभ्य अवसर पर रखेगी ।

(3) जहां कि उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश के द्वारा यथा प्रतिक्षेपित या यथा उपान्तरित कोई अधिनिर्णय राज्य के विधान–मंडल के समक्ष या संसद् के समक्ष रखा गया है, वहां ऐसा अधिनिर्णय इस प्रकार रखे जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा, और जहां कि उपधारा (2) के अधीन का कोई आदेश उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन की घोषणा के अनुसरण में नहीं किया गया है, वहां अधिनिर्णय उपधारा (2) में निर्दिष्ट नब्बे दिन की कालावधि के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा ।

(4) अधिनिर्णय की प्रवर्तनीयता के संबंध में उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अधिनिर्णय उस तारीख को और से प्रवर्तन में आएगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, किंतु जहां कोई तारीख ऐसे विनिर्दिष्ट नहीं की गई है वहां वह उस तारीख को प्रवर्तन में आएगा जिसको अधिनिर्णय, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है ।

17ख. उच्चतर न्यायालयों में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय.–जहां श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी मामले में अपने अधिनिर्णय में किसी कर्मकार का बहाल करने के लिए निदेश देता है और नियोजक ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही करता है, वहां नियोजक ऐसे कर्मकार को, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने की कालावधि के दौरान, उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त पूर्ण मजदूरी का संदाय करने के लिए दायी होगा, जिसके अन्तर्गत किसी नियम के अधीन उसे अनुज्ञेय कोई निर्वाह–भत्ता भी है, यदि कर्मकार को ऐसी कालावधि के दौरान किसी स्थापना में नियोजित न किया गया हो और ऐसे कर्मकार द्वारा इस प्रभाव का शपथ–पत्र ऐसे न्यायालय में फाइल कर दिया गया हो :

परन्तु जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा कर्मकार ऐसी कालावधि या उसके भाग के दौरान नियोजित था और पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, वहां न्यायालय यह आदेश देगा कि, यथास्थिति, ऐसी कालावधि या उसके भाग के लिए, इस धारा के अधीन कोई मजदूरी संदेय नहीं होगी ।

18. वे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्धकर होंगे.–(1) नियोजक और कर्मकार के बीच हुए करार द्वारा किया गया ऐसा समझौता, जो सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में न होकर अन्यथा हुआ है, करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

(2) उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि माध्यस्थम् पंचाट, जो प्रवर्तनीय हो गया है, करार के उन पक्षकारों पर आबद्धकर होगा जिन्होंने विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया था ।

(3) इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में किया गया समझौता, या ऐसे मामले में जिसमें धारा 10क की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, कोई माध्यस्थम् पंचाट या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का कोई अधिनिर्णय, जो प्रवर्तनीय हो गया है :–

(a) all parties to the industrial dispute;

(b) all other parties summoned to appear in the proceedings as parties to the dispute, unless the Board, arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, records the opinion that they were so summoned without proper cause;

(c) where a party referred to in clause (a) or clause (b) is an employer, his heirs, successors or assigns in respect of the establishment to which the dispute relates;

(d) where a party referred to in clause (a) or clause (b) is composed of workmen, all persons who were employed in the establishment or part of the establishment, as the case may be, to which the dispute relates on the date of the dispute and all persons who subsequently become employed in that establishment or part.

19. Period of operation of settlements and awards .-(1) A settlement shall come into operation on such date as is agreed upon by the parties to the dispute, and if no date is agreed upon, on the date on which the memorandum of the settlement is signed by the parties to the dispute.

(2) Such settlement shall be binding for such period as is agreed upon by the parties, and if no such period is agreed upon, for a period of six months [from the date on which the memorandum of settlement is signed by the parties to the dispute], and shall continue to be binding on the parties after the expiry of the period aforesaid, until the expiry of two months from the date on which a notice in writing of an intention to terminate the settlement is given by one of the parties to the other party or parties to the settlement.

(3) An award shall, subject to the provisions of this section, remain in operation for a period of one year from the date on which the award becomes enforceable under section 17-A:

Provided that the appropriate Government may reduce the said period and fix such period as it thinks fit:

Provided further that the appropriate Government may, before the expiry of the said period, extend the period of operation by any period not exceeding one year at a time as it thinks fit, so, however, that the total period of operation of any award does not exceed three years from the date on which it come into operation.

(4) Where the appropriate Government, whether of its own motion or on the application of any party bound by the award, considers that since the award was made, there has been a material change in the circumstances on which it was based, the appropriate Government may refer the award or a part of it [to a Labour Court, if the award was that of a Labour Court or to a Tribunal, if the award was that of a Tribunal or of a National Tribunal, for decision whether the period of operation should not, by reason of such change, be shortened and the decision of Labour Court or the Tribunal, as the case may be on such reference shall, be final.

(5) Nothing contained in sub-section (3) shall apply to any award which by its nature, terms or other circumstances does not impose, after it has been given effect to, any continuing obligation on the parties bound by the award.

(6) Notwithstanding the expiry of the period of operation under sub-section (3), the award shall continue to be binding on the parties until a period of two months has elapsed from the date on which notice is given by any party bound by the award to the other party or parties intimating its intention to terminate the award.

(क) औद्योगिक विवाद के सभी पक्षकारों पर,

(ख) कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए विवाद के पक्षकारों के रूप में, समनित अन्य सभी पक्षकारों पर, जब तक कि, यथास्थिति, बोर्ड मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण यह राय अभिलिखित न कर दे कि वे उचित हेतुक के बिना इस प्रकार समनित किए गए थे,

(ग) जहां कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पक्षकार नियोजक है वहां विवाद से संबद्ध स्थापन की बाबत उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों पर,

(घ) जहां कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई पक्षकार कर्मकारों से ही मिलकर बना है वहां उन सभी व्यक्तियों पर, जो, यथास्थिति, उस स्थापन या स्थापन के भाग में, जिससे विवाद का संबंध है, विवाद की तारीख को नियोजित थे और ऐसे सभी व्यक्तियों पर, जो उस स्थापन या भाग में तत्पश्चात् नियोजित हो जाते हैं,

आबद्धकर होगा ।

19. समझौतों और अधिनिर्णयों के प्रवर्तन की कालावधि.–(1) समझौता उस तारीख को, जिसके बारे में विवाद के पक्षकारों में सहमति हो जाए और यदि किसी तारीख के बारे में सहमति न हो तो उस तारीख को, जिसको, समझौता–ज्ञापन पर विवाद के पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हों, प्रवर्तन में आएगा ।

(2) ऐसा समझौता उतनी कालावधि के लिए, जितनी के बारे में पक्षकारों में सहमति हो जाए, और यदि ऐसी किसी कालावधि के बारे में सहमति न हो तो उस तारीख से, जिसको समझौता–ज्ञापन पर विवाद के पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हों, छह मास की कालावधि के लिए आबद्धकर होगा और पूर्वोक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर रहेगा जब तक उस तारीख से दो मास का अवसान न हो जाए जिसको समझौते के पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को समझौते का पर्यवसान करने के आशय की लिखित सूचना देता है ।

(3) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अधिनिर्णय, उस तारीख से, जिसको अधिनिर्णय धारा 17क के अधीन प्रवर्तनीय होता है, एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा :

परन्तु समुचित सरकार उक्त कालावधि को घटा सकेगी और ऐसी कालावधि नियत कर सकेगी जैसी वह ठीक समझे :

परन्तु यह और कि समुचित सरकार प्रवर्तन की कालावधि के अवसान से पूर्व एक समय में एक वर्ष से अनधिक उतनी कालावधि जितनी वह ठीक समझे उक्त कालावधि में और बढ़ा सकेगी, किंतु ऐसे कि किसी अधिनिर्णय के प्रवर्तन की कुल कालावधि उसके प्रवर्तन में आने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक न हो जाए ।

(4) जहां कि समुचित सरकार का, चाहे स्वप्रेरणा से या अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार के आवेदन पर, यह विचार हो कि जब से अधिनिर्णय दिया गया तब से उन परिस्थितियों में जिन पर वह आधारित है, तात्त्विक तब्दीली हो गई है, वहां समुचित सरकार, यदि अधिनिर्णय श्रम न्यायालय का था तो श्रम न्यायालय को, या यदि अधिनिर्णय किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का था तो अधिकरण को, उस अधिनिर्णय या उसके भाग को यह विनिश्चत करने के लिए निर्देशित कर सकेगी कि क्या ऐसी तब्दीली के कारण प्रवर्तन की कालावधि कम न कर दी जानी चाहिए, और ऐसे निर्देश पर, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे अधिनिर्णय को लागू नहीं होगी जो प्रभावी किए जाने के पश्चात् उन पक्षकारों पर, जो अधिनिर्णय से आबद्ध हैं, कोई चालू रहने वाली बाध्यता अपनी प्रकृति, निबन्धनों या अन्य परिस्थितियों के कारण अधिरोपित नहीं करता ।

(6) उपधारा (3) के अधीन प्रवर्तन की कालावधि का अवसान हो जाने पर भी अधिनिर्णय पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर रहेगा जब तक कि उस तारीख से दो मास न बीत गए हों जिसको अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को अधिनिर्णय का पर्यवसान करने का अपना आशय प्रज्ञापित करने की सूचना दी हो ।

(7) No notice given under sub-section (2) or sub-section (6) shall have effect, unless it is given by a party representing the majority of persons bound by the settlement or award, as the case may be.

20. Commencement and conclusion of proceedings .-(1) A conciliation proceeding shall be deemed to have commenced on the date on which a notice of strike or lock-out under section 22 is received by the conciliation officer or on the date of the order referring the dispute to a Board, as the case may be.

(2) A conciliation proceeding shall be deemed to have concluded-

(a) where a settlement is arrived at, when a memorandum of the settlement is signed by the parties to the dispute;

(b) where no settlement is arrived at, when the report of the conciliation officer is received by the appropriate Government or when the report of the Board is published under section 17, as the case may be; or

(c) when a reference is made to a Court, Labour Court, Tribunal or National Tribunal under section 10 during the pendency of conciliation proceedings.

(3) Proceedings before an arbitrator under section 10-A or before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall be deemed to have commenced on the date of the reference of the dispute for arbitration or adjudication, as the case may be, and such proceedings shall be deemed to have concluded on the date on which the award becomes enforceable under section 17-A.

21. Certain matters to be kept confidential .-There shall not be included in any report or award under this Act, any information obtained by a conciliation officer, Board, Court, Labour Court, Tribunal, National Tribunal or an arbitrator in the course of any investigation or inquiry as to a trade union or as to any individual business (whether carried on by a person, firm or company) which is not available otherwise than through the evidence given before such officer, Board, Court, Labour Court, Tribunal, National Tribunal or an arbitrator if the trade union, person, firm or company, in question has made a request in writing to the conciliation officer, Board, Court, Labour Court, Tribunal, National Tribunal or arbitrator, as the case may be, that such information shall be treated as confidential; nor shall such conciliation officer or any individual member of the Board, or Court or the presiding officer of the Labour Court, Tribunal or National Tribunal or the arbitrator or any person present at or concerned in the proceedings disclose any such information without the consent in writing of the secretary of the trade union or the person, firm or company in question, as the case may be:

Provided that nothing contained in this section shall apply to a disclosure of any such information for the purposes of a prosecution under section 193 of the Indian Penal Code (45 of 1860)[1].

CHAPTER V
Strikes And Lock-Outs

22.Prohibition of strikes and lock-outs .-(1) No person employed in a public utility service shall go on strike, in breach of contract-

(a) without giving to the employer notice of strike, as hereinafter provided, within six weeks before striking; or

1. *Now See*, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(7) उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन दी गई कोई भी सूचना तब तक प्रभावशील नहीं होगी जब तक कि वह, यथास्थिति, समझौते या अधिनिर्णय से आबद्ध व्यक्तियों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकार द्वारा न दी गई हो ।

20. कार्यवाहियों का प्रारम्भ और उनकी समाप्ति.–(1) सुलह कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 22 के अधीन हड़ताल या तालाबन्दी की सूचना सुलह अधिकारी को प्राप्त होने की तारीख को, या बोर्ड को विवाद निर्देशित किए जाने के आदेश की तारीख को, जैसी भी स्थिति हो प्रारम्भ हुई है ।

(2) सुलह कार्यवाही–

(क) जहां कि समझौता हो जाता है वहां तब जब विवाद के पक्षकार समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर देते हैं;

(ख) जहां कि समझौता नहीं हो पाता है वहां, यथास्थिति, तब जब सुलह अधिकारी की रिपोर्ट समुचित सरकार को प्राप्त हो जाती है या जब बोर्ड की रिपोर्ट धारा 17 के अधीन प्रकाशित कर दी जाती है; अथवा

(ग) तब जब सुलह कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान धारा 10 के अधीन कोई निर्देश न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किया जाता है,

समाप्त हुई समझी जाएगी ।

(3) मध्यस्थ के समक्ष धारा 10क के अधीन की या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे विवाद के, यथास्थिति, माध्यस्थम् या न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किए जाने की तारीख को प्रारम्भ हुई है, और ऐसी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उस तारीख का समाप्त हुई है। जिसको अधिनिर्णय धारा 17क के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है ।

21. कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना.–किसी अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में व्यवसाय संघ के बारे में या किसी व्यष्टिक कारबार के बारे में (चाहे उसे कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी चलाती हो) सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण राष्ट्रीय, अधिकरण या मध्यस्थ द्वारा अभिप्राप्त किसी ऐसी जानकारी को, जो ऐसे अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष दिए गए साक्ष्य के माध्यम से उपलभ्य होने के सिवाय अन्यथा उपलभ्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन की किसी रिपोर्ट या अधिनिर्णय में उस दशा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसमें कि संबद्ध व्यवसाय संघ, व्यक्ति, फर्म या कम्पनी ने, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या मध्यस्थ से यह लिखित प्रार्थना की हो कि ऐसी जानकारी गोपनीय मानी जाए; और न ऐसा सुलह अधिकारी या बोर्ड का कोई एक सदस्य, या न्यायालय या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या मध्यस्थम या कार्यवाहियों में उपस्थित या उनसे सम्पृक्त कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी को, यथास्थिति, उस व्यवसाय संघ के सचिव की या संबद्ध व्यक्ति, फर्म या कंपनी की, लिखित सम्मति के बिना प्रकट करेगा।:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसी किसी जानकारी के भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)[1] की धारा 193 के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के लिए प्रकट करने को लागू होगी ।

अध्याय 5

हड़ताल और तालाबंदी

22. हड़तालों और तालाबन्दियों का प्रतिषेध.–(1) लोक उपयोगी सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति.–

(क) हड़ताल करने से पूर्व के छह सप्ताह के भीतर हड़ताल की सूचना नियोजक को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रूप में दिए गए बिना, अथवा

1. अब देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)।

(b) within fourteen days of giving such notice; or

(c) before the expiry of the date of strike specified in any such notice as aforesaid; or

(d) during the pendency of any conciliation proceedings before a conciliation officer and seven days after the conclusion of such proceedings.

(2) No employer carrying on any public utility service shall lock-out any of his workmen-

(a) without giving them notice of lock-out as hereinafter provided, within six weeks before locking-out; or

(b) within fourteen days of giving such notice; or

(c) before the expiry of the date of lock-out specified in any such notice as aforesaid; or

(d) during the pendency of any conciliation proceedings before a conciliation officer and seven days after the conclusion of such proceedings

(3) The notice of lock-out or strike under this section shall not be necessary where there is already in existence a strike or, as the case may be, lock-out in the pubic utility service, but the employer shall send intimation of such lock-out or strike on the day on which it is declared, to such authority as may be specified by the appropriate Government either generally or for a particular area or for a particular class of public utility services.

(4) The notice of strike referred to in sub-section (1) shall be given by such number of persons to such person or persons and in such manner as may be prescribed.

(5) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) shall be given in such manner as may be prescribed.

(6) If on any day an employer receives from any persons employed by him any such notices as are referred to in sub-section (1) or gives to any persons employed by him any such notices as are referred to in sub-section (2), he shall within five days, thereof report to the appropriate Government or to such authority as that Government may prescribe the number of such notices received or given on that day.

23. General prohibition of strikes and lock-outs .-No workman who is employed in any industrial establishment shall go on strike in breach of contract and no employer of any such workman shall declare a lock-out-

(a) during the pendency of conciliation proceedings before a Board and seven days after the conclusion of such proceedings;

(b) during the pendency of proceedings before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal and two months, after the conclusion of such proceedings;

(bb) during the pendency of arbitration proceedings before an arbitrator and two months after the conclusion of such proceedings, where a notification has been issued under sub-section (3-A) of section 10-A; or

(c) during any period in which a settlement or award is in operation, in respect of any of the matters covered by the settlement or award.

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर, अथवा

(ग) किसी यथापूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट हड़ताल की तारीख के अवसान से पूर्व, अथवा

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं सुलह कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान,

संविदा–भंगकारी हड़ताल न करेगा ।

(2) किसी लोक उपयोगी सेवा को चलाने वाला कोई भी नियोजक–

(क) तालाबन्दी करने से पूर्व के छह सप्ताह के भीतर तालाबन्दी की सूचना सम्बद्ध कर्मकार को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रूप में दिए बिना, अथवा

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह के दिन के भीतर, अथवा

(ग) किसी यथापूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट तालाबन्दी की तारीख के अवसान से पूर्व, अथवा

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं सुलह कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान,

अपने किन्हीं भी कर्मकारों के प्रति तालाबन्दी नहीं करेगा ।

(3) तालाबन्दी या हड़ताल की इस धारा के अधीन सूचना वहां आवश्यक नहीं होगी जहां कि लोक उपयोगी सेवा में, यथास्थिति, हड़ताल या तालाबन्दी पहले से ही विद्यमान है, किंतु नियोजक ऐसी तालाबन्दी या हड़ताल की प्रज्ञापना उस दिन, जिस दिन वह घोषित की गई हो, ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जिसे समुचित सरकार द्वारा या तो साधारणतया या विशिष्ट क्षेत्र के लिए लोक उपयोगी सेवाओं के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की सूचना उतने व्यक्तियों द्वारा, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, और ऐसी रीति से दी जाएगी, जो विहित किए जाएं या की जाए ।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट तालाबन्दी की सूचना ऐसी रीति से दी जाएगी जैसी विहित की जाए ।

(6) यदि किसी दिन नियोजक अपने द्वारा नियोजित किन्हीं व्यक्तियों से कोई ऐसी सूचनाएं, जैसी उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं, प्राप्त करता है या अपने द्वारा नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को कोई ऐसी सूचनाएं, जैसी उपधारा (2) में निर्दिष्ट हैं, देता है तो वह उसके पांच दिन के भीतर समुचित सरकार को या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे वह सरकार विहित करे उस दिन प्राप्त की गई या दी गई ऐसी सूचनाओं की संख्या की रिपोर्ट देगा ।

23. हड़तालों और तालाबन्दियों का साधारण प्रतिषेध–(क) बोर्ड के समक्ष की सुलह कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान,

(ख) श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् दो मास के दौरान,

(खख) जहां कि धारा 10क की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है वहां मध्यस्थ के समक्ष की माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लम्बित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् दो मास के दौरान, अथवा

(ग) किन्हीं ऐसे मामलों की बाबत जो किसी समझौता या अधिनिर्णय के अन्तर्गत आते हैं, किसी ऐसी कालावधि के दौरान जिसमें वह समझौता या अधिनिर्णय प्रवर्तन में है,

कोई भी कर्मकार जो किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित है संविदा–भंगकारी हड़ताल न करेगा, और न ऐसे किसी कर्मकार का कोई भी नियोजक तालाबन्दी घोषित करेगा ।

24. Illegal strikes and lock-outs .-(1) A strike or a lock-out shall be illegal if-

(i) it is commenced or declared in contravention of section 22 or section 23; or

(ii) it is continued in contravention of an order made under sub-section (3) of section 10 or sub-section (4-A) of section 10-A.

(2) Where a strike or lock-out in pursuance of an industrial dispute has already commenced and is in existence at the time of the reference of the dispute to a Board, an arbitrator, a Labour Court, Tribunal or National Tribunal], the continuance of such strike or lock-out shall not be deemed to be illegal, provided that such strike or lock-out was not at its commencement in contravention of the provisions of this Act or the continuance thereof was not prohibited under sub-section (3) of section 10 or sub-section (4-A) of section 10-A.

(3) A lock-out declared in consequence of an illegal strike or a strike declared in consequence of an illegal lock-out shall not be deemed to be illegal.

25. Prohibition of financial aid to illegal strikes and lock-outs .-No person shall knowingly expend or apply any money in direct furtherance or support of any illegal strike or lock-out.

CHAPTER V-A

Lay-Off And Retrenchment

25-A. Application of sections 25-C to 25-E .-(1) Sections 25-C to 25-E inclusive shall not apply to industrial establishments to which Chapter V-B applies, or-

(a) to industrial establishments in which less than fifty workmen on an average per working day have been employed in the preceding calendar month; or

(b) to industrial establishments which are of a seasonal character or in which work is performed only intermittently.

(2) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed therein only intermittently, the decision of the appropriate Government thereon shall be final.

Explanation. -In this section and in sections 25-C, 25-D and 25-E, "industrial establishment "means—

(i) a factory as defined in clause (m) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948); or

(ii) a mine as defined in clause (j) of section 2 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952); or

(iii) a plantation as defined in clause (f) of section 2 of the Plantations Labour Act, (69 of 1951).

25-B. Definition of continuous service .-For the purposes of this Chapter,-

(1) a workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorised leave or an accident or a strike which is not illegal, or a lock-out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman;

(2) where a workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer-

24. अवैध हड़तालें और तालाबन्दियां.–(1) यदि हड़ताल या तालाबन्दी–

(i) धारा 22 या धारा 23 के उल्लंघन में प्रारम्भ या घोषित की जाती है, अथवा

(ii) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 10क की उपधारा (4क) के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन में चालू रखी जाती है,

तो वह अवैध होगी ।

(2) जहां कि कोई हड़ताल या तालाबन्दी किसी औद्योगिक विवाद के अनुसरण में पहले से ही प्रारम्भ हो चुकी है और बोर्ड मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण राष्ट्रीय अधिकरण को विवाद निर्देशित करने के समय विद्यमान है, वहां ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी का चालू रखा जाना अवैध नहीं समझा जाएगा, परन्तु यह तब जब कि ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी अपने प्रारम्भ के समय इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में न रही हो और उसका चालू रखा जाना धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 10क की उपधारा (4क) के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो ।

(3) अवैध हड़ताल के परिणामस्वरूप घोषित तालाबन्दी या अवैध तालाबन्दी के परिणामस्वरूप घोषित हड़ताल अवैध नहीं समझी जाएगी ।

25. अवैध हड़तालों और तालाबन्दियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रतिषेध–कोई भी व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबन्दी को प्रत्यक्षतः अग्रसर करने या उसका समर्थन करने में किसी धन या व्यय या उपयोजन जानते हुए नहीं करेगा ।

अध्याय 5क

कामबन्दी और छंटनी

25क. धारा 25ग से लेकर धारा 25ङ तक का लागू होना.–(1) धारा 25ग से लेकर धारा 25ङ तक, जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं आती हैं, उन औद्योगिक स्थापनों को, जिन्हें अध्याय 5ख लागू होता है, अथवा–

(क) ऐसे औद्योगिक स्थापनों को, जिनमें पूर्ववर्ती कैलेंडर मास में प्रति कार्य दिवस को औसतन पचास से कम, कर्मकार नियोजित रहे हैं, अथवा

(ख) ऐसे औद्योगिक स्थापनों को, जो मौसमी प्रकार के हैं या जिनमें काम केवल आन्तरिक रूप से होता है, लागू नहीं होगी ।

(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आन्तरिक रूप से होता है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

स्पष्टीकरण.–इस धारा में और धारा 25ग, धारा 25घ और धारा 25ङ में "औद्योगिक स्थापन" से अभिप्रेत है–

(i) काराखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ङ) में यथापरिभाषित कारखाना, अथवा

(ii) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथापरिभाषित खान, अथवा

(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बागान ।

25ख. निरन्तर सेवा की परिभाषा.–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए–

(1) यह बात कि कर्मकार किसी कालावधि में निरन्तर सेवा में रह चुका है उस दशा में कही जाएगी जिसमें कि वह उस कालावधि में अविच्छिन्न सेवा में रहे, जिसके अन्तर्गत वह सेवा आती है जो रुग्णता या प्राधिकृत छुट्टी या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल के कारण जो अवैध न हो या तालाबन्दी या काम के ऐसे बन्द हो जाने के कारण, जो कर्मकार के किसी कसूर की वजह से न हो, विच्छिन्न हो गई है ।

(2) जहां कि कर्मकार एक वर्ष या छह मास की कालावधि के लिए खण्ड (1) के अर्थ के अन्दर निरन्तर सेवा में नहीं रहा है, वहां–

(a) for a period of one year, if the workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than-

(i) one hundred and ninety days in the case of a workman employed below ground in a mine; and

(ii) two hundred and forty days, in any other case;

(b) for a period of six months, if the workman, during a period of six calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than-

(i) ninety-five days, in the case of a workman employed below ground in a mine; and

(ii) one hundred and twenty days, in any other case.

Explanation **.-**For the purposes of clause (2), the number of days on which a workman has actually worked under an employer shall include the days on which-

(i) he has been laid-off under an agreement or as permitted by standing orders made under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), or under this Act or under any other law applicable to the industrial establishment;

(ii) he has been on leave with full wages, earned in the previous years;

(iii) he has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of and in the course of his employment; and

(iv) in the case of a female, she has been on maternity leave; so, however, that the total period of such maternity leave does not exceed twelve weeks.

25-C. Right of workmen laid-off for compensation .-Whenever a workman (other than a badli workman or a casual workman) whose name is borne on the muster-rolls of an industrial establishment and who has completed not less than one year of continuous service under an employer is laid-off, whether continuously or intermittently, he shall be paid by the employer for all days during which he is so laid-off, except for such weekly holidays as may intervene, compensation which shall be equal to fifty per cent. of the total of the basic wages and dearness allowance that would have been payable to him had he not been so laid-off:

Provided that if during any period of twelve months, a workman is so laid-off for more than forty-five days, no such compensation shall be payable in respect of any period of the lay-off after the expiry of the first forty-five days, if there is an agreement to that effect between the workman and the employer:

Provided further that it shall be lawful for the employer in any case falling within the foregoing proviso to retrench the workman in accordance with the provisions contained in section 25-F at any time after the expiry of the first forty-five days of the lay-off and when he does so, any compensation paid to the workman for having been laid-off during the preceding twelve months may be set-off against the compensation payable for retrenchment.

(क) यदि उसने, उस तारीख से, जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, पूर्व के बारह कलैंडर मास की कालावधि के दौरान—

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है एक सौ नब्बे से, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, दो सौ चालीस से,

अन्यून दिन, किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह एक वर्ष की कालावधि के लिए, उस नियोजक के अधीन निरन्तर सेवा में रह चुका है ।

(ख) यदि उसने उस तारीख से, जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, पूर्व के छह कलैंडर मास की कालावधि के दौरान—

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है, पच्चानवे से, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, एक सौ बीस से,

अन्यून दिन, किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह छह मास की कालावधि के लिए, उस नियोजक के अधीन निरन्तर सेवा में रह चुका है;

स्पष्टीकरण.—खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, उन दिनों की, जिनको कर्मकार ने नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है, संख्या में वे दिन भी सम्मिलित होंगे, जिनको—

(i) उसकी किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) के अधीन बनाए गए स्थायी आदेशों द्वारा, या इस अधिनियम के अधीन या उस औद्योगिक स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के अधीन यथा—अनुज्ञात कामबन्दी की गई है;

(ii) वह पूर्व वर्षों में उपार्जित पूरी मजदूरी वाली छुट्टी पर रहा है;

(iii) वह अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में, उद्भूत दुर्घटना द्वारा कारित अस्थायी निःशक्तता के कारण अनुपस्थित रहा है; तथा

(iv) नारी की दशा में, वह प्रसूति छुट्टी पर रही है, किन्तु ये दिन ऐसे सम्मिलित होंगे कि ऐसी प्रसूति छुट्टी की कुल कालावधि बारह सप्ताह से अधिक न हो ।

25ग. जिन कर्मकारों की कामबंदी की गई है उनका प्रतिकर के लिए अधिकार.—जब कभी (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) किसी ऐसे कर्मकार की, जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसने किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, चाहे निरन्तर चाहे आन्तरायिक रूप से कामबन्दी की जाती है तब नियोजक, ऐसे साप्ताहिक अवकाश दिनों के सिवाय जो बीच में पड़ जाएं, उन सभी दिनों के लिए, जिनके दौरान उसकी इस प्रकार कामबन्दी की जाए, ऐसा प्रतिकर देगा जो उसकी उस आधारिक मजदूरी और मंहगाई भत्ते के योग के, जो उसकी इस प्रकार कामबन्दी न किए जाने पर संदेय होता, पचास प्रतिशत के बराबर होगा :

परन्तु यदि बाहर मास की किसी कालावधि के दौरान कर्मकार की पैंतालीस दिन से अधिक की इस प्रकार कामबन्दी की जाए तो उस कामबन्दी के प्रथम पैंतालीस दिन के अवसान के पश्चात् की किसी भी कालावधि की बाबत ऐसा कोई प्रतिकर उस दशा में संदेय नहीं होगा जिसमें कर्मकार और नियोजक के बीच उस भाव का कोई करार हो :

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में नियोजक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस कर्मकार की छंटनी धारा 25च में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार उस कामबन्दी के प्रथम पैंतालीस दिन के अवसान के पश्चात् किसी भी समय कर दे, और जब ऐसा वह करता है तब पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान कामबन्दी की जाने के लिए कर्मकार को दिया गया कोई भी प्रतिकर उस प्रतिकर में से मुजरा किया जा सकेगा जो छंटनी के लिए संदेय हो ।

Explanation **.**—"Badli workman "means a workman who is employed in an industrial establishment in the place of another workman whose name is borne on the muster-rolls of the establishment, but shall cease to be regarded as such for the purposes of this section, if he has completed one year of continuous service in the establishment.

25-D. Duty of an employer to maintain muster-rolls of workmen .-Notwithstanding that workmen in any industrial establishment have been laid-off, it shall be the duty of every employer to maintain for the purposes of this Chapter a muster-roll, and to provide for the making of entries therein by workmen who may present themselves for work at the establishment at the appointed time during normal working hours.

25-E. Workmen not entitled to compensation in certain cases .-No compensation shall be paid to a workman who has been laid-off-

(i) if he refuses to accept any alternative employment in the same establishment from which he has been laid-off, or in any other establishment belonging to the same employer situate in the same town or village or situate within a radius of five miles from the establishment to which he belongs, if, in the opinion of the employer, such alternative employment does not call for any special skill or previous experience and can be done by the workman, provided that the wages which would normally have been paid to the workman are offered for the alternative employment also;

(ii) if he does not present himself for work at the establishment at the appointed time during normal working hours at least once a day;

(iii) if such laying-off is due to a strike or slowing-down of production on the part of workmen in another part of the establishment.

25-F. Conditions precedent to retrenchment of workmen .-No workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until-

(a) the workman has been given one month 's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:

(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days 'average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months; and

(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette.

25-FF. Compensation to workmen in case of transfer of undertakings .-Where the ownership or management of an undertaking is transferred, whether by agreement or by operation of law, from the employer in relation to or that undertaking to a new employer, every workman who has been in continuous service for not less than one year in that undertaking immediately before such transfer shall be entitled to notice and compensation in accordance with the provisions of section 25-F, as if the workman had been retrenched.

Provided that nothing in this section shall apply to a workman in any case where there has been a change of employers by reason of the transfer, if-

स्पष्टीकरण.–"बदली कर्मकार" से वह कर्मकार अभिप्रेत है, जो किसी औद्योगिक स्थापन में किसी अन्य कर्मकार के स्थान पर नियुक्त है, जिसका नाम स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, किन्तु यदि उसने स्थापन में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है तो इस धारा के प्रयोजन के लिए उसे ऐसा नहीं माना जाएगा ।

25घ. कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य.–इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों की कामबन्दी की गई है, हर नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए मस्टर रोल रखे और उसमें ऐसे कर्मकारों द्वारा प्रविष्टियां किए जाने का उपबन्ध करे, तो नियत समय पर प्रसामान्य काम–घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित हों ।

25ङ. कुछ दशाओं में कर्मकारों का प्रतिकर के लिए हकदार न होना.–उस कर्मकार को, जिसकी कामबन्दी की गई है, उस दशा में कोई भी प्रतिकर नहीं दिया जाएगा जिसमें कि–

(i) वह उसी स्थापन में, जिसमें उसकी कामबन्दी की गई है या उसी नियोजक के किसी दूसरे स्थापन में, जो उसी नगर या गांव में, या जिस स्थापन का वह है, उससे पांच मील की परिधि के अन्दर, स्थित है, कोई अनुकल्पी नियोजन प्रतिगृहीत करने से इंकार करता है, यदि नियोजक की राय में ऐसे अनुकल्पी नियोजन के लिए किसी विशेष कौशल या पूर्व अनुभव की अपेक्षा न हो और वह उस कर्मकार द्वारा किया जा सकता हो, परन्तु यह तब जबकि कर्मकार को, उस मजदूरी की, जो उसे प्रसामान्यतया दी गई होती, प्रस्थापना उस अनुकल्पी नियोजन के लिए भी की गई हो,

(ii) वह नियत समय पर स्थापन में काम के लिए प्रसामान्य काम–घंटों के दौरान दिन में कम से कम एक बार स्वयं उपस्थित नहीं होता,

(iii) ऐसी कामबन्दी उस स्थापन के किसी दूसरे भाग में कर्मकारों द्वारा हड़ताल किए जाने या उत्पादन–गति मन्द किए जाने के कारण की गई हो ।

25च. कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें.–किसी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, छंटनी उस नियोजक द्वारा तब के सिवाय नहीं की जाएगी, जबकि–

(क) कर्मकार को एक महीने की ऐसी लिखित सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो, या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी दे दी गई हो :

(ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिएट या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर हो, तथा

(ग) सूचना की तामील समुचित सरकार पर या ऐसे प्राधिकारी पर, जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विहित रीति से कर दी गई हो ।

25चच. उपक्रमों के अन्तरण की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर.–जहां कि किसी उपक्रम के स्वामित्व या प्रबन्ध उस उपक्रम से सम्बद्ध नियोजक से किसी नए नियोजक को करार द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा अन्तरित किया जाता है वहां हर कर्मकार, जो ऐसे अन्तरण से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है धारा 25च के उपबन्धों के अनुसार सूचना तथा प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, उस दशा में जिसमें कि अन्तरण के कारण नियोजक बदल गए हों, तब लागू नहीं होगी जबकि–

(a) the service of the workman has not been interrupted by such transfer;

(b) the terms and conditions of service applicable to the workman after such transfer are not in any way less favourable to the workman than those applicable to him immediately before the transfer; and

(c) the new employer is, under the terms of such transfer or otherwise, legally liable to pay to the workman, in the event of his retrenchment, compensation on the basis that his service has been continuous and has not been interrupted by the transfer.

25-FFA. Sixty days 'notice to be given of intention to close down any undertaking .-(1) An employer who intends to close down an undertaking shall serve, at least sixty days before the date on which the intended closure is to become effective, a notice, in the prescribed manner, on the appropriate Government stating clearly the reasons for the intended closure of the undertaking:

Provided that nothing in this section shall apply to-

(a) an undertaking in which-

(i) less than fifty workmen are employed, or

(ii) less than fifty workmen were employed on an average per working day in the preceding twelve months,

(b) an undertaking set up for the construction of buildings, bridges, roads, canals, dams or for other construction work or project.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the appropriate Government may, if it is satisfied that owing to such exceptional circumstances as accident in the undertaking or death of the employer or the like it is necessary so to do, by order, direct that provisions of sub-section (1) shall not apply in relation to such undertaking for such period as may be specified in the order.

25-FFF. Compensation to workmen in case of closing down of undertakings .-(1) Where an undertaking is closed down for any reason whatsoever, every workman who has been in continuous service for not less than one year in that undertaking immediately before such closure shall, subject to the provisions of sub-section (2), be entitled to notice and compensation in accordance with the provisions of section 25-F, as if the workman had been retrenched:

Provided that where the undertaking is closed down on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer, the compensation to be paid to the workman under clause (b) of section 25-F, shall not exceed his average pay for three months.

***Explanation* .-**An undertaking which is closed down by reason merely of-

(i) financial difficulties (including financial losses); or

(ii) accumulation of undisposed of stocks; or

(iii) the expiry of the period of the lease or licence granted to it; or

(iv) in case where the undertaking is engaged in mining operations, exhaustion of the minerals in the area in which operations are carried on,

shall not be deemed to be closed down on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer within the meaning of the proviso to this sub-section.

(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an undertaking engaged in mining operations is closed down by reason merely of exhaustion of the minerals

(क) ऐसे अन्तरण से कर्मकार की सेवा में विच्छेद न हुआ हो,

(ख) ऐसे अन्तरण के पश्चात् कर्मकार को लागू सेवा के निबन्धन और शर्तें कर्मकार के लिए किसी भी प्रकार उन निबन्धनों और शर्तों से कम अनुकूल न हों जो अन्तरण से ठीक पहले उसे लागू थीं, तथा

(ग) नया नियोजक कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरन्तर चलती रही है और अन्तरण द्वारा वह विच्छिन्न नहीं हुई है, ऐसे अन्तरण के निबन्धनों के अधीन अथवा अन्यथा, प्रतिकर देने के लिए वैध रूप से दायी हो ।

25चचक. किसी उपक्रम को बन्द करने के आशय की साठ दिन की सूचना का दिया जाना.–(1) कोई नियोजक जो किसी उपक्रम को, बन्द करना चाहता है, उस तारीख के, जिसको कि आशयिक बन्दी प्रभावी होनी है, कम से कम साठ दिन पूर्व, समुचित सरकार को उपक्रम के बन्द किए जाने के आशय के कारण स्पष्ट करते हुए, विहित रीति से, एक सूचना देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात–

(क) ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जिसमें–

(i) पचास से कम कर्मकार नियोजित हैं,

(ii) पूर्ववर्ती बारह मासों में प्रतिदिन औसत पचास कर्मकारों से कम नियोजित रहे हों,

(ख) ऐसे उपक्रम को लागू न होगी जो भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों के निर्माण के लिए अथवा अन्य निर्माण कार्य या परियोजना के लिए स्थापित किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यह है कि यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाए कि किन्हीं ऐसी असाधारण परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उपक्रम में कोई दुर्घटना अथवा नियोजक की मृत्यु अथवा ऐसे ही किसी अन्य कारण से, ऐसा करना आवश्यक है तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे उपक्रम के संबंध में, ऐसी अवधि के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगी ।

25चचच. उपक्रमों के बंद कर दिए जाने की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर.–(1) जहां कि कोई उपक्रम किसी भी कारणवश बन्द कर दिया जाता है वहां हर कर्मकार, जो ऐसी बन्दी से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए धारा 25च के उपबन्धों के अनुसार सूचना तथा प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो :

परन्तु जहां कि उपक्रम नियोजन के नियंत्रण के परे की अपरिवर्जनीय परिस्थितियों के कारण बन्द किया गया है, वहां धारा 25च के खंड (ख) के अधीन कर्मकार को देय प्रतिकर तीन मास के उसके औसत वेतन से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण.–उस उपक्रम के बारे में, जो केवल–

(i) वित्तीय कठिनाइयों के (जिनके अन्तर्गत वित्तीय हानियां आती हैं) कारण; या

(ii) अव्ययनित स्टाक के संचय के कारण; या

(iii) उसे अनुदत्त पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान के कारण; या

(iv) उस दशा में जब कि उपक्रम खनन संक्रिया में लगा हो, उस क्षेत्र में खनिजों के निःशेषण के कारण, जिसमें ऐसी संक्रिया की गई हो,

बन्द किया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के परन्तुक के अर्थ के अन्दर नियोजक के नियंत्रण से परे की अपरिवर्जनीय परिस्थितियों के कारण बन्द किया गया है ।

(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां खनन संक्रियाओं में लगा हुआ कोई उपक्रम

in the area in which such operations are carried on, no workman referred to in that sub-section shall be entitled to any notice or compensation in accordance with the provisions of section 25-F, if—

(a) the employer provides the workman with alternative employment with effect from the date of closure at the same remuneration as he was entitled to receive, and onthe same terms and conditions of service as were applicable to him, immediately before the closure;

(b) the service of the workman has not been interrupted by such alternative employment; and

(c) the employer is, under the terms of such alternative employment or otherwise, legally liable to pay to the workman, in the event of his retrenchment, compensation on the basis that his service has been continuous and has not been interrupted by such alternative employment.

(1-B) For the purposes of sub-sections (1) and (1-A), the expressions "minerals "and "mining operations "shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (a) and (d) of section 3 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957).

(2) Where any undertaking set-up for the construction of buildings, bridges, roads, canals, dams or other construction work is closed down on account of the completion of the work within two years from the date on which the undertaking had been set-up, no workman employed therein shall be entitled to any compensation under clause (b) of section 25-F, but if the construction work is not so completed within two years, he shall be entitled to notice and compensation under that section for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months.

25-G. Procedure for retrenchment .-Where any workman in an industrial establishment, who is a citizen of India, is to be retrenched and he belongs to a particular category of workmen in that establishment, in the absence of any agreement between the employer and the workman in this behalf, the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in that category, unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman.

25-H. Re-employment of retrenched workmen .-Where any workmen are retrenched, and the employer proposes to take into his employ any persons, he shall, in such manner as may be prescribed, give an opportunity to the retrenched workmen who are citizens of India to offer themselves for re-employment, and such retrenched workmen who offer themselves for re-employment shall have preference over other persons.

25-I. [***]

25-J. Effect of laws inconsistent with this Chapter .-(1) The provisions of this Chapter shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law including standing orders made under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946):

Provided that where under the provisions of any other Act or rules, orders or notifications issued thereunder or under any standing orders or under any award, contract of service or otherwise, a workman is entitled to benefits in respect of any matter which are more favourable to him than those to which he would be entitled under this Act, the workman shall continue to be entitled to the more favourable benefits in respect of that matter, notwithstanding that he receives benefits in respect of other matters under this Act

उस क्षेत्र में जिसमें ऐसी संक्रियाएं की जा रही हों, केवल खनिजों के निःशेषण के कारण बन्द किया गया है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट कोई कर्मकार धारा 25च के उपबन्धों के अनुसार किसी सूचना या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, यदि–

(क) बन्द होने की तारीख से ही नियोजक कर्मकार के लिए उसी पारिश्रमिक पर जिसे प्राप्त करने का वह हकदार था, और सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, जो बन्द होने के ठीक पूर्व उसे लागू थीं, अनुकल्पी नियोजन की व्यवस्था कर देता है;

(ख) कर्मकार की सेवा ऐसे अनुकल्पी नियोजन से भंग न हुई हो; तथा

(ग) नियोजक कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरन्तर चलती रही है और ऐसे अनुकल्पी नियोजन द्वारा भंग नहीं हुई है, ऐसे अनुकल्पी नियोजन के निबन्धनों के अधीन या अन्यथा प्रतिकर के संदाय का वैध रूप से दायी हो ।

(1ख) उपधारा (1) और (1क) के प्रयोजनार्थ "खनिजों" और "खनन संक्रियाओं" पदों के वे ही अर्थ होंगे जो खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खण्ड (क) तथा (घ) में क्रमशः उनके हैं ।

(2) जहां कि भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों या बांधों के सन्निर्माण के लिए या अन्य सन्निर्माण कामों के लिए स्थापित कोई उपक्रम काम के पूरे होने के कारण उस तारीख से, जिसको वह उपक्रम स्थापित किया गया था, दो वर्ष के भीतर बन्द कर दिया जाता है वहां, उसमें नियोजित कोई भी कर्मकार, धारा 25च के खंड (ख) के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, किन्तु यदि वह सन्निर्माण काम इस प्रकार दो वर्ष के भीतर पूरा नहीं हो जाता हो तो वह कर्मकार निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिए या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए उस धारा के अधीन सूचना और प्रतिकर का हकदार होगा ।

25छ. छंटनी के लिए प्रक्रिया.–जहां कि किसी औद्योगिक स्थापन के किसी ऐसे कर्मकार की, जो भारत का नागरिक है, छंटनी की जानी हो और वह उस स्थापन के कर्मकारों के किसी विशिष्ट प्रवर्ग का हो, वहां, तब के सिवाय जबकि नियोजक ऐसे कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा, किसी अन्य कर्मकार की छंटनी करता है, नियोजक और कर्मकार के बीच इस निमित्त हुए किसी करार के अभाव में नियोजक, मामूली तौर से और उस कर्मकार की छंटनी करेगा, जो उस प्रवर्ग में नियोजित किया जाने वाला अन्तिम व्यक्ति हो ।

25ज. छंटनी किए गए कर्मकारों का पुनःनियोजन.–जहां कि किन्हीं कर्मकारों की छंटनी की जाती है और नियोजक किन्हीं व्यक्तियों को अपने नियोजन में रखने की प्रस्थापना करता है, वहां वह उन छंटनी किए गए कर्मकारों को, जो भारत के नागरिक हैं, ऐसे रीति से, जैसी विहित की जाए, यह अवसर देगा कि पुनः नियोजन के लिए अपने को प्रस्थापित करें और छंटनी किए गए उन कर्मकारों कोट जो पुनः नियोजन के लिए अपने को प्रस्थापित करें अन्य व्यक्तियों पर अधिमान मिलेगा ।

25झ. [***]

25ञ. इस अध्याय से असंगत विधियों का प्रभाव.–(1) इस अध्याय के उपबन्ध किसी अन्य विधि में, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) के अधीन बनाए गए स्थायी आदेश आते हैं, इनसे असंगत कोई बात होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां कि किसी अन्य अधिनियम के या उसके अधीन निकाले गए नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन या किन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन या किसी अधिनिर्णय या सेवा–संविदा के अधीन या अन्यथा, कोई कर्मकार किसी बात की बाबत ऐसे फायदों का हकदार है जो उसके लिए उन फायदों से, जिनका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होगा, अधिक अनुकूल है वहां, कर्मकार, इस बात के होते हुए भी कि वह अन्य बातों की बाबत इस अधिनियम के अधीन फायदा प्राप्त करता है, उस बात की बाबत अधिक अनुकूल फायदों का हकदार बना रहेगा ।

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing contained in this Chapter shall be deemed to affect the provisions of any other law for the time being in force in any State insofar as that law provides for the settlement of industrial disputes, but the rights and liabilities of employers and workmen insofar as they relate to lay-off and retrenchment shall be determined in accordance with the provisions of this Chapter.

CHAPTER V-B

Special Provisions Relating To Lay-Off, Retrenchment And Closure In Certain Establishments

25-K. Application of Chapter V-B .-(1) The provisions of this Chapter shall apply to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which not less than [one hundred] workmen were employed on an average per working day for the preceding twelve months.

(2) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed therein only intermittently, the decision of the appropriate Government thereon shall be final.

25-L. Definitions .-For the purposes of this Chapter,-

(a) "industrial establishment "means-

(i) a factory as defined in clause (m) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948);

(ii) a mine as defined in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952); or

(iii) a plantation as defined in clause (f) of section 2 of the Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951);

(b) notwithstanding anything contained in sub-clause (ii) of clause (a) of section 2,-

(i) in relation to any company in which not less than fifty-one per cent. of the paid-up share capital is held by the Central Government, or

(iii) in relation to any corporation not being a corporation referred to in sub-clause (i) of clause (a) of section 2 established by or under any law made by Parliament,

the Central Government shall be the appropriate Government.

25-M. Prohibition of lay-off .-(1) No workman (other than a badli workman or a casual workman) whose name is borne on the muster-rolls of an industrial establishment to which this Chapter applies shall be laid-off by his employer except [with the prior permission of the appropriate Government or such authority as may be specified by that Government by notification in the Official Gazette (hereafter in this section referred to as the specified authority), obtained on an application made in this behalf, unless such lay-off is due to shortage of power or to natural calamity, and in the case of a mine, such lay-off is due also to fire, flood, excess of inflammable gas or explosion.

(2) An application for permission under sub-section (1) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended lay-off and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workmen concerned in the prescribed manner.

(2) शंकाओं का निराकरण करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य में किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों पर, वहां तक जहां तक कि वह विधि औद्योगिक विवादों के समझौते का उपबन्ध करती है, प्रभाव डालती है, किन्तु नियोजकों और कर्मकारों के अधिकार और दायित्व, वहां तक जहां तक कि उनका संबंध कामबन्दी और छंटनी से है, इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे ।

अध्याय 5ख

कतिपय स्थापनों में कामबंदी, छंटनी और उनके बन्द किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध

25ट. अध्याय 5ख का लागू होना.–(1) इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य–दिवस को औसतन कम से कम एक सौ कर्मकार नियोजित थे ।

(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आन्तरिक रूप से होता है या नहीं तो उस पर समुचित सकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

25ठ. परिभाषाएं.–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए–

(क) "औद्योगिक स्थापन" से अभिप्रेत है–

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषिक कारखाना;

(ii) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथा परिभाषित खान; अथवा

(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बागान;

(ख) धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, –

(i) किसी ऐसी कम्पनी के सम्बन्ध में, जिसकी समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा धृत है, अथवा

(ii) किसी ऐसे निगम के संबंध में जो धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट निगम नहीं है। जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित किया गया है,

केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार होगी ।

25ड. कामबन्दी का प्रतिषेध.–(1) (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) किसी कर्मकार की, जिसका नाम ऐसे औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, जिसे यह अध्याय लागू होता है, उसके नियोजक द्वारा कामबन्दी समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की, जिसे इस निमित्त उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है), पूर्व अनुज्ञा के बिना जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त की गई हो तभी की जाएगी, जब कि ऐसी कामबन्दी शक्ति की कमी या प्राकृतिक दुर्घटना, और किसी खान की दशा में, ऐसी कामबन्दी अग्नि, बाढ़, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण भी की गई हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नियोजक द्वारा विहित रीति से, आशयित कामबन्दी के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति की भी विहित रीति से संबंधित कर्मकारों पर साथ–साथ तामील की जाएगी ।

(3) Where the workmen (other than badli workmen or casual workmen) of an industrial establishment, being a mine, have been laid-off under sub-section (1) for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, the employer, in relation to such establishment, shall, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, apply, in the prescribed manner, to the appropriate Government or the specified authority for permission to continue the lay-off.

(4) Where an application for permission under sub-section (1) or sub-section (3) has been made, the appropriate Government or the specified authority, after making such enquiry as it thinks fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, the workmen concerned and the persons interested in such lay-off, may, having regard to the genuineness and adequacy of the reasons for such lay-off, the interests of the workmen and all other relevant factors, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and a copy of such order shall be communicated to the employer and the workmen.

(5) Where an application for permission under sub-section (1) or sub-section (3) has been made and the appropriate Government or the specified authority does not communicate the order granting or refusing to grant permission to the employer within a period of sixty days from the date on which such application is made, the permission applied for shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days.

(6) An order of the appropriate Government or the specified authority granting or refusing to grant permission shall, subject to the provisions of sub-section (7), be final and binding on all the parties concerned and shall remain in force for one year from the date of such order.

(7) The appropriate Government or the specified authority may, either on its own motion or on the application made by the employer or any workman, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) or refer the matter or, as the case may be, cause it to be referred, to a Tribunal for adjudication:

Provided that where a reference has been made to a Tribunal under this sub-section, it shall pass an award within a period of thirty days from the date of such reference.

(8) Where no application for permission under sub-section (1) is made, or where no application for permission under sub-section (3) is made within the period specified therein, or where the permission for any lay-off has been refused, such lay-off shall be deemed to be illegal from the date on which the workmen had been laid-off and the workmen shall be entitled to all the benefits under any law for the time being in force as if they had been not laid-off.

(9) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, the appropriate Government may, if it is satisfied that owing to such exceptional circumstances as accident in the establishment or death of the employer or the like, it is necessary so to do, by order, direct that the provisions of sub-section (1), or, as the case may be, sub-section (3) shall not apply in relation to such establishment for such period as may be specified in the order.

(10) The provisions of section 25-C (other than the second proviso thereto) shall apply to cases of lay-off referred to in this section.

Explanation .-For the purposes of this section, a workman shall not be deemed to be laid-off by an employer if such employer offers any alternative employment (which in the

(3) जहां किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, जो खान है, (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) कर्मकारों की उपधारा (1) के अधीन अग्नि, बाढ़ या ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण कामबन्दी कर दी गई है, वहां ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक, ऐसी कामबन्दी के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर विहित रीति से समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कामबन्दी जारी रखने की अनुज्ञा, के लिए आवेदन करेगा ।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियोजक, संबंधित कर्मकार और ऐसी कामबन्दी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी कामबन्दी के कारणों की असलीयत और पर्याप्तता को, कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या देने से इन्कार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकारों को दी जाएगी ।

(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी तारीख से जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा देने या देने से इन्कार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां, वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी ।

(6) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाला आदेश, उपधारा (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

(7) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या नियोजक अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इन्कार करने वाले अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को, यथास्थिति, निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा :

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा ।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां किसी कामबन्दी के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया है, वहां ऐसी कामबन्दी को, उस तारीख से जिसको कर्मकारों की कामबन्दी की गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों के ऐसे हकदार होंगे मानो उनकी कामबन्दी नहीं की गई थी ।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या वैसी ही अन्य परिस्थितियों के कारण, ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के उपबन्ध ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए लागू नहीं होंगे ।

(10) धारा 25ग के उपबन्ध (उसके द्वितीय परन्तुक को छोड़कर) इस धारा में निर्दिष्ट कामबन्दी के मामलों को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नियोजक द्वारा कर्मकार की कामबन्दी उस दशा में की गई नहीं समझी जाएगी जिसमें ऐसा नियोजक उस कर्मकार को कोई वैकल्पिक नियोजन (जिसके

opinion of the employer does not call for any special skill or previous experience and can be done by the workman) in the same establishment from which he has been laid-off or in any other establishment belonging to the same employer, situate in the same town or village, or situate within such distance from the establishment to which he belongs that the transfer will not involve undue hardship to the workman having regard to the facts and circumstances of his case, provided that the wages which would normally have been paid to the workman are offered for the alternative appointment also.

25-N. Conditions precedent to retrenchment of workmen .-(1) No workman employed in any industrial establishment to which this Chapter applies, who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until,—

(a) the workman has been given three months 'notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice; and

(b) the prior permission of the appropriate Government or such authority as may be specified by that Government by notification in the Official Gazette (hereafter in this section referred to as the specified authority) has been obtained on an application made in this behalf.

(2) An application for permission under sub-section (1) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended retrenchment and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workmen concerned in the prescribed manner.

(3) Where an application for permission under sub-section (1) has been made, the appropriate Government or the specified authority, after making such enquiry as it thinks fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, the workmen concerned and the person interested in such retrenchment, may, having regard to the genuineness and adequacy of the reasons stated by the employer, the interests of the workmen and all other relevant factors, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and a copy of such order shall be communicated to the employer and the workmen.

(4) Where an application for permission has been made under sub-section (1) and the appropriate Government or the specified authority does not communicate the order granting or refusing to grant permission to the employer within a period of sixty days from the date on which such application is made, the permission applied for shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days.

(5) An order of the appropriate Government or the specified authority granting or refusing to grant permission shall, subject to the provisions of sub-section (6), be final and binding on all the parties concerned and shall remain in force for one year from the date of such order.

(6) The appropriate Government or the specified authority may, either on its own motion or on the application made by the employer or any workman, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) or refer the matter or, as the case may be, cause it to be referred, to a Tribunal for adjudication:

Provided that where a reference has been made to a Tribunal under this sub-section, it shall pass an award within a period of thirty days from the date of such reference.

लिए नियोजक की राय में कोई विशेष कौशल या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है और जो कर्मकार द्वारा किया जा सकता है) उसी स्थापन में, जिसमें उसकी कामबन्दी की गई थी या उसी नियोजक के किसी ऐसे अन्य स्थापन में, जो उसी नगर या ग्राम में स्थित है या जो उस स्थापन से, जिसमें वह कर्मकार है, इतनी दूरी पर स्थित है कि उस कर्मकार के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके स्थानान्तरण से उसे असम्यक् कष्ट नहीं होगा, देता है परन्तु यह तब जब कि कर्मकार को प्रसामान्य रूप से जितनी मजदूरी संदत्त की जाती उतनी ही मजदूरी उसे वैकल्पिक नियुक्ति के लिए भी दी जाए ।

25ढ. कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें.–(1) किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में, जिसे यह अध्याय लागू होता है, नियोजित किसी कर्मकार की जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा में रह चुका है, उस नियोजक द्वारा छंटनी तभी की जाएगी जब कि, –

(क) कर्मकार को तीन मास की लिखित ऐसी सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो; और

(ख) समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की, जो उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है), पूर्व अनुज्ञा इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त कर ली गई हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजक द्वारा विहित रीति से आशयित छंटनी के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए किया जाएगा, और ऐसे आवेदन की एक प्रति की भी विहित रीति से संबंधित कर्मकारों पर साथ–साथ तामील की जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियोजक को अवसर देने के पश्चात्, संबंधित कर्मकार और ऐसी छंटनी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् नियोजक द्वारा कथित कारणों की सत्यता और पर्याप्तता को, कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकारों को भेजी जाएगी ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नियोजक को ऐसी तारीख से जिसको ऐसा आवेदन किया गया है साठ दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी ।

(5) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाला आदेश, उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

(6) समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को, यथास्थिति, निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगाः

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा ।

(7) Where no application for permission under sub-section (1) is made, or where the permission for any retrenchment has been refused, such retrenchment shall be deemed to be illegal from the date on which the notice of retrenchment was given to the workman and the workman shall be entitled to all the benefits under any law for the time being in force as if no notice had been given to him.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, the appropriate Government may, if it is satisfied that owing to such exceptional circumstances as accident in the establishment or death of the employer or the like, it is necessary so to do, by order, direct that the provisions of sub-section (1) shall not apply in relation to such establishment for such period as may be specified in the order.

(9) Where permission for retrenchment has been granted under sub-section (3) or where permission for retrenchment is deemed to be granted under sub-section (4), every workman who is employed in that establishment immediately before the date of application for permission under this section shall be entitled to receive, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days 'average pay for every completed year or continuous service or any part thereof in excess of six months.

25-O. Procedure for closing down an undertaking .-(1) An employer who intends to close down an undertaking of an industrial establishment to which this Chapter applies shall, in the prescribed manner, apply, for prior permission at least ninety days before the date on which the intended closure is to become effective, to the appropriate Government, stating clearly the reasons for the intended closure of the undertaking and a copy of such application shall also be served simultaneously on the representatives of the workmen in the prescribed manner:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to an undertaking set up for the construction of buildings, bridges, roads, canals, dams or for other construction work.

(2) Where an application for permission has been made under sub-section (1), the appropriate Government, after making such enquiry as it thinks fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, the workmen and the persons interested in such closure may, having regard to the genuineness and adequacy of the reasons stated by the employer, the interests of the general public and all other relevant factors, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and a copy of such order shall be communicated to the employer and the workmen.

(3) Where an application has been made under sub-section (1) and the appropriate Government does not communicate the order granting or refusing to grant permission to the employer within a period of sixty days from the date on which such application is made, the permission applied for shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days.

(4) An order of the appropriate Government granting or refusing to grant permission shall, subject to the provisions of sub-section (5), be final and binding on all the parties and shall remain in force for one year from the date of such order.

(5) The appropriate Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any workman, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) or refer the matter to a Tribunal for adjudication:

Provided that where a reference has been made to a Tribunal under this sub-section, it shall pass an award within a period of thirty days from the date of such reference.

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नहीं किया गया है या जहां किसी छंटनी के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया है, वहां ऐसी छंटनी को, ऐसी तारीख से जिसको कर्मकारों को छंटनी की सूचना दी गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का ऐसे हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी ।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण, ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(9) जहां उपधारा (3) के अधीन, छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई है या छंटनी की अनुज्ञा उपधारा (4) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां ऐसा प्रत्येक कर्मकार जो इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए किए गए, आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार, छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के सम्पूरित वर्ष या उसके ऐसे भाग के जो छह मास से अधिक हो, पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा ।

25ण. उपक्रम बन्द किए जाने की प्रक्रिया.—(1) कोई नियोजक, जो किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, जिसे यह अध्याय लागू होता है, उपक्रम को बन्द करने का आशय रखता है, उपक्रम की आशयित बन्दी के कारणों का स्पष्टतया कथन करते हुए विहित रीति से, समुचित सरकार को उस तारीख से, जिसको आशयित बन्दी प्रभावी होनी है, कम से कम नब्बे दिन पूर्व, पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा और साथ ही आवेदन की एक प्रति विहित रीति से कर्मकारों के प्रतिनिधि को भी तामील की जाएगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जो भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों या अन्य सन्निर्माण काम के लिए स्थापित किया गया है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, और नियोजक, कर्मकार और ऐसे बन्द किए जाने में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, नियोजक द्वारा कथित कारणों की सच्चाई और पर्याप्तता, जनसाधारण के हितों और अन्य सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकार को भेजी जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है और समुचित सरकार उस तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा या अनुज्ञा देने से इन्कार करने की सूचना नहीं देती है, वहां ऐसी अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी ।

(4) अनुज्ञा देने या देने से इन्कार करने वाला समुचित सरकार का कोई आदेश, उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा ।

(5) समुचित सरकार चाहे स्वप्रेरणा पर या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी या मामले को न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन अधिकरण को निर्देश किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, अधिनिर्णय पारित करेगा ।

(6) Where no application for permission under sub-section (1) is made within the period specified therein, or where the permission for closure has been refused, the closure of the undertaking shall be deemed to be illegal from the date of closure and the workmen shall be entitled to all the benefits under any law for the time being in force as if the undertaking had not been closed down.

(7) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, the appropriate Government may, if it is satisfied that owing to such exceptional circumstances as accident in the undertaking or death of the employer or the like it is necessary so to do, by order, direct that the provisions of sub-section (1) shall not apply in relation to such undertaking for such period as may be specified in the order.

(8) Where an undertaking is permitted to be closed down under sub-section (2) or where permission for closure is deemed to be granted under sub-section (3), every workman who is employed in that undertaking immediately before the date of application for permission under this section, shall be entitled to receive compensation which shall be equivalent of fifteen days 'average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months.

25-P. Special provision as to restarting of undertakings closed down before commencement of the Industrial Disputes (Amendment) Act, 1976 .-If the appropriate Government is of opinion in respect of any undertaking or an industrial establishment to which this Chapter applies and which closed down before the commencement of the Industrial Disputes (Amendment) Act, 1976 (32 of 1976)-

(a) that such undertaking was closed down otherwise than on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer;

(b) that there are possibilities of restarting the undertaking;

(c) that it is necessary for the rehabilitation of the workmen employed in such under taking before its closure or for the maintenance of supplies and services essential to the life of the community to restart the undertaking or both; and

(d) that the restarting of the undertaking will not result in hardship to the employer in relation to the undertaking,

it may, after giving an opportunity to such employer and workmen, direct, by order published in the Official Gazette, that the undertaking shall be restarted within such time (not being less than one month from the date of the order) as may be specified in the order.

25-Q. Penalty for lay-off and retrenchment without previous permission .-Any employer who contravenes the provisions of section 25-M or of section 25-N shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

25-R. Penalty for closure .-(1) Any employer who closes down an undertaking without complying with the provisions of sub-section (1) of section 25-O shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

(2) Any employer, who contravenes an order refusing to grant permission to close down an undertaking under sub-section (2) of section 25-O or a direction given under section 25-P], shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, and where the contravention is a continuing one, with a further fine which may extend to two thousand rupees for every day during which the contravention continues after the conviction.

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां उपक्रम बंद करने के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां उपक्रम बंद करने की तारीख से उसका बन्द किया जाना अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का हकदार होगा मानो उपक्रम बन्द ही नहीं किया गया था ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण जैसे कि उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(8) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी उपक्रम के बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती है या जहां उपधारा (3) के अधीन बन्द कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्व उस उपक्रम में नियोजित प्रत्येक कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर है ।

25त. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व बन्द किए गए उपक्रमों को पुनः चालू करने के बारे में विशेष उपबन्ध.–यदि किसी औद्योगिक स्थापन के, जिसे यह अध्याय लागू होता है, किसी उपक्रम के बारे में, जो औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व बन्द किया गया है, समुचित सरकार की राय है कि–

(क) ऐसा उपक्रम नियोजक के नियंत्रण के परे की अपवर्जनीय परिस्थितियों के कारण से अन्यथा बन्द किया गया है;

(ख) उपक्रम के पुनः चालू किए जाने की संभावनाएं हैं;

(ग) ऐसे उपक्रम के बन्द किए जाने के पूर्व उसमें नियोजित कर्मकारों के पुनर्वास के लिए या जनसमुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय तथा सेवाएं बनाए रखने के लिए या दोनों के लिए उपक्रम को पुनः चालू करना आवश्यक है; और

(घ) उपक्रम के पुनः चालू करने के परिणामस्वरूप नियोजक को उस उपक्रम के सम्बन्ध में कष्ट नहीं होगा,

तो वह ऐसे नियोजक और कर्मकारों को अवसर देने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उपक्रम ऐसे समय के भीतर (जो आदेश की तारीख से एक मास से कम न हो जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, पुनः चालू होगा ।

25 थ. पूर्व अनुज्ञा के बिना कामबन्दी या छंटनी के लिए शास्ति.–जो नियोजक, धारा 25ड के या धारा 25ढ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

25द. बन्द करने पर शास्ति.–(1) जो नियोजक किसी उपक्रम को उपधारा 25ण की उपधारा (1) के अनुबन्धों का अनुपालन किए बिना बन्द करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) जो नियोजक धारा 25ण की उपधारा (2) के अधीन किसी उपक्रम को बन्द करने की अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले किसी आदेश या धारा 25त के अधीन दिए गए किसी निदेश का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो दोषसिद्धि के पश्चात् से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

25-S. Certain provisions of Chapter V-A to apply to an industrial establishment to which this Chapter applies .-The provisions of sections 25-B, 25-D, 25-FF, 25-G, 25-H and 25-J in Chapter V-A shall, so far as may be, apply also in relation to an industrial establishment to which the provisions of this Chapter apply

CHAPTER V-C

Unfair Labour Practices

25-T. Prohibition of unfair labour practice .-No employer or workman or a trade union, whether registered under the Trade Unions Act, 1926 (18 of 1926), or not, shall commit any unfair labour practice.

25-U. Penalty for committing unfair labour practices .-Any person who commits any unfair labour practice shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

CHAPTER VI

Penalties

26. Penalty for illegal strikes and lock-outs .-(1) Any workman who commences, continues or otherwise acts in furtherance of, a strike which is illegal under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to fifty rupees, or with both.

(2) Any employer who commences, continues, or otherwise acts in furtherance of a lock-out which is illegal under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

27. Penalty for instigation, etc .-(1) Any person who instigates or incites others to take part in, or otherwise acts in furtherance of, a strike or lock-out which is illegal under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

28. Penalty for giving financial aid to illegal strikes and lock-outs .-Any person who knowingly expends or applies any money in direct furtherance or support of any illegal strike or lock-out shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

29. Penalty for breach of settlement or award .-Any person who commits a breach of any terms of any settlement or award, which is binding on him under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both, and where the breach is a continuing one, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day during which the breach continues after the conviction for the first and the Court trying the offence, if it fines the offender, may direct that the whole or any part of the fine realised from him shall be paid, by way of compensation, to any person who, in its opinion, has been injured by such breach.

25ध. ऐसे औद्योगिक स्थापन को, जिसे यह अध्याय लागू होता है, अध्याय 5क के कतिपय उपबन्धों का लागू होना.–अध्याय 5क की धाराएं 25ख, 25घ, 25चच, 25छ, 25ज और 25ञ के उपबन्ध ऐसे औद्योगिक स्थापन के सम्बन्ध में भी, जिसे इस अध्याय के उपबन्ध लागू होते हैं, यथाशक्य लागू होंगे ।

अध्याय 5ग

अनुचित श्रम व्यवहार

25न. अनुचित श्रम व्यवहार पर प्रतिषेध.–कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ, चाहे व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं, कोई अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा ।

25प. अनुचित श्रम व्यवहार के लिए शास्ति.–कोई व्यक्ति, जो अनुचित श्रम व्यवहार करेगा, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

अध्याय 6

शास्तियां

26. अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए शास्ति.–(1) जो कर्मकार, ऐसी हड़ताल, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) जो नियोजक ऐसी तालाबन्दी, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारम्भ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

27. उकसाने आदि के लिए शास्ति.–जो व्यक्ति, ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी में, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, भाग लेने के लिए दूसरों को उकसाएगा या उद्दीप्त करेगा, या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

28. अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए शास्ति.–जो व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबन्दी को प्रत्यक्षतः अग्रसर करने में या उसके समर्थन में जानते हुए धन का व्यय या उपयोजन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

29. समझौते या अधिनिर्णय के भंग के लिए शास्ति.–जो व्यक्ति, किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के, जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्धकर हो, किसी निबंधन का भंग करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से,और जहां कि भंग चालू रहने वाला भंग हो वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् के हर दिन के लिए, जिसके दैरान भंग चालू रहता है, दो सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और यदि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी पर जुर्माना करे तो वह यह निदेश दे सकेगा कि उससे प्राप्त कुल जुर्माना या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसकी राय में ऐसे भंग से क्षति हुई है, प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा ।

30. Penalty for disclosing confidential information .-Any person who wilfully discloses any such information as is referred to in section 21 in contravention of the provisions of that section shall, on complaint made by or on behalf of the trade union or individual business affected, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

30-A. Penalty for closure without notice .-Any employer who closes down any undertaking without complying with the provisions of section 25-FFA shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

31. Penalty for other offences .-(1) Any employer who contravenes the provisions of section 33 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

(2) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or any rule made thereunder shall, if no other penalty is elsewhere provided by or under this Act for such contravention, be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.

CHAPTER VII
Miscellaneous

32. Offence by companies, etc .-Where a person committing an offence under this Act is a company, or other body corporate, or an association of persons (whether incorporated or not), every director, manager, secretary, agent or other officer or person concerned with the management thereof shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.

33. Conditions of service, etc., to remain unchanged under certain circumstances during pendency of proceedings .-(1) During the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer or a Board or of any proceeding before][an arbitrator or][a Labour Court or Tribunal or National Tribunal in respect of an industrial dispute, no employer shall-

(a) in regard to any matter connected with the dispute, alter, to the prejudice of the workmen concerned in such dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such proceeding; or

(b) for any misconduct connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise, any workmen concerned in such dispute,

save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending.

(2) During the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute, the employer may, in accordance with the standing orders applicable to a workman concerned in such dispute or, where there are no such standing orders, in accordance with the terms of the contract, whether express or implied, between him and the workman-

(a) alter, in regard to any matter not connected with the dispute, the conditions of service applicable to that workman immediately before the commencement of such proceeding; or

(b) for any misconduct not connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise, that workman:

30. गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए शास्ति.–जो व्यक्ति धारा 21 में निर्दिष्ट किसी जानकारी को उस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में जानबूझकर प्रकट करेगा, वह उस व्यवसाय संघ या व्यष्टिक कारबार द्वारा या उसकी ओर से, जिस पर प्रभाव पड़ा हो, किए गए परिवाद पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

30क. बिना सूचना दिए बन्दी के लिए शास्ति.–कोई नियोजक जो धारा 25चचक के उपबन्धों का अनुपालन किए बिना, किसी उपक्रम को बन्द करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

31. अन्य अपराधों के लिए शास्ति.–(1) जो नियोजक धारा 33 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई अन्य शास्ति अन्यत्र उपबन्धित नहीं की गई है, जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अध्याय 7
प्रकीर्ण

32. कम्पनियों आदि द्वारा अपराध.–जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी, या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम हो (चाहे वह निगमित हो या न हो) वहां हर निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता या अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जो उसके प्रबन्ध से संपृक्त हो, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि वह अपराध उसके ज्ञान या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा ।

33. कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान सेवा की शर्तों आदि का कतिपय परिस्थितियों में न बदला जाना.–(1) किसी औद्योगिक विवाद की बाबत किसी सुलह अधिकारी या बोर्ड के समक्ष की किसी सुलह कार्यवाही के या किसी मध्यस्थ या श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान कोई भी नियोजक, ऐसे प्राधिकारी की, जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है, लिखित अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना–

(क) न तो उस विवाद से संसक्त किसी विषय के बारे में उन सेवा की शर्तों को, जो ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसे विवाद से संपृक्त कर्मकारों को लागू होती हैं, इस प्रकार परिवर्तित करेगा कि उन कर्मकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े; और

(ख) न ऐसे विवाद से संपृक्त किसी कर्मकार को, विवाद से संसक्त किसी अवचार के लिए, चाहे पदच्युति द्वारा या अन्यथा, उन्मोचित या दंडित करेगा ।

(2) किसी औद्योगिक विवाद की बाबत ऐसी किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान, नियोजक, ऐसे विवाद से संपृक्त कर्मकार को लागू स्थायी आदेशों के अनुसार या जहां कि ऐसे कोई स्थायी आदेश नहीं हैं वहां अपने और कर्मकार के बीच हुई किसी संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धनों के अनुसार–

(क) उन सेवा की शर्तों को, जो ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से ठीक पहले उस कर्मकार को लागू होती है, विवाद से असंसक्त किसी विषय के बारे में परिवर्तित, अथवा

(ख) उस कर्मकार को विवाद से असंसक्त किसी अवचार के लिए, चाहे पदच्युति द्वारा या अन्यथा, उन्मोचित दंडित,

कर सकेगाः

Provided that no such workman shall be discharged or dismissed, unless he has been paid wages for one month and an application has been made by the employer to the authority before which the proceeding is pending for approval of the action taken by the employer.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), no employer shall, during the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute, take any action against any protected workman concerned in such dispute-

(a) by altering, to the prejudice of such protected workman, the conditions of service applicable to him immediately before the commencement of such proceedings; or

(b) by discharging or punishing, whether by dismissal or otherwise, such protected workman, save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending.

Explanation .-For the purposes of this sub-section, a "protected workman ", in relation to an establishment, means a workman who, being a member of the executive or other office bearer of a registered trade union connected with the establishment, is recognised as such in accordance with rules made in this behalf.

(4) In every establishment, the number of workmen to be recognised as protected workmen for the purposes of sub-section (3) shall be one per cent. of the total number of workmen employed therein subject to a minimum number of five protected workmen and a maximum number of one hundred protected workmen and for the aforesaid purpose, the appropriate Government may make rules providing for the distribution of such protected workmen among various trade unions, if any, connected with the establishment and the manner in which the workmen may be chosen and recognised as protected workmen.

(5) Where an employer makes an application to a conciliation officer, Board, an arbitrator, a abour Court, Tribunal or National Tribunal under the proviso to sub-section (2) for approval of the action taken by him, the authority concerned shall, without delay, hear such application and pass, within a period of three months from the date of receipt of such application, such order in relation thereto as it deems fit:

Provided that where any such authority considers it necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, extend such period by such further period as it may think fit:

Provided further that no proceedings before any such authority shall lapse merely on the ground that any period specified in this sub-section had expired without such proceedings being completed.

33-A. Special provision for adjudication as to whether conditions of service, etc., changed during pendency of proceedings .-Where an employer contravenes the provisions of section 33 during the pendency of proceedings before a conciliation officer, Board, an arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal , any employee aggrieved by such contravention, may make a complaint in writing, in the prescribed manner,-

(a) to such conciliation officer or Board, and the conciliation officer or Board shall take such complaint into account in mediating in, and promoting the settlement of, such industrial dispute; and

(b) to such arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal and on receipt of such complaint, the arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall adjudicate upon the complaint as if it were a dispute referred to or pending before it, in accordance with the provisions of this Act and shall submit his or its award to the appropriate Government and the provisions of this Act shall apply accordingly.

परन्तु ऐसा कोई भी कर्मकार तब उन्मोचित या पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे एक मास की मजदूरी दे दी गई हो और नियोजक ने उस प्राधिकारी से, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, अपने द्वारा की गई कार्यवाही के अनुमोदन के लिए आवेदन न कर दिया हो ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियोजक किसी औद्योगिक विवाद की बाबत ऐसी किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान, उस प्राधिकारी की लिखित अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना, जिसके, समक्ष कार्यवाही लम्बित है, ऐसे विवाद से सम्पृक्त किसी संरक्षित कर्मकार के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाही नहीं करेगा जो–

(क) उन सेवा की शर्तों को, जो ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से ठीक पहले उसे लागू थीं ऐसे परिवर्तित कर दे कि परिवर्तन का ऐसे संरक्षित कर्मकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, अथवा

(ख) ऐसे संरक्षित कर्मकार को पदच्युति द्वारा या अन्यथा उन्मोचित या दंडित करे ।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी स्थापन के सम्बन्ध में "संरक्षित कर्मकार" से वह कर्मकार अभिप्रेत है जिसे उस स्थापन से संसक्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का कोई सदस्य या अन्य पदाधिकारी होते हुए, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार इस रूप में मान्यता प्राप्त है ।

(4) हर स्थापन में, ऐसे कर्मकारों की संख्या, जिन्हें उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता प्राप्त होगी, उसमें नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या का एक प्रतिशत होगी, किन्तु संरक्षित कर्मकारों की संख्या कम से कम पांच और अधिक से अधिक एक सौ होगी, और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए समुचित सरकार स्थापन से संसक्त विभिन्न व्यवसाय संघों के, यदि कोई हों, बीच ऐसे संरक्षित कर्मकारों के वितरण के लिए और ऐसी रीति के लिए, जिससे कर्मकार संरक्षित कर्मकारों के रूप में चुने जा सकेंगे और उन्हें मान्यता दी जा सकेगी, उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी ।

(5) जहां कि कोई नियोजक अपने द्वारा की गई कार्रवाई के अनुमोदन के लिए उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन सुलह अधिकारी, बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण से आवेदन करता है, वहां सम्पृक्त प्राधिकारी अविलम्ब ऐसे आवेदन की सुनवाई करेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझेः

परन्तु जहां ऐसा कोई प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहां वह ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि को ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए जो वह उचित समझे, विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं होगी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि, ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने के बिना ही, समाप्त हो गई थी ।

33क. यह न्यायनिर्णीत करने के लिए विशेष उपबन्ध कि कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान सेवा की शर्तें आदि बदली हैं या नहीं.–जहां कि कोई नियोजक कार्यवाहियों के सुलह अधिकारी, बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लम्बित रहने के दौरान धारा 33 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वहां ऐसे उल्लंघन से व्यथित कर्मचारी लिखित परिवाद, विहित रीति से, –

(क) ऐसे सुलह अधिकारी या बोर्ड को कर सकेगा और सुलह अधिकारी या बोर्ड ऐसे परिवाद का सुलह कराने और ऐसे औद्योगिक विवाद का समझौता कराने के लिए, ध्यान देगा, और

(ख) ऐसे मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को कर सकेगा और ऐसे परिवाद की प्राप्ति पर, यथास्थिति, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, परिवाद का न्यायनिर्णयन करेगा मानो वह परिवाद इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसे निर्देशित या उसके समक्ष लंबित विवाद हो और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा, और इस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

33-B. Power to transfer certain proceedings .-(1) The appropriate Government may, by order in writing and for reasons to be stated therein, withdraw any proceeding under this Act pending before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal and transfer the same to another Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, for the disposal of the proceeding and the Labour Court, Tribunal or National Tribunal to which the proceeding is so transferred may, subject to special directions in the order of transfer, proceed either de novo or from the stage at which it was so transferred:

Provided that where a proceeding under section 33 or section 33-A is pending before a Tribunal or National Tribunal, the proceeding may also be transferred to a Labour Court.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), any Tribunal or National Tribunal, if so authorised by the appropriate Government, may transfer any proceeding under section 33 or section 33-A pending before it to any one of the Labour Courts specified for the disposal of such proceedings by the appropriate Government by notification in the Official Gazette and the Labour Court to which the proceeding is so transferred shall dispose of the same.

33-C. Recovery of money due from an employer .-(1) Where any money is due to a workman from an employer under a settlement or an award or under the provisions of Chapter V-A or Chapter V-B, the workman himself or any other person authorised by him in writing in this behalf, or, in the case of the death of the workman, his assignee or heirs may, without prejudice to any other mode of recovery, make an application to the appropriate Government for the recovery of the money due to him, and if the appropriate Government is satisfied that any money is so due, it shall issue a certificate for that amount to the Collector who shall proceed to recover the same in the same manner as an arrear of land revenue:

Provided that every such application shall be made within one year from the date on which the money became due to the workman from the employer:

Provided further that any such application may be entertained after the expiry of the said period of one year, if the appropriate Government is satisfied that the applicant had sufficient cause for not making the application within the said period.

(2) Where any workman is entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of being computed in terms of money and if any question arises as to the amount of money due or as to the amount at which such benefit should be computed, then the question may, subject to any rules that may be made under this Act, be decided by such Labour Court as may be specified in this behalf by the appropriate Government within a period not exceeding three months:

Provided that where the presiding officer of a Labour Court considers it necessary or expedient so to do, he may, for reasons to be recorded in writing, extend such period by such further period as he may think fit.

(3) For the purposes of computing the money value of a benefit, the Labour Court may, if it so thinks fit, appoint a Commissioner who shall, after taking such evidence as may be necessary, submit a report to the Labour Court and the Labour Court shall determine the amount after considering the report of the Commissioner and other circumstances of the case.

(4) The decision of the Labour Court shall be forwarded by it to the appropriate Government and any amount found due by the Labour Court may be recovered in the

33ख. कतिपय कार्यवाहियों को अन्तरित करने की शक्ति.–(1) समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही को लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जिन्हें उसमें लिखा जाएगा, प्रत्याहृत कर सकेगी और कार्यवाही को निपटाने के लिए, उसे, यथास्थिति, किसी अन्य श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को अन्तरित कर सकेगी, और वह श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, जिसे कार्यवाही ऐसे अन्तरित की गई है, अन्तरण आदेश में के विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा जिस पर वह ऐसे अन्तरित की गई थी :

परन्तु जहां कि धारा 33 या धारा 33क के अधीन कोई कार्यवाही किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लम्बित है वहां ऐसी कार्यवाही किसी श्रम न्यायालय को भी अन्तरित की जा सकेगी ।

(2) यदि कोई अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण समुचित सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, तो वह अपने समक्ष लम्बित धारा 33 या धारा 33क के अधीन की किसी कार्यवाही को, उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन श्रम न्यायालयों में से किसी एक को अन्तरित कर सकेगा, जिन्हें ऐसी कार्यवाहियां निपटाने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार ने विनिर्दिष्ट किया हो और वह श्रम न्यायालय, जिसे कार्यवाही इस प्रकार अन्तरित की गई है, उसे निपटाएगा ।

33ग. नियोजक से शोध्य धन की वसूली.–(1) जहां के किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या अध्याय 5क या अध्याय 5ख के उपबन्धों के अधीन किसी कर्मकार को नियोजक से कोई धन शोध्य हो, वहां स्वयं वह कर्मकार या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, या कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका समनुदेशिती या उसके वारिस, उसे शोध्य धन की वसूली के लिए समुचित सरकार से आवेदन, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर सकेंगे, और यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई धन इस प्रकार शोध्य है, तो वह उस रकम के लिए कलक्टर को एक प्रमाणपत्र भेजेगी जो उसकी वसूली के लिए उसी रीति से अग्रसर होगा जैसे भू–राजस्व की बकाया वसूल की जाती है :

परन्तु ऐसा हर आवेदन, उस तारीख से, जिसको कर्मकार को नियोजक से धन शोध्य हुआ था, एक वर्ष के भीतर किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आवेदन एक वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी ग्रहण किया जा सकेगा यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि उक्त कालावधि के भीतर आवेदन न करने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण था ।

(2) जहां कि कर्मकार नियोजक से कोई धन या ऐसी प्रसुविधा, जो धन के रूप में संगणित की जा सकती है, प्राप्त करने का हकदार है और शोध्य धन की रकम के बारे में या उस रकम के बारे में, जितनी ऐसी प्रसुविधा के लेखे संगणित की जानी चाहिए, कोई प्रश्न पैदा होता है, तो वह प्रश्न, उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, उस श्रम न्यायालय द्वारा जिसे समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे विनिश्चित किया जा सकेगा तीन मास से अनधिक कालावधि के भीतर :

परन्तु जहां श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहां वह ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि को ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, विस्तारित कर सकेगा ।

(3) किसी प्रसुविधा का धन–मूल्य संगणित करने के प्रयोजनों के लिए, श्रम न्यायालय, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, एक आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगा जो ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जो आवश्यक हो, श्रम न्यायालय को रिपोर्ट निवेदित करेगा और श्रम न्यायालय आयुक्त की रिपोर्ट और मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् रकम अवधारित करेगा ।

(4) श्रम न्यायालय का विनिश्चय उसके द्वारा समुचित सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और श्रम

manner provided for in sub-section (1).

(5) Where workmen employed under the same employer are entitled to receive from him any money or any benefit capable of being computed in terms of money, then, subject to such rules as may be made in this behalf, a single application for the recovery of the amount due may be made on behalf of or in respect of any number of such workmen.

Explanation .-In this section "Labour Court "includes any Court constituted under any law relating to investigation and settlement of industrial disputes in force in any State.

34.Cognizance of offences .-(1) No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or of the abetment of any such offence, save on complaint made by or under the authority of the appropriate Government.

(2) No Court inferior to that of [a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class]shall try any offence punishable under this Act.

35. Protection of persons .-(1) No person refusing to take part or to continue to take part in any strike or lock-out which is illegal under this Act shall, by reason of such refusal or by reason of any action taken by him under this section, be subject to expulsion from any trade union or society, or to any fine or penalty, or to deprivation of any right or benefit to which he or his legal representatives would otherwise be entitled, or be liable to be placed in any respect, either directly or indirectly, under any disability or at any disadvantage as compared with other members of the union or society, anything to the contrary in the rules of a trade union or society notwithstanding.

(2) Nothing in the rules of a trade union or society requiring the settlement of disputes in any manner shall apply to any proceeding for enforcing any right or exemption secured by this section, and in any such proceeding the Civil Court may, in lieu of ordering a person who has been expelled from membership of a trade union or society to be restored to membership, order that he be paid out of the funds of the trade union or society such sum by way of compensation or damages as that Court thinks just.

36. Representation of parties .-(1) A workman who is a party to a dispute shall be entitled to be represented in any proceeding under this Act by-

(a) any member of the executive or other office bearer of a registered trade union of which he is a member;

(b) any member of the executive or other office bearer of a federation of trade unions to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated;

(c) where the worker is not a member of any trade union, by any member of the executive or other office bearer of any trade union connected with, or by any other workman employed in, the industry in which the worker is employed and authorised in such manner as may be prescribed.

(2) An employer who is a party to a dispute shall be entitled to be represented in any proceeding under this Act by-

(a) an officer of an association of employers of which he is a member;

(b) an officer of a federation of associations of employers to which the association referred to in clause (a) is affiliated;

न्यायालय द्वारा शोध्य पाई गई रकम उपधारा (1) में उपबन्धित रीति से वसूल की जा सकेगी ।

(5) जहां कि एक ही नियोजक के अधीन नियोजित कर्मकार उससे कोई धन या कोई ऐसी प्रसुविधा, जो धन के रूप में संगणित की जा सकती है, प्राप्त करने के हकदार हों, वहां उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, ऐसे कितने ही कर्मकारों की ओर से या उनकी बाबत एक ही आवेदन शोध्य रकम की वसूली के लिए किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा में "श्रम न्यायालय" के अन्तर्गत ऐसा न्यायालय आता है जो किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के अधीन गठित किया गया हो जो औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और समझौते से संबंधित है ।

34. अपराधों का संज्ञान–(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण का संज्ञान, समुचित सरकार द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय, नहीं करेगा ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

35. व्यक्तियों का संरक्षण–(1) किसी ऐसा हड़ताल या तालाबन्दी में, जो इस अधिनियम के अनुसार अवैध है, भाग लेने से या भाग लेते रहने से इंकार करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे इंकार के कारण या इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई किसी कार्रवाई के कारण, व्यवसाय संघ या सोसाइटी के नियमों में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी व्यवसाय संघ या सोसाइटी से, निष्कासित किए गए जाने का, या किसी जुर्माने या शास्ति का, या किसी ऐसे अधिकार या प्रसुविधा से, जिसके लिए वह या उसके विधिक प्रतिनिधि अन्यथा हकदार हों, वंचित किए जाने का भागी नहीं होगा और न उस संघ या सोसाइटी के अन्य सदस्यों की तुलना में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किसी भी विषय में किसी निर्योग्यता के अधीन या किसी अहितकर स्थिति में रखे जाने का भागी होगा ।

(2) किसी व्यवसाय संघ या सोसाइटी के नियमों में की कोई भी बात, जो विवादों का किसी भी रीति से समझौता करने की अपेक्षा करती है, इस धारा द्वारा सुनिश्चित किए गए अधिकार या छूट को प्रवर्तित कराने के लिए की गई कार्यवाही को लागू नहीं होगी और ऐसी किसी कार्यवाही में सिविल न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे किसी व्यवसाय संघ या सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है, यह आदेश देने के बदले कि उसे फिर से सदस्य बना लिया जाए यह आदेश दे सकेगा कि उस व्यवसाय संघ या सोसाइटी की निधियों में से प्रतिकर या नुकसानी के तौर पर ऐसी राशि दी जाए जिसे वह न्यायालय न्यायसंगत समझे ।

36. पक्षकारों का प्रतिनिधित्व–(1) वह कर्मकार जो विवाद में पक्षकार है इस बात का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व–

(क) उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की, जिसका वह सदस्य है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा,

(ख) व्यवसाय संघों के उस परिसंघ की, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा,

(ग) जहां कि कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है वहां, उस उद्योग से, जिसमें नियोजित है, संसक्त किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा या उस उद्योग में नियोजित ऐसे अन्य कर्मकार द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है, जैसी विहित की जाए,

किया जाए ।

(2) वह नियोजक जो विवाद में पक्षकार है इस बात का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व–

(क) उस नियोजक–संगम के, जिसका वह सदस्य है, किसी अधिकारी द्वारा;

(ख) नियोजक–संगमों के, उस परिसंघ के, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट संगम संबद्ध है, किसी अधिकारी द्वारा;

(c) where the employer is not a member of any association of employers, by an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged and authorised in such manner as may be prescribed.

(3) No party to a dispute shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any conciliation proceedings under this Act or in any proceedings before a Court.

(4) In any proceeding before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal, a party to a dispute may be represented by a legal practitioner with the consent of the other parties to the proceedings and with the leave of the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be.

36-A. Power to remove difficulties .-(1) If, in the opinion of the appropriate Government, any difficulty or doubt arises as to the interpretation of any provision of an award or settlement, it may refer the question to such Labour Court, Tribunal or National Tribunal as it may think fit.

(2) The Labour Court, Tribunal or National Tribunal to which such question is referred shall, after giving the parties an opportunity of being heard, decide such question and its decision shall be final and binding on all such parties.

36-B. Power to exempt .-Where the appropriate Government is satisfied in relation to any industrial establishment or undertaking or any class of industrial establishments or undertakings carried on by a department of that Government that adequate provisions exist for the investigation and settlement of industrial disputes in respect of workmen employed in such establishment or undertaking or class of establishments or undertakings, it may, by notification in the Official Gazette, exempt, conditionally or unconditionally such establishment or undertaking or class of establishments or undertakings from all or any of the provisions of this Act.

37. Protection of action taken under the Act .-No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

38. Power to make rules .-(1) The appropriate Government may, subject to the condition of previous publication, make rules for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the powers and procedure of conciliation officers, Boards, Courts, Labour Courts, Tribunals and National Tribunals including rules as to the summoning of witnesses, the production of documents relevant to the subject-matter of an inquiry or investigation, the number of members necessary to form a quorum and the manner of submission of reports and awards;

(aa) The form of arbitration agreement, the manner in which it may be signed by the parties, the manner in which a notification may be issued under sub-section (3-A) of section 10-A,the powers of the arbitrator named in the arbitration agreement and the procedure to be followed by him;

(aaa) the appointment of assessors in proceedings under this Act;

(b) the constitution and functions of and the filling of vacancies in Works Committees, and the procedure to be followed by such Committees in the discharge

(ग) जहां कि नियोजक किसी नियोजक–संगम का सदस्य नहीं है, वहां, उस उद्योग से, जिसमें वह नियोजक लगा हुआ है संसक्त नियोजक–संगम के ऐसे अधिकारी द्वारा या उसमें लगे हुए ऐसे अन्य नियोजक द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है, जैसी विहति की जाए,

किया जाए ।

(3) विवाद का कोई भी पक्षकार इस बात का हकदार न होगा कि इस अधिनियम के अधीन की सुलह कार्यवाहियों में या न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों में उसका प्रतिनिधित्व किसी विधि–व्यवसायी द्वारा किया जाए ।

(4) विवाद के किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में, कार्यवाही के अन्य पक्षकारों की सम्मति से और, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण की इजाजत से विधि–व्यवसाय द्वारा किया जा सकेगा ।

36क. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.–(1) यदि समुचित सरकार की राय में किसी अधिनिर्णय या समझौते के किसी उपबन्ध के निर्वचन के बारे में कोई कठिनाई या शंका उद्भूत होती है, तो वह उस प्रश्न को उस श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे ।

(2) श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, जिसे ऐसा प्रश्न निर्देशित किया जाता है, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम तथा ऐसे सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

36ख. छूट देने की शक्ति–जहां, समुचित सरकार का किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या उस सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाए गए औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के किसी वर्ग के बारे में यह समाधान हो जाता है कि ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग में नियोजित कर्मकारों की बाबत औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और निपटारे के लिए पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान हैं, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग को शर्त सहित या शर्त के बिना छूट दे सकेगी ।

37. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए परित्राण.–कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

38. नियम बनाने की शक्ति.–(1) समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बिना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) सुलह अधिकारियों, बोर्डों, न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया, जिनके अन्तर्गत साक्षियों को समन करने, जांच या अन्वेषण की विषय–वस्तु से सुसंगत दस्तावेजों को पेश करने, गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य–संख्या और रिपोर्टों तथा अधिनिर्णयों को निवेदित करने की रीति विषयक नियम आते हैं;

(कक) मध्यस्थम् करार का प्ररूप, वह रीति जिससे पक्षकार उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे, वह रीति जिससे धारा 10क की उपधारा (3क) के अधीन अधिसूचना निकाली जा सकेगी, माध्यस्थम् करार में नामित मध्यस्थ की शक्तियां और वह प्रक्रिया जिसका उसके द्वारा अनुसरण किया जाना है;

(ककक) इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों में असेसरों की नियुक्ति;

(ख) कर्म समितियों का गठन उसके कृत्य और उनमें की रिक्तियों का भरा जाना और वह प्रक्रिया

of their duties;

(c) the salaries and allowances and the terms and conditions for appointment of the presiding officers of the Labour Court, Tribunal and the National Tribunal including the allowances admissible to members of Courts, Boards and to assessors and witnesses.

(d) the ministerial establishment which may be allotted to a Court, Board, Labour Court, Tribunal or National Tribunal and the salaries and allowances payable to members of such establishment;

(e) the manner in which and the persons by and to whom notice of strike or lock-out may be given and the manner in which such notices shall be communicated;

(f) the conditions subject to which parties may be represented by legal practitioners in proceedings under this Act before a Court, Labour Court, Tribunal or National Tribunal;

(g) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Rules made under this section may provide that a contravention thereof shall be punishable with fine not exceeding fifty rupees.

(4) All rules made under this section shall, as soon as possible after they are made, be laid before the State Legislature or, where the appropriate Government is the Central Government, before both Houses of Parliament.

(5) Every rule made by the Central Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid both Houses agree in making any modification in the rule, or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

39. Delegation of powers .-The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act or rules made thereunder shall, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercisable also,-

(a) where the appropriate Government is the Central Government, by such officer or authority subordinate to the Central Government or by the State Government, or by such officer or authority subordinate to the State Government, as may be specified in the notification; and

(b) where the appropriate Government is a State Government, by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the notification.

40. Power to amend Schedules .-(1) The appropriate Government may, if it is of opinion that it is expedient or necessary in the public interest so to do, by notification in the Official Gazette, add to the First Schedule, any industry, and on any such notification being issued, the First Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, add to or alter or amend the Second Schedule or the Third Schedule and on any such notification being issued, the Second Schedule or the Third Schedule, as the case may be, shall be deemed to be amended accordingly.

जिसका अनुसरण ऐसी समितियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाना है;

(ग) श्रम न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी नियुक्ति के लिए निर्बंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत न्यायालयों, बोर्डों के सदस्यों और असेसरों तथा साक्षियों को अनुज्ञेय भत्ते भी हैं;

(घ) वह अनुसचिवीय स्थापन जो न्यायालय, बोर्ड, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आबंटित किया जा सकेगा और ऐसे स्थापनों के सदस्य को संदेय संबलम् और भत्ते;

(ङ) वह रीति जिससे और वे व्यक्ति जिनके द्वारा और जिन्हें हड़ताल या तालाबन्दी की सूचना दी जा सकेगी और वह रीति जिससे ऐसी सूचनाएं संसूचित की जाएंगी;

(च) वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए पक्षकारों का प्रतिनिधित्व विधि–व्यवसायियों द्वारा किसी न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों में किया जा सकेगा ;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम यह उपबन्ध कर सकेंगे कि उनका उल्लंघन पचास रुपए से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(4) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान–मंडल के समक्ष, या जहां कि समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है वहां संसद् के दोनों सदनों के समक्ष, रखे जाएंगे ।

(5) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

39. शक्तियों का प्रत्यायोजन.–समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन जिन्हें निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, यथानिम्नलिखित भी प्रयोक्तव्य होगी–

(क) जहां कि समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार हो वहां केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए; तथा

(ख) जहां कि समुचित सरकार राज्य सरकार हो, वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

40. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति.–(1) यदि समुचित सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन या आवश्यक है, तो वह पहली अनुसूची में कोई उद्योग, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जोड़ सकेगी, ऐसी किसी अधिसूचना के निकाले जाने पर, पहली अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में परिवर्धन कर सकेगी; परिवर्तन कर सकेगी या संशोधन कर सकेगी और ऐसी किसी अधिसूचना के निकाले जाने पर, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी ।

(3) Every such notification shall, as soon as possible after it is issued, be laid before the Legislature of the State, if the notification has been issued by a State Government, or before Parliament, if the notification has been issued by the Central Government.

[THE FIRST SCHEDULE]

[See section 2(n)(vi)]

INDUSTRIES WHICH MAY BE DECLARED TO BE PUBLIC UTILITY SERVICES UNDER SUB-CLAUSE (VI) OF CLAUSE (N) OF SECTION 2

1. Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water.
2. Banking.
3. Cement.
4. Coal.
5. Cotton textiles.
6. Food-stuffs.
7. Iron and Steel.
8. Defence establishments.
9. Service in hospitals and dispensaries.
10. Fire Brigade Service.
11. India Government Mints.
12. India Security Press.
13. Copper Mining.
14. Lead Mining.
15. Zinc Mining.
16. Iron Ore Mining.
17. Service in any oilfield.
18. [***]
19. Service in the Uranium Industry.
20. Pyrites Mining Industry.
21. Security Paper Mills, Hoshangabad.
22. Services in the Bank Note Press, Dewas.
23. Phosphorite Mining.
24. Magnesite Mining.
25. Currency Note Press.

(3) हर ऐसी अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, यदि अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा निकाली गई है तो राज्य के विधान–मंडल के समक्ष या यदि अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई है तो संसद् के समक्ष रखी जाएगी ।

पहली अनुसूची

धारा 2(ढ)(vi) देखिए)

वे उद्योग जो धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के अधीन लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किए जा सकेंगे

1. यात्रियों या माल के भूमि या जल मार्ग द्वारा वहन के लिए (रेल से भिन्न) परिवहन ।
2. बैंकाकारी;
3. सीमेन्ट;
4. कोयला;
5. सूती वस्त्र;
6. खाद्य पदार्थ;
7. लोहा और इस्पात;
8. रक्षा स्थापन;
9. अस्पतालों और औषधालयों में सेवा;
10. अग्निशामक सेवा;
11. भारत सरकार की टकसालें;
12. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय;
13. ताम्र खनन;
14. मीसा खनन;
15. जस्ता खनन;
16. लोह अयस्क खनन;
17. किसी तेल क्षेत्र में सेवा;
18. [***]
19. यूरेनियम उद्योग में सेवा;
20. पाइराइटीज खनन;
21. सीक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद;
22. बैंक नोट प्रेस देवास में सेवा;
23. फॉस्फराईट खनन;
24. मॅग्नेसाईट खनन;
25. करेंसी नोट मुद्रणालय (प्रेस);

26. Manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like.

27. Service in the International Airports Authority of India.

28. Industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and Components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy.

29. Processing or Production or distribution of Fuel Gases, (Coal Gas, Natural gas and the like).

30. Manufacturing of Alumina and Aluminium; and

31. Mining of Bauxite.

32. Services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka.

33. Chemical Fertilizer industry.

THE SECOND SCHEDULE

(See section 7)

MATTERS WITHIN THE JURISDICTION OF LABOUR COURTS

1. The propriety or legality of an order passed by an employer under the standing orders;
2. The application and interpretation of standing orders;
3. Discharge or dismissal of workmen including reinstatement of, or grant of relief to, workmen wrongfully dismissed;
4. Withdrawal of any customary concession or privilege;
5. Illegality or otherwise of a strike or lock-out; and
6. All matters other than those specified in the Third Schedule.

THE THIRD SCHEDULE

(See section 7-A)

MATTERS WITHIN THE JURISDICTION OF INDUSTRIAL TRIBUNALS

1. Wages, including the period and mode of payment.
2. Compensatory and other allowances.
3. Hours of work and rest intervals.
4. Leave with wages and holidays.
5. Bonus, profit sharing, provident fund and gratuity;
6. Shift working otherwise than in accordance with standing orders;
7. Classification by grades;
8. Rules of discipline;
9. Rationalisation;

26. कृत्रिम ईंधन, लुब्रीकेटिंग तेल और इसी प्रकार के अन्य तेल सहित खनिज तेल (कच्चा तेल), मोटर और वायुयान, स्पिरिट, डीजल ऑयल, घास तेल, ईंधन ऑयल, विविध हाईड्रोकार्बन तेल और उनके सम्मिश्रण का निर्माण और उत्पादन;
27. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण में सेवा;
28. नाभिकीय ईंधन तथा घटक, भारी जल एवं सम्बद्ध रसायन और अणु शक्ति का निर्माण या उत्पादन करने वाली औद्योगिक संस्थान;
29. ईंधन गैसों का प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और जैसे);
30. अल्युमिना और अल्युमिनियम का विनिर्माण;
31. बॉक्साइट का उत्खनन;
32. दि बैंक नोट पेपर मिल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में सेवा;
33. रसायनिक उर्वरक उद्योग ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 7 देखिए)

श्रम न्यायालयों की अधिकारिता के अन्दर के विषय

1. स्थायी आदेशों के अधीन किसी नियोजक द्वारा पारित आदेश का औचित्य या वैधता;
2. स्थायी आदेशों को लागू करना और उनका निर्वचन;
3. कर्मकारों का उन्मोचन या पदच्युति, जिसके अन्तर्गत दोषतः पदच्युत कर्मकारों का पुनःस्थापन या उन्हें अनुतोष का अनुदान आता है;
4. किसी रूढ़िजन्य रियायत या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण;
5. किसी हड़ताल या तालाबंदी का अवैध होना या न होना; तथा
6. तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न सभी विषय ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 7क देखिए)

औद्योगिक अधिकरणों की अधिकारिता के अन्दर के विषय

1. मजदूरी, जिसके अन्तर्गत संदाय की कालावधि और ढंग आता है;
2. प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते;
3. काम के घंटे और विश्राम–अन्तराल;
4. मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश दिन;
5. बोनस, लाभों का अंश बांटना, भविष्य–निधि और उपदान;
6. स्थायी आदेशों के अनुसार किए जाने से अन्यथा पारी में काम किया जाना;
7. श्रेणियों में वर्गीकरण;
8. अनुशासन के नियम;
9. सुव्यवस्थीकरण;

10. Retrenchment of workmen and closure of establishment; and
11. Any other matter that may be prescribed.

THE FOURTH SCHEDULE

(See section 9-A)

CONDITIONS OF SERVICE FOR CHANGE OF WHICH NOTICE IS TO BE GIVEN

1. Wages, including the period and mode of payment;
2. Contribution paid, or payable, by the employer to any provident fund or pension fund or for the benefit of the workmen under any law for the time being in force;
3. Compensatory and other allowances;
4. Hours of work and rest intervals;
5. Leave with wages and holidays;
6. Starting, alteration or discontinuance of shift working otherwise than in accordance with standing orders;
7. Classification by grades;
8. Withdrawal of any customary concession or privilege or change in usage;
9. Introduction of new rules of discipline, or alteration of existing rules, except insofar as they are provided in standing orders;
10. Rationalisation, standardisation or improvement of plant of technique which is likely to lead to retrenchment of workmen;
11. Any increases or reduction (other than casual) in the number of persons employed or to be employed in any occupation or process or department or shift, not of occasioned by circumstances over which the employer has no control.

THE FIFTH SCHEDULE

[See section 2(ra)]

UNFAIR LABOUR PRACTICES

I.—On the part of employers and trade unions of employers

1. To interfere with, restrain from, or coerce, workmen in the exercise of their right to organise, form, join or assist a trade union or to engage in concerted activities for the purposes of collective bargaining or other mutual aid or protection, that is to say:—

(a) threatening workmen with discharge or dismissal, if they join a trade union;

(b) threatening a lock-out or closure, if a trade union is organised;

(c) granting wage increase to workmen at crucial periods of trade union organisation, with a view to undermining the efforts of the trade union organisation.

2. To dominate, interfere with or contribute support, financial or otherwise, to any trade union, that is to say:—

(a) an employer taking an active interest in organising a trade union of his workmen; and

(b) an employer showing partiality or granting favour to one of several trade unions attempting to organise his workmen or to its members, where such a trade union is not a recognised trade union.

10. कर्मकारों की छंटनी और स्थापन का बन्द होना; तथा
11. कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

चौथी अनुसूची
(धारा 9क देखिए)
सेवा की वे शर्तें जिन्हें बदलने के लिए सूचना दी जानी है

1. मजदूरी, जिसके अन्तर्गत संदाय की कालावधि और ढंग आता है;
2. किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी भविष्य–निधि या पेंशन–निधि में या कर्मकारों के फायदे के लिए नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय अभिदाय;
3. प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते;
4. काम के घंटे और विश्राम–अन्तराल;
5. मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश दिन;
6. स्थायी आदेशों के अनुसार किए जाने से अन्यथा पारी में काम आरम्भ किया जाना, उसमें परिवर्तन या उसका बन्द किया जाना;
7. श्रेणियों में वर्गीकरण;
8. किसी रूढ़िक रियायत या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण या प्रथा में तब्दीली;
9. वहां तक के सिवाय जहां तक कि वे स्थायी आदेशों में उपबन्धित किए गए हैं, अनुशासन के नए नियम प्रवृत्त करना या विद्यमान नियमों में परिवर्तन करना;
10. संयंत्र या तकनीक का ऐसा सुव्यवस्थीकरण, मानकीकरण या सुधारक जिससे कर्मकारों की छंटनी संभाव्य हो;
11. किसी उपजीविका या प्रक्रिया या विभाग या पारी में नियोजित किए गए या किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में (आकस्मिक से भिन्न) कोई ऐसी वृद्धि या कमी करना, जो ऐसी परिस्थितियों के कारण न हुई हों, जिन पर नियोजक का कोई नियंत्रण नहीं है ।

पांचवीं अनुसूची
(धारा 2 (दक) देखिए)
अनुचित श्रम व्यवहार
I – नियोजकों और नियोजकों के व्यवसाय संघों की ओर से

1. कोई व्यवसाय संघ संगठित करने, बनाने, उसमें सम्मिलित होने या उसकी सहायता करने अथवा सामूहिक रूप से सौदा करने या अन्य पारस्परिक सहायता या सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए मिलकर क्रियाकलाप करने के कर्मकारों के अधिकारों का उनके द्वारा प्रयोग किए जाने में हस्तक्षेप करना, उन्हें अवरुद्ध करना या उन पर दबाव डालना, अर्थात् :–

(क) यदि कर्मकार किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होंगे तो उन्हें सेवोन्मुक्त या पदच्युत करने की धमकी देना;

(ख) यदि व्यवसाय संघ संगठित किया जाएगा तो तालाबन्दी या कामबन्दी की धमकी देना;

(ग) व्यवसाय संघ के संगठनात्मक प्रयासों को निष्फल करने की दृष्टि से व्यवसाय संघ संगठन के संकटमय समयों पर मजदूरी वृद्धि मंजूर करना ।

2. किसी व्यवसाय संघ पर प्रभुत्व जमाना, ऐसे किसी व्यवसाय संघ में हस्तक्षेप करना या उसे वित्तीय या अन्यथा, सहायता देना, अर्थात् :–

(क) नियोजक द्वारा अपने कर्मकारों का व्यवसाय संघ संगठित करने में सक्रिय दिलचस्पी लेना, और

(ख) जहां कोई व्यवसाय संघ, मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघ नहीं है वहां अपने कर्मकारों या उनके सदस्यों के संगठित करने का प्रयास करने वाले अनेक व्यवसाय संघों में से किसी एक के प्रति नियोजक द्वारा पक्षपात दर्शित करना या उनका पक्ष लेना।

3. To establish employer sponsored trade unions of workmen.

4. To encourage or discourage membership in any trade union by discriminating against any workman, that is to say:—

(a) discharging or punishing a workman, because he urged other workmen to join or organise a trade union;

(b) discharging or dismissing a workman for taking part in any strike (not being as trike which is deemed to be an illegal strike under this Act);

(c) changing seniority rating of workmen because of trade union activities;

(d) refusing to promote workmen to higher posts on account of their trade union activities;

(e) giving unmerited promotions to certain workmen with a view to creating discord amongst other workmen, or to undermine the strength of their trade union;

(f) discharging office-bearers or active members of the trade union on account of their trade union activities

5. To discharge or dismiss workmen—

(a) by way of victimisation;

(b) not in good faith, but in the colourable exercise of the employer's rights;

(c) by falsely implicating a workman in a criminal case on false evidence or on concocted evidence;

(d) for patently false reasons;

(e) on untrue or trumped up allegation of absence without leave;

(f) in utter disregard of the principles of natural justice in the conduct of domestic enquiry or with undue haste;

(g) for misconduct of a minor or technical character, without having any regard to the nature of the particular misconduct or the past record or service of the workman, thereby leading to a disproportionate punishment.

6. To abolish the work of a regular nature being done by workmen, and to give such work to contractors as a measure of breaking a strike.

7. To transfer a workman mala fide from one place to another, under the guise of following management policy.

8. To insist upon individual workmen, who are on a legal strike to sign a good conduct bond, as a pre-condition to allowing them to resume work.

9. To show favouritism or partiality to one set of workers regardless of merit.

10. To employ workmen as "badlis", casuals or temporaries and to continue them as such for years, with the object of depriving them of the status and privileges of permanent workmen.

3. कर्मकारों के ऐसे व्यवसाय संघों को स्थापित करना जो नियोजक द्वारा प्रायोजित हों ।

4. कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता को किसी कर्मकार के प्रति भेदभाव करके प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना, अर्थात् :–

(क) किसी कर्मकार को इस कारण सेवोन्मुक्त या दण्डित करना कि उसने अन्य कर्मकारों को किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने या उसे संगठित करने के लिए प्रेरित किया था;

(ख) किसी कर्मकार को, किसी हड़ताल (ऐसी हड़ताल न हो जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हड़ताल समझी जाती है) में शामिल होने के कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत करना;

(ग) किसी कर्मकार की ज्येष्ठता को उसके व्यवसाय संघ से संबंधित क्रियाकलापों के कारण परिवर्तित करना;

(घ) किसी कर्मकार को उसके व्यवसाय संघ संबंधी क्रियाकलापों के कारण उच्च पद पर प्रोन्नत करने से इंकार करना;

(ङ) कुछ कर्मकारों को योग्यता के बिना इस दृष्टि से प्रोन्नति देना कि अन्य कर्मकारों के बीच वैमनस्य पैदा हो या उनके व्यवसाय संघ की ताकत घटे;

(च) व्यवसाय संघों के पदाधिकारियों या सक्रिय सदस्यों को उनके व्यवसाय संघ संबंधी क्रियाकलापों के कारण सेवोन्मुक्त करना।

5. कर्मकारों को–

(क) दण्डित किए जाने की दृष्टि से;

(ख) सद्भाव के बिना, किन्तु नियोजक के अधिकारों का आभासी प्रयोग करके;

(ग) किसी कर्मकार को किसी आपराधिक मामले में मिथ्या साक्ष्य पर या गढ़े हुए साक्ष्य पर मिथ्या आलिप्त करके;

(घ) स्पष्टतया मिथ्या कारणों से;

(ङ) इजाजत के बिना अनुपस्थिति के लिए असत्य या गढ़े हुए अभिकथनों पर;

(च) आंतरिक जांच के संचालन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्णतः अवहेलना करके या असम्यक् जल्दबाजी करके;

(छ) मामूली या तकनीकी प्रकृति के अवचार के कारण और उस विशेष अवचार की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना या कर्मकार के पिछले अभिलेख या सेवा पर ध्यान दिए बिना जिससे कि अवचार के मुकाबले दण्ड अधिक हो जाए, सेवोन्मुक्त या पदच्युत करना।

6. कर्मकारों द्वारा किए जा रहे नियमित प्रकृति के कार्य को समाप्त करने के लिए और ऐसे कार्य को ठेकेदारों को देने के लिए जो हड़ताल तोड़ने के लिए हों।

7. किसी कर्मकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सद्भाव के बिना, प्रबन्ध की नीति अनुसरण करने के बहाने से, स्थानान्तरण करना।

8. ऐसे कर्मकारों पर, जो वैध हड़ताल कर रहे हैं, पुनः काम करने की अनुज्ञा देने के पूर्व शर्त के रूप में अच्छे आचरण के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर डालना।

9. योग्यता का ध्यान रखे बिना कर्मकार को किसी एक समूह के लिए पक्ष लेना या उनके लिए पक्षपात करना।

10. स्थायी कर्मकारों की हैसियत और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से कर्मकारों को "बदली", आकस्मिक या अस्थायी रूप में नियोजित करना और उन्हें उस रूप में वर्षों तक चलते रहने देना।

11. To discharge or discriminate against any workman for filing charges or testifying against an employer in any enquiry or proceeding relating to any industrial dispute.

12. To recruit workmen during a strike which is not an illegal strike.

13. Failure to implement award, settlement or agreement.

14. To indulge in acts of force or violence.

15. To refuse to bargain collectively, in good faith with the recognised trade unions.

16. Proposing or continuing a lock-out deemed to be illegal under this Act.

II.—On the part of workmen and trade unions of workmen

1. To advise or actively support or instigate any strike deemed to be illegal under this Act.

2. To coerce workmen in the exercise of their right to self-organisation or to join a trade union or refrain from joining any trade union, that is to say:—

(a) for a trade union or its members to picketing in such a manner that non-striking workmen are physically debarred from entering the work place;

(b) to indulge in acts of force or violence or to hold out threats of intimidation in connection with a strike against non-striking workmen or against managerial staff.

3. For a recognised union to refuse to bargain collectively in good faith with the employer.

4. To indulge in coercive activities against certification of a bargaining representative.

5. To stage, encourage or instigate such forms of corrective actions as willful "go slow", squatting on the work premises after working hours or "gherao" of any of the members of the managerial or other staff.

6. To stage demonstrations at the residence of the employers or the managerial staff members.

7. To incite or indulge in willful damage to employer's property connected with the industry.

8. To indulge in acts of force or violence or to hold out threats of intimidation against any workman with a view to prevent him from attending work.

---

11. किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी जांच या कार्यवाही में नियोजक के विरुद्ध आरोप फाइल करने या साक्ष्य देने के लिए किसी कर्मकार को सेवोन्मुक्त या उसके विरुद्ध भेदभाव करना।
12. ऐसी हड़ताल के दौरान, जो अवैध हड़ताल नहीं हैं, कर्मकारों को भर्ती करना।
13. अधिनिर्णय, समझौता या करार को कार्यान्वित करने में असफलता।
14. बल प्रयोग या हिंसा के कार्यों में शामिल होना ।
15. मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघों के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदा करने से इन्कार करना ।
16. ऐसी तालाबन्दी के लिए प्रस्ताव करना या उसे चालू रहने देना जो इस अधिनियम के अधीन अवैध समझा जाएगा।

II– कर्मकारों और कर्मकारों के व्यवसाय संघों की ओर से

1. इस अधिनियम के अधीन अवैध समझी जाने वाली हड़ताल के लिए सलाह देना या सक्रिय रूप से इसके लिए समर्थन करना या दुष्प्रेरित करना।
2. कर्मकारों के स्वयं–संगठन के अधिकार के प्रयोग पर दबाव डालना या व्यवसाय संघ में सम्मिलित होना या किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने से प्रविरत रहना, अर्थात् :–

(क) किसी व्यवसाय संघ या उसके सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से धरना देना जिसके फलस्वरूप हड़ताल न करने वाले कर्मकार अपने कार्य स्थानों में प्रवेश करने से शारीरिक रूप से वंचित रहें;

(ख) हड़ताल न करने वाले कर्मकारों या प्रबन्धकीय कर्मचारिवृन्द के विरुद्ध बल प्रयोग या हिंसा कार्यों में शामिल होना या हड़ताल के संबंध में अभित्रास की धमकियां देना ।

3. मान्यता प्राप्त संघ द्वारा नियोजक के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदा करने से इन्कार करना ।
4. सौदा प्रतिनिधि प्रमाणन के विरुद्ध दबाव डालने वाले क्रियाकलापों में शामिल होना।
5. दबाव डालने वाले ऐसे कार्य, जैसे कि जानबूझकर "धीमी गति" काम के घंटों के पश्चात् काम के परिसर पर लेट जाना या प्रबंधकीय सदस्यों में से किसी एक का या अन्य कर्मचारिवृन्द का "घेराव" करना, प्रदर्शित, प्रोत्साहित या दुष्प्रेरित करना।
6. नियोजकों या प्रबंधकीय कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के निवास–स्थानों पर प्रदर्शन करना।
7. उद्योग से संबंधित नियोजक की सम्पत्ति को नष्ट करने के लिए उदीप्त करना या जानबूझकर शामिल होना ।
8. किसी कर्मकार के विरुद्ध उसे काम पर जाने से प्रविरत करने की दृष्टि से बल या हिंसा के कार्यों में शामिल होना या अभित्रास की धमकियां देना।

THE FACTORIES ACT, 1948

(ACT NO. 63 OF 1948)

[23rd September, 1948.]

(All amendments have been duly incorporated at their respective places and are not separately indicated.)

An Act to consolidate and amend the law regulating labour in factories.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law regulating labour in factories;

It is hereby enacted as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement. - (1) This Act may be called the Factories Act, 1948.

(2) It extends to the whole of India

(3) It shall come into force on the 1st day of April, 1949

2. Interpretation.-In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "adult" means a person who has completed his eighteenth year of age;

(b) "adolescent" means a person, who has completed his fifteenth year of age but has not completed his eighteenth year;

(bb) "calendar year" means the period of twelve months beginning with the first day of January in any year;

(c) "child" means a person who has not completed his fifteenth year of age;

(ca) "competent person", in relation to any provision of this Act, means a person or an institution recognised as such by the Chief Inspector for the purposes of carrying out tests, examinations and inspections required to be done in a factory under the provisions of this Act having regard to-

(i) the qualifications and experience of the person and facilities available at his disposal, or

(ii) the qualifications and experience of the persons employed in such institution and facilities available therein,

with regard to the conduct of such tests, examinations and inspections, and more than one person or institution can be recognised as a competent person in relation to a factory;

(cb) "hazardous process" means any process or activity in relation to an industry specified in the 'First Schedule where, unless special care is taken, raw materials used therein or the intermediate or finished products, bye-products, wastes or effluents thereof would-

(i) cause material impairment to the health of the persons engaged in or con nected therewith, or.

(ii) result in the pollution of the general environment:

कारखाना अधिनियम, 1948

(1948 का अधिनियम संख्यांक 63)

(23 सितम्बर, 1948)

(सभी संशोधनों को उनके संबंधित स्थानों पर विधिवत सम्मिलित किया गया है और उन्हें अलग से प्रदर्शित नहीं किया गया है।)

कारखानों में श्रम को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

कारखाने में श्रम को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करना समीचीन है;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.–(1) यह अधिनियम कारखाना अधिनियम, 1948 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह 1949 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

2. निर्वचन–इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,–

(क) "वयस्थ" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का अठारहवां वर्ष पूरा कर लिया है;

(ख) "कुमार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का पन्द्रहवां वर्ष पूरा कर लिया है किन्तु अपना अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;

(खख) "कलेण्डर वर्ष" से किसी वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन से आरम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि अभिप्रेत है;

(ग) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का पन्द्रहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;

(गक) इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में, "सक्षम व्यक्ति" से वह व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जिसे मुख्य निरीक्षक ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी कारखाने में करने के लिए अपेक्षित परीक्षण, परीक्षाएं, और निरीक्षण करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे परीक्षणों, परीक्षाओं और निरीक्षणों के किए जाने की बाबत निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, उस रूप में मान्यता दी गई है, अर्थात् :–

(i) व्यक्ति की अर्हताएं तथा अनुभव और उसे उपलब्ध सुविधाएं; या

(ii) ऐसी संस्था में नियोजित व्यक्तियों की अर्हताएं तथा अनुभव और उसमें उपलब्ध सुविधाएं,

और किसी कारखाने के संबंध में एक से अधिक व्यक्ति या संस्था को सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जा सकती है;

(गख) "परिसंकटमय प्रक्रिया" से, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे उद्योग के संबंध में, कोई ऐसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जहां, जब तक विशेष सावधानी नहीं बरती जाती, वहां उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री या उसके मध्यवर्ती या परिसाधित उत्पाद, उपोत्पाद, उनके अपशिष्ट या बहिःस्रावव–

(i) से उस उद्योग में लगे हुए या उससे संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य का तात्त्विक ह्रास होगा, या

(ii) के परिणामस्वरूप साधारण पर्यावरण का प्रदूषण होगा :

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, amend the First Schedule by way of addition, omission or variation of any industry specified in the said Schedule;

(d) "young person" means a person, who is either a child or an adolescent;

(e) "day" means a period of twenty-four hours beginning at midnight;

(f) "week" means a period of seven days beginning at midnight on Saturday night or such other night as may be approved in writing for a particular area by the Chief Inspector of Factories;

(g) "power" means electrical energy, or any other form of energy, which is mechanically transmitted and is not generated, by human or animal agency;

(h) "prime-mover" means any engine, motor or other appliance, which generates or otherwise provides power;

(i) "transmission machinery" means any shift, wheel, drum, pulley, system of pulleys, coupling, clutch, driving belt or other appliance or device by which the motion of a prime-mover is transmitted to or received by any machinery or appliance;

(j) "machinery" includes prime-movers, transmission machinery and all other appliances, whereby power is generated, transformed, transmitted or applied;

(k) "manufacturing process" means any process for-

(i) making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing or otherwise treating or adopting any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery or disposal; or

(ii) pumping oil, water, sewage, or any other substance; or

(iii) generating, transforming or transmitting power; or

(iv) composing types for printing, printing by letter press, lithography, photogravure or other similar process or book-binding; or

(v) constructing, reconstructing,, repairing, refitting, finishing or breaking up ships or vessels; or

(vi) preserving or storing any article in cold storage ;

(l) "worker" means a person employed directly or by or through any agency (including a contractor) with or without the knowledge of the principal employer whether for remuneration or not in any manufacturing process, or in cleaning any part of the machinery or premises used for a manufacturing process, or in any other kind of work incidental to, or connected with the manufacturing process, or the subject of the manufacturing process but does not include any member of the armed forces of the Union;

(m) "factory" means any premises including the precincts thereof-

(i) whereon ten or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची का उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में परिवर्धन, लोप या परिवर्तन के रूप में संशोधन कर सकेंगी;

(घ) "अल्पवय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या तो बालक है या कुमार है;

(ङ) "दिन" से अर्धरात्रि से आरम्भ होने वाली चौबीस घन्टे की कालावधि अभिप्रेत है;

(च) "सप्ताह" से शनिवार की रात्रि को या ऐसी अन्य रात्रि को, जो कारखानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखकर अनुमोदित की जाए, मध्यरात्रि से आरम्भ होने वाली सात दिन की कालावधि अभिप्रेत है;

(छ) "शक्ति" से वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई अन्य रूप, अभिप्रेत है जिसका संचार यंत्र द्वारा किया जाता है और जिसका उत्पादन मानव या पशु द्वारा नहीं किया जाता है;

(ज) "मूलगति उत्पादक" से कोई इंजन, मोटर या अन्य साधित्र अभिप्रेत है जो शक्ति उत्पादन या अन्यथा प्रदान करता है;

(झ) "संचारण मशीनरी" से अभिप्रेत है कोई शैफ्ट, चक्र, ड्रम, घिरनी, घिरनी–तंत्र, युग्मन, क्लच, चालन–पट्टी या अन्य साधित्र या युक्ति जिससे मूलगति उत्पादक की गति किसी मशीनरी या साधित्र को संचारित होती है या उसके द्वारा प्राप्त की जाती है;

(ञ) "मशीनरी" से अभिप्रेत है मूल गति उत्पादक संचारण मशीनरी और अन्य सब साधित्र जिनसे शक्ति उत्पादित, रूपान्तरित या उपयोजित की जाती है;

(ट) "विनिर्माण प्रक्रिया" से अभिप्रेत है–

  (i) किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान, या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग स्नेहन, धुलाई, सफाई,विघटन, उन्मूलन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनुकूलन करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

  (ii) तेल, जल, मल या कोई अन्य पदार्थ उद्वहित करने के लिए कोई प्रक्रिया; या

  (iii) शक्ति का उत्पादन, रूपान्तरण या संचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया; या

  (iv) मुद्रण के लिए टाइप कम्पोज करने, लैटर–प्रैस, अश्म–मुद्रण, प्रकाशोत्कीर्ण या अन्य वैसी ही प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या जिल्द–बन्दी करने के लिए कोई प्रक्रिया, (या)

  (v) पोतों या जलयानों को सन्निर्मित करने, पुनः सन्निर्मित करने, मरम्मत करने, पुनः फिट करने, परिष्कृत करने या विघटित करने के लिए कोई प्रक्रिया; (या)

  (vi) शीतागार में किसी वस्तु के परिरक्षण या भंडारकरण के लिए कोई प्रक्रिया;

(ठ) "कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में, या मशीनरी अथवा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर के किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषय–वस्तु के प्रासंगिक या उससे सम्बन्धित किसी अन्य प्रकार के काम में मुख्य नियोजक की जानकारी में या उसके बिना चाहे सीधे या किसी अभिकरण (जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी है) द्वारा या उसकी मार्फत और चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित हो, किन्तु संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य इसके अन्तर्गत नहीं है;

(ड) "कारखाना" से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें–

  (i) दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर

process is being carried on with the aid of power, or is ordinarily so carried on, or

(ii) whereon twenty or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power, or is ordinarily so carried on,-

but does not include a mine subject to the operation of the Mines Act, 1952 (XXXV of 1952) or a mobile unit belonging to the armed forces of the Union, a railway running shed or a hotel, restaurant or eating place;

Explanation I.---For computing the number of workers for the purposes of this clause all the workers in different groups and relays in a day shall be taken into account;

Explanation II.---For the purposes of this clause, the mere fact that an Electronic Data Processing Unit or a Computer Unit is installed in any premises or part thereof, shall not be construed to make it a factory if no manufacturing process is being carried on in such premises or part thereof;

(n) "occupier" of a factory means the person, who has ultimate control over the affairs of the factory,

Provided that-

(i) in the case of a firm or other association of individuals, any one of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the occupier;

(ii) in the case of a company, any one of the directors, shall be deemed to be the occupier:

(iii) in the case of a factory owned or controlled by the Central Government or any State Government, or any local authority, the person or persons appointed to manage the affairs of the factory by the Central Government, the State Government or the local authority, as the case may be, shall be deemed to be the occupier :

Provided further that in the case of a ship which is being repaired, or on which maintenance work is being carried out, in a dry dock which is available for hire,

(1) the owner of the dock shall be deemed to be the occupier for the purposes of any matter provided for by or under-

(a) section 6, section 7, section 7A, section 7B, section 11 or section 12;

(b) section 17, in so far as it relates to the providing and maintenance of sufficient and suitable lighting in or around the dock;

(c) section 18, section 19, section 42, section 46, section 47 or section 49, in relation to the workers employed on such repair or maintenance;

(2) the owner of the ship or his agent or master or other officer-in-charge of the ship or any person who contracts with such owner, agent or master or other officer-in-charge to carry out the repair or maintenance work shall be deemed to be the occupier for the purposes of any matter provided for by or under section 13, section 14, section 16 or section 17 (save as other

रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है, या आमतौर से इस तरह की जाती है, या

(ii) बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है, या आमतौर से ऐसे की जाती है,

किन्तु कोई खान, जो खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के प्रवर्तन के अध्यधीन है, या (संघ के सशस्त्र बल की चलती–फिरती यूनिट, रेलवे रनिंग शेड या होटल, उपाहारगृह या भोजनालय) इसके अन्तर्गत नहीं हैं;

स्पष्टीकरण1.–(1)–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए कर्मकारों की संख्या की संगणना करने के लिए दिन की विभिन्न समूहों और टोलियों के सभी कर्मकारों को गिना जाएगा ।

(स्पष्टीकरण 2.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केवल इस तथ्य का कि किसी परिसर या उसके भाग में कोई इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन यूनिट या कोई संगणक यूनिट संस्थापित की गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह कारखाना हो गया यदि ऐसे परिसर या उसके भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही है ।

(ढ) कारखाने के "अधिष्ठाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कारखाने के कामकाज पर अन्तिम नियंत्रण प्राप्त है

परन्तु–

(i) किसी फर्म या अन्य व्यष्टि–संगम की दशा में, उसका कोई एक व्यष्टिक भागीदार या सदस्य अधिष्ठाता समझा जाएगा :

(ii) किसी कम्पनी की दशा में, निदेशकों में से कोई एक अधिष्ठाता समझा जाएगा;

(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कारखाने की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कारखाने के कामकाज के प्रबंध के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिष्ठाता समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी पोत की दशा में जिसकी मरम्मत या जिस पर अनुरक्षण–कार्य ऐसे सूखे डॉक में किया जा रहा है जो भाड़े पर उपलभ्य है–

(1) डॉक का स्वामी निम्नलिखित धाराओं द्वारा या उनके अधीन उपबन्धित किसी विषय के प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता समझा जाएगा–

(क) धारा 6, धारा 7, धारा 7क, धारा 7ख, धारा 11 और धारा 12;

(ख) धारा 17, जहां तक वह डॉक के चारों ओर पर्याप्त और यथोचित प्रकाश की व्यवस्था करने और उसके अनुरक्षण से संबंधित है;

(ग) धारा 18, धारा 19, धारा 42, धारा 46, धारा 47 या धारा 49, जहां तक वे ऐसी मरम्मत और अनुरक्षण की बाबत नियोजित कर्मकारों से सम्बन्धित हैं;

(2) पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता अथवा पोत का मास्टर या अन्य भारसाधक अधिकारी अथवा कोई व्यक्ति, जो मरम्मत या अनुरक्षण कार्य करने के लिए, ऐसे स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर या अन्य भारसाधक अधिकारी से संविदा करता है धारा 13, धारा 14, धारा 16 या धारा 17 (जैसा इस परन्तुक में अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय) या अध्याय 4 (धारा 27 को छोड़कर) या धारा 43, धारा 44, या धारा 45, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 या

wise provided in this proviso) or Chapter IV (except section 27) or section 43, section 44 or section 45, Chapter VI, Chapter VII, Chapter VIII or Chapter IX or section 108, section 109 or section 110, in relation to-

(a) the workers employed directly by him or by or through any agency; and

(b) the machinery, plant or premises in use for the purpose of carrying out such repair or maintenance work by such owner, agent, master or other officer-in-charge or person ;

(p) "prescribed" means prescribed by rules made by the State Government under this Act;

(q) [***];

(r) where work of the same kind is carried out by two or more sets of workers working during different periods of the day, each of such sets is called a "group" or "relay"and each of such periods is called a "shift".

3. Reference to time of day.-In this Act references to time of day are references to Indian Standard Time being five and a half hours, ahead of Greenwich Mean Time:

Provided that for any area in which Indian Standard Time is not ordinarily observed the State Government may make rules-

(a) specifying the area,

(b) defining the local mean time ordinarily observed therein, and

(c) permitting such time to be observed in all or any of the factories situated in the area.

4. Power to declare different departments to be separate factories or two or more factories to be a single factory.-The State Government may, on its own or on an application made in this behalf by an occupier, direct by an order in writing and subject to such conditions as it may deem fit, that for all or any of the purposes of this Act different departments or branches of a factory of the occupier specified in the application shall be treated as separate factories or that two or more factories of the occupier specified in the application shall be treated as a single factory.

Provided that no order under this section shall be made by the State Government on its own motion unless an opportunity of being heard is given to the occupier.

5. Power to exempt during public emergency.-In any case of a public emergency the State Government may, by notification in the Official Gazette, exempt any factory or class or description of factories from all or any of the provisions of this Act except section 67 for such period and subject to such conditions as it may think fit:

Provided that no such notification shall be made for a period exceeding three months at a time.

Explanation.- For the purposes of this section 'public emergency' means a grave emergency whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance.

6. Approval, licensing and registration of factories.—(1) The State Government may make rules-

अध्याय 9 या धारा 108, धारा 109 या धारा 110 द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित किसी विषय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) उसके द्वारा सीधे या किसी अभिकरण द्वारा या उसकी मार्फत नियोजित कर्मकार; और

(ख) ऐसे स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर या अन्य भारसाधक अधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसी मरम्मत या ऐसा अनुरक्षण—कार्य करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मशीन संयंत्र या परिसर,

के सम्बन्ध में अधिष्ठाता समझा जाएगा

(त) "विहित" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(थ) [***];

(द) जहां एक ही किस्म का काम दिन की विभिन्न कालावधियों के दौरान काम करने वाले कर्मकारों के दो या अधिक संवर्गों द्वारा किया जाता है वहां ऐसे संवर्गों में से हर एक संवर्ग समूह या टोली कहलाता है और ऐसी कालावधियों में से हर एक कालावधि "पारी" कहलाती है।

3. दिन के समय के निर्देश—इस अधिनियम में दिन के समय के निर्देश भारतीय मानक समय के प्रतिनिर्देश हैं, जो ग्रीनविच माध्य—समय से साढ़े पांच घंटे आगे है :

परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें मामूली तौर पर भारतीय मानक समय का अनुपालन नहीं किया जाता राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जिनमें—

(क) ऐसा क्षेत्र विनिर्दिष्ट होगा;

(ख) वह स्थानीय माध्य—समय परिभाषित होगा जिसका वहां मामूली तौर से अनुपालन किया जाता है; और

(ग) उस क्षेत्र में स्थित सब या किन्हीं कारखानों में ऐसे समय का अनुपालन करने के लिए अनुज्ञा होगी ।

4. विभिन्न विभागों की पृथक्—पृथक् कारखाने या दो या अधिक कारखानों को एक कारखाना घोषित करने की शक्ति.—राज्य सरकार स्वयं या अधिष्ठाता द्वारा उस निमित्त आवेदन करने पर, लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सब या किसी प्रयोजन के लिए अधिष्ठाता के कारखाने के विभिन्न विभागों या शाखाओं को जो आवेदन में विनिर्दिष्ट हों, पृथक्—पृथक् कारखाने माना जाएगा या अधिष्ठाता के दो या अधिक कारखानों को, जो आवेदन में विनिर्दिष्ट हों, एक कारखाना माना जाएगा :

परंतु राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन स्वप्रेरणा से कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अधिष्ठाता को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

5. लोक आपात के दौरान छूट देने की शक्ति—लोक आपात की किसी दशा में, राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को ऐसी कालावधि और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी वह ठीक समझे, इस अधिनियम के उपबन्धों में से, धारा 67 के सिवाय, सब या किसी से छूट दे सकेगी :

परन्तु ऐसी कोई भी अधिसूचना एक समय पर तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "लोक आपात" से ऐसा गम्भीर आपात अभिप्रेत है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यांतरिक अशांति से भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है ।

6. कारखानों का अनुमोदन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण.—(1) राज्य सरकार—

(a) requiring for the purposes of this Act, the submission of plans of any class or description of factories to the Chief Inspector or the State Government ;

(aa) requiring the previous permission in writing of the State Government or the Chief Inspector to be obtained for the site on which the factory is to be situated and for the construction or extension of any factory or class or description of factories;

(b) requiring for the purpose of considering applications for such permission the submission of plans and specifications;

(c) prescribing the nature of such plans and specifications and by whom they shall be certified;

(d) requiring the registration and licensing of factories, or any class or description of factories, and prescribing the fees payable for such registration and licensing and for the renewal of licences;

(e) requiring that no licence shall be granted or renewed unless the notice specified in section 7 has been given.

(2) If on an application for permission referred to in clause (aa) of sub-section (1) accompanied by the plans and specifications required by the rules made under clause (b) of that sub-section, sent to the State Government or Chief Inspector by registered post, no order is communicated to the applicant within three months from the date on which it is so sent, the permission applied for in the said application shall be deemed to have been granted.

(3) Where a State Government or a Chief Inspector refuses to grant permission to the site, construction or extension of a factory or to the registration and licensing of a factory, the applicant may within thirty days from the date of such refusal, appeal to the Central Government if the decision appealed for was of the State Government, and to the State Government in any other case.

***Explanation.*—**A factory shall not be deemed to be extended within the meaning of this section by reason only of the replacement of any plant or machinery, or within such limits as may be prescribed, of the addition of any plant or machinery. If such replacement or addition does not reduce the minimum clear space required for safe working around the plant or machinery or adversely affect the environment conditions from the evolution or emission of steam, heat or dust or fumes which are injurious to health.

7. Notice by occupier.— (1) The occupier shall, at least fifteen days before he begins to occupy or, use any premises as a factory, send to the Chief Inspector a written notice containing—

(a) the name and situation of the factory;

(b) the name and address of the occupier;

(bb) thc name and address of the owner of the premises or building (including the precincts thereof) referred to in section 93;

(c) the address io which communication relating to the factory may be sent;

(d) the nature of the manufacturing process—

(क) मुख्य निरीक्षक या राज्य सरकार को किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के रेखांक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने वाले;

(कक) उस स्थल के लिए, जिस पर कारखाना बनाया जाना है और किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने के सन्निर्माण या विस्तार के लिए, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की अपेक्षा करने वाले;

(ख) ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए, रेखांक और विनिर्दिष्टियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने वाले;

(ग) ऐसे रेखांकों और विनिर्दिष्टियों के रूप और यह कि वे किसके द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे विहित करने वाले;

(घ) कारखानों या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन की अपेक्षा करने वाले और ऐसे रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन के लिए तथा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिए, संदेय फीसें विहित करने वाले;

(ङ) यह अपेक्षा करने वाले की जब तक धारा 7 में विनिर्दिष्ट सूचना न दे दी जाए तब तक कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त या नवीकृत नहीं की जाएगी,

नियम बना सकेगी ।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (कक) में निर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन, उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रेखांकों और विनिर्दिष्टियों के सहित, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजने पर, उसे भेजने की तारीख से तीन मास के अन्दर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि उक्त आवेदन में जिस अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है वह अनुदत्त कर दी गई है ।

(3) जहां राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने के स्थल, सन्निर्माण या विस्तार के लिए अथवा किसी कारखाने के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करने से इन्कार करता है वहां आवेदक ऐसे इन्कार की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपील, उस दशा में जिसमें वह विनिश्चय जिसकी अपील की जाती है राज्य सरकार का था, केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य दशा में राज्य सरकार को कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण.—यदि कोई संयंत्र या मशीनरी प्रतिस्थापित करने से अथवा ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, कोई अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने से संयंत्र या मशीनरी के चारों ओर सुरक्षित रूप से कम करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम खुला स्थान कम नहीं होता है अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भाप, गर्मी या धूल या धूम के निष्कासन या निर्गमन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो केवल ऐसे प्रतिस्थापन अथवा अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि इस धारा के अर्थ में कारखाने का विस्तार हुआ है ।

7. अधिष्ठाता द्वारा सूचना.—(1) अधिष्ठाता, किसी परिसर का कारखाने के रूप में अधिष्ठान या प्रयोग आरम्भ करने से कम–से–कम पन्द्रह दिन पूर्व, मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें अन्तर्विष्ट होंगी–

(क) कारखाने का नाम और अवस्थिति;

(ख) अधिष्ठाता का नाम और पता;

(खख) परिसर और भवन के (जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएं भी है) धारा 93 में निर्दिष्ट स्वामी का नाम और पता;

(ग) वह पता जिस पर कारखाने से सम्बद्ध संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी;

(घ) उस विनिर्माण प्रक्रिया का स्वरूप जो–

(i) carried on in the factory during the last twelve months in the case of factories in existence on the date of the commencement of this Act, and

(ii) to be carried on in the factory during the next twelve months in the case of all factories;

(e) the total rated horse power installed or to be installed in the factory, which shall not include the rated horse power of any separate standby plant;

(f) the name of the manager of the factory for the purposes of this Act;

(g) the number of workers likely to be employed in the factory:

(h) the average number of workers per day employed during the last twelve months in the case of a factory in existence on the date of the commencement of this Act;

(i) such other particulars as may be prescribed.

(2) In respect of all establishments, which come within the scope of the Act for the first time the occupier shall send a written notice to the Chief Inspector containing the particulars specified in sub-section (1) within thirty days from the date of the commencement of this Act.

(3) Before a factory engaged in a manufacturing process which is ordinarily carried out for less than one hundred and eighty working days in the year, resumes working, the occupier shall send a written notice to the Chief Inspector containing the particulars specified in sub-section (1) that least thirty days before the date of the commencement of work.

(4) Whenever a new manager is appointed, the occupier shall send to the Inspector a written notice and to the Chief Inspector a copy thereof within seven days from the date on which such person takes over charge.

(5) During a period for which no person has been designated as manager of a factory or during which the person designated does not manage the factory, any person found acting as manager, or if no such person is found, the occupier himself, shall be deemed to be the manager of the factory for the purposes of this Act.

CHAPTER II

The Inspecting Staff

7A. General duties of the occupier.—(1) Every occupier shall ensure, so far as is reasonably practicable, the health, safety and welfare of all workers while they are at work in the factory.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the matters to which such duty extends, shall include—

(a) the provision and maintenance of plant and systems of work in the factory that are safe and without risks to health;

(b) the arrangement in the factory for ensuring safety and absence of risks to health in connection with the use, handling, storage and transport of articles and sub stances;

(c) the provision of such information, instruction, training and supervisions as are necessary to ensure the health and safety of all workers at work;

(d) the maintenance of all places of work in the factory in a condition that is safe and

(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान कारखानों की दशा में पिछले बारह मास के दौरान कारखाने में चलाई गई हो ; और

(ii) सब अन्य कारखानों की दशा में अगले बारह मासों के दौरान कारखाने में चलाई जाने वाली हो ;

(ङ) कारखाने में स्थापित की जाने वाली कुल निर्धारित अश्व शक्ति जिसमें आपातोपयोगी किसी पृथक् संयंत्र की निर्धारित अश्व शक्ति सम्मिलित नहीं की जाएगी;

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कारखाने के प्रबन्धक का नाम;

(छ) उतने कर्मकारों की संख्या जितनों के कारखानों में नियोजित किए जाने की सम्भाव्यता हो;

(ज) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान कारखाने की दशा में पिछले बारह मासों के दौरान प्रतिदिन नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या;

(झ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

(2) ऐसे सब स्थापनों के सम्बन्ध में जो प्रथम बार इस अधिनियम की परिधि में आते हैं, अधिष्ठाता इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा, जिसमें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां होंगी ;

(3) ऐसे विनिर्माण प्रक्रिया में, जो मामूली तौर पर वर्ष में एक सौ अस्सी काम के दिनों से कम के लिए चलाई जाती हैं, लगे हुए कारखाने द्वारा काम पुनः आरम्भ करने से पूर्व अधिष्ठाता काम के प्रारम्भ होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा जिसमें उपधारा (1) में विशिष्टियां होंगी ।

(4) जब कभी नया प्रबन्धक नियुक्त किया जाए तब अधिष्ठाता उस तारीख से जिसको ऐसा व्यक्ति भार ग्रहण करे, सात दिन के अन्दर निरीक्षक को लिखित सूचना और मुख्य निरीक्षक को उसकी एक प्रतिलिपि भेजेगा ।

(5) किसी ऐसी कालावधि के दौरान जिसमें कोई व्यक्ति कारखाने का प्रबन्धक पदाभिहित नहीं किया गया है या जिसके दौरान पदाभिहित व्यक्ति कारखाने का प्रबंध नहीं करता है, कोई व्यक्ति जो प्रबंधक के रूप में काम करता हुआ पाया जाए या यदि कोई ऐसा व्यक्ति न पाया जाए तो अधिष्ठाता स्वयं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कारखाने का प्रबन्धक समझा जाएगा ।

अध्याय 2
निरीक्षक कर्मचारिवृन्द

7क. अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्य.–(1) प्रत्येक अधिष्ठाता जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य है, कारखाने के सभी कर्मकारों का कारखाने में उनके काम के समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन विषयों के जिन तक कर्तव्य का विस्तार होगा, अन्तर्गत निम्नलिखित होगा–

(क) कारखाने में ऐसे संयंत्र और कार्य–प्रणालियों की व्यवस्था और उनका अनुरक्षण जो सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित है;

(ख) कारखाने में वस्तुओं और पदार्थों के प्रयोग, उनकी उठाई–धराई, उनके भंडारकरण और परिवहन के संबंध में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिम की अविद्यमानता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं;

(ग) ऐसी जानकारी, अनुदेश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण की व्यवस्था जो सभी कर्मकारों के, काम के समय, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है;

(घ) कारखाने में काम के सभी स्थानों को ऐसी दशा में बनाए रखना जो सुरक्षित और स्वास्थ्य

without risks to health and the provision and maintenance of such means of access to, and egress from, such place as are safe and without such risks;

(e) the provision, maintenance or monitoring of such working environment in the factory for the workers that is safe, without risks to health and adequate as regards facilities and arrangements for their welfare at work.

(3) Except in such cases as may be prescribed, every occupier shall prepare, and, as often as may be appropriate, revise, a written statement of his general policy with respect to the health and safety of the workers at work and the organisation and arrangements for the time being in force for carrying out that policy, and to bring the statement and any revision thereof to the notice of all the workers in such manner as may be prescribed.

7B. General duties of manufacturers, etc., as regards articles and sub-stances for use in factories.—(1) Every person who designs, manufactures, imports or supplies any article for use in any factory shall-

(a) ensure, so far as is reasonably practicable, that the article is so designed and constructed as to be safe and without risks to the health of the workers when properly used;

(b) carry out or arrange for the carrying out of such tests and examination as may be considered necessary for the effective implementation of the provisions of clause (a);

(c) take such steps as may be necessary to ensure that adequate information will be available-

(i) in connection with the use of the article in any factory;

(ii) about the use for which it is designed and tested; and

(iii) about any conditions necessary to ensure that the article, when put to such use, will be safe, and without risks to the health of the workers:

Provided that where an article is designed or manufactured outside India, it shall be obligatory on the part of the importer to see-

(a) that the article conforms to the same standards if such article is manufactured in India, or

(b) if the standards adopted in the country outside for the manufacture of such article is above the standards adopted in India, that the article conforms to such standards

(2) Every person, who undertakes to design or manufacture any article for use in any factory, may carry out or arrange for the carrying out of necessary research with a view to the discovery and, so far as is reasonably practicable, the elimination or minimisation of any risks to the health or safety of the workers to which the design or article may give rise.

(3) Nothing contained in sub-sections (1) and (2) shall be construed to require a person to repeat the testing examination or research which has been carried out otherwise than by him or at his instance on so far as it is reasonable for him to rely on the results thereof for the purposes of the said sub-sections.

(4) And duty imposed on any person by sub-sections (1) and (2) shall extend only to things done in the course of business carried on by him and to matters within his control.

के लिए जोखिम रहित है तथा ऐसे स्थान पर पहुंचने और वहां से निकलने के ऐसे साधनों की व्यवस्था और अनुरक्षण जो सुरक्षित और ऐसी जोखिमों से रहित है;

(ङ) कर्मकारों के लिए कारखाने में ऐसे कार्यकरण परिवेश की व्यवस्था, अनुरक्षण या अनुश्रवण जो सुरक्षित, स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित, और काम के समय उनके कल्याण की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की बाबत पर्याप्त हैं ।

(3) उन मामलों के सिवाय जो विहित किए जाएं, प्रत्येक अधिष्ठाता कर्मकारों के काम के समय स्वास्थ्य और सुरक्षा की बाबत अपनी साधारण नीति का तथा उस नीति को क्रियान्वित करने के लिए उस समय प्रवृत्त संगठन और व्यवस्थाओं का एक लिखित विवरण तैयार करेगा और उनका, जितनी भी बार समुचित हो, पुनरीक्षण करेगा, और ऐसे विवरण और उसके किसी पुनरीक्षण को सभी कर्मकारों की जानकारी में ऐसी रीति से लाएगा जो विहित की जाए ।

7ख. कारखानों में प्रयोग के लिए वस्तुओं और पदार्थों की बाबत विनिर्माताओं, अदि के साधारण कर्तव्य.–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारखाने में प्रयोग के लिए किसी वस्तु का डिजाइन, विनिर्माण, आयात या प्रदाय करता है :–

(क) जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य हैं, यह सुनिश्चित करेगा कि उस वस्तु को इस प्रकार से डिजाइन और सन्निर्मित किया जाता है कि जब उसका उचित रूप से प्रयोग किया जाए, तब, वह सुरक्षित और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो;

(ख) ऐसे परीक्षण और ऐसी परीक्षा करेगा या करने की व्यवस्था करेगा जो खंड (क) के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझी जाएं ;

(ग) ऐसे उपाय करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि,–

(i) किसी कारखाने में वस्तु के प्रयोग के संबंध में;

(ii) उस प्रयोग के बारे में जिसके लिए वस्तु को डिजाइन किया गया है और उसका परीक्षण किया गया है; और

(iii) उन दशाओं के बारे में जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि जब उस वस्तु का प्रयोग किया जाए तब वह सुरक्षित और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित होगी,

पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होगी :

परन्तु जहां वह वस्तु भारत के बाहर डिजाइन या विनिर्मित की गई है वहां आयातकर्ता के लिए यह देखना बाध्यकर होगा कि, –

(क) यदि ऐसी वस्तु भारत में विनिर्मित की जाती है तो वस्तु उन्हीं मानकों के अनुरूप है, या

(ख) यदि ऐसी वस्तु के विनिर्माण के लिए बाहर के देश में अंगीकृत मानक भारत में अंगीकृत मानकों से ऊपर हैं तो वस्तु ऐसे मानकों के अनुरूप है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारखाने में प्रयोग के लिए किसी वस्तु को डिजाइन या विनिर्मित करने का जिम्मा लेता है, यह पता लगाने की दृष्टि से और, जहां तक युक्तियुक्त रूप से बाध्य हो, कर्मकारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए किन्हीं जोखिमों को, जो ऐसी डिजाइन या वस्तु से उत्पन्न हो सकती है, दूर हटाने या कम करने के लिए आवश्यक अनुसंधान कर सकेगा या कराने की व्यवस्था कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति से ऐसा परीक्षण, परीक्षा या अनुसंधान पुनः करने की अपेक्षा करती है जो उनके द्वारा या उसकी प्रेरणा से नहीं अपितु अन्यथा किया गया है, किन्तु ऐसा तब जब उक्त उपधाराओं के प्रयोजनों के लिए उसके लिए उनके परिणामों पर निर्भर करना उचित है ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा किसी व्यक्ति पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का विस्तार केवल उसके द्वारा किए जा रहे कारबार के अनुक्रम में और उसके नियंत्रण के अधीन विषयों के बारे में की गई बातों तक होगा ।

(5) Where a person designs, manufactures, imports or supplies an article on the basis of a written undertaking by the user of such article to take the steps specified in such undertaking to ensure, so far as is reasonably practicable, that the article will be. safe and without risks to the health of the workers when properly used, the undertaking shall have the effect of relieving the person designing, manufacturing, importing or supplying the article from the duty imposed by clause (a) of sub-section (1) to such extent as is reasonably having regard to the terms of the undertaking.

(6) For the purposes of this section, an article is not to be regarded as properly used if it is used without regard to any information or advice relating to its use which as been made available by the person who has designed, manufactured, imported or supplied the article.

Explanation.—For the purposes of this section, "article" shall include plant and machinery.

8. Inspectors.-(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint such persons as possessing the prescribed qualification to be Inspectors for the purposes of this Act and may assign to them such local limits as it may think fit.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint any person to be a Chief Inspector who shall, in addition to powers conferred on Chief Inspector under this Act, exercise the powers of an Inspector throughout the State.

(2A) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint as many Additional Chief Inspectors, Joint Chief Inspectors and Deputy Chief Inspectors and as many other officers as it thinks fit to assist the Chief Inspector and to exercise such of the powers of the Chief Inspector as may be specified in such notification.

(2B) Every additional Chief Inspector, Joint Chief Inspector, Deputy Chief Inspector and every other officer appointment under sub-section (2A) shall, in addition to the powers of a Chief Inspector specified in the notification by which he is appointed, exercise the power of an Inspector throughout the State.

(3) No person shall be appointed under sub-section (1), sub-section (2), sub-section (2A) or sub-section (5), or having been so appointed, shall continue to hold office, who is or becomes directly or indirectly interested in a factory or in any process or business carried on therein or in any patent or machinery connected therewith.

(4) Every District Magistrate shall be an Inspector for his district.

(5) The State Government may also, by notification as aforesaid, appoint such public officers as it thinks fit to be additional Inspectors for all or any of the purposes of this Act, within such local limits as it may assign to them respectively.

(6) In any area where there are more Inspectors than one the State Government may, by notification as aforesaid, declare the powers which such Inspectors shall respectively exercise and the Inspector to whom the prescribed notices are to be sent.

(7) Every Chief Inspector, Additional Chief Inspector, Joint Chief Inspector, Deputy Chief Inspector, Inspector and every other officer appointed under this section, shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code (XLV of 1860)[1], and shall be officially subordinate to such authority as the State Government may specify in this behalf.

9. Powers of Inspectors.-Subject to any rules made in this behalf, an Inspector may, within the local limits for which he is appointed,-

1. *Now See*, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(5) जहां कोई व्यक्ति किसी वस्तु का, जहां तक युक्तियुक्त रूप से बाध्य है, यह सुनिश्चित करके कि वह वस्तु उचित रूप से प्रयोग की जाने पर सुरक्षित और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित होगी, डिजाइन, विनिर्माण, आयात या प्रदाय, ऐसी वस्तु के उपभोक्ता द्वारा लिखित रूप में इस वचनबंध के आधार पर कि वह ऐसे वचनबंध में विनिर्दिष्ट उपाय करेगा, करता है, वहां ऐसे वचनबंध का यह प्रभाव होगा कि वह उस वस्तु का डिजाइन, विनिर्माण, आयात या प्रदाय करने वाले व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा अधिरोपित कर्तव्य से उस विस्तार तक जो वचनबंध के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए उचित है, अवमुक्त करता है ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वस्तु को उचित रूप से प्रयोग किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उसके प्रयोग से संबंधित किसी जानकारी या सलाह को, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने उसे डिजाइन विनिर्मित, आयात या प्रदाय किया है, उपलब्ध कराई गई है, ध्यान में रखे बिना उसका प्रयोग किया जाता है ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु" के अन्तर्गत संयंत्र और मशीनरी है ।

8. निरीक्षक.—(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास विहित अर्हताएं हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमाएं सौंप सकेगी जैसी वह ठीक समझे ।

(2) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को मुख्य निरीक्षण नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन मुख्य निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्य भर में निरीक्षक की शक्तियों का भी प्रयोग करेगा ।

(2क) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने अपर मुख्य निरीक्षक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और उतने अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह मुख्य निरीक्षक की सहायता करने और मुख्य निरीक्षक की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ठीक समझे, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2ख) उपधारा (2क) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अपर मुख्य निरीक्षक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और प्रत्येक अन्य अधिकारी, ऐसी अधिसूचना में, जिससे उसकी नियुक्ति की जाती है, विनिर्दिष्ट मुख्य निरीक्षक की शक्तियों के साथ–साथ निरीक्षक की शक्तियों का भी प्रयोग राज्य भर में करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी कारखाने में या उसमें चलाई जाने वाली किसी प्रक्रिया या कारबार में या उससे संबंधित किसी पेटेंट या मशीनरी में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हितबद्ध है या हो जाता है, वह उपधारा (1), उपधारा (2) उपधारा (2क) या उपधारा (5) के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा अथवा वैसे नियुक्त हो चुकने पर पद पर बना नहीं रहेगा ।

(4) प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले का निरीक्षक होगा ।

(5) राज्य सरकार, यथापूर्वोक्त अधिसूचना द्वारा, ऐसे लोक अधिकारियों को जैसे वह ठीक समझे, इस अधिनियम के सब प्रयोजनों या उनमें से किसी के लिए ऐसी स्थानीय सीमाओं के अन्दर, जैसी वह उन्हें क्रमशः सौंपे, अपर निरीक्षक भी नियुक्त कर सकेगी ।

(6) ऐसे किसी क्षेत्र में जहां एक से अधिक निरीक्षक हैं राज्य सरकार, यथापूर्वोक्त अधिसूचना द्वारा, वे शक्तियां जिन्हें ऐसे निरीक्षक क्रमशः प्रयुक्त करेंगे और वह निरीक्षक जिसको विहित सूचनाएं भेजी जानी हैं, घोषित कर सकेगी ।

(7) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक मुख्य निरीक्षक, अपर मुख्य निरीक्षक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक और प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)[1] के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा, और पदीय रूप से ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ होगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

9. निरीक्षकों की शक्तियां.—इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन, निरीक्षक, उन स्थानीय सीमाओं के अन्दर जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है—

1. अब देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)।

(a) enter with such assistants, being persons in the service of the Government, or any local or other public authority or with an expert, as he thinks fit, any place which is used, or which he has reason to believe, is used as a factory;

(b) make examination of the premises, plant, machinery, article or substance;

(c) inquire into any accident or dangerous occurrence, whether resulting in bodily injury, disability or not, and take on the spot or otherwise statements of any person which he may consider necessary for such inquiry;

(d) require the production of any prescribed register or any other document relating to the factory;

(e) seize, or take copies of, any register, record or other document or any portion thereof, as he may consider necessary in respect of any offence under this Act, which he has reason to believe, has been committed;

(f) direct the occupier that any premises or any part thereof, or anything lying therein, shall be left undisturbed (whether generally or in particular respects) for so long as is necessary for the purpose of any examination under clause (b);

(g) take measurements and photographs and make such recordings as he considers necessary for the purpose of any examination under clause (b), taking with him any necessary instrument or equipment;

(h) in case of any article of substance found in any premises, being an article or substance which appears to him as having caused or is likely to cause danger to the health or safety of the workers, direct it to be dismantled or subject it to any process or test (but not so as to damage or destroy it unless the same is, in the circumstances necessary, for carrying out the purposes of this Act), and take possession of any such article or substance or a part thereof, and detain it for so long as is necessary for such examination;

(i) exercise such other powers as may be prescribed.

Provided that no person shall be compelled under this section to answer any question or give any evidence tending to incriminate himself.

10. Certifying Surgeons.-(1) The State Government may appoint qualified medical practitioners to be certifying surgeons for the purposes of this Act within such local limits or for such factory or class or description of factories as it may assign to them respectively.

(2) A certifying surgeon may, with the approval of the State Government, authorise any qualified medical practitioner to exercise any of his powers under this Act for such period as the certifying surgeon may specify and subject to such conditions as the State Government may think fit to impose, and references in this Act to a certifying surgeon shall be deemed to include references to any qualified medical practitioner when so authorised.

(3) No person shall be appointed to be, or authorised to exercise the powers of, a certifying surgeon, or having been so appointed or authorised, continue to exercise such

(क) ऐसे सहायकों के साथ,जो सरकार की या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में के व्यक्ति हैं या किसी विशेषज्ञ के साथ जिन्हें वह ठीक समझे, किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकेगा जो कारखाने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या जिसके ऐसे प्रयुक्त किए जाने का विश्वास करने के लिए उसके पास कारण हैं;

(ख) परिसर, संयंत्र, मशीनरी, वस्तु या पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा;

(ग) ऐसी किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना की जांच कर सकेगा चाहे उसके परिणामस्वरूप कोई शारीरिक क्षति या निःशक्तता हुई हो, या नहीं, और किसी व्यक्ति का स्थल पर या अन्यथा जैसा वह ऐसी जांच के लिए आवश्यक समझे, कथन ले सकेगा;

(घ) कारखाने से संबंधित किसी विहित रजिस्टर या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ङ) किसी रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज या उसके किसी भाग का, जिसे वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह अपराध किया गया है, आवश्यक समझे, अभिग्रहण कर सकेगा या उसकी प्रतियां ले सकेगा :

(च) अधिष्ठाता को यह निदेश दे सकेगा कि किसी परिसर या उसके किसी भाग या उमसें पड़ी हुई किसी वस्तु को चाहे साधारणतया या किन्हीं विशिष्ट बातों में तब तक के लिए जब तक खंड (ख) के अधीन किसी परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, यथावत रहने दिया जाए;

(छ) अपने साथ कोई आवश्यक उपकरण या उपस्कर ले जा कर, नाप और फोटोचित्र ले सकेगा और ऐसे अभिलेख तैयार कर सकेगा जो वह खंड (ख) के अधीन किसी परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे;

(ज) किसी परिसर में पाई गई किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ की देशों में, जो ऐसी वस्तु या पदार्थ है जिसकी बाबत उसे यह प्रतीत होता है कि उसने कर्मकारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा पैदा किया है या पैदा कर सकता है, निदेश दे सकेगा कि उसे खोल डाला जाए या उस पर कोई ऐसी प्रक्रिया या परख की जाए (किन्तु इस प्रकार से कि उसे कोई नुकसान न हो या वह नष्ट न हो, सिवाय तब जब इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, उन परिस्थितियों में, ऐसा करना आवश्यक हो), और किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ या उसके भाग को अपने कब्जे में ले सकेगा, और उसे तब तक निरोध में रख सकेगा जब तक ऐसी परीक्षा के लिए आवश्यक हो;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो विहित की जाएं ।

परंतु किसी भी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या कोई ऐसा साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसकी प्रवृत्ति उसकी अपराध में फंसाने की हो।

10. प्रमाणकर्ता सर्जन—(1) राज्य सरकार, अर्हित चिकित्सा—व्यवसायियों को ऐसी स्थानीय सीमाओं में या ऐसे कारखाने या ऐसे वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिए जैसे वह उन्हें क्रमशः सौंपे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रमाणकर्ता सर्जन नियुक्त कर सकेगी ।

(2) प्रमाणकर्ता सर्जन, राज्य सरकार के अनुमोदन से, किसी अर्हित चिकित्सा—व्यवसायी को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों में से किसी का प्रयोग, ऐसी कालावधि में जैसी प्रमाणकर्ता सर्जन विनिर्दिष्ट करे और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी राज्य सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, और इस अधिनियम में प्रमाणकर्ता सर्जन के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत किसी अर्हित चिकित्सा—व्यवसायी के प्रति निर्देश भी समझे जाएंगे जब वह ऐसे प्राधिकृत हो ।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी कारखाने का अधिष्ठाता है या हो जाता है, अथवा उसमें या उसमें चलाई जाने वाली किसी प्रक्रिया या कारबार में या उससे संबंधित किसी पेटेंट या मशीनरी में प्रत्यक्षतः या

powers, who is or becomes the occupier of a factory or is or becomes directly or indirectly interested therein or in any process or business carried on therein or in any patent or machinery connected therewith or is otherwise in the employ of the factory:

Provided that the State Government may, by order in writing and subject to such conditions as may be specified in the order exempt any person or class of persons from the provisions of this sub-section in respect of any factory or class or description of factories.

(4) The certifying surgeon shall carry out such duties as may be prescribed in connection with-

(a) the examination and certification of young persons under this Act;

(b) the examination of persons engaged in factories in such dangerous Occupations or processes as may be prescribed;

(c) the exercising of such medical supervisions as may be prescribed for any factory or class or description of factories where-

(i) cases of illness have occurred, which it is reasonable to believe are due to the nature of the manufacturing process carried on, or other conditions of work prevailing, therein;

(ii) by reason of any change in the manufacturing process carried on or in the substances used therein or by reason of the adoption of any new manufacturing process, or of any new substance for use in a manufacturing process, there is a likelihood of injury to the health of workers employed in that manufacturing process;

(iii) young persons are, or are about to be, employed in any work which is likely to cause injury to their health.

Explanation. - In this section "qualified medical practitioner" means a person holding a qualification granted by an authority specified in the Schedule to the Indian Medical Degrees Act, 1916 (VII of 1916), or in the Schedule to the Indian Medical Council Act, 1933 (XXVI1 of 1933).

CHAPTER III

Health

11. Cleanliness.-(1) Every factory shall be kept clean and free from effluvial arising from any drain, privy or other nuisance, and in particular—

(a) accumulation of dirt and refuse shall be removed daily by sweeping or by any other effective method from the floors and benches of workrooms and from stair cases and passages and disposed of in a suitable manner;

(b) the floor of every workroom shall be cleaned at least once in every week by washing, using disinfectant where necessary, or by some other effective method;

(c) where a floor is liable to become wet in the course of any manufacturing process to such extent as is capable of being drained, effective means of drainage shall be provided as maintained;

(d) all inside walls and partitions, all ceilings or tops of rooms and all walls, sides and tops of passages and staircases shall-

अप्रत्यक्षतः हितबद्ध है या हो जाता है अथवा कारखाने में अन्यथा नियोजित है वह प्रमाणकर्ता सर्जन के रूप में नियुक्त या उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाएगा अथवा वैसे नियुक्त या प्राधिकृत हो चुकने पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा :

परन्तु राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों की बाबत इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

(4) प्रमाणकर्ता सर्जन ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो निम्नलिखित के सम्बन्ध में विहित किए जाएं–

(क) इस अधिनियम के अधीन अल्पवय व्यक्तियों की परीक्षा और प्रमाणीकरण;

(ख) कारखानों में ऐसी संकटपूर्ण उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में, जैसी विहित की जाएं, लगे हुए व्यक्तियों की परीक्षा;

(ग) ऐसे चिकित्सीय पर्यवेक्षण का, जैसा किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिए विहित किया जाए, प्रयोग जहां–

(i) रुग्णता के ऐसे मामले हुए हैं जिनकी बाबत यह विश्वास करना युक्तियुक्त है कि वे वहां चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के स्वरूप या वहां विद्यमान अन्य काम की दशाओं के कारण हुआ है,

(ii) चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में या प्रयुक्त पदार्थों में किसी परिवर्तन के कारण अथवा किसी नई विनिर्माण प्रक्रिया के या विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए किसी नए पदार्थ के अपनाए जाने के कारण, उस विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य की क्षति संभाव्य है,

(iii) अल्पवय व्यक्ति किसी ऐसे काम में नियोजित हैं या किए जाने वाले हैं जिससे उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचना संभाव्य है ।

स्पष्टीकरण.–इस धारा में "अर्हित चिकित्सा–व्यवसायी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 (1916 का 7) की अनुसूची में या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1933 (1933 का 27) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अर्हता हो ।

अध्याय 3

स्वास्थ्य

11. सफाई.–(1) हर कारखाना साफ और किसी नाली, शौचालय या किसी अन्य न्यूसेंस से पैदा होने वाली दुर्गंध से मुक्त रखा जाएगा और विशिष्टतया–

(क) काम करने के कमरों के फर्शों और बैचों से तथा सीढ़ियों और रास्तों से कूड़े और कचरे के ढेर को प्रतिदिन झाडू लगाकर या किसी अन्य कारगर तरीके से हटाया जाएगा और उपयुक्त रीति से व्ययनित किया जाएगा;

(ख) काम करने के प्रत्येक कमरे के फर्श को धोकर, जहां आवश्यक हो विसंक्रामक का प्रयोग करके अथवा किसी अन्य कारगर तरीके से प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार सफाई की जाएगी;

(ग) जहां किसी फर्श के किसी विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान इतना गीला हो जाने की सम्भाव्यता है कि उसमें से जल निकाला जा सकता है वहां जल–निकास के प्रभावपूर्ण साधनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा;

(घ) कमरों की सब भीतरी दीवारें और विभाजक, सब छतें या ऊपरी हिस्से तथा रास्तों या सीढ़ियों की सब दीवारें पार्श्व और ऊपरी हिस्से–

(i) where they are 'painted otherwise than with washable water paint or varnished, be repainted or re-varnished at least once in every period of five years;

(i-a) where they are painted with washable water paint, be repainted with at least one coat of such paint at least once in every period of three years and washed at least once in every period of six months;

(ii) where they are painted or varnished or where they have smooth impervious surfaces, be cleaned at least one in every period of fourteen months by such methods as may be prescribed;

(iii) in any other case, be kept whitewashed, or colour washed, and the whitewashing or colour-washing shall be carried out at least once in every period of fourteen months;

(dd) all doors and window-frames and other wooden or metallic framework and shutters shall be kept painted or varnished and the painting or varnishing shall be carried out at least once in every period of five years;

(e) the dates on which the processes required by clause (d) are carried out shall be entered in the prescribed register.

(2) If, in view of the nature of the operations carried on in a factory or class or description of factories or any part of a factory or class or description of factories, it is not possible for the occupier to comply with all or any of the provisions of sub-section (1), the State Government may by order exempt such factory or class or description of factories or part from any of the provisions of that sub-section and specify alternative methods for keeping the factory in a clean state.

12. Disposal of wastes and effluents.- (1) Effective arrangements shall be made in every factory for the treatment of wastes and effluents due to the manufacturing process carried on therein, so as to render them innocuous, and for their disposal.

(2) The State Government may make rules prescribing the arrangements to be made under sub-section (1) or requiring that the arrangements made in accordance with sub-section (1) shall be approved by such authority as may be prescribed.

13. Ventilation and temperature.––

(1) Effect and suitable provisions shall be made in every factory for securing and maintaining in every workroom––

(a) adequate ventilation by the circulation of fresh air, and

(b) such a temperature as will secure to workers therein reasonable conditions of comfort and prevent injury to health;

and in particular,—

(i) walls and roofs shall be of such material and so designed that such temperature shall not be exceeded but kept as low as practicable;

(ii) where the nature of the work carried on in the factories involves, or is likely to involve, the production of excessively high temperature, such

(i) जहां उनमें रंग या रोगन किया हुआ है वहां पांच वर्ष की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार उनमें पुनः धुलने योग्य जल–रंग से भिन्न रंग या पुनः रोग किया जाएगा;

(iक) जहां उनमें धुलने योग्य जल–रंग से रंग किया हुआ है वहां तीन वर्ष की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार उनमें ऐसे रंग से पुनः रंग किया जाएगा और छह मास की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार सफाई की जाएगी;

(ii) जहां उनमें रंग या रोगन किया हुआ है या जहां उनकी चिकनी अप्रवेश्य सतहें है वहां चौदह मास की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, उनकी सफाई की जाएगी;

(iii) किसी अन्य दशा में, उनमें सफेदी या रंग किया जाएगा और वह सफेदी और रंग चौदह मास की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार किया जाएगा;

(घघ) सभी दरवाजों, खिड़की या चौखटों और लकड़ी या धातु के अन्य ढांचों और शटर पर रंग या रोगन किया रहेगा और रंग या रोगन पांच वर्ष की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार किया जाएगा;

(ङ) वे तारीखें जिनको खण्ड (घ) में अपेक्षित प्रक्रियाएं की जाएंगी विहित रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी ।

(2) यदि किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों या किसी कारखाने के या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के किसी भाग में की जाने वाली संक्रियाओं को देखते हुए अधिष्ठाता के लिए उपधारा (1) के सब या किसी उपबंध या अनुपालन करना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे कारखाने या ऐसे वर्ग या प्रकार के कारखानों या भाग को उस उपधारा के किसी उपबन्ध से छूट दे सकेगी और कारखाने को साफ अवस्था में रखने के लिए अन्य तरीके विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

12. कचरे और बहिःस्रावव का व्ययन.–(1) प्रत्येक कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया के चलाए जाने से निकलने वाले कचरे और बहिःस्रावव की अभिक्रिया के लिए, जिससे कि वे हानिकारक न रह जाएं, और उनके व्ययन के लिए कारगर इन्तजाम किए जाएंगे ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन किए जाने वाले इंतजाम विहित करने वाले या यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि उपधारा (1) के अनुसार किए गए इंतजाम ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होंगे जो विहित किया जाए ।

13. संवातन और तापमान–(1) प्रत्येक काम करने के कमरे में निम्नलिखित को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए प्रत्येक कारखाने में प्रभावपूर्ण और यथोचित व्यवस्था की जाएगी–

(क) स्वच्छ वायु के परिसंचारण के लिए पर्याप्त संवातन; और

(ख) ऐसा तापमान जिससे कर्मकारों की वहां युक्तियुक्त सुखद दशा सुनिश्चित हो जाए और स्वास्थ्य को क्षति का निवारण हो जाए,

और विशिष्टतया–

(i) दीवारें और छतें ऐसी सामग्री की होंगी और इस प्रकार बनाई हुई होंगी कि ऐसा तापमान बढ़ेगा नहीं किन्तु यथासाध्य निम्न रहेगा,

(ii) जहां कारखाने में किया जाने वाला काम इस प्रकार का है कि उसमें अत्यधिक तापमान अन्तर्वलित है या अन्तर्वलित होना संभाव्य है वहां कर्मकारों को उससे

adequate measures as are practicable shall be taken to protect the workers therefrom, by separating the process, which produces such temperature from the workroom, by insulating the hot parts or by other effective means.

(2) The State Government may prescribe a standard of adequate ventilation and reasonable temperature for any factory or class or description of factories or parts thereof and direct that proper measuring instruments, at such places and in such position as may be specified, shall be provided and such records, as may be prescribed, shall be maintained.

(3) If it appears to the Chief Inspector that excessively high temperature in any factory can be reduced by the adoption of suitable measures, he may, without prejudice to the rules made under sub-section (2), serve on the occupier, an order in writing specifying the measures which, in his opinion should be adopted, and requiring them to be carried out before a specified date.

14. Dust and fume.-(1) In every factory in which, by reason of the manufacturing process carried on, there is given off any dust or fume or other impurity of such a nature and to such an extent as is likely to be injurious or offensive to the workers employed therein, or any dust in substantial quantities, effective measures shall be taken to prevent its inhalation and accumulation in any workroom, and if any exhaust appliance is necessary for this purpose, it shall be applied as near as possible to the point of origin of the dust, fume or other impurity, and such point shall be enclosed so far as possible.

(2) In any factory no stationary internal combustion engine shall be operated unless the exhaust is conducted into the open air, and no other internal combustion engine shall be operated in any room unless effective measures have been taken to prevent such accumulation of fumes therefrom as are likely to be injurious to workers employed in the room.

15. Artificial humidification.- (1) In respect of all factories in which the humidity of the air is artificially increased, the State Government may make rules,-

(a) prescribing standards of humidification;

(b) regulating the methods used for artificially increasing the humidity of the air;

(c) directing prescribed tests for determining the humidity of the air to be correctly carried out and recorded;

(d) prescribing methods to be adopted for securing adequate ventilation and cooling of the air in the workrooms.

(2) In any factory in which the humidity of the air is artificially increased, the water used for the purpose shall be taken from a public supply, or other source of drinking water, or shall he effectively purified before it is so used.

(3) If it appears to an Inspector that the water used in a factory for increasing humidity which is required to be effectively purified under sub-section (2) is not effectively purified he may serve on the manager of the factory an order in writing, specifying the measures which in his opinion should be adopted, and requiring them to be carried out before specified date.

बचाने के लिए उस प्रक्रिया को, जो ऐसे तापमान उत्पन्न करती है, काम करने के कमरे से पृथक् करके, उष्ण भागों का रोधन करके या अन्य कारगार तरीकों का प्रयोग करके यथासाध्य उपाय किए जाएंगे ।

(2) राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों या उसके भागों के लिए पर्याप्त संवातन और युक्तियुक्त तापमान का मान विहित कर सकेगी और निदेश दे सकेगी कि मापने के उचित उपकरणों को ऐसे स्थानों और ऐसी स्थिति में रखा जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसे अभिलेखों को बनाए रखा जाएगा जो विहित किए जाएं ।

(3) यदि मुख्य निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने से अत्यधिक उच्च तापमान को उपयुक्त उपायों को अपनाकर घटाया जा सकता है तो वह, उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिष्ठाता पर एक लिखित आदेश की तामील कर सकेगा जिसमें वे उपाय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो उसकी राय में अपनाए जाने चाहिए और किसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उनको किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

14. धूल और धूम.–(1) प्रत्येक कारखाने में जिसमें, वहां पर चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के कारण कोई धूल या धूम या अन्य अपद्रव्य, जो इस प्रकार का और इतना हो जिसका वहां पर नियोजित कर्मकारों के लिए क्षतिकारक या संतापकारी होना संभाव्य हो, अथवा पर्याप्त मात्रा में कोई धूल निकलती हो, किसी काम करने के कमरे में उसके अन्तःश्वसन और संचयन को रोकने के लिए प्रभावपूर्ण उपाय किए जाएंगे और यदि इस प्रयोजन के लिए कोई निष्कासक साधित्र आवश्यक हो तो उसे धूल, धूम या अन्य उपद्रव्य के यथाशक्य निकटतम मूल स्थल पर प्रयुक्त किया जाएगा और ऐसे स्थल को यथासम्भव परिवेष्टिक कर दिया जाएगा ।

(2) किसी कारखाने में कोई स्थायी अंतर्दहन इंजन तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक उसका निष्कास खुली हवा में न ले जाया जाए और कोई अन्य अंतर्दहन इंजन किसी कमरे में तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक उसमें से निकालने वाले धूम के संचयन को, जिसका कि उस कमरे में नियोजित कर्मकारों के लिए क्षतिकारक होना संभाव्य है रोकने के लिए प्रभावपूर्ण उपाय नहीं कर दिए जाते ।

15. कृत्रिम नमीकरण.–(1) उन सब कारखानों के सम्बन्ध में, जिनमें वायु की नमी कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, राज्य सरकार–

(क) नमीकरण का मान विहित करने वाले;

(ख) वायु की नमी को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के तरीकों को विनियमित करने वाले;

(ग) वायु की नमी अवधारित करने के लिए विहित परीक्षणों का ठीक तौर से किया जाना और अभिलिखित किया जाना निर्दिष्ट करने वाले;

(घ) काम करने के कमरों में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित करने और वायु को ठंडा करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके विहित करने वाले,

नियम बना सकेगी ।

(2) ऐसे किसी कारखाने में जिसमें वायु की नमी को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जल सार्वजनिक प्रदाय से लिया जाएगा अथवा पीने के जल के अन्य स्रोत से लिया जाएगा अथवा ऐसे प्रयुक्त किए जाने से पहले शोधित किया जाएगा ।

(3) यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि नमी को बढ़ाने के लिए किसी कारखाने में प्रयुक्त जल जिसका उपधारा (2) के अधीन प्रभावपूर्ण रूप से शोधित किया जाना अपेक्षित है, प्रभावपूर्ण रूप से शोधित नहीं किया गया है, तो वह कारखाने के प्रबन्धक पर एक लिखित आदेश की तामील कर सकेगा जिसमें वे उपाय विनिर्दिष्ट होंगे जो उसकी राय में अपनाए जाने चाहिएं और यह अपेक्षा होगी कि वे विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किए जाएं ।

16. Overcrowding.- No room in any factory shall be overcrowded to an extent injurious to the health of the workers employed therein.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), there shall be in every work-room of a factory in existence on the date of commencement of this Act at least 9.9 cubic meters and of a factory built after the commencement of this Act at least 14.2 cubic meters of space for every worker employed therein, and for the purposes of this sub-section no account shall be taken of any space which is more than 4.2 meters above the level of the floor of the room.

(3) If the Chief Inspector by order in writing so requires, there shall be posted in each workroom of a factory a notice specifying the maximum number of workers who may, in compliance with the Provisions of this section, be employed in the room.

(4) The Chief Inspector may, by order in writing exempt, subject to such conditions, if any, as he may thing fit to impose, any workroom from the provisions of this section, if he is satisfied that compliance therewith in respect of the room is unnecessary in the interest of the health of the workers employed therein.

17. Lighting.-(1) In every part of a factory where workers are working or passing, there shall be provided and maintained sufficient and suitable lighting, natural or artificial, or both.

(2) In every factory all glazed windows and skylights used for the lighting of the work-room shall be kept clean on both the inner and outer surfaces and, so far as compliance with the provisions of any rules made under sub-section (3) of section 13 will allow, free from obstruction.

(3) In every factory effective provision shall, so far as is practicable, be made for the prevention of-

(a) glare, either directly from a source of light or by reflection from a smooth or polished surface;

(b) the formation of shadows to such an extent as to cause eye-strain or the risk of accident to any worker.

(4) The State Government may prescribe standards of sufficient and suitable lighting for factories or for any class or description of factories or for any manufacturing process.

18. Drinking water.- (1) In every factory effective arrangements shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated for all workers employed therein a sufficient supply of wholesome drinking water.

(2) All such points shall be legibly marked "drinking water" in a language understood by a majority of the workers employed in the factory and no such points shall be situated within six meters of any washing place, urinal, latrine, spittoon, open drain carrying sub age or effluent or any other source of contamination unless a shorter distance is approved in writing by the Chief Inspector.

(3) In every factory wherein more than two hundred and fifty workers are ordinarily employed, provisions shall be made for cooling drinking water during hot weather by effective means and for distribution thereof.

16. अतिभीड़–(1) किसी कारखाने में किसी कमरे में इतनी अतिभीड़ नहीं होगी कि वह वहां नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर हो ।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान कारखाने के प्रत्येक काम करने के कमरे में कम से कम (9.9 घन मीटर) और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बने कारखाने के प्रत्येक काम करने के कमरे में कम से कम (14.2 घन मीटर) जगह वहां नियोजित हर कर्मकार के लिए होगी, और इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी जगह को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो कमरे के फर्श के तल से (4.2 घन मीटर) अधिक ऊपर है ।

(3) यदि मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा करे तो हर कारखाने के प्रत्येक काम करने के कमरे में एक सूचना लगाई जाएगी जिसमें कर्मकारों की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट होगी जो कि इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में उस कमरे में नियोजित किए जा सकेंगे ।

(4) मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हों जैसी वह अधिरोपित करना ठीक समझे, किसी काम करने के कमरे को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस कमरे के सम्बन्ध में उसका अनुपालन वहां नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य के हित में अनावश्यक है ।

17. रोशनी.–(1) कारखाने के हर एक भाग में जहां कर्मकार काम करते हैं या जहां से गुजरते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम अथवा दोनों प्रकार की पर्याप्त और यथोचित रोशनी की व्यवस्था की जाएगी और बनाई रखी जाएगी ।

(2) हर कारखाने में काम करने के कमरों में रोशनी करने के लिए प्रयुक्त सब शीशे वाली खिड़कियों और रोशनदानों को बाहरी और भीतरी दोनों ओर से साफ, और जहां तक धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए सम्भव हो, बाधा से मुक्त रखा जाएगा ।

(3) हर कारखाने में निम्नलिखित को रोकने के लिए यावत्साध्य प्रभावपूर्ण व्यवस्था की जाएगी–

(क) रोशनी के स्रोत से सीधे अथवा चिक या पालिश किए हुए तल से परिवर्तन द्वारा चौंध;

(ख) इतने विस्तार तक छायाओं का बनना कि उससे किसी कर्मकार की आंखों पर जोर पड़े या उसे दुर्घटना का खतरा हो जाए ।

(4) राज्य सरकार कारखाने के लिए या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिए या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त और यथोचित रोशनी विहित कर सकेगी ।

18. पीने का जल.–(1) हर कारखाने में ऐसे यथोचित स्थलों पर जो वहां नियोजित सब कर्मकारों के लिए सुविधाजनक रूप से स्थित हों स्वच्छ पीने के जल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रभावपूर्ण इन्तजाम किए जाएंगे ।

(2) ऐसे सब स्थलों पर उस भाषा में जिसे कारखाने में नियोजित कर्मकारों की बहुसंख्या समझती है सुपाठ्य रूप से पीने का जल" लिखा होगा और कोई भी ऐसा स्थल, किसी धोने के स्थान, मूत्रालय, शौचालय, थूकदान, मैला पानी या बहिःस्राव को ले जाने वाली खुली नाली या संदूषण के किसी अन्य स्रोत के छह मीटर के अंदर स्थित नहीं होगा जब तक कि उससे कम दूरी मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखकर अनुमोदित नहीं की जाती ।

(3) हर कारखाने में जहां दो सौ पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं गर्मी के मौसम में पीने के जल को प्रभावपूर्ण साधनों से ठंडा करने और उसके वितरण के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

(4) In respect of all factories or any class or description of factories the State Government may make rules for securing compliance with the provisions of sub-sections (1), (2) and (3) and for the examination by prescribed authorities of the supply and distribution of drinking water in factories.

19. Latrines and urinals.-(1) In every factory-

(a) sufficient latrine and urinal accommodation of prescribed types shall be provided conveniently situated and accessible to workers at all times while they are at the factory;

(b) separate enclosed accommodation shall be provided for male and female workers;

(c) such accommodation shall be adequately lighted and ventilated and no latrine or urinal shall, unless specially exempted in writing by the Chief Inspector, communicate with any workroom except through an intervening open space or ventilated passage;

(d) all such accommodation shall be maintained in a clean and sanitary condition at all times;

(e) sweepers shall be employed whose primary duty it would be to keep clean all latrines, urinals and washing places.

(2) In every factory wherein more than two hundred and fifty workers are ordinarily employed—

(a) all latrine and urinal accommodation shall be of prescribed sanitary types;

(b) the floors and internal walls, up to a height of ninety centimeters of the latrines and urinals and the sanitary blocks shall be laid in glazed tiles or otherwise finished to provide a smooth polished impervious surface;

(c) without prejudice to the provisions of clauses (d) and (e) of sub-section (1), the floors, portions of the walls and blocks so laid or finished and the sanitary pans of latrines and urinals shall be thoroughly washed and cleaned at least once in every seven days with suitable detergents or disinfectants or with both.

(3) The State Government may prescribe the number of latrines and urinals to be provided in any factory in proportion to the number of male and female workers ordinarily employed therein, and provide for such further matters in respect of sanitation in factories, including the obligation of workers in this regard, as it considers necessary in the interest of the health of the workers employed therein.

20. Spittoons.-(1) In every factory there shall be provided a sufficient number of spittoons in convenient places and they shall be maintained in a clean and hygienic condition.

(2) The State Government may make rules prescribing the type and numbers of spittoons to be provided and their location in any factory and provide for such further matters relating to their maintenance in a clean and hygienic condition.

(3) No person shall spit within the premises of a factory except in the spittoons provided for the purpose and a notice containing this provision and the penalty for its violation shall be prominently displayed at suitable places in the premises.

(4) Whoever spits in contravention of sub-section (3) shall be punishable with fine not exceeding five rupees.

(4) सब कारखानों या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में राज्य सरकार उपधारा (1), (2) और (3) के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा कारखानों में पीने के जल के प्रदाय और वितरण की विहित प्राधिकारियों द्वारा परीक्षा के लिए नियम बना सकेगी ।

19. शौचालय और मूत्रालय.–(1) हर कारखाने में–

(क) विहित प्रकार के पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय स्थान की व्यवस्था की जाएगी जो सुविधाजनक रूप से स्थित होंगे और जिन तक कर्मकारों की, सब समयों पर जब वे कारखाने में काम पर हों, पहुंच होगी;

(ख) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के लिए पृथक्–पृथक् बन्द स्थानों की व्यवस्था की जाएगी;

(ग) ऐसे स्थानों में पर्याप्त रोशनी और संवातन होगा तथा किसी भी शौचालय या मूत्रालय के लिए, जब तक कि मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखकर विशिष्टतः छूट न दी गई हो, किसी काम करने के कमरे से पहुंच, बीच में खुली जगह से या संवातनयुक्त रास्ते से होने से अन्यथा नहीं होगी;

(घ) ऐसे सब स्थान हर समय साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे जाएंगे;

(ङ) मेहतर नियोजित किए जाएंगे जिनका प्राथमिक कर्तव्य शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई स्थानों को साफ रखना होगा ।

(2) हर कारखाने में जिसमें दो सौ पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं–

(क) सब शौचालय और मूत्रालय इस प्रकार के होंगे जो विहित स्वच्छतायुक्त हैं;

(ख) शौचालयों और मूत्रालयों तथा स्वच्छता खण्डों के फर्श और नब्बे सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भीतरी दीवारें कांचित टाइलों की बनी होंगी अथवा इस प्रकार परिसाधित होंगी कि चिकनी पालिश की हुई अप्रवेश्य सतह हो;

(ग) उपधारा (1) के खण्ड (घ) और (ङ) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शौचालयों और मूत्रालयों के ऐसे बनाए गए या परिसाधित फर्शों, दीवारों के भागों तथा मलपात्रों को हर सात दिन में कम से कम एक बार यथोचित अपमार्जकों या रोगाणुनाशियों से अथवा दोनों से पूर्णतया धोया और साफ किया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार किसी कारखाने में मामूली तौर से नियोजित पुरुष और स्त्री कर्मकारों की संख्या के अनुपात में वहां के लिए शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या विहित कर सकेगी, और कारखानों में सफाई की बाबत ऐसी अतिरिक्त बातों के लिए, जिनके अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कर्मकारों की बाध्यताएं भी हैं, जैसी वह वहां नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य के हित में आवश्यक समझती है, उपबन्ध कर सकेगी ।

20. थूकदान.–(1) हर कारखाने में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में थूकदानों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें साफ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाएगा ।

(2) राज्य सरकार किसी कारखाने में रखे जाने के लिए थूक–दानों के प्रकार और उनकी संख्या तथा उनका स्थान विहित करने वाले नियम बना सकेगी और उन्हें साफ और स्वास्थ्यकर दशा में रखने की बाबत ऐसी ही अतिरिक्त बातों के लिए उपबन्ध कर सकेगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति उस प्रयोजन के लिए रखे गए थूकदानों में थूकने के सिवाय कारखाने के परिसर के अन्दर नहीं थूकेगा तथा ऐसा उपबन्ध और उसके अतिक्रमण के लिए शास्ति अन्तर्विष्ट करने वाली एक सूचना परिसर में यथोचित स्थानों पर विशिष्टतः प्रदर्शित होगी ।

(4) जो कोई उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए थूकेगा वह पांच रुपए से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

CHAPTER IV

Safety

21. Fencing of machinery.- (1) In every factory the following, namely-

(i) every moving part of a prime-mover and every flywheel connected to a prime-mover, whether the prime-mover or flywheel is in the engine-house or not;

(ii) the headrace and tailrace of every water-wheel and water-turbine;

(iii) any part of a stock bar which projects beyond the head stock of a lathe; and

(iv) unless they are in such position or of such construction as to be safe to every person employed in the factory as they would be if they were securely fenced, the following, namely:-

(a) every part of an electric generator, a motor or rotary convertor;

(b) every part of transmission machinery; and

(c) every dangerous part of any other machinery;

shall be securely fenced by safeguards of a substantial construction which shall be constantly maintained and kept in position while the parts of machinery they are fencing, are in motion or in use:

Provided that for the purpose of determining whether any part of machinery in such position or is of such construction as to be safe as aforesaid, account shall not be taken of any occasion when-

(i) it is necessary to make an examination of any part of the machinery aforesaid while it is in motion or, as a result of such examination to carry out lubrication or other adjusting operation while the machinery is in motion, being an examination of operation which it is necessary to be carried out while that part of the machinery is in motion. or

(ii) in the case of any part of a transmission machinery used in such process as may be prescribed (being a process of a continuous nature, the carrying on of which shall be or is likely to be substantially interfered with by the stoppage of that part of the machinery), it is necessary to make an examination of such part of the machinery while it is in motion or, as a result of such examination, to carry out any mounting or shipping of belts or lubrication, or other adjusting operation while the machinery is in motion,

and such examination or operation is made or carried out in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 22.

(2) The State Government may by rules prescribe such further precautions as it may consider necessary in respect of any particular machinery or part thereof or exempt, subject to such condition as may be prescribed, for securing the sefety of the workers, any particular machinery or part thereof from the Provisions of this section.

22. Work on or near machinery in motion.—(1) Where in any factory it becomes necessary to examine any part of machinery referred to in section 21, while the machinery is in motion, or, as a result of such examination, to carry out—

(a) in a case referred to in clause (i) of the proviso to sub-section (1) of section 21, lubrication or other adjusting operation; or

अध्याय 4

सुरक्षा

21. मशीनरी पर बाड़ लगाना—(1) हर कारखाने में निम्नलिखित पर, अर्थात् :—

(i) मूलगति उत्पादक के प्रत्येक गतिमान भाग और मूलगति उत्पादक के संसक्त प्रत्येक गति—पालक—चक्र पर चाहे मूलगति उत्पादक या गति—पालक—चक्र इंजनघर में हो या न हो;

(ii) प्रत्येक जल चक्र और जल टर्बाइन की आवाही कुल्या और अंत कुल्या पर;

(iii) धारक छड़ के किसी भाग पर जो खराद में के अग्रधारक से आगे निकल जाता; और

(iv) निम्नलिखित पर उस दशा में के सिवाय जिसमें ऐसी स्थिति में या इस प्रकार के बने हैं कि कारखाने में नियोजित हर व्यक्ति के लिए उसी प्रकार से निरापद हैं जैसे वे उन पर सुरक्षित रूप से बाड़ लगाए जाने पर होते, अर्थात् :—

(क) किसी विद्युतजनित्र, मोटर या घर्णी परिवर्तित्र के प्रत्येक भाग,

(ख) संचारण मशीनरी के प्रत्येक भाग, और

(ग) किसी अन्य मशीनरी के प्रत्येक संकटपूर्ण भाग,

सुदृढ़ सुरक्षणों द्वारा सुरक्षित रूप से बाड़ लगाई जाएगी जो मशीनरी के बाड़ लगाए गए भाग के गति या प्रयोग में होने के समय निरन्तर अनुरक्षित रखे जाएंगे और अपनी जगह स्थिर रहेंगे :

परन्तु यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि मशीनरी का कोई भाग ऐसी स्थिति में है या इस प्रकार का बना है कि वह पूर्वोक्त रूप में निरापद है ऐसे किसी अवसर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जब—

(i) पूर्वोक्त मशीनरी के गति में होते हुए उसके किसी भाग की परीक्षा करना या ऐसी परीक्षा के फलस्वरूप मशीनरी के गति में होते हुए स्नेहन या अन्य समायोजन संक्रिया क्रियान्वित करना आवश्यक है और वह परीक्षा या संक्रिया ऐसी है जिसका मशीनरी के उस भाग के गति में होते हुए क्रियान्वित करना आवश्यक है, या

(ii) ऐसी प्रक्रिया में, जो विहित की जाए (यह ऐसी निरन्तर प्रकृति की प्रक्रिया हो जिसके चलाए जाने में मशीनरी के उस भाग के बन्द किए जाने से पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचेगी या बाधा पहुंच सकती है) प्रयुक्त संचारण मशीनरी के किसी भाग की दशा में ऐसी मशीनरी के गति में होने के समय मशीनरी के ऐसे भाग की परीक्षा करना या ऐसी परीक्षा के फलस्वरूप मशीनरी के गति में होने के समय पट्टों का चढ़ाया जाना या उनका अन्तरित किया जाना या स्नेहन या अन्य समायोजन संक्रिया आवश्यक है,

और ऐसी परीक्षा या संक्रिया धारा 22 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार की जाती है या क्रियान्वित की जाती है ।

(2) राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त पूर्वावधानियां, जैसी वह किसी विशिष्ट मशीनरी या उसके भाग के बारे में आवश्यक समझे, नियमों द्वारा विहित कर सकेगी या कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, किसी विशिष्ट मशीनरी या उसके भाग को इस धारा के उपबन्धों से छूट दे सकेगी ।

22. मशीनरी के गति में होने पर उस पर या उसके निकट काम.—(1) जहां किसी कारखाने में धारा 21 में निर्दिष्ट मशीनरी के किसी भाग की, उस मशीनरी के गति में होते हुए, परीक्षा करना आवश्यक हो जाता है या ऐसी परीक्षा के फलस्वरूप, यह आवश्यक हो जाता है कि मशीनरी के गति में होने के समय—

(क) धारा 21 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (i) में स्नेहन या अन्य समायोजन संक्रिया क्रियान्वित की जाए; या

(b) in a case referred to in clause (ii) of the proviso aforesaid, any mounting or ship ping of belts or lubrication or other adjusting operation,

while the machinery is in motion, such examination or operation shall be made or carried out only by a specially trained adult male worker wearing tight fitting clothing (which shall be supplied by the occupier) whose name has been recorded in the register prescribed in this behalf and who has been furnished with a certificate of his appointment, and while he is so engaged,-

(a) such worker shall not handle a belt at a moving pulley unless-

(i) the belt is not more than fifteen centimeters in width;

(ii) the pulley is normally for the purpose of drive and not merely a fly-wheel or balance wheel (in which case belt is not permissible);

(iii) the belt joint is either laced or flush with the belt;

(iv) the belt, including the joint and the pulley rim, are in good repair;

(v) there is reasonable clearance between the pulley and any fixed plant or structure;

(vi) secure foothold and, where necessary, secure handhold, are provided for the operator; and

(vii) any ladder in use for carrying out any examination or operation aforesaid is securely fixed or lashed or is firmly held by a second person ;

(b) without prejudice to any other provision of this Act relating to the fencing of machinery, every set screw, bolt and key on any revolving shaft, spindle, wheel or pinions and all spur, worm and other toothed or friction gearing in motion with which such worker would otherwise be liable to come into contact, shall be securely fenced to prevent such contact.

(2) No woman or young person shall be allowed to clean, lubricate or adjust any part of a prime-mover or of any transmission machinery while prime-mover or transmission machinery is in motion, or to clean, lubricate or adjust any part of any machine if the cleaning, lubrication or adjustment thereof would expose the woman or young person to risk of injury from any moving part either of that machine or of any adjacent machinery.

(3) The State Government may, by notification in the Official Gazette prohibit, in any specified factory or class or description of factories, the cleaning, lubricating or adjusting by any person of specified parts of machinery when those palts are in motion.

23. Employment of young persons on dangerous machines.-(1) No young person shall be required or allowed to work at any machine to which this section applies, unless he has been fully instructed as to the dangers arising in connection with the machine and the precautions to be observed, and-

(a) has received sufficient training in work at the machine, or

(b) is under adequate supervision by a person who has a thorough knowledge and experience of the machine.

(2) Sub-section (1) shall apply to such machines as may be prescribed by the State

(ख) पूर्वोक्त परन्तु क के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट दशा में पट्टों को चढ़ाया जाए या उनको अंतरित किया जाए या स्नेहन या अन्य समायोजन संक्रिया क्रियान्वित की जाए,

वहां ऐसी परीक्षा या संक्रिया चुस्त कपड़े पहने, जो अधिष्ठाता द्वारा दिए जाएंगे, विशेष रूप से प्रशिक्षित उस वयस्क पुरुष कर्मकार द्वारा ही की जाएगी जिसका नाम इस निमित्त विहित रजिस्टर में अभिलिखित है और जिसे उसकी नियुक्ति का प्रमाणपत्र दे दिया गया है और जब वह ऐसे काम में लगा हुआ हो–

(क) ऐसा कर्मकार गतिमान घिरनी पर पट्टे से सम्बन्धित कोई काम तभी करेगा जब–

(i) पट्टा चौड़ाई में 15 सें० मी० से अधिक न हो;

(ii) घिरनी सामान्यतः चलाने के प्रयोजन के लिए हो, न कि केवल फ्लाई व्हील या संतुलित व्हील (जिसमें पट्टे की इजाजत नहीं है) हो;

(iii) पट्टे का जोड़ पट्टे से मिला हुआ या सपाट लगाया हुआ हो;

(iv) पट्टा, जिसके अन्तर्गत जोड़ और घिरनी रिम भी है, अच्छी मरम्मत की दशा में हो;

(v) घिरनी और किसी लगे हुए संयंत्र या किसी संरचना के बीच उचित दूरी हो;

(vi) सुरक्षित पायदान और जहां आवश्यक हो वहां सुरक्षित हत्थे चालक के लिए दिए गए हों; और

(vii) पूर्वोक्त परीक्षा या संक्रिया क्रियान्वित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कोई सीढ़ी सुरक्षित रूप से लगाई गई हो या बांधी गई हो या दूसरे व्यक्ति द्वारा मजबूती से पकड़ी गई हो;

(ख) मशीनरी पर बाड लाने से सम्बद्ध इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी परिक्रामी शाफ्ट पर के प्रत्येक जड़े हुए पेच, काबला और कीली पर, प्रत्येक तर्कु, चक्र या पिनियन पर और सभी स्पर, वर्म तथा गति में के अन्य दतुंर या घर्षण गियरों पर, जिससे ऐसे कर्मकार के अन्यथा सम्पर्क में आने की संभाव्यता हो, ऐसे सम्पर्क का निवारण करने के प्रयोजन के लिए सुरक्षित रूप से बाड़ लगाई जाएगी ।

(2) किसी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को किसी मूलगति उत्पादक के या संचारण मशीनरी के किसी भाग की, जब मूलगति उत्पादक या संचारण मशीनरी गति में हो, सफाई, स्नेहन या समायोजन करने की अथवा यदि किसी मशीन के किसी भाग की सफाई, स्नेहन या समायोजन उस स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को उस मशीन के या किसी पार्श्वस्थ मशीनरी के किसी गतिमान भाग से क्षति की आशंका में डाल देगा तो उस मशीन के किसी भाग की सफाई, स्नेहन या समायोजन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(3) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने में मशीनरी के विनिर्दिष्ट भागों की, जब वे गति में हों, किसी व्यक्ति द्वारा सफाई, स्नेहन या समायोजन प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

23. खतरनाक मशीनों पर अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन–(1) किसी अल्पवय व्यक्ति से किसी मशीनरी पर, जिसको यह धारा लागू होती है, काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि उसको उस मशीन से पैदा होने वाले खतरों तथा अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियों के बारे में पूर्णतः अवगत न करा दिया गया हो तथा–

(क) उसे मशीन पर काम का पूर्णतः प्रशिक्षण न मिल गया हो, या

(ख) वह ऐसे व्यक्ति के पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन न हो जिसको उस मशीन की पूर्ण जानकारी और अनुभव है ।

(2) उपधारा (1) ऐसी मशीनरों को लागू होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो

Government, being machines which in its opinion are of such a dangerous character that young persons ought not to work at them unless the foregoing requirements are complied with.

24. Striking gear and devices for cutting off power.-(1) In every factory-

(a) suitable striking gear or other efficient mechanical appliance shall be provided and maintained and used to move driving belts to and from fast and loose pulleys which form part of the transmission machinery, and such gear or appliances shall be so constructed, placed and maintained so as to prevent the belt from creeping back on to the first pulley;

(b) driving belts when not in use shall not be allowed to rest or ride upon shafting in motion.

(2) In every factory suitable devices for cutting off power in emergencies from running machinerv shall be provided and maintained in every workroom:

Provided that in respect of factories in operation before the commencement of this Act, the provisions of this sub-section shall apply only to workrooms in which electricity is used as power.

(3) When a device, which can inadvertently shift from "off" to "on" position, is provided in a factory- to cut off power, arrangements shall be provided for locking the device in safe position to prevent accidental starting of the transmission machinery or other machines to which the device it fitted.

25. Self-acting machines.-No traversing part of a self-acting machine in any factory and no material carried thereon shall, if the space over which it runs is a space over which any person is liable to pass, whether in the course of his employment or otherwise, be allowed to run on its outwards or inward traverse within a distance forty-five centimeters from any fixed structure which is not part of the machine:

Provided that the Chief Inspector may permit the continued use of a machine installed before the commencement of this Act which does not comply with the requirements of this section on such conditions for ensuring safety as he may think fit to impose.

26. Casing of new machinery.-(1) In all machinery driven by power and installed in any factory after the commencement of this Act,-

(a) every set screw, bolt or key on any revolving shaft, spindle, wheel or pinion shall be so sunk, encased or otherwise effectively guarded as to prevent danger;

(b) all spur, worm and other toothed or friction gearing which does not require frequent adjustment while in motion shall be completely encased, unless it is so situated as to be as safe as it would be if it were completely encased.

(2) Whoever sells or lets on hire or, agent of a seller or hirer, causes or procures to be sold or let on hire, for use in a factory any machinery driven by power which does not comply with the provisions of sub-section (1) or any rules made under sub-section (3), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

ऐसी मशीनें होंगी जो उसकी राय में ऐसी खतरनाक प्रकार की हैं कि उन पर अल्पवय व्यक्तियों को तब तक काम नहीं करना चाहिए जब तक कि पूर्वगामी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर दी जाती ।

24. बिजली काटने के लिए आद्यत–गियर और युक्तियां.–(1) प्रत्येक कारखाने में–

(क) उपयुक्त आद्यत–गियर या अन्य कारगर यांत्रिक साधित्र की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा तथा उन्हें चालन पट्टों को सख्त और ढीली घिरनियों तक और उनसे चलाने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जो कि संचारण मशीनरी के भाग हैं तथा ऐसे गियर और साधित्र इस प्रकार के बने होंगे, इस प्रकार स्थित होंगे और ऐसे बनाए रखे जाएंगे जिससे कि पट्टे का सख्त घिरनी को वापस जाना निवारित हो जाए;

(ख) चालन पट्टों को जब कि उन्हें प्रयुक्त नहीं किया जाएगा शैफ्ट पर, जो गति में हैं, रहने या चढ़ने नहीं दिया जाएगा ।

(2) हर एक कारखाने में आपात के समय चालू मशीनरी से बिजली काटने के लिए उपयुक्त युक्तियों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें प्रत्येक काम करने के कमरे में रखा जाएगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व चालू कारखानों की दशा में इस उपधारा के उपबन्ध काम करने के ऐसे कमरों को ही लागू होंगे जिनमें शक्ति के रूप में बिजली का प्रयोग किया जाता है ।

(3) जहां कारखाने में बिजली काटने के लिए ऐसी युक्ति का उपबन्ध किया गया है जो असावधानी से बन्द होने से चालू होने की स्थिति में बदल सकती है वहां सुरक्षित जगह में युक्ति में ताला लगाने की व्यवस्था करने के लिए प्रबंध किए जाएंगे जिससे कि संचारण मशीनरी या ऐसी अन्य मशीनों को, जिससे युक्ति जड़ी हुई है, अनायास चालू होने को रोक जा सके ।

25. स्वक्रिय मशीनें–किसी कारखाने में स्वक्रिय मशीन के आर–पार गामी भाग और उस पर ले जाई जाने वाली किसी सामग्री को उस दशा में जिसमें वह स्थान जिस पर वह घूमता है ऐसा स्थान है जिसमें किसी व्यक्ति के चाहे अपने नियोजन के दौरान या अन्यथा गुजरने की संभाव्यता हो, किसी स्थिर संचरना से जो मशीन का भाग नहीं है पैंतालीस सेंटीमीटर की दूरी के अन्दर बाहरी या भीतरी आर–पार गमन पथ पर चलने नहीं दिया जाएगा :

परन्तु मुख्य निरीक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्रतिष्ठापित किसी मशीन के, जो इस धारा की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती है, प्रयोग को जारी रखने की अनुज्ञा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शर्तों पर दे सकेगा जैसी अधिरोपित करना वह ठीक समझे ।

26. नई मशीनरी का आवेष्टन.–(1) बिजली से चलने वाली और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी कारखाने में प्रतिष्ठापित सभी मशीनरी में–

(क) किसी परिक्रामी शैफ्ट पर का प्रत्येक जड़ा हुआ पेच, काबला या कीली प्रत्येक तुर्क, चक्र या पिनियन इस प्रकार धंसाया, आवेष्टित या अन्यथा प्रभावपूर्ण रूप से संरक्षित किया जाएगा जिससे संकट का निवारण हो जाए;

(ख) सब स्पर, वर्म तथा अन्य दंतुर या घर्षण गियर जिसके लिए उस समय जब वह गति में हो बार–बार समायोजन अपेक्षित नहीं होता, पूर्णतः आवेष्टित किया जाएगा जब तक कि वह इस प्रकार स्थित न हो जिससे वह उतना ही सुरक्षित हो जितना वह पूर्णतः आवेष्टित होने पर होता ।

(2) जो कोई बिजली से चालित किसी मशीनरी को जो (उपधारा (1) के या उपधारा (3) के अधीन बने किन्हीं नियमों के उपबन्धों की पूर्ति नहीं करती किसी कारखाने में प्रयोग के लिए बेचेगा या किराए पर देगा अथवा बेचने या किराए पर देने वाले के अभिकर्ता के रूप में बिकवाएगा या किराए पर दिलाएगा अथवा बेचने या किराए पर देने के लिए उपाप्त करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) The State Government may make rules specifying further safeguards to be provided in respect of any other dangerous part of any particular machine or class or description of machines.

27. Prohibition of employment of women and children near cotton-openers.—No woman or child shall be employed in any part of a factory for pressing cotton in which a cotton-opener is at work:

Provided that if the feed-end of a cotton-opener is in a room separated from the delivery end by a partition extending to the roof or to such height as the Inspector may in any particular case specify in writing, women and children may be employed on the side of the partition where the feed-end is situated.

28. Hoist and lifts.-(1) In every factory-

(a) every hoist and lift shall be-

(i) of good mechanical construction, sound material and adequate strength;

(ii) properly maintained, and shall be thoroughly examined by a competent person at least once in every period of six months, and a register shall be kept containing the prescribed particulars of every such examination;

(b) every hoist way and lift way shall be sufficiently protected by an enclosure fitted with gates, and the hoist or lift and every such enclosure shall be so constructed as to prevent any person or thing from being trapped between any part of the hoist or lift and any fixed structure or moving part;

(c) the maximum safe working load shall be plainly marked on every hoist or lift, and no load greater than such load shall be carried thereon;

(d) the cage of every hoist or lift used for carrying persons shall be fitted with a gate on each side from which access is afforded to a landing;

(e) every gate referred to in clause (b) or clause (d) shall be fitted with inter-locking or other efficient device to secure that the gate cannot be opened except when the cage is at the landing and that the cage cannot be moved unless the gate is closed.

(2) The following additional requirements shall apply to hoists and lifts used for carrying persons and installed or reconstructed in a factory after the commencement of this Act, namely:-

(a) where the cage is supported by rope or chain, there shall be at least two ropes or chains separately connected with the cage and balance weight, and each rope or chain with its attachments shall be capable of carrying the whole weight of the cage together with its maximum load;

(b) efficient devices shall be provided and maintained capable of supporting the cage together with its maximum load in the event of breakage of the ropes, chains or attachments;

(c) an efficient automatic device shall be provided and maintained to prevent the cage from over-running.

(3) राज्य सरकार किसी विशिष्ट मशीन या वर्ग या प्रकार की मशीनों के किसी अन्य खतरनाक भाग के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाने वाला अतिरिक्त सुरक्षण विनिर्दिष्ट करने वाले नियम बना सकेगी ।

27. रुई–धुनकियों के पास स्त्रियों और बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध.–रूई दबाने के कारखाने के किसी ऐसे भाग में, जिसमें रूई धुनकी चल रही हो, किसी स्त्री या बालक को नियोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि रूई–धुनकी का भराई–सिरा ऐसे कमरे में हो जो निकासी सिरे से ऐसे विभाजक द्वारा पृथक् किया गया है जिसका विस्तार छत तक हो या जिसकी ऊंचाई इतनी हो जितनी निरीक्षक किसी विशिष्ट मामले में लिखकर विनिर्दिष्ट करे तो स्त्रियों और बालकों को विभाजक के उस ओर नियोजित किया जा सकेगा जहां भराई–सिरा स्थित हो ।

28. उत्तोलक और उत्थापक.–(1) प्रत्येक कारखाने में–

(क) हर उत्तोलक और उत्थापक–

(i) समुचित यांत्रिक सन्निर्माण, ठोस सामग्री और पर्याप्त सामर्थ्य का होगा,

(ii) उचित रूप से अनुरक्षित होगा और प्रत्येक छह मास की कालावधि में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्णरूप से परीक्षित किया जाएगा और प्रत्येक ऐसी परीक्षा की विहित विशिष्टियां एक रजिस्टर में रखी जाएंगी;

(ख) प्रत्येक उत्तोलक मार्ग और उत्थापक मार्ग ऐसे बाड़े से संरक्षित होगा जिस पर फाटक होंगे तथा उत्तोलक या उत्थापक और प्रत्येक ऐसा बाड़ा इस प्रकार का बना होगा कि कोई व्यक्ति या चीज उस उत्तोलजक या उत्थापक के किसी मार्ग तथा किसी स्थिर संरचना या गतिमान भाग के बीच न फंसने पाए;

(ग) अधिकतम सुवहनीय भाग प्रत्येक उत्तोलक या उत्थापक पर स्पष्ट रूप से अंकित होगी और ऐसे भार से अधिक भार उस पर नहीं ले जाया जाएगा;

(घ) व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक उत्तोलक या उत्थापक के पिंजर के हर ओर एक फाटक होगा जिससे उतरने के लिए मार्ग मिले;

(ङ) खण्ड (ख) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्रत्येक फाटक अंतःपाशी या ऐसे अन्य कारगार साधन से युक्त होगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि फाटक तब तक नहीं खुलेगा जब तक पिंजर उतरने के स्थान पर न हो और पिंजर तक तब चालित नहीं किया जा सकेगा जब तक फाटक बन्द न हो जाए ।

(2) व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् किसी कारखाने में प्रतिष्ठापित या पुनः सन्निर्मित उत्तोलकों और उत्थापकों के बारे में निम्नलिखित अतिरिक्त अपेक्षाएं लागू होंगी, अर्थात्–

(क) जहां पिंजर रस्सी या जंजीर से समर्थित हो वहां कम से कम दो रस्सियां या जंजीरें होंगी जो पिंजर और संतुलन वजन के साथ पृथक् रूप से जुड़ी होंगी और अपने संलग्नकों सहित प्रत्येक रस्सी या जंजीर, पिंजर के सम्पूर्ण वजन को उसके अधिकतम भार के सहित ले जाने के लिए समर्थ होगी;

(ख) ऐसे कारगर साधनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अनुरक्षित रखा जाएगा जो रस्सियों, जंजीरों या संलग्नकों के टूट जाने की दशा में पिंजर को उसके अधिकतम भार सहित आलम्ब दे सकें;

(ग) पिंजर को सीमा से आगे निकल जाने से रोकने के लिए कारगर स्वचालित युक्ति की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा ।

(3) The Chief Inspector may permit the continued use of a hoist or lift installed in a factory before the commencement of this Act which does not fully comply with the provisions of sub-section (1) upon such conditions for ensuring safety as he may think fit to impose.

(4) The State Government may, if in respect of any class or description of hoist or lift, is of opinion that it would be unreasonable to enforce any requirements of sub-sections (1) and (2), by order direct that such requirement shall not apply to such class or description of hoist or lift.

Explanation.- For the purposes of this section, no lifting machine or appliance shall be deemed to be a hoist or lift unless it has a platform or cage, the direction or movement of which is restricted by a guide or guides.

29. Lifting machines, chains, ropes and lifting tackles.—(1) In any factory the following provisions shall be complied with in respect of every lifting machine other than a hoist and lift and every chain, rope and lifting tackle for the purpose of raising or lowering persons, goods or materials:—

(a) all parts, including the working gear, whether fixed or movable, of every lifting machine and every chain, rope or lifting tackle shall be-

 (i) of good construction, sound material and adequate strength and free from defects;

 (ii) properly maintained; and

 (iii) thoroughly examined by a competent person at least once in every period of twelve months, or at such intervals as the Chief Inspector may specify in writing, and a register shall be kept containing the pre scribed particulars of every such examination;

(b) no lifting machine and no chain, rope or lifting tackle shall, except for the purpose of test, be loaded beyond the safe working load which shall be plainly marked there on together with an identification mark and duly entered in the prescribed register; and where this is not practicable, a table showing the safe working load of every kind and size of lifting machine or chain, rope of lifting tackle in use, shall be displayed in prominent position on the premises;

(c) while any person is employed or working on or near the wheel track of a travelling crane in any place where he would be liable to be struck by the crane, effective measures shall be taken to ensure that the crane does not approach within six meters of that place.

(2) The State Government may make rules in respect of any lifting machine or any chain, rope or lifting tackle used in factories-

(a) prescribing further requirements to be compiled with in addition to those set out in this section ;

(b) providing for exemption from compliance with all or any of the requirements of this section, where in its opinion, such compliance is unnecessary or impracticable.

(3) मुख्य निरीक्षक, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व किसी कारखाने में प्रतिष्ठापित ऐसे उत्तोलक या उत्थापक का, जो उपधारा (1) के उपबन्धों की पूर्णतः पूर्ति नहीं करता, प्रयोग करते रहने की अनुज्ञा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शर्तों पर दे सकेगा जैसी अधिरोपित करना वह ठीक समझे ।

(4) यदि किसी वर्ग या प्रकार के उत्तोलक या उत्थापक के बारे में राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा (1) और उपधारा (2) की किसी अपेक्षा को प्रवृत्त करना अयुक्तियुक्त होगा तो वह आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसी अपेक्षा ऐसे वर्ग या प्रकार के प्रत्येक उत्तोलक या उत्थापक को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी उत्थापक यंत्र या साधित्र को तब तक उत्तोलक या उत्थापक नहीं समझा जाएगा जब तक उसमें कोई ऐसा मंच या पिंजर न हो जिसकी दिशा या गतिशीलता गाइड या गाइडों द्वारा निर्बंधित हो ।

29. उत्थापक यंत्र, जंजीरें, रस्सियां और उत्थापक टैकल–(1) किसी भी कारखाने में, व्यक्तियों, मालों या सामग्रियों को ऊपर या नीचे ले जाने के प्रयोजन के लिए उत्तोलक और उत्थापक से भिन्न प्रत्येक उत्थापक यंत्र और प्रत्येक जंजीर, रस्सी और उत्थापक टैकल के संबंध में निम्नलिखित उपबंधों का पालन किया जाएगा–

(क) प्रत्येक उत्थापक यंत्र के सब भाग, जिनके अन्तर्गत चालू गियर भी हैं, चाहे वे स्थिर हों या गतिमान, तथा प्रत्येक जंजीर, रस्सी या उत्थापक टैकल–

  (i) समुचित सन्निर्माण, ठोस सामग्री और पर्याप्त सामर्थ्य के होंगे तथा उनमें कोई खराबी नहीं होगी,

  (ii) उचित रूप में अनुरक्षित होंगे, और

  (iii) प्रत्येक बारह मास की कालावधि में कम से कम एक बार या ऐसे अंतरालों में जैसे मुख्य निरीक्षक लिखकर विनिर्दिष्ट करे, सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से, परीक्षित किए जाएंगे, और प्रत्येक ऐसी परीक्षा की विहित विशिष्टियां, एक रजिस्टर में रखी जाएंगी;

(ख) परख करने के प्रयोजन से अन्यथा कभी भी किसी उत्थापक यंत्र और जंजीर, रस्सी या उत्थापक टैकल पर उस सुवहनीय भार से अधिक भार नहीं लादा जाएगा जो पहचान चिह्न सहित उस पर स्पष्टतः अंकित होगा, और विहित रजिस्टर में सम्यक् रूप से दर्ज होगा, और जहां यह साध्य न हो वहां उपयोग में लाए जा रहे हर प्रकार और आकार के उत्थापक यंत्र या जंजीर, रस्सी या उत्थापक टैकल के सुवहनीय भारों के दर्शित करने वाली सारणी परिसर के प्रमुख स्थानों पर सम्प्रदर्शित होगी;

(ग) जब कोई व्यक्ति किसी चल–क्रेन के चक्रमार्ग पर या उसके पास किसी ऐसे स्थान पर नियोजित है या काम कर रहा है जहां उसके क्रेन से टकराने के सम्भाव्यता हो तब यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे कि क्रेन उस स्थान के छह मीटर के अन्दर न आए ।

(2) राज्य सरकार कारखानों में प्रयुक्त किए जाने वाले किसी उत्थापक यंत्र या किसी जंजीर, रस्सी या उत्थापक टैकल के संबंध में–

(क) इस धारा में उपवर्णित अपेक्षाओं के साथ–साथ अनुवर्तित की जाने वाली अतिरिक्त अपेक्षाएं विहित करने वाले;

(ख) इस धारा की सब अपेक्षाओं या उनमें से किसी के अनुवर्तन से, जहां उसकी राय में ऐसा अनुवर्तन अनावश्यक या असाधनीय हो, छूट के लिए उपबन्ध करने वाले,

नियम बना सकेगी ।

(3) For the purposes of this section a lifting machine or a chain, rope or lifting tackle shall be deemed to have been thoroughly examined if a visual examination supplemented, if necessary, by other means and by the dismantling of parts of the gear, has been carried out as carefully as the conditions permit in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined.

Explanation.- In this section,-

(a) "lifting machine" means a crane, crab, winch, teagle, pully block, gin wheel, transporter or runway;

(b) "lifting tackle" means any chain sling, rope sling, hook, shackle, swivel, coupling, socket, clamp, tray or similar appliance, whether fixed or movable, used in connection with the raising or lowering of persons, or loads by use lifting machines.

30. Revolving machinery.—(1) In every factory in which the process of grinding is carried on there shall be permanently affixed to or placed ear each machine in use a notice indicating the maximum safe working peripheral speed of every grindstone or abrasive wheel, the speed of the shaft or spindle upon which the wheel is mounted, and the diameter of the pulley upon such shaft or spindle necessary to secure such safe working peripheral speed.

(2) The speeds indicated in notices under sub-section (1) shall not be exceeded.

(3) Effective measure shall be taken in every factory to ensure that the safe working peripheral speed of every revolving vessel, cage, basket, flywheel pulley, disc or similar appliance driven by power is not exceeded.

31. Pressure plant. -(1) If in any factory, any plant or machinery or any part thereof is operated at a pressure above atmospheric pressure, effective measures shall be taken to ensure that the safe working pressure of such plant or machinery or part is not exceeded.

(2) The State Government may make rules providing for the examination and testing of any plant or machinery such as is referred to in sub-section (1) and prescribing such other safety measures in relation thereto as may in its opinion, be necessary in any factory or class or description of factories.

(3) The State Government may, by rules, exempt, subject to such conditions as may be specified therein, any part of any plant or machinery referred to in sub-section (1) from the provisions of this section.

32. Floors, stairs and means of access. -In every factory—

(a) all floors, steps, stairs, passengers and gangways shall be of sound construction, and properly maintained and shall be kept free from obstructions and sub stances likely to cause persons to slip and where it is necessary to ensure safety, steps, stairs, passages and gangways shall be provided with substantial handrails;

(b) there shall, so far as is reasonably practicable, be provided, and maintained safe means of access to every place at which any person is at any time required to work;

(c) when any person has to work at a height from where he is likely to fall, provision shall be made, so far as is reasonably practicable, by fencing or otherwise, to ensure the safety of the person so working.

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए उत्थापक यंत्र या जंजीर, रस्सी या उत्थापक टैकल उस दशा में पूर्ण रूप से परीक्षित किए गए समझे जाएंगे, जिसमें उनकी चाक्षुष, यदि आवश्यक हो तो अन्य साधनों से और गियर के भागों को खोलकर भी, परीक्षा इतनी सावधानी के साथ जितनी परिस्थितियों में हो सके, इस विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की दृष्टि से की जा चुकी है कि परीक्षित भाग निरापद हैं

स्पष्टीकरण.—इस धारा में—

(क) "उत्थापक यंत्र" से क्रेन, क्रैब, विंच, टीगल, घिरनी—आलम्ब, जिन चक्र, परिवाहक या धावन पथ अभिप्रेत हैं;

(ख) "उत्थापक टैकल" से अभिप्रेत है जंजीर के स्लिंग, रस्सी के स्लिंग, हुक, शैक्ल, स्विवेल, युग्मन, साकेट, क्लैम्प, ट्रे या समतुल्य साधित्र, चाहे स्थिर हो या चल, जिसका प्रयोग व्यक्तियों या भार को उत्थापक यंत्रों का प्रयोग करके ऊपर ले जाने या नीचे ले आने के लिए किया जाता है ।

30. परिक्रामी मशीनरी—प्रत्येक कारखाने में, जिसमें घिसाई प्रक्रिया चलती है, प्रयुक्त किए जा रहे प्रत्येक यंत्र से स्थायी रूप से चिपकाई हुई या उसके पास रखी हुई एक सूचना होगी जिसमें प्रत्येक स्थान या अपघर्षी—चक्र की अधिकतम निरापद कर्मचालन परिधीय चाल, उस शैफ्ट या तर्कु की गति जिस पर चक्र चढ़ाया हुआ हो, और ऐसी निरापद कर्मचालन परिधीय चाल प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऐसे शैफ्ट या तर्कु पर घिरनी का व्यास उपदर्शित होगा ।

(2) गति उससे अधिक नहीं होगी जो उपधारा (1) के अधीन सूचनाओं में उपदर्शित है ।

(3) प्रत्येक कारखाने में यह सुनिश्चित करने के लिए, कारगार उपाय किए जाएंगे कि प्रत्येक परिक्रामी पात्र, पिंजर पेटिका, गतिपालक चक्र, घिरनी, डिस्क या वैसे ही शक्ति चालित साधित्र की गति निरापद कर्मचालन परिधीय चाल से अधिक न हो ।

31. दाब संयंत्र.—(1) यदि किसी कारखाने में कोई संयंत्र या मशीनरी या उसका कोई भाग वायुमंडलीय दाब से अधिक दाव पर प्रचालित किया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे कि ऐसे संयंत्र या मशीनरी या भाग का निरापद कार्यचालन दाब अधिक न हो ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट जैसे किसी संयंत्र या मशीनरी की परीक्षा या परख के लिए उपबन्ध करने वाले और उससे संबंधित ऐसे अन्य सुरक्षा—उपाय जो उसकी राय में किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिए आवश्यक हों, विहित करने वाले नियम बना सकेगी ।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी संयंत्र या मशीनरी के किसी भाग को इस धारा के उपबन्धों से छूट नियमों द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेगी, जो उनमें विनिर्दिष्ट की जाएं ।

32. फर्श, सीढ़ियां और पहुंच के साधन—हर कारखाने में—

(क) सब फर्श, सोपान, सीढ़ियां, मार्ग और गैंगवे सुदृढ़ता से सन्निर्मित और और बाधाओं तथा ऐसे पदार्थों से, जिनके कारण व्यक्तियों के फिसल जाने की सम्भावना हो निर्बाध रखे जाएंगे और जहां सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो वहां सोपानों, सीढ़ियों, मार्गों और गैंगवे के साथ मजबूत रेलिंग लगे होंगे;

(ख) जहां तक युक्तियुक्ततः साध्य हो ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए, जहां पर किसी व्यक्ति से किसी समय काम करने की अपेक्षा हो, पहुंच के निरापद साधनों की व्यवस्था होगी और उन्हें अनुरक्षित रखा जाएगा ;

(ग) जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसी ऊंचाई पर काम करना है जहां से उसके गिर जाने की संभावना है तब, जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य है, इस प्रकार काम कर रहे व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाड़ लगा कर या अन्यथा व्यवस्था की जाएगी ।

33. Pits, sumps, openings in floors, etc. -(1) In every factory every fixed vessel, sump, tank, pit or opening in the ground or in a floor which, by reason of its depth, situation, construction or contents, is or may be a source of danger, shall be either securely covered or securely fenced.

(2) The State Government may, by order in writing, exempt, subject to such conditions as may be prescribed, any factory or class or description of factories in respect of any vessel, sump, tank, pit or opening from compliance with the provisions of this section.

34. Excessive weights. -(1) No person shall be employed in any factory to lift, carry or move any load so heavy as to be likely to cause him an injury.

(2) The State Government may make rules prescribing the maximum weights which may be lifted, carried or moved by adult men, adult women, adolescents and children employed in factories or in any class or description of factories or in carrying on in any specified process.

35. Protection of eyes. -In respect of any such manufacturing process carried on in any factory as may be prescribed, being a process which involves-

(a) risk of injury to the eyes from particles or fragments thrown off in the course of the process, or

(b) risk to the eyes by reason of exposure to excessive light, the State Government may by rules require that effective screens or suitable goggles shall be provided for the protection of persons employed on, or in the immediate vicinity of, the process.

36. Precautions against dangerous fumes, gases, etc.-(1) No person shall be required or allowed to enter any chamber, tank, vat, pit, pipe, flue or other confined space in any factory in which any gas, fume, vapour or dust is likely to be present to such an extent as to involve risk to persons being overcome thereby, unless it is provided with a manhole of adequate size or other effective means of egress.

(2) No person shall be required or allowed to enter any confined space as is referred to in sub-section (1), until all practicable measures have been taken to remove any gas, fume, vapour or dust, which may be present so as to bring its level within the permissible limits and to prevent any ingress of such gas, fume, vapour or dust and unless-

(a) a certificate in writing has been given by a competent person, based on a test carried out by himself that the space is reasonably free from dangerous gas, fume, vapour or dust: or

(b) such person is wearing suitable breathing apparatus and a belt securely at tached to a rope the free end of which is held by a person outside the confined space.

36A. Precautions regarding the use of portable electric light.- In any factory-

(a) no portable electric light or any other electric appliance of voltage exceeding twenty-four volts shall be permitted for use inside any chamber, tank, vat, pit pipe, flue or other confined space unless adequate safety devices are provided; and

33. गर्त, चौबच्चे, फर्शों में विवर आदि.–(1) प्रत्येक कारखाने में, प्रत्येक स्थिर पात्र चौबच्चा, टंकी, गर्त या भूमि अथवा फर्श में विवर, जो अपनी गहराई स्थिति, सन्निर्माण या अन्तर्वस्तु के कारण खतरे का स्रोत है, या हो सकता है, या तो पक्के तौर पर ढका जाएगा या उस पर पक्की बाड़ लगा दी जाएगी ।

(2) राज्य सरकार लिखकर आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को किसी पात्र, चौबच्चे, टंकी, गर्त या विवर के बारे में इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करने से छूट दे सकेगी ।

34. अत्यधिक वजन.–(1) किसी कारखाने में कोई व्यक्ति इतने भारी बोझ को उठाने, ले जाने या खिसकाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जिससे कि उसे क्षति पहुंचने की संभावना हो ।

(2) राज्य सरकार ऐसे अधिकतम वजनों को विहित करने वाले नियम बना सकेगी जो कारखानों में या किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने में या किसी विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के चलाने में नियोजित वयस्क पुरुषों, वयस्क स्त्रियों, कुमारों और बालकों के द्वारा उठाए, ले जाए या खिसकाए जा सकेंगे ।

35. आंखों का बचाव.–किसी कारखाने में चलाई जाने वाली किसी ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में, जैसी विहित की जाए और जो प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें–

(क) प्रक्रिया के अनुक्रम में छिटकने वाले कणों या खण्डों से आंखों को क्षति की जोखिम, या

(ख) अत्यधिक रोशनी पड़ने के कारण आखों को जोखिम,

अन्तर्वलित है, राज्य सरकार नियमों द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि क्रिया में या ठीक पास नियोजित व्यक्तियों के बचाव के लिए यथोचित पर्दों या गागलों की व्यवस्था की जाएगी ।

36. खतरनाक धूम, गैसों, आदि के प्रति पूर्वावधानियां.–(1) किसी व्यक्ति से किसी कारखाने में किसी ऐसे कोष्ठ, टंकी, कुंड, गर्त, पाइप फ्ल्यू या अन्य परिरुद्ध स्थान में, जिसमें किसी गैस, धूल, वाष्प या धूम के इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान होने की संभावना है जिससे व्यक्ति के अभिभूत हो जाने का खतरा है, तब तक प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक उसमें उपयुक्त आकार के मैनहोल या बाहर जाने के अन्य प्रभावी साधनों की व्यवस्था न हो ।

(2) किसी व्यक्ति से उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परिरुद्ध स्थान के भीतर प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक किसी ऐसी गैस, धूम, वाष्प या धूल को, जो विद्यमान हो, अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर उसके स्तर को लाने के लिए हटाने और ऐसी गैस, धूम, वाष्प या धूल के प्रवेश को रोकने के लिए सभी साध्य उपाय नहीं कर लिए गए हों और जब तक–

(क) किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वयं किए गए परीक्षण पर आधारित, ऐसा लिखित प्रमाणपत्र न दे दिया गया हो कि वह स्थान खतरनाक गैस, धूम, वाष्प या धूल से उचित रूप से मुक्त है; या

(ख) ऐसा व्यक्ति यथोचित स्वसन साधित्र और ऐसे रस्से से दृढ़तापूर्वक संलग्न पेटी न पहले हुए हो जिसका खुला सिरा परिरुद्ध स्थान के बाहर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ा हुआ हो ।

36क. वहनीय विद्युत प्रकाश के प्रयोग की बाबत पूर्वावधानियां.–किसी कारखाने में,–

(क) किसी ऐसे कोष्ठ, तालाब, कुंड, गर्त, नलिका, धूमवाहिका या अन्य परिरुद्ध स्थान के भीतर चौबीस वोल्ट से अधिक वोल्टता वाले वहनीय विद्युत प्रकाश या विद्युत साधित्र को उपयोग करने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि पर्याप्त सुरक्षा युक्तियों की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है; और

(b) if any inflammable gas, fume or dust is likely to be present in such chambers tank, vat, pipe, flue or other confined space, no lamp or light other than that of flame proof construction shall be permitted to be used therein.

37. Explosive or inflammable dust, gas, etc. -Where in any factory any manufacturing process produces dust, gas, fume or vapour of such character and to such extent as to be likely to explode on ignition, all practicable measures shall be taken to prevent any such explosion by-

(a) effective enclosure of the plant or machinery used in the process;

(b) removal or prevention of the accumulation of such dust, gas, fume or vapour;

(c) exclusion or effective enclosure of all possible sources of ignition.

(2) Where in any factory the plant or machinery used in a process such as is referred to in sub-section (1), is not so constructed as to withstand the probable pressure which such an explosion as aforesaid would produce, all practicable measures shall be taken to restrict the spread and effects of the explosion by the provision in the plant or machinery of chokes, baffles, vents or other effective appliances.

(3) Where any part of the plant or machinery in a factory contains any explosive or inflammable gas or vapour under pressure greater than atmospheric pressure, that part shall not be opened except in accordance with the following provisions, namely:-

(a) before the fastening of any joint of any pipe connected with the part or the fastening of the cover of any opening into the part is loosened, any flow of the gas or vapour into the part of any such pipe shall be effectively stopped by a stop-valve or other means;

(b) before any such fastening as aforesaid is removed, all practicable measures shall be taken to reduce the pressure of the gas or vapour in the part or pipe to a atmospheric pressure;

(c) where any such fastening as aforesaid has been loosened or removed effective measures shall be taken to prevent any explosive or inflammable gas or vapour from entering the part or pipe until the fastening has been secured, or, as the case may be, securely replaced:

Provided that the provisions of this sub-section shall not apply in the case of plant or machinery installed in the open air.

(4) No plant, tank or vessel which contains or has contained any explosive or inflammable substance shall be subjected, in any factory, to any welding, brazing, soldering or cutting operation which involves the application of heat unless adequate measures have first been taken to remove such substance and any fumes arising therefrom or to render such substance and fumes non- explosive or non-inflammable and no such substance shall be allowed to enter such plant, tank or vessel after any such operation until the metal has cooled sufficiently to prevent any risk of igniting the substance.

(5) The State Government may by rules exempt, subject to such conditions as may be prescribed, any factory or class or description of factories from compliance with all or any of the provisions of this section.

(ख) यदि ऐसे किसी कोष्ठ, तालाब, कुंड, गर्त, नलिका, धूमवाहिका या अन्य परिरुद्ध स्थान के भीतर किसी ज्वलनशील गैस, धूम या धूल के विद्यमान होने की सम्भाव्यता है तो वहां ज्वालासह सन्निर्माण वाले लैम्प या प्रकाश से भिन्न किसी लैम्प या प्रकाश का उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

37. विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि–(1) जहां किसी कारखाने में, किसी विनिर्माण प्रक्रिया से इस प्रकार की और इतनी धूल, गैस, धूम या वाष्प पैदा होती है कि उसके ज्वलन से विस्फुटित होने की सम्भाव्यता हो, वहां ऐसे किसी विस्फोट को रोकने के लिए सब साध्य उपाय निम्नलिखित रूप से किए जाएंगे–

(क) प्रक्रिया में प्रयुक्त संयंत्र या मशीनरी का प्रभावी आवेष्टन;

(ख) ऐसी धूल, गैस, धूम या वाष्प के संचय को हटाना या निवारित करना;

(ग) ज्वलन के सब संभव स्रोतों का अपवर्जन या प्रभावी आवेष्टन ।

(2) जहां किसी कारखाने में उपधारा (1) में निर्दिष्ट जैसी प्रक्रिया में प्रयुक्त संयंत्र या मशीनरी ऐसे सन्निर्मित नहीं है कि वह ऐसे दबाव को सहन कर सके जैसा कि यथापूर्वोक्त विस्फोट से पैदा हो सकता है वहां उस संयंत्र या मशीनरी में चौक, व्यारोध, निकास या अन्य प्रभावी साधित्रों की व्यवस्था करके विस्फोट के फैलाव और प्रभाव को रोकने के लिए सब साध्य उपाय किए जाएंगे ।

(3) जहां किसी कारखाने के संयंत्र या मशीनरी के किसी भाग में कोई विस्फोटक या ज्वलनशील गैस या वाष्प ऐसे दाब के अधीन है जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है, वहां उस भाग को निम्न उपबन्धों के अनुसार खोलने के सिवाय नहीं खोला जाएगा, अर्थात् :–

(क) उस भाग से जुड़े पाइप के किसी जोड़ के कसाव को या उस भाग में के किसी विवर के ढक्कन के कसाव को ढीला करने से पूर्व उस भाग या ऐसे किसी पाइप में गैस या वाष्प के प्रवाह को स्टाप वाल्व या अन्य साधनों से प्रभाव पूर्णतया रोक दिया जाएगा;

(ख) यथापूर्वोक्त किसी कसाव को हटाने से पूर्व उस भाग या पाइप में गैस या वाष्प के दाब को वायुमंडलीय दाब तक घटा देने के लिए सब साध्य उपाय किए जाएंगे;

(ग) जहां यथापूर्वोक्त किसी कसाव को ढीला किया गया या हटाया गया है, वहां कसाव के कस दिए जाने या, यथास्थिति, पक्के तौर से प्रतिस्थापित कर दिए जाने तक उस भाग या पाइप में किसी विस्फोटक या ज्वलनशील गैस या वाष्प के प्रवेश को रोकने के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे :

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध खुली हवा में स्थापित संयंत्र या मशीनरी को लागू नहीं होंगे ।

(4) किसी संयंत्र, टंकी या पात्र में जिसमें कोई विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ है या रह चुका है, किसी कारखाने में वैल्ड करने, पीतल का टांका लगाने, टांका लगाने या काटने की कोई प्रक्रिया, जिसमें ऊष्मा का प्रयोग अन्तर्वलित है, तब तक न की जाएगी जब तक कि ऐसे पदार्थ को और उससे उद्भूत होने वाले किन्हीं धूमों को हटाने के लिए या ऐसे पदार्थ और धूमों को अविस्फोटक और अज्वलनशील बनाने के लिए यथायोग्य उपाय पहले न कर दिए गए हों और किसी ऐसे पदार्थ को ऐसे संयंत्र, टंकी या पात्र में ऐसी प्रक्रिया के पश्चात् तब तक प्रविष्ट न होने दिया जाएगा जब तक कि धातु इतनी पर्याप्त ठंडी न हो गई हो कि उससे पदार्थ के प्रज्वलन की कोई जोखिम न रह जाए ।

(5) राज्य सरकार नियमों द्वारा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को इस धारा के उपबन्धों में से सब या किसी के अनुपालन से छूट दे सकेगी ।

38. Precautions in case of fire. -(1) In every factory, all practicable measures shall be taken to prevent outbreak of fire and its spread, both internally and externally, and to provide and maintain—

(a) safe means of escape for all persons in the event of a fire, and

(b) the necessary equipment and facilities for extinguishing fire.

(2) Effective measures shall be taken to ensure that in every factory all the workers are familiar with the means of escape in case of fire and have been adequately trained in the routine to be following in such cases.

(3) The State Government may make rules, in respect of any factory or class or description of factories, requiring the measures to be adopted to give effect to the provisions of sub-sections (1) and (2).

(4) Notwithstanding anything contained in clause (a) of sub-section (1) or sub-section (2), if the Chief Inspector, having regard to the nature of the work carried on in any factory, the construction of such factory, special risk to life or safety, or any other circumstances, is of the opinion that the measures provided in the factory, whether as prescribed or not, for the purposes of clause (a) of sub-section (1) or sub-section (2), are inadequate, he may, by order in writing, require that such additional measures as he may consider reasonable and necessary, be provided in the factory before such date as is specified in the order.

39. Power to require specifications of defective parts or tests of stability. -If it appears to the Inspector that any building or part of a building or any part of the ways, machinery or plant in a factory is in such a condition that it may be dangerous to human life or safety, he may serve on the occupier or manager or both of the factory an order in writing requiring him before a specified date-

(a) to furnish such drawings, specifications and other particulars as may be necessary to determine whether such buildings, ways, machinery or plant can be used with safety, or

(b) to carry out such tests in such manner as may be specified in the order, and to inform the Inspector of the results thereof.

40. Safety of buildings and machinery. -(1) If it appears to the Inspector that any building or part of a building or any part of the ways, machinery or plant in a factory is in such a condition that it is dangerous to human life or safety, he may serve on the occupier or manager or both of the factory an order in writing specifying the measures, which in his opinion should be adopted and requiring them to be carried out before a specified date.

(2) If it appears to the Inspector that the use of any building or part of a building or any part of the ways, machinery or plant in a factory involves imminent danger to human life or safety he may serve on the occupier or manager or both of the factory an order in writing prohibiting its use until it has been properly repaired or altered.

40A. Maintenance of buildings. -If it appears to the Inspector that any building or part of a building in a factory is in such a state of disrepair as is likely to lead to conditions detrimental to the health and welfare of the workers, he may serve on the occupier or

38. आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां.–(1) प्रत्येक कारखाने में, भीतर और बाहर दोनों जगह, आग के लगने और उसके फैलने से रोकने के लिए, सभी साध्य उपाय किए जाएंगे, और–

(क) आग लगने की दशा में सभी व्यक्तियों के लिए बच निकलने के सुरक्षित साधन, और

(ख) आग को बुझाने के लिए आवश्यक उपस्कर और सुविधाओं, की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा ।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे कि प्रत्येक कारखाने में सभी कर्मकार आग लगने की दशा में बच निकलने के साधनों से परिचित हों और ऐसी दशाओं में अपनाई जाने वाली चर्या से पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों ।

(3) राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या वर्णन के कारखानों की बाबत, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की अपेक्षा करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (क) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि मुख्य निरीक्षक की किसी कारखाने में किए जा रहे कार्य की प्रकृति, उस कारखाने की संरचना, जीवन या सुरक्षा के प्रति विशेष जोखिम, या किन्हीं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि कारखाने में उपबंधित उपाय, चाहे वे विहित रूप में हैं या नहीं, उपधारा (1) के खण्ड (क) या उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त हैं, तो वह लिखित रूप में आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे अतिरिक्त उपाय, जिन्हें वह युक्तियुक्त और आवश्यक समझे, कारखाने में ऐसी तारीख के पूर्व, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उपबंधित किए जाएं ।

39. खराब भागों के ब्यौरे या स्थिरता की परख अपेक्षित करने की शक्ति.–यदि निरीक्षक को प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में कोई भवन का भाग अथवा मार्गों, मशीनरी या संयंत्र का कोई भाग ऐसी दशा में है कि वह मानव जीवन या सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है तो वह उस कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक या दोनों पर एक लिखित आदेश की तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विनिर्दिष्ट तारीख से पहले–

(क) ऐसे रेखाचित्र, विनिर्दिष्टियां और अन्य विशिष्टियां दे जैसे यह अवधारण करने के लिए आवश्यक हों कि क्या ऐसा भवन, मार्ग, मशीनरी या संयंत्र निरापद रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, या

(ख) ऐसी परख ऐसी रीति में करे, जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट हो और उसके परिणाम से निरीक्षक को सूचित करे ।

40. भवनों और मशीनरी की सुरक्षा.–(1) यदि निरीक्षक को प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में कोई भवन या भवन का भाग अथवा मार्गों, मशीनरी या संयंत्र या कोई भाग ऐसी दशा में है कि वह मानव जीवन या सुरक्षा के लिए खतरनाक है तो वह उस कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक या दोनों पर एक लिखित आदेश की तामील कर सकेगा जिसमें वे उपाय जो उसकी राय में अपनाए जाने चाहिए, विनिर्दिष्ट होंगे और यह अपेक्षा होगी कि उन्हें विनिर्दिष्ट तारीख से पहले क्रियान्वित किया जाए ।

(2) यदि निरीक्षक को प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में किसी भवन या भवन के भाग अथवा मार्गों, मशीनरी या संयंत्र के किसी भाग का उपयोग करने में मानवजीवन या सुरक्षा के लिए आसन्न खतरा अन्तर्वलित है, तो वह उस कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक या दोनों पर एक लिखित आदेश की तामील कर सकेगा जिसमें उसका प्रयोग तब तक के लिए प्रतिषिद्ध होगा जब तक उसकी उचित मरम्मत नहीं कर दी जाती या उसे परिवर्तित नहीं कर दिया जाता ।

40क. भवनों का अनुरक्षण.–यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में कोई भवन या भवन का भाग ऐसी बेमरम्मती की दशा में है जिससे कर्मकारों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक स्थिति उत्पन्न होने की सम्भाव्यता है तो वह उस कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबन्धक

manager or both of the factory an order in writing specifying the measures which in his opinion should be taken and requiring the same to be carried out before such date as is specified in the order.

40B. Safety Officers. -(1) In every factory-

(i) wherein one thousand or more workers are ordinarily employed, or

(ii) wherein, in the opinion of the State Government, any manufacturing process or operation is carried on, which process or operation involves any risk of bodily injury, poisoning or disease or any other hazard to health, to the person employed in the factory,

the occupier shall, if so required by the State Government by notification in Official Gazette, employ such number of Safety Officers as may be specified in that notification.

(2) The duties, qualifications and conditions of service of Safety Officers shall be such as may be prescribed by the State Government.

41. Power to make rules to supplement this Chapter. -The State Government may make rules requiring the provision in any factory or in any class or description of factories of such further devices and measures for securing safety of persons employed therein as it may deem necessary.

CHAPTER IVA.

Provisions relating to Hazardous Processes

41A. Constitution of Site Appraisal Committees. -(1) The State Government may, for purposes of advising it to consider applications for grant of permission for the initial location of a factory involving a hazardous process or for the expansion of any such factory, appoint a Site Appraisal Committee consisting of-

(a) the Chief Inspector of the State who shall be its Chairman;

(b) a representative of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution appointed by the Central Government under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) ;

(c) a representative of the Central Board for the Prevention and Control of Air Pollution referred to in section 3 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);

(d) a representative of the State Board appointed under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(e) a representative of the State Board for the Prevention and Control of Air Pollution referred to in section 5 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);

(f) a representative of the Department of Environment in the State;

(g) a representative of the Meteorological Department of the Government of India;

(h) an expert in the field of occupational health; and

(i) a representative of the Town Planning Department of the State Government,

and not more than five other members who may be co-opted by the State Government who shall be- ,

पर या दोनों पर एक लिखित आदेश की तामील कर सकेगा जिसमें वे अध्युपाय, विनिर्दिष्ट होंगे जो उसकी राय में किए जाने चाहिए और यह अपेक्षा की जाएगी कि वे आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किए जाएं ।

40ख. सुरक्षा अधिकारी.–(1) प्रत्येक कारखाने में,–

(i) जिसमें एक हजार या उससे अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित हैं; या

(ii) जिसमें राज्य सरकार की राय में कोई विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया की जाती है जो ऐसी प्रक्रिया या संक्रिया है जिसमें कारखाने में नियोजित व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष या बीमारी की जोखिम या स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य खतरा है,

अधिष्ठाता, यदि उससे शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई है तो, उतनी संख्या में सुरक्षा अधिकारियों को नियोजित करेगा जितनी कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य, अर्हताएं और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

41. इस अध्याय की अनुपूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति.–राज्य सरकार, कारखाने में या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों में से व्यक्तियों की जो वहां नियोजित हों सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अतिरिक्त युक्तियों और अध्युपायों की व्यवस्था, जैसी वह आवश्यक समझे, अपेक्षित करने वाले नियम बना सकेगी ।

अध्याय 4क

परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित उपबन्ध

41क. स्थल मूल्यांकन समितियों का गठन.–(1) राज्य सरकार, किसी ऐसे कारखाने के, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, प्रारंभिक स्थान के लिए अनुज्ञा देने या किसी ऐसे कारखाने के विस्तार के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए उसे सलाह देने के प्रयोजनों के लिए एक स्थल मूल्यांकन समिति नियुक्त कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) राज्य का मुख्य निरीक्षक जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

(ग) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 3 में निर्दिष्ट वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

(घ) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन नियुक्त राज्य बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

(ङ) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 5 में निर्दिष्ट वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

(च) राज्य के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि;

(छ) भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग का एक प्रतिनिधि;

(ज) उपजीविका से संबंधित स्थास्थ्य के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ; और

(झ) राज्य सरकार के शहरी योजना विभाग का एक प्रतिनिधि;

और पांच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा सहयोजित किए जा सकेंगे, अर्थात् :–

(i) a scientist having specialised knowledge of the hazardous process which will be involved in the factory,

(ii) a representative of the local authority within whose jurisdiction the factory is to be established, and

(iii) not more than three other persons as deemed fit by the State Government

(2) The Site Appraisal Committee shall examine an application for the establishment of a factory involving hazardous process and make its recommendation to the State Government within a period of ninety days of the receipt of such application in the prescribed form.

(3) Where any process relates to a factory owned or controlled by the Central Government or to a corporation or a company owned or controlled by the Central Government, the State Government shall co-opt in the Site Appraisal Committee a representative nominated by the Central Government as a member of that Committee.

(4) The Site Appraisal Committee shall have power to call for any information from the person making an application for the establishment or expansion of a factory involving a hazardous process.

(5) Where the State Government has granted approval to an application for the establishment of expansion of a factory involving a hazardous process, it shall not be necessary for an applicant to obtain a further approval from the Central Board or the State Board established under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

41B. Compulsory disclosure of information by the occupier.-(1) The occupier of every factory involving a hazardous process shall disclose in the manner prescribed, all informations regarding dangers including health hazards and the measures to overcome such hazards arising from the exposure to or handling of the materials or substances in the manufacture, transportation, storage and other processes, to the workers employed in the factory, the Chief Inspector, the local authority, within whose jurisdiction the factory is situate, and the general public in the vicinity.

(2) The occupier shall, at the time of registering the factory involving a hazardous process lay down a detailed policy with respect to the health and safety of the workers employed therein and intimate such policy to the Chief Inspector and the local authority and, thereafter, at such intervals as may be prescribed, inform the Chief Inspector and the local authority of any change made in the said policy.

(3) The information furnished under sub-section (1) shall include accurate information as to the quantity, specifications and other characteristics of wastes and the manner of their disposal.

(4) Every occupier shall, with the approval of the Chief Inspector, draw up an on-site emergency plan and detailed disaster control measures for his factory and make known to the workers employed therein and to the general public living in the vicinity of the factory, the safety measures required to be taken in the event of an accident taking place.

(5) Every occupier of a factory shall,-

(a) if such factory engaged in a hazardous process on the commencement of the Factories (Amendment) Act, 1987 within a period of thirty days of such commencement; and

(i) एक ऐसा वैज्ञानिक होगा जिसके पास उस परिसंकटमय प्रक्रिया का जो कारखाने में अंतर्वलित होगी, विशेषज्ञीय ज्ञान है,

(ii) उस स्थानीय प्राधिकारी का एक प्रतिनिधि होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर कारखाना स्थापित किया जाना है, और

(iii) तीन से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें राज्य सरकार योग्य समझे ।

(2) स्थल मूल्यांकन समिति, किसी ऐसे कारखाने की, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, स्थापना के लिए आवेदन की जांच करेगी और विहित प्ररूप में ऐसे आवेदनों की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिश करेगी ।

(3) जहां कोई प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कारखाने से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या किसी कम्पनी से संबंधित है, वहां राज्य सरकार स्थल मूल्यांकन समिति में केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को उस समिति के एक सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी ।

(4) स्थल मूल्यांकन समिति की यह शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे कारखाने की, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, स्थापना या विस्तार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से किसी भी जानकारी की मांग करेगी ।

(5) जहां राज्य सरकार ने ऐसे कारखाने की, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, स्थापना या विस्तार के लिए आवेदन को अनुमोदित कर दिया है, वहां आवेदक के लिए, यह आवश्यक नहीं होगा कि वह जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन स्थापित केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से पुनः अनुमोदन प्राप्त करे ।

41ख. अधिष्ठाता द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण.–(1) ऐसे प्रत्येक कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता, स्वास्थ्य संबंधी परिसंकट सहित खतरों से संबंधित सभी जानकारी और विनिर्माण, परिवहन, भंडारकरण और अन्य प्रक्रियाओं में ही सामग्रियों या पदार्थों को खुला छोड़ने या उनकी उठाई–धराई से उद्भूत ऐसे परिसंकटों पर काबू पाने के उपाय विहित रीति से कारखाने में नियोजित कर्मकारों, मुख्य निरीक्षक, उस स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता के भीतर कारखाना स्थित है और आस–पास के जनसाधारण को प्रकट करेगा ।

(2) अधिष्ठाता, उस कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, रजिस्ट्रीकरण करने के समय उसमें नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की बाबत एक विस्तृत नीति अधिकथित करेगा और ऐसी नीति के बारे में मुख्य निरीक्षक तथा स्थानीय प्राधिकारी को संसूचित करेगा और उसके पश्चात्, ऐसे अन्तरालों पर जो विहित किए जाएं, उक्त रीति में किए गए किसी परिवर्तन के बारे में मुख्य निरीक्षक और स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई जानकारी में अपशिष्टों की मात्रा, विनिर्देश और अन्य लक्षण तथा उनके व्ययन की रीति के बारे में ठीक–ठीक जानकारी सम्मिलित होगी ।

(4) प्रत्येक अधिष्ठाता, मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन से, स्थल संबंधी आपात योजना तैयार करेगा और अपने कारखाने के लिए विस्तृत संकट नियंत्रण उपाय करेगा तथा किसी दुर्घटना होने की दशा में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों को उसमें नियोजित कर्मकारों और कारखाने के आस–पास रहने वाले जनसाधरण की जानकारी में लाएगा ।

(5) कारखाने का प्रत्येक अधिष्ठाता,–

(क) यदि ऐसा कारखाना, कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारम्भ पर, परिसंकटमय प्रक्रिया में लगा हुआ है तो ऐसे प्रारम्भ से तीस दिन की अवधि के भीतर; और

(b) if such factory purposes to engage in a hazardous process at any time after such commencement, within a period of thirty days before the commencement of such process,

inform the Chief Inspector of the nature and details of the process in such form and in such manner as may be prescribed.

(6) Where any occupier of a factory contravenes the provisions of sub-section (5), the license issued under section 6 to such factory shall, notwithstanding any penalty to which the occupier of the factory shall be subjected to under the provisions of this Act, be liable for cancellation.

(7) The occupier of a factory involving a hazardous process shall, with the previous approval of the Chief Inspector, lay down measures for the handling usage, transportation and storage of hazardous substances inside the factory premises and the disposal of such substances outside the factory premises and publicise them in the manner prescribed among the workers and the general public living in the vicinity.

41C. Specific responsibility of the occupier in relation to hazardous processes.— Every occupier of a factory involving any hazardous process shall-

(a) maintain accurate and up-to-date health records or, as the case may be, medical records, of the workers in the factory who are exposed to any chemical, toxic or any other harmful substances which are manufactured, stored, handled or trans ported and such records shall be accessible to the workers subject to such conditions as may be prescribed;

(b) appoint persons who possess qualifications and experience in handling hazardous substances and are competent to supervise such handling within the factory and to provide at the working place all the necessary facilities for protecting the workers in the manner prescribed:

Provided that where any question arises as to the qualifications and experience of a person so appointed, the decision of the Chief Inspector shall be final;

(c) provide for medical examination of every worker-

(i) before such worker is assigned to a job involving the handling of, or working with, a hazardous substance, and

(ii) while continuing in such job, and after he has ceased to work in such job, at intervals not exceeding twelve months in such manner as may be prescribed,

41D. Power of Central Government to appoint Inquiry Committee.- (1) The Central Government may, in the event of the occurrence of an extraordinary situation involving a factory engaged in a hazardous process, appoint an Inquiry Committee to inquire into the standards of health and safety observed in the factory with a view to finding out the causes of any failure or neglect in the adoption of ally measures or standards prescribed for the health and safety of the workers employed in the factory or the general public affected, or likely to be affected, due to such failure or neglect and for the prevention and recurrence of such extraordinary situations in future in such factory or elsewhere.

(2) The Committee appointed under sub-section (1) shall consist of a Chairman and two

(ख) यदि ऐसा कारखाना ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय परिसंकटमय प्रक्रिया में लगना चाहता है तो ऐसी प्रक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व तीस दिन की अवधि के भीतर,

मुख्य निरीक्षक को प्रक्रिया की प्रकृति और ब्यौरों के बारे में ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सूचित करेगा ।

(6) जहां कारखाने का कोई अधिष्ठाता उपधारा (5) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां ऐसे कारखाने को धारा 6 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, ऐसी किसी शास्ति के होते हुए भी, जो कारखाने के अधिष्ठाता पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, रद्द किए जाने के दायित्व के अधीन होगी ।

(7) किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता, मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन से, कारखाना परिसर के भीतर परिसंकटमय पदार्थों की उठाई–धराई, प्रयोग, परिवहन, भंडारकरण, तथा कारखाना परिसर के बाहर ऐसे पदार्थों के व्ययन के लिए उपाय अधिकथित करेगा और उनका कर्मकारों तथा आस–पास रहने वाले जनसाधरण के बीच, विहित रीति से, प्रचार करेगा ।

41ग. अधिष्ठाता का परिसंकटमय प्रक्रियाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व. –किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता–

(क) कारखाने में ऐसे कर्मकारों के, यथास्थिति, शुद्ध और अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख या चिकित्सा संबंधी अभिलेख रखेगा जो किसी रासायनिक, विषैले या किन्हीं ऐसे अन्य हानिप्रद पदार्थों के प्रति उच्छन्न हैं जो विनिर्मित किए जाते हैं, भंडार में रखे जाते हैं, उठाए–धरे या परिवहन किए जाते हैं और ऐसे अभिलेख, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कर्मकारों की पहुंच में होंगे;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिनके पास परिसंकटमय पदार्थों की उठाई–धराई–संबंधी अर्हताएं और अनुभव हैं तथा जो कारखाने के भीतर ऐसे पदार्थों के उठाने–धरने का पर्यवेक्षण करने और काम के स्थान पर कर्मकारों का विहित रीति से संरक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं :

परन्तु जहां इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति की अर्हताओं और अनुभव के बारे में कोई प्रश्न उठता है वहां मुख्य निरीक्षक का विनिश्चय अन्तिम होगा;

(ग) प्रत्येक कर्मकार की चिकित्सीय परीक्षा की–

(i) ऐसे कर्मकार को कोई ऐसा काम सौंपने के पहले जिसमें किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई–धराई या काम अन्तर्वलित है,

(ii) ऐसा काम करते रहने के दौरान और ऐसे काम के समाप्त होने के पश्चात्, ऐसे अंतरालों पर, जो बारह मास से अधिक न हो, ऐसी रीति से जो विहित की जाए,

व्यवस्था करेगा ।

41घ. केन्द्रीय सरकार की जांच समिति नियुक्त करने की शक्ति.–(1) केन्द्रीय सरकार, किसी परिसंकटमय प्रक्रिया में लगे कारखाने में असाधारण स्थिति होने की दशा में एक जांच समिति नियुक्त कर सकेगी, जो कारखाने में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विहित किन्हीं उपायों या स्तरमानों के अपनाए जाने में किसी चूक या उपेक्षा के कारणों का या ऐसी चूक या उपेक्षा के कारण प्रभावित या प्रभावित होने वाले जनसाधरण का पता लगाने की दृष्टि से कारखाने में अनुपालित स्वास्थ्य और सुरक्षा के स्तरमानों की तथा भविष्य में ऐसे कारखाने में या अन्यत्र ऐसी असाधारण स्थितियों को रोकने और पुनः न होने के लिए जांच करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समिति में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे तथा समिति

other members and the terms of reference of the Committee and the tenure of office of its members shall be such as may be determined by the Central Government according to the requirements of the situation.

(3) The recommendations of the Committee shall be advisory in nature.

41E. Emergency standards.-(1) Where the Central Government is satisfied that no standards of safety have been prescribed in respect of a hazardous process or class of hazardous processes, or where the standards so prescribed are inadequate, it may direct the Director-General of Factory Advice Service and Labour Institutes or any Institution specialised in matters relating to standards of safety in hazardous processes, to lay down emergency standards for enforcement of suitable standards in respect of such hazardous processes.

(2) The emergency standards laid down under sub-section (1) shall, until they are incorporated in the rules made under this Act, be enforceable and have the same effect as if they had been incorporated in the rules made under this Act.

41F. Permissible limits of exposure of chemical and toxic substances.-(1) The maximum permissible threshold limits of exposure of chemical and toxic substances in manufacturing processes (whether hazardous or otherwise) in any factory shall be of the value indicated in the Second Schedule.

(2) The Central Government may, at any time, for the purpose of giving effect to any scientific proof obtained from specialised institutions or experts in the field, by notification in the Official Gazette, make suitable changes in the said Schedule.

41G. Workers' participation in safety management.-(1) The occupier shall, in every factory where a hazardous process takes place, or where hazardous substances are used or handled, set up a Safety Committee consisting of equal number of representatives of workers and management to promote co-operation between the workers and the management in maintaining proper safety and health at work and to review periodically the measures taken in that behalf.

Provided that the State Government may, by order in writing and for reasons to be recorded, exempt the occupier of any factory or class of factories from setting up such Committee.

(2) The composition of the Safety Committee, the tenure of office of its members and their rights and duties shall be such as may be prescribed.

41H. Right of workers to warn about imminent danger.- (1) Where the workers employed in any factory engaged in a hazardous process have reasonable apprehension that there is a likelihood of imminent danger to their lives or health due to any accident, they may, bring the same to the notice of the occupier, agent, manager or any other person who is in-charge of the factory or the process concerned directly or through their representatives in the Safety Committee and simultaneously bring the same to the notice of the Inspector.

(2) Tt shall be the duty of such occupier, agent, manager or the person in-charge of the factory or process to take immediate remedial action if he is satisfied about the existence of such imminent danger and send a report forth-with of the action taken to the nearest Inspector.

के विचारणीय विषय और उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो केन्द्रीय सरकार, स्थिति की अपेक्षाओं के अनुसार, अवधारित करे ।

(3) समिति की सिफारिशें सलाह के रूप में होंगी ।

41ङ. आपात स्तरमान.–(1) जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सुरक्षा के स्तरमान किसी परिसंकटमय प्रक्रिया या परिसंकटमय प्रक्रियाओं के वर्ग की बाबत विहित नहीं किए गए हैं, अथवा जहां इस प्रकार विहित स्तरमान अपर्याप्त हैं, वहां वह कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थाओं के महानिदेशक या परिसंकटमय प्रक्रियाओं में सुरक्षा के स्तरमानों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त किसी संस्था को ऐसी परिसंकटमय प्रक्रियाओं की बाबत उपयुक्त स्तरमानों के प्रवर्तन के लिए आपात स्तरमान अधिकथित करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकथित आपात स्तरमान, जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में सम्मिलित नहीं होते हैं तब तक प्रवर्तनीय होंगे और वैसे ही प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में सम्मिलित कर लिए गए हैं ।

41च. रासायनिक और विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अनुज्ञेय सीमाएं.–(1) किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रियाओं, (चाहे वे परिसंकटमय हों या अन्यथा) में रासायनिक और विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं उस मान तक होंगी जो दूसरी अनुसूची में उपदर्शित हैं ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय, विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं या इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्राप्त किन्हीं वैज्ञानिक सबूतों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपयुक्त परिवर्तन कर सकेगी ।

41छ. सुरक्षा प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना.–(1) अधिष्ठाता, ऐसे प्रत्येक कारखाने में, जहां कोई परिसंकटमय प्रक्रिया की जाती है, या जहां परिसंकटमय पदार्थों का प्रयोग या उनकी उठाई–धराई की जाती है, काम में उचित सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने में तथा उस निमित्त किए गए उपायों का कालिकतः पुनर्विलोकन करने के लिए कर्मकारों और प्रबंध के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक सुरक्षा समिति का गठन भी करेगा जिसमें कर्मकारों और प्रबंध के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी :

परन्तु राज्य सरकार, लिखित रूप में आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी कारखाने या कारखानों के वर्ग के अधिष्ठाता को ऐसी समिति का गठन करने से छूट दे सकेगी ।

(2) सुरक्षा समिति की संरचना, उसके सदस्यों की पदावधि और उनके अधिकार तथा कर्तव्य वे होंगे जो विहित किए जाएं ।

41ज. कर्मकारों का आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने का अधिकार.–(1) जहां किसी परिसंकटमय प्रक्रिया में लगे किसी कारखाने में नियोजित कर्मकारों को युक्तियुक्त आशंका हो कि किसी दुर्घटना के कारण उनके जीवन या स्वास्थ्य को संभाव्यतः आसन्न खतरा है, वहां वे उसे अधिष्ठाता, अभिकर्ता, प्रबंधक या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जो कारखाने या संबंधित प्रक्रिया का भारसाधक है, जानकारी में सीधे या सुरक्षा समिति के अपने प्रतिनिधियों की मार्फत ला सकेंगे और साथ ही उसे निरीक्षक की जानकारी में भी ला सकेंगे ।

(2) ऐसे अधिष्ठाता, अभिकर्ता, प्रबंधक या कारखाने या प्रक्रिया के भारसाधक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह तुरंत उपचारी कार्रवाई करे, यदि उसका ऐसे आसन्न खतरे की विद्यमानता के बारे में समाधान हो जाता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल निकटतम निरीक्षक को भेजें ।

(3) If the occupier, agent, manager or the person in-charge referred to in sub-section (2) is not satisfied about the existence of any imminent danger as apprehended by the workers, he shall, nevertheless, refer the matter forth-with to the nearest Inspector whose decision on the question of the existence of such imminent danger shall be final.

CHAPTER V

Welfare

42. Washing facilities.- (1) In every factory-

(a) adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for use of the workers therein;

(b) separate and adequately screened facilities shall be provided for the use of male and female workers;

(c) such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept clean.

(2) The State Government may, in respect of any factory or class or description of factories or of any manufacturing process, prescribe standards of adequate and suitable facilities for washing.

43. Facilities for storing and drying clothing.- The State Government may, in respect of any factory or class or description of factories make rules requiring the provision therein of suitable place for keeping clothing not worn during working hours and for the drying of wet clothing.

44. Facilities for sitting.- (1) In every factory suitable arrangements for sitting shall be provided and maintained for all workers obliged to work in a standing position, in order that they may take advantage of any opportunities for rest which may occur in the course of their work.

(2) If, in the opinion of the Chief Inspector, the workers in any factory engaged in a particular manufacturing process or working in a particular room, are able to do their work efficiently in a sitting position, he may, by order in writing, require the occupier of the factory to provide before a specified date such seating arrangements as may be practicable for all workers so engaged or working.

(3) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the provisions of sub-section (1) shall not apply to any specified factory or class or description of factories or to any specified manufacturing process.

45. First-aid-appliances.-(1) There shall, in every factory, be provided and maintained so as to be readily accessible during all working hours first-aid boxes or cupboards equipped with the prescribed contents, and the number of such boxes or cupboards to be provided and maintained shall not be less than one for every one hundred and fifty workers ordinarily employed at any one time in the factory.

(2) Nothing except the prescribed contents shall be kept in a first-aid box or cupboard.

(3) Each first-aid box or cupboard shall be kept in the charge of a separate responsible person, who holds a certificate in first-aid treatment recognized by the State Government and who shall always be readily available during the working hours of the factory.

(4) In every factory wherein more than five hundred workers are ordinarily employed there shall be provided and maintained an ambulance room of the prescribed size, contain-

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिष्ठाता, अभिकर्ता, प्रबंधक या भारसाधक व्यक्ति का कर्मकारों द्वारा आशंकित रूप में किसी आसन्न खतरे की विद्यमानता के बारे में समाधान नहीं होता है तो भी वह इस मामले को निकटतम निरीक्षक को तत्काल निर्देशित करेगा जिसका ऐसे आसन्न खतरे की विद्यमानता के बारे में विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्याय 5

कल्याण

42. धुलाई की सुविधाएं–(1) प्रत्येक कारखाने में–

(क) वहां के कर्मकारों के उपयोग के लिए धुलाई की पर्याप्त और उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और बनाए रखी जाएगी;

(ख) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के उपयोग के लिए पृथक् और पर्दायुक्त सुविधाएं उपलभ्य की जाएंगी;

(ग) ऐसी सुविधाओं के लिए पहुंच, आसान होंगी और वे साफ रखी जाएंगी ।

(2) राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिए या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए धुलाई की सुविधाओं के समुचित और उपयुक्त मान विहित कर सकेगी ।

43. वस्त्रों को रखने और सुखाने के लिए सुविधाएं.–राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में काम के घंटों के दौरान न पहने जाने वाले वस्त्रों को रखने और गीले कपड़ों को सुखाने के लिए समुचित स्थानों की व्यवस्था अपेक्षित करने वाले नियम बना सकेगी ।

44. बैठने की सुविधाएं.–(1) हर कारखाने में खड़े होकर काम करने के लिए बाध्य सब कर्मकारों के बैठने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी और बनाए रखी जाएगी जिससे वे अपने काम के दौरान उपलभ्य विश्राम अवसरों का लाभ उठा सकें ।

(2) यदि मुख्य निरीक्षक की राय में किसी कारखाने में किसी विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया में लगे या किसी विशिष्ट कमरे में काम करने वाले कर्मकार बैठकर अपना काम दक्षता से कर सकते हैं तो वह कारखाने के अधिष्ठाता से लिखित आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे काम में लगे या काम करने वाले सब कर्मकारों के लिए बैठने की ऐसी व्यवस्था, जैसी साध्य हो, विनिर्दिष्ट तारीख से पहले करे ।

(3) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि उपधारा (1) के उपबन्ध किसी विनिर्दिष्ट कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को या किसी विनिर्दिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया को लागू नहीं होंगे ।

45. प्राथमिक उपचार साधित्र–(1) प्रत्येक कारखाने में विहित अन्तर्वस्तुओं से युक्त प्राथमिक उपचार–बक्से या कबर्ड उपलभ्य होंगे और रखे रहेंगे जिससे वे सारे काम के घंटों के दौरान आसानी से प्राप्य हों और इस प्रकार उपलभ्य और रखे हुए बक्सों या कबर्डो की संख्या कारखाने में किसी एक समय पर मामूली तौर से नियोजित हर डेढ़ सौ कर्मकारों के लिए एक से कम नहीं होगी ।

(2) प्राथमिक उपचार–बक्से या कबर्ड में विहित अन्तर्वस्तुओं के सिवाय कुछ नहीं रखा जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राथमिक उपचार बक्स या कबर्ड को एक अलग उत्तरदायी व्यक्ति के भारसाधन में रखा जाएगा, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्राथमिक उपचार चिकित्सा का प्रमाणपत्र हो और जो कारखाने के काम के घण्टों के दौरान सदा आसानी से उपलभ्य हो ।

(4) हर कारखाने में, जिसमें पांच सौ से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित हैं विहित आकार

ing the prescribed equipment and in the charge of such medical and nursing staff as may be prescribed and those facilities shall always be made readily available during the working hours of the factory.

46. Canteens.-(1) The State Government may make rules requiring that in any specified factory wherein more than two hundred and fifty workers are ordinarily employed, a canteen or canteens shall be provided and maintained by the occupier for the use of the workers.

(2) Without prejudice in the generality of the foregoing power, such rules may provide for-

(a) the date by which such canteen shall be provided;

(b) the standard in respect of construction, accommodation, furniture and other equipment of the canteen;

(c) the foodstuffs to be served therein and the charges which may be made there for;

(d) the constitution of a managing committee for the canteen and representation of the workers in the management of the canteen;

(dd) the items of expenditure in the running of the canteen which are not to be taken into account in fixing the cost of foodstuffs and which shall be borne by the employer ;

(e) the delegation to Chief Inspector subject to such conditions as may be pre scribed, of the power to make rules under clause (c).

47. Shelters, rest-rooms and lunch-rooms.-(1) In every factory wherein more than one hundred and fifty workers are ordinarily employed adequate and suitable shelters or rest-rooms and a suitable lunch-room, with provision for drinking water, where workers can eat meals brought by them, shall be provided and maintained for the use of the workers:

Provided that any canteen maintained in accordance with the provisions of section 46 shall be regarded as part of the requirements of this sub-section:

Provided further that where a lunch-room exists no worker shall eat any food in the work-room.

(2) The shelters or rest-room or lunch-room to be provided under sub-section (1) shall be sufficiently lighted and ventilated and shall be maintained in a cool and clean condition.

(3) The State Government may-

(a) prescribe the standards, in respect of construction accommodation, furniture and other equipment of shelters, rest-rooms and lunch-rooms to be provided under this section;

(b) by notification in the Official Gazette, exempt any factory or class or description of factories from the requirements of this section.

48. Creches - (1) In every factory wherein more than thirty women workers are ordinarily employed there shall be provided and maintained a suitable room or rooms for the use of children under the age of six years of such women.

(2) Such rooms shall provide adequate accommodation, shall be adequately lighted and ventilated, shall be maintained in a clean and sanitary condition and shall be under the charge of women trained in the care of children and infants.

का एक एम्बुलैंस कमरा होगा और अनुरक्षित रखा जाएगा जिसमें विहित साज–समान होगा और जो ऐसे चिकित्सीय और परिचर्या कर्मचारिवृन्द के भार–साधन में होगा जैसे विहित किए जाएं, और वे सुविधाएं कारखाने के काम करने के घंटों के दौरान सुगमतापूर्वक उपलभ्य कराई जाएंगी ।

46. कैन्टीन.–(1) राज्य सरकार यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि किसी विनिर्दिष्ट कारखाने में, जिसमें ढाई सौ से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं, कर्मकारों के उपयोग के लिए अधिष्ठाता द्वारा कैन्टीन या कैन्टीनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे–

(क) वह तारीख जिस तक ऐसी कैन्टीन की व्यवस्था की जाएगी;

(ख) कैन्टीन के सन्निर्माण, उसमें जगह, फर्नीचर और अन्य साज–समान के बारे में मानक;

(ग) खाद्य पदार्थ जो वहां उपलभ्य किए जांएगे और दाम जो उनके लिए प्रभारित किए जा सकेंगे;

(घ) कैन्टीन के लिए प्रबंध समिति का गठन और कैन्टीन के प्रबंध में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व;

(घघ) कैन्टीन के चलाए जाने में व्यय की वे मदें, जो खाद्य पदार्थों का खर्च निर्धारित करने में हिसाब में नहीं ली जाएंगी और जिन्हें नियोजक वहन करेगा ;

(ङ) खण्ड (ग) के अधीन नियम बनाने की शक्ति का मुख्य निरीक्षक को ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, प्रत्यायोजन ।

47. आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष.–(1) हर ऐसे कारखाने में, जिसमें डेढ़ सौ से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित हों, पर्याप्त और उपयुक्त आश्रय या विश्राम कक्ष और पीने के पानी की व्यवस्था सहित ऐसे उपयुक्त भोजन कक्ष, जहां कर्मकार अपने द्वारा लाया खाना खा सकें, कर्मकारों के उपयोग के लिए उपलभ्य होंगे और अनुरक्षित रखे जाएंगे :

परन्तु यह कि धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार चलाई गई कोई कैन्टीन इस उपधारा की अपेक्षाओं के भागरूप मानी जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां भोजन कक्ष विद्यमान हो वहां कोई कर्मकार काम के कमरे में कोई खाना नहीं खाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपलभ्य किए जाने वाले आश्रयों या विश्राम कक्षों या भोजन कक्षों में पर्याप्त रोशनी और संवातन होगा और वे ठंडे और साफ दशा में रखे जाएंगे ।

(3) राज्य सरकार–

(क) इस धारा के अधीन उपलभ्य किए जाने वाले आश्रयों, विश्राम कक्षों और भोजन कक्षों के सन्निर्माण, उनमें जगह, फर्नीचर और अन्य साज–समान के बारे में मान विहित कर सकेगी;

(ख) शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को इस धारा की अपेक्षाओं से छूट दे सकेगी ।

48. शिशु कक्ष.–(1) हर ऐसे कारखाने में जिसमें तीस से अधिक स्त्री कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित की जाती हैं ऐसी स्त्रियों के छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त कमरा या कमरे उपलभ्य होंगे और अनुरक्षित रखे जाएंगे ।

(2) ऐसे कमरों में पर्याप्त जगह होगी, पर्याप्त रोशनी और संवातन होगा, वे साफ और स्वच्छतर दशा में रखे जाएंगे और बालकों और शिशुओं की देख–रेख के लिए प्रशिक्षित स्त्रियों के भारसाधन में होंगे ।

(3) The State Government may make rules-

(a) prescribing the location and the standards in respect of construction, accommodation; furniture and other equipment of rooms to be provided, under this section;

(b) requiring the provision in factories to which the section applies, of additional facilities for the care of children belonging to women workers, including suitable provision of facilities for washing and changing their clothing;

(c) requiring the provision in any factory of free milk or refreshment or both for such children;

(d) requiring that facilities shall be given in any factory for the mothers of such children to feed them at the necessary intervals.

49. Welfare Officers. -(1) In every factory wherein five hundred or more workers are ordinarily employed the occupier shall employ in the factory such number of welfare officers as may be prescribed.

(2) The State Government may prescribe the duties, qualifications and conditions of service of officers employed under sub-section (1).

50. Power to make rules to supplement this Chapter. -The State Government may make rules-

(a) exempting, subject to compliance with such alternative arrangements for the wel fare of workers as may be prescribed, any factory or class or description of factories from compliance with any of the provisions of this Chapter,

(b) requiring in any factory or class or description of factories that representatives of the workers employed in the factories shall be associated with the management of the welfare arrangements of the workers.

CHAPTER VI

Working Hours of Adults

51. Weekly hours. -No adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than forty-eight hours in any week.

52. Weekly holidays. -(1) No adult worker shall be required or allowed to work in a factory on first day of the week (hereinafter referred to as the said day), unless—

(a) he has or will have a holiday for whole day on one of three days immediately before or after the said day, and

(b) the manager of the factory has, before the said day or the substituted day under clause (a), whichever is earlier,-

(i) delivered a notice at the office of the Inspector of his intention to require the worker to work on the said day and of the day which is to be substituted, and

(ii) displayed a notice to that effect in the factory:

Provided that no substitution shall be made which will result in any worker working for more than ten days consecutively without a holiday for a whole day.

(3) राज्य सरकार–

(क) इस धारा के अधीन उपलभ्य किए जाने वाले कमरों के स्थान तथा उनके सन्निर्माण, उनमें जगह, फर्नीचर और अन्य साज–समान के बारे में मान विहित करने वाले;

(ख) उन कारखानों में जिन पर यह धारा लागू होती है, स्त्री कर्मकारों के बच्चों की देख–रेख के लिए अतिरिक्त सुविधाएं, जिनके अन्तर्गत उनके कपड़े धोने और बदलने के लिए सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी है, उपलभ्य करने की अपेक्षा करने वाले;

(ग) किसी कारखाने में ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त दूध या उपाहार या दोनों की व्यवस्था अपेक्षित करने वाले;

(घ) किसी कारखाने में आवश्यक अन्तरालों पर ऐसे बच्चों की माताओं को उन्हें अपना दूध पिलाने की सुविधा देने की अपेक्षा करने वाले,

नियम बना सकेगी ।

49. कल्याण अधिकारी.–(1) हर कारखाने में, जिसमें पांच सौ या उससे अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं, अधिष्ठाता कारखाने में इतने कल्याण अधिकारी नियोजित करेगा जितने विहित किए जाएं ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन नियोजित अधिकारियों के कर्तव्य, अर्हताएं और सेवा की शर्तें विहित कर सकेगी ।

50. इस अध्याय की अनुपूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति.–राज्य सरकार–

(क) कर्मकारों के कल्याणार्थ ऐसी आनुकल्पिक व्यवस्थाओं के अनुपालन के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को इस अध्याय के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने से छूट देने वाले;

(ख) किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों में कर्मकारों के कल्याणार्थ व्यवस्थाओं के प्रबंध से उस कारखाने में नियोजित कर्मकारों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने की अपेक्षा करने वाले,

नियम बना सकेगी ।

अध्याय 6

वयस्कों के काम के घंटे

51. साप्ताहिक घंटे.–कोई वयस्क कर्मकार किसी कारखाने में किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटों से अधिक के लिए काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

52. साप्ताहिक अवकाश दिन.–(1) कोई वयस्क कर्मकार किसी कारखाने में सप्ताह के प्रथम दिन, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त दिन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, काम करने के लिए उस दशा के सिवाय अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसमें कि–

(क) उसे उक्त दिन से ठीक पहले या पश्चात् के तीन दिनों में से एक दिन पूरे दिन के लिए अवकाश दिन मिल चुका है या मिलेगा; और

(ख) कारखाने के प्रबंधक ने उक्त दिन या खण्ड (क) के अधीन उसके लिए प्रतिस्थापित दिन, इनमें से जो भी पहले हो उसके पूर्व,–

(i) अपने इस आशय की कि वह कर्मकार से उक्त दिन काम करने की अपेक्षा करता है और उस दिन की, जो कि उसके लिए, प्रतिस्थापित किया जाना है, सूचना निरीक्षक के कार्यालय में परिदत्त कर दी है, और

(ii) उस आशय की सूचना कारखाने में संप्रदर्शित कर दी है :

परन्तु ऐसा प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को एक पूरे दिन के लिए अवकाश के लिए बिना लगातार दस दिन से अधिक के लिए काम करना पड़े ।

(2) Notices given under sub-section (1) may be canceled by a notice delivered at the office of the Inspector and a notice displayed in the factory not later than the day before the said day or the holiday to be canceled, whichever is earlier.

(3) Where, in accordance with the Provisions of sub-section (1), any worker works on the said day and has had a holiday on one of the three days immediately before it, that said day shall, for the purpose of calculating his weekly hours of work, be included in the preceding week.

53. Compensatory holidays. -(1) Where, as a result of the passing of an order of the making of a rule under the provisions of this Act exempting a factory or the workers therein from the provisions of section 52, a worker is deprived of any of the weekly holidays for which provision is made in sub-section (1) of that section he shall be allowed, within the month in which the holidays were due to him or within the two months immediately following that month, compensatory holidays of equal number to the holidays so lost.

(2) The State Government may prescribe the manner in which the holidays for which provision is made in sub-section (1) shall be allowed.

54. Daily hours. -Subject to the provisions of section 51, no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than nine hours in any day.

Provided that subject to the previous approval of the Chief Inspector the daily maximum specified in this section may be exceeded in order to facilitate the change of shifts.

55. Intervals for rest. -(1) The periods of work of adult workers in a factory each day shall be so fixed that no period shall exceed five hours and that no worker shall work for more than five hours before he has had an interval for rest of at least half an hour.

(2) The State Government or, subject to the control of the State Government, the Chief Inspector, may, by written order and for the reason specified therein, exempt any factory from the provisions of sub-section (1) so however that the total number of hours worked by a worker without an interval does not exceed six.

56. Spread over. -The period of work of an adult worker in a factory shall be so arranged that inclusive of his intervals for rest under section 55, they shall not spread over more than ten and a half hours in any day:

Provided that the Chief Inspector may, for reasons to be specified in writing, increase the spread over up to twelve hours.

57. Night shifts. -Where a worker in a factory works on a shift which extends beyond midnight,-

(a) for the purposes of sections 52 and 53, a holiday for a whole day shall mean in his case a period of twenty-four consecutive hours beginning when his shift ends;

(b) the following day for him shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning when such shift ends, and the hours he has worked after midnight shall be counted in the previous day.

58. Prohibition of overlapping shifts. -(1) Work shall not be carried on in any factory by means of a system of shifts so arranged that more than one relay of workers is engaged in work of the same kind at the same time.

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचनाओं का रद्दकरण उक्त दिन या रद्द किए जाने वाले अवकाश दिन इनमें से जो भी पहले हो, उसके पूर्व के दिन न कि उसके पश्चात् निरीक्षक के कार्यालय में परिदत्त सूचना और कारखाने में संप्रदर्शित सूचना द्वारा किया जा सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कोई कर्मकार उक्त दिन काम करता है और उस दिन से ठीक पहले तीन दिनों में से एक दिन अवकाश मिल चुका है वहां वह उक्त दिन उसके काम के साप्ताहिक घंटों की गणना करने के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती सप्ताह में सम्मिलित किया जाएगा ।

53. प्रतिकरात्मक अवकाश दिन.–(1) जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसा आदेश पारित करने या नियम बनाए जाने के परिणामस्वरूप, जिससे किसी कारखाने या उसके कर्मकारों को धारा 52 के उपबन्धों से छूट दी गई है, कोई कर्मकार उन साप्ताहिक अवकाश दिनों में से, जिनके लिए उस धारा की उपधारा (1) में उपबन्ध किया गया है, किन्हीं से वंचित हो जाता है, वहां उसे उस मास में जिसमें उसे अवकाश दिन मिलने थे या उस मास के ठीक बाद के दो मास के अन्दर उन अवकाश दिनों के बराबर जो उसे नहीं मिले, प्रतिकरात्मक अवकाश दिन अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(2) राज्य सरकार उस रीति को विहित कर सकेगी जिसमें वे अवकाश दिन जिनके लिए उपधारा (1) में उपबन्ध किया गया है, अनुज्ञात किए जाएंगे ।

54. दैनिक घंटे–धारा 51 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कोई वयस्थ कर्मकार किसी कारखाने में किसी दिन नौ घंटों से अधिक के लिए काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा

परन्तु मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन यह है कि पारियों का बदला जाना सुकर बनाने के लिए इस धारा में विनिर्दिष्ट दैनिक अधिकतम बढ़ाया जा सकेगा ।

55. विश्राम अन्तराल.–(1) किसी कारखाने में वयस्क कर्मकारों के प्रतिदिन के काम की कालावधियां इस प्रकार नियत की जाएंगी कि कोई कालावधि पांच घंटों से अधिक की नहीं होगी और कोई कर्मकार कम से कम आधे घंटे का विश्राम अन्तराल ले चुकने से पूर्व पांच घंटे से अधिक काम नहीं करेगा ।

(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी कारखाने को उपधारा (1) के उपबन्धों से छूट दे सकेगा किन्तु इस प्रकार कि किसी कर्मकार के अन्तराल के बिना काम के घंटों की संख्या छह से अधिक न हो ।

56. विस्तृति.–कारखाने में किसी वयस्क कर्मकार के काम की कालावधियां इस प्रकार व्यवस्थित की जाएंगी कि धारा 55 के अधीन उसके विश्राम के लिए अन्तरालों के सहित उनकी किसी दिन साढ़े दस घंटे से अधिक विस्तृति नहीं होगी :

परन्तु मुख्य निरीक्षक उन कारणों से, जो लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, विस्तृति को बढ़ाकर बारह घंटे तक की कर सकेगा ।

57. रात की पारियां.–जहां कारखाने में कोई कर्मकार ऐसी पारी में काम करता है जिसका विस्तार मध्य रात्रि से आगे होता है वहां–

(क) धारा 52 और 53 के प्रयोजनों के लिए उसके बारे में पूरे दिन के अवकाश से उसकी पारी की समाप्ति से आरंभ होने वाली लगातार चौबीस घंटों की कालावधि अभिप्रेत होगी;

(ख) आगमी दिन उसके लिए चौबीस घंटों की वह कालावधि समझी जाएगी जो उसकी पारी समाप्त होने से आरंभ होती है, और मध्य रात्रि के बाद जितने घंटे उसने काम किया है वे पूर्ववर्ती दिन में गिने जाएंगे ।

58. परस्परव्यापी पारियों का प्रतिषेध.–(1) किसी कारखाने में इस प्रकार व्यवस्थित पारियों की प्रणाली से काम नहीं किया जाएगा कि एक ही प्रकार के काम पर एक ही समय पर कर्मकारों की एक से अधिक टोली लगी हो ।

(2) The State Government or subject to the control of the State Government, the Chief Inspector, may, by written order and for the reasons specified therein, exempt on such conditions as may be deemed expedient, any factory or class or description of factories or any department or section of a factory or any category or description of workers therein from the provisions of sub-section (1).

59. Extra wages for overtime. -(1) Where a worker works in a factory for more than nine hours in any day or for more than forty-eight hours in any week, he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages.

(2) For the purposes of sub-section (1), "ordinary rate of wages" means the basic wages plus such allowances, including the cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to workers of food grains and other articles, as the worker is for the time being entitled to, but does not include a bonus and wages for overtime work.

(3) Where any workers in a factory are paid on a piece-rate basis, the time-rate shall be deemed to be equivalent to the daily average of their full- time earnings for the days on which they actually worked on the same or identical job during the month immediately preceding the calendar months during which the overtime work was done, and such time-rates shall be deemed to be the ordinary rates of wages of those workers:

Provided that in the case of a worker who has not worked in the immediately preceding calendar month on the same or identical job, the time-rate shall be deemed to be equivalent to the daily average of the earnings of the worker for the days on which he actually worked in the week in which the overtime work was done.

Explanation. - For the purposes of this sub-section in computing the earnings for the days on which the worker actually worked, such allowances including the cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to workers of food grains and other articles, as the worker is for the time being entitled to, shall be included but any bonus or wages for overtime work payable in relation to the period with reference to which the earnings are being computed shall be excluded.

(4) The cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to a worker of food grains and other articles shall be computed as often as may be prescribed on the basis of the maximum quantity of food grains and other articles admissible to a standard family.

Explanation I. - "Standard family" means a family consisting of the worker, his or her spouse and two children below the age of fourteen years requiring in all three adult consumption units.

Explanation 2. - "Adult consumption unit" means the consumption units of a male above the age of fourteen years, and the consumption unit of a female above the age of fourteen years and that of a child below the age of fourteen years shall be calculated at the rates of 8 and 6, respectively of one adult consumption unit.

(5) The State Government may make rules prescribing-

(a) the manner in which the cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to a worker of food grains and other articles shall be computed; and

(b) the registers that shall be maintained in a factory for the purpose of securing compliance with the provisions of this section.

(2) राज्य सरकार, या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को या किसी कारखाने के किसी विभाग या अनुभाग को या उसमें किसी प्रवर्ग या प्रकार के कर्मकारों को उपधारा (1) के उपबन्धों से ऐसी शर्तों पर, जैसी समीचीन समझी जाएं, छूट दे सकेगा ।

59. अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी.–(1) जहां कोई कर्मकार किसी कारखाने में किसी दिन नौ घंटों से अधिक या किसी सप्ताह अड़तालीस घंटों से अधिक के लिए काम करता है वहां वह अतिकाल काम के लिए अपनी मजदूरी की मामूली दर से दुगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, "मजदूरी की मामूली दरों" से अभिप्रेत है आधारी मजदूरी और ऐसे भत्ते, जिनके अन्तर्गत कर्मकारों को खद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य भी है, जिनका कि कर्मकार तत्समय हकदार हो, किन्तु बोनस और अतिकाल काम के लिए मजदूरी इसके अन्तर्गत नहीं है ।

(3) जहां किसी कारखाने में किन्हीं कर्मकारों को मात्रानुपाती दर के आधार पर संदाय किया जाता है वहां कालानुपाती दर उस कलैण्डर मास के, जिसके दौरान अतिकाल काम किया गया था, ठीक पूर्ववर्ती मास के दौरान, जिन दिनों उन्होंने वही या वैसा ही काम वास्तव में किया था उन दिनों के उनके पूर्णकालिक दैनिक औसत उपार्जनों के बराबर समझी जाएगी और ऐसी कालानुपाती दरें उन कर्मकारों की मजदूरी की मामूली दरें समझी जाएंगी :

परन्तु ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसने ठीक पूर्ववर्ती कलैण्डर मास में वही या वैसी ही नौकरी में काम नहीं किया है, कालानुपाती दर उन दिनों के लिए जब कर्मकार ने उस सप्ताह में वास्तव में काम किया था जिसमें अतिकाल काम किया गया था, उसके उपार्जन के दैनिक औसत के समतुल्य समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कर्मकार द्वारा वास्तव में काम किए गए दिनों के उपार्जन की संगणना करने में ऐसे भत्ते, जिनमें खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के कर्मकारों को रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे की नकद समतुल्य राशि भी है, जिनका कि कर्मकार तत्समय हकदार हो, सम्मिलित कर लिए जाएंगे किन्तु उस अवधि के दौरान, जिसके सम्बन्ध में उपार्जन की संगणना की जा रही है, बोनस या अतिकाल काम के लिए किसी मजदूरी को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) कर्मकार को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे के नकद समतुल्य की संगणना इतनी बार, जितनी विहित की जाए, मानक कुटुम्ब के लिए अनुज्ञेय खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के अधिकतम परिमाण के आधार पर की जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1.–"मानक कुटुम्ब" से अभिप्रेत है कर्मकार, उसकी पत्नी या उसके पति और चौदह वर्ष से कम आयु वाले दो बालकों से मिलकर बना कुटुम्ब जिसमें कुल मिलाकर तीन वयस्क उपभोग–यूनिट अपेक्षित होंगे ।

स्पष्टीकरण 2.–"वयस्क उपभोग–यूनिट" से चौदह वर्ष की आयु के ऊपर के पुरुष का उपभोग–यूनिट अभिप्रेत है; और चौदह वर्ष से ऊपर की आयु की स्त्री और चौदह वर्ष से कम आयु वाले बालक का उपभोग–यूनिट वयस्क उपभोग–यूनिट के, क्रमशः 0.8 और 0.6 की दर से परिकलित किया जाएगा ।

(5) राज्य सरकार निम्नलिखित विहित करने वाले नियम बना सकेगी–

(क) वह रीति जिसमें खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के कर्मकार को रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य संगणित किया जाएगा; और

(ख) वे रजिस्टर, जो इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के प्रयोजन के लिए कारखाने में रखे जाएंगे ।

60. Restriction on double employment. -No adult worker shall be required or allowed to work in any factory on any day on which he has already been working in any other factory, save in such circumstances as may be prescribed.

61. Notice of periods of work for adults. -(1) There shall be displayed and correctly maintained in every factory in accordance with the provisions for sub-section (2) of section 108, a notice of periods of work for adults, showing clearly for every day the periods during which adult workers may be required to work.

(2) The periods shown in the notice required by sub-section (1) shall be fixed beforehand in accordance with the following provisions of this section, and shall be such that workers working for those periods would not be working in contravention of any of the provisions of sections 51, 52, 54, 55, 56 and 58.

(3) Where all the adult workers in a factory are required to work during the same periods, the manager of the factory shall fix those periods for such workers generally.

(4) Where all the adult workers in a factory are not required to work during the same periods, the manager of the factory shall classify them into groups according to the nature of their work indicating the number of workers in such group.

(5) For each group, which is not required to work on a system of shifts, the manager of the factory shall fix the periods during which the group may be required to work.

(6) Where any group is required to work on system of shifts and the relays are to be subject to pre-determined periodical changes or shifts, the manager of the factory shall fix the periods during which each relay of the group may be required to work.

(7) Where any group is to work on a system of shifts and the relays are to be subject to pre-determined periodical changes of shifts, the manager of the factory shall draw up a scheme of shifts, where under the period during which any relay or group may be required to work and the relay which will be working at any time of the day shall be known for any day.

(8) The State Government may prescribe forms of the notice required by sub-section (1) and the manner in which it shall be maintained.

(9) In the case of a factory beginning work after the commencement of this Act, a copy of the notice referred to in sub-section (1) shall be sent in duplicate to the Inspector before the day on which work is begun in the factory.

(10) Any proposed change in the system of work in any factory which Will necessitate a change in the notice referred to in sub-section (1) shall be notified to the Inspector in duplicate before the change is made, and except with the previous sanction of the Inspector, no such change shall be made until one week has elapsed since that last change.

62. Register of adult workers. -(1) The manager of every factory shall maintain a register of adult workers, to be available to the Inspector at all times during working hours, or when any work is being carried on in the factory, showing-

(a) the name of each adult worker in the factory;

(b) the nature of his work;

(c) the group, if any, in which he is included;

(d) where his group works on shift, the relay to which he is allotted; and

(e) such other particulars as may be prescribed:

60. दोहरे नियोजन पर निर्बन्धन.–ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, जैसी विहित की जाएं, किसी वयस्क कर्मकार को किसी कारखाने में ऐसे दिन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात न किया जाएगा जिस दिन वह पहले से ही किसी अन्य कारखाने में काम कर रहा हो ।

61. वयस्कों के लिए काम की कालावधियों की सूचना.–(1) वयस्कों के लिए काम की कालावधियों की ऐसी सूचना, जिसमें हर दिन के लिए वे कालावधियां, जिनके दौरान वयस्क कर्मकारों से काम करने की अपेक्षा की जा सकेगी, स्पष्टतः दर्शित होंगी, धारा 108 की उपधारा (2) के अनुसार हर कारखाने में संप्रदर्शित की जाएगी और ठीक बना रखी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना में दर्शित कालावधियां इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार पहले ही नियत की जाएंगी और ऐसी होंगी कि उन कालावधियों में काम करने वाले कर्मकार धारा 51, 52, 54, 55, 56 और 58 के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के उल्लंघन में काम नहीं करेंगे ।

(3) जहां किसी कारखाने में सब वयस्क कर्मकार उन्हीं कालावधियों के दौरान काम करने के लिए अपेक्षित हैं वहां कारखाने का प्रबंधक उन कालावधियों को ऐसे कर्मकारों के लिए सामान्य रूप से नियत करेगा ।

(4) जहां किसी कारखाने में सब वयस्क कर्मकार उन्हीं कालावधियों के दौरान काम करने के लिए अपेक्षित नहीं हैं, वहां कारखाने का प्रबंधक उनके काम की प्रकृति के अनुसार उन्हें समूहों में वर्गीकृत करेगा और हर समूह में कर्मकारों की संख्या, उपदर्शित होगी ।

(5) हर ऐसे समूह के लिए, जो पारियों की प्रणाली से काम करने के लिए अपेक्षित नहीं हैं, कारखाने का प्रबंधक उन कालावधियों को नियत करेगा जिनके दौरान उस समूह से काम करने की अपेक्षा की जा सकेगी ।

(6) जहां कोई समूह पारियों की प्रणाली से काम करने के लिए अपेक्षित है और टोलियां पारियों की पूर्वावधारित नियतकालिक तब्दीलियों के अध्यधीन नहीं की जानी हैं वहां कारखाने का प्रबंधक वे कालावधियां नियत करेगा जिनके दौरान उस समूह की हर टोली से काम करने की अपेक्षा की जा सकेगी ।

(7) जहां किसी समूह को पारियों की प्रणाली से काम करना है और टोलियां पारियों की पूर्वावधारित नियतकालिक तब्दीलियों के अध्यधीन की जानी हैं वहां कारखाने का प्रबंधक पारियों की ऐसी स्कीम तैयार करेगा जिसमें किसी भी दिन की वे कालावधियां, जिनके दौरान समूह की कोई टोली काम करने के लिए अपेक्षित हो और वह टोली, जो दिन के किसी समय काम कर रही होगी, जानी जा सकेगी ।

(8) राज्य सरकार उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना के लिए प्ररूप और वह रीति, जिसमें वह बना रखी जाएगी, विहित कर सकेगी ।

(9) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् काम आरम्भ करने वाले कारखाने की दशा में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना की द्विप्रतीक प्रति निरीक्षक को उस दिन से पूर्व भेजी जाएगी जिसको कारखाने में काम आरम्भ होना है ।

(10) किसी कारखाने में काम की प्रणाली में ऐसी कोई प्रस्थापित तब्दीली, जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में तब्दीली आवश्यक हो जाएगी, तब्दीली करने से पहले निरीक्षक को दो प्रतियों में अधिसूचित की जाएगी और जब तक अन्तिम तब्दीली से एक सप्ताह व्यतीत न हो गया हो ऐसी कोई तब्दीली निरीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी ।

62. वयस्क कर्मकारों का रजिस्टर.–(1) हर कारखाने का प्रबन्धक वयस्क कर्मकारों का एक रजिस्टर रखेगा जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर या जब कारखाने में कोई काम हो रहा हो, निरीक्षक को उपलभ्य होगा और जिसमें निम्नलिखित दर्शित होंगे–

(क) कारखाने के प्रत्येक वयस्क कर्मकार का नाम;

(ख) उसके काम की प्रकृति;

(ग) वह समूह, यदि कोई हो, जिसमें वह सम्मिलित किया गया है;

(घ) जहां उसका समूह पारियों में काम करता है वहां वह टोली जिसमें वह रखा गया है;

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जाएं :

Provided that if the Inspector is of opinion that any muster-roll or register maintained as a part of the routine of a factory gives in respect of any or all the workers in the factory the particulars required under this section, he may, by order in writing, direct that such muster-roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of, and be treated as, the register of adult workers in that factory.

(1A) No adult worker shall be required or allowed to work in any factory unless his name and other particulars have been entered in the register of adult workers.

(2) The State Government may prescribe the form of the register of adult workers, the manner in which it shall be maintained and the period for which it shall be preserved.

63. Hours of work to correspond with notice under section 61 and register under section 62. -No adult worker shall be required or allowed to work in any factory otherwise than in accordance with the notice of periods of work for adults displayed in the factory and the entries made beforehand against his name in the register of adult workers of the factory.

64. Power to make exempting rule. -(1) The State Government may make rules defining the persons who hold positions of supervision or management or are employed in a confidential position in a factory or empowering the Chief Inspector to declare any person, other than a person defined by such rules as a person holding position of supervision or management or employed in a confidential position in a factory if, in the opinion of the Chief Inspector, such person holds such position or is so employed and the provision of this Chapter, other than the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 66 and of the proviso to that sub-section, shall not apply to any person so defined or declared :

Provided that any person so defined or declared shall, where the ordinary rate of wages of such person does not exceed the wage limit specified in sub-section (6) of section 1 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), as amended from time to time, be entitled to extra wages in respect of overtime work under section 59.

(2) The State Government may make rules in respect of adult workers in factories providing for the exemption, to such extent and subject to such conditions as may be prescribed-

(a) of workers engaged on urgent repairs, from the provisions of sections 51, 52, 54, 55 and 56;

(b) of workers engaged in work in the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working of the factory, from the provisions of sections 51, 54, 55 and 56;

(c) of workers engaged in work which is necessarily so intermittent that intervals during which they do not work while on duty, ordinarily amount to more than the intervals for rest required by or under section 55, from the provisions of sections 51, 54, 55 and 56;

(d) of workers engaged in any work which for technical reasons must be carried on continuously from the provisions of sections 51, 52, 54, 55 and 56;

(e) of workers engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day, from the provisions of section 51 and section 52;

परन्तु यदि निरीक्षक की यह राय है कि किसी कारखाने की चर्या के भाग रूप रखे जाने वाले किसी मस्टर रोल या रजिस्टर में कारखाने के सब या किन्हीं कर्मकारों के बारे में इस धारा के अधीन अपेक्षित विशिष्टियां दी हुई हैं तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकेगा कि उस विस्तार तक वह मस्टर रोल या रजिस्टर उस कारखाने के वयस्क कर्मकारों के रजिस्टर के स्थान में रखा जाएगा और उस रूप में समझा जाएगा ।

(1क) जब तक किसी वयस्क कर्मकार का नाम और अन्य विशिष्टियां वयस्क कर्मकारों के रजिस्टर में प्रविष्ट न कर दी गई हों तब तक उससे किसी कारखाने में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) राज्य सरकार वयस्क कर्मकारों के रजिस्टर का प्ररूप, वह रीति जिसमें वह रखा जाएगा, और वह कालावधि जिस तक वह परिरक्षित रखा जाएगा, विहित कर सकेगी ।

63. काम के घंटों की धारा 61 के अधीन सूचना और धारा 62 के अधीन रजिस्टर के अनुरूप होना.—कोई वयस्क कर्मकार कारखाने में संप्रदर्शित कर्मकारों के लिए काम की कालावधियों की सूचना और कारखाने के वयस्क कर्मकारों के रजिस्टर में उसके नाम के सामने पहले ही की गई प्रविष्टियों से भिन्न रूप में किसी कारखाने में काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

64. छूट देने वाले नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार उन व्यक्तियों को, जो किसी कारखाने में पर्यवेक्षण या प्रबंधक का पद धारण किए हैं या किसी गोपनीय पद पर नियोजित हैं, परिभाषित करने वाले नियम बना सकेगी या मुख्य निरीक्षक को इस बात के लिए सशक्त करने वाले नियम बना सकेगी कि वह ऐसे नियमों द्वारा परिभाषित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कारखाने में पर्यवेक्षण या प्रबन्धक का पद धारण करने वाले या गोपनीय पद पर नियोजित व्यक्ति के रूप में उस दशा में घोषित कर सकता है जब मुख्य निरीक्षक की राय में वह व्यक्ति ऐसा पद धारण करता है या ऐसे नियोजित है और धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) के और उस उपधारा के परन्तुक के उपबन्धों के सिवाय इस अध्याय के उपबन्ध इस प्रकार परिभाषित या घोषित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे :

परन्तु इस प्रकार परिभाषित या घोषित कोई व्यक्ति धारा 59 के अधीन अतिकाल काम की बाबत वहां अतिरिक्त मजदूरी का हकदार होगा जहां ऐसे व्यक्ति की मजदूरी की मामूली दर समय–समय पर यथा संशोधित मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 1 की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट मजदूरी सीमा से अधिक नहीं होती है ।

(2) राज्य सरकार कारखानों में वयस्क कर्मकारों के संबंध में उस विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी विहित की जाएं निम्नलिखित छूट के लिए उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी—

(क) अति–आवश्यक मरम्मतों में लगे हुए कर्मकारों को धारा 51, 52, 54, 55 और 56 के उपबंधों से;

(ख) उन कर्मकारों को, जो प्रारंभिक या पूरक प्रकार के ऐसे कामों में लगे हैं, जो कारखाने के साधारण कार्यचालन के लिए अधिकथित सीमाओं के बाहर भी अनिवार्यतः किए जाने हैं, धारा 51, 54, 55 और 56 के उपबन्धों से;

(ग) ऐसे काम में लगे कर्मकारों को, जो अनिवार्यतः ऐसा आन्तरायिक है कि वे अन्तराल, जिनके दौरान वे कर्तव्यारूढ़ होते हुए भी काम नहीं करते, धारा 55 के अधीन या द्वारा अपेक्षित विश्राम के लिए अन्तरालों से मामूली तौर पर अधिक हो जाते हैं धारा 51, 54, 55 और 56 के उपबन्धों से;

(घ) किसी ऐसे काम में, जो तकनीकी कारणों से निरन्तर किया जाना चाहिए, लगे कर्मकारों को धारा 51, 52 54, 55 और 56 के उपबन्धों से;

(ङ) प्राथमिक आवश्यकता की उन चीजों के, जिनका हर दिन निर्माण या प्रदाय होना चाहिए, निर्माण और प्रदाय में लगे कर्मकरों को धारा 51 और धारा 52 के उपबन्धों से;

(f) of workers engaged in a manufacturing process which cannot be carried on except during fixed seasons, from the provisions of section 51, section 52 and section 54;

(g) of worker engaged in a manufacturing process, which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces, from the provisions of sections 52 and 55;

(h) of workers engaged in engine-rooms of boiler-houses or in attending to power-plant or transmission machinery, from the provisions of section 51 and section 52;

(i) of workers engaged in the printing of newspapers, who are held up on account of the breakdown of machinery, from the provisions of sections 51, 54 and 56.

Explanation. - In this clause the expression "newspapers" has the meaning assigned to it in the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867)[1];

(j) of workers engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks, from the provisions of sections 51, 52, 54, 55 and 561;

(k) of workers engaged in any work, which is notified by the State Government in the Official Gazette as a work of national importance, from the provisions of section 51, section 52, section 54, section 55 and section 56.

(3) Rules made under sub-section (2) providing for any exemption may also provide for any consequential exemption from the provisions of section 61 which the State Government may deem to be expedient, subject to such conditions as it may prescribe.

(4) In making rules under this section, the State Government shall not exceed, except in respect of exemption under clause (a) of sub-section (2), the following limits of work inclusive of overtime : -

(i) the total number of hours of work in any day shall not exceed ten;

(ii) the spread over, inclusive of intervals for rest, shall not exceed twelve hours in any one day;

Provided that the State Government may, in respect of any or all of the categories of workers referred to in clause (d) of sub-section (2), make rules prescribing the circumstances in which, and the conditions subject to which, the restrictions imposed by clause (i) and clause (ii) shall not apply in order to enable a shift worker to work the whole or part of a subsequent shift in the absence of a worker who has failed to report for duty;

(iii) the total number of hours of work in a week including overtime, shall not exceed sixty;

(iv) the total number of hours of overtime shall not exceed fifty for any one quarter.

Explanation.- "Quarter" means a period of three consecutive months beginning on the 1st of January, the 1st of April, the 1st of July or the 1st of October.

(5) Rules made under this section shall remain in force for not more than five years.

65. Power to make exempting orders. -(1) Where the State Government is satisfied that, owing to the nature of the work carried on or to other circumstances, it is reasonable to require that the periods of work of any adult worker in any factory or class or description of factories should be fixed beforehand, it may, by written order, relax or modify the provi-

1. *Now See*, the Press and Registration of Periodicals Act, 2023 (51 of 2023).

(च) ऐसी निर्माण प्रक्रिया में लगे कर्मकारों को, जो नियत मौसमों के सिवाय नहीं चलाई जा सकती है, धारा 51, धारा 52 और धारा 54 के उपबन्धों से;

(छ) ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया में, जो प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर निर्भर समयों के सिवाय नहीं चलाई जा सकती, लगे कर्मकारों को धारा 52 और 55 के उपबन्धों से;

(ज) इंजन–कक्षों या बायलर घरों में या शक्ति–संयंत्र या संचारण मशीनरी के काम में लगे कर्मकारों को धारा 51 और धारा 52 के उपबन्धों से;

(झ) समाचार पत्रों के मुद्रण में लगे हुए कर्मकारों को, जिनका काम मशीनरी के ठप्प हो जाने के कारण रुक जाता है, धारा 51, 54 औ 56 के उपबन्धों से;

स्पष्टीकरण.–इस खंड में "समाचारपत्रों" पदावली का वही अर्थ है, जो उसे प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25)[1] में दिया गया है;

(ञ) रेल के माल डिब्बों या लारियों या ट्रकों को भरने या खाली करने में लगे हुए कर्मकारों को धारा 51, 52, 54, 55 और 56 के उपबन्धों से;

(ट) राज्य सरकार जिस काम को शासकीय राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व का काम अधिसूचित कर देती है उस काम में लगे हुए कर्मकारों को धारा 51, धारा 52, धारा 54, धारा 55 और धारा 56 के उपबन्धों से ।

(3) उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियम, जो किसी छूट का उपबन्ध करते हैं, धारा 61 के उपबन्धों से ऐसी किसी पारिणामिक छूट के लिए भी, जिसे राज्य सरकार समीचीन समझती है, ऐसी शर्तों के अध्यधीन उपबन्ध कर सकेंगे जैसी वह विहित करे ।

(4) इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार, उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन छूट में के सिवाय, अतिकाल सहित काम की निम्नलिखित परिसीमाओं से आगे नहीं जाएगी :–

(i) किसी दिन काम के घंटों की कुल संख्या दस से अधिक नहीं होंगी;

(ii) विश्राम के लिए अन्तरालों के सहित विस्तृति किसी एक दिन में बारह घंटों से अधिक नहीं होगी :

परन्तु राज्य सरकार, उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट कर्मकारों के सब प्रवर्गों या उनमें से किसी के बारे में ऐसे नियम बना सकेगी जिनमें ऐसी परिस्थितियां और ऐसी शर्तें विहित होंगी जिनमें और जिनके अध्यधीन रहते हुए वे निर्बन्धन जो खंड (i) और खंड (ii) द्वारा अधिरोपित हैं इसलिए लागू नहीं होंगे कि कोई पारी–कर्मकार सम्पूर्ण उत्तरवर्ती पारी या उसके किसी भाग में किसी कर्मकार की अनुपस्थिति में, जो काम पर हाजिर होने में असफल रहा हो, काम कर सके;

(iii) किसी सप्ताह काम के घण्टों की कुल संख्या, जिसके अन्तर्गत अतिकाल भी है, साठ से अधिक नहीं होगी;

(iv) अतिकाल के घंटों की कुल संख्या किसी एक तिमाही के लिए पचास से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.–"तिमाही" से लगातार तीन मास की वह कालावधि अभिप्रेत है, जो पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई या पहली अक्टूबर को आंरभ हो ।

(5) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम पांच वर्ष से अनधिक के लिए प्रवृत्त रहेंगे ।

65. छूट के आदेश देने की शक्ति.–(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि किए जाने वाले काम की प्रकृति या अन्य परिस्थितियों के कारण यह अपेक्षा करना अयुक्तियुक्त होगा कि किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों में किन्हीं वयस्क कर्मकारों के काम की कालावधियां पहले ही नियत की जाएं वहां वह उसमें के ऐसे कर्मकारों के बारे में धारा 61 के उपबन्धों को इतने

1. अब देखें प्रेस और नियतकालिक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51)।

sions of section 61 in respect of such workers therein, to such extent and in such manner as it may think fit, and subject to such conditions as it may deem expedient to ensure control over periods of work.

(2) The State Government or, subject to the control of the State Government the Chief Inspector may, by written order, exempt on such conditions as it or he may deem expedient, any or all of the adult workers in any factory or group or class or description of factories from any or all of the provisions of sections 51, 52, 54 and 56 on the ground that the exemption is required to enable the factory or factories to deal with an exceptional pressure of work.

(3) Any exemption granted under sub-section (2) shall be subject to the following conditions, namely:

(i) the total number of hours of work in any day shall not exceed twelve;

(ii) the spread over, inclusive of intervals for rest, shall not exceed thirteen hours in any one day;

(iii) the total number of hours of work in any week, including overtime, shall not exceed sixty;

(iv) no worker shall be allowed to work overtime, for more than seven days at a stretch and the total number of hours of overtime work in any quarter shall not exceed seventy-five.

Explanation. - In this sub-section "quarter" has the same meaning as in sub-section (4) of section 64.

66. Further restriction on employment of women. -(1) The provisions of this Chapter shall, in their application to women in factories, be supplemented by the following further restrictions, namely:-

(a) no exemption from the provisions of section 54 may be granted in respect of any woman;

(b) no woman shall be required or allowed to work in any factory except between the hours 6 A.M. and 7 P.M.;

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, in respect of any factory or group or class or description of factories, vary the limits laid down in clause (b), but so that no such variation shall authorise the employment of any woman between the hours of 10 P.M. and 5 A.M..

(c) there shall be no change of shifts except after a weekly holiday or any other holiday.

(2) The State Government may make rules providing for the exemption from the restrictions set out in sub-section (1), to such extent and subject to such conditions as it may prescribe, of women working in fish-curing or fish- canning factories, where the employment of women beyond the hours specified in the said restrictions, is necessary to prevent damage to, or deterioration in any raw material.

(3) The rules made under sub-section (2) shall remain in force for not more than three years at a time.

CHAPTER VII

Employment of Young Persons

67. Prohibition of employment of young children. - No child who has not completed his fourteenth year shall be required or allowed to work in any factory.

विस्तार तक और ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह काम की कालावधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा शिथिल या उपान्तरित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने या किसी समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों में के सब या किन्हीं वयस्क कर्मकारों को धारा 51, 52, 54 और 56 के सब या किन्हीं उपबंधों से ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा छूट इस आधार पर दे सकेगा कि उस कारखाने या उन कारखानों को काम के किसी असाधारण दबाव का सामना करने के समर्थ बनाने के लिए ऐसी छूट देना आवश्यक है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई कोई छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :–

(i) किसी दिन काम के घंटों की कुल संख्या बारह से अधिक नहीं होगी;

(ii) विश्राम के लिए अन्तरालों सहित विस्तृति किसी एक दिन तेरह घंटों से अधिक नहीं होगी;

(iii) किसी सप्ताह में काम के घंटों की कुल संख्या, जिसके अन्तर्गत अतिकाल भी है, साठ से अधिक नहीं होगी;

(iv) किसी भी कर्मकार को लगातार सात दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या पचहत्तर से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा में "तिमाही" का वही अर्थ है जो धारा 64 की उपधारा (4) में है ।

66. स्त्रियों के नियोजन पर अतिरिक्त निर्बन्धन.–(1) कारखानों में स्त्रियों को लागू होने में इस अध्याय के उपबंधों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त निर्बन्धन भी होंगे, अर्थात् :–

(क) किसी स्त्री के बारे में धारा 54 के उपबंधों से कोई छूट नहीं दी जाएगी;

(ख) किसी कारखाने में किसी स्त्री से 6 बजे प्रातः और 7 बजे सायं के बीच के घंटों के अलावा किसी और समय पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी कारखाने, या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी किन्तु इस प्रकार कि ऐसी फेरफार 10 बजे सायं और 5 बजे प्रातः के बीच के घंटों में किसी स्त्री के नियोजन को प्राधिकृत न करे ;

(ग) कोई पारी किसी साप्ताहिक अवकाश दिन या किसी अन्य अवकाश दिन के पश्चात् बदलने के सिवाय नहीं बदली जाएगी ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में उपवर्णित निर्बन्धनों से, मत्स्य–संसाधन या मत्स्य–डिब्बाबन्दी के ऐसे कारखानों में, जिसमें किसी कच्ची सामग्री को नुकसान या बिगाड़ से बचाने के लिए स्त्रियों का नियोजन उक्त निर्बन्धनों में विनिर्दिष्ट घंटों से आगे भी आवश्यक हो, काम करने वाली स्त्रियों को इतने विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसे वह विहित करे, छूट उपबन्धित करने वाले नियम बना सकेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियम एक समय पर तीन वर्ष से अनधिक के लिए प्रवृत्त होंगे ।

अध्याय 7

अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन

67. अल्पवय बालकों के नियोजन का प्रतिषेध.–कोई बालक जिसने अपना चौदहवां वर्ष पूरा नहीं किया है किसी कारखाने में काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

68. Non-adult workers to carry tokens. -A child who has completed his fourteenth year or an adolescent shall not be required or allowed to work in any factory, unless -

(a) a certificate of fitness granted with reference to him under section 69, is in the custody of manager of the factory, and

(b) such child or adolescent carries while he is at work, a token giving a reference to such certificate.

69. Certificate of fitness. -A certifying surgeon shall, on the application of any young person or his parent or guardian accompanied by a document signed by the manager of a factory that such person will be employed therein if certified to be fit for work in a factory, or on the application of the manager of the factory, in which any young person wishes to work, examine such person and ascertain his fitness for work in a factory.

(2) The certifying surgeon, after examination, may grant to such young person, in the prescribed form, or may renew-

(a) certificate of fitness to work in a factory as a child, if he is satisfied that the young person has completed his fourteenth year, that he has attained the prescribed physical standards and that he is fit for such work;

(b) a certificate of fitness to work in a factory as an adult, if he is satisfied that the young person has completed his fifteenth year and is fit for a full day's work in a factory:

Provided that unless the certifying surgeon has personal knowledge of the place where the young person proposes to work and of the manufacturing process in which he will be employed, he shall not grant or renew a certificate under this sub-section until he has examined such place.

(3) A certificate of fitness granted or renewed under sub-section (2)-

(a) shall be valid only for a period of twelve months from the date thereof:

(b) may be made subject to conditions in regard to the nature of the work in which the young person may be employed, or requiring reexamination of the young person before the expiry of the period of twelve months.

(4) A certifying surgeon shall revoke any certificate granted or renewed under sub-section (2) if in his opinion the holder of it is no longer fit to work in the capacity stated therein in a factory.

(5) Where a certifying surgeon refuses to grant or renew a certificate or a certificate of the kind requested or revokes a certificate, he shall, if so requested by any person who could have applied for the certificate or the renewal thereof, state his reasons in writing for so doing.

(6) Where a certificate under this section with reference to any young person is granted or renewed subject to such conditions as are referred to in clause (b) of sub-section (3), the young person shall not be required or allowed to work in any factory except in accordance with those conditions.

68. अवयस्क कर्मकारों का टोकन रखना.—कोई बालक, जिसने अपना चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है या कोई कुमार किसी कारखाने में काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) धारा 69 के अधीन उसके संबंध में दिया गया योग्यता प्रमाणपत्र, कारखाने के प्रबंधक की अभिरक्षा में न हो, और

(ख) ऐसा बालक या कुमार काम करते समय अपने पास एक टोकन नहीं रखता जिसमें ऐसे प्रमाणपत्र का निर्देश हो ।

69. योग्यता प्रमाणपत्र.—(1) प्रमाणकर्ता सर्जन, किसी अल्पवय व्यक्ति या उसके माता या पिता या संरक्षक के आवेदन पर जिसके साथ कारखाने के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी दस्तावेज होगी कि यदि ऐसा व्यक्ति कारखाने में काम करने के लिए योग्य प्रमाणित किया गया तो वह उसमें नियोजित किया जाएगा अथवा उस कारखाने के प्रबंधक के आवेदन पर जिसमें कोई अल्पवय व्यक्ति काम करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करेगा और कारखाने में काम करने के लिए उसकी योग्यता अभिनिश्चित करेगा ।

(2) प्रमाणकर्ता सर्जन परीक्षा के पश्चात् ऐसे अल्पवय व्यक्ति को—

(क) यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अल्पवय व्यक्ति ने अपना चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है, कि उसने विहित शारीरिक मान प्राप्त कर लिए हैं और कि वह ऐसा काम करने के योग्य है तो उसे बालक के रूप में कारखाने में काम करने की योग्यता का प्रमाणपत्र;

(ख) यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अल्पवय व्यक्ति ने अपना पंद्रहवां वर्ष पूरा कर लिया है और वह कारखाने में पूरे दिन का काम करने योग्य है तो उसे वयस्क के रूप में किसी कारखाने में काम करने की योग्यता का प्रमाणपत्र,

विहित रूप में अनुदत्त या नवीकृत कर सकेगा :

परन्तु जब तक प्रमाणकर्ता सर्जन को उस स्थान की, जहां वह अल्पवय व्यक्ति काम करना चाहता है और उस विनिर्माण प्रक्रिया की जिसमें वह नियोजित किया जाएगा, वैयक्तिक रूप से जानकारी न हो वह इस उपधारा के अधीन प्रमाणपत्र का अनुदान या नवीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उस स्थान की परीक्षा न कर ली हो ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त या नवीकृत योग्यता प्रमाणपत्र—

(क) उसकी तारीख से केवल बारह मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा;

(ख) अल्पवय व्यक्ति जिस प्रकार के कामों में नियोजित किया जा सकेगा उसकी बाबत शर्तों के अथवा बारह मास की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उस अल्पवय व्यक्ति की पुनः परीक्षा की अपेक्षा के अध्यधीन दिया जा सकेगा ।

(4) प्रमाणकर्ता सर्जन उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त या नवीकृत किसी प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत करेगा यदि उसकी राय में उसका धारक उसमें कथित हैसियत में किसी कारखाने में काम करने के योग्य नहीं रह गया है ।

(5) जहां प्रमाणकर्ता सर्जन किसी प्रमाणपत्र को या इस प्रकार के प्रमाणपत्र को जिसके लिए प्रार्थना की गई हो अनुदत्त करने या नवीकृत करने से इन्कार करता है या किसी प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत करता है वहां वह ऐसा करने के अपने कारणों को उस दशा में लिख कर कथित करेगा जिसमें उससे उसके लिए प्रार्थना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो प्रमाणपत्र के लिए या उसके नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता था ।

(6) जहां इस धारा के अधीन किसी अल्पवय व्यक्ति के संबंध में कोई प्रमाणपत्र ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट है, अनुदत्त या नवीकृत किया जाता है, वहां वह अल्पवय व्यक्ति किसी कारखाने में काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात उन शर्तों के अनुसार किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(7) Any fee payable for a certificate under this section shall be paid by the occupier and shall not be recoverable from the young person, his parents or guardian.

70. Effect of certificate of fitness granted to adolescent. -(1) An adolescent, who has been granted certificate of fitness to work in a factory as an adult under clause (b) of sub-section (2) of section 69, and who while at work in a factory carries a taken giving reference to the certificate, shall be deemed to be an adult for all the purposes of Chapters VI and VIII;

(1A) No female adolescent or a male adolescent who has not attained the age of seventeen years but who has been granted a certificate of fitness to work in a factory as an adult, shall be required or allowed to work in any factory except between 6 A.M. and 7 P.M.

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, in respect of any factory or group or class or description of factories,-

(i) vary the limits laid down in this sub-section so, however, that no such section shall authorise the employment of any female, adolescent between 10 P.M. and 5 A.M.

(ii) grant exemption from the provisions of this sub-section in case of serious emergency where national interest is involved.

(2) An adolescent who has not been granted a certificate of fitness to work in a factory as an adult under the aforesaid clause (b) shall, notwithstanding his age, be deemed to be a child for all the purposes of this Act.

71. Working hours for children. -(1) No child shall be employed or permitted to work in any factory-

(a) for more than four and a half hours in any day;

(b) during the night.

Explanation. - For the purpose of this sub-section "night" shall mean a period of at least twelve consecutive hours which shall include the interval between 10 P.M. and 6 A.M.

(2) The period of work of all children employed in a factory shall be limited to two shifts which shall not overlap or spread over more than five hours each; and each child shall be employed in only one of the relays which shall not, except with the previous permission in writing of the Chief Inspector, be changed more frequently than once in a period of thirty days.

(3) The provisions of section 52 shall apply also to child workers and no exemption from the provisions of that section may be granted in respect of any child.

(4) No child shall be required or allowed to work in any factory on any day on which he has already been working in another factory.

(5) No female child shall be required or allowed to work in any factory except between 8 A.M. and 7 P.M.

72. Notice of period of work for children. -(1) There shall be displayed and correctly maintained in every factory in which children are employed, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 108, a notice of periods of work for children, showing

(7) इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र के लिए संदेय कोई फीस अधिष्ठाता द्वारा दी जाएगी और अल्पव्य व्यक्ति, उसके माता या पिता या संरक्षक से वसूलीय नहीं होगी ।

70. कुमार को अनुदत्त योग्यता प्रमाणपत्र का प्रभाव.–(1) कोई कुमार, जिसे किसी कारखाने में वयस्क के रूप में काम करने का योग्यता प्रमाणपत्र धारा 69 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अनुदत्त किया गया है और जो कारखाने में काम पर होते हुए एक टोकन रखता है जिसमें प्रमाणपत्र के प्रति निर्देश हो, अध्याय 6 और 8 के सब प्रयोजनों के लिए वयस्क समझा जाएगा ।

(1क) किसी ऐसी महिला कुमार या ऐसे पुरुष कुमार से जिसने सतरह वर्ष की वायु पुरी नहीं की है किन्तु जिसे किसी कारखाने में वयस्क के रूप में काम करने के लिए योग्यता प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, किसी कारखाने में 6 बजे पूर्वाह्न और 7 बजे अपरान्ह के बीच के सिवाय काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार, किसी कारखाने या किसी समूह, वर्ग या वर्णन के कारखानों की बाबत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,–

(i) इस उपधारा में अधिकथित सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी किन्तु किसी ऐसे परिवर्तन से 10 बजे रात और 5 बजे सुबह के बीच किसी महिला कुमार का नियोजन प्राधिकृत नहीं होगा;

(ii) जहां राष्ट्रीय हित अन्तर्वलित हो वहां गंभीर आपात की दशा में इस उपधारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी;

(2) कोई कुमार जिसे किसी कारखाने में वयस्क के रूप में काम करने के लिए योग्यता प्रमाणपत्र पूर्वोक्त खंड (ख) के अधीन अनुदत्त नहीं किया गया है, इस अधिनियम के सब प्रयोजनों के लिए बालक समझा जाएगा चाहे उसकी आयु कितनी ही हो ।

71. बालकों के लिए काम के घंटे.–(1) कोई बालक को किसी कारखाने में–

(क) किसी दिन साढ़े चार घंटों से अधिक के लिए;

(ख) रात के दौरान,

नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "रात" से कम से कम लगातार बारह घंटों की ऐसी कालावधि अभिप्रेत होगी जिसके अन्तर्गत दस बजे रात और छह बजे सवेरे के बीच का अन्तराल होगा।

(2) कारखाने में नियोजित सब बालकों के काम करने की कालावधि दो पारियों तक सीमित होगी, जिनकी परस्पर–व्याप्ति अथवा जिनमें से प्रत्येक की पांच घंटों से अधिक की विस्तृति नहीं होगी; और हर बालक टोली में से केवल एक में नियोजित होगा जिसका तीस दिन की कालावधि में एक से अधिक बार परिवर्तन मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा ।

(3) धारा 52 के उपबन्ध बालक कर्मकारों को भी लागू होंगे और उस धारा के उपबन्धों से कोई छूट किसी बालक के विषय में नहीं दी जा सकेगी ।

(4) किसी बालक को कारखाने में ऐसे दिन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिस दिन वह पहले ही किसी अन्य कारखाने में काम करता रहा है ।

(5) किसी महिला बालक से किसी कारखाने में 8 बजे पूर्वाह्न और 7 बजे अपराह्न के बीच के सिवाय काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

72. बालकों के लिए काम की कालावधियों की सूचना.–(1) हर कारखाने में, जिसमें बालक नियोजित हैं, बालकों के लिए काम की कालावधियों की ऐसी सूचना, जिसमें हर दिन के लिए वे कालावधियां जिनके दौरान बालक कर्मकारों से काम करने की अपेक्षा की जा सकेगी या उन्हें अनुज्ञा दी जा सकेगी स्पष्टतः

clear}y for every day the periods during which children may be required or allowed to work.

(2) The periods shown in the notice required by sub-section (1) shall be fixed beforehand in accordance with the method laid down for adult workers in section 61, and shall be such that children working for those periods would not be working in contravention of any of the provisions of section 71.

(3) The provisions of sub-sections (8), (9) and (10) of section 61 shall apply also to the notice required by sub-section (1) of this section.

73. Register of child workers. -(1) The manager of every factory in which children are employed shall maintain a register of child workers, to be available to the Inspector at all times during working hours or when any work is being carried on in a factory, showing -

(a) the name of each child worker in the factory,

(b) the nature of his work,

(c) the group, if any, in which he is included,

(d) where his group works on shifts, the relay to which he is allotted, and

(e) the number of his certificate of fitness granted under section 69.

(1A) No child worker shall be required or allowed to work in any factory unless his name and other particulars have been entered in the register of child workers.

(2) The State Government may prescribe the form of the register of child workers, the manner in which it shall be maintained and the period for which it shall be preserved.

74. Hours of work to correspond with notice under section 72 and register under section 73. -No child shall be employed in any factory otherwise than in accordance with the notice of periods of work for children displayed in the factory and the entries made beforehand against his name in the register of child workers of the factory.

75. Power to require medical examination. -Where an Inspector is of opinion -

(a) that any person working in factory without a certificate of fitness is a young person, or

(b) that a young person working in a factory with a certificate of fitness is no longer fit to work in the capacity stated therein, -

he may serve on the manager of the factory a notice requiring that such person or young person, as the case may be shall be, examined by a certifying surgeon, and such person or young person shall not, if the Inspector so directs, be employed, or permitted to work, in any factory until he has been so examined and has been granted a certificate of fitness or a fresh certificate of fitness, as the case may be, under section 69, or has been certified by the certifying surgeon examining him not to be a young person.

76. Power to make rules. -The State Government may make rules-

(a) prescribing the forms of certificate of fitness to be granted under section 69, providing for the grant of duplicates in the event of loss of the original certificate, and fixing the fees which may be charged for such certificates and renewals thereof and such duplicates;

दर्शित होगी, धारा 108 की उपधारा (2) के अनुसार संप्रदर्शित की जाएगी और ठीक बनाए रखी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना में दर्शित कालावधियां धारा 61 में वयस्क कर्मकारों के लिए विहित पद्धति के अनुसार पहले ही नियत की जाएंगी और ऐसी होंगी कि उन कालावधियों में काम करने वाले बालक धारा 71 के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के उल्लंघन में काम नहीं करेंगे ।

(3) धारा 61 की उपधारा (8), (9) और (10) के उपबंध इस धारा की उपधारा (1) द्वारा, अपेक्षित सूचना को भी लागू होंगे ।

73. बालक कर्मकारों का रजिस्टर.–(1) हर ऐसे कारखाने का प्रबंधक जिसमें बालक नियोजित है बालक कर्मकारों का एक रजिस्टर रखेगा जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर या जब कारखाने में कोई काम हो रहा हो निरीक्षक को उपलभ्य होगा और जिसमें निम्नलिखित दर्शित होंगे–

(क) कारखाने के हर बालक कर्मकार का नाम;

(ख) उसके काम की प्रकृति;

(ग) वह समूह, यदि कोई हो, जिसमें वह सम्मिलित किया गया हो;

(घ) जहां उसका समूह / पारियों में काम करता है वहां वह टोली जिसमें वह रखा गया है, और

(ङ) धारा 69 के अधीन अनुदत्त उसके योग्यता प्रमाणपत्र का संख्यांक ।

(1क) जब तक कि किसी बालक कर्मकार का नाम या अन्य विशिष्टियां बालक कर्मकारों के रजिस्टर में प्रविष्ट न कर ली गई हो तब तक उससे किसी कारखाने में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(2) राज्य सरकार, बालक कर्मकारों के रजिस्टर का प्ररूप, वह रीति जिसमें वह रखा जाएगा और वह कालावाधि, जिस तक वह परिरक्षित रखा जाएगा, विहित कर सकेगी ।

74. काम के घंटों की धारा 72 के अधीन सूचना और धारा 73 के अधीन रजिस्टर के अनुरूप होना.–कोई बालक कारखाने में संप्रदर्शित बालकों के लिए काम की कालावधियों की सूचना और कारखाने के बालक कर्मकारों के रजिस्टर में उसके नाम के सामने पहले ही की गई प्रविष्टियों से भिन्न रूप में, किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा ।

75. स्वास्थ्य परीक्षा की अपेक्षा करने की शक्ति.–जहां निरीक्षक की राय है–

(क) कि योग्यता प्रमाणपत्र के बिना कारखाने में काम करने वाला कोई व्यक्ति अल्पवय व्यक्ति है, या

(ख) कि योग्यता प्रमाणपत्र सहित कारखाने में काम करने वाला कोई अल्पवय व्यक्ति उसमें कथित हैसियत में काम करने के योग्य नहीं रहा है,

वहां वह कारखाने के प्रबन्धक पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या अल्पवय व्यक्ति की परीक्षा किसी प्रमाणकर्ता सर्जन से कराई जाए, और यदि निरीक्षक ऐसा निदिष्ट करे तो ऐसे व्यक्ति या अल्पवय व्यक्ति को किसी कारखाने में नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसकी इस प्रकार परीक्षा नहीं हो जाती और धारा 69 के अधीन उसे, यथास्थिति, योग्यता प्रमाणपत्र या नया योग्यता प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं कर दिया जाता, या उसकी परीक्षा करने वाले प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा उसका अल्पवय व्यक्ति न होना प्रमाणीकृत नहीं कर दिया जाता ।

76. नियम बनाने की शक्ति.–राज्य सरकार–

(क) धारा 69 के अधीन अनुदत्त किए जाने वाले योग्यता प्रमाणपत्रों के प्ररूप विहित करने वाले मूल प्रमाणपत्रों के खो जाने की दशा में दूसरी प्रतियों के अनुदान का उपबन्ध करने वाले और ऐसे प्रमाणपत्रों और उनके नवीकरणों और ऐसी दूसरी प्रतियों के लिए प्रभार्य की जा सकने वाली फीसें नियत करने वाले;

(b) prescribing the physical standards to be attained by children and adolescents working in factories;

(c) regulating the procedure of certifying surgeons under this Chapter;

(d) specifying other duties which certifying surgeons may be required to perform in connection with the employment of young persons in factories, and fixing the fees which may be charged for such duties and the persons by whom they shall be payable.

77. Certain other provisions of law not barred. -The provisions of this Chapter shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of the Employment of Children Act, 1938 (XXVI of 1938)[1].

CHAPTER VIII

Annual Leave with Wages

78. Application of Chapter.-(1) The provisions of this Chapter shall not operate to prejudice of any right to which a worker may be entitled under any other law or under the terms of any award, agreement including settlement or contract of service:

Provided that if such award, agreement (including settlement) or contract of service provides for a longer annual leave with wages than provided in this Chapter, the quantum of leave, which the worker shall be entitled to, shall be in accordance with such award, agreement or contract of service, but in relation to matters not provided for in such award, agreement or contract of service or matters which are provided for less favourably therein, the provisions of sections 79 to 82, so far as may be, shall apply.

(2) The provisions of this Chapter shall not apply to workers in any factory of any railway administered by the Government, who are governed by leave rules approved by the Central Government.

79. Annual leave with wages.-(1) Every worker who has worked for a period of 240 days or more in a factory during a calendar year shall be allowed during the subsequent calendar year, leave with wages for a number of days calculated at the rate of -

(i) if an adult, one day for every twenty days of work performed by him during the previous calendar year;

(ii) if a child, one day for every fifteen days of work performed by him during the previous calendar year.

Explanation 1. - For the purposes of this sub-section-

(a) any days of lay-off, by agreement or contract or as permissible under the standing orders;

(b) in the case of a female worker, maternity leave for any number of days not exceeding twelve weeks; and

(c) the leave earned in the year prior to that in which the leave is enjoyed;

shall be deemed to be days on which the worker has worked in a factory for the purpose of computation of the period of 240 days or more, but he shall not earn leave for these days.

Explanation 2. - The leave admissible under this sub-section shall be exclusive of all holidays whether occurring during or at either end of the period of leave.

---

1. *Now See*, the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986).

(ख) कारखानों में काम करने वाले बालकों और कुमारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शारीरिकमान विहित करने वाले;

(ग) इस अध्याय के अधीन प्रमाणकर्ता सर्जन की प्रक्रिया विनियमित करने वाले;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करने वाले जिन्हें कारखानों में अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन के सम्बन्ध में पालन करने के लिए प्रमाणकर्ता सर्जन अपेक्षित किए जा सकेंगे और ऐसे कर्तव्यों के लिए प्रभारित की जा सकने वाले फीसों तथा उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा वे देय होंगी, नियत करने वाले,

नियम बना सकेगी ।

77. विधि के कतिपय अन्य उपबन्धों का अर्जित न होना.–इस अध्याय के उपबन्ध बालक नियोजन अधिनियम, 1938 (1938 का 26)[1] के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में ।

अध्याय 8

मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी

78. अध्याय का लागू होना.–(1) इस अध्याय के उपबन्ध इस प्रकार प्रवृत्त न होंगे कि उनका किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिसका कोई कर्मकार किसी अन्य विधि के अधीन या किसी अधिनिर्णय करार (जिसके अन्तर्गत समझौता भी है) या सेवा–संविदा के निबन्धनों के अधीन हकदार है :

परन्तु यदि ऐसे अधिनिर्णय, करार (जिसके अन्तर्गत समझौता भी है) या सेवा–संविदा मजदूरी सहित ऐसी वार्षिक छूट्टी के लिए उपबन्ध करती है जो इस अध्याय में उपबंधित छुट्टी से दीर्घतर है तो जितनी छूट्टी का कर्मकार हकदार होगा वह ऐसे अधिनिर्णय, करार या सेवा–संविदा के अनुसार होगी किन्तु ऐसे विषयों के संबध में, जिनका ऐसे अधिनिर्णय, करार या सेवा–संविदा में उपबंध नहीं किया गया है या जिनका उसमें कम अनुकूल रूप में उपबंध किया गया है, धारा 79 से लेकर धारा 82 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

(2) इस अध्याय के उपबन्ध, सरकार द्वारा प्रशासित रेल के किसी कारखाने में ऐसे कर्मकारों को लागू नहीं होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित छुट्टी नियमों से शासित होते हैं ।

79. मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी.–(1) हर कर्मकार को जिसने किसी कलैण्डर वर्ष के दौरान कारखाने में 240 या अधिक दिनों की कालावधि तक काम किया है, पश्चात्वर्ती कलैंडर वर्ष के दौरान इतने दिनों के लिए मजदूरी सहित छुट्टी अनुज्ञात की जाएगी जितने निम्नलिखित दर से परिकलित होंगे–

(i) यदि वह वयस्क है, तो पूर्ववर्ती कलैंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के हर बीस दिन के लिए एक दिन;

(ii) यदि वह बालक है तो पूर्ववर्ती कलैंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के हर पन्द्रह दिन के लिए एक दिन;

स्पष्टीकरण 1.–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए–

(क) करार, या संविदा द्वारा अथवा स्थायी आदेशों के अधीन यथा अनुज्ञात कामबन्दी के कोई दिन;

(ख) स्त्री कर्मकार की दशा में, बारह सप्ताह से अनधिक के लिए प्रसूति छुट्टी के कोई दिन; और

(ग) जिस वर्ष छुट्टी का उपभोग किया जाता है, उससे पूर्ववर्ती वर्ष में उपार्जित छुट्टी,

240 या अधिक दिनों की कालावधि की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे दिन समझे जाएंगे जिनमें कर्मकार ने कारखानों में काम किया है, किन्तु इन दिनों के लिए वह छुट्टी उपार्जित नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण 2.–इस उपधारा के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी उन सब अवकाश दिनों का, जो चाहे छुट्टी की कालावधि के दौरान या उसके प्रारम्भ या अन्त में हों, अपवर्जन करके होगी ।

1. अब देखें बालक और कुमार श्रम, (प्रतिषेध और विनियम), अधिनियम, 1986 (1986 का 61)।

(2) A worker whose service commences otherwise than on the first day of January shall be entitled to leave with wages at the rate laid down in clause (t) or, as the case may be, clause (ii) of sub-section (1) if he has worked for two-thirds of the total number of days in the remainder of the calendar year.

(3) If a worker is discharged or dismissed from service or quits his employment or is superannuated or dies while in service, during the course of the calendar year, he or his heir or nominee, as the case may be, shall be entitled to wages in lieu of the quantum of leave to which he was entitled immediately before his discharge, dismissal, quitting of employment, superannuation or death, calculated at the rates specified in sub-section (1), even if he had not worked for the entire period specified in sub-section(1) or sub-section (2) making him eligible to avail of such leave, and such payment shall be made -

(i) where the worker is discharged or dismissed or quits employments before the expiry of the second working day from the date of such discharge, dismissal or quitting; and

(ii) where the worker is superannuated or dies while in service, before the expiry of two months from the date of such superannuation or death.

(4) In calculating leave under this section, fraction of leave of half a day or more shall be treated as one full day's leave and fraction of less than half a day shall be omitted.

(5) If a worker does not in any one calendar year takes the whole of the leave allowed to him under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, any leave not taken by him shall be added to the leave to be allowed to him in the succeeding calendar year:

Provided that the total number of days of leave that may be carried forward to a succeeding year shall not exceed thirty in the case of an adult or forty in the case of a child:

Provided further that a worker, who has applied for leave with wages but has not been given such leave in accordance with any scheme laid down in sub-sections (8) and (9) or in contravention of sub-section (10) shall be entitled to carry forward the leave refused without any limit.

(6) A worker may at any time apply in writing to the manager of a factory not less than fifteen days before the date on which he wishes his leave to begin, to take all the leave or any portion thereof allowable to him during the calendar year:

Provided that the application shall be made not less than thirty days before the date on which the worker wishes his leave to begin, if he is employed in a public utility service as defined in clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 1947):

Provided further that the number of times in which leave may be taken during any year shall not exceed three.

(7) If a worker wants to avail himself of the leave with wages due to him to cover a period of illness, he shall be granted such leave even if the application for leave is not made within the time specified in sub-section (6); and in such a case wages as admissible under section 81 shall be paid not later than fifteen days, or in the case of a public utility service not later than thirty days from the date of the application for leave.

(8) For the purpose of ensuring the continuity of work, the occupier or manager of the factory, in agreement with the Works Committee for the factory constituted under section

(2) वह कर्मकार जिसकी सेवा पहली जनवरी के प्रथम दिन से अन्यथा प्रारम्भ होती है उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (i) या खण्ड (ii) में अधिकथित दर पर मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा यदि उसने कलैंडर वर्ष के अवशिष्ट भाग के दिनों की कुल संख्या के दो–तिहाई के लिए काम किया है ।

(3) यदि कोई कर्मकार कलैंडर वर्ष के दौरान सेवोन्मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है या अपना नियोजन छोड़ देता है या अधिवर्षिता प्राप्त कर देता है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह या, यथास्थिति, उसका वारिस या उसका नामनिर्देशिती उतनी छुट्टियों के बदले में जितनी के लिए वह कर्मकार अपनी सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, नियोजन छोड़ दिए जाने, अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने पर या मृत्यु से पूर्व हकदार था उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित मजदूरी का हकदार होगा भले ही उसने उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पूरी अवधि के लिए काम न किया हो जिससे वह ऐसी छुट्टी पाने का पात्र हो गया होता और ऐसा संदाय–

(i) जहां कर्मकार सेवोन्मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है या काम छोड़ देता है वहां ऐसी सेवोन्मुक्ति, पदच्युति या काम छोड़ने की तारीख से काम करने के दूसरे दिन की समाप्ति से पूर्व; और

(ii) जहां कर्मकार ने अधिवर्षिता प्राप्त कर ली है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है वहां ऐसी अधिवर्षिता प्राप्त करने या मृत्यु की तारीख से दो मास की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन छुट्टी परिकलित करने में आधे या उससे अधिक दिन की छुट्टी के भाग को पूरे दिन की छुट्टी माना जाएगा और आधे दिन से काम के भाग को छोड़ दिया जाएगा ।

(5) यदि कोई कर्मकार किसी एक कलैंडर वर्ष में, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपने को अनुज्ञात सारी छुट्टी नहीं लेता तो उसके द्वारा न ली गई छुट्टी, उत्तरवर्ती कलैंडर वर्ष में उसे अनुज्ञात होने वाली छुट्टी में जोड़ दी जाएगी :

परन्तु छुट्टी के दिनों की कुल संख्या जो उत्तरवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी किसी वयस्क की दशा में तीस और किसी बालक की दशा में चालीस से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि कोई कर्मकार, जिसने मजदूरी सहित छुट्टी के लिए आवेदन किया है किन्तु जिसे उपधारा (8) और (9) में अधिकथित किसी स्कीम के अनुसार या उपधारा (10) के उल्लंघन में ऐसी छुट्टी नहीं दी गई है, ऐसी अस्वीकृत छुट्टी के, अग्रनयन का हकदार होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी ।

(6) कोई कर्मकार कलैंडर वर्ष के दौरान अपने को अनुज्ञेय सारी या कुछ छुट्टी लेने के लिए किसी कारखाने के प्रबन्धक से उस तारीख से पन्द्रह दिन से अन्यून पूर्व, जिसको कि वह अपनी छुट्टी आरम्भ करना चाहता है, किसी समय लिखित आवेदन कर सकेगा :

परन्तु आवेदन उस तारीख से जिसको कर्मकार अपनी छुट्टी आरंभ करना चाहता है, तीस दिन से अन्यून पूर्व किया जाएगा यदि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के उपखंड (ढ) में यथापरिभाषित लोकोपयोगी सेवा में नियोजित है :

परन्तु यह और कि वर्ष के दौरान में तीन बार से अधिक बार छुट्टी न ली जा सकेगी ।

(7) यदि कोई कर्मकार अपने को प्राप्य मजदूरी सहित छुट्टी को रुग्णता की कालावधि के लिए लेना चाहता है तो उसे ऐसी छुट्टी दी जाएगी चाहे उसने छुट्टी के लिए आवेदन उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर न भी किया हो, और ऐसी किसी दशा में धारा 81 के अधीन यथा अनुज्ञेय मजदूरी, छुट्टी के लिए आवेदन की तारीख से पन्द्रह दिन के अनुपरान्त, या लोकोपयोगी सेवा की दशा में तीस दिन के अनुपरान्त संदत्त की जाएगी ।

(8) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि काम निरन्तर होता रहे, कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबन्धक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 3 के अधीन गठित कारखाने

3 of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 1947), or a similar Committee constituted under any other Act or if there is no such Works Committee or a similar Committee in the factory, in agreement with the representatives of the workers therein chosen in the prescribed manner, may lodge with the Chief Inspector a scheme in writing whereby the grant of the leave allowable under this section may be regulated.

(9) A scheme lodged under sub-section (8) shall be displayed at some conspicuous and convenient place in the factory and shall be in force for a period of twelve months from the date on which it comes into force, and may thereafter be renewed with or without modification for a further period of twelve months at a time, by the manager in agreement with the Works Committee or a similar Committee, or as the case may be, in agreement with the representatives of the workers as specified in sub-section (8), and a notice of renewal shall be sent to the Chief Inspector before it is renewed.

(10) An application for leave which does not contravene the provisions of sub-section (6) shall not be refused, unless refusal is in accordance with the scheme for the time being in operation under sub-sections (8) and (9).

(11) If the employment of a worker who is entitled to leave under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, is terminated by the occupier before he has taken the entire leave to which he is entitled, or if having applied for and having not been granted such leave, the worker quits his employment before he has taken the leave, the occupier of the factory shall pay him the amount payable under section 80 in respect of the leave not taken, and such payment shall be made, where the employment of the worker is terminated by the occupier, before the expiry of the second working day after such termination, and where a worker who quits his employment, on or before the next pay day.

(12) The unavailed leave of a worker shall not be taken into consideration in computing the period of any notice required to be given before discharge or dismissal.

80. Wages during leave periods.—(1) For the leave allowed to him under section 78 or section 79, as the case may be, a worker shall be entitled to wages at a rate equal to the daily average of his total full time earnings for the day on which he actually worked during the months immediately preceding his leave, exclusive of any overtime and bonus but inclusive of dearness allowance and the cash equivalent of advantage accruing through the concessional sale to the worker of food grains and other articles:

Provided that in the case of a worker who has not worked on any day during the calendar month immediately preceding his leave, he shall be paid at a rate equal to the daily average of his total full time earnings for the days on which he actually worked during the last calendar month preceding his leave, in which he actually worked, exclusive of any overtime and bonus but inclusive of dearness allowance and the cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to the workers of food grains and other articles.

(2) The cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to the worker of food grains and other articles shall be computed as often as may be prescribed, on the basis of the maximum quantity of food grains and other articles admissible to a standard family.

Explanation 1. - "Standard family" means a family consisting of a worker, his or her spouse and two children below the age of fourteen years requiring in all three adult consumption units.

की कर्मसमिति या किसी अन्य अधिनियम के अधीन गठित किसी सदृश समिति की सहमति से या यदि कारखाने में ऐसी कोई कर्मसमिति या सदृश समिति नहीं है, तो वहां के कर्मकारों के विहित रीति से निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमति से एक लिखित स्कीम, जिसके द्वारा इस धारा के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी का अनुदान विनियमित किया जा सकेगा, मुख्य निरीक्षक के पास दाखिल कर सकेगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन दाखिल की गई स्कीम कारखाने में किन्हीं सहजदृश्य और सुविधापूर्ण स्थानों में संप्रदर्शित की जाएगी और उस तारीख से, जिसको वह प्रवृत्त होती है, बारह मास की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी, और तत्पश्चात्, उपान्तरों के सहित या बिना एक समय पर बारह मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए उसका नवीकरण प्रबन्धक द्वारा कर्मसमिति या सदृश समिति की सहमति से या, यथास्थिति, उपधारा (8) में यथाविनिर्दिष्ट कर्मकारों के प्रतिनिधियों की सहमति से किया जा सकेगा और नवीकरण की सूचना उसके नवीकृत किए जाने के पूर्व मुख्य निरीक्षक को भेजी जाएगी ।

(10) छुट्टी के लिए कोई आवेदन, जो उपधारा (6) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करता नामंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि नामजूंरी उपधारा (8) और उपधारा (9) के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी स्कीम के अनुसार न हो ।

(11) यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन छुट्टी के हकदार कर्मकार का नियोजन, उस द्वारा अपनी सारी छुट्टी, जिसका वह हकदार है, ले चुकने के पहले अधिष्ठाता द्वारा समाप्त कर दिया जाता है या यदि ऐसी छुट्टी के लिए आवेदन कर चुकने और मंजूर न किए जाने पर वह कर्मकार छुट्टी लेने से पूर्व अपना नियोजन छोड़ देता है, तो कारखाने का अधिष्ठाता न ली गई छुट्टी के लिए उसे धारा 80 के अधीन संदेय रकम संदत्त करेगा और ऐसा संदाय जहां कर्मकार का नियोजन अधिष्ठाता द्वारा समाप्त किया जाता है वहां ऐसी समाप्ति के पश्चात् दूसरे काम के दिन के अवसान से पूर्व और जहां कोई कर्मकार अपना नियोजन छोड़ देता है वहां अगले वेतन दिन को या उसके पूर्व किया जाएगा ।

(12) उन्मोचन या पदच्युति से पहले दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना की कालावधि संगणित करने में कर्मकार की अनुपभुक्त छुट्टी का ध्यान न रखा जाएगा ।

80. छुट्टी कालावधि के दौरान मजदूरी.–(1) किसी कर्मकार को यथास्थिति, धारा 78 या धारा 79 के अधीन अनुज्ञात छुट्टी के लिए, ऐसी दर से, मजदूरी का हकदार होगा जो उसकी छुट्टी के ठीक पहले के मास के दौरान उन दिनों के लिए, जिन दिनों उसने वास्तव में काम किया, उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जनों के, जिसमें कोई अतिकाल और बोनस सम्मिलित नहीं होगा किन्तु महंगाई भत्ता और कर्मकार को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य सम्मिलित होगा, दैनिक औसत के बराबर हो :

परन्तु किसी ऐसे कर्मकार के मामले में, जिसने अपनी छुट्टी के ठीक पहले कलैंडर मास के दौरान किसी दिन काम नहीं किया है, उस दर से संदाय किया जाएगा जो उसकी छुट्टी के पहले के अंतिम कलैंडर मास के दौरान, जिसमें उसने वास्तव में काम किया, उन दिनों के लिए जिन दिनों उसने वास्तव में काम किया, उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जनों के, जिसमें कोई अतिकाल और बोनस सम्मिलित नहीं होगा किन्तु महंगाई भत्ता और कर्मकारों को खाद्यानों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य सम्मिलित होगा, दैनिक औसत के बराबर है ।

(2) कर्मकार को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे के नकद समतुल्य की संगणना, इतनी बार जितनी विहित की जाए, मानक कुटुम्ब के लिए अनुज्ञेय खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के अधिकतम परिमाण के आधार पर की जाएंगी ।

स्पष्टीकण 1.–"मानक कुटुम्ब" से अभिप्रेत है कर्मकार, उसकी पत्नी या उसके पति और चौदह वर्ष से कम आयु वाले दो बालकों से मिलकर बना कुटुम्ब जिसमें कुल मिलाकर तीन वयस्क–उपभोग यूनिट अपेक्षित होगें।

Explanation 2. - "Adult consumption unit" means the consumption unit of a male above the age of fourteen years; and the consumption unit of a female above the age of fourteen years, and that of a child below the age of fourteen years shall be calculated at the rates of 8 and 6 respectively of one adult consumption unit.

(3) The State Government may make rules prescribing -

(a) the manner in which the cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to a worker of food grains and other articles shall be computed; and

(b) the registers that shall be maintained in a factory for the purpose of securing compliance with the provisions of this section.

81. Payment in advance in certain cases. -A worker who has been allowed leave for not less than four days, in the case of an adult, and five days, in the case of a child, shall, before his leave begins, be paid the wages due for the periods of the leave allowed.

82. Mode of recovery of unpaid wages.-Any sum required to be paid by an employer, under this Chapter but not paid by him, shall be recoverable as delayed wages under the provisions of the Payment of Wages Act, 1936 (IV of 1936).

83. Power to make rules.-The State Government may make rules directing managers of factories to keep registers containing such particulars as may be prescribed and requiring the registers to be made available for examination by Inspectors.

84. Power to exempt factories.-Where the State Government is satisfied that the leave rules applicable to workers in a factory provide benefits which in its opinion, are not less favourable than those for which this Chapter makes provisions, it may by written order, exempt the factory from all or any of the provisions of this Chapter subject to such conditions as may be specified in the order.

Explanation. - For the purposes of this section, in deciding whether the benefits which are provided for by any leave rules are less favourable than those for which this Chapter makes provision, or not, the totality of the benefits shall be taken into account.

CHAPTER IX.

Special Provisions

85. Power to apply the Act to certain premises. -(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that all or any of the provisions of this Act shall apply to any place wherein a manufacturing process is carried on with or without the aid of power or is so ordinarily carried on, notwithstanding that -

(i) the number of persons employed therein is less than ten, if working with the aid of power, and less than twenty if working without the aid of power, or

(ii) the persons working therein are not employed by the owner thereof but are working with the permission of, or under agreement with, such owner:

Provided that the manufacturing process is not being carried on by the owner only with the aid of his family.

(2) After a place is so declared, it shall be deemed to be a factory for the purposes of this Act, and the owner shall be deemed to be the occupier, and any person working therein, to be a worker.

स्पष्टीकरण 2.–"वयस्क–उपभोग–यूनिट" से चौदह वर्ष की आयु से ऊपर के पुरुष का उपभोग–यूनिट–अभिप्रेत है; और चौदह वर्ष से ऊपर की आयु की स्त्री और चौदह वर्ष से कम आयु वाले बालक का उपयोग यूनिट वयस्क–उपभोग–यूनिट के क्रमशः .8 और .6 की दर से परिकलित किया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार निम्नलिखित विहित करने वाले नियम बना सकेगी–

(क) वह रीति, जिसमें खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के कर्मकार को रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य संगणित किया जाएगा, और

(ख) वे रजिस्टर, जो इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कारखाने में रखे जाएंगे ।

81. कतिपय दशाओं में अग्रिम संदाय किया जाना.–किसी कर्मकार को, जिसे यदि वह वयस्क है तो चार दिन से, और यदि वह बालक है तो पांच दिन से, अन्यून की छुट्टी अनुज्ञात की गई है, उसकी छुट्टी आरम्भ होने से पूर्व, अनुज्ञात छुट्टी की कालावधि के लिए देय मजदूरी संदत्त की जाएगी ।

82. असंदत्त मजदूरी की वसूली का ढंग.–नियोजक द्वारा इस अध्याय के अधीन संदत्त की जाने के लिए अपेक्षित किन्तु उस द्वारा संदत्त न की गई कोई राशि मजूदरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के उपबन्धों के अधीन विलम्बित मजदूरी के रूप में वसूलीय होगी ।

83. नियम बनाने की शक्ति.–राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जिनमें कारखानों के प्रबन्धकों को ऐसी विशिष्टियों वाले, जैसे विहित की जाएं, रजिस्टर रखने के निदेश और उन रजिस्टरों को निरीक्षकों द्वारा परीक्षा के लिए उपलभ्य कराने की अपेक्षा होगी ।

84. कारखानों को छूट देने की शक्ति.–जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी कारखाने में कर्मकारों को लागू छुट्टी नियम ऐसे फायदों का उपबन्ध करते हैं जो उसकी राय में उन फायदों से कम अनुकुल नहीं हैं जिनके लिए यह अध्याय उपबन्ध करता है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा, उस कारखाने को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं इस अध्याय के सब या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस बात का विनिश्चय करते समय कि वे फायदे जिनका किन्हीं छुट्टी नियमों द्वारा उपबंध किया गया है, उन फायदों से, जिनका इस अध्याय में उपबन्ध किया गया है, कम अनुकूल हैं या नहीं, कुल फायदों को दृष्टि में रखा जाएगा ।

ध्याय 9

विशेष उपबंध

85. अधिनियम को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति.–(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध किसी ऐसे स्थान पर, जिसमें कोई विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से या उसके बिना चलाई जाती है या मामूली तौर से ऐसे चलाई जाती है, इस बात के होने पर भी लागू होंगे कि–

(i) वहां नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यदि वे शक्ति की सहायता से काम रह हैं तो, दस से कम है और यदि वे शक्ति की सहायता के बिना काम कर रहे हैं, तो बीस से कम है; और

(ii) वहां काम करने वाले व्यक्ति उसके स्वामी द्वारा नियोजित नहीं हैं किन्तु ऐसे स्वामी की अनुज्ञा से या उसके साथ करार के अधीन काम कर रहे हैं :

परन्तु यह तब जब कि विनिर्माण प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल अपने कुटुम्ब की सहायता से ही नहीं चलाई जा रही है ।

(2) किसी स्थान के ऐसे घोषित किए जाने के पश्चात् वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कारखाना समझा जाएगा और स्वामी को अधिष्ठाता और उसमें काम करने वाले व्यक्ति को कर्मकार समझा जाएगा ।

Explanation. - For the purpose of this section "owner" shall include a lessee or mortgagee with possession of the premises.

86. Power to exempt public institution.-The State Government may exempt, subject to such conditions as it may consider necessary, any workshop or workplace where a manufacturing process is carried on and which is attached to a public institution maintained for the purposes of education training, research or information, from all or any of the provisions of this Act:

Provided that no exemption shall be granted from the provisions relating to hours of work and holidays unless the persons having the control of the institution submit, for the approval of the State Government, a scheme of the regulation of the hours of employment, intervals for meals, and holidays of the persons employed in or attending the institution or who are inmates for the institution, and the State Government is satisfied that the provisions of the scheme are not less favourable than the corresponding provisions of the Act.

87. Dangerous operations.-Where the State Government is of opinion that any manufacturing process or operation carried on in a factory exposes any persons employed in it to a serious risk of bodily injury, poisoning or disease, it may order or make rules applicable to any factory or class or description of factories in which manufacturing process or operation is carried on -

(a) specifying the manufacturing process or operation and declaring it to be dangerous;

(b) prohibiting or restricting the employment of women, adolescents or children in the manufacturing process or operation;

(c) providing for the periodical medical examination for persons employed or seeking to be employed, in the manufacturing process or operation, and prohibiting the employment of persons not certified as fit for such employment and requiring the payment by the occupier of the factory of fees for such medical examination;

(d) providing for the protection of all persons employed in the manufacturing process or operation or in the vicinity of the places where it is carried on;

(e) prohibiting, restricting or controlling the use of any specified materials or processes in connection with the manufacturing process or operation:

(f) requiring the provision of additional welfare amenities and sanitary facilities and the supply of protective equipment and clothing, and laying down the standards thereof, having regard to the dangerous nature of the manufacturing process or operation;

87A. Power to prohibit employment on account of serious hazard.-(1) Where it appears to the Inspector that conditions in a factory or part thereof are such that they may cause serious hazard by way of injury or death to the persons employed therein or to the general public in the vicinity, he may, by order in writing to the occupier of the factory, state the particulars in respect of which he considers the factory or part thereof to be the cause of such serious hazard and prohibit such occupier from employing any person in the factory or any part thereof other than the minimum number of persons necessary to attend to the minimum tasks till the hazard is removed.

(2) Any order issued by the Inspector under sub-section (1) shall have effect for a period of three days until extended by the Chief Inspector by a subsequent order.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "स्वामी" के अन्तर्गत परिसर का पट्टेदार या बन्धकदार भी होगा जो कब्जा रखता है ।

86. सार्वजनिक संस्थाओं को छूट देने की शक्ति.—राज्य सरकार किसी कर्मशाला या कर्मस्थली को, जहां कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो और जो शिक्षा, प्रशिक्षण अनुसंधान या सुधार के प्रयोजनों के लिए चलाई जाने वाली किसी सार्वजनिक संस्था से संलग्न हो, इस अधिनियम के सब या किन्हीं उपबन्धों से छूट ऐसी शर्तों के अध्यधीन दे सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे :

परन्तु काम के घंटों और अवकाश दिनों से सम्बद्ध उपबन्धों से कोई छूट, तब तक नहीं दी जाएगी जब तक संस्था पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति, संस्था में नियोजित या उपस्थित व्यक्तियों के या उन व्यक्तियों के, जो संस्था के वासी हैं, नियोजन के घंटों, भोजन के लिए अन्तरालों और अवकाश दिनों के विनियमन के लिए एक स्कीम राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए नहीं रखते और राज्य सरकार का समाधान नहीं हो जाता कि स्कीम के उपबन्ध इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों से कम अनुकूल नहीं हैं ।

87. खतरनाक संक्रियाएं.—जहां राज्य सरकार की यह राय है कि किसी कारखाने में चलाई जाने वाली कोई विनिर्माण, प्रक्रिया या संक्रिया ऐसी है कि वह उसमें नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष, या रोग की गम्भीर जोखिम में डाल देती है वहां वह किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को जिनमें वह विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया चलाई जा रही हो लागू होने वाले ऐसे नियम बना सकेगी जिनमें—

(क) विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया विनिर्दिष्ट होगी और खतरनाक घोषित होगी;

(ख) उस विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया में स्त्रियों, कुमारों, या बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित होगा;

(ग) उस विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया में नियोजित या नियोजन चाहने वाले व्यक्तियों की कालिक चिकित्सीय परीक्षा के लिए उपबन्ध होगा और ऐसे नियोजन के लिए योग्य प्रमाणित न हुए व्यक्तियों का नियोजन प्रतिषिद्ध होगा और कारखाने के अधिष्ठाता से ऐसी चिकित्सीय परीक्षा की फीस का संदाय करने के लिए अपेक्षा की जाएगी ;

(घ) उस विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया में या उन स्थानों के जहां वह चलाई जा रही हो, समीप नियोजित सब व्यक्तियों की संरक्षा के लिए उपबन्ध होगा;

(ङ) उस विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया के समबन्ध में किन्हीं विनिर्दिष्ट सामग्रियों या प्रक्रियाओं का प्रयोग प्रतिषिद्ध, निर्बन्धित या नियंत्रित होगा;

(च) विनिर्माण प्रक्रियाया संक्रिया की खतरनाक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त कल्याण सम्बन्धी सुख—सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का और संरक्षात्मक उपकरण और वस्त्रों के प्रदाय का और उनके मानक विहित किए जाने का उपबन्ध होगा;

87क. गंभीर परिसंकट के कारण नियोजन प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.—(1) जहां निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने या उसके भाग में ऐसी परिस्थितियां हैं कि वे उसमें नियोजित व्यक्तियों को या आसपास के जनसाधारण को क्षति या मृत्यु के रूप में गंभीर परिसंकट कारित कर सकती हैं, वहां वह कारखाने के अधिष्ठाता को लिखित रूप में आदेश द्वारा, ऐसी विशिष्टियां कथित कर सकेगा जिनकी बाबत वह समझता है कि वे कारखाने या उसके भाग को ऐसा गंभीर परिसंकट कारित करेंगी और ऐसे अधिष्ठाता को, उतनी संख्या में व्यक्तियों को छोड़कर जो न्यूनतम काम को करने के लिए आवश्यक हों, किसी व्यक्ति को कारखाने या उसके किसी भाग में नियोजित करने से उस समय प्रतिषिद्ध कर सकेगा जब तक कि उस परिसंकट को दूर नहीं कर दिया जाता ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक द्वारा जारी किए गए किसी आदेश का तीन दिन की अवधि तक प्रभाव होगा जब तक कि उसे मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा बढ़ा नहीं दिया जाता ।

(3) Any person aggrieved by an order of the Inspector under sub-section (1), and the Chief Inspector under sub-section (2), shall have the right to appeal to the High Court.

(4) Any person whose employment has been affected by an order issued under sub-section (1), shall be entitled to wages and other benefits and it shall be the duty of the occupier to provide alternative employment to him wherever possible and in the manner prescribed.

(5) The provisions of sub-section (4) shall be without prejudice to the rights of the parties under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)

88. Notice of certain accident.-(1) Where in any factory an accident occurs which causes death, or which causes any bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of forty-eight hours or more immediately following the accident, or which is of such nature as may be prescribed in this behalf, the manager of the factory shall send notice thereof to such authorities, in such form and within such time, as may be prescribed.

(2) Where a notice given under sub-section (1) relates to an accident causing death, the authority to whom the notice is sent shall make an inquiry into the occurrence within one month of the receipt of the notice or if there is no such authority, the Chief Inspector cause the Inspector to make an inquiry within the said period.

(3) The State Government may make rules for regulating the procedure inquires under this section.

88A. Notice of certain dangerous occurrences.-Where in a factory any dangerous occurrence of such nature as may be prescribed, occurs, whether causing any bodily injury or disability, or not, the manager of the factory shall send notice thereof to such authorities, and in such form and within such time, as may be prescribed.

89. Notice of certain diseases. -(1) Where any worker in a factory contacts any disease specified in the Third Schedule the manager of the factory shall send notice thereof to such authorities, and in such form and within such time, as may be prescribed.

(2) If any medical practitioner attends on a person, who is or has been employed in a factory, and who is, or is believed by the medical practitioner to be suffering from any disease specified in the Third Schedule the medical practitioner shall without delay send a report in writing to the office of the Chief Inspector stating -

(a) the name and full postal address of the patient,

(b) the disease from which he believes the patient to be suffering, and

(c) the name and address of the factory in which the patient is, or was last employed.

(3) Where the report under sub-section (2) is confirmed to the satisfaction of the Chief Inspector, by the certificate of the certifying surgeon or otherwise, that the person is suffering from a disease specified in the Third Schedule, he shall pay to the medical practitioner such fee as may be prescribed, and the fee so paid shall be recoverable as an arrear of land revenue from the occupier of the factory in which the person contacted the disease.

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक और उपधारा (2) के अधीन मुख्य निरीक्षक के आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा ।

(4) वह व्यक्ति, जिसका नियोजन उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश से प्रभावित हुआ है, मजदूरी और अन्य फायदों का हकदार होगा तथा अधिष्ठाता का यह कर्तव्य होगा कि वह उसे जहां भी संभव हो और विहित रीति से आनुकल्पिक नियोजन उपलब्ध कराए ।

(5) उपधारा (4) के उपबंध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे ।

88. कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना.–(1) जहां किसी कारखाने में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिससे मृत्यु हो जाती है या जो कोई ऐसी शारीरिक क्षति करती है जिसके कारण क्षत व्यक्ति उस दुर्घटना के ठीक बाद के अड़तालीस घन्टों या अधिक की कालावधि के लिए काम करने से निवारित हो जाता है या जो ऐसे स्वरूप की है जैसा इस निमित्त विहित किया जाए, वहां कारखाने का प्रबन्धक उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे प्ररूप में और इतने समय के अन्दर भेजेगा जो विहित किया जाए ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना किसी ऐसी दुर्घटना के सम्बन्ध में हो जिसमें मृत्यु हो जाती है वहां वह प्राधिकारी, जिसको सूचना भेजी जाती है, सूचना की प्राप्ति के एक मास के अन्दर घटना की जांच करेगा और यदि ऐसा प्रधिकारी निरीक्षक नहीं है तो वह उक्त अवधि के अन्दर निरीक्षक से जांच कराएगा ।

(3) राज्य सरकार इस धारा के अधीन जांच में प्रक्रिया विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है ।

88क. कतिपय खतरनाक दुर्घटनाओं की सूचना.–जहां कारखाने में ऐसे स्वरूप की जैसी विहित की जाए, कोई खतरनाक दुर्घटना हो जाए, जिससे चाहे शारीरिक क्षति या निःशक्तता हो जाती हो या न हो जाती हो, वहां कारखाने का प्रबन्धक उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे प्ररूप में और इतने समय के अन्दर भेजेगा जो विहित किया जाए ।

89. कतिपय रोगों की सूचना.–(1) जहां किसी कारखाने में किसी कर्मकार को, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई रोग लग जाए वहां कारखाने का प्रबन्धक उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे प्ररूप में और इतने समय के अन्दर भेजेगा जो विहित किया जाए ।

(2) यदि कोई चिकित्सा–व्यवसायी किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करता है, जो किसी कारखाने में नियोजित है या रहा है और जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित है या जिसके बारे में चिकित्सा–व्यवसायी को विश्वास है कि वह ऐसे रोग से पीड़ित है तो चिकित्सा व्यवसायी अविलम्ब एक लिखित रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक के कार्यालय को भेजेगा जिसमें–

(क) चिकित्साधीन व्यक्ति का नाम और डाक का पूरा पता दिया होगा,

(ख) वह रोग कथित होगा जिससे चिकित्साधीन व्यक्ति के पीड़ित होने का उसे विश्वास है, और

(ग) उस कारखाने का नाम और पता दिया होगा जिसमें चिकित्साधीन व्यक्ति नियोजित है या अन्तिम बार नियोजित था ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट की, प्रमाणकर्ता सर्जन के प्रमाणपत्र से या अन्यथा, मुख्य निरीक्षक की समाधानप्रद रूप में पुष्टि हो जाती है कि वह व्यक्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट रोग से पीड़ित है वहां वह चिकित्सा–व्यवसायी को ऐसी फीस संदत्त करेगा जैसी विहित की जाए और ऐसी संदत्त फीस उस कारखाने के अधिष्ठाता से, जिसमें उस व्यक्ति को रोग लगा था, भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

(4) If any medical practitioner fails to comply with the provisions of sub-section (2), he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

(5) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, and to or alter the Third Schedule and any such addition or alteration shall have effect as if it had been made by this Act.

90. Power to direct inquiry into cases of accident or disease.-(1) The State Government may, if it considers it expedient so to do, appoint a competent person to inquire into the causes of any accident occurring in a factory or into any case where a disease specified in the Third Schedule has been, or is suspected to have been, contacted in a factory, and may also appoint one or more persons possessing legal or special knowledge to act as assessors in such inquiry.

(2) The person appointed to hold an inquiry under this section shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), for the purposes of enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents and material objects and may also, so far as may be necessary for the purposes of the inquiry, exercise any of the powers of an Inspector under this Act; and every person required by the person making the inquiry to furnish any information, shall be deemed to be legally bound so to do within the meaning of section 176 of the Indian Penal Code (XLV of 1960)[1].

(3) The person holding an inquiry under this section shall make a report to the State Government stating the cause of the accident, or as the case may be, disease, and any attendant circumstances, and adding any observations which he or any of the assessors may think fit to make.

(4) The State Government may, if it thinks fit, cause to be published any report made under this section or any extracts therefrom.

(5) The State Government may make rules for regulating the procedure of inquires under this section.

91. Power to take samples.-(1) An Inspector may at any time during the normal working hours of a factory, after informing the occupier or manager of the factory or other person for the time being purporting to be in-charge of the factory, take, in the manner hereinafter provided, a sufficient sample of any substance used or intended to be used in the factory, such use being -

(a) in the belief of the Inspector, in contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, or

(b) in the opinion of the Inspector, likely to cause bodily injury to, or injury to the health of, workers in the factory.

(2) Where the Inspector takes a sample under sub-section (1), he shall, in the presence of the person informed, under that sub-section unless such person willfully absents himself, divide the sample into three portions and effectively, seal and suitably mark them, and shall permit such person to add his own seal and mark thereto.

(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector so requires, provide the appliances for dividing, sealing and marking the sample taken under this section.

(4) The Inspector shall-

1. *Now See*, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(4) यदि कोई चिकित्सा–व्यवसायी उपधारा (2) के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल होगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तीसरी अनुसूची का परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी और किसी ऐसे परिर्वधन या परिवर्तन का वही प्रभाव होगा मानो वह इस अधिनियम द्वारा किया गया है ।

90. दुर्घटना या रोग की दशाओं में जांच निर्दिष्ट करने की शक्ति.–(1) यदि राज्य सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है तो वह किसी ऐसी दुर्घटना के कारणों की जो किसी कारखाने में हुई हो या किसी ऐसे मामले की, जिसमें (तीसरी अनुसूची) में विनिर्दिष्ट कोई रोग किसी कारखाने में लगा हो या यह संदेह हो कि वहां वह लगा, जांच करने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति नियुक्त कर सकेगी और ऐसी जांच में असेसर के रूप में कार्य करने के लिए एक या अधिक ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगी जिनको विधिक या विशिष्ट जानकारी हो ।

(2) इस धारा के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को, साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तोवेजों और भैतिक पदार्थों को पेश कराने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सब शक्तियां होंगी और जहां तक जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, वह इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकेगा, और जांच करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई सूचना देने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)[1] की धारा 176 के अर्थ में ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देगा जिसमें, यथास्थिति, दुर्घटना या रोग के कारण और कोई तत्सम्बद्ध परिस्थितियां कथित होंगी और कोई ऐसी टीका–टिप्पणियां भी होंगी जो वह या असेसरों में से कोई करना ठीक समझे ।

(4) यदि राज्य सरकार ठीक समझती है तो वह इस धारा के अधीन दी गई किसी रिपोर्ट या उसमें से किन्हीं उद्धरणों को प्रकाशित करा सकेगी ।

(5) इस धारा के अधीन जांचों में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी ।

91. नमूने लेने की शक्ति.–(1) निरीक्षक, कारखाने के प्रसामान्य काम के घन्टों के दौरान किसी समय कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबन्धक को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसका तत्समय कारखाने का भारसाधक होना तात्पर्यित है, इत्तिला देकर किसी ऐसे पदार्थ का एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति में पर्याप्त नमूना ले सकेगा जो कारखाने में प्रयुक्त किया जा रहा है या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित है और जो प्रयोग–

(क) निरीक्षक के विश्वासानुसार इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में किसी के उल्लंघन में है, या

(ख) निरीक्षक की राय में कारखाने में कर्मकारों को शारीरिक क्षति या उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने की संभाव्यता रखता है ।

(2) जहां निरीक्षक उपधारा (1) के अधीन नमूना लेता है वहां वह उस व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसे उस उपधारा के अधीन इत्तिला दी गई हो जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहता, नमूने को तीन भागों में विभक्त करेगा और उन्हें प्रभावपूर्ण रूप से मुहरबन्द और उचित रूप से चिह्नित करेगा, और ऐसे व्यक्ति को भी उन पर अपनी मुहर लगाने और चिह्नित करने की अनुज्ञा देगा ।

(3) वह व्यक्ति जिसे, यथापूर्वोक्त इत्तिला दी गई है इस धारा के अधीन लिए गए नमूने को विभक्त, मुहरबन्द और चिह्नित करने के लिए साधित्रों की व्यवस्था करेगा यदि निरीक्षक वैसी अपेक्षा करे ।

(4) निरीक्षक–

---

1. अब देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)।

(a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-section (1);

(b) forthwith send the second portion to a Government analyst for analysis and report thereon;

(c) retain the third portion for production to the Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the substance.

(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government analyst upon any substance submitted to him for analysis and report under this section, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

9lA. Safety and occupational health surveys.-(1) The Chief Inspector, or the Director-General of Factory Advice Service and Labour Institutes, or the Director-General of Health Services, to the Government of India, or such other officer as may be authorised in this behalf by the State Government or the Chief Inspector or the Director-General of Factory Advice Service and Labour Institutes or the Director-General of Health Services, may, at any time during the normal working hours of a factory, or at any other time as is found by him to be necessary, after giving notice in writing to the occupier or manager of the factory or any other person who for the time being purports to be in-charge of the factory, under-take safety and occupational health surveys and such occupier or manager or other person shall afford all facilities for such survey, including facilities for the examination and testing of plant and machinery and collection of samples and other data relevant to the survey.

(2) For the purpose of facilitating surveys under sub-section (1) every worker shall, if so required by the person conducting the survey, present himself to undergo such medical examinations as may be considered necessary by such person and furnish all information in his possession and relevant to the survey.

(3) Any time spent by a worker for undergoing medical examination or furnishing information under sub-section (2) shall, for the purpose of calculating wages and extra wages for overtime work, be deemed to be time during which such worker worked in the factory.

Explanation. **-** For the purposes of this section, the report, if any; submitted to the State Government by the person conducting the survey under sub-section (1) shall be deemed to be a report submitted by an Inspector under this Act.

CHAPTER X

Penalties and Procedure

92. General penalty for offences.-Save as is otherwise expressly provided in this Act and subject to the provisions of section 93, if in, or in respect of, any factory there is any contravention of the provisions of this Act or of any rules made thereunder or of any order in writing given thereunder, the occupier or manager of the factory shall each be guilty of an offence and punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both, and if the contravention is continued after conviction, with as further fine which may extend to one thousand rupees for each day on which the contravention is so continued.

Provided that where contravention of any of the provisions of Chapter IV or any rule made thereunder or under section 87 has resulted in an accident causing death or serious bodily injury, the fine shall not be less than twenty-five thousand rupees in the case of an accident causing death, and five thousand rupees in the case of an accident causing serious bodily injury.

(क) नमूने का एक भाग तत्क्षण उस व्यक्ति को देगा जिसे उपधारा (1) के अधीन इत्तिला दी गई है;

(ख) दूसरे भाग को विश्लेषण करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए तत्क्षण सरकारी विश्लेषक को भेजेगा;

(ग) तीसरे भाग को उस न्यायालय में पेश करने के लिए प्रतिधारित रखेगा जिसके समक्ष पदार्थ के विषय में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित की गई हैं ।

(5) इस धारा के अधीन विश्लेषण करने और रिपोर्ट देने के लिए सरकारी विश्लेषक को दिए गए किसी पदार्थ के बारे में सरकारी विश्लेषक के हस्ताक्षरों वाली रिपोर्ट होनी तात्पर्यित कोई दस्तावेज उस पदार्थ के बारे में संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी ।

91क. सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण.–(1) मुख्य निरीक्षक या कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशक या भारत सरकार का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या ऐसा अन्य अधिकारी, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए या मुख्य निरीक्षक या कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशक या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक कारखाने के प्रसामान्य काम के घंटों के दौरान या किसी ऐसे अन्य समय पर, जब वह आवश्यक समझे, कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबन्धक या ऐस अन्य व्यक्ति को, जिसका तत्समय कारखाने का भारसाधक होना तात्पर्यित है, इत्तिला देकर सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर सकेगा और ऐसा अधिष्ठाता या प्रबन्धक या अन्य व्यक्ति ऐसे सर्वेक्षण के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा जिनके अन्तर्गत संयंत्र और मशीनरी की परीक्षा और परीक्षण के लिए और सर्वेक्षण से सुसंगत नमूने और अन्य आंकड़े के संकलन की सुविधाएं भी हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षणों को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मकार यदि सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति ने ऐसी अपेक्षा की है तो अपनी स्वयं ऐसी चिकित्सीय परीक्षा कराएगा जैसी वह आवश्यक समझे और अपने कब्जे में की और ऐसी सभी जानकारी देगा जो उसके पास हो और जो सर्वेक्षण से सुसंगत हो ।

(3) उपधारा (2) के अधीन चिकित्सीय परीक्षा कराने या जानकारी देने के लिए कर्मकार ने जितना समय व्यतीत किया है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह मजदूरी और अतिकाल काम के लिए अतिरिक्त मजदूरी की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ऐसा समय है जिसके दौरान उस कर्मकार ने कारखाने में काम किया था ।

स्पष्टीकरण.–(1) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को पेश की गई रिपोर्ट को, यदि कोई हैं, इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक द्वारा पेश की गई रिपोर्ट समझा जाएगा ।

अध्याय 10

शास्तियां और प्रक्रिया

92. अपराधों के लिए सामान्य शास्ति.–इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और धारा 93 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि यदि किसी कारखाने में या उसके संबंध में, इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के या तद्धीन दिए गए किसी लिखित आदेश के उपबन्धों में से या किसी का उल्लंघन होगा तो कारखाने का अधिष्ठाता और प्रबन्धक प्रत्येक अपराध का दोषी होगा और कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से और यदि उल्लंघन दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें उल्लंघन इन प्रकार जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु जहां अध्याय 4 के या उसके अधीन या धारा 87 के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन से कोई ऐसी दुर्घटना हुई है, जिससे मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति हुई है वहां जुर्माना, ऐसी दुर्घटना की दशा में जिससे मृत्यु हुई है, पच्चीस हजार रुपए से और ऐसी दुर्घटना की दशा में जिससे गम्भीर शारीरिक क्षति हुई है, पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

Explanation. - in this section and in section 94 "serious bodily injury" means an injury which involves, or in all probability will involve, the permanent loss of the use of, or permanent injury to, any limb or the permanent loss of, or injury to sight or hearing, or the fracture of any bone, but shall not include, the fracture of bone or joint not being fracture of more than one bone or joint of and phalanges of the hand or foot.

93. Liability of owner of premises in certain circumstances. —(1) Where in any premises separate building are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be responsible for the provision and maintenance of common facilities and services, such as approach roads, drainage, water supply, lighting and sanitation.

(2) The Chief Inspector shall have, subject to the control of the State Government, power to issue order, to the owner of the premises in respect of the carrying out of the provisions of sub-section (1).

(3) Where in any premises, independent or self-contained floor or fiats are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be liable as if he was the occupier or manager of a factory, for any contravention of the provisions of this Act in respect of -

(i) latrines, urinals and washing facilities in so far as the maintenance of the common supply of water for those purpose in concerned;

(ii) fencing of machinery and plant belonging to the owner and not specifically entrusted to the custody or use of an occupier;

(iii) safe means of access to the floors or flats and maintenance and cleanliness of staircases and common passages;

(iv) precaution, in case of fire;

(v) maintenance of hoists and lifts; and

(vi) maintenance of any other common facilities provided in the premises.

(4) The Chief Inspector shall have, subject to the control of the State Government, power to issue orders to the owner of the premises in respect of the carrying out of the provisions of sub-section (3).

(5) The provisions of sub-section (3) relating to the liability of the owner shall apply where in any premises independent rooms with common latrines, urinals and washing facilities are leased to different occupier, for use as separate factories:

Provided that the owner shall be responsible also for complying with the requirements relating to the provisions and maintenance of latrines, urinals and washing facilities.

(6) The Chief Inspector shall have, subject to the control of the State Government, the power to issue orders to the owner of the premises referred to in sub-section (5) in respect of the carrying out of the provisions of section 46 or section 48.

(7) Where in any premises, portions of a room or a shed are leased to different occupiers, for use as separate factories, the owner of the premises shall be liable for any contravention of the provisions of -

(i) Chapter III, except sections 14 and 15;

(ii) Chapter IV, except sections 22, 23, 27, 34, 35 and 36:

Provided that in respect of the provisions of sections 21, 24 and 32 the owner's liability shall be only in so far as such provisions relate to things under his control:

स्पष्टीकरण.–इस धारा में और धारा 94 में "गंभीर शारीरिक क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है जिसमें शरीर के किसी अंग के उपयोग की स्थायी हानि या स्थायी क्षति अथवा दृष्टि या श्रवण, शक्ति को स्थायी हानि या क्षति हुई है या होने की पूरी संभाव्यता है या कोई अस्थि–भंग हुआ है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी हाथ और पैर की अंगुलियों का ऐसा अस्थि या जोड़ का भंग नहीं है (जो किसी एक अस्थि या जोड़ से अधिक का अस्थि–अंग नहीं है) ।

93. कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व.–(1) जहां किसी परिसर में पृथक्–पृथक् भवन विभिन्न अधिष्ठाताओं को, पृथक् कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए गए हैं वहां पहुंच मार्गों, जल निकासों, जल प्रदाय, रोशनी और सेवाओं की व्यवस्था और अनुरक्षा करने के लिए परिसर का स्वामी उत्तरदायी होगा ।

(2) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक को, उपधारा (1) के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी ।

(3) जहां किसी परिसर में स्वतंत्र या स्वतः पूर्ण मंजिलें या फ्लैट विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक् कारखानों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए पट्टे पर दिए गए हैं वहां परिसर का स्वामी निम्नलिखित के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए ऐसे दायित्वाधीन होगा मानो वह कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबंधक हो–

(i) शौचालय, मूत्रालय और धुलाई की सुविधाएं जहां तक उन प्रयोजनों के लिए जल के सामान्य प्रदाय का बनाए रखना संबंधित है;

(ii) ऐसी मशीनरी और संयंत्र पर बाड़ लगाना जो स्वामी का हो और अधिष्ठाता की अभिरक्षा या उसके प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से न्यस्त न किया गया हो;

(iii) मंजिलों या फ्लैटों तक पहुंचने के लिए निरापद साधन और सीढ़ियां और सामान्य मार्गों का बनाए रखना और सफाई;

(iv) आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां;

(v) उत्तोलकों और उत्थापकों का अनुरक्षण; और

(vi) परिसर में उपलभ्य किन्हीं अन्य सामान्य सुविधाओं का अनुरक्षण ।

(4) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक को उपधारा (3) के उपबन्धों के कार्यान्वयन के बारे में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी ।

(5) जहां किसी परिसर में सामान्य शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई की सुविधओं के सहित पृथक् कमरे विभिन्न अधिष्ठाताओं को, पृथक् कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए गए हैं वहां स्वामी के दायित्व के बारे में उपधारा (3) के उपबन्ध लागू होंगे :

परन्तु स्वामी शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई की सुविधाओं की व्यवस्था और अनुरक्षा करने से सम्बद्ध अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(6) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक को उपधारा (5) में निर्दिष्ट परिसर के स्वामी को धारा 46 या धारा 48 के उपबन्धों के कार्यान्वयन के बारे में आदेश देने की शक्ति होगी ।

(7) जहां किसी परिसर में किसी कमरे या शैड के भाग विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक् कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए जाते हैं, वहां परिसर का स्वामी निम्नलिखित के उपबन्धों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए दायित्वाधीन होगा–

(i) धारा 14 और धारा 15 को छोड़कर अध्याय 3 ;

(ii) धारा 22, 23, 27, 34, 35 और 36 को छोड़कर अध्याय 4 :

परन्तु धारा 21, 24 और 32 के उपबन्धों के बारे में स्वामी का दायित्व वहीं तक होगा, जहां तक ऐसे उपबन्ध उसके नियंत्रणाधीन बातों से सम्बद्ध हैं :

Provided further that the occupier shall be responsible for complying with the provisions of Chapter IV in respect of plant and machinery belonging to or supplied by him;

(iii) section 42.

(8) The Chief Inspector shall have, subject to the control of the State Government, power to issue orders to the owner of premises in respect of the carrying out of the provisions of sub-section (7).

(9) In respect of sub-sections (5) and (7), while computing for the purposes of any of the provisions of this Act the total number of workers employed, the whole of the premises shall be deemed to be a single factory.

94. Enhanced penalty after previous conviction.-(1) If any person who has been convicted of any offence punishable under section 92 is again found guilty of an offence involving a contravention Of the same provision, he shall be punishable on a subsequent conviction with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine, which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to two lakh rupees or with both;

Provided that the Court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a fine of less than ten thousand rupees:

Provided further that where contravention of any of the provisions of Chapter IV or any rule made thereunder or under section 87 has resulted in an accident causing death or serious bodily injury, the fine shall not be less than thirty five thousand rupees in the case of an accident causing death and ten thousand rupees in the case of an accident causing serious bodily injury.

(2) For the purpose of sub-section (1), no cognizance shall be taken of any conviction made more than two years before the commission of the offence for which the person is subsequently being convicted.

95. Penalty for obstructing inspector.-Whoever willfully obstructs an Inspector in the exercise of any power conferred on him by or under this Act, or fails to produce on demand by an Inspector any register or other documents kept in his custody in pursuance of this Act or of any rules made thereunder, or conceals or prevents any workers, in a factory from appearing before, or being examined by, an inspector, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

96. Penalty for wrongfully disclosing results of analysis under section 91.- Whoever, except in so far as it may be necessary for the purposes of a prosecution for any offence punishable under this Act, publishes or discloses to any person the results of an analysis made under section 91, shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to six months or with fine, which may extend to ten thousand rupees or with both.

96A. Penalty for contravention of the provisions of sections 41B, 41C and 41H.-(1) Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of sections 41B, 41C or 41H or the rules made thereunder, shall, in respect of such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and with fine which may extend to two lakh rupees, and in case the failure or contravention continues, with additional

परन्तु यह और कि अधिष्ठाता अपनी या अपने द्वारा प्रदत्त मशीनरी और संयंत्र के बारे में अध्याय 4 के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(iii) धारा 42 ।

(8) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक को उपधारा (1) के उपबन्धों के कार्यान्वयन के बारे में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी ।

(9) उपधारा (5) और (7) के सम्बन्ध में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के प्रयोजन के लिए संगणित करते समय पूरे परिसर को एक ही कारखाना समझा जाएगा ।

94. पूर्वतन दोषसिद्धि के पश्चात् वर्धित शास्ति.–(1) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 92 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष हो चुका है, उसी उपबन्ध का कोई उल्लंघन अन्वर्तलित करने वाले अपराध का पुनः दोषी होगा तो वह पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा :

परन्तु न्यायालय किन्हीं ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, दस हजार रुपए से कम का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां अध्याय 4 के या उसके अधीन या धारा 87 के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन से ऐसी दुर्घटना हुई है, जिससे मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति हुई है, वहां जुर्माना ऐसी दुर्घटना की दशा में, जिससे मृत्यु हुई है, पैंतीस हजार रुपए से कम और ऐसी दुर्घटना की दशा में जिससे गम्भीर शारीरिक क्षति हुई है दस हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी दोषसिद्धि का कोई संज्ञान नहीं किया जाएगा जो ऐसे अपराध के किए जाने से दो वर्ष से अधिक पूर्व की गई है जिसके लिए वह व्यक्ति तत्पश्चात् दोषसिद्ध किया जा रहा है ।

95. निरीक्षक को बाधित करने के लिए शास्ति.–जो कोई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन निरीक्षक को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में उसे जानबूझकर बाधित करेगा या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में अपनी अभिरक्षा में रखे गए किन्हीं रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, निरीक्षक की मांग पर पेश करने में असफल होगा या कारखाने में किसी कर्मकार को निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षित किए जाने से छिपाएगा या रोकेगा, वह कारावास से, जिसको अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

96. धारा 91 के अधीन विश्लेषण के परिणाम को दोषपूर्णतया प्रकट कर देने के लिए शास्ति.–जो कोई, वहां तक के सिवाय जहां तक इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, धारा 91 के अधीन किए गए किसी विश्लेषण के परिणाम को प्रकाशित या किसी व्यक्ति को प्रकट करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

96क. धारा 41ख, 41ग और 41ज, के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति.–(1) जो कोई धारा 41ख, 41ग या 41ज के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का पालन करने में असफल रहेगा या उनका उल्लंघन करेगा, वह ऐसी असफलता या उल्लंघन की बाबत कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन

fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure or contravention continues, after the conviction for the first such failure or contravention.

(2) If the failure or contravention referred to in sub-section (1) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years.

97. Offences by workers.-(1) Subject to the provisions of section 111, if any worker employed in a factory contravenes any provision of this Act or any rules or orders made thereunder, imposing any duty or liability on workers, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) Where a worker is convicted of an offence punishable under sub-section (1) the occupier or manager of the factory shall not be deemed to be guilty of an offence in respect of that contravention, unless it is proved that he failed to take all reasonable measures for its prevention.

98. Penalty for using false certificate of fitness.-Whoever knowingly uses or attempts to use, as a certificate of fitness granted to himself under section 70, a certificate granted to another person under that section, or who, having procured such a certificate, knowingly allow it to be used, or an attempt to use it to be made by, another person, shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to two months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

99. Penalty for permitting double employment of child.-If a child works in a factory on any day on which he has already been working in another factory, the parent or guardian of the child or the person having custody of or control over him or obtaining any direct benefit from his wages, shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees, unless it appears to the Court that the child so worked without the consent or connivance of such parent, guardian or person.

100.- [***]

101. Exemption of occupier or manager from liability in certain cases.-Where the occupier or manager of a factory is charged with an offence punishable under this Act he shall be entitled, upon complaint duly made by him and on giving to the prosecutor not less than three clear days' notice in writing of his intention so to do, to have any other person whom he charges as the actual offender brought before the Court at the time appointed for hearing the charge; and if, after the commission of the offence has been proved, the occupier or manager of the factory, as the case may be, proves to the satisfaction of the Court—

(a) that he has used due diligence to enforce the execution of this Act, and

(b) that the said other person committed the offence in question without his knowledge, consent or connivance,

that other person shall be convicted of the offence and shall be liable to the like punishment as if he was the occupier or manager of the factory, and the occupier or manager, as the case may be, shall be, discharged from any liability under this Act in respect of such offence:

Provided that in seeking to prove as aforesaid, the occupier or manager of the factory, as the case may be, may be examined on oath, and his evidence and that of any witness

के लिए जिसके दौरान ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसी असफलता या ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई असफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख से पश्चात् एक वर्ष की अवधि से परे जारी रहता है तो अपराधी कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

97. कर्मकारों द्वारा अपराध.–(1) धारा 111 के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि यदि कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के किसी उपबन्ध का, जो कर्मकारों पर कोई कर्तव्य या दायित्व अधिरोपित करता है, उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) जहां कोई कर्मकार उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो जाता है, वहां कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबन्धक उस उल्लंघन के लिए अपराध का दोषी तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि यह सिद्ध नहीं होता कि वह उसका निवारण करने के लिए सब युक्तियुक्त उपाय करने में असफल रहा है ।

98. मिथ्या योग्यता प्रमाणपत्र प्रयुक्त करने के लिए शास्ति.–जो कोई धारा 70 के अधीन अन्य व्यक्ति को दिए गए किसी योग्यता प्रमाणपत्र को उस धारा के अधीन अपने को अनुदत्त योग्यता प्रमाणपत्र के रूप में जानबूझकर प्रयुक्त करेगा या प्रयुक्त करने का प्रयत्न करेगा अथवा जो ऐसा प्रमाणपत्र उपाप्त कर चुकने के पश्चात् उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा जानबूझकर प्रयोग में लाने देगा या प्रयोग में लाने का प्रयत्न करने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

99. बालक या दोहरा नियोजन अनुज्ञात करने के लिए शास्ति.–यदि कोई बालक किसी कारखाने में किसी ऐसे दिन काम करेगा जिस दिन वह पहले ही अन्य कारखाने में काम करता रहा है, तो उस बालक की माता या पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में या नियंत्रण में वह है या जो उसकी मजदूरी से कोई प्रत्यक्ष फायदा अभिप्राप्त करता है जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा जब तक न्यायालय को यह प्रतीत न हो कि बालक ने ऐसा काम उस माता या पिता, संरक्षक या व्यक्ति की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया है ।

100. [***]

101. कतिपय दशाओं में अधिष्ठाता या प्रबंधक को दायित्व से छूट.–जहां कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबन्धक पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध आरोपित है वहां वह अपने द्वारा सम्यक् रूप से किए गए परिवाद पर और अपने ऐसा करने के आशय की अभियोजक को अन्यून तीन पूर्ण दिन की लिखित सूचना देने पर इस बात के लिए हकदार होगा कि वह ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिस पर वहं वास्तविक अपराधी होने का आरोप लगाता है, न्यायालय के समक्ष आरोप की सुनवाई के लिए नियत समय पर पेश करवाए और यदि अपराध का किया जाना साबित हो जाने के पश्चात्, यथास्थिति, कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबन्धक न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर देता है–

(क) कि इस अधिनियम का निष्पादन प्रवर्तित कराने के लिए उसने सम्यक् तत्परता बरती है; और

(ख) कि उक्त अन्य व्यक्ति ने प्रश्नगत अपराध उसके ज्ञान, सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया है,

तो वह अन्य व्यक्ति अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाएगा और ऐसे दण्डनीय होगा मानो वह कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबन्धक हो और, यथास्थिति, अधिष्ठाता या प्रबंधक ऐसे अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाएगा :

परन्तु यथापूर्वोक्त साबित करने के प्रयास में, यथास्थिति, कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबन्धक की शपथ पर परीक्षा की जा सकेगी और उसका और ऐसे किसी साक्षी का साक्ष्य, जिसे अपने समर्थन में

whom he calls in his support, shall be subject to cross-examination on behalf of the person he charges as the actual offender and by the prosecutor:

Provided further that, if the person charged as the actual offender by the occupier or manager, cannot be brought before the court at the time appointed for hearing the charge, the court shall adjourn the hearing from time to time for a period not exceeding three months and if by the end of the said period the person charged as the actual offender cannot still be brought before the court, the court shall proceed to hear the charge against the occupier or manager and shall, if the offence be proved, convict the occupier or manager.

102. Power of court to make orders.-(1) Where the occupier or manager of a factory is convicted of an offence punishable under this Act the court may, in addition to awarding any punishment, by order in writing require him, within a period specified in the order (which the court may, if it thinks fit and on application in such- behalf, from time to time extend) to take such measures as may be so specified for remedying the matters in respect of which the offence was committed.

(2) Where an order is made under sub-section (1), the occupier or manager of the factory, as the case may be, shall not be liable under this Act in respect of the continuation of the offence during the period or extended period, if any, allowed by the court, but if, on the expiry of such period or extended period, as the case may be, the order of the court has not been fully complied with, the occupier or manager, as the case may be, shall be deemed to have committed a further offence, and may be sentenced therefore by the court to undergo imprisonment for a term which may extend to six months or to pay a fine which may extend to one hundred rupees for every day after such expiry on which the order has not been complied with, or both to undergo such imprisonment and to pay such fine as afore-said.

103. Presumption as to employment.-If a person is found in a factory at any time, except during intervals for meals or rest, when work is going on or the machinery is in motion, he shall until the contrary is proved, be deemed for the purposes of this Act and the rules made thereunder to have been at that time employed in the factory.

104. Onus as to age.-(1) When any act or omission would, if a person was under a certain age, be an offence punishable under this Act, and such person is in the opinion of the Court prima facie under such age, the burden shall be on the accused to prove that such person is not under such age.

(2) A declaration in writing by a certifying surgeon relating to a worker that he has personally examined him and believes him to be under the age stated in such declaration shall, for the purposes of this Act and the rules made thereunder, be admissible as evidence of the age of that worker.

104A. Onus of proving limits of what is practicable, etc. -In any proceeding for an offence for the contravention of any provision of this Act or rules made thereunder con-sisting of a failure to comply with a duty or requirement to do something, it shall be for the person who is alleged to have failed to comply with such duty or requirement, to prove that it was not reasonably practicable or as the case may be, all practicable measures were taken to satisfy the duty or requirement.

वह पेश करता है, उस व्यक्ति की ओर से, जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है, और अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा के अध्यधीन होगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिष्ठाता या प्रबन्धक द्वारा वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आरोप की सुनवाई के लिए नियत समय पर नहीं लाया जा सकता तो न्यायालय इतनी कालावधि तक जो तीन मास से अनधिक होगी, समय–समय पर सुनवाई को स्थगित करेगा और यदि उक्त कालावधि का अन्त होने तक भी वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता तो न्यायालय अधिष्ठाता या प्रबन्धक के खिलाफ आरोप की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा और यदि अपराध साबित हो जाए तो अधिष्ठाता या प्रबन्धक को सिद्धदोष ठहराएगा ।

102. न्यायालय की आदेश देने की शक्ति.–(1) जहां कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबन्धक इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष हो जाता है वहां न्यायालय कोई दण्ड अधिनिर्णीत करने के साथ–साथ लिखित आदेश द्वारा उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, (जिसे न्यायालय यदि उचित समझे तो, और उस निमित्त आवेदन पर, समय–समय पर बढ़ा सकेगा), उन बातों का उपचार करने के लिए जिनके बारे में अपराध किया गया है ऐसे अध्युपाय करे जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है वहां यथास्थिति, कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबन्धक, न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के, यदि कोई हो, दौरान अपराध के जारी रहने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय नहीं होगा, किन्तु यदि, यथास्थिति, कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के अंत तक न्यायालय के आदेश का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ है तो, यथास्थिति, अधिष्ठाता या प्रबन्धक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अतिरिक्त अपराध किया है और न्यायालय उसके लिए उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास भोगने के लिए, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना देने के लिए, जो ऐसी समाप्ति के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए, जिसमें आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, सौ रुपए तक का हो सकेगा या यथापूर्वोक्त कारावास भोगने और जुर्माना देने या दोनों के लिए दण्डादिष्ट कर सकेगा ।

103. नियोजन के विषय में उपधारणा.–यदि कोई व्यक्ति भोजन या विश्राम के लिए अन्तरालों के सिवाय किसी ऐसे समय, जब काम हो रहा है या मशीनरी चल रही है कारखाने में पाया जाता है तो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए उसके बारे में, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह समझा जाएगा कि वह उस समय कारखाने में नियोजित है ।

104. आयु के विषय में सिद्धिभार.–(1) जब कोई कार्य या लोप किसी व्यक्ति के किसी विशेष आयु से कम का होने पर इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध होता और ऐसा व्यक्ति न्यायालय की राय में प्रथमदृष्ट्या ऐसी आयु से कम का है तब यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी आयु से कम का नहीं है ।

(2) प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा किसी कर्मकार के बारे में यह लिखित घोषणा कि उसने स्वयं उस कर्मकार की परीक्षा की है और यह विश्वास करता है कि वह कर्मकार ऐसी घोषणा में कथित आयु से कम का है, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए, उस कर्मकार की आयु के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।

104क. 'क्या साध्य है' की सीमा साबित करने का भार, आदि.–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन के लिए किसी ऐसे अपराध की कार्यवाही में, जो कुछ करने के कर्तव्य या अपेक्षा का पालन करने में असफलता का गठन करता है, यह साबित करना कि वह युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं था या, यथास्थिति, कर्तव्य या अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए सभी साध्य उपाय किए गए थे, उस व्यक्ति पर होगा जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह ऐसे कर्तव्य या अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहा है ।

105. Cognizance of offences.-(1) No court shall take cognizance of any offence under this Act except on complaint by, or which previous sanction in writing of, an Inspector.

(2) No court below that of a Presidency Magistrate or of a Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

106. Limitation of prosecution.-No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act unless complaint thereof is made within three months of the date on which he alleged commission of the offence, came to the knowledge of an Inspector.

Provided that where the offence consists of disobeying a written order made by an Inspector, complaint thereof may be made within six months of the date on which the offence is alleged to have been committed.

Explanation. - For the purposes of this section,-

(k) "manufacturing process" means any process for-

(a) in the case of a continuing offence, the period of limitation shall be computed with reference to every point of time during which the offence continues;

(b) where for the performance of any act time is granted or extended on an application made by the occupier or manager of a factory the period of limitation shall be computed from the date on which the time so granted or extended expired.

106A. Jurisdiction of a court for entertaining proceedings, etc., for offence.-For the purposes of conferring jurisdiction on any court in relation to an offence under this Act or the rules made thereunder in connection with the operation of any plant, the place where the plant is for the time being situate, shall be deemed to be the place where such offence has been committed.

CHAPTER XI
Supplemental

107. Appeals.-(1) The manager of a factory on whom an order in writing by an Inspector has been served under the provisions of this Act or the occupier of the factory may, within thirty days of the service of the order, appeal against it to the prescribed authority, and such authority may subject to rules made in this behalf by the State Government, confirm, modify or reverse the order.

(2) Subject to rules made in this behalf by the State Government (which may prescribe classes of appeals which shall not be heard with the aid of assessors), the appellate authority may, or if so required in the petition of appeal shall, hear the appeal with the aid of assessors, one of whom shall be appointed by the appellate authority and the other by such body representing the industry concerned as may be prescribed:

Provided that if no assessor is appointed by such body before the time fixed for hearing the appeal, or if the assessor so appointed fails to attend the hearing at such time, the appellate authority may, unless satisfied that the failure to attend is due to sufficient cause, proceed to hear the appeal without the aid of such assessor or if it thinks fit, without the aid of any assessor.

(3) Subject to such rules as the State Government may make in this behalf and subject to such conditions as to partial compliance or the adoption of temporary measures as the appellate authority may in any case think fit to impose, the appellate authority may, if it thinks fit, suspend the order appealed against, pending the decision of the appeal.

108. Display of notices.-(1) In addition to the notices required to be displayed in any

105. अपराधों का संज्ञान.—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान किसी निरीक्षक द्वारा या उसकी लिखित पूर्व मंजूरी से किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।

(2) प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

106. अभियोजनों के लिए परिसीमा.—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब के सिवाय नहीं करेगा जबकि उसके लिए परिवाद उस तारीख से तीन मास के अन्दर कर दिया जाता है जिसको कि अभिकथित अपराध के किए जाने की जानकारी निरीक्षक को हुई :

परन्तु जहां अपराध किसी निरीक्षक द्वारा किए गए लिखित आदेश की अवज्ञा है वहां उसके लिए परिवाद उस तारीख से छह मास के अन्दर किया जा सकेगा जिसको उस अपराध का किया जाना अभिकथित है ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में परिसीमा काल की संगणना उसी समय से की जाएगी जिस समय से अपराध चालू रहता है ;

(ख) जहां कोई कार्य किए जाने के लिए कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबन्धक द्वारा किए गए आवेदन पर समय दिया जाता है या बढ़ाया जाता है वहां परिसीमा काल की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको इस प्रकार दिया गया या बढ़ाया गया समय समाप्त होता है ।

106क. किसी न्यायालय की अपराध के लिए कार्यवाहियां, आदि ग्रहण करने की अधिकारिता.—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी संयंत्र के प्रचालन से संबंधित किसी अपराध के संबंध में, किसी न्यायालय को अधिकारिता प्रदत्त किए जाने के प्रयोजनों के लिए, उस स्थान को जहां संयंत्र उस समय स्थित है, वह स्थान समझा जाएगा जहां ऐसा अपराध किया गया है ।

अध्याय 11

अनुपूरक

107. अपीलें.—(1) कारखाने का प्रबन्धक, जिस पर निरीक्षक द्वारा लिखित आदेश की तामील इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हो चुकी है या कारखाने का अधिष्ठाता, आदेश की तामील के तीस दिन के अन्दर विहित प्राधिकारी को उसके विरुद्ध अपील कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए उस आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे अपान्तरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के, (जिनमें अपीलों के वे वर्ग विहित हो सकेंगे जिनकी सुनवाई असेसरों की सहायता से नहीं होगी), अध्यधीन रहते हुए अपील प्राधिकारी अपील ऐसे असेसरों की सहायता से सुन सकेगा, या यदि अपील की अर्जी में उससे ऐसी अपेक्षा की गई हो तो वैसे सुनेगा, जिसमें से एक अपील प्राधिकारी द्वारा और दूसरा संबंधित उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे निकाय द्वारा, जैसा विहित किया जाए, नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यदि ऐसे निकाय द्वारा कोई असेसर अपील की सुनवाई के लिए नियम समय से पूर्व नियुक्त नहीं किया जाता या उस प्रकार नियुक्त असेसर ऐसे समय सुनवाई पर हाजिर होने में असफल रहता है तो अपील प्राधिकारी, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि हाजिर होने में असफलता पर्याप्त कारण से है, ऐसे असेसर की सहायता के बिना या यदि वह उचित समझे तो किसी भी असेसर की सहायता के बिना, अपील सुनने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।

(3) ऐसे नियमों के अध्यधीन जैसे राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, और भागतः अनुपालन किए जाने या अस्थायी उपायों के अपनाए जाने के संबंध में ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी अपील प्राधिकारी किसी दशा में अधिरोपित करना ठीक समझे, अपील प्राधिकारी यदि उचित समझे तो उस आदेश को, जिसकी अपील की गई हो, अपील का विनिश्चय लंबित रहने तक के लिए निलंबित कर सकेगा ।

108. सूचनओं का संप्रदर्शन.—(1) किसी कारखाने में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन

factory by or under this Act, there shall be displayed in every factory a notice continuing such abstracts of this Act, and of the rules made thereunder as may be prescribed and also the name and address of the Inspector and the certifying surgeon.

(2) All notices required by or under this Act to be displayed in a factory shall be in English and in a language understood by the majority of the workers in the factory, and shall be displayed at some conspicuous and convenient place at or near the main entrance to the factory, and shall be maintained in a clean and legible condition.

(3) The Chief Inspector may, by order in writing serve on the manager of any factory, require that there shall be displayed in the factory any other notice or poster relating to the health, safety or welfare of the workers in the factory.

109. Service of notices.-The State Government may make rules prescribing the manner of the service of orders under this Act on owners, occupiers or managers of factories.

110. Returns.-The State Government may make rules requiring owners, occupiers or managers of factories to submit such returns, occasional or periodical, as may in its opinion be required for the purpose of this Act,

111. Obligations of workers.-(1) No worker in a factory -

(a) shall willfully interfere with or misuse any appliance, convenience or other things provided in a factory for the purposes of securing the health, safety or welfare of the worker therein;

(b) shall willfully and without reasonable cause do anything likely to endanger himself or others; and

(c) shall willfully neglect to make use of any appliances or other things provided in the factory for the purposes of securing the health or safety of the workers therein.

(2) If any worker employed in a factory contravenes any of the provisions of this section or of any rule or order made thereunder, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one hundred rupees, or with both.

111A. Right of workers, etc.-Every worker shall have the right to -

(i) obtain from the occupier, information relating to worker's health and safety at work,

(ii) get trained within the factory wherever possible, or, to get himself sponsored by the occupier for getting trained at a training centre or institute, duly approved by the Chief Inspector, where training is imparted for workers' health and safety at work,

(iii) represent to the Inspector directly or through his representative in the matter of inadequate provision for protection of his health or safety in the factory.

112. General power to make rules.-The State Government may make rule providing for any matter which, under any of the provisions of this Act, is to be or may be prescribed or which may be considered expedient in order to give effect to the provisions of this Act.

113. Powers of Centre to give directions.-The Central Government may give directions to State Government as to the carrying into execution of the provisions of this Act.

114. No charge for facilities and conveniences.-Subject to the provisions of section 46 no fee or charge shall be realized from any worker in respect of any arrangement or facilities to be provided, or any equipment or appliances to be supplied by the occupier under the

संप्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त एक सूचना हर कारखाने में संप्रदर्शित की जाएगी जिसमें इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों की ऐसी संक्षिप्तियां होंगी, जैसी विहित की जाएं, और निरीक्षक तथा प्रमाणकर्ता सर्जन का नाम और पता भी होगा ।

(2) कारखाने में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संप्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित सब सूचनाएं अंग्रेजी में और कारखाने में कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगी और कारखाने में मुख्य द्वार पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य और सुविधाजनक स्थान पर संप्रदर्शित की जाएंगी, और साफ और पढ़े जाने योग्य दशा में रखी जाएंगी ।

(3) मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने के प्रबंधक पर तामील किए गए लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि कारखाने में कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण से सम्बद्ध कोई अन्य सूचना या पोस्टर संप्रदर्शित किया जाएगा ।

109. सूचनाओं की तामील.–राज्य सरकार कारखानों के स्वामियों, अधिष्ठाताओं या प्रबन्धकों पर इस अधिनियम के अधीन आदेशों की तामील की रीति विहित करने वाले नियम बना सकेगी ।

110. विवरणियां.–राज्य सरकार कारखानों के स्वामियों, अधिष्ठाताओं या प्रबन्धकों से यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि वे यदा–कदा या नियत समयों पर ऐसी विवरणियां दें जैसी राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों ।

111. कर्मकारों की बाध्यताएं.–(1) कारखाने में कोई भी कर्मकार–

(क) कारखाने के कर्मकारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए वहां उपबन्धित किसी साधित्र, सुविधा या अन्य चीज में जानबूझकर हस्तक्षेप या उसका दुरुपयोग नहीं करेगा;

(ख) जानबूझकर और युक्तियुक्त कारण के बिना कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे स्वयं उसके या अन्यों के खतरे में पड़ने की सम्भाव्यता हो; और

(ग) कारखाने के कर्मकारों का स्वास्थ्य या सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए वहां उपबंधित किसी साधित्र या अन्य चीज का प्रयोग करने में जानबूझकर उपेक्षा नहीं करेगा ।

(2) यदि कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार इस धारा या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

111क. कर्मकारों के अधिकार.–प्रत्येक कर्मकार को निम्नलिखित अधिकार होंगे–

(i) कार्य पर कर्मकार के स्वास्थ्य और उसका सुरक्षा से संबंधित जानकारी अधिष्ठाता से प्राप्त करना,

(ii) जहां भी संभव हो वहां, कारखाने के भीतर प्रशिक्षित होना या, मुख्य निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किसी प्रशिक्षण केन्द्र या संस्थान में जहां कार्य पर कर्मकार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षित होने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अपने नाम को भिजवाना,

(iii) निरीक्षक को प्रत्यक्ष रूप से या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से, कारखाने में उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा के संरक्षण के लिए अपर्याप्त व्यवस्था के मामले में अभ्यावेदन करना ।

112. नियम बनाने की साधारण शक्ति.–राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जो किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध करें जो इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन विहित किया जाना है या किया जाए या जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए समीचीन समझा जाए ।

113. केन्द्र की निदेश देने की शक्तियां.–केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का निष्पादन कराने के बारे में राज्य सरकार को निदेश दे सकेगी ।

114. सुविधाओं और सौकार्य के लिए कोई प्रभार न लेना.–धारा 46 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि अधिष्ठाता द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किए जाने वाले किन्हीं इन्तजामों या सुविधाओं या प्रदाय किए जाने वाले किन्हीं उपस्करों या साधित्रों के लिए कोई फीस या

provisions of this Act.

115. Publication of rules. -(1) All rules made under this Act shall be published in the official Gazette and shall be subject to the condition of previous publication, and the date to be specified under clause (3) of section 23 of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897), shall be not less than forty-five days from the date on which the draft of the proposed rules was published.

(2) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

116. Application of Act to Government factories.-Unless otherwise provided this Act shall apply to factories belonging to Central or any State Government.

117. Protection of the persons acting under this Act.-No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

118. Restriction on disclosure of information.-(1) No Inspector shall, while in service or after leaving the service disclose otherwise than in connection with execution, or for the purposes, of this Act, any information relating to any manufacturing of commercial business or any working process, which may come to his knowledge in the course of his official duties.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to any disclosure of information made with the previous consent in writing of the owner of such business or process or for the purposes of any legal proceeding including arbitration pursuant to this Act or of any criminal proceeding which may be taken, whether pursuant to this Act or otherwise or, for the purposes of any report of such proceedings as aforesaid.

(3) If any Inspector contravenes the provisions of sub-section (1) he shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to six months or with fine, which may extend to one thousand rupees, or with both.

118A. Restriction on disclosure of information.-(1) Every Inspector shall treat as confidential the source of any complaint brought to his notice on the breach of any provision of this Act.

(2) No Inspector shall, while making an inspection under this Act, disclose to the occupier, manager or his representative that the inspection is made in pursuance of the receipt of a complaint:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any case in which the person who has made the complaint has consented to disclose his name.

119. Act to have effect notwithstanding anything contained in Act 37 of 1970.-The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 or any other law for the time being in force.

120. Repeal and savings.-The enactment set out in the Table appended to this section are hereby repealed:

Provided that anything done under the said enactments, which could have been done under this Act, if it had been in force, shall be deemed to have been done under this Act.

प्रभार किसी कर्मकार से नहीं लिया जाएगा ।

115. नियमों का प्रकाशन.–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे; और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 23 के खंड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख उस तारीख से, जिसको प्रस्थापित नियमों का प्रारूप प्राकशित हुआ, पैंतालीस दिन से अन्यून की नहीं होगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

116. अधिनियम का सरकारी कारखानों पर लागू होना.–जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, यह अधिनियम केन्द्रीय या किसी भी राज्य सरकार के कारखानों को लागू होगा ।

117. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण.–इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

118. जानकारी प्रकट करने पर निर्बन्धन.–(1) कोई निरीक्षक, सेवा में होते हुए या सेवा छोड़ने के पश्चात् किसी ऐसी जानकारी को, जो किसी विनिर्माण या वाणिज्यिक कारबार या किसी कार्यकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में हो और जिसका उसे अपने पदीय कर्तव्यों के अनुक्रम में ज्ञान हुआ हो, इस अधिनियम के निष्पादन के सम्बन्ध में या इसके प्रयोजन के लिए प्रकट करने से अन्यथा प्रकट नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (2) में की कोई बात जानकारी के ऐसे प्रकटीकरण को लागू न होगी जो ऐसे कारबार या प्रक्रिया के स्वामी की लिखित पूर्व सम्मत्ति से या इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विधिक कार्यवाही के जिसके अन्तर्गत माध्यस्थम् भी है, या चाहे इस अधिनियम के अनुसरण में या अन्यथा की जाने वाली किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए या पूर्वोक्त जैसी कार्यवाहियों की किसी रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए किया गया है ।

(3) यदि कोई निरीक्षक उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

118क. जानकारी प्रकट करने पर निर्बन्धन.–(1) प्रत्येक निरीक्षक इस अधिनियम के किसी उपबंध के भंग की बाबत उसकी जानकारी में लाई गई किसी शिकायत के स्रोत को गुप्त रखेगा ।

(2) कोई निरीक्षक, इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण करने के दौरान अधिष्ठाता, प्रबंधक या उसके प्रतिनिधि को यह प्रकट नहीं करेगा कि शिकायत मिलने के अनुसरण में निरीक्षण किया गया है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसी किसी मामले को लागू नहीं होगी जहां शिकायत करने वाले व्यक्ति ने अपने नाम प्रकट करने की सहमति दे दी हैं ।

119. 1970 के अधिनियम 37 में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम का प्रभावी होना.–इस अधिनियम के उपबन्ध ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

120. निरसन और व्यावृत्ति.–इस धारा से संलग्न सारणी में गई अधिनियमितियां एतद्‌द्वारा निरसित की जाती है :

परन्तु उक्त अधिनियमितियों के अधीन की गई कोई बात, जो यदि यह अधिनियम तब प्रवृत्त होता तो इसके अधीन की जा सकती, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

THE FIRST SCHEDULE

[See Section 2(cb)]

List of Industries Involving Hazardous Processes

1. Ferrous Metallurgical Industries
   - Integrated Iron and Steel
   - Ferrow-alloys
   - Special Steels
2. Non-ferrous Metallurgical Industries
   - Primary Metallurgical Industries, namely, zinc, lead, copper, manganese and aluminium
3. Foundries (ferrous and non-ferrous)
   - Castings and forgings including cleaning or smoothening/roughening by sand and shot blasting
4. Coal (including coke) industries
   - Coal, Lignite, Coke, etc.
   - Fuel Gases (including Coal Gas, Producer Gas, Water Gas)
5. Power Generating Industries
6. Pulp and paper (including paper products) industries
7. Fertiliser Industries
   - Nitrogenous
   - Phosphatic
   - Mixed
8. Cement Industries
   - Portland Cement (including slag cement, puzzolona cement and their products)
9. Petroleum industries
   - Oil Refining
   - Lubricating Oils and Greases
10. Petro-chemical Industries
11. Drugs and Pharmaceutical Industries
    - Narcotics, Drugs and Pharmaceuticals
12. Fermentation Industries (Distilleries and Breweries)
13. Rubber (Synthetic) Industries
14. Paints and Pigment Industries
15. Leather Tanning Industries
16. Electro-plating Industries
17. Chemical Industries
    - Coke Oven By-products and Coaltar Distillation products
    - Industrial Gases (nitrogen, oxygen, acetylene, argon, carbon dioxide, hydrogen, sulphur dioxide, nitrous oxide halogenated hydrocarbon ozone, etc.)
    - Industrial Carbon
    - Alkalies and Acids
    - Chromates and dichromates

पहली अनुसूची

[धारा 2 (गख) देखिये]

ऐसे उद्योगो की सूची जिनमें परिसंकटमय प्रक्रियाएँ अन्तर्वलित हैं

1. लौह धातुकर्म उद्योग
   - समाकलित लोहा और इस्पात
   - लोहामिश्र धातु
   - विशेष इस्पात
2. अलौह धातुकर्म उद्योग
   - प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, ताँबा, मैंगनीज और एल्युमिनियम
3. ढलाईसाल (लौह और अलौह)
   - ढलाई और गढ़ाई, जिसके अन्तर्गत रेत और शाट विस्फोटन द्वारा सफाई करना या चिकना/खुरदरा बनाना भी है।
4. कोयला (जिसके अन्तर्गत कोक भी है) उद्योग
   - कोयला, लिग्नाइट, कोक आदि
   - ईंधन गैसें (जिसके अन्तर्गत कोयला गैस, उत्पादक गैस, जल गैस भी हैं)
5. शक्ति जनन उद्योग
6. लुग्दी और कागज (जिसके अन्तर्गत कागज उत्पादन भी है) उद्योग
7. उर्वरक उद्योग
   - नाइट्रोजनी
   - फास्फेटी
   - मिश्रित
8. सीमेन्ट उद्योग
   - पोर्टलैण्ड सीमेन्ट (जिसके अन्तर्गत धातुमल सीमेन्ट, पुज्जोलोना सीमेन्ट और उनके उत्पाद भी हैं)
9. पेट्रोलियम उद्योग
   - तेल परिष्करण
   - स्नेहक तेल और ग्रीस
10. पेट्रोरसायन उद्योग
11. औषधि और भैषजिक उद्योग
    - स्वापक, औषधि और भैषजिक
12. किण्वन उद्योग (आसवनी और मद्य निर्माणशाला)
13. रबड़ (संश्लिष्ट उद्योग)
14. पेंट और वर्णक उद्योग
15. चर्म' शोधन उद्योग
16. विद्युत लेपन उद्योग
17. रासायनिक उद्योग
    - कोक बन्द चूल्हा उपात्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद
    - औद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, आर्गान, कार्बनडाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजनेटीकृत हाइड्रोकार्बन, ओजोन आदि।
    - प्रौद्योगिक कार्बन
    - क्षार और अम्ल
    - क्रोमेट और डाइक्रोमेट

- Lead and its compounds
- Electro-chemical (metallic sodium, potassium and magnesium, chlorates, perchlorates and peroxides)
- Electro thermal produces (artificial abrasive, calcium carbide)
- Nitrogenous compounds (cyanides, cyanamides, and other nitrogenous compounds)
- Phosphorus and its compounds
- Halogens and Halogenated compounds (Chlorine, Fluorine, Bromine and Iodine)
- Explosives (including industrial explosives and detonators and fuses)

18. Insecticides, Fungicides, Herbicides and other Pesticides Industries
19. Synthetic Resin and Plastics
20. Man-made Fiber (Cellulosic and non-cellulosic) Industry
21. Manufacture and repair of electrical accumulators
22. Glass and Ceramics
23. Grinding or glazing of metals
24. Manufacture, handling and processing of asbestos and its products
25. Extraction of oils and fats from vegetable and animal sources
26. Manufacture, handling and use of benzene and substances containing benzene
27. Manufacturing processes and operations involving carbon disulphide
28. Dyes and Dyestuff including their intermediates
29. Highly flammable liquids and gases.

THE SECOND SCHEDULE

[See Section 41F]

Permissible Levels of certain Chemical Substances in Work Environment

Serial No.	Substance	Permissible limits of exposure			
		Time-weighted average concentration (TWA)(8 hrs.)		Short-term exposure limit (STEL) (15 min.)	
		ppm	mg/m3	ppm	mg/m3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
(1)	Acetaldehyde	100	180	150	270
(2)	Acetic Acid	10	25	15	37
(3)	Acetone	750	1780	1000	2375
(4)	Acrolein	0.1	0.25	0.3	0.8
(5)	Acrylonitrile-skin (S.C.)	2	4.5	-	-
(6)	Aldrin-skin	-	0.25	-	-
(7)	Allyl Chloride	1	3	2	6
(8)	Ammonia	25	18	35	27
(9)	Aniline-skin	2	10	-	-
(10)	Anisidine (o-p-isomers) - skin	0.1	0.5	-	-

- सीसा और उसके यौगिक
- विद्युत रसायन, (धात्विक सोडियम, पोटैशियम और मैग्नेशियम क्लोरेट, परक्लोरेट और परऑक्साइड)
- विद्युत तापीय उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक, कैल्शियम कार्बाइड)
- नाइट्रोजनी यौगिक (साइनाइड, साइनामाइड और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक)
- फास्फोरस और उसके यौगिक
- हैलोजन और हैलोजेनेट्रीकृत यौगिक (क्लोरीन, फ्लूरीन, ब्रोमीन और आयोडीन)
- विस्फोटक (जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विस्फोटक और विस्फोटक प्रेरक तथा फ्यूज भी है)

18. कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी और अन्य नाशक जीवमार उद्योग
19. संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक
20. मानव निर्मित फाइवर (सेलुलोसी और असेलुलोसी) उद्योग
21. विद्युत संचायकों का विनिर्माण और मरम्मत
22. कांच और मृत्तिका शिल्प
23. धातुओं का पेषण और कांचन
24. ऐस्बेस्टास और उसके उत्पादों का विनिर्माण, उनकी उठायी–धरायी और उनका प्रसंस्करण
25. वनस्पति और प्राणी स्रोत से तेल और वसा का निष्कर्षण
26. बेंजीन और बेंजीन से युक्त पदार्थो का विनिर्माण, उनकी उठायी–धरायी और उनका उपयोग
27. कार्बन डाईसल्फाइड अंतर्ग्रस्त विनिर्माण प्रक्रिया और संक्रिया
28. रंजक और रंजक द्रव्य जिनके अन्तर्गत उनके मध्यवर्ती भी हैं।
29. अति ज्वलनशील द्रव्य और गैसें ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 41च देखिये]

संकर्म पर्यायवरण में कतिपय रासायनिक पदार्थो के अनुज्ञेय स्तरमान हैं

क्रम सं0	पदार्थ	उद्भाषन की अनुज्ञेय सीमाएँ			
		समय भार औसत सांद्रण (8 घंटे)		अल्पावधि उद्भावन सीमा (15 मि0 मी0)	
		पी.पी.एम.	मि.ग्रा./मि 3**	पी.पी.एम.	मि.ग्रा./मि.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
(1)	एसीटालडीहाइड	100	180	150	270
(2)	एसीटिक अम्ल	10	25	15	37
(3)	एसीटोन	750	1780	1000	2375
(4)	एक्रोलीन	0.1	0.25	0.3	0.8
(5)	एक्रीलोनीटाइड–स्किन एस० सी०	2	4.5	-	-
(6)	ऐल्ड्रिन स्किन	-	0.25	-	-
(7)	एल्लि क्लोराइड	1	3	2	6
(8)	अमोनिया	25	18	35	27
(9)	ऐनिलीन स्किन	2	10	-	-
(10)	एनिसिडीन (ओपिसासस) स्किन	0.1	0.5	-	-

1	2	3	4	5	6
(11)	Arsenic & compounds (as As)	-	0.2	-	-
(12)	Benzene (HC)	0.5	1.5	2.5	7.5
(13)	Beryllium & compounds (as Be) (S.C.)	-	0.002	-	-
(14)	Boron trifluride-C	1	3	-	-
(15)	Bromine	0.1	0.7	0.3	2
(16)	Butane	800	1900	-	-
(17)	2 Butanon(Methyl-ethyl Ketone-MBK)	200	590	300	885
(18)	n-Butyl acetate	150	710	200	950
(19)	n-Butyl alcohol-skin-C	50	150	-	-
(20)	Sce/tert Butyl acetate	200	950	-	-
(21)	Butyl mercaptan	0.5	1.5	-	-
(22)	Cadmium-dusts and salts (as Cd)	-	0.05	-	-
(23)	Calcium oxide	-	2	-	-
(24)	Carbaryl (Sevin)	-	5	-	-
(25)	Carbofuran (Furadan)	-	0.1	-	-
(26)	Carbon disulphide-Skin	10	30	-	-
(27)	Carbon disulphide-Skin	50	55	400	440
(28)	Carbon terrachloride-Skin (S.C.)	5	30	-	-
(29)	Chlordane-Skin	-	0.5	-	2
(30)	Chlorine	1	3	3	9
(31)	Chlorobenzene (Monochlorobenene)	75	350	-	-
(32)	Chloroform (S.C.)	10	50	-	-
(33)	bis (Chloromethyl) ether (H.C.)	0.001	0.005	-	-
(34)	Chromic acid and chromates (as Cr) (Water Soluble)	-	0.05	-	-
(35)	Chromous salts (as Cr)	-	0.5	-	-
(36)	Copper fume	-	0.2	-	-
(37)	Cotton dust raw	-	0.2*	-	-
(38)	Cresol all isomers-skin	5	22	-	-
(39)	Cyanides (as CN)-skin	-	5	-	-
(40)	Cyanogen	10	20	-	-
(41)	DDT (Dichlorodiphenyl trichloroethane)	-	1	-	-
(42)	Demeron-Skin	0.01	0.1	-	-
(43)	Diazinon-Skin	-	0.1	-	-
(44)	Dibutylphthalate	-	5	-	-
(45)	Dicholorvos (DDVP)--Skin	0.1	1	-	-

1	2	3	4	5	6
(11)	आर्सेनिक और विलेय यौगिक (के रूप में)	-	0.2	-	-
(12)	बेंजीन (एस० सी०)	0.5	1.5	2.5	7.5
(13)	बेरिलियम और यौगिक (Be के रूप में)	-	0.002	-	-
(14)	बोरोन ट्राइफ्लूराइड–सी	1	3	-	-
(15)	ब्रोमीन	0.1	0.7	0.3	2
(16)	बूटेन	800	1900	-	-
(17)	2–बूटेनोन (मैथिएथिल कीटोन एम०)	200	590	300	885
(18)	एन० ब्यूटिल एसीटेट	150	710	200	950
(19)	एनब्यूयाटिलएल्कोहॉल स्किन–सी	50	150	-	-
(20)	सेक/टर्टबूटिन एसीटेट	200	950	-	-
(21)	बूटिल मर्कप्टेन	0.5	1.5	-	-
(22)	कैडिमियम–धूल और लवण (Cd के रूप में)	-	0.05	-	-
(23)	कैल्शियम ऑक्साइड	-	2	-	-
(24)	कार्बोरिल (सेविन)	-	5	-	-
(25)	कार्बोफ्यून (फुराडान)	-	0.1	-	-
(26)	कार्बन डाईसल्फाइड स्किन	10	30	-	-
(27)	कार्बन मोनोऑक्साइड	50	55	400	440
(28)	कार्बन टेट्राक्लोराइड स्किन (एस० सी०)	5	30	-	-
(29)	क्लोराइडेन– स्किन	-	0.5	-	2
(30)	क्लोरीन	1	3	3	9
(31)	क्लोरोबेंजीन (मोनोक्लोरोबेंजीन)	75	350	-	-
(32)	क्लोरोफार्म (एस० सी०)	10	50	-	-
(33)	विस (क्लोरोमैथिल ईथर) (एच० सी०)	0.001	0.005	-	-
(34)	क्रोमिक अम्ल और क्रोमेट्स (Cr के रूप में)	-	0.05	-	-
(35)	क्रोमस लवण (Cr के रूप में)	-	0.5	-	-
(36)	तांबाधूनं	-	0.2	-	-
(37)	कपास धूल, कच्चा-	0.2*	-	-	
(38)	क्रेसोस, सभी आइसोमर स्किन	5	22	-	-
(39)	साइनाइड (CN के रूप में) स्किन	-	5	-	-
(40)	साइनोजन	10	20	-	-
(41)	डी डी टी (डाईक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन)	-	1	-	-
(42)	डैमोटीन स्किन	0.01	0.1	-	-
(43)	डायजीनोन–स्किन	-	0.1	-	-
(44)	डाइबूटाइल फाइथेलेट	-	5	-	-
(45)	डाइक्लोरवोज (डीडीवीपी) स्किन	0.1	1	-	-

1	2	3	4	5	6
(46)	Dieldrin-Skin	-	0.25	-	-
(47)	Dinitrobenzene (all isomers)-Skin	0.15	1	-	-
(48)	Dinitrotoluene-Skin	-	1.5	-	-
(49)	Diphenyl (Biphenyl)	0.2	1.5	-	-
(50)	Endosulfan (Thiodan)-Skin	-	0.1	-	-
(51)	Endrin-Skin	-	0.1	-	-
(52)	Ethyl acetate	400	1400	-	-
(53)	Ethyl alcohol	1000	1900	-	-
(54)	Ethylamin	10	18	-	-
(55)	Fluorides (as F)	-	2.5	-	-
(56)	Fluorine	1	2	2	4
(57)	Formaldehyde (S.C.)	1.0	1.5	2	3
(58)	Formic acid	5	9	-	-
(59)	Gasoline	300	900	500	1500
(60)	Hydrazine-Skin (S.C.)	0.1	0.1	-	-
(61)	Hydrogen chloride-C	5	7	-	-
(62)	Hydrogen cyanide -Skin-C		10	10	–
(63)	Hydrogen fluoride (as F)-C	3	2.5	-	-
(64)	Hydrogen peroxide		1	1.5	--
(65)	Hydrogen sulphide	10	14	15	21
(66)	lodine-C	0.1	1	-	-
(67)	Iron Oxide Fume (Fe2O3) (as Fe)	-	5	-	-
(68)	Isoamyl acetate	100	525	-	-
(69)	Isoamyl alcohol	100	360	125	450
(70)	Isobutyl alcohol	50	150	-	-
(71)	Lead inorg. dusts and fames (as Pb)	-	0.15	-	-
(72)	Lindane-Skin	-	0.5	-	-
(73)	Malathion-Skin	-	10	-	-
(74)	Manganese dust and -compounds (as Mn)-C		-	5	-
(75)	Manganese fume (as Mn)	-	1	-	3
(76)	Mercury (as Hg)-Skin				
(i)	Alkyl Compounds	-	0.01	-	0.03
(ii)	All forms except -alkyl vapour		-	0.05	-
(iii)	Aru; and inorganic compounds	-	0.1	-	-
(77)	Methyl alcohol (Methanol-skin)	200	200	250	310
(78)	Methyl cellosolve	5	16	-	-

1	2	3	4	5	6
(46)	डाइएल्ड्रिन–स्किन	-	0.25	-	-
(47)	डाइनाइट्रोबैंजीन (सभी आइसोमर) स्किन	0.15	1	-	-
(48)	डाइनाइट्रोटोल्यून स्किन	-	1.5	-	-
(49)	डाइफिनाइल (वाइफिनाइल)	0.2	1.5	-	-
(50)	इंडोसल्फान (थियोडान)–स्किन	-	0.1	-	-
(51)	एरिड्रन–स्किन	-	0.1	-	-
(52)	एथिल एसीटेट	400	1400	-	-
(53)	एथिल एल्कोहल	1000	1900	-	-
(54)	एथिलएमिन	10	18	-	-
(55)	फ्लुराइड्स (F के रूप में)	-	2.5	-	-
(56)	फ्लूओरीन	1	2	2	4
(57)	फार्मोल्डिहाइड (एस० सी०)	1.0	1.5	2	3
(58)	फार्मिक अम्ल	5	9	-	-
(59)	गैसोलीन	300	900	500	1500
(60)	हाइड्रोजाइन स्किन (एस० सी०)	0.1	0.1	-	-
(61)	हाइड्रोजन क्लोराइड–सी	5	7	-	-
(62)	हाइड्रोजन साइनाइड स्किन–सी	10	10	–	
(63)	हाइड्रोजन फ्लुराइड (F के रूप में)–सी	3	2.5	-	-
(64)	हाइड्रोजन पेरॉक्साइड		1	1.5	–
(65)	हाइड्रोजन सल्फाइड	10	14	15	21
(66)	आयोडीन–सी	0.1	1	-	-
(67)	लौह आक्साइड धूम (Fe2O3) (Fe के रूप में)	-	5	-	-
(68)	आइसो एमिल एसीटेट	100	525	-	-
(69)	आइसो एमिल एल्कोहल	100	360	125	450
(70)	आइसो बूटाइल एल्कोहल	50	150	-	-
(71)	सीसा, अकार्बनिक धूल और धूम s (Pb के रूप में)	-	0.15	-	-
(72)	लिमडेन–स्किन	-	0.5	-	-
(73)	मेलाथियोन स्मिन	-	10	-	-
(74)	मैंगनीज (MN के रूप में) धूल और यौगिक सी	-	5	-	
(75)	मैंगनीज धूम (Mn के रूप में)	-	1	-	3
(76)	पारा (HG के रूप में स्किन)				
(i)	ऐटिक्न यौगिक	-	0.01	-	0.03
(ii)	ऐल्किन वाष्प के अतिरिक्त सभी रूप		-	0.05	-
(iii)	एरील और अकार्बनिक यौगिक	-	0.1	-	-
(77)	मेथिल एल्कोहल (मेथोनोल) स्किन	200	200	250	310
(78)	मैथिल सेलो सोल्ब 5	16	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	(2-Methoxyethanol)-Skin				
(79)	Methyl isobutyl Ketone	50	205	75	300
(80)	Methyl Isocyanate-Skin	0.02	0.05	-	-
(81)	Naphthalene	10	50	15	75
(82)	Nickel carbonyl (as Ni)	0.05	0.35	-	-
(83)	Nitric acid	2	5	4	10
(84)	Nitric oxide	25	30	-	-
(85)	Nitrobenzene-Skin	1	5	-	-
(86)	Nitrogen dioxide	3	6	5	10
(87)	Oil mist mineral	-	5	-	10
(88)	Ozone	0.1	0.2	0.3	0.6
(89)	Parathion-Skin	-	0.1	-	-
(90)	Phenol-Skin	5	19	-	-
(91)	Phorate (Thimet)-Skin	-	0.05	-	0.2
(92)	Phosgene (Carbonyl chloride)	0.1	0.4	-	-
(93)	Phosphine	0.3	0.4	1	1
(94)	Phosphoric acid (yellow)	-	1	-	3
(95)	Phosphorus (yellow)	-	0.1	-	-
(96)	Phosphorus pentachloride	0.1	1	-	-
(97)	Phosphorus trichloride	0.2	1.5	0.5	3
(98)	Picric acid-Skin	-	0.1	-	0.3
(99)	Pyridine	5	15	-	-
(100)	Silane (silicon tetrahydride)	5	7	-	-
(101)	Sodium hydroxide-C	-	2	-	-
(102)	Styrene, monomer (Phenylethylene)	50	215	100	425
(103)	Sulphur dioxide	2	5	5	10
(104)	Sulphur hexafluoride	1000	6000	-	-
(105)	Sulphuric acid	-	1	-	-
(106)	Tetraethyl lead (as Pb) Skin	-	0.1	-	-
(107)	Toluene (Toluol)	100	375	150	560
(108)	O-Toluidine-Skin (S.C.)	2	9	-	-
(109)	Tributyl phosphate	0.2	2.5	-	-
(110)	Trichloroethylene	50	270	200	1080
(111)	Uranium, natural (as U)	-	0.2	-	0.6
(112)	Vinyl chloride (H.C.)	5	10	-	-
(113)	Welding fumes	-	5	-	-
(114)	Xylene O-M-P (isomers)	100	435	150	655
(115)	Zinc oxide				
	(i) Fume -	-	5.0	-	10
	(ii) Dust (Total dust)	-	10.00	-	10
(116)	Zironium compounds (as Zr)	:-	5	-	10

1	2	3	4	5	6
	(2R-मेथाक्सीएथोनोल) स्किन				
(79)	मैथिल आइसोब्यूटील कीटोन	50	205	75	300
(80)	मैथिल आइसोसायनेट स्किन	0.02	0.05	-	-
(81)	नेफ्थलीन	10	50	15	75
(82)	निकल कार्बोनाइल (Ni के रूप में)	0.05	0.35	-	-
(83)	नाइट्रिक अम्ल	2	5	4	10
(84)	नाइट्रिक आक्साइड	25	30	-	-
(85)	नाइट्रोबेंजीन स्किन1	5	-	-	
(86)	नाइट्रोजन डाईऑक्साइड	3	6	5	10
(87)	तेल धूमिकर खनिज	-	5	-	10
(88)	ओजोन	0.1	0.2	0.3	0.6
(89)	पैराथियान स्किन	-	0.1	-	-
(90)	फीनोल स्किन	5	19	-	-
(91)	फोरेट (थिमेट) स्किन	-	0.05	-	0.2
(92)	फास्जीन (कार्बोनाइल क्लोराइड)	0.1	0.4	-	-
(93)	फास्फीन	0.3	0.4	1	1
(94)	फास्फेरिक अम्ल	-	1	-	3
(95)	फास्फोरस (पीला) -	0.1	-	-	
(96)	फास्फोरस पेन्टाक्लोराइड	0.1	1	-	-
(97)	फास्फोरस ड्राइक्लोराइड	0.2	1.5	0.5	3
(98)	पिक्रिक अम्ल स्किन	-	0.1	-	0.3
(99)	पाइराइडीन	5	15	-	-
(100)	सिलेन (सिलिकन टेट्राहाइड्राइड)	5	7	-	-
(101)	सोडियम हाइड्रोआक्साइड–सी	-	2	-	-
(102)	स्थइरीन, मोनोमर (फेनाइलएथिलीन)	50	215	100	425
(103)	सल्फर डाइऑक्साइड	2	5	5	10
(104)	सल्फर हेक्साफ्लोराइड	1000	6000	-	-
(105)	सल्फ्यूरिक अम्ल	-	1	-	-
(106)	टेट्राएथिल लीड (Pb के रूप में) स्किन	-	0.1	-	-
(107)	टोलीन (टुलूआल)	100	375	150	560
(108)	ओटुलुडाइन स्किन (एस० सी०)	2	9	-	-
(109)	ट्राइवुटाइल फास्फेट	0.2	2.5	-	-
(110)	ट्राइक्लोरोएथिलीन	50	270	200	1080
(111)	यूरोनियम, प्राकृतिक (U के रूप में)	-	0.2	-	0.6
(112)	विनायल क्लोराइड	5	10	-	-
(113)	वेल्डिंग धूम	-	5	-	-
(114)	जाइलीन (O-M-P) आइसोमर	100	435	150	655
(115)	जिंक ऑक्साइड				
	(i) धूम	-	5.0	-	10
	(ii) धूल (सकल धूल)	-	10.00	-	10
(116)	जरकोनियम यौगिक (Zr के रूप में)	-	5	-	10

ppm :	Parts of vapour or gas per million parts of contaminated air by volume at 125°C and 760 mm of Hg.
mg/m3 :	milligram of substance per cubic metre of air
*:	Note more than 4 times a day with at least 60 min. interval between successive exposures.
*:	$mg/m^3 \frac{\text{Molecular weight*}}{24.45} \times ppm$
G :	denotes Ceiling Limit
Skin :	denotes potential contribution to the overall exposure by the cutaneous route including mucousmembranes and eye.
S.C. :	denotes Suspected Human Carcinogen
H.C. :	denotes Confirmed Human Carcinogen.

Substance	Permissible time-weighted average concentration (TWA) (8 hours)
Silica, SiO2 (a) Crystalline (i) Quartz	(1) In terms of dust count : $\frac{10600}{\% \text{ Quartz} + 10}$ mppcm (2) In terms of total dust : $\frac{10}{\% \text{ respirable Quartz} + 2}$ mg/m3 (3) In terms of respirable dust : $\frac{30}{\% \text{ Quartz} + 3}$ mg/m3
(ii) Cristabalite :	Half the limits given against quartz
(iii) Tridymite :	Half the limits given against quartz
(iv) Silica fused :	Same limit as for quartz
(v) Tripoli :	Same limit as in formula in item (2) given against quartz
(b) Amorphous Silicates: [Asbestos (H.C) : (a) Amosite.......0.1 fibre/ce*** (b) Chrysotile.......0.1 fibre/ce*** (c) Crocidolite.......0.1 fibre/ce***]	
(c) Portland cement :	10 mg/m3, Total dust containing less than 1% quartz.
(d) Coal Dust :	2 mg/m3, respirable dust fractions containing less than 5% quartz

mppcm = Millions particles per cubic metre of air, based on impinger sample counted by light field techniques. As determined by the membrance-filter method at 400-450x magnification (4 mm objective) phase contrast illumination.

पी. पी. एम. :	25^0 और 760 पारे के मिली मीटर के वोल्यूम वाली संदूषित वायु प्रति दस लाख भाग वाष्प या गैस के अंश
मि. ग्रा./मि.^{3} :	: प्रति क्यूबिक मीटर वायु के पदार्थ का मिली ग्राम
*:	एक दिन में चार बार से अनधिक जिसमें उत्तरोउत्तर उद्‌भाषमों के बीच कम से कम 60 मिनट अन्तराल हो
*:	म. ग्रा./मि.^{3} $\dfrac{\text{मालीक्यूलर भार*}}{24.45}$ × पी. पी. एम.
सी :	अधिकतम सीमा उपदर्शित करता है।
स्किन :	त्वचीय मार्ग से सम्पूर्ण उद्‌भासन में तात्विक अभिदाय जिसमें श्लेष्मक झिल्ली और आँख सम्मिलित है, उपदर्शित करता है।
एस. सी. :	आशंकित मानव कैंसरजन उपदर्शित करता है।
एच. सी. :	पुष्ट मानव कैंसरजन उपदर्शित करता है।

पदार्थ	अनुज्ञेय समय भार औसत सान्द्रण (टी० डब्ल्यू ए) 8 (घंटे)
सलिका, $SiO2$ (क) क्रिस्टलाइन (i) क्वार्टज	(1) धूल गणना के रूप में : $\dfrac{10600}{\text{\% क्वार्टज} + 10}$ एम पी पी सी एम (2) श्वसनीय धूल के रूप में : $\dfrac{10}{\text{\% श्वसनीय क्वार्टज} + 2}$ मि. ग्रा./मि.^{3} : (3) सकल धूल के रूप में : $\dfrac{30}{\text{\% क्वार्टज} + 3}$ मि. ग्रा./मि.^{3} :
(ii) क्रिस्टावैलाइट :	क्वार्टज के सामने दी गयी सीमा का आधा
(iii) ट्राइडाइमाइट :	क्वार्टज के सामने दी गयी सीमा का आधा
(iv) सिलिका फ्यूजकृत :	वही सीमा जो क्वार्टज के लिए है।
(v) ट्रिपोली :	वही सीमा जो क्वार्टज के सामने मद (2) के सूत्र योग में है।
(ख) एमार्फस सिलिकेट्स : [एस्बेसटस (एच० सी० : (क) एमोसाइट ....0.1 फाइबर/ससी*** (ख) क्रायसोटाइल.......0.1 फाइबर/ससी*** (ग) क्रोसीडोलाइट ....0.1 फाइबर/ससी***]	
(ग) पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट :	10 मि. ग्रा./मि.^{3} कुल धूल जिसमें 1% से कम क्वार्टज हो ।
(घ) कोयला धूल :	2 मि. ग्रा./मि.^{3} श्वसनीय धूलकण जिसमें 5% से कम क्वार्टज से हो।

एमपीपीसीएम = वायु में प्रति क्यूबिक मीटर मिलियन पदार्थ, प्रकाश क्षेत्र तकनीकों द्वारा गणना किए गए इंपीन्जर प्रदिशों के आधार पर।

***(i) For fibres greater than 5 um in length and less than 5 um in breadth with length to breadth ratio equal to or greater than 3:1.

(ii) As determined by the members filter method at 400-450 x magnification (4mm objective) phase contrast illumination.

Respirable Dust:

Faction passing a size-selector with the following characteristics:

Aerodynamic Diameter (um) (Unit density sphere)	% passing selector
≤2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	0

Permissible activity concentration levels for some of the radionuclides that are commonly encountered in metal recycling industries as given below:

Radionuclide	Radionuclide concentration (Bq/g*)
Co-60	0.1
Cs-137	0.1
Am-241	0.1
Ir-192	1.0

Footnote:

1. Bq/g stands for Becquerel per gram. Becquerel means one transformation of a radionuclide per second; and is the SI unit of radioactivity.
2. Measurement shall comprise external radiation levels on the metal sc semi finished and finished products as well as the background levels place of measurement and records of the same shall be maintained. If the radiation level on the material exceeds the background radiation level 20/hr (Micro Rad per hour), the Atomic Energy Regulatory Board (AERR shall be promptly intimated.

THE THIRD SCHEDULE

[See Section 89 and 90]

List of Notifiable Diseases

(1) Lead poisoning, including poisoning by any preparation or compound of lead or their sequelae.

(2) Lead tetra-ethyl poisoning.

(3) Phosphorus poisoning or its sequelae.

(4) Mercury poisoning or its sequelae.

(5) Manganese poisoning or its sequelae.

***(i) 5 uमी. की लम्बाई से अधिक और 5 uमी. की चौड़ाई से कम के फाइबरों के लिये लम्बाई और चौड़ाई का औसत 3:1 के समान अथवा अधिक होगा।

(ii) मेम्ब्रेन फिल्टर पद्धति द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार 400-450 x आवर्धन (4 मिमी. की वस्तु) फेट कंट्रास्ट प्रदीपन ।

सनीय धूल :

साइज सेलेक्टर से गुजरते हुए कण के निम्नलिखित लक्षण होंगे :

वायुगतिक व्याम (माइक्रोन) (घनत्व आकाश एकक)	प्रतिशत पासिंग सेलेक्टर
≤ 2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	0

कुछ रेडियोन्यूक्लाइड जिनका धातु पुनःचक्रण उद्योगों में सामान्यतः सामना होता है, के सम्बन्ध में नीचे दिए गए अनुसार अनुमत्य सांद्रता सक्रियता स्तर :

रेडियोन्यूक्लाइड	रेडियोन्यूक्लाइड सांद्रता (बीक्यू/जी)
सीओ.-60	0.1
सीएस.-137	0.1
एएम.-241	0.1
आईआर.-192	1.0

पाद टिप्पण :

1. बीक्यू/जी का अभिप्राय बेक्करल प्रतिग्राम है बेक्करल का अभिप्राय रेडियोन्यूक्लाइड प्रति सेकेन्ड का एक रूपांतरण है और यह रेडियोधर्मिता की एसआई यूनियट है।
2. मापन में धातु स्क्रेप, अर्धपरिष्कृत और परिष्कृत उत्पादों पर वाह्य विकिरण स्तर और मापन के स्थान पर पृष्ठभूमि स्तर शामिल होंगे और उनका अभिलेख रखा जाएगा। यदि सामान पर विकिरण स्तर पृष्ठभूमि विकिरण स्तर से 20यू/घण्टा (माइक्रो रेड प्रतिघण्टा) से अधिक हो, तो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) को तुरंत अवगत कराया जाएगा।

तीसरी अनुसूची

[धारा 89 और 90 देखिये]

अधिसूचनीय रोगों की सूची

(1) सीसा विषाक्तता, जिसके अन्तर्गत सीसे की किसी निर्मिती या सम्मिश्रण द्वारा विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था है।

(2) सीसा टेट्रोएथिन विषाक्तता ।

(3) फास्फोरस विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

(4) पारा विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

(5) मँगनीज विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था।

(6) Arsenic poisoning or its sequelae.
(7) Poisoning by nitrous fumes.
(8) Carbon bisulphide poisoning.
(9) Benzene poisoning, including poisoning by any of its homologues, their or amido derivatives or its sequelae.
(10) Chrome ulceration or its sequelae.
(11) Anthrax.
(12) Silicosis.
(13) Poisoning by halogens or halogen derivatives of the hydrocarbons of the aliphatic series.
(14) Pathological manifestations due to-
  (a) radium or other radio-active substances.
  (b) X-rays.
(15) Primary epitheliomatous cancer of the skin.
(16) Toxic anaemia.
(17) Toxic jaundice due to poisonous substances.
(18) Oil acne or dermatitis due to mineral oils and compounds containing mineral oil base.
(19) Byssionosis.
(20) Asbestosis.
(21) Occupational or contact dermatitis caused by direct contract with chemicals and paints. These are of two types, that is, primary irritants and allergic sensitizers.
(22) Noise induced hearing loss (exposure to high noise levels).
(23) Beryllium poisoning.
(24) Carbon monoxide poisoning.
(25) Coal miners' pnoumoconiosis.
(26) Phosgene poisoning.
(27) Occupational cancer.
(28) Isocyanates poisoning.
(29) Toxic nephritis.

(6) संखिया विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था।

(7) नाइट्रस धूम विषाक्तता।

(8) कार्बन बाईसल्फाईड विषाक्तता।

(9) बैंजीन विषाक्तता, जिसके अन्तर्गत इसके किसी होमोलोग, उनके नाइट्रो या अनीडो व्युत्पत्तियों द्वारा विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था है।

(10) क्रोम अल्सीरेशन या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

(11) आंध्रक्स।

(12) सिलीकोसिस ।

(13) ऐलिफेटिक क्रम के हाइड्रोकार्बनों के हालोजोनों या हालोजनों की व्युत्पत्तियों द्वारा विषाक्तता ।

(14) विकृतिजन्य लक्षण जो निम्नलिखित से हुये हों -

(क) रेडियम या अन्य रेडियो–एक्टिव पदार्थ.

(ख) एक्स–रे ।

(15) त्वचा का प्रारम्भिक दुर्दम कैंसर ।

(16) विषैली अरक्तता ।

(17) विषाक्त पदार्थ जन्य विषैला पीलिया ।

(18) खनिज तेलों और खनिज तेलों वाले सम्मिश्रणों से होने वाला तैल पनसिका (आयल एक्नी) या त्वक्शोथ (डर्मेटाइटिस) है।

(19) फुफ्फस कार्पासता (विसिनोसिस) ।

(20) ऐस्बेस्टस रुग्णता ।

(21) रसायनों और रंगों के सीधे सम्पर्क से उपजीविकाजन्य या संस्पर्शजन्य त्वक्शोथ (डर्मेटाइटिस)। ये दो प्रकार के होते हैं अर्थात् प्रारम्भिक क्षोभक (प्राइमरी इरिटैन्टस) और ऐलर्जी सुग्राहीकर (ऐलर्जिक सेनसिटाइजर) ।

(22) कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि (उच्च कोलाहल से प्रभावित होना) ।

(23) बेरीलियम विषाक्तता ।

(24) कार्बन मोनोक्साइड विषाक्तता ।

(25) कोयला खनक न्यूमोकोनिओसिस ।

(26) फोसजीन विषाक्तता ।

(27) उपजीविकाजन्य कैंसर ।

(28) आइसोसायनेट विषाक्तता।

(29) विषैला वृक्कशोथ।

Employee's Compensation Act, 1923

No. 8 of 1923

[5 March, 1923]

(All amendments have been duly incorporated at their respective places and are not separately indicated)

An Act to provide for the payment by certain classes of employers to their workmen of compensation for injury by accident.

Whereas it is expedient to provide for the payment by certain classes of employers to their workmen of compensation for injury by accident;

It is hereby enacted as follows:—

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called The Employee's Compensation Act, 1923.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the first day of July, 1924.

2. Definitions.- (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) [* * *]

(b) "Commissioner" means a Commissioner for Employee's Compensation appointed under section 20;

(c) "compensation" means compensation as provided for by this Act;

(d) "dependant" means any of the following relatives of a deceased Employee's , namely:—

(i) a widow, a minor legitimate or adopted son, an unmarried legitimate or adopted daughter, or a widowed mother; and

(ii) if wholly dependant on the earnings of the Employee's at the time of his death, a son or a daughter who has attained the age of 18 years and who is infirm;

(iii) if wholly or in part dependant on the earnings of the Employee's at the time of his death,—

(a) a widower,

(b) a parent other than a widowed mother,

(c) a minor illegitimate son, an unmarried illegitimate daughter or a daughter legitimate or illegitimate or adopted if married and a minor or if widowed and a minor,

(d) a minor brother or an unmarried sister or a widowed sister if a minor,

(e) a widowed daughter-in-law,

(f) a minor child of a pre-deceased son,

(g) a minor child of a pre-deceased daughter where no parent of the child is alive, or

(h) a paternal grandparent if no parent of the Employee is alive.

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

(1923 का अधिनियम संख्यांक 8)

(5 मार्च, 1923)

(सभी संशोधनों को उनके संबंधित स्थानों पर विधिवत सम्मिलित किया गया है और उन्हें अलग से प्रदर्शित नहीं किया गया है।)

नियोजन के कतिपय वर्गों द्वारा अपने कर्मचारियों को दुर्घटना द्वारा हुई क्षति के निमित्त प्रतिकर का संदाय किए जाने का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

अतः यह समीचीन है कि नियोजकों के कतिपय वर्गों द्वारा अपने कर्मचारियों को दुर्घटना द्वारा हुई क्षति के निमित्त प्रतिकर का संदाय किए जाने का उपबंध किया जाए;

अतः एत्दद्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता हैः–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.–(1) यह अधिनियम कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह 1924 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं.–(1) इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, –

(क) [* * *]

(ख) "आयुक्त" से धारा 20 के अधीन नियुक्त कर्मकार प्रतिकर आयुक्त अभिप्रेत है;

(ग) "प्रतिकर" से इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित प्रतिकर अभिप्रेत है;

(घ) "आश्रित" से मृत कर्मकार के निम्नलिखित नातेदारों में से कोई अभिप्रेत है, अर्थात्:–

(i) विधवा, अप्राप्तवय धर्मज या दत्तक पुत्र, और अविवाहिता धर्मज या दत्तक पुत्री, या विधवा माता; तथा

(ii) पुत्र या पुत्री जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो शिथिलांग है, यदि वह कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित था या थी;

(iii) (क) विधुर;

(ख) माता–पिता जिसके अन्तर्गत विधवा माता नहीं आती है;

(ग) अप्राप्तवय अधर्मज पुत्र, अविवाहिता अधर्मज पुत्री, या यदि विवाहिता है और अप्राप्तवय है या यदि विधवा है और अप्राप्तवय है तो पुत्री चाहे वह धर्मज हो या अधर्मज या दत्तक;

(घ) अप्राप्तवय भाई, या अविवाहिता बहन, या विधवा बहन यदि वह अप्राप्तवय है;

(ङ) विधवा पुत्र–वधु;

(च) पूर्वमृत पुत्र की अप्राप्तवय संतान;

(छ) पूर्वमृत पुत्री की अप्राप्तवय संतान, यदि उस संतान के माता–पिता में से कोई भी जीवित नहीं है;

(ज) जहां कर्मचारी के माता–पिता में से कोई भी जीवित नहीं है वहां पितामह और पितामही;

यदि वह कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतः या भागतः आश्रित था या थी;

Explanation **.**-For the purposes of sub-clause (ii) and items (f) and (g) of sub-clause (iii), reference to a son, daughter or child include an adopted son, daughter or child respectively;

(dd) "Employee" means a person, who is-

(i) a railway servant as defined in clause (34) of section 2 of the Railway's Act, 1989 (24 of 1989), not permanently employed in any administrative district or sub-divisional office of a railway and not employed in any such capacity as is specified in schedule II; or

(ii) (a) a master, seamen or other member of the crew of a ship,

(b) a captain or other member of the crew of an aircraft,

c) a person recruited as driver, helper, mechanic, cleaner or in any other capacity in connection with a motor vehicle,

(d) a person recruited for work abroad by a company,

and who is employed outside India in any such capacity as is specified in Schedule II and ship, aircraft or motor vehicle, or company, as the case may be, is registered in India; or

(iii) employed in any such capacity as is specified in Schedule II, whether the contract of employment was made before or after the passing of this act and whether such contract is expressed or implied, oral or in writing; but does not include any person working in the capacity of a member of the Armed Forces of the Union; and any reference to any employee who has been injured shall, where the employee is dead, include a reference to his dependents or any of them;

(e) "employer" includes any body of persons whether incorporated or not and any managing agent of an employer and the legal representative of a deceased employer, and, when the services of a Employee are temporarily lent or let on hire to another person by the person with whom the Employee has entered into a contract of service or apprenticeship, means such other person while the Employee is working for him;

(f) "managing agent" means any person appointed or acting as the representative of another person for the purpose of carrying on such other person's trade or business, but does not include an individual manager subordinate to an employer;

(ff) "minor" means a person who has not attained the age of 18 years;

(g) "partial disablement" means, where the disablement is of a temporary nature, such disablement as reduces the earning capacity of a Employee in any employment in which he was engaged at the time of the accident resulting in the disablement, and, where the disablement is of a permanent nature, such disablement as reduces his earning capacity in every employment which he was capable of undertaking at that time: provided that every injury specified in Part II of Schedule I shall be deemed to result in permanent partial disablement;

स्पष्टीकरण.– उपखण्ड (ii) और (iii) की मद (च) और मद (छ) के प्रयोजनों के लिए, पुत्र, पुत्री या संतान के प्रति निर्देशों के अंतर्गत क्रमशः दत्तक पुत्र, पुत्री या संतान है;

(घघ) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो–

(i) रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (34) में यथापरिभाषित ऐसा रेल कर्मचारी है, जो किसी रेल के किसी प्रशासनिक जिला या उपखंड कार्यालय में स्थायी रूप से नियोजित नहीं है और किसी ऐसी हैसियत में नियोजित नहीं है, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है; अथवा

(ii) (क) किसी पोत का मास्टर, नाविक या कर्मीदल का अन्य सदस्य है;

(ख) किसी वायुयान का कैप्टन या कर्मीदल का अन्य सदस्य है;

(ग) किसी मोटर यान के संबंध में ड्राईवर, हेल्पर, मैकनिक, क्लीनर के रूप में या किसी अन्य हैसियत में भर्ती किया गया व्यक्ति है;

(घ) ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी कंपनी द्वारा विदेश में काम करने के लिए भर्ती किया जाता है,

और जो भारत के बाहर किसी ऐसी हैसियत में जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है नियोजित है, और, यथास्थिति, ऐसा पोत, वायुयान या मोटर यान अथवा कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है, अथवा

(iii) किसी ऐसी हैसियत में नियोजित है, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, चाहे नियोजन की संविदा इस अधिनियम के पारित किए जाने से पहले या उसके पश्चात् की गई थी और चाहे ऐसी संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित हो, मौखिक या लिखित में हो; किंतु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जो संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य की हैसियत में कार्य कर रहा है और किसी कर्मचारी के प्रति निर्देश में, जो आहत हो गया हो, जहां कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, उसके आश्रितों या उनमें से किसी के प्रति निर्देश सम्मिलित है;

(ङ) "नियोजक" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति–निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, और नियोजक का कोई प्रबंध अभिकर्ता और मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि आता है, और जब कि कर्मकाची की सेवाएं उस व्यक्ति द्वारा, जिसके साथ कर्मचारी ने सेवा या शिक्षुता की कोई संविदा की है, अन्य व्यक्ति को अस्थायी तौर पर उधार दे दी गई हैं या भाड़े पर दी गई हैं वहां "नियोजक" से जब तक वह कर्मचारी उसके लिए काम करता रहता है, वह अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "प्रबंध अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति का व्यवसाय या कारबार चलाने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त है या कार्य कर रहा है, किन्तु इसके अन्तर्गत नियोजक के अधीनस्थ व्यष्टिक प्रबंधक नहीं आता;

(चच) "अप्राप्तवय" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(छ) "आंशिक निःशक्तता" से जहां वह, निःशक्तता अस्थायी प्रकार की है वहां ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जिससे कर्मकार की उस नियोजन में उपार्जन सामर्थ्य कम हो जाती है, जिसमें वह उस दुर्घटना के समय जिसके परिणामस्वरूप निःशक्तता हुई, लगा हुआ था, और जहां कि निःशक्तता स्थायी प्रकार की है वहां ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जिससे हर ऐसे नियोजन में उसकी उपार्जन–सामर्थ्य कम हो जाती है जिसे ग्रहण करने के लिए वह उस समय समर्थ था: परन्तु अनुसूची 1 भाग 2 में विनिर्दिष्ट हर क्षति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता होती है;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(i) "qualified medical practitioner" means any person registered under any Central Act, Provincial Act or an Act of the Legislature of a State providing for the maintenance of a register of medical practitioners, or, in any area where no such lastmentioned Act is in force, any person declared by the State Government, by notification in the Official Gazette, to be a qualified medical practitioner for the purposes of this Act;

(J) [***]

(k) "seaman" means any person forming part of the crew of any ship, but does not include the master of the ship;

(l) "total disablement" means such disablement, whether of a temporary or permanent nature, as incapacitates a Employee for all work which he was capable of performing at the time of the accident resulting in such disablement:

Provided that permanent total disablement shall be deemed to result from every injury specified in Part I of Schedule I or from any combination of injuries specified in Part II thereof where the aggregate percentage of the loss of earning capacity, as specified in the said Part II against those injuries, amounts to one hundred percent. or more;

(m) "wages" includes any privilege or benefit which is capable of being estimated in money, other than a travelling allowance or the value of any travelling concession or a contribution paid by the employer of a Employee towards any pension or provident fund or a sum paid to a Employee to cover any special expenses entailed on him by the nature of his employment;

(n) "Employee" means any person who is-

(2) The exercise and performance of the powers and duties of a local authority or of any department acting on behalf of the Government shall, for the purposes of this Act, unless a contrary intention appears, be deemed to be the trade or business of such authority or department.

(3) The Central Government or the State Government, by notification in the Official Gazette, after giving not less than three months' notice of its intention so to do, may, by a like notification, add to Schedule II any class of persons employed in any occupation which it is satisfied is a hazardous occupation, and the provisions of this Act shall thereupon apply, in case of a notification by the Central Government, within the territories to which the Act extends, or, in the case of a notification by the State Government, within the State, to such classes of persons:

Provided that in making addition, the Central Government or the State Government, as the case may be, may direct that the provisions of this Act shall apply to such classes of persons in respect of specified injuries only.

CHAPTER II

Workmen's Compensation

3. Employer's liability for compensation.—(1) If personal injury is caused to a Employee by accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provisions of this Chapter:

Provided that the employer shall not be so liable-

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "अर्हित चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत है किसी ऐसे केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या किसी राज्य के विधान–मंडल के अधिनियम के अधीन, जो चिकित्सा–व्यवसायियों का रजिस्टर रखे जाने के लिए उपबंध करता है, रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, या किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां ऐसा अन्तिम वर्णित कोई भी अधिनियम प्रवृत्त नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके बारे में राज्य सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अर्हित चिकित्सा व्यवसायी है;

(ञ) [***]

(ट) "नाविक" से किसी पोत के कर्मीदल का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत पोत का मास्टर नहीं आता;

(ठ) "पूर्ण निःशक्तता" से ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, चाहे वह अस्थायी प्रकार की हो या स्थायी प्रकार की, जो किसी कर्मकार को ऐसे सब काम के लिए असमर्थ कर देती है, जिसे वह उस दुर्घटना के समय, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई थी, करने में समर्थ था:

परन्तु अनुसूची 1 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट हर क्षति के या उसके भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्षतियों के समुच्चय के बारे में वहां जहां उपार्जन–सामर्थ्य की हानि का संकलित प्रतिशत, जैसा उक्त भाग 2 में उन क्षतियों के सामने विनिर्दिष्ट है, सौ या उसके अधिक होता है, यह समझा जाएगा, कि उसके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक्तता हुई है;

(ड) "मजदूरी" के अन्तर्गत, किसी यात्रा भत्ते से या किसी यात्रा सम्बन्धी के मूल्य से, या कर्मकार के नियोजक द्वारा किसी पेंशन या भविष्य–निधि में दिए गए अभिदाय से, या कर्मकार के नियोजन की प्रकृति के कारण उस पर हुए किन्हीं विशेष व्ययों को पूरा करने के लिए उसे दी गई किसी राशि से भिन्न ऐसा विशेषाधिकार या फायदा आता है, जो धन के रूप में प्राक्कलित किया जा सकता है;

(2) किसी स्थानीय प्राधिकारी की या सरकार की ओर से कार्य करने वाले किसी विभाग की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे प्राधिकारी या विभाग का व्यवसाय या कारबार है ।

(3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात्, किसी ऐसी उपजीविका में नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग को, जिसके बारे में उसका समाधान हो गया है कि वह परिसंकटमय उपजीविका है, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 2 में जोड़ सकेगी और तदुपरि इस अधिनियम के उपबंध, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा में, उन राज्यक्षेत्रों के भीतर जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, या राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचना की दशा में, व्यक्तियों के ऐसे वर्गों को राज्य के भीतर, लागू होंगेः

परन्तु ऐसे जोड़ते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध व्यक्तियों के ऐसे वर्गों को केवल विनिर्दिष्ट क्षतियों के बारे में ही लागू होंगे ।

अध्याय 2

कर्मचारियों के लिए प्रतिकर

3. प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व.– (1) यदि कर्मचारी को अपने नियोजन से और उनके अनुक्रम में उद्‌भूत दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति कारित होती है तो उसका नियोजक इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का देनदार होगा :

परन्तु नियोजक–

(a) in respect of any injury which does not result in the total or partial disablement of the Employee for a period exceeding three days;

(b) in respect of any injury, not resulting in death or permanent total disablement, caused by an accident which is directly attributable to-

(i) the Employee having been at the time thereof under the influence of drink or drugs, or

(ii) the willful disobedience of the Employee to an order expressly given, or to a rule expressly framed, for the purpose of securing the safety of workmen, or

(iii) the willful removal or disregard by the Employee of any safety guard or other device which he knew to have been provided for the purpose of securing the safety of workmen .

(2) If a Employee employed in any employment specified in Part A of Schedule III contracts any disease specified therein as an occupational disease peculiar to that employment, or if a Employee, whilst in the service of an employer in whose service he has been employed for a continuous period of not less than six months (which period shall not include a period of service under any other employer in the same kind of employment) in any employment specified in Part B of Schedule III, contracts any disease specified therein as an occupational disease peculiar to that employment, or if a Employee whilst in the service of one or more employers in any employment specified in Part C of Schedule III for such continuous period as the Central Government may specify in respect of each such employment, contracts any disease specified therein as an occupational disease peculiar to that employment, the contracting of the disease shall be deemed to be an injury by accident within the meaning of this section and, unless the contrary is proved, the accident shall be deemed to have arisen out of, and in the course of, the employment:

Provided that if it is proved,-

(a) an Employee whilst in the service of one or more employers in any employment specified in Part C of Schedule III has contracted a disease specified therein as an occupational disease peculiar to that employment during a continuous period which is less than the period specified under this sub-section for that employment, and

(b) that the disease has arisen out of and in the course of the employment;

the contracting of such disease shall be deemed to be an injury by accident within the meaning of this section:

Provided further that if it is proved that a Employee who having served under any employer in any employment specified in Part B of Schedule III or who having served under one or more employers in any employment specified in Part C of that Schedule, for a continuous period specified under this sub-section for that employment and he has after the cessation of such service contracted any disease specified in the said Part B or the said Part C, as the case may be, as an occupational disease peculiar to the employment and that such disease arose out of the employment, the contracting of the disease shall be deemed to be an injury by accident within the meaning of this section.

(क) किसी ऐसी क्षति के बारे में जिसके परिणामस्वरूप कर्मकार को तीन दिन से अधिक की कालावधि के लिए पूर्ण या आंशिक निःशक्तता नहीं रहती;

(ख) दुर्घटना द्वारा हुई किसी क्षति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी पूर्ण निःशक्तता नहीं हुई है, और जो प्रत्यक्षतः इस कारण से हुई मानी जा सकती है कि—

(i) उसके होने के समय कर्मचारी पर मदिरा या औषधियों का असर था, अथवा

(ii) कर्मचारी का क्षेम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से दिए गए किसी आदेश या अभिव्यक्त रूप से बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा कर्मचारी द्वारा जान—बूझकर की गई थी, अथवा

(iii) कोई ऐसा रक्षोपाय या अन्य युक्ति, जिसके बारे में वह जानता था कि वह कर्मचारी का क्षेम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उपबन्धित की गई है, कर्मचारी द्वारा जानबूझकर हटाई गई थी या उसकी अवहेलना की गई थी,

इस प्रकार देनदार नहीं होगा ।

(2) यदि अनुसूची 3 के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, या जिस नियोजक की सेवा में कर्मचारी अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में छह मास से अन्यून की निरन्तर कालावधि के लिए (जिस कालावधि में किसी अन्य नियोजक के अधीन उसी ढंग के नियोजन में सेवा की कालावधि सम्मिलित नहीं होगी) नियोजित रहा है उस नियोजक की सेवा में रहने के समय यदि उसे कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, या अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में कर्मचारी को एक या अधिक नियोजनों की सेवा में ऐसी निरन्तर कालावधि के लिए जैसी ऐसे हर एक नियोजन के बारे में केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, रहने के समय यदि कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अन्दर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और ज़ब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता तब तक दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है :

परन्तु यदि यह साबित हो जाता है कि—

(क) किसी कर्मचारी को अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों की सेवा में रहने के समय कोई ऐसा रोग, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, ऐसी निरन्तर कालावधि के दौरान लग गया है जो उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि से कम है, तथा

(ख) वह रोग उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुआ है,

तो ऐसे रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अन्दर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है:

परन्तु यह भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि कोई कर्मचारी, जिसने अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में किसी नियोजक के अधीन या उस अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों के अधीन, उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट निरन्तर कालावधि के लिए सेवा की है और उसे ऐसी सेवा की समाप्ति के पश्चात् कोई ऐसा रोग लग गया है जो उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में यथास्थिति, उक्त भाग ख या उक्त भाग ग में विनिर्दिष्ट है और यह कि ऐसा रोग उस नियोजन से उद्भूत हुआ था तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अन्दर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है ।

(2-A) If a Employee employed in any employment specified in Part C of Schedule III contracts any occupational disease peculiar to that employment, the contracting whereof is deemed to be an injury by accident within the meaning of this section, and such employment was under more than one employer, all such employers shall be liable for the payment of the compensation in such proportion as the Commissioner may, in the circumstances, deem just.

(3) The Central Government or the State Government, after giving, by notification in the Official Gazette, not less than three months' notice of its intention so to do, may, by a like notification, add any description of employment to the employments specified in Schedule III, and shall specify in the case of employments so added the diseases which shall be deemed for the purposes of this section to be occupational diseases peculiar to those employments respectively, and thereupon the provisions of sub-section (2) shall apply in the case of a notification by the Central Government, within the territories to which this Act extends or, in case of a notification by the State Government, within the State as if such diseases had been declared by this Act to be occupational diseases peculiar to those employments.

(4) Save as provided by sub-sections (2), (2-A) and (3), no compensation shall be payable to a Employee in respect of any disease unless the disease is directly attributable to a specific injury by accident arising out of and in the course of his employment.

(5) Nothing herein contained shall be deemed to confer any right to compensation on a Employee in respect of any injury if he has instituted in a Civil Court a suit for damages in respect of the injury against the employer or any other person; and no suit for damages shall be maintainable by a Employee in any Court of law in respect of any injury-

(a) if he has instituted a claim to compensation in respect of the injury before a Commissioner; or

(b) if an agreement has been come to between the Employee and his employer providing for the payment of compensation in respect of the injury in accordance with the provisions of this Act.

4. Amount of compensation. - (1) Subject to the provisions of this Act, the amount of compensation shall be as follows, namely:-

(a)	Where death results from the injury	An amount equal to fifty per cent of the monthly wages of the deceased Employee multiplied by the relevant factor; or an amount of one lakh and twenty thousand rupees, whichever is more;
(b)	Where permanent total disablement results from the injury	An amount equal to sixty per cent of the monthly wages of the injured Employee multiplied by the relevant factor, or an amount of one lakh and forty thousand rupees whichever is more.

(2क) यदि अनुसूची 3 के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित किसी कर्मचारी को उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाला कोई ऐसा उपजीविकाजन्य रोग लग जाता है, जिसके लगने के बारे में यह समझा जाता है कि वह इस धारा के अर्थ के अन्दर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और ऐसा नियोजन एक से अधिक नियोजकों के अधीन था तो, ऐसे सब नियोजक प्रतिकर का ऐसे अनुपात में संदाय करने के दायी होंगे जैसा आयुक्त उन परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे ।

(3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी भी वर्णन के नियोजन को, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात् अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट नियोजनों में वैसी ही अधिसूचना द्वारा, जोड़ सकेगी और इस प्रकार जोड़े गए नियोजनों के बारे में उन रोगों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि वे क्रमशः उन नियोजनों में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग हैं और तदुपरि उपधारा (2) के उपबन्ध, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा में, उन राज्यक्षेत्रों के भीतर जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा में, राज्य के भीतर ऐसे लागू होंगे मानो इस अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया था कि वे रोग उन नियोजनों में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग हैं ।

(4) उपधाराओं (2), (2क) और (3) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय किसी रोग के लिए कोई भी प्रतिकर कर्मचारी को तब तक संदेय न होगा जब तक कि रोग उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा हुई किसी विनिर्दिष्ट क्षति के कारण से प्रत्यक्षतः हुआ नहीं माना जा सकता ।

(5) यदि कर्मचारी ने नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में किसी क्षति के लिए नुकसानी का कोई वाद संस्थित कर दिया है तो इसमें की किसी भी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह कर्मचारी को उस क्षति के लिए प्रतिकर पाने का कोई अधिकार प्रदान करती है, और किसी क्षति के लिए कर्मचारी द्वारा किसी विधि–न्यायालय में नुकसानी के लिए कोई भी वाद न चल सकेगा,

(क) यदि उसने उस क्षति के बारे में प्रतिकर का कोई दावा आयुक्त के समक्ष संस्थित कर दिया है, अथवा

(ख) यदि उस क्षति के लिए प्रतिकर के संदाय का उपबन्ध करने वाला कोई करार कर्मचारी और उसके नियोजन के बीच इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार हो चुका है ।

4. प्रतिकर की रकम.– (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि प्रतिकर की रकम निम्नलिखित होगी, अर्थात् :–

(क) जहां कि क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है	मृत कर्मचारी की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम से पचास प्रतिशत के बराबर रकम; या एक लाख बीस हजार की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो;
(ख) जहां कि क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक्तता हो जाती है	मतृ कर्मचारी की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम के साठ प्रतिशत के बराबर रकम; या एक लाख चालीस हजार रुपए की रकम, इनमें से जो भी अधिक होः

Provided that the Central Government may, by notification in the official Gazette, from time to time, enhance the amount of compensation mentioned in clauses(a) and (b).

Explanation I .-For the purposes of clause (a) and clause (b), "relevant factor", in relation to a Employee means the factor specified in the second column of Schedule IV against the entry in the first column of that Schedule specifying the number of years which are the same as the completed years of the age of the Employee on his last birthday immediately preceding the date on which the compensation fell due.

Explanation II.- [***]

(c)	Where permanent partial disablement results from the injury	(i) in the case of an injury specified in Part II of Schedule I, such percentage of the compensation which would have been payable in the case of permanent total disablement as is specified therein as being the percent age of the loss of earning capacity caused by that injury, and (ii) in the case of an injury not specified in Schedule I, such percentage of the compensation payable in the case of permanent total disablement as is proportion ate to the loss of earning capacity as assessed by the qualified medical practitioner permanently caused by the injury.

Explanation I .-Where more injuries than one are caused by the same accident, the amount of compensation payable under this head shall be aggregated but not so in any case as to exceed the amount which would have been payable if permanent total disablement had resulted from the injuries.

Explanation II .-In assessing the loss of earning capacity for the purposes of sub-clause (ii), the qualified medical practitioner shall have due regard to the percentages of loss of earning capacity in relation to different injuries specified in Schedule I;

(d)	Where temporary disablement, whether total or partial, results from the injury	a half-monthly payment of the sum equivalent to twenty-five per cent, or monthly wages of the employee, to be paid in accordance with the provisions of sub-section (2).

(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), while fixing the amount of compensation payable to a Employee in respect of an accident occurred outside India, the Commissioner shall take into account the amount of compensation, if any, awarded to such Employee in accordance with the law of the country in which the accident occurred and shall reduce the amount fixed by him by the amount of compensation awarded to the Employee in accordance with the law of that country.

(1-B) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, for the purposes of sub-section (1), such monthly Wages relation to an employee as it may consider necessary.

(2) The half-monthly payment referred to in clause (d) of sub-section (1) shall be payable on the sixteenth day-

परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित प्रतिकर की रकम में वृद्धि कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण 1.– खण्ड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी कर्मचारी के संबंध में, "सुसंगत गुणक" से अनुसूची 4 के पहले स्तंभ में की प्रविष्टि के सामने उस अनुसूची के दूसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट गुणाक अभिप्रेत है, जो वर्षों की उस संख्या को विनिर्दिष्ट करता है, जो कर्मचारी के, प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती, अंतिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्षों की संख्या के बराबर है;

स्पष्टीकरण 2.– [***]

(ग) जहां कि क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता हो जाती है	(i) ऐसी क्षति की दशा में, जो अनुसूची 1 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट है, उस प्रतिकर का, जो स्थायी पूर्ण निःशक्तता की दशा में संदेय होता, ऐसा प्रतिशत, जो उस क्षति द्वारा कारित उपार्जन–सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है, तथा (ii) ऐसी क्षति की दशा में, जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं है, उस प्रतिकर का, जो स्थायी पूर्ण निःशक्तता की दशा में संदेय होता, ऐसा प्रतिशत, जो उस क्षति द्वारा स्थायी रूप से कारित उपार्जन–सामर्थ्य की (जैसे अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निर्धारित किया जाए) हानि का आनुपातिक हो ।

स्पष्टीकरण 1.– जहा कि एक ही दुर्घटना से हक से अधिक क्षतियां होती हैं, वहां इस शीर्षक के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम संकलित कर ली जाएगी किन्तु किसी भी दशा में ऐसी नहीं होगी कि वह उस रकम से बढ़ जाए, जो उन क्षतियों के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक्तता होने की दशा में संदेय होती ।

स्पष्टीकरण 2.– उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उपार्जन–सामर्थ्य का निर्धारण करने में, अर्हित चिकित्सा व्यवसायी, अनुसूची 1 विनिर्दिष्ट विभिन्न क्षतियों के संबंध में उपार्जन–सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत का सम्यक् ध्यान रखेगा;

(घ) जहां कि क्षति के परिणामस्वरूप, चाहे पूर्ण चाहे आंशिक, अस्थायी निःशक्तता हो जाती है ।	कर्मचारी की मासिक मजदूरी के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का अर्ध – मासिक संदाय उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, भारत के बाहर हुई किसी दुर्घटना के संबंध में किसी कर्मचारी को संदेय प्रतिकर की रकम नियत करते समय उस देश की विधि के अनुसार, जिसमें दुर्घटना हुई थी, ऐसे कर्मचारी को अधिनिर्णीत की गई प्रतिकर की रकम को, यदि कोई हो, ध्यान में रखेगा और अपने द्वारा नियत की गई रकम में से उस देश की विधि के अनुसार कर्मचारी को अधिनिर्णीत की गई प्रतिकर की रकम को घटा देगा;

(1ख) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी के संबंध में ऐसी मासिक मजदूरी विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट अर्ध–मासिक संदाय, जो उस दशा में,–

(i) from the date of disablement where such disablement lasts for a period of twenty-eight days or more, or

(ii) after the expiry of a waiting period of three days from the date of disablement where such disablement lasts for a period of less than twenty-eight days; and thereafter half-monthly during the disablement or during a period of five years, whichever period is shorter:

Provided that-

(a) there shall be deducted from any lump sum or half-monthly payments to which the Employee is entitled the amount of any payment or allowance which the Employee has received from the employer by way of compensation during the period of disablement prior to the receipt of such lump sum or of the first half-monthly payment, as the case may be; and

(b) no half-monthly payment shall in any case exceed the amount, if any, by which half the amount of the monthly wages of the Employee before the accident exceeds half the amount of such wages which he is earning after the accident.

Explanation **.**—Any payment or allowance which the [Employee] has received from the employer towards his medical treatment shall not be deemed to be a payment or allowance received by him by way of compensation within the meaning of clause (a) of the proviso.

(2-A) The employee shall be reimbursed the actual medical expenditure incurred by him for treatment of injuries caused during the course of employment.

(3) On the ceasing of the disablement before the date on which any half-monthly payment falls due, there shall be payable in respect of that half-month a sum proportionate to the duration of the disablement in that half-month.

(4) If the injury of the Employee results in his death, the employer shall, in addition to the compensation under sub-section (1), deposit with the Commissioner a sum of two thousand and five hundred rupees or payment of the same to the eldest surviving dependant of the Employee towards the expenditure of the funeral of such Employee or where the Employee did not have a dependant or was not living with his dependant at the time of his death to the person who actually incurred such expenditure.

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, from time to time, enhance the amount specified in this sub-section.

4A. Compensation to be paid when due and penalty for default. - (1) Compensation under section 4 shall be paid as soon as it falls due.

(2) In cases where the employer does not accept the liability for compensation to the extent claimed, he shall be bound to make provisional payment based on the extent of liability which he accepts, and such payment shall be deposited with the Commissioner or made to the Employee, as the case may be, without prejudice to the right of the Employee to make any further claim.

(3) Where any employer is in default in paying the compensation due under this Act within one month from the date it fell due, the Commissioner shall-

(i) जिसमें कि ऐसी निःशक्तता अट्ठाईस दिन या उससे अधिक रहती है, निःशक्तता की तारीख से; अथवा

(ii) जिसमें कि ऐसी निःशक्तता अट्ठाईस दिन से कम रहती है, निःशक्तता की तारीख से तीन दिन की प्रतीक्षा कालावधि के अवसान के पश्चात् सौलहवें दिन को और तत्पश्चात् निःशक्तता के दौरान या पांच वर्ष की कालावधि के दौरान इनसे से जो भी कालावधि लघुतर हो, आधे–आधे मास पर संदेय होगा :

परन्तु

(क) किसी ऐसे एकमुश्त रकम या अर्ध–मासिक संदायों में से, जिनका कर्मचारी हकदार है, किसी संदाय या भत्ते की वह रकम काट ली जाएगी, जो कर्मचारी ने, यथास्थिति, ऐसी एकमुश्त रकम की या प्रथम अर्ध–मासिक संदाय की प्राप्ति से पूर्व, निःशक्तता की कालावधि के दौरान प्रतिकर के रूप में नियोजक से प्राप्त की है; तथा

(ख) कोई भी अर्ध–मासिक संदाय किसी भी दशा में इतनी रकम से, यदि कोई हो, अधिक नहीं होगा, जितनी से दुर्घटना के पहले कर्मचारी की मासिक मजदूरी की आधी रकम उस मजदूरी की आधी रकम से अधिक है, जिसे वह दुर्घटना के पश्चात् उपार्जित कर रहा है ।

स्पष्टीकरण.– ऐसा कोई संदाय या भत्ता, जो कर्मचारी ने चिकित्सा लेखे नियोजक से प्राप्त किया है, परन्तुक के खंड (क) के अर्थ के अन्दर प्रतिकर के रूप में उसके द्वारा प्राप्त संदाय या भत्ता नहीं समझा जाएगा ।

(2क) कर्मचारी को नियोजन के दौरान कारित क्षतियों के उपचार के लिए उसके द्वारा उपगत वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(3) उस तारीख से पहले, जिसको कोई अर्ध–मासिक संदाय शोध्य होता है, निःशक्तता के दूर हो जाने पर, उस अर्ध–मास के लिए ऐसी राशि संदेय होगी जो उस अर्ध–मास में निःशक्तता की अस्तित्वावधि की आनुपातिक हो ।

(4) यदि कर्मचारी को हुई क्षति के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नियोजक, उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त, आयुक्त के पास ऐसे कर्मचारी की अंत्येष्टि के व्यय के लिए कर्मचारी के सबसे बड़े उत्तरजीवी आश्रित को, अथवा जहां कर्मचारी का कोई आश्रित नहीं है या वह अपनी मृत्यु के समय अपने आश्रितों के साथ नहीं रह रहा था वहां उस व्यक्ति को, जिसने वास्तव में ऐसा व्यय उपगत किया है, संदाय के लिए पांच हजार रुपए से अन्यून की राशि जमा करेगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर इस उपधारा में विनिर्दिष्ट रकम में वृद्धि कर सकेगी

4क. शोध्य हो जाने पर प्रतिकर का दिया जाना और व्यतिक्रम के लिए शास्ति.–(1) धारा 4 के अधीन प्रतिकर शोध्य होते ही दे दिया जाएगा ।

(2) जिन दशाओं में नियोजक प्रतिकर के लिए दायित्व दावाकृत विस्तार तक प्रतिगृहीत नहीं करता उनमें जिस प्रकार विस्तार तक का दायित्व वह प्रतिगृहीत करता है उस पर आधृत अनन्तिम संदाय करने के लिए वह आबद्ध होगा और ऐसा संदाय, कोई अतिरिक्त दावा करने के सम्बन्ध में कर्मचारी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, आयुक्त के पास निक्षिप्त कर दिया जाएगा या कर्मचारी को दे दिया जाएगा।

(3) जहां कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन शोध्य प्रतिकर को उसके शोध्य हो जाने की तारीख से एक मास के भीतर देने में व्यतिक्रम करता है, वहां आयुक्त–

(a) direct that the employer shall, in addition to the amount of the arrears, pay simple interest thereon at the rate of twelve per cent. per annum or at such higher rate not exceeding the maximum of the lending rates of any scheduled bank as may be specified by the Central Government, by notification in the Official Gazette, on the amount due; and

(b) if, in his opinion, there is no justification for the delay, direct that the employer shall, in addition to the amount of the arrears and interest thereon, pay a further sum not exceeding fifty per cent. of such amount by way of penalty:

Provided that an order for the payment of penalty shall not be passed under clause (b) without giving a reasonable opportunity to the employer to show cause why it should not be passed.

Explanation **.-**For the purposes of this sub-section, "scheduled bank" means a bank for the time being included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(3-A) The interest and the penalty payable under sub-section (3) shall be paid to the Employee or his dependant, as the case may be.

5. Method of calculating wages.- In this Act and for the purposes thereof the expression "monthly wages" means the amount of wages deemed to be payable for a month's service whether the wages are payable by the month or by whatever other period or at piece rates and calculated as follows, namely:-

(a) where the Employee has, during a continuous period of not less than twelve months immediately preceding the accident, been in the service of the employer who is liable to pay compensation, the monthly wages of the Employee shall be one-twelfth of the total wages which have fallen due for payment to him by the employer in the last twelve months of that period;

(b) where the whole of the continuous period of service immediately preceding the accident during which the Employee was in the service of the employer who is liable to pay the compensation was less than one month, the monthly wages of the Employee shall be the average monthly amount which, during the twelve months immediately preceding the accident, was being earned by a Employee employed on the same work by the same employer, or, if there was no Employee so employed, by a Employee employed on similar work in the same locality;

(c) in other cases including cases in which it is not possible for want of necessary information to calculate the monthly wages under clause (b), the monthly wages shall be thirty times the total wages earned in respect of the last continuous period of service immediately preceding the accident from the employer who is liable to pay compensation, divided by the number of days comprising such period.

Explanation **.-**A period of service shall, for the purposes of this section , be deemed to be continuous which has not been interrupted by a period of absence from work exceeding fourteen days.

6. Review.- (1) Any half-monthly payment payable under this Act, either under an agreement between the parties or under the order of a Commissioner, may be reviewed by the Commissioner, on the application either of the employer or of the Employee accompanied by the certificate of a qualified medical practitioner that there has been a change in the condition of the

(क) यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम के अतिरिक्त, उस पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या किसी अनुसूचित बैंक की उधार देने की अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी उच्चतर दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शोध्य रकम पर विनिर्दिष्ट की जाए, साधारण ब्याज का संदाय करेगा;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि विलम्ब के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है तो, यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम और उस पर ब्याज के अतिरिक्त ऐसी रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा:

परन्तु शास्ति के संदाय के लिए कोई आदेश, खंड (ख) के अधीन नियोजक को यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा कि उसे क्यों न पारित किया जाए ।

स्पष्टीकरण .– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हैं ।

(3क) उपधारा (3) के अधीन संदेय ब्याज और शास्ति, यथास्थिति, कर्मचारी या उसके आश्रित को संदत्त की जाएगी।

5. मजदूरी का हिसाब करने की पद्धति.–"मासिक मजदूरी" पद से इस अधिनियम में और इसके प्रयोजनों के लिए एक मास की सेवा के लिए संदेय समझी जाने वाली मजदूरी की रकम (चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी भी अन्य कालावधि के हिसाब से या मात्रानुपाती दरों से संदेय हो) अभिप्रेत है, और जिसका हिसाब निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, अर्थात्–

(क) जहां कि कर्मचारी उस नियोजक की, जो प्रतिकर का देनदार है, सेवा में दुर्घटना से ठीक पहले के बाहर मास से अन्यून की निरन्तर कालावधि के दौरान रहा है, वहां कर्मचारी की मासिक मजदूरी उस कुल मजदूरी का बारहवां भाग होगी, जो उस कालावधि के अन्तिम बारह मासों में नियोजक द्वारा उसे संदाय के लिए शोध्य हो गई है;

(ख) जहां कि दुर्घटना से ठीक पहले की उस सेवा की सम्पूर्ण निरन्तर कालावधि, जिसके दौरान कर्मचारी उस नियोजक की सेवा में था, जो प्रतिकर का देनदार है, एक मास से कम थी वहां, कर्मचारी की मासिक मजदूरी वह औसत मासिक रकम होगी जिसे उसी नियोजक द्वारा उसी काम में नियोजित कोई कर्मचारी, या यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार नियोजित नहीं था, तो उसी परिक्षेत्र में किसी वैसे ही काम में नियोजित कोई कर्मचारी दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास के दौरान उपार्जित कर रहा था;

(ग) अन्य दशाओं में जिनके अन्तर्गत वे दशाएं आती हैं, जिनमें कि आवश्यक जानकारी के अभाव में खण्ड (ख) के अधीन मासिक मजदूरी का हिसाब करना सम्भव नहीं है) मासिक मजदूरी उस नियोजक से, जो प्रतिकर का देनदार है, दुर्घटना से ठीक पहले की सेवा की अन्तिम निरन्तर कालावधि के लिए उपार्जित कुल मजदूरी को ऐसी कालावधि में समाविष्ट दिनों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भजनफल की तीस गुनी होगी ।

स्पष्टीकरण.– सेवा की ऐसी कालावधि, जिसमें काम पर से चौदह दिन से अधिक की अनुपस्थिति–कालावधि के लिए विच्छेद नहीं हुआ है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निरन्तर कालावधि समझी जाएगी ।

6. पुनर्विलोकन.– (1) पक्षकारों की बीच हुए किसी करार के अधीन के या आयुक्त के आदेश के अधीन के ऐसे अर्धमासिक संदाय का पुनर्विलोकन, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय है, आयुक्त द्वारा, या तो नियोजक के या कर्मचारी के आवेदन पर, जिसके साथ अर्हित चिकित्सा–व्यवसायी का यह प्रमाणपत्र होगा कि कर्मचारी की दशा में तब्दीली हो गई है, या इस अधिनियम के अधीन बनाए

Employee or, subject to rules made under this Act, on application made without such certificate.

(2) Any half-monthly payment may, on review under this section, subject to the provisions of this Act, be continued, increased, decreased or ended, or, if the accident is found to have resulted in permanent disablement, be converted to the lump sum to which the Employee is entitled less any amount which he has already received by way of half-monthly payments.

7. Commutation of half-monthly payments.- Any right to receive half-monthly payments may, by agreement between the parties or, if the parties cannot agree and the payments have been continued for not less than six months, on the application of either party to the Commissioner, be redeemed by the payment of a lump sum of such amount as may be agreed to by the parties or determined by the Commissioner, as the case may be.

8. Distribution of compensation.- (1) No payment of compensation in respect of a Employee whose injury has resulted in death, and no payment of a lump sum as compensation to a woman or a person under a legal disability, shall be made otherwise than by deposit with the Commissioner, and no such payment made directly by an employer shall be deemed to be a payment of compensation:

Provided that, in the case of a deceased Employee, an employer may make to any dependant advances on account of compensation of an amount equal to three months' wages of such Employee and so much of such amount as does not exceed the compensation payable to that dependant shall be deducted by the Commissioner from such compensation and repaid to the employer.

(2) Any other sum amounting to not less than ten rupees which is payable as compensation may be deposited with the Commissioner on behalf of the person entitled thereto.

(3) The receipt of the Commissioner shall be a sufficient discharge in respect of any compensation deposited with him.

(4) On the deposit of any money under sub-section (1), as compensation in respect of a deceased Employee the Commissioner shall, if he thinks necessary, cause notice to be published or to be served on each dependant in such manner as he thinks fit, calling upon the dependants to appear before him on such date as he may fix for determining the distribution of the compensation. If the Commissioner is satisfied after any inquiry which he may deem necessary, that no dependant exists, he shall repay the balance of the money to the employer by whom it was paid. The Commissioner shall, on application by the employer, furnish a statement showing in detail all disbursements made.

(5) Compensation deposited in respect of a deceased Employee shall, subject to any deduction made under sub-section (4), be apportioned among the dependants of the deceased Employee or any of them in such proportion as the Commissioner thinks fit, or may, in the discretion of the Commissioner, be allotted to any one dependant.

(6) Where any compensation deposited with the Commissioner is payable to any person, the Commissioner shall, if the person to whom the compensation is payable is not a woman or a person under a legal disability, and may, in other cases, pay the money to the person entitled thereto.

(7) Where any lump sum deposited with the Commissioner is payable to a woman or a

गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे प्रमाणपत्र के बिना किए गए आवेदन पर किया जा सकेगा ।

(2) कोई भी अर्धमासिक संदाय इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, चालू रखा जा सकेगा, बढ़ाया जा सकेगा, घटाया जा सकेगा या समाप्त किया जा सकेगा, या यदि यह पाया जाए कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी निःशक्तता हो गई है तो, उसे ऐसी एकमुश्त राशि में संपरिवर्तित किया जा सकेगा जिसका कर्मचारी हकदार है, किन्तु उस राशि में से ऐसी रकम कम कर दी जाएगी जो उसे अर्धमासिक संदायों के रूप में पहले ही प्राप्त हो चुकी है ।

7. अर्धमासिक संदायों का संराशीकरण.—अर्धमासिक संदाय प्राप्त करने के किसी अधिकार का मोचन, पक्षकारों के बीच के करार द्वारा, या यदि पक्षकारों में करार नहीं हो पाता और संदाय कम से कम छह मास तक किए जाते रहे हैं तो दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा आयुक्त को किए गए आवेदन पर, ऐसी एकमुश्त रकम के संदाय द्वारा किया जा सकेगा, जो, यथास्थिति, पक्षकारों द्वारा करार पाई जाए या आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए ।

8. प्रतिकर का वितरण.—(1) किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, प्रतिकर का कोई भी संदाय और किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि का कोई भी संदाय आयुक्त के पास निक्षेप करने से अन्यथा नहीं किया जाएगा, और सीधे नियोजक द्वारा कर दिए गए किसी ऐसे संदाय के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह प्रतिकर का संदाय है:

परन्तु मृत कर्मचारी की दशा में नियोजक किसी भी आश्रित को ऐसे कर्मचारी की तीन मास की मजदूरी के बराबर रकम का अभिदाय प्रतिकर मद्धे कर सकेगा और उतनी रकम, जितनी उस आश्रित को संदेय प्रतिकर से अधिक न हो, ऐसे प्रतिकर में से आयुक्त द्वारा काट ली जाएगी और नियोजक को प्रतिसंदत्त कर दी जाएगी;

(2) दस रुपए से अन्यून कोई अन्य ऐसी राशि, जो प्रतिकर के रूप में संदेय है, उस व्यक्ति के निमित्त, जो उसका हकदार है, आयुक्त के पास निक्षिप्त की जा सकेगी ।

(3) आयुक्त के पास निक्षिप्त किसी प्रतिकर के सम्बन्ध में आयुक्त की रसीद पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

(4) आयुक्त किसी मृत कर्मचारी के बारे में प्रतिकर के रूप में उपधारा (1) के अधीन किसी धन के निक्षेप पर, यदि वह आवश्यक समझे तो आश्रितों को ऐसी तारीख को, जिसे वह प्रतिकर का वितरण अवधारित करने के लिए नियत करे, अपने समक्ष उपसंजात होने के लिए अपेक्षित करने वाली सूचना का प्रकाशन या हर एक आश्रित पर उसकी तामील ऐसी रीति से कराएगा जैसी वह उचित समझे । यदि आयुक्त का समाधान किसी ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे हो जाता है कि कोई भी आश्रित विद्यमान नहीं है तो वह उस धन का अतिशेष उस नियोजक को, जिसके द्वारा वह संदत्त किया गया था, प्रतिसंदत्त कर देगा। आयुक्त किए गए सभी संवितरणों को विस्तारपूर्वक दर्शित करते हुए एक विवरण नियोजक के आवेदन पर देगा ।

(5) किसी मृत कर्मचारी के बारे में निक्षिप्त प्रतिकर, उपधारा (4) के अधीन की गई किसी कटौती के अध्यधीन रहते हुए, मृत कर्मचारी के आश्रितों में या उनमें से किन्हीं में ऐसे अनुपात में, जिसे आयुक्त ठीक समझे, प्रभाजित कर दिया जाएगा या आयुक्त के स्वविवेकानुसार किसी एक आश्रित को आबंटित किया जा सकेगा ।

(6) जहां कि आयुक्त के पास निक्षिप्त किया गया कोई प्रतिकर किसी व्यक्ति संदेय है वहां आयुक्त वह धन उसके हकदार व्यक्ति को उस दशा में जिसमें वह व्यक्ति जिससे प्रतिकर संदेय है स्त्री या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति नहीं है, देगा और अन्य दशाओं में दे सकेगा ।

(7) जहां कि आयुक्त के पास निक्षिप्त कोई एकमुश्त राशि किसी स्त्री या विधिक निर्योग्यता के अधीन

person under a legal disability, such sum may be invested, applied or otherwise dealt with for the benefit of the woman, or of such person during his disability, in such manner as the Commissioner may direct; and where a half-monthly payment is payable to any person under a legal disability, the Commissioner may, of his own motion or on an application made to him in this behalf, order that the payment be made during the disability to any dependant of the Employee or to any other person, whom the Commissioner thinks best fitted to provide for the welfare of the Employee.

(8) Where, on application made to him in this behalf or otherwise, the Commissioner is satisfied that, on account of neglect of children on the part of a parent or on account of the variation of the circumstances of any dependant or for any other sufficient cause, an order of the Commissioner as to the distribution of any sum paid as compensation or as to the manner in which any sum payable to any such dependant is to be invested, applied or otherwise dealt with, ought to be varied, the Commissioner may make such orders for the variation of the former order as he thinks just in the circumstances of the case:

Provided that no such order prejudicial to any person shall be made unless such person has been given an opportunity of showing cause why the order should not be made, or shall be made in any case in which it would involve the repayment by a dependant of any sum already paid to him.

(9) Where the Commissioner varies any order under sub-section (8) by reason of the fact that payment of compensation to any person has been obtained by fraud, impersonation or other improper means, any amount so paid to or on behalf of such person may be recovered in the manner hereinafter provided in section 31.

9. Compensation not to be assigned, attached or charged.- Save as provided by this Act, no lump sum or half-monthly payment payable under this Act shall in any way be capable of being assigned or charged or be liable to attachment or pass to any person other than the Employee by operation of law, nor shall any claim be set off against the same.

10. Notice and claim.- (1) [No claim for compensation shall be entertained by a Commissioner unless notice of the accident has been given in the manner hereinafter provided as soon as practicable after the happening thereof and unless the claim is preferred before him within two years of the occurrence of the accident or, in case of death, within two years from the date of death:

Provided that, where the accident is the contracting of a disease in respect of which the provisions of sub-section (2) of section 3 are applicable, the accident shall be deemed to have occurred on the first of the days during which the Employee was continuously absent from work in consequence of the disablement caused by the disease:

Provided further that in case of partial disablement due to the contracting of any such disease and which does not force the Employee to absent himself from work, the period of two years shall be counted from the day the Employee gives notice of the disablement to his employer:

Provided further that if a Employee who, having been employed in an employment for a continuous period, specified under sub-section (2) of section 3 in respect of that employment, ceases to be so employed and develops symptoms of an occupational disease pecu-

व्यक्ति को संदेय है वहां, ऐसी राशि उस स्त्री के या ऐसे व्यक्ति की निर्योग्यता के दौरान उस व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसी रीति से, जैसी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट की जाए, विनिहित की जा सकेगी, उपयोजित की जा सकेगी या अन्यथा बरती जा सकेगी, और जहां कि विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को कोई अर्धमासिक संदाय संदेय है वहां, आयुक्त स्वप्रेरणा से या इस निमित्त अपने को किए गए किसी आवेदन पर, यह आदेश दे सकेगा कि संदाय उस निर्योग्यता के दौरान कर्मचारी के किसी आश्रित को या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे आयुक्त कर्मचारी के कल्याणार्थ उपबन्ध करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझे, किया जाए;

(8) जहां कि इस निमित्त अपने को किए गए किसी आवेदन पर या अन्यथा आयुक्त का समाधान हो जाता है कि प्रतिकर के रूप में दी गई किसी राशि के वितरण के सम्बन्ध में, या उस रीति के सम्बन्ध में, जिसमें ऐसे किसी आश्रित को संदेय कोई राशि विनिहित की जानी, उपयोजित की जानी या अन्यथा बरती जानी है, आयुक्त के आदेश में फेरफार, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो माता या पिता है संतान की उपेक्षा के कारण, या किसी आश्रित की परिस्थितियों में फेरफार के कारण, या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से किया जाना चाहिए वहां, आयुक्त पूर्ववर्ती आदेश में फेरफार के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा, जैसे वह मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे :

परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी आदेश तब तक न किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, और न वह किसी ऐसी दशा में किया जाएगा, जिसमें कि उस आदेश में आश्रित द्वारा किसी ऐसी राशि का प्रतिसंदाय अन्तर्वलित होता हो जो उस आश्रित को पहले ही संदत्त की जा चुकी हैं ।

(9) जहां कि आयुक्त किसी आदेश में उपधारा (8) के अधीन इस तथ्य के कारण फेरफार करता है कि व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय कपट, प्रतिरूपण या अन्य अनुचित साधनों द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति को या उसके निमित्त इस प्रकार दी गई कोई रकम आगे धारा 31 में उपबन्धित रीति से वसूल की जा सकेगी।

9. प्रतिकर का समनुदिष्ट, कुर्क या भारित न किया जाना.– इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई भी एकमुश्त राशि या अर्धमासिक संदाय, इस अधिनियम द्वारा तथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी प्रकार समनुदिष्ट या भारित किए जाने के योग्य या कुर्की के दायित्व के अधीन नहीं होगा, और न कर्मचारी से भिन्न किसी व्यक्ति को विधि की क्रिया द्वारा संक्रान्त होगा और न कोई दावा उसके विरुद्ध मुजरा किया जाएगा ।

10. सूचना और दावा.– (1) प्रतिकर के लिए कोई भी दावा तब तक आयुक्त द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि दुर्घटना की सूचना उसके घटित होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र उस रीति से, जो इसमें पश्चात् उपबन्धित की गई है, न दे दी गई हो और जब तक कि दावा दुर्घटना होने के दो वर्ष के भीतर, या मृत्यु हो जाने की दशा में, मृत्यु की तारीख से दो वर्ष के भीतर, उसके समक्ष कर न दिया गया होः

परन्तु जहां कि दुर्घटना ऐसे रोग का लगना है, जिसके सम्बन्ध में धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होते हैं वहां, दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उन दिनों में से पहले दिन को हुई थी, जिनके दौरान कर्मचारी उस रोग द्वारा कारित निःशक्तता के परिणामस्वरूप काम पर से निरन्तर अनुपस्थित रहा थाः

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई रोग लगने के कारण हुई ऐसी आंशिक निःशक्तता की दशा में, जो कर्मचारी को काम से अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर नहीं करती, दो वर्ष की कालावधि की गणना उस दिन से की जाएगी जिसको कर्मचारी निःशक्तता की सूचना अपने नियोजक को देता हैः

परन्तु यह भी कि यदि कोई कर्मचारी, जो किसी नियोजन में, धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस नियोजन के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट निरन्तर कालावधि के लिए नियोजित किए जा चुकने पर, इस प्रकार नियोजित नहीं रह जाता और उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले किसी उपजीविकाजन्य रोग

liar to that employment within two years of the cessation of employment, the accident shall be deemed to have occurred on the day on which the symptoms were first detected:

Provided further that the want of or any defect or irregularity in a notice shall not be a bar to the entertainment of a claim-

(a) if the claim is preferred in respect of the death of a Employee resulting from an accident which occurred on the premises of the employer, or at any place where the Employee at the time of the accident was working under the control of the employer or of any person employed by him, and the Employee died on such premises or at such place, or on any premises belonging to the employer, or died without having left the vicinity of the premises or place where the accident occurred, or

(b) if the employer or any one of several employers or any person responsible to the employer for the management of any branch of the trade or business in which the injured Employee was employed had knowledge of the accident from any other source at or about the time when it occurred:

Provided further that the Commissioner may entertain and decide any claim to compensation in any case notwithstanding that the notice has not been given, or the claim has not been preferred, in due time as provided in this sub-section, if he is satisfied that the failure so to give the notice or prefer the claim, as the case may be, was due to sufficient cause.

(2) Every such notice shall give the name and address of the person injured and shall state in ordinary language the cause of the injury and the date on which the accident happened, and shall be served on the employer or upon any one of several employers, or upon any person responsible to the employer for the management of any branch of the trade or business in which the injured Employee was employed.

(3) The State Government may require that any prescribed class of employers shall maintain at their premises at which workmen are employed a notice book, in the prescribed form, which shall be readily accessible at all reasonable times to any injured Employee employed on the premises and to any person acting bona fide on his behalf.

(4) A notice under this section may be served by delivering it at, or sending it by registered post addressed to, the residence or any office or place of business of the person on whom it is to be served, or, where a notice book is maintained, by entry in the notice book.

10A. Power to require from employers statements regarding fatal accidents. - (1) Where a Commissioner receives information from any source that a Employee has died as a result of an accident arising out of and in the course of his employment, he may send by registered post a notice to the Employee employer requiring him to submit, within thirty days of the service of the notice, a statement, in the prescribed form, giving the circumstances attending the death of the Employee, and indicating whether, in the opinion of the employer, he is or is not liable to deposit compensation on account of the death.

(2) If the employer is of opinion that he is liable to deposit compensation, he shall make the deposit within thirty days of the service of the notice.

(3) If the employer is of opinion that he is not liable to deposit compensation, he shall in his statement indicate the grounds on which he disclaims liability.

के लक्षण नियोजन की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर उसमें विकसित हो जाते हैं, दुर्घटना उस दिन हुई समझी जाएगी जिस दिन उन लक्षणों का पता पहले पहल चला था:

परन्तु यह भी कि—

(क) यदि दावा कर्मचारी की ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के बारे में किया गया है जो नियोजन के परिसर में या किसी ऐसे स्थान में हुई थी, जहां कर्मचारी दुर्घटना के समय नियोजक या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन काम कर रहा था और कर्मचारी ऐसे परिसर में, या ऐसे स्थान में, या नियोजक के किसी परिसर में मरा था, या उस परिसर या स्थान का, जहां दुर्घटना हुई थी, सामीप्य छोड़े बिना मरा था, अथवा

(ख) यदि नियोजक को या कई नियोजकों में से किसी एक को, व्यवसाय या कारबार की किसी ऐसी शाखा के प्रबन्ध के लिए जिसमें क्षत कर्मचारी नियोजित था, नियोजक के प्रति उत्तरदायी किसी व्यक्ति को दुर्घटना का ज्ञान किसी अन्य स्त्रोत से, उस समय या उस समय के आसपास हो गया था, जब वह दुर्घटना हुई थी,

तो सूचना का अभाव या उसमें कोई त्रुटि या अनियमितता दावे के ग्रहण किए जाने के लिए वर्जन न होगी:

परन्तु यह भी कि इस बात के होते हुए भी कि इस उपधारा में यथा उपबन्धित सम्यक् समय के भीतर सूचना नहीं दी गई है या दावा नहीं किया गया है, आयुक्त किसी भी मामले में प्रतिकर के किसी भी दावे को उस दशा में ग्रहण और विनिश्चित कर सकेगा, जिसमें उसका समाधान हो जाए कि, यथास्थिति, वैसे सूचना देने या दावा करने में असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी ।

(2) ऐसी हर सूचना में क्षत व्यक्ति का नाम और पता दिया होगा और सरल भाषा में क्षति का कारण और वह तारीख जिसको दुर्घटना हुई, कथित होगी और उसकी तामील नियोजक पर या कई नियोजकों में से किसी एक पर, या व्यवसाय या कारबार की किसी ऐसी शाखा के, जिसमें क्षत कर्मचारी नियोजित था, प्रबन्ध के लिए नियोजक के प्रति उत्तरदायी किसी व्यक्ति पर की जाएगी ।

(3) राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि विहित वर्ग के नियोजक अपने परिसर में, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, विहित प्ररूप में एक सूचना—पुस्तक रखेंगे जिस तक परिसर में नियोजित किसी भी क्षत कर्मचारी की या सद्भावपूर्वक उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की सभी युक्तियुक्त समयों पर आसानी से पहुंच हो सकेगी ।

(4) इस धारा के अधीन सूचना की तामील, उस व्यक्ति के, जिस पर उसकी तामील की जानी है, निवास—स्थान या किसी कार्यालय या कारबार के स्थान में परिदत्त करके या उस पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजकर, या जहां कि सूचना—पुस्तक रखी जाती है वहां सूचना—पुस्तक में प्रविष्टि करके, की जा सकेगी।

10क. प्राणान्तक दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में विवरणों की नियोजकों से अपेक्षा करने की शक्ति.— (1) जहां कि आयुक्त को किसी स्त्रोत से यह इत्तिला प्राप्त होती है कि कोई कर्मचारी अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के परिणामस्वरूप मर गया है वहां वह उस कर्मचारी के नियोजक को उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज सकेगा कि वह विहित प्ररूप में ऐसा विवरण, जिसमें वे परिस्थितियां जिनमें कर्मचारी की मृत्यु हुई बताई गई हो और यह उपदर्शित किया गया हो कि नियोजक की राय में वह उस मृत्यु के कारण प्रतिकर निक्षिप्त करने का दायी है या नहीं, उस सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर निवेदित करे ।

(2) यदि नियोजक की राय हो कि वह प्रतिकर निक्षिप्त करने का दायी है तो वह सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर ऐसा निक्षेप करेगा ।

(3) यदि नियोजक की राय हो कि वह प्रतिकर निक्षिप्त करने का दायी नहीं है, तो वह अपने विवरण में उन आधारों को उपदर्शित करेगा जिन पर वह दायित्व से इन्कार करता है ।

(4) Where the employer has so disclaimed liability, the Commissioner, after such inquiry as he may think fit, may inform any of the dependants of the deceased Employee that it is open to the dependants to prefer a claim for compensation, and may give them such other further information as he may think fit.

10B. Reports of fatal accidents and serious bodily injuries. - (1) Where, by any law for the time being in force, notice is required to be given to any authority, by or on behalf of an employer, of any accident occurring on his premises which results in death or serious bodily injury, the person required to give the notice shall, within seven days of the death or serious bodily injury, send a report to the Commissioner giving the circumstances attending the death or serious bodily injury:

Provided that where the State Government has so prescribed the person required to give the notice may instead of sending such report to the Commissioner send it to the authority to whom he is required to give the notice.

Explanation **.-**"Serious bodily injury" means an injury which involves, or in all probability will involve, the permanent loss of the use of, or permanent injury to, any limb, or the permanent loss of or injury to the sight or hearing, or the fracture of any limb, or the enforced absence of the injured person from work for a period exceeding twenty days.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, extend the provisions of sub-section (1) to any class of premises other than those coming within the scope of that sub-section, and may, by such notification, specify the persons who shall send the report to the Commissioner.

(3) Nothing in this section shall apply to factories to which the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), applies.

11. Medical examination.- (1) Where a Employee has given notice of an accident, he shall, if the employer, before the expiry of three days from the time at which service of the notice has been effected, offers to have him examined free of charge by a qualified medical practitioner, submit himself for such examination, and any Employee who is in receipt of a half-monthly payment under this Act shall, if so required, submit himself for such examination from time to time:

Provided that a Employee shall not be required to submit himself for examination by a medical practitioner otherwise than in accordance with rules made under this Act, or at more frequent intervals than may be prescribed.

(2) If a Employee, on being required to do so by the employer under sub-section (1) or by the Commissioner at any time, refuses to submit himself for examination by a qualified medical practitioner or in any way obstructs the same, his right to compensation shall be suspended during the continuance of such refusal or obstruction unless, in the case of refusal, he was prevented by any sufficient cause from so submitting himself.

(3) If a Employee, before the expiry of the period within which he is liable under sub-section (1) to be required to submit himself for medical examination, voluntarily leaves without having been so examined the vicinity of the place in which he was employed, his right to compensation shall be suspended until he returns and offers himself for such examination.

(4) जहां कि नियोजक ने दायित्व से इस प्रकार इन्कार किया है, वहां आयुक्त ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे मृत कर्मचारी के आश्रितों में से किसी को भी, इत्तिला दे सकेगा कि आश्रित प्रतिकर का दावा करने के लिए स्वतंत्र है और उन्हें ऐसी अन्य अतिरिक्त इत्तिला, जैसी वह ठीक समझे, दे सकेगा ।

10ख. प्राणान्तक दुर्घटनाओं और गम्भीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्टें.–(1) जहां कि किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि नियोजक के परिसर में घटित किसी ऐसी दुर्घटना की, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति हो गई हो, सूचना किसी प्राधिकारी को नियोजक द्वारा या उसकी ओर से दी जाए, वहां, वह व्यक्ति, जो सूचना देने के लिए अपेक्षित है, मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति के सात दिन के भीतर आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें वे परिस्थितियां बताई जाएंगी जिनमें मृत्यु या गम्भीर शारीरिक क्षति हुई है :

परन्तु जहां कि राज्य सरकार ने ऐसा विहित किया हो वहां सूचना देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ऐसी रिपोर्ट आयुक्त को भेजने के बजाय उस प्राधिकारी को भेज सकेगा जिसे सूचना देने के लिए वह व्यक्ति अपेक्षित है ।

स्पष्टीकरण.– "गंभीर शारीरिक क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है जिसमें किसी अंग के उपयोग की स्थायी हानि या किसी अंग की स्थायी क्षति अथवा दृष्टि या श्रवण शक्ति की स्थायी हानि या उसे स्थायी क्षति अथवा किसी अंग में अस्थिभंग अथवा क्षत व्यक्ति की अपने काम से बीस दिन से अधिक की कालावधि के लिए मजबूरी के कारण अनुपस्थिति अन्तर्वलित है या अन्तर्वलित होना पूर्णतः अधिसंभाव्य है।

(2) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के उपबन्धों का विस्तार, उस उपधारा की परिधि में आने वाले परिसरों के किसी वर्ग पर कर सकेगी, और ऐसी अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो आयुक्त को रिपोर्ट भेजेंगे ।

(3) इस धारा में की कोई भी बात उन कारखानों को लागू न होगी जिनको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) लागू होता है।

11. चिकित्सीय परीक्षा.– (1) जहां कि कर्मचारी ने दुर्घटना की सूचना दी है वहां, यदि नियोजक उस समय से, जब सूचना की तामील हुई थी, तीन दिन का अवसान होने के पहले उससे यह प्रस्थापना करता है कि किसी अर्हित चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा उसकी परीक्षा मुफ्त कराई जाएगी, तो, वह अपने को ऐसी परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा और कोई भी कर्मचारी, जो इस अधिनियम के अधीन अर्धमासिक संदाय पाता है, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए, तो समय–समय पर अपने को ऐसी परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगाः

परन्तु कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार से अन्यथा, या उन अन्तरालों से, जो विहित किए जाएं, लघुतर अन्तरालों पर चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा परीक्षा कराने के लिए अपने को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि कर्मचारी नियोजक द्वारा उपधारा (1) के अधीन या आयुक्त द्वारा किसी भी समय ऐसा करने के लिए अपेक्षित किए जाने पर, अर्हित चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा अपनी परीक्षा कराने के लिए अपने को प्रस्तुत करने से इन्कार करता है या उसमें किसी प्रकार से बाधा डालता है तो ऐसे इन्कार या ऐसी बाधा के बने रहने के दौरान उसका प्रतिकर का अधिकार उस दशा के सिवाय निलम्बित रहेगा जिसमें इन्कार की दशा में वह इस प्रकार अपने को प्रस्तुत करने से किसी पर्याप्त कारण द्वारा निवारित हुआ था ।

(3) यदि कर्मचारी उस कालावधि के अवसान से पूर्व, जिसके भीतर वह चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किए जाने के लिए उपधारा (1) के अधीन दायित्वाधीन है, इस प्रकार परीक्षित हुए बिना उस स्थान के, जिसमें वह नियोजित था, सामीप्य से स्वेच्छापूर्वक चला जाता है तो उसका प्रतिकर का अधिकार तब तक के लिए निलम्बित रहेगा जब तक वह लौट नहीं आता और ऐसी परीक्षा कराने के लिए अपने को पेश नहीं कर देता ।

(4) Where a Employee, whose right to compensation has been suspended under sub-section (2) or sub-section (3), dies without having submitted himself for medical examination as required by either of those sub-sections, the Commissioner may, if he thinks fit, direct the payment of compensation to the dependants of the deceased Employee.

(5) Where under sub-section (2) or sub-section (3) a right to compensation is suspended, no compensation shall be payable in respect of the period of suspension, and, if the period of suspension commences before the expiry of the waiting period referred to in clause (d) of sub-section (1) of section 4, the waiting period shall be increased by the period during which the suspension continues.

(6) Where an injured Employee has refused to be attended by a qualified medical practitioner whose services have been offered to him by the employer free of charge or having accepted such offer has deliberately disregarded the instructions of such medical practitioner, then, if it is proved that the Employee has not thereafter been regularly attended by a qualified medical practitioner or having been so attended has deliberately failed to follow his instructions and that such refusal, disregard or failure was unreasonable in the circumstances of the case and that the injury has been aggravated thereby, the injury and resulting disablement shall be deemed to be of the same nature and duration as they might reasonably have been expected to be if the Employee had been regularly attended by a qualified medical practitioner, whose instructions he had followed, and compensation, if any, shall be payable accordingly.

12. Contracting.- (1) Where any person (hereinafter in this section referred to as the principal) in the course of or for the purposes of his trade or business contracts with any other person (hereinafter in this section referred to as the contractor) for the execution by or under the contractor of the whole or any part of any work which is ordinarily part of the trade or business of the principal, the principal shall be liable to pay to any Employee employed in the execution of the work any compensation which he would have been liable to pay if that Employee had been immediately employed by him; and where compensation is claimed from the principal, this Act shall apply as if references to the principal were substituted for references to the employer except that the amount of compensation shall be calculated with reference to the wages of the Employee under the employer by whom he is immediately employed.

(2) Where the principal is liable to pay compensation under this section, he shall be entitled to be indemnified by the contractor, or any other person from whom the Employee could have recovered compensation and where a contractor who is himself a principal is liable to pay compensation or to indemnify a principal under this section he shall be entitled to be indemnified by any person standing to him in the relation of a contractor from whom the Employee could have recovered compensation, and all questions as to the right to and the amount of any such indemnity shall, in default of agreement, be settled by the Commissioner.

(3) Nothing in this section shall be construed as preventing a Employee from recovering compensation from the contractor instead of the principal.

(4) जहां कि ऐसा कर्मचारी, जिसका प्रतिकर का अधिकार उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निलम्बित हो गया है, चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को वैसे प्रस्तुत किए बिना, जैसा उन उपधाराओं में से किसी के द्वारा अपेक्षित है, मर जाता है वहां, यदि आयुक्त ठीक समझे तो वह मृत कर्मचारी के आश्रितों को प्रतिकर का संदाय निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(5) जहां कि प्रतिकर का अधिकार उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निलम्बित है वहां निलम्बन की कालावधि के लिए कोई भी प्रतिकर संदेय नहीं होगा और यदि निलम्बित की कालावधि धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्रतीक्षा–कालावधि के अवसान के पूर्व प्रारम्भ होती है तो प्रतीक्षा–कालावधि में उतनी कालावधि बढ़ा दी जाएगी जिसके दौरान निलम्बन बना रहता है ।

(6) जहां कि क्षत कर्मचारी ने उस अर्हित चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा अपनी परिचर्या कराने से इन्कार कर दिया है, जिसकी मुफ्त सेवाएं उसे नियोजक द्वारा प्रस्थापित की गई हैं, या ऐसी प्रस्थापना प्रतिगृहीत कर चुकने के पश्चात् ऐसे चिकित्सा–व्यवसायी के अनुदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है वहां यदि यह साबित कर दिया जाता है कि कर्मचारी की परिचर्या किसी अर्हित चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा तत्पश्चात् नियमित रूप से नहीं हुई है या उसकी ऐसी परिचर्या तो हुई है पर वह अर्हित चिकित्सा–व्यवसायी के अनुदेशों का अनुसरण करने में जानबूझकर असफल रहा है और ऐसा इन्कार, अवहेलना या असफलता उस मामले की परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त थी और उससे क्षति गुरूतर हो गई है तो क्षति और उसके परिणामस्वरूप हुई निःशक्तता के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उसी प्रकार की और उसी अस्तित्वावधि की है, जिस प्रकार की और जिस अस्तित्वावधि की उनके होने की प्रत्याशा उस दशा में युक्तियुक्त रूप में की जा सकती थी जिसमें कि कर्मचारी की परिचर्या किसी अर्हित चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा नियमित रूप से की गई होती और उसके अनुदेशों का अनुसरण कर्मचारी ने किया होता, और यदि कोई प्रतिकर संदेय है तो वह तदनुसार संदेय होगा ।

12. संविदा करना.– (1) जहां कि कोई व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में मालिक कहा गया है), अपने व्यवसाय या कारबार के अनुक्रम में या उसके प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में ठेकेदार कहा गया है) किसी ऐसे पूरे काम या उसके किसी भाग को, जो मालिक के व्यवसाय या कारबार का मामूली तौर से भाग है, ठेकेदार द्वारा या उसके अधीन निष्पादन करने के लिए संविदा करता है वहां, उस काम के निष्पादन में नियोजित कर्मचारी को मालिक ऐसे प्रतिकर का देनदार होगा जिसका देनदार वह होता यदि वह कर्मचारी उसके द्वारा अव्यवहित रूप से नियोजित किया गया होता; और जहां कि मालिक से प्रतिकर के लिए दावा किया जाता है वहां यह अधिनियम, इसके सिवाय कि प्रतिकर की रकम का हिसाब कर्मचारी की उस नियोजक के अधीन मजदूरी के प्रति निर्देश से किया जाएगा जिसके द्वारा वह अव्यवहित रूप से नियोजित है, इस प्रकार लागू होगा मानो नियोजक के प्रति निर्देशों के लिए मालिक के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित कर दिए गए हों ।

(2) जहां कि मालिक इस धारा के अधीन प्रतिकर का देनदार है वहां वह ठेकेदार से या किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे कर्मचारी प्रतिकर वसूल कर सकता था, अपनी क्षतिपूर्ति कराने का हकदार होगा, और जहां कि ठेकेदार, जो स्वयं मालिक है, इस धारा के अधीन प्रतिकर का या किसी मालिक की क्षतिपूर्ति करने का दायी है वहां वह अपनी क्षतिपूर्ति अपने साथ ठेकेदार का सम्बन्ध रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे कर्मचारी प्रतिकर वसूल कर सकता था, कराने का हकदार होगा और किसी ऐसी क्षतिपूर्ति के अधिकार और रकम विषयक सभी प्रश्न करार के अभाव में आयुक्त द्वारा तय किए जाएंगे ।

(3) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी कर्मचारी को मालिक के बजाय ठेकेदार से प्रतिकर वसूल करने से निवारित करती है ।

(4) This section shall not apply in any case where the accident occurred elsewhere that on, in or about the premises on which the principal has undertaken or usually undertakes, as the case may be, to execute the work or which are otherwise under his control or management.

13. Remedies of employer against stranger.- Where a Employee has recovered compensation in respect of any injury caused under circumstances creating a legal liability of some person other than the person by whom the compensation was paid to pay damages in respect thereof, the person by whom the compensation was paid and any person who has been called on to pay an indemnity under section 12 shall be entitled to be indemnified by the person so liable to pay damages as aforesaid.

14. Insolvency of employer.- (1) Where any employer has entered into a contract with any insurers in respect of any liability under this Act to any Employee, then in the event of the employer becoming insolvent or making a composition or scheme of arrangement with his creditors or, if the employer is a company, in the event of the company having commenced to be wound up, the rights of the employer against the insurers as respects that liability shall, notwithstanding anything in any law for the time being in force relating to insolvency or the winding up of companies, be transferred to and vest in the Employee, and upon any such transfer the insurers shall have the same rights and remedies and be subject to the same liabilities as if they were the employer, so, however, that the insurers shall not be under any greater liability to the Employee than they would have been under to the employer.

(2) If the liability of the insurers to the Employee is less than the liability of the employer to the Employee, the Employee may prove for the balance in the insolvency proceedings or liquidation.

(3) Where in any case such as is referred to in sub-section (1) the contract of the employer with the insurers is void or voidable by reason of non-compliance on the part of the employer with any terms or conditions of the contract other than a stipulation for the payment of premia, the provisions of that sub-section shall apply as if the contract were not void or voidable, and the insurers shall be entitled to prove in the insolvency proceedings or liquidation for the amount paid to the Employee:

Provided that the provisions of this sub-section shall not apply in any case in which the Employee fails to give notice to the insurers of the happening of the accident and of any resulting disablement as soon as practicable after he becomes aware of the institution of the insolvency or liquidation proceedings.

(4) There shall be deemed to be included among the debts which under section 49 of the Presidency-towns Insolvency Act, 1909 (3 of 1909)[1], or under section 61 of the Provincial Insolvency Act, 1920 (5 of 1920)[1], or under section 530 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)[2], are in the distribution of the property of an insolvent or in the distribution of the assets of a company being wound up to be paid in priority to all other debts, the amount due in respect of any compensation the liability where for accrued before the date of the order of adjudication of the insolvent or the date of the commencement of the winding up, as the case may be, and those Acts shall have effect accordingly.

---

1. *Now See*, the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).
2. *Now See*, the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(4) यह धारा किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जिसमें कि दुर्घटना उस परिसर पर, में या के आसपास न होकर अन्यत्र हुई है, जिस पर मालिक ने, यथास्थिति, काम के निष्पादन का उपक्रम किया है या प्रायिकतः करता है या जो अन्यथा उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन है ।

13. पर–व्यक्ति के विरुद्ध नियोजक के उपचार.– जहां कि कर्मचारी ने किसी ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर वसूल किया है जो ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई थी जिनमें उसके लिए नुकसानी के लिए संदाय करने का किसी ऐसे व्यक्ति पर विधिक दायित्व सृष्ट हुआ था जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसने प्रतिकर दिया है वहां वह व्यक्ति जिसने प्रतिकर दिया है और कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 12 के अधीन क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा की गई है उस व्यक्ति से अपनी क्षतिपूर्ति कराने का हकदार होगा जो नुकसानों के लिए संदाय करने का यथापूर्वोक्त रूप में दायी है ।

14. नियोजक का दिवाला.– (1) जहां कि नियोजक ने किसी कर्मचारी के प्रति इस अधिनियम के अधीन अपने किसी दायित्व के बारे में किन्हीं बीमाकर्ताओं से संविदा की है, वहां नियोजक के दिवालिया हो जाने की, या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन करने की, या ठहराव करने की कोई स्कीम बनाने की दशा में, या यदि नियोजक कोई कम्पनी है तो कम्पनी का परिसमापन प्रारम्भ होने की दशा में, उस दायित्व के बारे में बीमाकर्ताओं के विरुद्ध नियोजक के अधिकार कर्मचारी को, दिवाले या कम्पनियों के परिसमापन से सम्बद्ध किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे, और ऐसे किसी अंतरण पर बीमाकर्ताओं के वे ही अधिकार और उपचार होंगे, और वे उन्हीं दायित्वों के अध्यधीन ऐसे होंगे, मानो वे नियोजक हों, किन्तु ऐसे कि बीमाकर्ता कर्मचारी के प्रति उस दायित्व से अधिक दायित्व के अधीन न होंगे जिसके अधीन वे नियोजक के प्रति होते ।

(2) यदि कर्मचारी के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व कर्मचारी के प्रति नियोजक के दायित्व से कम है तो कर्मचारी दिवाला सम्बन्धी कार्यवाहियों में या समापन में अतिशेष को साबित कर सकेगा ।

(3) जहां कि ऐसे किसी मामले में, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, बीमाकर्ताओं के साथ नियोजक की (प्रीमियमों के संदाय के लिए अनुबंध से भिन्न) संविदा, उसके किन्हीं निबन्धनों या शर्तों का अननुपालन नियोजक द्वारा किए जाने के कारण शून्य या शून्यकरणीय है वहां, उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह संविदा शून्य या शून्यकरणीय न हो, और कर्मचारी को दी गई रकम को बीमाकर्ता दिवाले की कार्यवाहियों में या समापन में साबित करने के हकदार होंगे :

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होंगे जिसमें कर्मचारी दुर्घटना होने और उसके परिणामस्वरूप हुई निःशक्तता की सूचना दिवाले या समापन की कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने की जानकारी पाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र बीमाकर्ताओं को देने में असफल रहता है ।

(4) यह समझा जाएगा कि उन ऋणों के अन्तर्गत, जो किसी दिवालिए की सम्पत्ति के वितरण में या परिसमापनाधीन किसी कम्पनी की आस्तियों के वितरण में प्रसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 से 3)[1] की धारा 49 के अधीन या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5)[1] की धारा 61 के अधीन या कंपनी अधिनियम, 1956[2] की धारा 530 के अधीन अन्य सब ऋणों पर पूर्विकता देकर दिए जाने हैं, किसी ऐसे प्रतिकर मद्धे शोध्य रकम आती है जिसके लिए दायित्व, यथास्थिति, दिवालिए के न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख से पहले या परिसमापन के प्रारम्भ की तारीख से पहले प्रोद्भूत हो गया था और वे अधिनियम तदनुसार प्रभावी होंगे ।

1. अब देखें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31)।
2. अब देखें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

(5) Where the compensation is a half-monthly payment, the amount due in respect thereof shall, for the purposes of this section, be taken to be the amount of the lump sum for which the half-monthly payment could, if redeemable, be redeemed if applications were made for that purpose under section 7, and a certificate of the Commissioner as to the amount of such sum shall be conclusive proof thereof.

(6) The provisions of sub-section (4) shall apply in the case of any amount for which an insurer is entitled to prove under sub-section (3), but otherwise those provisions shall not apply where the insolvent or the company being wound up has entered into such a contract with insurers as is referred to in sub-section (1).

(7) This section shall not apply where a company is wound up voluntarily merely for the purposes of reconstruction or of amalgamation with another company.

14A. Compensation to be first charge on assets transferred by employer. - Where an employer transfers his assets before any amount due in respect of any compensation, the liability where for accrued before the date of the transfer, has been paid, such amount shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be a first charge on that part of the assets so transferred as consists of immovable property.

15. Special provisions relating to masters and seamen.- This Act shall apply in the case of workmen who are masters of ships or seamen subject to the following modifications, namely:—

(1) The notice of the accident and the claim for compensation may, except where the person injured is the master of the ship, be served on the master of the ship as if he were the employer, but where the accident happened and the disablement commenced on board the ship it shall not be necessary for any seaman to give any notice of the accident.

(2) In the case of the death of a master or seaman, the claim for compensation shall be made within one year after the news of the death has been received by the claimant or, where the ship has been or is deemed to have been lost with all hands, within eighteen months of the date on which the ship was, or is deemed to have been, so lost:

Provided that the Commissioner may entertain any claim to compensation in any case notwithstanding that the claim has not been preferred in due time as provided in this sub-section, if he is satisfied that the failure so to prefer the claim was due to sufficient cause.

(3) Where an injured master or seaman is discharged or left behind in any part of India or in any foreign country, any depositions taken by any Judge or Magistrate in that part or by any Consular Officer in the foreign country and transmitted by the person by whom they are taken to the Central Government or any State Government shall, in any proceedings for enforcing the claim, be admissible in evidence-

(a) if the deposition is authenticated by the signature of the Judge, Magis trate or Consular Officer before whom it is made;

(b) if the defendant or the person accused, as the case may be, had an opportunity by himself or his agent to cross-examine the witness; and

(c) if the deposition was made in the course of a criminal proceeding, on

(5) जहां कि प्रतिकर अर्धमासिक संदाय है वहां उस मद्दे शोध्य रकम इस धारा के प्रयोजनों के लिए उतनी एकमुश्त राशि की रकम मानी जाएगी जितनी के लिए अर्धमासिक संदाय का, यदि यह मोचनीय होता, उस दशा में मोचन किया जा सकता जिसमें कि धारा 7 के अधीन उस प्रयोजन के लिए कोई आवेदन किया गया होता और ऐसी रकम के विषय में आयुक्त का प्रमाणपत्र उसका निश्चायक सबूत होगा ।

(6) उपधारा (4) के उपबन्ध ऐसी रकम की दशा में लागू होंगे जिसे बीमाकर्ता उपधारा (3) के अधीन साबित करने का हकदार है, किन्तु अन्यथा वे उपबन्ध वहां लागू नहीं होंगे जहां कि दिवालिए ने या परिसमापनाधीन कम्पनी ने बीमाकर्ताओं के साथ उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट संविदा कर ली है ।

(7) यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां कि कम्पनी का परिसमापन केवल पुनर्गठन या किसी दूसरी कम्पनी से समामेलन के प्रयोजनों के लिए स्वेच्छया किया जाता है ।

14क. प्रतिकर नियोजक द्वारा अन्तरित आस्तियों पर प्रथम भार होगा.– जहां कि नियोजक अपनी आस्तियों का अन्तरण किसी ऐसे प्रतिकर मद्धे शोध्य किसी रकम के संदाय से पूर्व कर देता है जिसके लिए दायित्व अन्तरण की तारीख से पूर्व प्रोद्भूत हो गया था वहां ऐसी रकम का इस प्रकार अन्तरित आस्तियों के उस भाग पर, जो स्थावर सम्पत्ति से मिलकर बना है, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रथम भार होगी।

15. मास्टरों और नाविकों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध.– यह अधिनियम उन कर्मचारियों की दशा में, जो पोतों के मास्टर या नाविक हैं, निम्नलिखित उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए, लागू होगा, अर्थात्–

(1) दुर्घटना की और प्रतिकर के दावे की सूचना की तामील वहां के सिवाय जहां कि क्षत व्यक्ति पोत का मास्टर है, पोत के मास्टर पर ऐसे की जाएगी, मानो वह नियोजक हो, किन्तु जहां कि पोत पर ही दुर्घटना हुई है और निःशक्तता प्रारम्भ हुई है वहां किसी नाविक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह दुर्घटना की कोई सूचना दे ।

(2) मास्टर या नाविक की मृत्यु हो जाने की दशा में प्रतिकर के लिए दावा दावेदार को मृत्यु का समाचार मिलने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर, या जहां कि पोत सब जनों के साथ नष्ट हो गया है या नष्ट हो गया समझा जाता है वहां उस तारीख से, जिस तारीख को पोत ऐसे नष्ट हुआ या ऐसे नष्ट हुआ समझा जाता है, अट्ठारह मास के भीतर किया जाएगाः

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि कोई दावा इस उपधारा में यथा उपबन्धित सम्यक् समय के भीतर नहीं किया गया है आयुक्त किसी भी मामले में प्रतिकर के किसी दावे को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जिसमें उसका समाधान हो जाए कि दावा वैसे करने में असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी।

(3) जहां कि क्षत मास्टर या नाविक भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में उन्मोचित कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है वहां, उस भाग में के किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उस विदेश में के किसी कौन्सलीय आफ़िसर द्वारा लिए गए और उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वे लिए जाते हैं, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को पारेषित कोई भी अभिसाक्ष्य, दावा प्रवर्तित कराने की किन्हीं भी कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होंगे–

(क) यदि अभिसाक्ष्य उस न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या कौन्सलीय आफिसर के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणीकृत हो जिसके सामने वह दिया गया है;

(ख) यदि, यथास्थिति, प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल गया था; तथा

(ग) यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही के दौरान दिया गया था तो यह साबित

proof that the deposition was made in the presence of the person accused; and it shall not be necessary in any case to prove the signature or official character of the person appearing to have signed any such deposition and a certificate by such person that the defendant or the person accused had an opportunity of cross-examining the witness and that the deposition if made in a criminal proceeding was made in the presence of the person accused shall, unless the contrary is proved, be sufficient evidence that he had that opportunity and that it was somade.

(4) No half-monthly payment shall be payable in respect of the period during which the owner of the ship is, under any law in force for the time being relating to merchant shipping, liable to defray the expenses of maintenance of the injured master or seaman.

(5) No compensation shall be payable under this Act in respect of any injury in respect of which provision is made for payment of a gratuity, allowance or pension under the War Pensions and Detention Allowances (Mercantile Marine, etc.) Scheme, 1939, or the War Pensions and Detention Allowances (Indian Seamen, etc.) Scheme, 1941, made under the Pensions (Navy, Army, Air Force and Mercantile Marine) Act, 1939, or under the War Pensions and Detention Allowances (Indian Seamen) Scheme, 1942, made by the Central Government.

(6) Failure to give a notice or make a claim or commence proceedings within the time required by this Act shall not be a bar to the maintenance of proceedings under this Act in respect of any personal injury, if-

(a) an application has been made for payment in respect of that injury under any of the schemes referred to in the preceding clause, and

(b) the State Government certifies that the said application was made in the reasonable belief that the injury was one in respect of which the scheme under which the application was made makes provision for payments, and that the application was rejected or that payments made in pursuance of the application were discontinued on the ground that the injury was not such an injury, and

(c) the proceedings under this Act are commenced within one month from the date on which the said certificate of the State Government was furnished to the person commencing the proceedings.

15A. Special provisions relating to captains and other members of crew of aircrafts. - This Act shall apply in the case of workmen who are captains or other members of the crew of aircrafts subject to the following modifications, namely:—

(1) The notice of the accident and the claim for compensation may, except where the person injured is the captain of the aircraft, be served on the captain of the aircraft as if he were the employer, but where the accident happened and the disablement commenced on board the aircraft, it shall not be necessary for any member of the crew to give notice of the accident.

(2) In the case of the death of the captain or other member of the crew, the claim for compensation shall be made within one year after the news of the death has been received by the claimant or, where the aircraft has been or is deemed to have been lost with all hands, within eighteen months of the date on which the aircraft was, or is deemed to have been, so lost:

होने पर कि अभिसाक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था,

और किसी भी मामले में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसा कोई अभिसाक्ष्य हस्ताक्षरित किया गया प्रतीत होता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणपत्र कि प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिला था और यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही में दिया गया था तो यह कि वह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था, तब के सिवाय जब कि तत्प्रतिकूल साबित कर दिया जाता है, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य होगा कि उसे वह अवसर मिला था और अभिसाक्ष्य इस प्रकार दिया गया था ।

(4) उस कालावधि के लिए कोई अर्धमासिक संदाय संदेय नहीं होगा जिसके दौरान पोत का स्वामी, क्षत मास्टर या नाविक के भरण–पोषण के व्ययों को वाणिज्यिक पोत परिवहन सम्बन्धी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन चुकाने का दायी है ।

(5) कोई भी प्रतिकर किसी ऐसी क्षति के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय न होगा, जिसके लिए उपदान, भत्ते या पेंशन के संदाय के लिए उपबन्ध पेंशन्स (नेवी, आर्मी, एयर फोर्स ऐण्ड मर्केन्टाइल मैरीन), ऐक्ट, 1939 (2 और 3, जार्ज 6, अ० 83) के अधीन बनाई गई वार पेंशन्स एण्ड डिटेन्शन अलाउन्सेज़ (मर्केन्टाइल मैरीन, एट्सेट्रा) स्कीम, 1939 या वार पेन्शन्स एण्ड डिटेंशन अलाउन्सेज़ (इण्डियन सीमेन, एट्सेट्रा) स्कीम, 1941 के अधीन या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई युद्ध पेंशन और निरोध भत्ते (भारतीय नाविक) स्कीम, 1942 के अधीन किया गया है ।

(6) इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित समय के भीतर सूचना देने या दावा करने या कार्यवाही प्रारम्भ करने में असफलता किसी वैयक्तिक क्षति की बाबत इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही के चलने के लिए वर्जन न होगी, यदि

(क) उस क्षति की बाबत संदाय करने के लिए कोई आवेदन पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट स्कीमों में से किसी के अधीन कर दिया गया है, तथा

(ख) राज्य सरकार प्रमाणित कर दे कि उक्त आवेदन इस युक्तियुक्त विश्वास में किया गया था, कि क्षति ऐसी थी जिसके लिए वह स्कीम, जिसके अधीन आवेदन किया गया था, संदायों के लिए उपबन्ध करती है, और यह कि इस आधार पर कि वह क्षति ऐसी क्षति नहीं थी वह आवेदन नामंजूर कर दिया गया था या उस आवेदन के अनुसरण में किए जाने वाले संदाय बन्द कर दिए गए थे, तथा

(ग) उस तारीख से जिस तारीख को राज्य सरकार का उक्त प्रमाणपत्र कार्यवाही प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति को दिया गया था, एक मास के भीतर इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती।

15क. वायुयानों के कैप्टनों और कर्मीदल के अन्य सदस्यों से संबंधित विशेष उपबंध .—यह अधिनियम उन कर्मचारियों की दशा में, जो वायुयानों के कैप्टन या कर्मीदल के अन्य सदस्य हैं, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, अर्थात्:—

(1) दुर्घटना की और प्रतिकर के दावे की सूचना की तामील, यहां के सिवाय जहां क्षत व्यक्ति वायुयान का कैप्टन है, वायुयान के कैप्टन पर ऐसे की जाएगी, मानो वह नियोजक हो, किन्तु जहां वायुयान पर ही दुर्घटना हुई है और निःशक्तता प्रारम्भ हुई है वहां कर्मीदल के किसी सदस्य के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह दुर्घटना की कोई सूचना दे ।

(2) कैप्टन या कर्मीदल के अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में, प्रतिकर के लिए दावा, दावेदार को मृत्यु का समाचार मिलने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर, या जहां वायुयान समोजनों के साथ नष्ट हो गया है या नष्ट हुआ समझा जाता है । वहां उस तारीख से, जिस तारीख को वायुयान ऐसे नष्ट हुआ था या ऐसे नष्ट हुआ समझा जाता है, अठारह मास के भीतर किया जाएगाः

Provided that the Commissioner may entertain any claim for compensation in any case notwithstanding that the claim has not been preferred in due time as provided in this sub-section, if he is satisfied that the failure so to prefer the claim was due to sufficient cause.

(3) Where an injured captain or other member of the crew of the aircraft is discharged or left behind in any part of India or in any other country, any depositions taken by any Judge or Magistrate in that part or by any Consular Officer in the foreign country and transmitted by the person by whom they are taken to the Central Government or any State Government shall, in any proceedings for enforcing the claims, be admissible in evidence-

(a) if the deposition is authenticated by the signature of the Judge, Magistrate or Consular Officer before whom it is made;

(b) if the defendant or the person accused, as the case may be, had an opportunity by himself or his agent to cross-examine the witness;

(c) if the deposition was made in the course of a criminal proceeding, on proof that the deposition was made in the presence of the person accused,

and it shall not be necessary in any case to prove the signature or official character of the person appearing to have signed any such deposition and a certificate by such person that the defendant or the person accused had an opportunity of cross-examining the witness and that the deposition if made in a criminal proceeding was made in the presence of the person accused shall, unless the contrary is proved, be sufficient evidence that he had that opportunity and that it was so made.

15B. Special provisions relating to workmen abroad of companies and motor vehicles. - This Act shall apply-

(i) in the case of workmen who are persons recruited by companies registered in India and working as such abroad, and

(ii) persons sent for work abroad along with motor vehicles registered under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) as drivers, helpers, mechanics, cleaners or other workmen, subject to the following modifications, namely:-

(1) The notice of the accident and the claim for compensation may be served on the local agent of the company, or the local agent of the owner of the motor vehicle, in the country of accident, as the case may be.

(2) In the case of death of the [Employee] in respect of whom the provisions of this section shall apply, the claim for compensation shall be made within one year after the news of the death has been received by the claimant:

Provided that the Commissioner may entertain any claim for compensation in any case notwithstanding that the claim has not been preferred in due time as provided in this sub-section, if he is satisfied that the failure so to prefer the claim was due to sufficient cause.

(3) Where an injured Employee is discharged or left behind in any part of India or in any other country any depositions taken by any Judge or Magistrate in that part or by any Consular Officer in the foreign country

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि कोई दावा इस उपधारा में उपबंधित सम्यक् समय के भीतर नहीं किया गया है, आयुक्त किसी भी मामले में प्रतिकर के किसी दावे को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जिसमें उसका यह समाधान हो जाता है कि दावा इस प्रकार करने में असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी ।

(3) जहां वायुयान का क्षत कैप्टन या कर्मीदल का अन्य सदस्य भारत के किसी भाग में अथवा किसी अन्य देश में निर्मुक्त कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है वहां उस भाग में के किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उस विदेश में के किसी कौन्सलीय आफिसर द्वारा लिए गए और उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वे लिए जाते हैं, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को पारेषित कोई भी अभिसाक्ष्य, दावा प्रवर्तित कराने की किन्हीं भी कार्यवाहियों में साक्ष्य में उस दशा में ग्राह्य होंगे जिसमें,

(क) अभिसाक्ष्य उस न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या कौन्सलीय आफिसर के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणीकृत किया जाता है जिसके समक्ष वह दिया गया है;

(ख) यथास्थिति, प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल गया था;

(ग) यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही के दौरान दिया गया था तो, यह साबित हो जाने पर कि अभिसाक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था,

और किसी भी मामले में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसा कोई अभिसाक्ष्य हस्ताक्षरित किया गया प्रतीत होता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणपत्र कि प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिला था, और यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही में दिया गया था तो यह कि वह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था, तब के सिवाय जब कि तत्प्रतिकूल साबित कर दिया जाता है, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य होगा कि उसे वह अवसर मिला था और ऐसा अभिसाक्ष्य इस प्रकार दिया गया था।

15ख. कंपनियों और मोटरयानों के विदेश में के कर्मचारियों से संबंधित विशेष उपबंध.– यह अधिनियम,

(i) उन कर्मचारियों की दशा में, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा भर्ती किया गया है और उस रूप में, विदेश में कार्य कर रहे हैं, और

(ii) उन व्यक्तियों की दशा में जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोटरयानों के साथ ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर या अन्य कर्मचारियों के रूप में कार्य के लिए विदेश भेजे गए हैं; निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, अर्थात् :

(1) दुर्घटना की और प्रतिकर के दावे की सूचना की तामील, दुर्घटना के देश में, यथास्थिति, कम्पनी के स्थानीय अभिकर्ता या मोटरयान के स्वामी के स्थानीय अभिकर्ता पर की जा सकेगी ।

(2) उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में, जिसकी बाबत इस धारा के उपबंध लागू होंगे, प्रतिकर के लिए दावा, दावेदार को मृत्यु का समाचार मिलने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर किया जाएगाः

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि कोई दावा इस उपधारा में उपबंधित सम्यक् समय के भीतर नहीं किया गया है, आयुक्त किसी भी मामले में प्रतिकर के किसी दावे को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जिसमें उसका यह समाधान हो जाता है कि दावा इस प्रकार करने में असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी ।

(3) जहां क्षत कर्मचारी भारत के किसी भाग में अथवा किसी अन्य देश में निर्मुक्त कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है वहां उस भाग में के किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उस विदेश में के किसी कौन्सलीय आफिसर द्वारा लिए

and transmitted by the person by whom they are taken to the Central Government or any State Government shall, in any proceedings for en forcing the claims, be admissible in evidence-

(a) if the deposition is authenticated by the signature of the Judge, Magistrate or Consular Officer before whom it is made;

(b) if the defendant or the person accused, as the case may be, had an opportunity by himself or his agent to cross-examine the witness;

(c) if the deposition was made in the course of a criminal proceeding, on proof that the deposition was made in the presence of the person accused,

and it shall not be necessary in any case to prove the signature or official character of the person appearing to have signed any such deposition and a certificate by such person that the defendant or the person accused had an opportunity of cross-examining the witness and that the deposition if made in a criminal proceeding was made in the presence of the person accused shall, unless the contrary is proved, be sufficient evidence that he had that opportunity and that it was so made.

15. Returns as to compensation.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that every person employing workmen, or that any specified class of such persons, shall send at such time and in such form and to such authority, as may be specified in the notification, a correct return specifying the number of injuries in respect of which compensation has been paid by the employer during the previous year and the amount of such compensation together with such other particulars as to the compensation as the State Government]may direct.

16. Contracting out.- Any contract or agreement whether made before or after the commencement of this Act, whereby a Employee relinquishes any right of compensation from the employer for personal injury arising out of or in the course of the employment, shall be null and void insofar as it purports to remove or reduce the liability of any person to pay compensation under this Act.

17A. Duty of employer to inform employee of his rights. - Every employer shall immediately at the time of employment of an employee, inform the employee of his rights to compensation under this Act, in writing as well as through electronic means, in English or Hindi or in the official language of the area of employment, as may be understood by the employee.

18. [***]

18A. Penalties. - (1) Whoever-

(a) fails to maintain a notice-book which he is required to maintain under sub-section (3) of section 10, or

(b) fails to send to the Commissioner a statement which he is required to send under sub-section (1) of section 10-A, or

(c) fails to send a report which he is required to send under section 10-B, or

(d) fails to make a return which he is required to make under section 16, or shall be punishable with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.

(e) fails to inform the employee of his rights to compensation as required under section 17A;

गए और उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वे लिए जाते हैं केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को पारेषित कोई भी अभिसाक्ष्य दावा प्रवर्तित कराने की किन्हीं भी कार्यवाहियों में साक्ष्य में उस दशा में ग्राह्य होंगे जिसमें

(क) अभिसाक्ष्य उस न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या कौन्सलीय आफिसर के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणीकृत किया जाता है जिसके समक्ष वह दिया गया है;

(ख) यदि, यथास्थिति, प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल गया था;

(ग) यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही के दौरान दिया गया था तो, यह साबित हो जाने पर कि अभिसाक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था,

और किसी भी मामले में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसा कोई अभिसाक्ष्य हस्ताक्षरित किया गया प्रतीत होता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणपत्र कि प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिला था और यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही में दिया गया था तो यह कि वह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था, तब के सिवाय जब कि तत्प्रतिकूल साबित कर दिया जाता है, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य होगा कि उसे वह अवसर मिला था और ऐसा अभिसाक्ष्य इस प्रकार दिया गया था।

16. प्रतिकर के बारे में विवरणियां.–राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कर्मचारियों को नियोजित करने वाला हर व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का कोई विनिर्दिष्ट वर्ग ऐसे समय और ऐसे प्ररूप में और ऐसे प्राधिकारी को, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक शुद्ध विवरणी भेजेगा जिसमें उन क्षतियों की संख्या, जिनके लिए नियोजक द्वारा पूर्वतन वर्ष के दौरान प्रतिकर दे दिया गया है, और ऐसे प्रतिकर की रकम और प्रतिकर के बारे में ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, जैसी राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।

17. संविदा द्वारा त्याग.– इस अधिनियम के प्रारम्भ के चाहे पूर्व, चाहे पश्चात् की गई संविदा या करार, जिसके द्वारा कोई कर्मचारी नियोजन से या उसके अनुक्रम में उद्भूत वैयक्तिक क्षति के लिए नियोजक से प्रतिकर पाने के किसी अधिकार का त्याग कर देता है वहां तक बातिल और शून्य होगा जहां तक वह इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायित्व को हटाने या कम करने के लिए तात्पर्यित है ।

17क. नियोजक का कर्मचारी को उसके अधिकारों की जानकारी देने का कर्तव्य.– प्रत्येक नियोजक, किसी कर्मचारी के नियोजन के समय तत्काल, कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर संबंधी उसके अधिकारों की लिखित में और इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या नियोजन के क्षेत्र की राजभाषा में, जो कर्मचारी समझता हो, जानकारी देगा।

18. [***]

18क. शास्तियां.– (1) जो कोई–

(क) वह सूचना–पुस्तक रखने में असफल रहेगा जिसे रखने के लिए वह धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(ख) आयुक्त को वह विवरण भेजने में असफल रहेगा जिसे भेजने के लिए वह धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(ग) वह रिपोर्ट भेजने में असफल रहेगा जिसे भेजने के लिए वह धारा 10ख के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(घ) वह विवरणी देने में असफल रहेगा जिसे देने के लिए वह धारा 16 के अधीन अपेक्षित है, या;

(ङ) कर्मचारी को ऐसे प्रतिकर संबंधी उसके अधिकारों की जानकारी देने असफल रहेगा जो धारा 17क के अधीन अपेक्षित है,

shall be punishable with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend one lakh rupees.

(2) No prosecution under this section shall be instituted except by or with the previous sanction of a Commissioner, and no Court shall take cognizance of any offence under this section, unless complaint thereof is made within six months of the date on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of the Commissioner.

CHAPTER III

Commissioners

19. Reference to Commissioners.- (1) If any question arises in any proceedings under this Act as to the liability of any person to pay compensation (including any question as to whether a person injured is or is not a Employee or as to the amount or duration of compensation (including any question as to the nature or extent of disablement), the question shall, in default of agreement, be settled by a Commissioner.

(2) No Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question which is by or under this Act required to be settled, decided or dealt with by a Commissioner or to enforce any liability incurred under this Act.

20. Appointment of Commissioners.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint any person [who is or has been a member of a State Judicial Service for a period of not less than five years or is or has been for not less than five years an advocate or a pleader or is or has been a Gazetted Officer for not less than five years having educational qualifications and experience in personnel management, human resource development and industrial relations]to be a Commissioner for Workmen's Compensation for such area, as may be specified in the notification.

(2) Where more than one Commissioner has been appointed for any area, the State Government may, by general or special order, regulate the distribution of business between them.

(3) Any Commissioner may, for the purpose of deciding any matter referred to him for decision under this Act, choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relevant to the matter under inquiry to assist him in holding the inquiry.

(4) Every Commissioner shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code (45 of 1860)[1].

21. Venue of proceedings and transfer.- (1) Where any matter under this Act is to be done by or before a Commissioner, the same shall, subject to the provisions of this Act and to any rules made hereunder, be done by or before the Commissioner for the area in which-

(a) the accident took place which resulted in the injury; or

(b) the Employee or in case of his death, the dependant claiming the compensation ordinarily resides; or

(c) the employer has his registered office:

Provided that no matter shall be processed before or by a Commissioner, other than the Commissioner having jurisdiction over the area in which the accident took place, without his giving notice in the manner prescribed by the Central Government to the Commissioner having jurisdiction over the area and the State Government concerned:

1. *Now See*, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

वह जुर्माने से, जो जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन, आयुक्त के द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से संस्थित किए जाने के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा, और कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि अपराध के लिए परिवाद उस तारीख से छह मास के भीतर नहीं किया जाता जिस तारीख को अभिकथित अपराध का किया जाना, आयुक्त को ज्ञात हुआ था ।

अध्याय 3

आयुक्त

19. आयुक्तों को निदेश.– (1) यदि प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायित्व के विषय में कोई प्रश्न के अन्तर्गत यह प्रश्न आता है कि क्षत व्यक्ति कर्मचारी है या नहीं, या प्रतिकर की रकम या अस्तित्वावधि के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अन्तर्गत निःशक्तता के प्रकार या विस्तार विषयक प्रश्न आता है) इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों में उठता है तो वह प्रश्न करार के अभाव में आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा ।

(2) किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यह अपेक्षित है कि वह आयुक्त द्वारा तय किया जाए या विनिश्चित किया जाए या उसके बारे में कार्रवाई आयुक्त द्वारा की जाए तय करने, विनिश्चित करने या उसके बारे में कार्रवाई करने की या इस अधिनियम के अधीन उपगत किसी दायित्व को प्रवर्तित कराने की अधिकारिता न होगी ।

20. आयुक्तों की नियुक्ति.–(1) राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को जो राज्य न्यायिक सेवा का पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए सदस्य है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अधिवक्ता या प्लीडर है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए ऐसा राजपत्रित अधिकारी है या रहा है, जो कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंधों में शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जहां कि किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वहां राज्य सरकार उनके बीच कारबार के वितरण का विनियमन साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगी।

(3) कोई भी आयुक्त इस अधिनियम के अधीन विनिश्चय के लिए अपने को निर्देशित किसी विषय को विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जो जांचाधीन विषय से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखते हों, जांच करने में अपनी सहायता के लिए चुन सकेगा।

(4) हर आयुक्त भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)[1] के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा ।

21. कार्यवाहियों का स्थान और अन्तरण.–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई बात आयुक्त द्वारा या उसके समक्ष की जानी है वहां इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, उस क्षेत्र के आयुक्त द्वारा या उसके समक्ष की जाएगी जिसमें–

(क) वह दुर्घटना हुई थी जिसके परिणामस्वरूप क्षति हुई; या

(ख) कर्मचारी या उसकी मृत्यु की दशा में प्रतिकर के लिए दावा करने वाला आश्रित साधारणतया निवास करता है; या

(ग) नियोजक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हैः

परन्तु किसी भी मामले में ऐसे किसी आयुक्त के समक्ष या उसके द्वारा, जो उस क्षेत्र पर जिसमें दुर्घटना हुई है, अधिकारिता रखने वाले आयुक्त से भिन्न है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से उसके द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त और संबंधित राज्य सरकार को सूचना दिए बिना, कार्यवाही नहीं की जाएगीः

---

1. अब देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)।

Provided further that, where the Employee, being the master of a ship or a seaman or the captain or a member of the crew of an aircraft or a Employee in a motor vehicle or a company, meets with the accident outside India any such matter may be done by or before a Commissioner for the area in which the owner or agent of the ship, aircraft or motor vehicle resides or carries on business or the registered office of the company is situate, as the case may be.

(1-A) If a Commissioner, other than the Commissioner with whom any money has been deposited under section 8, proceeds with a matter under this Act, the former may for the proper disposal of the matter call for transfer of any records or money remaining with the latter and on receipt of such a request, he shall comply with the same.

(2) If a Commissioner is satisfied that any matter arising out of any proceedings pending before him] can be more conveniently dealt with by any other Commissioner, whether in the same State or not, he may, subject to rules made under this Act, order such matter to be transferred to such other Commissioner either for report or for disposal, and, if he does so, shall forthwith transmit to such other Commissioner all documents relevant for the decision of such matter and, where the matter is transferred for disposal, shall also transmit in the prescribed manner any money remaining in his hands or invested by him for the benefit of any party to the proceedings:

Provided that the Commissioner shall not, where any party to the proceedings has appeared before him, make any order of transfer relating to the distribution among dependants of a lump sum without giving such party an opportunity of being heard.

(3) The Commissioner to whom any matter is so transferred shall, subject to rules made under this Act, inquire thereinto and, if the matter was transferred for report, return his report thereon or, if the matter was transferred for disposal, continue the proceedings as if they had originally commenced before him.

(4) On receipt of a report from a Commissioner to whom any matter has been transferred for report under sub-section (2), the Commissioner by whom it was referred shall decide the matter referred in conformity with such report.

(5) The State Government may transfer any matter from any Commissioner appointed by it to any other Commissioner appointed by it.

22. Form of application.- (1) Where an accident occurs in respect of which liability to pay compensation under this Act arises, a claim for such compensation may, subject to the provisions of this Act, be made before the Commissioner.

(1-A) Subject to the provisions of sub-section (1), no application for the settlement of any matter by a Commissioner, other than an application by a dependant or dependants for compensation, shall be made unless and until some question has arisen between the parties in connection therewith which they have been unable to settle by agreement.

(2) An application to a Commissioner] may be made in such form and shall be accompanied by such fee, if any, as may be prescribed, and shall contain, in addition to any particulars which may be prescribed, the following particulars, namely:-

(a) a concise statement of the circumstances in which the application is made and the relief or order which the applicant claims;

परन्तु यह और कि जहां कर्मचारी, किसी पोत का मास्टर या नाविक है अथवा किसी वायुयान का कैप्टन या कर्मीदल का कोई सदस्य है अथवा किसी मोटर यान या कंपनी का कर्मचारी है, भारत से बाहर दुर्घटना का शिकार होता है वहां ऐसी कोई बात उस क्षेत्र के आयुक्त द्वारा या उसके समक्ष की जा सकेगी, जिसमें, यथास्थिति, पोत, वायुयान या मोटर यान का स्वामी या अभिकर्ता निवास करता है या कारबार चलाता है अथवा कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है ।

(1क) यदि उस आयुक्त से जिसके पास धारा 8 के अधीन कोई धन जमा किया गया है, भिन्न कोई आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करता है तो पश्चात्वर्ती आयुक्त ऐसे मामले के उचित निपटारे के लिए किसी अभिलेख के या पूर्ववर्ती आयुक्त के पास शेष रहे धन के अंतरण की मांग कर सकेगा और ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर वह आयुक्त उसका अनुपालन करेगा।

(2) यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लम्बित किन्हीं कार्यवाहियों से उद्‌भूत किसी विषय में कार्रवाई किसी अन्य आयुक्त द्वारा चाहे वह उसी राज्य में हो या नहीं, अधिक सुविधानुसार की जा सकती है, तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए वह यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा विषय या तो रिपोर्ट के लिए या निपटाए जाने के लिए ऐसे अन्य आयुक्त को अन्तरित कर दिया जाए और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विषय के विनिश्चय के लिए सुसंगत सभी दस्तावेजें ऐसे अन्य आयुक्त को अन्तरित कर दिए जाएं और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विषय के विनिश्चय के लिए सुसंगत सभी दस्तावेजें ऐसे अन्य आयुक्त को तत्क्षण पारेषित करेगा, और जहां कि विषय निपटाए जाने के लिए अन्तरित किया जाता है वहां वह किसी ऐसे धन को भी विहित रीति से पारेषित करेगा जो उसके पास शेष रहा है या जो उसने कार्यवाहियों में के किसी पक्षकार के फायदे के लिए विनिहित किया है:

परन्तु जहां कि कार्यवाहियों में का कोई पक्षकार आयुक्त के समक्ष हाजिर हुआ है वहां आयुक्त आश्रितों के बीच किसी एकमुश्त राशि के वितरण से सम्बद्ध अन्तरण का कोई आदेश, ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना, नहीं करेगाः

(3) वह आयुक्त, जिसे कोई विषय इस प्रकार अन्तरित किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए उसकी जांच करेगा और यदि वह विषय रिपोर्ट के लिए अन्तरित किया गया था तो उस पर अपनी रिपोर्ट देगा या यदि वह विषय निपटाए जाने के लिए अन्तरित किया गया था तो कार्यवाहियों को ऐसे चालू रखेगा मानो वे मूलतः उसके ही समक्ष प्रारम्भ हुई थीं ।

(4) उस आयुक्त से जिसे कोई विषय उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट के लिए अन्तरित किया गया है रिपोर्ट मिलने पर वह आयुक्त, जिसके द्वारा वह निर्देशित किया गया था, निर्देशित विषय को ऐसी रिपोर्ट के अनुरूप विनिश्चय करेगा ।

(5) राज्य सरकार किसी भी मामले को अपने द्वारा नियुक्त किसी आयुक्त से अपने द्वारा नियुक्त किसी अन्य आयुक्त को अन्तरित कर सकेगी।

22. आवेदन का प्ररूप.–(1) जहां कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व उद्‌भूत होता है वहां ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयुक्त के समक्ष किया जा सकेगा ।

(1क) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी विषय के आयुक्त द्वारा तय किए जाने के लिए कोई भी आवेदन जो आश्रित या आश्रितों द्वारा प्रतिकर के लिए किए गए आवेदन से भिन्न हो न किया जाएगा यदि और जब तक उसके संबंध में पक्षकारों के बीच ऐसा कोई प्रश्न न उठा हो जिसे वे करार द्वारा तय करने में असमर्थ रहे हों ।

(2) आयुक्त को आवेदन ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, किया जा सकेगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, यदि कोई हो, जैसी विहित की जाए, और उसमें किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के अतिरिक्त, जैसी विहित की जाएं, निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्–

(क) उन परिस्थितियों का संक्षिप्त कथन जिनमें आवेदन किया गया है और वह अनुतोष या आदेश, जिसका आवेदक दावा करता है;

(b) in the case of a claim for compensation against an employer, the date of service of notice of the accident on the employer, and, if such notice has not been served or has not been served in due time, the reason for such omission;

(c) the names and addresses of the parties; and

(d) except in the case of an application by dependants for compensation a concise statement of the matters on which agreement has and of those on which agreement has not been come to.

(3) If the applicant is illiterate or for any other reason is unable to furnish the required information in writing, the application shall, if the applicant so desires, be prepared under the direction of the Commissioner.

22A. Power of Commissioner to require further deposit in cases of fatal accident. - (1) Where any sum has been deposited by an employer as compensation payable in respect of a Employee whose injury has resulted in death, and in the opinion of the Commissioner such sum is insufficient, the Commissioner may, by notice in writing stating his reasons, call upon the employer to show cause why he should not make a further deposit within such time as may be stated in the notice.

(2) If the employer fails to show cause to the satisfaction of the Commissioner, the Commissioner may make an award determining the total amount payable, and requiring the employer to deposit the deficiency.

23. Powers and procedure of Commissioners.- The Commissioner shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for the purpose of taking evidence on oath which such Commissioner is hereby empowered to impose and of enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents and material objects, and the Commissioner shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and of Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)[1].

24. Appearance of parties. - Any appearance, application or act required to be made or done by any person before or to a Commissioner (other than an appearance of a party which is required for the purpose of his examination as a witness) may be made or done on behalf of such person by a legal practitioner or by an official of an Insurance Company or a registered Trade Union or by an Inspector appointed under sub-section (1) of section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), or under sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), or by any other officer specified by the State Government in this behalf, authorised in writing by such person, or, with the permission of the Commissioner, by any other person so authorised.

25. Method of recording evidence.- The Commissioner shall make a brief memorandum of the substance of the evidence of every witness as the examination of the witness proceeds, and such memorandum shall be written and signed by the Commissioner with his own hand and shall form part of the record:

---

1. *Now See*, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023).

(ख) नियोजक के विरुद्ध प्रतिकर के लिए दावे की दशा में वह तारीख जिसकी दुर्घटना की सूचना की नियोजक पर तामील हुई थी, और, यदि ऐसी सूचना की तामील नहीं हुई या सम्यक् समय में नहीं हुई तो ऐसे लोप का कारण;

(ग) पक्षकारों के नाम और पते; या

(घ) आश्रितों द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन की दशा के सिवाय उन मामलों का, जिनके बारे में करार हो चुका है और उन मामलों का जिनके बारे में करार नहीं हुआ है, संक्षिप्त कथन ।

(3) यदि आवेदक निरक्षर है या किसी अन्य कारण से अपेक्षित जानकारी लिखित रूप में देने में असमर्थ है तो, यदि आवेदक ऐसा करना चाहे तो, आवेदन आयुक्त के निदेशाधीन तैयार किया जाएगा ।

22क. प्राणान्तक दुर्घटना की दशाओं में अतिरिक्त निक्षेप अपेक्षित करने की आयुक्त की शक्ति.–(1) जहां कि ऐसे कर्मचारी के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, संदेय प्रतिकर के रूप में कोई राशि नियोजक द्वारा निक्षिप्त की गई है और आयुक्त की राय में ऐसी राशि अपर्याप्त है वहां आयुक्त अपने कारणों को कथित करते हुए लिखित सूचना द्वारा नियोजक को इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए अपेक्षित कर सकेगा कि वह इतने समय के भीतर, जितना सूचना में कथित किया जाए, अतिरिक्त निक्षेप क्यों न करे ।

(2) यदि नियोजक आयुक्त को समाधानप्रद रूप में हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है तो आयुक्त कुल संदेय रकम को अवधारित करने वाला और नियोजक से यह अपेक्षा करने वाला अधिनिर्णय दे सकेगा कि वह उतनी राशि निक्षिप्त कर दे जितनी कम है।

23. आयुक्तों की शक्तियां और प्रक्रिया.– आयुक्त को, ऐसी शपथ पर (जिसे अधिरोपित करने के लिए आयुक्त एतद्द्वारा सशक्त किया जाता है) साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन की सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और आयुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)[1] की धारा 195 के और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा

24. पक्षकारों की हाजिरी.– किसी पक्षकार की साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हाजिरी से भिन्न कोई हाजिरी, आवेदन या कार्य जो किसी व्यक्ति द्वारा आयुक्त के समक्ष या आयुक्त से किए जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी विधि व्यवसायी द्वारा या बीमा कम्पनी या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदधारी द्वारा, या कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन या खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य आफिसर द्वारा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो, या आयुक्त की अनुज्ञा से, इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किया जा सकेगा।

25. साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग.– जैसे–जैसे हर साक्षी की परीक्षा होती जाएगी वैसे–वैसे आयुक्त उस साक्षी के साक्ष्य के सार का संक्षिप्त ज्ञापन बनाता जाएगा और ऐसा ज्ञापन आयुक्त द्वारा अपने हाथ से लिखा और हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगाः

1. अब देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)।

Provided that, if the Commissioner is prevented from making such memorandum, he shall record the reason of his inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing from his dictation and shall sign the same, and such memorandum shall form part of the record:

Provided further that the evidence of any medical witness shall be taken down as nearly as may be word for word.

25A. Time limit for disposal of cases relating to compensation. – The Commissioner shall dispose of the matter relating to compensation under this Act within a period of three months from the date of reference and intimate the decision in respect thereof within the said period to the employee.

26.Costs.- All costs, incidental to any proceedings before a Commissioner, shall, subject to rules made under this Act, be in the discretion of the Commissioner.

27. Power to submit cases.- A Commissioner may, if he thinks fit, submit any question of law for the decision of the High Court and, if he does so, shall decide the question in conformity with such decision.

28. Registration of agreements.- (1) Where the amount of any lump sum payable as compensation has been settled by agreement, whether by way of redemption of a half-monthly payment or otherwise, or where any compensation has been so settled as being payable to a woman, or a person under a legal disability a memorandum thereof shall be sent by the employer to the Commissioner, who shall, on being satisfied as to its genuineness, record the memorandum in a register in the prescribed manner:

Provided that-

(a) no such memorandum shall be recorded before seven days after communication by the Commissioner of notice to the parties concerned;

(b) [* * *]

(c) the Commissioner may at any time rectify the register;

(d) where it appears to the Commissioner that an agreement as to the payment of a lump sum whether by way of redemption of a half-monthly payment or other wise, or an agreement as to the amount of compensation payable to a woman or a person under a legal disability ought not to be registered by reason of the inadequacy of the sum or amount, or by reason of the agreement having been obtained by fraud or undue influence or other improper means, he may refuse to record the memorandum of the agreement and may make such order, including an order as to any sum already paid under the agreement, as he thinks just in the circumstances.

(2) An agreement for the payment of compensation which has been registered under sub-section (1) shall be enforceable under this Act notwithstanding anything contained in the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), or in any other law for the time being in force.

29. Effect of failure to register agreement.- Where a memorandum of any agreement the registration of which is required by section 28, is not sent to the Commissioner as required by that section, the employer shall be liable to pay the full amount of compensa-

परन्तु यदि आयुक्त ऐसा ज्ञापन बनाने से निवारित हो जाता है तो वह ऐसा करने की अपनी असमर्थता का कारण अभिलिखित करेगा और स्वयं बोल कर ऐसा ज्ञापन लिखित रूप में तैयार कराएगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगाः

परन्तु यह और कि किसी चिकित्सीय साक्षी का साक्ष्य यावत्शक्य शब्दशः लिखा जाएगा ।

25क. प्रतिकर से संबंधित विषयों के निपटान के लिए समय सीमा.– आयुक्त, निर्देश की तारीख से, तीन मास की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर से संबंधित मामले का निपटान करेगा और कर्मचारी को उक्त अवधि के भीतर उसके संबंध में विनिश्चय के बारे में सूचित करेगा।

26. खर्चे.– आयुक्त के समक्ष की कार्यवाहियों के आनुषंगिक सभी खर्चे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए आयुक्त के विवेकाधीन होंगे ।

27. मामलों को निवेदित करने की शक्ति.– यदि आयुक्त उचित समझे तो वह विधि का प्रश्न विनिश्चय के लिए उच्च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो वह उस प्रश्न को ऐसे विनिश्चय के अनुरूप विनिश्चित करेगा ।

28. करारों का रजिस्ट्रीकरण.– (1) जहां कि प्रतिकर के रूप में संदेय कोई एकमुश्त राशि की रकम, करार द्वारा, चाहे अर्धमासिक संदायों से मोचन के तौर पर या अन्यथा, तय हो गई है या जहां कि कोई प्रतिकर इसी प्रकार तय हो गई है कि वह किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय है, वहां उसका एक ज्ञापन नियोजक द्वारा आयुक्त को भेजा जाएगा, जो उसके असली होने के विषय में अपना समाधान हो जाने पर ज्ञापन को रजिस्टर में विहित रूप में अभिलिखित करेगाः

परन्तु

(क) ऐसा कोई ज्ञापन आयुक्त द्वारा संबद्ध पक्षकारों को सूचना के संसूचित किए जाने के पश्चात् सात दिन से पहले अभिलिखित नहीं किया जाएगा;

(ख) [* * *]

(ग) आयुक्त किसी भी समय रजिस्टर को परिशुद्ध कर सकेगाः

(घ) जहां कि आयुक्त को प्रतीत हो कि किसी एकमुश्त राशि के संदाय के बारे में कोई करार, वह चाहे अर्धमासिक संदाय से मोचन के तौर पर हो या अन्यथा हो, या किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय प्रतिकर की रकम के बारे में कोई करार, राशि या रकम की अपर्याप्तता के कारण या कपट या असम्यक् असर या अन्य अनुचित साधनों द्वारा उस करार के अभिप्राप्त किए जाने के कारण रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए वहां वह करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इन्कार कर सकेगा और ऐसा आदेश जिसके अन्तर्गत करार के अधीन पहले दी गई किसी राशि के बारे में कोई आदेश आता है, कर सकेगा जैसा वह परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे ।

(2) प्रतिकर के संदाय के लिए जो करार उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है, वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रवर्तनीय होगा ।

29. करार को रजिस्ट्रीकृत कराने में असफल रहने का प्रभाव.– जहां कि ऐसे किसी करार का ज्ञापन, जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 28 द्वारा अपेक्षित है, उस धारा की अपेक्षानुसार आयुक्त को नहीं भेजा गया है वहां, नियोजक उस प्रतिकर की कुल रकम देने का दायी होगा जिसे वह इस अधिनियम

tion which he is liable to pay under the provisions of this Act, and notwithstanding anything contained in the proviso to sub-section (1) of section 4, shall not, unless the Commissioner otherwise directs, be entitled to deduct more than half of any amount paid to the workmen by way of compensation whether under the agreement or otherwise.

30. Appeals.- (1) An appeal shall lie to the High Court from the following orders of a Commissioner, namely:-

(a) an order awarding as compensation a lump sum whether by way of redemption of a half-monthly payment or otherwise or disallowing a claim in full or in part for a lump sum;

(aa) an order awarding interest or penalty under section 4-A;

(b) an order refusing to allow redemption of a half-monthly payment;

(c) an order providing for the distribution of compensation among the dependants of a deceased Employee, or disallowing any claim of a person alleging himself to be such dependant;

(d) an order allowing or disallowing any claim for the amount of an indemnity under the provisions of sub-section (2) of section 12; or

(e) an order refusing to register a memorandum of agreement or registering the same or providing for the registration of the same subject to conditions:

Provided that no appeal shall lie against any order unless a substantial question of law is involved in the appeal, and in the case of an order other than an order such as is referred to in clause (b), unless the amount in dispute in the appeal is not less than [ten hundred rupees:

Provided further that no appeal shall lie in any case in which the parties have agreed to abide by the decision of the Commissioner, or in which the order of the Commissioner gives effect to an agreement come to by the parties:

Provided further that no appeal by an employer under clause (a) shall lie unless the memorandum of appeal is accompanied by a certificate by the Commissioner to the effect that the appellant has deposited with him the amount payable under the order appealed against.

(2) The period of limitation for an appeal under this section shall be sixty days.

(3) The provisions of section 5 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), shall be applicable to appeals under this section.

31. Recovery.- The Commissioner may recover as an arrear of land-revenue any amount payable by any person under this Act, whether under an agreement for the payment of compensation or otherwise, and the Commissioner shall be deemed to be a public officer within the meaning of section 5 of the Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890).

के उपबन्धों के अधीन देने का दायी है और, जब तक कि आयुक्त अन्यथा, निर्दिष्ट न करे, वह किसी रकम की, जो प्रतिकर के तौर पर चाहे उसे करार के अधीन या अन्यथा, कर्मचारी को दी गई है, आधी से अधिक रकम काट लेने के लिए, धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी हकदार नहीं होगा ।

30. अपीलें.– (1) आयुक्त के निम्नलिखित आदेशों से अपील उच्च न्यायालय में होगी, अर्थात्:

(क) प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि को चाहे अर्धमासिक संदाय से मोचन के तौर पर या अन्यथा, अधिनिर्णीत करने वाला या एकमुश्त राशि के दावे को पूर्णतः या भागतः अननुज्ञात करने वाला आदेश;

(कक) धारा 4क के अधीन ब्याज या शास्ति अधिनिर्णीत करने वाला आदेश;

(ख) अर्धमासिक संदाय से मोचन अनुज्ञात करने से इन्कार करने वाला आदेश;

(ग) मृत कर्मचारी के आश्रितों के बीच प्रतिकर के वितरण का उपबन्ध करने वाला आदेश या किसी ऐसे व्यक्ति के दावे को जो यह अभिकथन करता हो कि वह ऐसा आश्रित है, अनुज्ञात करने वाला आदेश;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन क्षतिपूर्ति की रकम के किसी दावे को अनुज्ञात या अननुज्ञात करने वाला आदेश; अथवा

(ङ) करार के ज्ञापन को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार करने वाला या उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाला या यह उपबन्ध करने वाला कि उसका रजिस्ट्रीकरण शर्तों के अधीन होगा, आदेशः

परन्तु जब तक कि अपील में सारवान् विधि–प्रश्न अन्तर्वलित न हो, और खण्ड (ख) में यथानिर्दिष्ट आदेश से भिन्न आदेश की दशा में जब तक कि अपील में विवादग्रस्त रकम दस हजार रुपए या ऐसी उच्चतर रकम जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे से अन्यून न हो, आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगीः

परन्तु यह और कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें पक्षकारों ने आयुक्त के विनिश्चय का पालन करने के लिए कोई करार कर लिया है या जिसमें आयुक्त का आदेश पक्षकारों में हुए करार को प्रभावशाली करता है, कोई भी अपील नहीं होगीः

परन्तु यह और कि जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ आयुक्त द्वारा दिया गया इस भाव का प्रमाणपत्र न हो कि अपीलार्थी ने उसके पास वह रकम निक्षिप्त कर दी है जो उस आदेश के अधीन संदेय है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियोजक द्वारा खण्ड (क) के अधीन कोई भी अपील नहीं होगी

(2) इस धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमाकाल साठ दिन का होगा ।

(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 5 के उपबन्ध इस धारा के अधीन की अपीलों को लागू होंगे ।

31. वसूली.– आयुक्त किसी ऐसी रकम को, जो प्रतिकर के संदाय के किसी करार के अधीन या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय हो, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा और आयुक्त राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) की धारा 5 के अर्थ के अन्दर लोक अधिकारी समझा जाएगा ।

CHAPTER IV

Rules

32. Power of the State Government to make rules.- (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) for prescribing the intervals at which and the conditions subject to which an application for review may be made under section 6 when not accompanied by a medical certificate;

(b) for prescribing the intervals at which and the conditions subject to which a Employee may be required to submit himself for medical examination under sub-section (1) of section 11;

(c) for prescribing the procedure to be followed by Commissioners in the disposal of cases under this Act and by the parties in such cases;

(d) for regulating the transfer of matters and cases from one Commissioner to an other and the transfer of money in such cases;

(e) for prescribing the manner in which money in the hands of a Commissioner may be invested for the benefit of dependants of a deceased Employee and for the transfer of money so invested from one Commissioner to another;

(f) for the representation in proceedings before Commissioners of parties who are minors or are unable to make an appearance;

(g) for prescribing the form and manner in which memoranda of agreements shall be presented and registered;

(h) for the withholding by Commissioners, whether in whole or in part of half-monthly payments pending decision on applications for review of the same;

(i) for regulating the scales of costs which may be allowed in proceedings under this Act;

(j) for prescribing and determining the amount of the fees payable in respect of any proceedings before a Commissioner under this Act;

(k) for the maintenance by Commissioners of registers and records of proceedings before them;

(l) for prescribing the classes of employers who shall maintain notice-books under sub-section (3) of section 10, and the form of such notice-books;

(m) for prescribing the form of statement to be submitted by employers under section 10-A;

(n) for prescribing the cases in which the report referred to in section 10-B may be sent to an authority other than the Commissioner;

(o) for prescribing abstracts of this Act and requiring the employers to display notices containing such abstracts;

(p) for prescribing the manner in which diseases specified as occupational diseases

अध्याय 4

नियम

32. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्

(क) उन अन्तरालों और शर्तों को विहित करना जिन पर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन धारा 6 के अधीन किया जा सकेगा, यदि उसके साथ चिकित्सीय–प्रमाणपत्र न हो;

(ख) उन अन्तरालों और शर्तों को विहित करना, जिन पर कोई कर्मचारी चिकित्सीय परीक्षा कराने के लिए धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अपने को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किया जा सकेगा;

(ग) वह प्रक्रिया विहित करना जिसका अनुसरण इस अधिनियम के अधीन मामलों को निपटाने में आयुक्त द्वारा और ऐसे मामलों में पक्षकारों द्वारा किया जाना है;

(घ) एक आयुक्त से दूसरे को विषयों और मामलों के अन्तरण को और ऐसे मामलों में धन के अन्तरण को विनियमित करना;

(ङ) वह रीति विहित करना, जिसमें आयुक्त के पास के धन को किसी मृत कर्मचारी के आश्रितों के फायदे के लिए विनिहित किया जा सकेगा, और इस प्रकार विनिहित धन एक आयुक्त से किसी अन्य आयुक्त को अन्तरित करना;

(च) आयुक्तों के समक्ष की कार्यवाहियों में ऐसे पक्षकारों का प्रतिनिधित्व जो अप्राप्तवय है या हाजिर होने में असमर्थ है;

(छ) वह प्ररूप और रीति विहित करना जिसमें करारों के ज्ञापन उपस्थित किए जाएंगे और रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे;

(ज) अर्धमासिक संदायों के पुनर्विलोकन के आवेदनों पर विनिश्चय होने तक उन संदायों का आयुक्त द्वारा पूर्णतः या भागतः विधारित रखा जाना,

(झ) इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों में जो खर्च अनुज्ञात किए जा सकेंगे उनके मापमान विनियमित करना;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के समक्ष की कार्यवाहियों के संबंध में देय फीसों की रकम विहित और अवधारित करना;

(ट) आयुक्तों द्वारा अपने समक्ष की कार्यवाहियों के रजिस्टरों और अभिलेखों का रखा जाना;

(ठ) उन नियोजकों के वर्ग जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन सूचना–पुस्तकें रखेंगे और ऐसी सूचना–पुस्तकों के प्ररूप विहित करना;

(ड) नियोजकों द्वारा धारा 10क के अधीन निवेदित किए जाने वाले विवरण का प्ररूप विहित करना;

(ढ) उन मामलों को विहित करना, जिनमें धारा 10ख में निर्दिष्ट रिपोर्ट आयुक्त से भिन्न प्राधिकारी को भेजी जा सकेगी;

(ण) इस अधिनियम की संक्षिप्तियां विहित करना और ऐसी संक्षिप्तियों को अन्तर्विष्ट करने वाली सूचनाएं संप्रदर्शित करने की नियोजकों से अपेक्षा करना;

(त) वह रीति विहित करना जिसमें उपजीविकाजन्य रोगों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए रोगों

may be diagnosed;

(q) for prescribing the manner in which diseases may be certified for any of the purposes of this Act;

(r) for prescribing the manner in which, and the standards by which, incapacity may be assessed.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

33. [***]

34. Publication of rules.- (1) The power to make rules conferred by section 32shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication.

(2) The date to be specified in accordance with clause (3) of section 23 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as that after which a draft of rules proposed to be made under section 32 will be taken into consideration, shall not be less than three months from the date on which the draft of the proposed rules was published for general information.

(3) Rules so made shall be published in the Official Gazette , and, on such publication, shall have effect as if enacted in this Act.

35. Rules to give effect to arrangements with other countries for the transfer of money paid as compensation. -(1)The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for the transfer to any foreign country of money deposited with a Commissioner under this Act which has been awarded to or may be due to, any person residing or about to reside in such foreign country and for the receipt, distribution and administration in any State of any money deposited under the law relating to workmen compensation in any foreign country, which has been awarded to, or may be due to any person residing or about to reside in any State:

Provided that no sum deposited under this Act in respect of fatal accidents shall be so transferred without the consent of the employer concerned until the Commissioner receiving the sum has passed orders determining its distribution and apportionment under the provisions of sub-sections (4) and (5) of section 8.

(2) Where money deposited with a Commissioner has been so transferred in accordance with the rules made under this section, the provisions elsewhere contained in this Act regarding distribution by the Commissioner of compensation deposited with him shall cease to apply in respect of any such money.

36. Rules made by Central Government to be laid before Parliament. - Every rule made under this Act by the Central Government shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

का निदान किया जा सकेगा;

(थ) वह रीति विहित करना जिसमें रोगों को इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रमाणित किया जा सकेगा;

(द) वह रीति विहित करना जिसमें और वे मानक जिनके अनुसार असामर्थ्य का निर्धारण किया जा सकेगा

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

33. [***]

34. नियमों का प्रकाशन.– (1) धारा 32 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएं ।

(2) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 23 के खण्ड (3) के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली वह तारीख, जिसके पश्चात् उन नियमों के प्रारूप पर विचार किया जाएगा जो धारा 32 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्थापित हों, उस तारीख से तीन मास कम की न होगी जिसको प्रस्थापित विनियमों का प्रारूप सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था ।

(3) इस प्रकार बनाए गए नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर ऐसा प्रभाव रखेंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित हों ।

35. प्रतिकर के रूप में दिए गए धन के अन्तरण के लिए अन्य देशों के साथ किए गए ठहरावों को क्रियान्वित करने के लिए नियम.–(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के पास निक्षिप्त ऐसे धन को, जो ऐसे व्यक्ति को अधिनिर्णीत हुआ हो या शोध्य हो जो किसी विदेश में निवास करता है या करने जा रहा है, ऐसे विदेश में अन्तरित को क्रियान्वित करने के लिए नियम अंतरित करने के लिए, और कर्मचारियों के प्रतिकर से सम्बन्धित विधि के अधीन निक्षिप्त किसी ऐसे धन की, जो किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनिर्णीत हुआ हो, या शोध्य हो जो किसी राज्य में निवास करता है या करने जा रहा है, किसी राज्य में प्राप्ति वितरण और प्रशासन के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी;

परन्तु प्राणान्तक दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन निक्षिप्त कोई भी राशि, संपृक्त नियोजक की सम्मति के बिना, तब तक ऐसे अन्तरित न की जाएगी जब तक राशि प्राप्त करने वाले आयुक्त ने धारा 8 की उपधाराओं (4) और (5) के उपबन्धों के अधीन उसके वितरण और प्रभाजन को अवधारित करने वाला आदेश पारित न कर दिया हो ।

(2) जहां कि आयुक्त के पास निक्षिप्त धन, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार इस प्रकार अन्तरित कर दिया गया है वहां, आयुक्त के पास निक्षिप्त प्रतिकर के स्वयं उसके द्वारा वितरण के सम्बन्ध में इस अधिनियम में अन्यत्र अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे किसी धन के विषय में लागू रह जाएंगे ।

36. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना.– इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

SCHEDULE I

[See sections 2(1) and (4)]

PART I

List of Injuries deemed to result in Permanent Total Disablement

Serial No.	Description of Injury	Percentage of loss of earning capacity
1.	Loss of both hands or amputation at higher sites	100
2.	Loss of a hand and a foot	100
3.	Double amputation through leg or thigh, or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot	100
4.	Loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye-sight is essential	100
5.	Very severe facial disfigurement	100
6.	Absolute deafness	100

PART II

List of Injuries deemed to result in Permanent Total Disablement

Serial No.	Description of Injury	Percentage of loss of earning capacity
	Amputation cases—upper limbs (either arm)	
1.	Amputation through shoulder joint	*90*
2.	Amputation below shoulder with stump less than 20.32 Cms.from tip of acromion	80
3.	Amputation form 20.32 Cms. from tip of acromion to less than 11.43 Cms. below tip of olecranon	70
4.	Loss of a hand or of the thumb and four fingers of one hand or amputation from 11.43 Cms. below tip of olecranon	60
5.	Loss of thumb	30
6.	Loss of thumb and its metacarpal bone	40
7.	Loss of four fingers of one hand	50
8.	Loss of Three fingers of one hand	30
9.	Loss of two fingers of one hand	20
10.	Loss of terminal phalanx of thumb	20
10A.	Guillotine amputation of tip of thumb without loss of bone	10
	Amputation cases—lower limbs	
11.	Amputation of both feet resulting in end bearing stumps	90
12.	Amputation through both feet proximal to the metatars ophalangeal joint	80

अनुसूची 1
(धारा 2(1) और 4 देखिए)
भाग 1
उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण आंशिक निःशक्तता हुई हैं

क्रम संख्यांक	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
1	दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्थानों पर विच्छेदन	100
2	एक हाथ और एक पाद की हानि	100
3	टांग या ऊरु से दोहरा विच्छेदन, या एक ओर टांग या उरु से विच्छेदन और दूसरे पाद की हानि	100
4	दृक् शक्ति की इस विस्तार तक हानि कि दावेदार ऐसा कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है जिसके लिए दृक् शक्ति आवश्यक है	100
5	चेहरे की बहुत गम्भीर विद्रूपता	100
6	पूर्ण बधिरता	100

भाग 2
उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण आंशिक निःशक्तता हुई है

क्रम संख्यांक	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
	विच्छेदन के मामले–ऊर्ध्व शाखा (कोई भी भुजा)	
1	स्कन्ध संधि से विच्छेदन	90
2.	स्कन्ध से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक अंसकूट के सिरे के 20.32 से०मी० से कम हो	80
3	अंसकूट के सिरे से 20.32 से०मी० से कूर्पर के सिरे के नीचे 11.43 से०मी० से कम तक विच्छेदन	70
4.	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे और चारों अंगुलियों की हानि, या कूर्पर के सिरे से 11.43 से०मी० से नीचे विच्छेदन	60
5.	अंगूठे की हानि	30
6.	अंगूठे की और उसकी करभ–अस्थि की हानि	40
7.	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि	50
8.	एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि	30
9.	एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि	20
10.	अंगूठे की अन्तिम अंगुलि–अस्थि की हानि	20
10क.	अस्थि की हानि के बिना अंगूठे के सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	10
	विच्छेदन के मामले––अधःशाखा	
11.	दोनों पादों का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	90
12.	प्रपदानगुलि–अस्थि संधि से दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	80

Serial No.	Description of Injury	Percentage of loss of earning capacity
13.	Loss of all toes of both feet through the metatarso-phalangeal joint	40
14.	Loss of all toes of both feet proximal to the proximal inter-phalangeal joint	30
15.	Loss of all toes of both feet distal to the proximal inter-phalangeal joint	20
16.	Amputation at hip	90
17.	Amputation below hip with stump not exceeding 12.70 Cms. in length measured from tip of greats trenchanter	80
18.	Amputation below hip with stump exceeding 12.70 Cms. in length measured from tip of great trenchanter but not beyond middle thigh	70
19.	Amputation below middle thigh to 8.89 Cms.below knee	60
20.	Amputation below knee with stump exceeding 8.89 Cms. but not exceeding 12.70 Cms.	50
21.	Amputation below knee with stump exceeding 12.70 Cms	50
22.	Amputation of one foot resulting in end bearing	50
23.	Amputation through on foot proximal to the metatarso-phalangeal joint	50
24.	Loss of all toes of one foot through the metatarso phalangeal joint	20
	Other injuries	
25.	Loss of one eye, without complications, the other being normal	40
26.	Loss of vision of one eye, without complications or disfigurement of eye-ball, the other being normal	30
26A.	Loss of partial vision of one eye	10
	A—Fingers of right or left hand Index finger	
27.	Whole	14
28.	Two phalanges	11
29.	One phalanx	09
30.	Guillotine amputation of time without loss of bone.	05
	Middle finger	
31.	Whole	1
32.	Two phalanges	9
33.	One phalanx	7
34.	Guillotine amputation of time without loss of bone.	4

क्रम सख्याक	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
13.	प्रपंदागुलि–अस्थि संधि से दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	40
14.	निकटस्थ अन्तरांगुलि–अस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	30
15.	निकटस्थ अंतरांगुलि–अस्थि संधि से दूर दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	20
16.	नितम्ब पर विच्छेदन	90
17.	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक बृहत् उरु–अस्थि के सिरे से नापे जाने पर 12.70 से०मी० से अधिक लम्बा न हो	80
18.	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक वृह्त उरु–अस्थि के सिरे से नापे जाने पर 8.89 से०मी० से अधिक लम्बा हो, किन्तु मध्योरु से आगे न हो	70
19.	मध्योरु के नीचे से घुटने के 8.89 से०मी० नीचे तक विच्छेदन.	60
20.	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक 8.89 से०मी० से अधिक हो, किन्तु 5" से अधिक न हो.	50
21.	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक 12.70 से०मी० से अधिक हो	50
22.	एक पाद का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग–मात्र रह जाए	50
23.	प्रपदांगुलि–अस्थि संधि के निकट से एक पाद का विच्छेदन	50
24.	प्रपदांगुलि–अस्थि संधि से एक पद की सब अंगुलियों की हानि	20
	अन्य क्षतियां	
25.	एक नेत्र की हानि, जब कि कोई अन्य उपद्रव न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	40
26.	एक नेत्र की दृष्टि की हानि, जब कि नेत्रगोलक में उपद्रव या विद्रूपता न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	30
26क.	एक नेत्र की आंशिक दृष्टि की हानि	10
	निम्नलिखित की हानि––	
	क–दाएं या बाएं हाथ की अंगुलियां तर्जनी	
27.	सम्पूर्ण	14
28.	दो अंगुलि–अस्थियां	11
29.	एक अंगुलि–अस्थि	9
30.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	5
	मध्यमा	
31.	सम्पूर्ण	12
32.	दो अंगुली–अस्थियां	9
33.	एक अंगुलि–अस्थि	7
34.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	4

Serial No.	Description of Injury	Percentage of loss of arning capacity
	Ring or little finger	
35.	Whole	7
36.	Two phalanges	6
37.	One phalanx	5
38.	Guillotine amputation of time without loss of bone.	2
	B.—Toes of right or left foot Great toe	
39.	Through metatarso-phalangcal joint	14
40.	Part, with some loss of bone	3
	Any other toe	
41.	Through metatarso-phalangcal joint	3
42.	Part, with some loss of bone	1
	Two toes of one foot, excluding great toe	
43.	Through metatarso-phalangcal joint	5
44.	Part, with some loss of bone	2
	Three toes of one foot, excluding great toe	
45.	Through metatarso-phalangcal joint	6
46.	Part, with some loss of bone	3

Note.—Complete and permanent loss of the use of any limb or member referred to in the Schedule shall be deemed to be the equivalent of the loss of that limb or member.

SCHEDULE II

[See section 2(1) (n)]

List of Persons who, subject to the provisions of Section 2 (1) (dd), are included in the definition Employees

The following persons ae workmen within the meaning of section 2 (1) (n) and subject to the provisions of that section, that is to say, any person who is—

(i) employed, otherwise than in a clerical capacity or on a railway, in connection with the operation, repair or maintenance of a lift or a vehicle propelled by steam or other mechanical power or by electricity or in connection with the loading or unloading of any such vehicle; or

(ii) employed, otherwise than in a clerical capacity, in any prmises wherein or within the precincts whereof a manufacturing process as defined in clause (k) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), is being carried on, or in any kind of work whatsoever incidental to or made, whether or not employment in any such work is within such premises or precincts and steam, water or other mechanical power or electrical power is used; or

क्रम सख्याक	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
	अनामिका या कनिष्ठिका	
35.	सम्पूर्ण	7
36.	दो अंगुली–अस्थियां	6
37.	एक अंगुलि–अस्थि	5
38.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	2
	ख–दाएं या बाएं पाद की अंगुलियां	
	अंगूठा	
39.	प्रपदांगुलि–अस्थि संधि से	14
40.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3
	कोई अन्य अंगुलि	
41.	प्रपदांगुलि–अस्थि संधि से	3
42.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	1
	अंगूठे को छोड़कर एक पाद की दो अंगुलियां	
43.	प्रपदांगुलि–अस्थि संधि से	5
44.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	2
	अंगूठे को छोड़कर एक पाद की तीन अंगुलियां	
45.	प्रपदांगुलि–अस्थि संधि से	6
46.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3
	अंगूठे को छोड़कर एक पाद की चार अंगुलियां	
47.	प्रपदांगुलि–अस्थि संधि से	9
48.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3

टिप्पणी – इस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अंग या अवयव के उपयोग की पूर्ण तथा स्थायी हानि या उस अंग या अवयव की हानि के समतुल्य समझी जाएगी।

अनुसूची 2

(2(धारा 2(1) (घघ)) देखिए)

उन व्यक्तियों की सूची, जो कर्मचारी की परिभाषा के अन्तर्गत धारा 2(1) (घघ) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आते हैं

निम्नलिखित व्यक्ति, धारा (2) (1) (घघ) के अर्थ के अन्दर और उस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कर्मचारी हैं, अर्थात् कोई व्यक्ति जो–

(i) रेल में नियोजित किसी लिफ्ट या वाष्प या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत द्वारा नोदित यान को चलाने उसकी मरम्मत करने या उसके अनुरक्षण के संबंध में या ऐसे किसी यानपर लदाई या उस पर से उतराई के संबंध में नियोजित है; अथवा

(ii) उस परिसर में जिसमें या जिसकी प्रसीमाओं के अन्दर कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित विनिर्माण–प्रक्रिया चलाई जा रही है, या ऐसे किसी भी प्रकार के ऐसे काम में, जो ऐसी किसी विनिर्माण–प्रक्रिया या निर्मित वस्तु का आनुषंगिक या उससे संबद्ध है और जिसमें वाष्प, जल या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत् शक्ति प्रयुक्त होती है, नियोजित है चाहे ऐसे किसी काम में नियोजन ऐसे परिसर में या प्रसीमाओं के अन्दर हो या न हो; अथवा

(iii) employed for the purpose of making, altering, repairing, ornamenting, finishing or otherwise adapting for use, transport or sale any article or part of an article in any premises wherein or within the precincts whereof twenty or more persons are so employed;

Explanation.—For the purposes of this clause, persons employed outside such premises or precincts but in any work incidental to, or connected, with, the work relating to making, altering, repairing, ornamenting, finishing or otherwise adapting for use, transport or sale of any article or part of an article shall be deemed to be employed within such premises or precincts; or

(iv) employed in the manufacture or handling of explosives in connection with the employer's trade or business; or

(v) employed, in any mine as defined in clause (j) of section 2 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), in any mining operation or in any kind of work other than clerical work, incidental to or connected with any mining operation or with the mineral obtained, or in any kind of work whatsoever below ground; or

(vi) employed as the master or as a seaman of—

(a) any ship which is propelled wholly or in part by steam or other mechanical power or by electricity or which is towed or intended to be towed by a ship so propelled; or

(b) [***]

(c) any sea going ship not included in sub-clause (a) or sub-clause (b) provided with sufficient area for navigation under sails alone; or

(vii) employed for the purpose of—

(a) loading, unloading, fuelling, constructing, repairing, demolishing, cleaning or painting any ship of which he is not the master or a member of the crew, or handling or transport within the limits of any port subject to the Ports Act, 1908 (15 of 1908), or the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), of goods which have been discharged from or are to be loaded into any vessel; or

(b) warping a ship through the lock; or

(c) mooring and unmooring ships at harbour wall berths or in pier; or

(d) removing or replacing dry dock caisoons when vessels are entering or leaving dry docks; or

(e) the docking or undocking of any vessel during an emergency; or

(f) preparing splicing coir springs and check wires, painting depth marks on locksides, removing or replacing fenders whenever necessary, landing of gangways, maintaining lifebuoys up to standard or any other maintenance work of a like nature; or

(g) any work on jolly-boats for bringing a ships line to the wharf; or

(iii) वस्तु या किसी वस्तु के भाग के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिरूपण के प्रयोजन के लिए, अथवा उपयोग, परिवहन या विक्रय के लिए उसे अन्यथा अनुकूलित करने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे परिसर में नियोजित है ;

स्पष्टीकरण.–ऐसे परिसर या प्रसीमाओं के बाहर, किन्तु ऐसे किसी कार्य में, जो किसी वस्तु या किसी वस्तु के भाग के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण या परिरूपण से, अथवा उपयोग, परिवहन या विक्रय के लिए उसे अन्यथा अनुकूलित करने से संबंधित किसी कार्य का आनुषंगिक या उससे संबंधित है, नियोजित व्यक्ति इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे परिसर या प्रसीमाओं के अंदर नियोजित समझे जाएंगे; अथवा

(iv) नियोजक के व्यवसाय या कारबार के संबंध में विस्फोटकों के विनिर्माण या हथालने में नियोजित हैं; अथवा

(v) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथापरिभाषित किसी खान में किसी खनन संक्रिया में अथवा किसी खनन संक्रिया के या अभिप्राप्त खनिज के आनुषंगिक या उससे संसक्त किसी प्रकार के काम में, या भूमि के नीचे किसी भी प्रकार के काम में नियोजित है; अथवा

(vi)

(क) पूर्णतः या भागतः वाष्प द्वारा या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत द्वारा नोदित पोत के, या ऐसे पोत के, जो इस प्रकार नोदित पोत द्वारा अनुकर्षित किया जाता है, या जिसका ऐसे अनुकर्षित किया जाना आशयित है, अथवा

(ख) [***]

(ग) उपखंड (क) के अन्तर्गत न आने वाले किसी ऐसे समुद्रगामी पोत के, जिसके लिए केवल पालों द्वारा नौचालन के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपबन्धित है,

मास्टर या नाविक के रूप में नियोजित है; अथवा

(vii)

(क) किसी ऐसे पोत पर, जिसका वह मास्टर या कर्मीदल का सदस्य नहीं है, लदाई, उससे उतराई, उसमें ईंधन डालने, उसका सन्निर्माण करने, उसकी मरम्मत करने, उसे तोड़ डालने, साफ करने या उसका रंग–रोगन करने के प्रयोजन के लिए, या जो माल किसी जलयान से उतारा गया है, या किसी जलयान में लादा जाना है, उस माल को, पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) या महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के अध्यधीन रहते हुए, किसी पत्तन की सीमाओं के अन्दर हथालने या उसका परिवहन करने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(ख) पोत को जलबन्ध से होकर खींचने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(ग) बन्दरगाह भित्तिबर्थों पर या प्रस्तंभों में पोतों के लंगर डालने या उठाने के प्रयोजनों के लिए, अथवा

(घ) जब जलयान सूखे डॉक में प्रवेश करे या उसे छोड़े तब सूखे डॉक के केसूनों को हटाने या पुनः रखने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(ङ) किसी जलयान को आपात की दशा में डॉक में लाने या वहां से ले जाने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(च) कयर की पलास रसियां और रोक–तार तैयार करने, जलबन्धों पर गहराई चिह्न रंगने, जब कभी आवश्यक हो तब चपलानों को हटाने या पुनः रखने, सीढ़ियां लगाने, मानक पर्यन्त रक्षाबोयों या तद्रुप किसी अन्य अनुरक्षण–संकर्म को बनाए रखने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(viii) employed in the construction, maintenance, repair or demolition of—

(a) any building which is designed to be or is or has been more than one storey in height above the ground or twelve feet or more from the ground level to the apex of the roof; or

(b) any dam or embankment which is twelve feet or more in height from its lowest to its highest point; or

(c) any road, bridge, tunnel or canal; or

(d) any wharf, quay, sea wall or other marine work including any moorings of ships; or

(ix) employed in setting up, maintaining repairing or taking down any telegraph or telephone line or post or any overhead electricline or cable or standard or fittings and fixtures for the same; or

(x) employed, otherwise than in a clerical capacity, in the construction, working, repair or demolition of any aerial ropeway, canal, pipeline or sewer; or

(xi) employed in the service of any fire brigade; or

(xii) employed upon a railway as defined in clause (31) of section 2 and sub-section (1) of section 197 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), either directly or through a sub-contractor, by a person fulfilling a contract with the railway administration; or

(xiii) employed as an inspector, mail guard, sorter or van peon in the Railway Mail Service or as a telegraphist or as a postal or railway signaller, or employed in any occupation ordinarily involving out door work in the Indian Posts and Telegraphs Department; or

(xiv) employed, otherwise than in a clerical capacity, in connection with operation for winning natural petroleum or natural gas; or

(xv) employed in any occupation involving blasting operations; or

(xvi) employed in the making of any excavation or explosives have been used, or whose depth from its highest to its lowest point exceeds twelve feet; or

(xvii) employed in the operation of any ferry boat capable of carrying more than ten persons; or

(xviii) employed on any estate which is maintained for the purpose of growing cardamom, cinchona, coffee, rubber or tea; or

(xix) employed, in the generating, transforming, transmitting or distribution of electrical energy or in generation or supply of gas; or

(xx) employed in a lighthouse as defined in clause (d) of section 2 of

(छ) पोत की रस्सी को घाट तक लाने के लिए डोंगियों पर किसी काम के प्रयोजन के लिए नियोजित है;

(viii)

(क) किसी ऐसे भवन के, जो भूमि के ऊपर ऊंचाई में एक मंजिल से अधिक या भूमि तल से लेकर छत के शिखाग्र तक बारह फुट या उससे अधिक होने के लिए परिकल्पित है या रहा है, अथवा

(ख) किसी ऐसे बांध या तटबन्ध के, जो अपने निम्नतम बिन्दु से लेकर उच्चतम बिन्दु तक ऊंचाई में बारह फुट या उससे अधिक है, अथवा

(ग) किसी सड़क, पुल, सुरंग या नहर के, अथवा

(घ) किसी घाट, पोतघाट, समुद्र–भित्ति या अन्य समुद्री संकर्म के, जिसके अन्तर्गत पोतों के लंगर डालने का स्थान आता है, सन्निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत या तोड़ने में नियोजित है; अथवा

(ix) किसी टेलीग्राफ टेलिफोन लाइन या उसके खम्बे या किसी शिरोपरि विद्युत लाइन या केबिल या खम्बे या दण्ड या उनके लिए फिटिंग और फिक्सचर को स्थापित करने, अनुरक्षित रखने, उनकी मरम्मत करने, या उतार लेने में नियोजित है; अथवा

(x) किसी आकाशी रज्जु–मार्ग, नहर, पाइप लाइन या मलनाली के सन्निर्माण, उसको क्रियाशील रखने, उसकी मरम्मत करने, या उसे तोड़ने में, नियोजित है; अथवा

(xi) किसी अग्नि–शामक दल की सेवा में नियोजित है; अथवा

(xii) रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (31) और धारा 197 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित रेल में ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो रेल प्रशासन के साथ किसी संविदा की पूर्ति कर रहा है, सीधे या किसी उप ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है; अथवा

(xiii) निरीक्षक, डाक–रक्षक, डाक छांटने वाले या वैन पियन के रूप में रेल डाक–सेवा में या तार संकेतक के रूप में या डाक या रेल के सिर–नेलर के रूप में नियोजित है, या भारतीय डाक और तार विभाग में किसी ऐसी उपजीविका में, जिसमें मामूली तौर पर बाहर का काम अन्तर्वलित हो, नियोजित है; अथवा

(xiv) प्राकृतिक पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने की क्रियाओं के सम्बन्ध में, नियोजित है; अथवा

(xv) ऐसी किसी उपजीविका में, जिसमें विस्फोटक संक्रियाएं अन्तर्वलित हों, नियोजित है; अथवा

(xvi) ऐसे उत्खन्न करने में नियोजित है, या विस्फोटक प्रयुक्त किए गए हैं या जिसकी गहराई उसके उच्चतम बिन्दु से लेकर निम्नतर बिन्दु तक बारह फुट से अधिक हैं; अथवा

(xvii) दस व्यक्तियों से अधिक को वहन करने योग्य पार नौका चलाने में नियोजित है; या

(xviii) किसी भू–संपदा में नियोजित, जिसका अनुरक्षण इलायची, सिनकोना, कॉफी, रबड़ या चाय उगाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है; या

(xix) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपान्तरण, पारेषण या वितरण में अथवा गैस के उत्पादन या प्रदाय में नियोजित है; अथवा

the Indian Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927); or

(xxi) employed in producing cinematograph pictures intended for public exhibition or in exhibiting such pictures; or

(xxii) employed in the training, keeping or working of elephants or wild animals; or

(xxiii) employed in the tapping of palm-trees or the felling or logging of trees, or the transport of timber by inland waters, or the control or extinguishing of forest fires; or

(xxiv) employed in operations for the catching or hunting of elephants or other wild animals; or

(xxv) employed as a diver; or

(xxvi) employed in the handling or transport of goods in, or within the precincts of,—

(a) any warehouse or other place in which goods are stored, or

(b) any market ,or

(xxvii) employed in any occupation involving the handling and manipulation of radium or X-rays apparatus, or contact with radio-active substances; or

(xxviii) employed in or in connection with the construction, erection, disman tling, operation or maintenance of an aircraft as defined in section 2 of the Indian Aircraft Act, 1934 (22 of 1934); or

(xxix) employed in horticultural operations, forestry, bee-keeping or farming" by tractors or other contrivances driven by steam or other mechanical power or by electricity; or

(xxx) employed, in the construction, working, repair or maintenance of a tubewell; or

(xxxi) employed in the maintenance, repair or renewal of electric fittings in any building; or

(xxxii) employed in a circus.

(xxxiii) employed as watchman in any factory or establishment; or

(xxxiv) employed in any operation in the sea for catching fish; or

(xxxv) employed in any employment which requires handling of snakes for the purpose of extraction of venom or for the purpose of looking after snakes or handling any other poisonous animal or insect; or

(xxxvi) employed in handling animals like horses, mules and bulls; or

(xxxvii) employed for the purpose of loading or unloading an mechanically propelled vehicle or in the handling or transport of goods which have been loaded in such vehicles; or

(xxxviii) employed in cleaning of sewer lines or septic tanks within the limits of a local authority; or

(xxxix) employed on surveys and investigation, exploration or gauge or discharge observation of rivers including drilling operations, hydrological observations and flood forecasting activities ground water surveys and exploration; or

(xx) भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 2 के खण्ड (ध) में यथापरिभाषित दीपस्तंभ में नियोजित है; अथवा

(xxi) लोक–प्रदर्शन के लिए आशयित चलचित्रों के निर्माण में, या ऐसे चित्रों को प्रदर्शित करने में नियोजित है; अथवा

(xxii) हाथियों या जंगली जीव–जन्तुओं के प्रशिक्षण, पालने या उनसे काम लेने में, नियोजित है; अथवा

(xxiii) ताड़ के पेडों से रस निकालने या वृक्षों को गिराने या उनसे लट्ठे बनाने में या अन्तर्देशीय जल द्वारा काष्ठ के परिवहन में, या दावानल के नियंत्रण या बुझाने में नियोजित हैं; अथवा

(xxiv) हाथियों या अन्य जंगली जीव–जन्तुओं को पकड़ने या उनका शिकार करने की संक्रियाओं में नियोजित है; अथवा

(xxv) गोताखोर के रूप से नियोजित है; अथवा

(xxvi)

(क) किसी ऐसे भाण्डागार या अन्य स्थान की, जिसमें माल भंडारित किया जाता है; 2द। अथवा

(ख) किसी ऐसे बाजार की, 2द। प्रसीमाओं में, या के अन्दर माल हथालने या उसका परिवहन करने में नियोजित है; अथवा

(xxvii) किसी ऐसी उपजीविका में, जिसमें रेडियम या एक्स–रे साधित्र को हथालाना या उसका अभिचालन या रेडियों ऐक्टिव पदार्थों का संस्पर्श अन्तर्वलित है, नियोजित है; अथवा

(xxviii) भारतीय वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 2 में यथापरिभाषित वायुयान के सन्निर्माण, बनाने, खोल डालने, चालन या अनुरक्षण में या उसके संबंध में नियोजित है; अथवा

(xxix) ट्रेक्टरों या अन्य यंत्रों द्वारा, जो वाष्प या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा या विद्युत द्वारा चलते हैं, उद्यान–कृषि संक्रियाओं, बनोद्योग, मधुमक्खी पालन या खेती करने में नियोजित है; अथवा

(xxx) नलकूप के निर्माण, चालन, मरम्मत या अनुरक्षण में, नियोजित है; अथवा

(xxxi) किसी भवन में विद्युत फिटिंग के अनुरक्षण, मरम्मत या नवीकरण में नियोजित है; अथवा

(xxxii) सरकस में नियोजित है

(xxxiii) किसी कारखाने या स्थापन में चौकीदार के रूप में नियोजित है; अथवा

(xxxiv) समुद्र में मछली पकड़ने की किसी संक्रिया में नियोजित है; अथवा

(xxxv) किसी ऐसे रोजगार में नियोजित है जिसमें विष निकालने के प्रयोजन के लिए या सांपों की देखभाल करने के प्रयोजन के लिए सांपों को हथालने अथवा किसी विषैले जीव–जन्तु या कीट को हथालने की अपेक्षा की जाती है; अथवा

(xxxvi) घोड़ों, खच्चरों और सांड जैसे जीव–जन्तुओं के हथालने संबंधी काम में नियोजित है; अथवा

(xxxvii) किसी यंत्रनोदित यान में लदाई या उससे उतराई के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे माल की, जिसकी ऐसे यानों में लादाई की गई है, उठाई–धराई करने में या उसका परिवहन करने में नियोजित है; अथवा

(xxxviii) किसी स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर मल नालियों या सेप्टिक टैंकों की सफाई में नियोजित है; अथवा

(xxxix) सर्वेक्षण और अन्वेषण, खोज अथवा नदियों के मापन या निस्सारण प्रेक्षण में नियोजित है, जिसके अंतर्गत संवर्धन संक्रियाएं, जल विज्ञानीय प्रेक्षण तथा बाढ़ पूर्वानुमान क्रियाकलाप भूगर्भ–जल सर्वेक्षण और खोज हैं;

(xl) employed in cleaning of jungles or reclaiming land or ponds2***; or

(xli) employed in cultivation of land or rearing and maintenance of live-stock or forest operations of fishing ,or

(xlii) employed in installation, maintenance or repair of pumping equipment used for lifting of water from wells, tubewells, ponds, lakes, streams and the like; or

(xliii) employed in the construction, boring or deepening of an open well or dug well, bore well, bore-cum-dug well, filter point and the like; or

(xliv) employed in spraying and dusting of insecticides or pesticides in agricultural operations or plantations; or

(xlv) employed in mechanised harvesting and threshing operations; or

(xlvi) employed in working or repair or maintenance of bulldozers, tractors, power tillers and the like; or

(xlvii) employed as artist for drawing pictures on advertisement boards at a height of 3.66 metres or more from the ground level; or

(xlviii) employed in any newspaper establishment as defined in the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 and engaged in outdoor work;

(xlix) employed as divers for work under water.

SCHEDULE III

(See section 3)

LIST OF OCCUPATIONAL DISEASES

Serial No. (1)	Occupational disease (2)		Employment (3)
	PART A		
1.	Infectious and parasitic diseases contracted in an occupation where there is a particular risk of contamination.	(a)	All work involving exposure to health or laboratory work;
		(b)	All work involving exposure to veterinary work;
		(c)	Work relating to handling animals, animal carcasses, part of such car casses, or merchandise which may have been contaminated by ani mals or animal carcasses;
		(d)	Other work carrying a particu-lar risk of contamination.
2.	Diseases caused by work in compressed air.		All work involving exposure to the risk concerned.
3.	Diseases caused by lead or its toxic compounds.		All work involving exposure to the risk concerned.

(xl) ऐसे जंगलों के साफ करने में अथवा भूमि या तालाबों के ठीक करने में नियोजित है;

(xli) ऐसी भूमि पर खेती करने में या पशु धन के पालन–पोषण तथा अनुरक्षण या वन संक्रियाओं या मछली पकड़ने में नियोजित है;

(xlii) कूपों, नलकूपों, तालाबों, झीलों, जल धाराओं तथा वैसे ही स्त्रोतों से जल उत्थापन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पंपिंग उपस्कर के संस्थापन, अनुरक्षण या मरम्मत में नियोजित हैं;

(xliii) किसी खुले कूप या खोदे गए कूप, बोर कूप, बोर तथा खोदे गए बूथ फिल्टर पाइंट और वैसे ही बोरिंग संन्निर्माण, या उन्हें गहरा करने में नियोजित हैं;

(xliv) कृषि संक्रियाओं या बागानों में कीटनाशी या नाशक जीव मार के फुहारन करने और उसके धूल झाड़न में नियोजित हैं;

(xlv) यांत्रिक फसल कटाई और गहाई संक्रियाओं में नियोजित हैं;

(xlvi) बुलडोजरों, ट्रेक्टरों, पावर टिलरों तथा वैसी ही मशीनों के चालन या मरम्मत या अनुरक्षण में नियोजित हैं;

(xlvii) भूमि तल से 3.66 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर विज्ञापन बोर्डों पर चित्र बनाने के लिए कलाकार के रूप में नियोजित हैं;

(xlviii) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) में परिभाषित किसी समाचारपत्र स्थापन में नियोजित हैं और बाह्य कार्य में लगे हैं;

(xlix) पानी के भीतर कार्य के लिए गोताखोरों के रूप में नियोजित।

अनुसूची 3

(धारा 3 देखिए)

उपजीविकाजन्य रोगों की सूची

क्र.सं. (1)	उपजीविकाजन्य रोग (2)		नियोजन (3)
	भाग क		
1.	संक्रामक और परजीवी रोग, जो उस उपजीविका से हुआ हो जहां संदूषण की विशिष्ट जोखिम हो ।	(क)	सभी कार्य जो स्वास्थ्य या प्रयोगशाला कार्य के लिए उच्छन्न करते हों;
		(ख)	सभी कार्य जो पशु–चिकित्सा कार्य के लिए उच्छन्न करते हों ।
		(ग)	जीव–जन्तुओं, जीव–जन्तु शवों, ऐसे शवों के भागों या व्यापारिक माल के; जो जीव–जन्तुओं या जीव–जन्तु शवों द्वारा संदूषित हो गया हो, हथालने से संबंधित कार्य;
		(घ)	अन्य कार्य जिसमें संदूषण की विशिष्ट जोखिम हो ।
2.	संपीड़ित वायु में कार्य द्वारा कारित रोग ।		सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
3.	सीसा या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।		सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।

4.	Poisoning by nitrous fumes.	All work involving exposure to the risk concerned.
5.	Poisoning by organo phosphorus compounds.	All work involving exposure to the risk concerned.

PART B

1.	Diseases caused by phosphorus or its toxic compounds.	All work involving exposure to the risk concerned.
2.	Diseases caused by mercury or its toxic compounds.	All work involving exposure to the risk concerned.
3.	Diseases caused by benzene or its toxic homologues.	All work involving exposure to the risk concerned.
4.	Diseases caused by nitro and amido toxic derivatives of benzine or its homologues.	All work involving exposure to the risk concerned.
5.	Diseases caused by chromium, or its toxic compounds.	All work involving exposure to the risk concerned.
6.	Diseases caused by arsenic or its toxic compounds.	All work involving exposure to the risk concerned.
7.	Diseases caused by radioactive substances and ionising radiations.	All work involving exposure to the action of radioactive sub - sances or ionising radiations.
8.	Primary epitheliomatous cancer of the skin, caused by tar, pitch, bitumen, mineral oil, anthracene, or the compounds, products or residues of these substances.	All work involving exposure to the risk concerned.
9.	Disease caused by the toxic halogen derivatives of hydrocarbons (of the aliphatic and aromatic series).	All work involving exposure to the risk concerned.
10.	Diseases caused by carbon disulphide.	All work involving exposure to the risk concerned.
11.	Occupational cataract due to infra-red radiations.	All work involving exposure to the risk concerned.
12.	Diseases caused by manganese or its toxic compounds.	All work involving exposure to the risk concerned.
13.	Skin diseases caused by physical, chemical or biological agents not included in other items.	All work involving exposure to the risk concerned.
14.	Hearing impairment caused by noise.	All work involving exposure to the risk concerned
15.	Poisoning by dinitrophenol or a homologue or by substituted dinitrophenol or by the salts of such substances.	All work involving exposure to the risk concerned.

4.	नाइट्रस धूमों द्वारा विषाक्तता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
5.	कार्बनिक फास्फोरस सम्मिश्रणों द्वारा विषाक्तता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।

भाग ख

1.	फास्फोरस या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
2.	पारद या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
3.	बैनजीन या उसके विषैले समजातों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
4.	नाइट्रो और बैनजीन के एसिडों विषैले व्युत्पन्नों या उसके समजातों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
5.	क्रोमियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
6.	संखिया या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
7.	रेडियो एक्टिव पदार्थों और आयनकारी विकिरणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो रेडियोएक्टिव पदार्थों या आयत कारी विकिरणों के लिए उच्छन्न करते हों ।
8.	तारकोल, डामर, बिटूमेन, खनिज तेल, एन्थ्रसीन या इन पदार्थों के सम्मिश्रणों; उत्पादों या अवशेषों द्वारा कारित त्वचा का प्राथमिक उपकला–बुंदयुक्त कैंसर ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
9.	(ऐलिफैटिक एनडेरोमेटिक आवलियों के) हाइड्रोकार्बनों के विषैले हैलोजेन व्युत्पन्नों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
10.	कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
11.	अवरक्त विकिरणों से उत्पन्न उपजीविका जन्य मोतियाबिन्द ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
12.	मैंगनीज या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
13.	शारीरिक, रासायनिक या जैविक कारकों द्वारा, जो अन्य मदों में सम्मिलित नहीं हैं; कारित त्वचा रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
14.	शोर द्वारा कारित श्रवण हानि ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
15.	प्रतिस्थापी डाइनाट्रोफीनॉल या ऐसे पदार्थों के लवणों द्वारा विषाक्तता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।

16. Diseases caused by beryllium or its toxic compounds.	All work involving exposure to the risk concerned.
17. Diseases caused by cadmium or its toxic compounds.	All work involving exposure to the risk concerned.
18. Occupational asthma caused by recognised sensitising agents inherent to the work process.	All work involving exposure to the risk concerned.
19. Diseases caused by fluorine or its toxic compounds.	All work involving exposure to the risk concerned.
20. Diseases caused by nitroglycerine or other nitroacid esters.	All work involving exposure to the risk concerned.
21. Diseases caused by alcohols and ketones.	All work involving exposure to the risk concerned.
22. Diseases caused by asphyxiants carbon monoxide, and its toxic derivatives, hydrogen sulfide.	All work involving exposure to the risk concerned.
23. Lung cancer and mesotheliomas caused by asbestos.	All work involving exposure to the risk concerned.
24. Primary neoplasm of the epithelial lining of the urinary bladder or the kidney or the ureter.	All work involving exposure to the risk concerned.
25. Snow blindness in snow bound areas.	All work involving exposure to the risk concerned.
26. Disease due to effect of heat in extreme cold climate.	All work involving exposure to the risk concerned.
27. Disease due to effect of cold in extreme cold climate.	All work involving exposure to the risk concerned.

PART C

1. Pneumoconioses caused by sclerogenic mineral dust (silicosis, anthraoosilicosis, asbestosis) and silico-tuberculosis provided that silicosis is an essential factor in causing the resultant incapacity or death.	All work involving exposure to the risk concerned.
2. Bagassosis.	All work involving exposure to the risk concerned.
3. Bronchopulmonary diseases caused by cotton, flax hemp and sisal dust (Byssinosis).	All work involving exposure to the risk concerned.
4. Extrinsic allergic alveelitis caused by the inhalation of organic dusts.	All work involving exposure to the risk concerned.
5. Bronchopulmonary diseases caused by hard metals.	All work involving exposure to the risk concerned.

16. बेरिलियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
17. कैडिमियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
18. कार्य प्रक्रिया में अन्तर्विष्ट मान्यताप्राप्त सुग्राही कारकों द्वारा कारित उजीविका–जन्य दमा ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
19. फ्लुओरी या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
20. नाइट्रोग्लिसरीन या अन्य नाइट्रोएसिड ऐस्टरों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
21. एलकोहॉलों और कीटोनों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
22. श्वासरोध, कार्बनमोनोक्साइड और उसके विषैले व्युत्पन्नों, हाईड्रोजन सल्फाइड द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
23. एस्बैस्टॉस द्वारा कारित फेफड़ा कैंसर और मीजिथीलिओमा ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
24. मूत्राशय या वृक्क या मूत्रवाहिनी की एपिथिलिअल लाइनिंग का प्राथमिक अर्बुद ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
25. बरफ से घिरे क्षेत्रों में हिमांधता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
26. अत्यंत गरम जलवायु में गर्मी के प्रभाव से उत्पन्न रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
27. अत्यंत ठंडी जलवायु में ठंड के प्रभाव से उत्पन्न रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों

भाग ग

1. स्क्लेरोजेनिक खनिज धूल (सिलिकोसिस एन्थ्रासिलिकोसिस एस्बेस्टौसिस) द्वारा कारित फुफ्फुस–धूलिमयता और सिकता यक्षमा परन्तु यह कि सिकतामयता परिणामी निर्योग्यता या मृत्यु कारित करने में आवश्यक घटक हो ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
2. इक्षुधूलिमयता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
3. रूई, फ्लैक्स हैम्प और सीसल धूलि (बिसिनोसिस) द्वारा कारित श्वासनी फुफ्फुस रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
4. कार्बनिक धूल के अभिश्वसन द्वारा कारित बहिरस्थ एलर्जी एल्बियोलाइटीज	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
5. कठोर धातुओं द्वारा कारित श्वसनी–फुफ्फुस ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।

SCHEDULE IV

(See section 4)

Factors for working out Lump Sum Equivalent of Compensation Amount in case of Permanent Disablement and Death

Completed years of age on the last birthday of the Employee immediately preceding the date on which the compensation fell due (1)	Factors (2)
not more than 16.	228.54
not more than 17	227.49
not more than 18	226.38
not more than 19	225.22
not more than 20	224.00
not more than 21	222.71
not more than 22	221.37
not more than 23	219.95
not more than 24	218.47
not more than 25	216.91
not more than 26	215.28
not more than 27	213.57
not more than 28	211.79
not more than 29	209.92
not more than 30	207.98
not more than 31	205.95
not more than 32	203.85
not more than 33	201.66
not more than 34	199.40
not more than 35	197.06
not more than 36	194.64
not more than 37	192.14
not more than 38	189.56
not more than 39	186.90
not more than 40	184.17
not more than 41	181.37

अनुसूची 4

(धारा 4 देखिए)

स्थायी निःशक्तता और मृत्यु की दशा में प्रतिकर को रकम के एक मुश्त समतुल्य रकम निकालने के लिए गुणक

कर्मचारी को प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती उसके अन्तिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्षों की संख्या	गुणक
(1)	(2)
16. से अधिक नहीं.	228.54
17. से अधिक नहीं.	227.49
18. से अधिक नहीं.	226.38
19. से अधिक नहीं.	225.22
20. से अधिक नहीं.	224.00
21. से अधिक नहीं.	222.71
22. से अधिक नहीं.	221.37
23. से अधिक नहीं.	219.95
24. से अधिक नहीं.	218.47
25. से अधिक नहीं.	216.91
26. से अधिक नहीं.	215.28
27. से अधिक नहीं.	213.57
28. से अधिक नहीं.	211.79
29. से अधिक नहीं.	209.92
30. से अधिक नहीं.	207.98
31. से अधिक नहीं.	205.95
32. से अधिक नहीं.	203.85
33. से अधिक नहीं.	201.66
34. से अधिक नहीं.	199.40
35. से अधिक नहीं.	197.06
36. से अधिक नहीं.	194.64
37. से अधिक नहीं.	192.14
38. से अधिक नहीं.	189.56
39. से अधिक नहीं.	186.90
40. से अधिक नहीं.	184.17
41. से अधिक नहीं.	181.37
42. से अधिक नहीं.	178.49

not more than 42 .... 178.49
not more than 43 .... 175.54
not more than 44 .... 172.52
not more than 45 .... 169.44
not more than 46 .... 166.29
not more than 47 .... 163.07
not more than 48 .... 159.80
not more than 49 .... 156.47
not more than 50 .... 153.09
not more than 51 .... 149.67
not more than 52 .... 146.20
not more than 53 .... 142.68
not more than 54 .... 139.13
not more than 55 .... 135.56
not more than 56 .... 131.95
not more than 57 .... 128.33
not more than 58 .... 124.70
not more than 59 .... 121.05
not more than 60 .... 117.41
not more than 61 .... 113.77
not more than 62 .... 110.14
not more than 63 .... 106.52
not more than 64 .... 102.93
65 or more 99.3

43. से अधिक नहीं.	175.54
44. से अधिक नहीं.	172.52
45. से अधिक नहीं.	169.44
46. से अधिक नहीं.	166.29
47. से अधिक नहीं.	163.07
48. से अधिक नहीं.	159.80
49. से अधिक नहीं.	156.47
50. से अधिक नहीं.	153.09
51.से अधिक नहीं.	149.67
52. से अधिक नहीं.	146.20
53. से अधिक नहीं.	142.68
54. से अधिक नहीं.	139.13
55. से अधिक नहीं.	135.56
56. से अधिक नहीं.	131.95
57. से अधिक नहीं.	128.33
58. से अधिक नहीं.	124.70
59. से अधिक नहीं.	121.05
60. से अधिक नहीं.	117.41
61. से अधिक नहीं.	113.77
62. से अधिक नहीं.	110.14
63. से अधिक नहीं.	106.52
64. से अधिक नहीं.	102.93
65 या अधिक.	99.37

The Minimum Wages Act, 1948

(11 Of 1948)

[15th March, 1948]

(All amendments have been duly incorporated at their respective places and are not separately indicated.)

An Act to provide for fixing minimum rates of wages in certain employments.

Whereas it is expedient to provide for fixing minimum rates of wages in certain employments;

It is hereby enacted as follows:

1. Short title and extent .-(1) This Act may be called The Minimum Wages Act, 1948.

(2) It extends to the whole of India.

2. Interpretation .-In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "adolescent" means a person who has completed his fourteenth year of age but has not completed his eighteenth year;

(aa) "adult" means a person who has completed his eighteenth year of age;

(b) "appropriate Government" means,-

(i) in relation to any scheduled employment carried on by or under the authority of the Central Government or a railway administration, or in relation to a mine, oilfield or major port, or any corporation established by a Central Act, the Central Government, and

(ii) in relation to any other scheduled employment, the State Government;

(bb) "child" means a person who has not completed his fourteenth year of age;

(c) "competent authority" means the authority appointed by the appropriate Government by notification in its Official Gazette to ascertain from time to time the cost of living index number applicable to the employees employed in the scheduled employments specified in such notification;

(d) "cost of living index number", in relation to employees in any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed, means the index number ascertained and declared by the competent authority by notification in the Official Gazette to be the cost of living index number applicable to employees in such employment;

(e) "employer" means any person who employs, whether directly or through an other person, or whether on behalf of himself or any other person, one or more employees in any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed under this Act, and includes, except in sub-section (3) of section 26,-

(i) in a factory where there is carried on any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed under this Act, any person named under clause (f) of sub-section (1) of section 7 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), as manager of the factory;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

(1948 का अधिनियम संख्यांक 11)

(15 मार्च, 1948)

(सभी संशोधनों को उनके संबंधित स्थानों पर विधिवत सम्मिलित किया गया है और उन्हें अलग से प्रदर्शित नहीं किया गया है।)

कतिपय नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

कतिपय नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने का उपबन्ध करना समीचीन है;

अतः एतद्‌द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता हैः –

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.–(1) यह अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

2. निर्वचन.–इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो–

(क) "कुमार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है, किन्तु अपना अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;

(कक) वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अपनी आयु का अठारहवां वर्ष पूरा कर लिया है;

(ख) समुचित सरकार" से–

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी रेल प्रशासन द्वारा या इनमें से किसी के प्राधिकार के अधीन चलाए गए किसी अनुसूचित नियोजन के सम्बन्ध में, या किसी खान, तेल–क्षेत्र या महापत्तन के, या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार; तथा

(ii) किसी अन्य अनुसूचित नियोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(खख) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अपनी आयु का चौदहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;

(ग) "समक्ष प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे समुचित सरकार ने, अपने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को लागू निर्वाह–व्यय सूचकांक को समय–समय पर अभिनिश्चित करने के लिए, नियुक्त किया है ।

(घ) "निर्वाह–व्यय सूचकांक" से, किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में के, जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी हैं, कर्मचारियों के सम्बन्ध में, वह सूचकांक अभिप्रेत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे नियोजन में के कर्मचारियों को लागू होने वाला निर्वाह –व्यय सूचकांक, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अभिनिश्चित और घोषित किया है;

(ङ) "नियोजक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से एक या अधिक कर्मचारियों को किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में, जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिनियम के अधीन नियत की जा चुकी हैं, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, नियोजित करता है, और धारा 26 की उपधारा (3) में के सिवाय, उसके अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैंः –

(i) किसी ऐसे कारखाने में, जहां कोई ऐसा अनुसूचित नियोजन, जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिनियम के अधीन नियत की जा चुकी हैं, चलता है, वह व्यक्ति जो, (कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन कारखाने के प्रबन्धक के रूप में नामित है;

(ii) in any scheduled employment under the control of any Government in India in respect of which minimum rates of wages have been fixed under this Act, the person or authority appointed by such Government for the supervision and control of employees or where no person or authority is so appointed, the head of the department;

(iii) in any scheduled employment under any local authority in respect of which minimum rates of wages have been fixed under this Act, the person appointed by such authority for the supervision and control of employees or where no person is so appointed, the chief executive officer of the local authority;

(iv) in any other case where there is carried on any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed under this Act, any person responsible to the owner for the supervision and control of the employees or for the payment of wages;

(f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(g) "scheduled employment" means an employment specified in the Schedule, or any process or branch of work forming part of such employment;

(h) "wages" means all remuneration, capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of the contract of employment, express or implied, were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment or of work done in such employment and includes house rent allowance, but does not include-

(i) the value of-

(a) any house accommodation, supply of light, water, medical attendance, or

(b) any other amenity or any service excluded by general or special order of the appropriate Government;

(ii) any contribution paid by the employer to any Pension Fund or Provident Fund or under any scheme of social insurance;

(iii) any travelling allowance or the value of any travelling concession;

(iv) any sum paid to the person employed to defray special expenses en tailed on him by the nature of his employment; or

(v) any gratuity payable on discharge;

(i) "employee" means any person who is employed for hire or reward to do any work, skilled or unskilled, manual or clerical, in a scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed; and includes an out-worker to whom any articles or materials are given out by another person to be made up, cleaned, washed, altered, ornamented, finished, repaired, adapted or otherwise processed for sale for the purposes of the trade or business of that other person where the process is to be carried out either in the home of the out-worker or in some other premises not being premises under the control and management of that other person; and also includes an employee declared to be an employee by the appropriate Government; but does not include any member of the Armed Forces of the Union.

(ii) भारत में की किसी सरकार के नियंत्रण के अधीन के किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में, जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिनियम के अधीन नियत की जा चुकी हैं वह व्यक्ति या प्राधिकारी, जिसे कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उस सरकार ने नियुक्त किया है, या जहां कि इस प्रकार कोई व्यक्ति या प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है वहां विभागाध्यक्ष;

(iii) किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन के किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में, जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिनियम के अधीन नियत की जा चुकी हैं, वह व्यक्ति, जिसे कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उस प्राधिकारी ने नियुक्त किया है, या जहां कि इस प्रकार कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है वहां उस स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक आफिसर;

(iv) किसी अन्य दशा में, जिसमें कि कोई ऐसा अनुसूचित नियोजन चलता है, जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिनियम के अधीन नियत की जा चुकी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, जो कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए या मजदूरी का संदाय करने के लिए स्वामी के प्रति उत्तरदायी है;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूचित नियोजन" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियोजन या वह प्रसंस्करण या काम की शाखा, जो ऐसे नियोजन का भाग हो, अभिप्रेत है;

(ज) "मजदूरी" से धन के रूप में अभिव्यक्त हो सकने वाला वह सभी पारिश्रमिक अभिप्रेत है जो यदि नियोजन–संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धनों की पूर्ति हो गई होती तो नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की बाबत या ऐसे नियोजन में किए गए काम की बाबत संदेय होता और इसके अन्तर्गत गृहभाटक भत्ता आता है, किन्तु निम्नलिखित इसके अन्तर्गत नहीं आते–

(i) (क) गृह–वास–सुविधा का, रोशनी, जल और चिकित्सीय परिचर्या के प्रदाय का, अथवा

(ख) समुचित सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपवर्जित किसी अन्य सुख–सुविधा या सेवा का, मूल्य;

(ii) कोई ऐसा अभिदाय, जिसका संदाय नियोजक ने किसी पेंशन निधि या भविष्य–निधि में या सामाजिक बीमे की किसी स्कीम के अधीन किया है;

(iii) कोई यात्रा–भत्ता या किसी यात्रा–रियायत का मूल्य;

(iv) नियोजित व्यक्ति को ऐसे विशेष व्यय चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि, जो उसे अपने नियोजन की प्रकृति के कारण उठाने पड़ें; अथवा

(v) सेवोन्मोचन पर संदेय उपदान ।

(झ) "कर्मचारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऐसे अनुसूचित नियोजन में, जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी हैं, कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिकीय काम, भाड़े या इनाम पर करने के लिए नियोजित है, और इसके अन्तर्गत ऐसा बाह्य कर्मकार आता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई वस्तुएं या सामग्री उस अन्य व्यक्ति के व्यवसाय या कारबार के प्रयोजन के लिए विक्रयार्थ तैयार करने, साफ करने, धोने, परिवर्तित करने, अलंकृत करने, परिरूपित करने, मरम्मत करने, अनुकूलित करने या अन्यथा प्रसंस्कृत करने के लिए उस दशा में दे दी जाती है जिसमें कि वह प्रसंस्करण या तो उस बाह्य कर्मकार के घर में या किसी ऐसे अन्य परिसर में किया जाता है, जो उस अन्य व्यक्ति के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन न हो; और इसके अन्तर्गत ऐसा कर्मचारी भी आता है जिसे समुचित सरकार ने कर्मचारी घोषित किया है; किन्तु इसके अन्तर्गत (संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य नहीं आता है ।

3. Fixing of minimum rates of wages .-(1) The appropriate Government shall, in the manner hereinafter provided,-

(a) fix the minimum rates of wages payable to employees employed in an employ ment specified in Part I or Part II of the Schedule and in an employment added to either Part by notification under section 27:

Provided that the appropriate Government may, in respect of employees employed in an employment specified in Part II of the Schedule, instead of fixing minimum rates of wages under this clause for the whole State, fix such rates for a part of the State or for any specified class or classes of such employment in the whole State or part thereof;

(b) review at such intervals as it may think fit, such intervals not exceeding five years, the minimum rates of wages so fixed and revise the minimum rates, if necessary:

Provided that where for any reason the appropriate Government has not reviewed the minimum rates of wages fixed by it in respect of any scheduled employment within any interval of five years, nothing contained in this clause shall be deemed to prevent it from reviewing the minimum rates after the expiry of the said period of five years and revising them, if necessary, and until they are so revised the minimum rates in force immediately before the expiry of the said period of five years shall continue in force.

(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the appropriate Government may refrain from fixing minimum rates of wages in respect of any scheduled employment in which there are in the whole State less than one thousand employees engaged in such employment, but if at any time, the appropriate Government comes to a finding after such inquiry, as it may make or cause to be made in this behalf, that the number of employees in any scheduled employment in respect of which it has refrained from fixing minimum rates of wages has risen to one thousand or more, it shall fix minimum rates of wages payable to employees in such employment as soon as may be after such finding.

(2) The appropriate Government may fix,-

(a) a minimum rate of wages for time work (hereinafter referred to as "a minimum time rate");

(b) a minimum rate of wages for piece work (hereinafter referred to as "a minimum piece rate");

(c) a minimum rate of remuneration to apply in the case of employees employed on piece work for the purpose of securing to such employees a minimum rate of wages on a time work basis (hereinafter referred to as "a guaranteed time rate");

(d) a minimum rate (whether a time rate or a piece rate) to apply in substitution for the minimum rate which would otherwise be applicable, in respect of overtime work done by employees (hereinafter referred to as "overtime rate").

(2-A) Where in respect of an industrial dispute relating to the rates of wages payable to any of the employees employed in a scheduled employment, any proceeding is pending before a Tribunal or National Tribunal under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), or before any like authority under any other law, for the time being in force, or an award made by any Tribunal, National Tribunal or such authority is in operation, and a notifica-

3. मजदूरी की न्यूनतम दरों का नियत किया जाना.–(1) समुचित सरकार, एतस्मिन्पश्चात् उपबन्धित रीति से–

(क) उस मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करेगी जो अनुसूची के भाग 1 या भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में और ऐसे नियोजन में, जो दोनों में से किसी भी भाग में धारा 27 के अधीन अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया हो, नियोजित कर्मचारियों को संदेय है:

परन्तु समुचित सरकार, अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित कर्मचारियों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें सम्पूर्ण राज्य के लिए इस खण्ड के अधीन नियत करने के बजाय ऐसी दरें उस राज्य के किसी भाग के लिए या सम्पूर्ण राज्य में या उसके भाग में ऐसे नियोजन के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के लिए नियत कर सकेगी;

(ख) इस प्रकार नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनर्विलोकन पांच वर्ष से अनधिक के ऐसे अन्तरालों पर करेगी जैसे वह ठीक समझे और, यदि आवश्यक हो तो, उन न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करेगी:

परन्तु जहां कि समुचित सरकार ने किसी अनुसूचित नियोजन की बाबत अपने द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनर्विलोकन किसी कारण से पांच वर्षों के किसी अन्तराल के भीतर नहीं किया है, वहां इस खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी भी बात की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह उसे इस बात से निवारित करती है कि न्यूनतम दरों का पुनर्विलोकन और यदि आवश्यक हो तो पुनरीक्षण पांच वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् करे, और पांच वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त न्यूनतम दरें, जब तक कि उनका ऐसे पुनरीक्षण नहीं किया जाता है, प्रवृत्त बनी रहेंगी ।

(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन की बाबत, जिसमें ऐसे नियोजन में लगे हुए कर्मचारी उस सम्पूर्ण राज्य में एक हजार से कम हों, मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करने से विरत रह सकेगी, किन्तु यदि समुचित सरकार किसी भी समय ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह इस निमित्त करे या कराए, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में, जिसकी बाबत यह मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करने से विरत रही है, कर्मचारियों की संख्या एक हजार या उससे अधिक हो गई है, तो वह ऐसे नियोजन में के कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें ऐसे निष्कर्ष के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नियत करेगी ।

(2) समुचित सरकार–

(क) कालानुपाती काम के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर (जिसे एतस्मिन्पश्चात् "न्यूनतम कालानुपाती दर" कहा गया है);

(ख) मात्रानुपाती काम के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर (जिसे एतस्मिन्पश्चात् "न्यूनतम मात्रानुपाती कालानुपाती दर" कहा गया है);

(ग) ऐसे कर्मचारियों की, जो मात्रानुपाती काम पर नियोजित हैं, कालानुपाती काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दरें सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उन कर्मचारियों की दशा में लागू होने के लिए पारिश्रमिक की न्यूनतम दर (जिसे एतस्मिन्पश्चात् "प्रत्याभूत कालानुपाती दर" कहा गया है);

(घ) उस न्यूनतम दर के स्थान में, जो कर्मचारी द्वारा किए गए अतिकालिक काम की बाबत अन्यथा लागू हो, लागू होने के लिए न्यूनतम दर (चाहे वह कालानुपाती दर हो या मात्रानुपाती दर), (जिसे एतस्मिन्पश्चात्, "अतिकालिक दर" कहा गया है),

नियत कर सकेगी ।

(2क) जहां कि किसी अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों में से किसी को संदेय मजदूरी की दरों से सम्बद्ध किसी औद्योगिक विवाद की बाबत कोई कार्यवाही, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वैसे ही किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है या किसी अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण या ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई अधिनिर्णय प्रवर्तन में है, और उस अनुसूचित नियोजन की बाबत

tion fixing or revising the minimum rates of wages in respect of the scheduled employment is issued during the pendency of such proceeding or the operation of the award, then, notwithstanding anything contained in this Act, the minimum rates of wages so fixed or so revised shall not apply to those employees during the period in which the proceeding is pending and the award made therein is in operation or, as the case may be, where the notification is issued during the period of operation of an award, during that period; and where such proceeding or award relates to the rates of wages payable to all the employees in the scheduled employment, no minimum rates of wages shall be fixed or revised in respect of that employment during the said period.

(3) In fixing or revising minimum rates of wages under this section,-

(a) different minimum rates of wages may be fixed for-

(i) different scheduled employments;

(ii) different classes of work in the same scheduled employment;

(iii) adults, adolescents, children and apprentices;

(iv) different localities;

(b) minimum rates of wages may be fixed by any one or more of the following wage-periods, namely:-

(i) by the hour,

(ii) by the day,

(iii) by the month, or

(iv) by such other larger wage-period as may be prescribed,

and where such rates are fixed by the day or by the month, the manner of calculating wages for a month or for a day, as the case may be, may be indicated:

Provided that where any wage-periods have been fixed under section 4 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), minimum wages shall be fixed in accordance therewith.

4. Minimum rate of wages .-(1) Any minimum rate of wages fixed or revised by the appropriate Government in respect of scheduled employments under section 3 may consist of-

(i) a basic rate of wages and a special allowance at a rate to be adjusted, at such intervals and in such manner as the appropriate Government may direct, to accord as nearly as practicable with the variation in the cost of living index number applicable to such workers (hereinafter referred to as the "cost of living allowance"); or

(ii) a basic rate of wages with or without the cost of living allowance, and the cash value of the concessions in respect of supplies of essential commodities at con cession rates, where so authorised; or

(iii) an all-inclusive rate allowing for the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessions, if any.

(2) The cost of living allowance and the cash value of the concessions in respect of supplies of essential commodities at concession rates shall be computed by the competent authority at such intervals and in accordance with such directions as may be specified or given by the appropriate Government.

मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत या पुनरीक्षित करने वाली अधिसूचना, ऐसी कार्यवाही के लम्बित रहने या अधिनिर्णय के प्रवृत्त रहने के दौरान निकाली जाए वहां, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मजदूरी की वे न्यूनतम दरें, जो इस प्रकार नियत या इस प्रकार पुनरीक्षित की जाएं, उस कालावधि के दौरान जिसमें वह कार्यवाही लम्बित है और उसमें किया गया अधिनिर्णय प्रवर्तन में है, अथवा, यथास्थिति, जहां कि अधिसूचना किसी अधिनिर्णय के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान निकाली जाए वहां उस कालावधि के दौरान, उन कर्मचारियों को लागू नहीं होगी, और जहां कि ऐसी कार्यवाही या अधिनिर्णय का सम्बन्ध उस अनुसूचित नियोजन में लगे हुए सभी कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की दरों से हो वहां मजदूरी की कोई भी न्यूनतम दरें उस नियोजन की बाबत उक्त कालावधि के दौरान नियत या पुनरीक्षित नहीं की जाएंगी ।

(3) इस धारा के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करने या पुनरीक्षित करने में, –

(क) मजदूरी की विभिन्न न्यूनतम दरें–

(i) विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के लिए,

(ii) एक ही अनुसूचित नियोजन में काम के विभिन्न वर्गों के लिए,

(iii) वयस्कों, कुमारों, बालकों और शिक्षुओं के लिए,

(iv) विभिन्न परिक्षेत्रों के लिए,

नियत की जा सकेंगी;

(ख) मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नलिखित मजदूरी–कालावधियों में से किसी एक या अधिक के हिसाब से, अर्थात्–

(i) घण्टे के हिसाब से,

(ii) दिन के हिसाब से,

(iii) मास के हिसाब से, अथवा

(iv) ऐसी अन्य दीर्घतर मजदूरी–कालावधि के हिसाब से, जैसी विहित की जाए,

नियत की जा सकेगी

और जहां कि ऐसी दर दिन के हिसाब से या मास के हिसाब से नियत की जाए वहां, यथास्थिति, एक मास की या एक दिन की मजदूरी की गणना की रीति उपदर्शित की जा सकेगी :

परन्तु जहां कि कोई मजदूरी–कालावधियां मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 4 के अधीन नियत की जा चुकी हैं, वहां न्यूनतम मजदूरी तदनुसार नियत की जाएगी ।

4. मजदूरी की न्यूनतम दर.–(1) अनुसूचित नियोजनों की बाबत धारा 3 के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियत या पुनरीक्षित की गई मजदूरी की न्यूनतम दर निम्नलिखित से मिल कर बन सकेगी–

(i) की मूल दर और ऐसे कर्मकारों को लागू निर्वाह–व्यय सूचकांक में हुए फेरफार के यथासाध्य अनुसार होने के लिए ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जिसे समुचित सरकार निदिष्ट करे, समायोजित की जाने वाली दर पर विशेष भत्ता (जिसे एत्स्मिन्पश्चात् "निर्वाह–व्यय भत्ता" कहा गया है); अथवा

(ii) निर्वाह–व्यय भत्ते सहित या बिना, मजदूरी की मूल दर और आवश्यक वस्तुओं के रियायती दरों पर प्रदायों की बाबत, जहां कि वे इस प्रकार प्राधिकृत किए गए हों, रियायत का नकद मूल्य; अथवा

(iii) ऐसी सर्व–समावेशी दर जिसमें मूल दर की, निर्वाह–व्यय भत्ते की और यदि कोई रियायतें दी गई हों तो उनके नकद मूल्य की गुंजाइश रखी गई हो ।

(2) निर्वाह–व्यय भत्ता और आवश्यक वस्तुओं के रियायती दरों पर प्रदायों की बाबत रियायतों का नकद मूल्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे निदेशों के अनुसार, जैसे समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या दिए जाएं, संगणित किए जाएंगे ।

5. Procedure for fixing and revising minimum wages .-(1) In fixing minimum rates of wages in respect of any scheduled employment for the first time under this Act or in revising minimum rates of wages so fixed, the appropriate Government shall either-

(a) appoint as many committees and sub-committees as it considers necessary to hold enquiries and advise it in respect of such fixation or revision, as the case may be, or

(b) by notification in the Official Gazette, publish its proposals for the information of persons likely to be affected thereby and specify a date, not less than two months from the date of the notification, on which the proposals will be taken into consideration.

(2) After considering the advice of the committee or committees appointed under clause (a) of sub-section (1), or as the case may be, all representations received by it before the date specified in the notification under clause (b) of that sub-section, the appropriate Government shall, by notification in the Official Gazette, fix, or, as the case may be, revise the minimum rates of wages in respect of each scheduled employment, and unless such notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of three months from the date of its issue:

Provided that where the appropriate Government proposes to revise the minimum rates of wages by the mode specified in clause (b) of sub-section (1), the appropriate Government shall consult the Advisory Board also.

6. [***]

7. Advisory Board .-For the purpose of co-ordinating the work of [committees and sub-committees appointed under section 5] and advising the appropriate Government generally in the matter of fixing and revising minimum rates of wages, the appropriate Government shall appoint an Advisory Board.

8. Central Advisory Board .-(1) For the purpose of advising the Central and [State Governments]in the matters of the fixation and revision of minimum rates of wages and other matters under this Act and for co-ordinating the work of the Advisory Boards, the Central Government shall appoint a Central Advisory Board.

(2) The Central Advisory Board shall consist of persons to be nominated by the Central Government representing employers and employees in the scheduled employments, who shall be equal in number, and independent persons not exceeding one-third of its total number of members; one of such independent persons shall be appointed the Chairman of the Board by the Central Government.

9. Composition of committees, etc .-Each of the committees, sub-committees, and the Advisory Board shall consist of persons to be nominated by the appropriate Government representing employers and employees in the scheduled employments, who shall be equal in number, and independent persons not exceeding one-third of its total number of members; one of such independent persons shall be appointed the Chairman by the appropriate Government.

10. Correction of errors .-(1) The appropriate Government may, at any time, by notification in the Official Gazette, correct clerical or arithmetical mistakes in any order fixing or revising minimum rates of wages under this Act, or errors arising therein from any accidental slip or omission.

(2) Every such notification shall, as soon as may be after it is issued, be placed before the Advisory Board for information.

11. Wages in kind .-(1) Minimum wages payable under this Act shall be paid in cash.

5. न्यूनतम मजदूरी नियत करने और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया.–(1) किसी अनुसूचित नियोजन की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार नियत करने में या इस प्रकार नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने में समुचित सरकार या तो–

(क) यथास्थिति, ऐसे नियत किए जाने की या पुनरीक्षण की बाबत जांच करने और अपने को सलाह देने के लिए इतनी समितियां और उप–समितियां नियुक्त करेगी जितनी वह आवश्यक समझे, अथवा

(ख) अपनी प्रस्थापनाओं को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उनसे प्रभावित होना सम्भाव्य है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रकाशित करेगी और अधिसूचना की तारीख से कम से कम दो मास के पश्चात् की कोई ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगी जिसको उन प्रस्थापनाओं पर विचार किया जाएगा ।

(2) समुचित सरकार, यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त समिति या समितियों की सलाह पर या उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उसे प्राप्त सब अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् हर एक अनुसूचित नियोजन की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, नियत या पुनरीक्षित करेगी और जब तक कि ऐसी अधिसूचना अन्यथा उपबन्ध न करे, वह निकाले जाने की तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रवृत्त होगी :

परन्तु जहां कि समुचित सरकार मजदूरी की न्यूनतम दरों को उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग से पुनरीक्षित करने की प्रस्थापना करती है वहां समुचित सरकार सलाहकार बोर्ड से भी परामर्श करेगी ।

6. [***]

7. सलाहकार बोर्ड.– धारा 5 के अधीन नियुक्त की गई समितियों और उप–समितियों के काम को समन्वित करने और मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत और पुनरीक्षित करने के विषय में समुचित सरकार को साधारणतया सलाह देने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त करेगी ।

8. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड.–(1) इस अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत और पुनरीक्षित करने के विषयों पर और अन्य विषयों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देने के प्रयोजन के लिए तथा सलाहकार बोर्डों के काम को समन्वित करने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार बोर्ड नियोजकों का और अनुसूचित नियोजनों में के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे व्यक्तियों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जो संख्या में बराबर होंगे, और अपने सदस्यों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अनधिक स्वतंत्र व्यक्तियों से मिल कर बनेगा; केन्द्रीय सरकार ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों में से एक को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

9. समितियों, इत्यादि की संरचना.–समितियों, उप–समितियों में से हर एक और सलाहकार बोर्ड नियोजकों और अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे व्यक्तियों से, जो समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जो संख्या में बराबर होंगे और अपने सदस्यों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अनधिक स्वतंत्र व्यक्तियों से मिलकर बनेगा; समुचित सरकार ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों में से एक को अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

10. गलतियों का शुद्ध किया जाना.–(1) समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत या पुनरीक्षित करने वाले आदेश में की लेखन या गणित सम्बन्धी भूलों को, या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियों को, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय शुद्ध कर सकेगी ।

(2) ऐसी हर अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष जानकारी के लिए रख दी जाएगी ।

11. वस्तु रूप में मजदूरी.–(1) इस अधिनियम के अधीन संदेय न्यूनतम मजदूरी नकद दी जाएगी ।

(2) Where it has been the custom to pay wages wholly or partly in kind, the appropriate Government being of the opinion that it is necessary in the circumstances of the case may, by notification in the Official Gazette, authorise the payment of minimum wages either wholly or partly in kind.

(3) If the appropriate Government is of the opinion that provision should be made for the supply of essential commodities at concession rates, the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, authorise the provision of such supplies at concessional rates.

(4) The cash value of wages in kind and of concessions in respect of supplies of essential commodities at concession rates authorised under sub-sections (2) and (3) shall be estimated in the prescribed manner.

12. Payment of minimum rates of wages .-(1) Where in respect of any scheduled employment a notification under section is in force, the employer shall pay to every employee engaged in a scheduled employment under him wages at a rate not less than the minimum rate of wages fixed by such notification for that class of employees in that employment without any deductions except as may be authorised within such time and subject to such conditions as may be prescribed.

(2) Nothing contained in this section shall affect the provisions of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936).

13. Fixing hours for a normal working day, etc .-(1) In regard to any scheduled employment minimum rates of wages in respect of which have been fixed under this Act, the appropriate Government may-

(a) fix the number of hours of work which shall constitute a normal working day, inclusive of one or more specified intervals;

(b) provide for a day of rest in every period of seven days which shall be allowed to all employees or to any specified class of employees and for the payment of remuneration in respect of such days of rest;

(c) provide for payment for work on a day of rest at a rate not less than the overtime rate.

(2) The provisions of sub-section (1) shall, in relation to the following classes of employees, apply only to such extent and subject to such conditions as may be prescribed:-

(a) employees engaged on urgent work, or in any emergency which could not have been foreseen or prevented;

(b) employees engaged in work in the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;

(c) employees whose employment is essentially intermittent;

(d) employees engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over;

(e) employees engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces.

(3) For the purposes of clause (c) of sub-section (2), employment of an employee is essentially intermittent when it is declared to be so by the appropriate Government on the ground that the daily hours of duty of the employee, or if there be no daily hours of duty as such for the employee, the hours of duty, normally include periods of inaction during which

(2) जहां कि मजदूरी पूर्णतः या भागतः वस्तु रूप में देने की रूढ़ि रही है, वहां समुचित सरकार, इस राय की होने पर कि मामले की परिस्थितियों में यह आवश्यक है, न्यूनतम मजदूरी का पूर्णतः या भागतः वस्तु रूप में दिया जाना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कर सकेगी ।

(3) यदि समुचित सरकार की यह राय हो कि आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय रियायती दरों पर किए जाने के लिए उपबन्ध किया जाना चाहिए तो समुचित सरकार ऐसे प्रदायों के रियायती दरों पर किए जाने का उपबन्ध, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कर सकेगी ।

(4) उस वस्तु रूप में मजदूरी का और आवश्यक वस्तुओं के रियायती दरों पर उन प्रदायों की बाबत रियायतों का जो उपधाराओं (2) और (3) के अधीन प्राधिकृत है, नकद मूल्य विहित रीति से प्राक्कलित किया जाएगा ।

12. मजदूरी की न्यूनतम दरों का संदाय.–(1) जहां कि किसी अनुसूचित नियोजन की बाबत धारा 5 के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त है, वहां नियोजक अपने अधीन के अनुसूचित नियोजन में लगे हुए हर कर्मचारी को, ऐसी कटौतियां की जाने के सिवाय जो प्राधिकृत की जाएं, कटौतियां किए बिना, मजदूरी ऐसी दर पर, जो उस नियोजन में कर्मचारियों के उस वर्ग के लिए ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम न हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, संदत्त करेगा ।

(2) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

13. प्रसामान्य कार्य–दिवस के लिए घंटे नियत करना.–(1) किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन के बारे में जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिनियम के अधीन नियत की जा चुकी हैं, समुचित सरकार–

(क) काम के उन घंटों की संख्या, जिनके अन्तर्गत एक या अधिक विनिर्दिष्ट अन्तराल हो सकेंगे, और जो प्रसामान्य कार्य–दिवस गठित करेंगे, नियत कर सकेगी;

(ख) सात दिन की हर कालावधि में एक विश्राम–दिन के लिए, जो सभी कर्मचारियों के लिए या कर्मचारियों के किसी भी विनिर्दिष्ट वर्ग के लिए अनुज्ञात होगा और ऐसे विश्राम–दिनों की बाबत पारिश्रमिक दिए जाने का उपबन्ध कर सकेगी;

(ग) विश्राम–दिन को काम करने के लिए ऐसी दर से संदाय का उपबन्ध कर सकेगी जो अतिकालिक दर से कम नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उतने ही विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन लागू होंगे जो विहित की जाएं–

(क) अर्जेन्ट काम पर लगे हुए या किसी ऐसे आपात में रखे गए, जिसकी पूर्व कल्पना नहीं हो सकती थी या जिसका निवारण नहीं किया जा सकता था, कर्मचारी;

(ख) ऐसे कर्मचारी, जो तैयारी करने से सम्बन्धित या पूरक काम की प्रकृति वाले ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसे सम्पृक्त नियोजन में साधारणतः काम करने के लिए नियत की गई सीमाओं के अवश्य ही बाहर किया जाना है;

(ग) ऐसे कर्मचारी जिनका नियोजन आवश्यक रूप से आन्तरायिक है;

(घ) ऐसे काम में लगे हुए कर्मचारी, जिसे कर्तव्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही तकनीकी कारणों से पूरा कर लिया जाना है;

(ङ) ऐसे काम में लगे हुए कर्मचारी, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर निर्भर समयों पर किए जाने के सिवाय नहीं किया जा सकता ।

(3) कर्मचारी का नियोजन उपधारा (2) के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए उस दशा में आवश्यक रूप से आन्तरायिक होता है जिसमें कि उसका ऐसा होना समुचित सरकार ने इस आधार पर घोषित किया है कि कर्मचारी के कर्तव्य के दैनिक घंटों के, या यदि कर्मचारी के लिए कर्तव्य के कोई दैनिक घंटे उस रूप में नहीं हैं तो

the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attention.

14. Overtime .-(1) Where an employee, whose minimum rate of wages is fixed under this Act by the hour, by the day or by such a longer wage-period as may be prescribed, works on any day in excess of the number of hours constituting a normal working day, the employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at the overtime rate fixed under this Act or under any law of the appropriate Government for the time being in force, whichever is higher.

(2) Nothing in this Act shall prejudice the operation of the provisions of section 59 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) in any case where those provisions are applicable.

15. Wages of worker who works for less than normal working day .-If an employee whose minimum rate of wages has been fixed under this Act by the day, works on any day on which he was employed for a period less than the requisite number of hours constituting a normal working day, he shall, save as otherwise hereinafter provided, be entitled to receive wages in respect of work done by him on that day as if he had worked for a full normal working day:

Provided, however, that he shall not be entitled to receive wages for a full normal working day-

(i) in any case where his failure to work is caused by his unwillingness to work and not by the omission of the employer to provide him with work, and

(ii) in such other cases and circumstances as may be prescribed.

16. Wages for two or more classes of work .-Where an employee does two or more classes of work to each of which a different minimum rate of wages is applicable, the employer shall pay to such employee in respect of the time respectively occupied in each such class of work, wages at not less than the minimum rate in force in respect of each such class.

17. Minimum time rate wages for piece work .-Where an employee is employed on piece work for which minimum time rate and not a minimum piece rate has been fixed under this Act, the employer shall pay to such employee wages at not less than the minimum time rate.

18. Maintenance of registers and records .-(1) Every employer shall maintain such registers and records giving such particulars of employees employed by him, the work performed by them, the wages paid to them, the receipts given by them and such other particulars and in such form as may be prescribed.

(2) Every employer shall keep exhibited, in such manner as may be prescribed, in the factory, workshop or place where the employees in the scheduled employment may be employed, or in the case of out-workers, in such factory, workshop or place as may be used for giving out-work to them, notices in the prescribed form containing prescribed particulars.

(3) The appropriate Government may, by rules made under this Act, provide for the issue of wage books or wage slips to employees employed in any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed and prescribe the manner in which entries shall be made and authenticated in such wage books or wage slips by the

कर्तव्य के घंटों के अन्तर्गत प्रसामान्यतः निष्क्रियता की ऐसी कालावधियां आती हैं, जिनके दौरान कर्मचारी कर्तव्यारूढ़ तो हो, किन्तु उससे शारीरिक क्रिया या अविरत ध्यान के संप्रदर्शन की अपेक्षा नहीं की जाती ।

14. अतिकाल.–(1) जहां कि ऐसा कर्मचारी, जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस अधिनियम के अधीन घंटे, दिन या ऐसी दीर्घतर मजदूरी–कालावधि के हिसाब से, जैसी विहित की जाए, नियत की गई है, किसी भी दिन उतने घंटों से, जितनों से प्रसामान्य कार्य–दिवस गठित होता है, अधिक समय काम करता है, वहां नियोजक उसे काम के हर ऐसे घंटे के लिए या घंटे के भाग के लिए जिसमें उसने इस प्रकार आधिक्य में काम किया हो, इस अधिनियम के अधीन नियत की गई अतिकालिक दर और समुचित सरकार की किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नियत की गई अतिकालिक दर में से जो भी अधिक हो उस दर पर संदाय करेगा ।

(2) इस अधिनियम में की कोई बात भी किसी ऐसी दशा में, जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 59 के उपबन्ध लागू होते हैं, उन उपबन्धों के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

15. ऐसे कर्मकार की मजदूरी जो प्रसामान्य कार्य–दिवस से कम काम करता है.–यदि ऐसा कर्मचारी, जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस अधिनियम के अधीन दिनों के हिसाब से नियत की गई है, किसी भी दिन जिसको वह नियोजित किया गया था, प्रसामान्य कार्य–दिवस गठित करने वाले घंटों की अपेक्षित संख्या से कम किसी कालावधि के लिए काम करता है तो वह, एत्स्मिन्पश्चात् जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, उस दिन अपने द्वारा किए गए काम की बाबत मजदूरी पाने के लिए ऐसे हकदार होगा मानो उसने पूरे प्रसामान्य कार्य–दिवस काम किया हो :

परन्तु–

(i) किसी ऐसी दशा में, जिसमें काम करने में उसकी असफलता उसके रजामन्द न होने के कारण, न कि उसके लिए काम का उपबन्ध करने के बारे में नियोजक के लोप के कारण, कारित हुई है, तथा

(ii) अन्य ऐसी दशाओं और परिस्थितियों में, जैसी विहित की जाएं,

वह पूरे प्रसामान्य कार्य–दिवस के लिए मजदूरी पाने का हकदार न होगा ।

16. दो या अधिक वर्गों के काम के लिए मजदूरी.–जहां कि कर्मचारी ऐसे दो या अधिक वर्गों का काम करता है, जिसमें से हर एक के लिए मजदूरी की भिन्न न्यूनतम दर लागू हैं, वहां नियोजक, ऐसे कर्मचारी को, ऐसे हर वर्ग के काम में क्रमशः लगे समय के लिए उस न्यूनतम दर से अन्यून दर पर मजदूरी देगा जो ऐसे हर एक वर्ग के काम की बाबत प्रवृत्त है ।

17. मात्रानुपाती काम के लिए न्यूनतम कालानुपाती दर.–जहां कि कर्मचारी ऐसे मात्रानुपाती काम पर नियोजित है, जिसके लिए न्यूनतम कालानुपाती दर, न कि न्यूनतम मात्रानुपाती दर, इस अधिनियम के अधीन नियत की गई है वहां नियोजक ऐसे कर्मचारी को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो ।

18. रजिस्टरों और अभिलेखों का रखा जाना.–(1) हर नियोजक अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों की, उनके द्वारा किए गए काम की, उनको संदत्त मजदूरी की, उनके द्वारा दी गई रसीदों की ऐसी विशिष्टियां और अन्य ऐसी विशिष्टियों वाले ऐसे रजिस्टर और अभिलेख ऐसे प्ररूप में रखेगा जैसा विहित किया जाए ।

(2) हर नियोजक उस कारखाने, कर्मशाला या स्थान में, जहां अनुसूचित नियोजन में के कर्मचारी नियोजित किए जाएं, या बाह्य कर्मकारों की दशा में ऐसे कारखाने, कर्मशाला या स्थान में, जो उन्हें बाह्य–कर्म देने के लिए उपयोग में लाया जाए, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, विहित प्ररूप में ऐसी सूचनाएं प्रदर्शित करता रहेगा जिनमें विहित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी ।

(3) समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उन कर्मचारियों को जो किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में, जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी हैं, नियोजित हैं, मजदूरी–पुस्तिकाओं या मजदूरी–पर्चियों के दिए जाने के लिए उपबन्ध कर सकेगी और वह रीति विहित कर सकेगी जिससे नियोजक या उसके अभिकर्ता द्वारा ऐसी मजदूरी–पुस्तिकाओं या मजदूरी–पर्चियों में

employer or his agent.

19. Inspectors .-(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, appoint such persons as it thinks fit to be Inspector for the purposes of this Act and define the local limits within which they shall exercise their functions.

(2) Subject to any rules made in this behalf, an Inspector may, within the local limits for which he is appointed-

(a) enter, at all reasonable hours, with such assistants (if any), being persons in the service of the Government or any local or other public authority, as he thinks fit, any premises or place where employees are employed or work is given out to outworkers in any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed under this Act, for the purpose of examining any register, record of wages or notices required to be kept or exhibited by or under this Act or rules made thereunder, and require the production thereof for inspection;

(b) examine any person whom he finds in any such premises or place and who, he has reasonable cause to believe, is an employee employed therein or an employee to whom work is given out therein;

(c) require any person giving out-work and any out-workers, to give any information, which is in his power to give, with respect to the names and addresses of the persons to, for and from whom the work is given out or received, and with respect to the payments to be made for the work;

(d) seize or take copies of such register, record of wages or notices or portions thereofas he may consider relevant in respect of an offence under this Act which he has reason to believe has been committed by an employer; and

(e) exercise such other powers as may be prescribed.

(3) Every Inspector shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code (45 of 1860).

(4) Any person required to produce any document or thing or to give any information by an Inspector under sub-section (2) shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of section 175 and section 176 of the Indian Penal Code (45 of 1860)[1].

20. Claims .-(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, appoint any Commissioner for Workmen's Compensation or any officer of the Central Government exercising functions as a Labour Commissioner for any region, or any officer of the State Government not below the rank of Labour Commissioner or any other officer with experience as a Judge of a Civil Court or as a stipendiary Magistrate to be the Authority to hear and decide for any specified area all claims arising out of payment of less than the minimum rates of wages or in respect of the payment of remuneration for days of rest or for work done on such days under clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 13 or of wages at the overtime rate under section 14,to employees employed or paid in that area.

1. *Now See*, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

प्रविष्टियां की जाएंगी और अधिप्रमाणीकृत की जाएंगी ।

19. निरीक्षक.—(1) समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और उन स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी, जिनके अन्दर वे अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे ।

(2) इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि निरीक्षक उन स्थानीय सीमाओं के अन्दर जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है–

(क) ऐसे सहायकों के साथ (यदि कोई हों), जो सरकार की या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में के व्यक्ति होंगे, और जिन्हें वह ठीक समझे, किसी ऐसे परिसर या स्थानों में, जहां पर किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में, जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिनियम के अधीन नियत की जा चुकी हैं, कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है या बाह्य कर्मकारों को काम दिया जाता है, किसी रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या सूचनाओं की, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के द्वारा या अधीन रखे या प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा और यह अपेक्षा कर सकेगा कि उन्हें निरीक्षण के लिए पेश किया जाए;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा जिसे वह ऐसे किसी परिसर या स्थान में पाए और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक हो कि वह उसमें नियोजित कर्मचारी है या ऐसा कर्मचारी है जिसे उसमें काम दिया जाता है;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति से जो बाह्य–कर्म देता है, और किन्हीं बाह्य–कर्मकारों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसे व्यक्तियों के नामों और पतों के बारे में जिनको, जिनके लिए और जिनसे काम दिया या प्राप्त किया जाता है और उस काम के लिए किए जाने वाले संदायों के बारे में कोई ऐसी जानकारी दे, जिसे देना उसकी शक्ति में हो;

(घ) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या सूचनाओं या उनके प्रभागों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन के ऐसे अपराध के बारे में सुसंगत समझे जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी नियोजक द्वारा किया गया है, अभिगृहीत कर सकेगा या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा; तथा

(ङ) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जैसी विहित की जाएं ।

(3) हर निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)[1] के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति, जिससे कोई दस्तावेज या वस्तु पेश करने या कोई जानकारी देने की अपेक्षा उपधारा (2) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा की गई हो ऐसा करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)[1] की धारा 175 और धारा 176 के अर्थ के अन्दर वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

20. दावे.—(1) समुचित सरकार किसी कर्मकार प्रतिकर आयुक्त को या केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे आफिसर को, जो किसी प्रदेश के लिए श्रम आयुक्त के रूप में कृत्यों का प्रयोग करता है या राज्य सरकार के किसी ऐसे आफिसर को, जो श्रम आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, या किसी अन्य ऐसे आफिसर को, जिसे सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या साम्बलिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करने का अनुभव प्राप्त है, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में नियोजित कर्मचारियों को या ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें उस क्षेत्र में संदाय किया जाता है, मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम पर किए गए संदाय से उद्भूत होने वाले, या विश्राम–दिनों के लिए या ऐसे दिनों में किए गए काम के लिए धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन पारिश्रमिक के संदाय की बाबत, या धारा 14 के अधीन अतिकालित दर पर मजदूरी के सभी दावों की उस क्षेत्र के लिए सुनवाई और उनका विनिश्चय करने के लिए प्राधिकारी, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकेगी ।

1. अब देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)।

(2) Where an employee has any claim of the nature referred to in sub-section (1), the employee himself, or any legal practitioner or any official of a registered trade union authorised in writing to act on his behalf, or any Inspector, or any person acting with the permission of the Authority appointed under sub-section (1), may apply to such Authority for a direction under sub-section (3):

Provided that every such application shall be presented within six months from the date on which the minimum wages or other amount became payable:

Provided further that any application may be admitted after the said period of six months when the applicant satisfies the Authority that he had sufficient cause for not making the application within such period.

(3) When any application under sub-section (2) is entertained, the Authority shall hear the applicant and the employer, or give them an opportunity of being heard, and after such further inquiry, if any, as it may consider necessary, may, without prejudice to any other penalty to which the employer may be liable under this Act, direct-

(i) in the case of a claim arising out of payment of less than the minimum rates of wages, the payment to the employee of the amount by which the minimum wages payable to him exceed the amount actually paid, together with the payment of such compensation as the Authority may think fit, not exceeding ten times the amount of such excess;

(ii) in any other case, the payment of the amount due to the employee, together with the payment of such compensation as the Authority may think fit, not exceeding ten rupees, and the Authority may direct payment of such compensation in cases where the excess or the amount due is paid by the employer to the employee before the disposal of the application.

(4) If the authority hearing any application under this section is satisfied that it was either malicious or vexatious, it may direct that a penalty not exceeding fifty rupees be paid to the employer by the person presenting the application.

(5) Any amount directed to be paid under this section may be recovered-

(a) if the Authority is a Magistrate, by the Authority as if it were a fine imposed by the Authority as a Magistrate, or

(b) if the Authority is not a Magistrate, by any Magistrate to whom the Authority makes application in this behalf, as if it were a fine imposed by such Magistrate.

(6) Every direction of the Authority under this section shall be final.

(7) Every Authority appointed under sub-section (1) shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for the purpose of taking evidence and of enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents, and every such Authority shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and Chapter XXXV of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898)[1]

21. Single application in respect of a number of employees .-(1) Subject to such rules as may be prescribed, a single application may be presented under section 20 on behalf or in respect of any number of employees employed in the scheduled employment in respect of

1. *Now See*, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023).

(2) जहां कि कर्मचारी का उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई दावा हो, वहां वह कर्मचारी स्वयं, या उसकी ओर से कार्य करने के लिए लिखिए रूप में प्राधिकृत रूप में प्राधिकृत कोई विधि–व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का कोई पदधारी, या कोई निरीक्षक, या कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा से कार्य कर रहा है, उपधारा (3) के अधीन के किसी निदेश के लिए आवेदन ऐसे प्राधिकारी से कर सकेगा :

परन्तु ऐसा हर आवेदन उस तारीख से, जिसकी न्यूनतम मजदूरी या अन्य रकम संदेय हुई थी, छह मास के भीतर उपस्थापित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि आवेदक उस प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि ऐसी कालावधि के भीतर आवेदन न करने के लिए उसके पास पर्याप्त हेतुक था तो आवेदन छह मास की उक्त कालावधि के पश्चात् भी ग्रहण किया जा सकेगा ।

(3) जब कि उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन ग्रहण कर लिया गया है, तब प्राधिकारी आवेदक की और नियोजक की सुनवाई करेगा, या उन्हें सुनवाई का अवसर देगा और यदि वह कोई अतिरिक्त जांच आवश्यक समझे तो उसे करने के पश्चात्, किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसका नियोजक इस अधिनियम के अधीन दायी हो, निदेश दे सकेगा कि–

(i) मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम दर से किए गए संदाय से उद्भूत होने वाले दावे की दशा में, कर्मचारी को उतनी रकम का संदाय किया जाए जितनी से उसको संदेय न्यूनतम मजदूरी वास्तव में संदत्त रकम से अधिक हो और साथ ही ऐसे आधिक्य की रकम के दस गुने से अनधिक ऐसे प्रतिकर का संदाय भी किया जाए जितना वह प्राधिकारी ठीक समझे;

(ii) किसी अन्य दशा में, कर्मचारी को शोध्य रकम का संदाय, दस रुपए से अनधिक उतने प्रतिकर के संदाय सहित, जितना प्राधिकारी ठीक समझे, किया जाए,

और प्राधिकारी उन दशाओं में, जिनमें नियोजक द्वारा आधिक्य या शोध्य रकम का संदाय आवेदन के निपटाए जाने के पूर्व ही कर्मचारी को कर दिया जाता है, ऐसे प्रतिकर के संदाय का निदेश दे सकेगा ।

(4) यदि इस धारा के अधीन किसी आवेदन की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वह आवेदन या तो विद्वेषपूर्ण या तंग करने वाला है, तो वह निदेश दे सकेगा कि आवेदन उपस्थापित करने वाला व्यक्ति नियोजक को पचास रुपए से अनधिक रकम की शास्ति दे ।

(5) इस धारा के अधीन दी जाने के लिए निर्दिष्ट कोई रकम, –

(क) यदि प्राधिकारी मजिस्ट्रेट है तो उस प्राधिकारी द्वारा ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह मजिस्ट्रेट के रूप में उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो; अथवा

(ख) यदि प्राधिकारी मजिस्ट्रेट नहीं है तो, किसी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा, जिससे प्राधिकारी इस निमित्त आवेदन करे, ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो ।

(6) प्राधिकारी का इस धारा के अधीन हर निदेश अन्तिम होगा ।

(7) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त हर प्राधिकारी को साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजें पेश करने को विवश करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन की सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसा हर प्राधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)[1] की धारा 195 के और अध्याय 35 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

21. कितने ही कर्मचारियों के बारे में एक ही आवेदन.–(1) ऐसे अनुसूचित नियोजन में, जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी हैं नियोजित कर्मचारियों में से कितनों ही की ओर से या उनकी बाबत धारा 20 के अधीन एक ही आवेदन ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए,

1. अब देखें भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)।

which minimum rates of wages have been fixed and in such cases the maximum compensation which may be awarded under sub-section (3) of section 20 shall not exceed ten times the aggregate amount of such excess or ten rupees per head, as the case may be.

(2) The Authority may deal with any number of separate pending applications presented under section 20 in respect of employees in the scheduled employments in respect of which minimum rates of wages have been fixed, as a single application presented under sub-section (1) of this section and the provisions of that sub-section shall apply accordingly.

22. Penalties for certain offences .-Any employer who-

(a) pays to any employee less than the minimum rates of wages fixed for that employee's class of work, or less than the amount due to him under the provisions of this Act, or

(b) contravenes any rule or order made under section 13,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both:

Provided that in imposing any fine for an offence under this section, the Court shall take into consideration the amount of any compensation already awarded against the accused in any proceedings taken under section 20.

22-A. General provision for punishment of other offences .-Any employer who contravenes any provision of this Act or of any rule or order made thereunder shall, if no other penalty is provided for such contravention by this Act, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

22-B. Cognizance of offences .-(1) No Court shall take cognizance of a complaint against any person for an offence-

(a) under clause (a) of section 22 unless an application in respect of the facts constituting such offence has been presented under section 20 and has been granted wholly or in part, and the appropriate Government or an officer authorised by it in this behalf has sanctioned the making of the complaint;

(b) under clause (b) of section 22 or under section 22-A, except on a complaint made by, or with the sanction of, an Inspector.

(2) No Court shall take cognizance of an offence-

(a) under clause (a) or clause (b) of section 22, unless complaint thereof is made within one month of the grant of sanction under this section;

(b) under section 22-A, unless complaint thereof is made within six months of the date on which the offence is alleged to have been committed.

22-C. Offences by companies .-(1) If the person committing any offence under this Act is a company, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

जो विहित किए जाएं, उपस्थापित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में वह अधिकतम प्रतिकर, जो धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन अधिनिर्णीत किया जा सकेगा, यथास्थिति, ऐसे आधिक्य की संकलित रकम के दस गुने से या प्रति व्यक्ति दस रुपए से अधिक नहीं होगा ।

(2) प्राधिकारी ऐसे अनुसूचित नियोजनों में के, जिनकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी हैं, कर्मचारियों की बाबत धारा 20 के अधीन उपस्थापित किए गए अलग–अलग लम्बित कितने भी आवेदनों पर कार्यवाही, उन्हें इस धारा की उपधारा (1) के अधीन उपस्थापित किया गया एक ही आवेदन मानकर कर सकेगा और उस उपधारा के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे ।

22. कतिपय अपराधों के लिए शास्तियां.–जो कोई नियोजक–

(क) किसी कर्मचारी को उसके काम के वर्ग के लिए नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम, या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसे शोध्य रकम से कम देगा, अथवा

(ख) धारा 13 के अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, धारा 20 के अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही अधिनिर्णीत किसी प्रतिकर की रकम को इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए कोई जुर्माना अधिरोपित करने में ध्यान में रखेगा ।

22क. अन्य अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबन्ध.–जो कोई नियोजक इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, वह, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए उस अधिनियम द्वारा कोई भी अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है तो, जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

22ख. अपराधों का संज्ञान.–(1) कोई भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी परिवाद का संज्ञान–

(क) धारा 22 के खण्ड (क) के अधीन किसी अपराध के लिए तब के सिवाय नहीं करेगा, जब कि ऐसा अपराध गठित करने वाले तथ्यों की बाबत आवेदन धारा 20 के अधीन उपस्थापित या गया हो और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर कर लिया गया हो, तथा समुचित सरकार ने या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी आफिसर ने परिवाद किए जाने की मंजूरी दे दी हो;

(ख) धारा 22 के खण्ड (क) के अधीन या धारा 22क के अधीन के किसी अपराध के लिए, किसी निरीक्षक द्वारा या उसकी मंजूरी से किए गए परिवाद पर करने के सिवाय न करेगा ।

(2) कोई भी न्यायालय,–

(क) धारा 22 के खण्ड (क) या खंड (ख) के अधीन के किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि उसके लिए परिवाद इस धारा के अधीन मंजूरी अनुदत्त किए जाने से एक मास के भीतर न किया गया हो;

(ख) धारा 22क के अधीन के किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि उसके लिए परिवाद उस तारीख से, जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर न किया गया हो ।

22ग. कम्पनियों द्वारा अपराध.–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो हर व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के लिए कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था और वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दण्डित किए जाने के दायित्व के अधीन होंगेः

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड के दायित्व के अधीन न करेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer of the company, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation **.-**For the purposes of this section,-

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

22-D. Payment of undisbursed amounts due to employees .-All amounts payable by an employer to an employee as the amount of minimum wages of the employee under this Act or otherwise due to the employee under this Act or any rule or order made thereunder shall, if such amounts could not or cannot be paid to the employee on account of his death before payment or on account of his whereabouts not being known, be deposited with the prescribed authority who shall deal with the money so deposited in such manner as may be prescribed.

22-E. Protection against attachment of assets of employer with Government .-Any amount deposited with the appropriate Government by an employer to secure the due performance of a contract with that Government and any other amount due to such employer from that Government in respect of such contract shall not be liable to attachment under any decree or order of any Court in respect of any debt or liability incurred by the employer other than any debt or liability incurred by the employer towards any employee employed in connection with the contract aforesaid.

22-F. Application of Payment of Wages Act, 1936, to scheduled employments .-(1) Notwithstanding anything contained in the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, direct that, subject to the provisions of sub-section (2), all or any of the provisions of the said Act shall, with such modifications, if any, as may be specified in the notification, apply to wages payable to employees in such scheduled employments as may be specified in the notification.

(2) Where all or any of the provisions of the said Act are applied to wages payable to employees in any scheduled employment under sub-section (1), the Inspector appointed under this Act shall be deemed to be the Inspector for the purpose of enforcement of the provisions so applied within the local limits of his jurisdiction.

23. Exemption of employer from liability in certain cases .-Where an employer is charged with an offence against this Act, he shall be entitled, upon complaint duly made by him, to have any other person whom he charges as the actual offender, brought before the Court at the time appointed for hearing the charge; and if, after the commission of the offence has been proved, the employer proves to the satisfaction of the Court-

(a) that he has used due diligence to enforce the execution of this Act, and

(b) that the said other person committed the offence in question without his

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफिसर की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से हुई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफिसर भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई की जाने और दण्डित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा ।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम आता है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

22घ. कर्मचारियों को शोध्य असंवितरित रकमों का संदाय.–वे सभी रकमें, जो कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी की रकम के रूप में उस कर्मचारी को किसी नियोजक द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय है, या उस कर्मचारी को इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए, किसी आदेश के अधीन अन्यथा शोध्य हैं, उस दशा में जिसमें ऐसी रकमें, उनके संदाय से पूर्व ही उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण या उसका पता ज्ञात न होने के कारण उसे दी नहीं जा सकती थीं या दी नहीं जा सकती हैं, विहित प्राधिकारी के पास निक्षिप्त कर दी जाएंगी, जो इस प्रकार से निक्षिप्त किए गए धन के सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही करेगा जैसी विहित की जाए ।

22ङ. सरकार के पास की नियोजक की आस्तियों का कुर्की से परित्राण.–कोई भी ऐसी रकम, जो समुचित सरकार के साथ हुई किसी संविदा का सम्यक् पालन सुनिश्चित कराने के लिए, उस सरकार के पास नियोजक द्वारा निक्षिप्त की गई है और कोई भी अन्य रकम, जो ऐसी संविदा की बाबत उस सरकार के ऐसे नियोजक को शोध्य है, किसी ऐसे ऋण या दायित्व से, जो पूर्वोक्त संविदा के संसंग में नियोजित किसी कर्मचारी के प्रति उस नियोजक द्वारा उपगत किया गया था, भिन्न किसी ऐसे ऋण या दायित्व की बाबत जो नियोजक द्वारा उपगत किया गया था, किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्क किए जाने के दायित्वाधीन न होगी ।

22च. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का अनुसूचित नियोजनों को लागू होना.–(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उपधारा (2) उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के सभी उपबंध या उनमें से कोई भी ऐसे अनुसूचित नियोजनों में के, जैसे अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं, कर्मचारियों को संदेय मजदूरी को, ऐसे उपान्तरों सहित, यदि कोई हों, लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जहां कि उक्त अधिनियम के सभी उपबंध या उनमें से कोई भी, किसी अनुसूचित नियोजन के कर्मचारियों को संदेय मजदूरी को उपधारा (1) के अधीन लागू किए गए हों वहां, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए निरीक्षक के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार लागू किए गए उपबन्धों का प्रवर्तन अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर कराने के प्रयोजनार्थ निरीक्षक है ।

23. कतिपय मामलों में दायित्व से नियोजक को छूट.–जहां कि नियोजक पर इस अधिनियम के विरुद्ध के किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, वहां उसे, अपने द्वारा सम्यक् रूप से किए गए परिवाद पर यह हक होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति को, जिस पर वास्ताविक अपराधी होने का आरोप लगाता है, उस आरोप की सुनवाई के लिए नियत किए गए समय पर न्यायालय के समक्ष बुलवाए, और यदि नियोजक अपराध का किया जाना साबित हो चुकने के पश्चात्, न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि–

(क) उसने इस अधिनियम का निष्पादन कराने के लिए सम्यक् तत्परता बरती है, तथा

(ख) उक्त अन्य व्यक्ति ने प्रश्नगत अपराध उसके ज्ञान, सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया

knowledge, consent or connivance, that other person shall be convicted of the offence and shall be liable to the like punishment as if he were the employer and the employer shall be discharged:

Provided that in seeking to prove, as aforesaid, the employer may be examined on oath, and the evidence of the employer or his witness, if any, shall be subject to cross-examination by or on behalf of the person whom the employer charges as the actual offender and by the prosecution.

24. Bar of suits .-No Court shall entertain any suit for the recovery of wages insofar as the sum so claimed-

(a) forms the subject of an application under section 20 which has been presented by or on behalf of the plaintiff, or

(b) has formed the subject of a direction under that section in favour of the plaintiff, or

(c) has been adjudged in any proceeding under that section not to be due to the plaintiff, or

(d) could have been recovered by an application under that section.

25. Contracting out .-Any contract or agreement, whether made before or after the commencement of this Act, whereby an employee either relinquishes or reduces his right to a minimum rate of wages or any privilege or concession accruing to him under this Act shall be null and void insofar as it purports to reduce the minimum rate of wages fixed under this Act.

26. Exemptions and exceptions .-(1) The appropriate Government may, subject to such conditions, if any, as it may think fit to impose, direct that the provisions of this Act shall not apply in relation to the wages payable to disabled employees.

(2) The appropriate Government may, if for special reasons it thinks so fit, by notification in the Official Gazette, direct that subject to such conditions and] for such period as it may specify the provisions of this Act or any of them shall not apply to all or any class of employees employed in any scheduled employment or to any locality where there is carried on a scheduled employment.

(2-A) The appropriate Government may, if it is of opinion that having regard to the terms and conditions of service applicable to any class of employees in a scheduled employment generally or in a scheduled employment in a local area, or to any establishment or a part of any establishment in a scheduled employment, it is not necessary to fix minimum wages in respect of such employees of that class or in respect of employees in such establishment or such part of any establishment as are in receipt of wages exceeding such limit as may be prescribed in this behalf, direct, by notification in the Official Gazette and subject to such conditions, if any, as it may think fit to impose, that the provisions of this Act or any of them shall not apply in relation to such employees.

(3) Nothing in this Act shall apply to the wages payable by an employer to a member of his family who is living with him and is dependent on him.

Explanation **.-**In this sub-section a member of the employer's family shall be deemed to include his or her spouse or child or parent or brother or sister.

27. Power of State Government to add to Schedule .-The appropriate Government, after giving by notification in the Official Gazette not less than three months' notice of its intention

था, तो वह अन्य व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाएगा और वैसे ही दण्डनीय होगा, मानो वह नियोजक हो, और उन्मोचित कर दिया जाएगा:

परन्तु यदि नियोजक यथापूर्वोक्त साबित करने की ईप्सा करता है तो उसकी शपथ पर परीक्षा की जा सकेगी और नियोजक के या उसके साक्षी के, यदि कोई हो, साक्ष्य की उस व्यक्ति द्वारा या की ओर से, जिस पर नियोजक वास्तविक अपराधी होने का आरोप लगाता है, और अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी ।

24. वादों का वर्जन.–कोई भी न्यायालय मजदूरी की वसूली के लिए किसी वाद को विचारणार्थ वहां तक ग्रहण नहीं करेगा जहां तक कि इस प्रकार दावाकृत राशि–

(क) धारा 20 के अधीन ऐसे आवेदन का, जो वादी द्वारा या उसकी ओर से उपस्थापित किया गया है, विषय है; अथवा

(ख) उस धारा के अधीन वादी के पक्ष में दिए गए किसी निदेश का विषय रही है, अथवा

(ग) की बाबत यह न्यायनिर्णय उस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में हो चुका है, कि वह वादी को शोध्य नहीं है, अथवा

(घ) उस धारा के अधीन आवेदन द्वारा वसूल की जा सकती थी ।

25. संविदा द्वारा त्याग.–इस अधिनियम के प्रारम्भ के चाहे पूर्व चाहे पश्चात् की गई कोई संविदा या करार जिसके द्वारा कोई कर्मचारी मजदूरी की न्यूनतम दर के अपने अधिकार का या इस अधिनियम के अधीन अपने को प्रोद्भूत होने वाले किसी विशेषाधिकार या रियायत का त्याग कर देता है या उसे घटा लेता है, वहां तक बातिल और शून्य होगा जहां तक कि वह इस अधिनियम के अधीन नियत मजदूरी की न्यूनतम दर घटाने के लिए तात्पर्यित है ।

26. छूट और अपवाद.–(1) समुचित सरकार, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हों, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध निःशक्त हो गए कर्मचारियों को संदेय मजदूरी के संबंध में लागू न होंगे ।

(2) समुचित सरकार, यदि वह विशेष कारणों से ऐसा करना ठीक समझे, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उन शर्तों के अध्यधीन तथा उतने समय के लिए, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे इस अधिनियम के उपबन्ध या उनमें से कोई किसी अनुसूचित नियोजन में नियोजित सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को या किसी ऐसे परिक्षेत्र को, जहां कोई अनुसूचित नियोजन चलता है, लागू न होंगे ।

(2क) समुचित सरकार, यदि उसकी यह राय हो कि साधारणतः किसी अनुसूचित नियोजन में के या किसी स्थानीय क्षेत्र के किसी अनुसूचित नियोजन में के किसी वर्ग के कर्मचारियों को या किसी अनुसूचित नियोजन में के किसी स्थापन को या किसी स्थापन के किसी भाग को लागू सेवा के निबन्धनों और शर्तों की दृष्टि से उस वर्ग के ऐसे कर्मचारियों के या ऐसे स्थापन या स्थापन के भाग में के कर्मचारियों के बारे में जो ऐसी अधिकतम मात्रा से जो इस संबंध में विहित की जाए अधिक मजदूरी पा रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी नियत करना आवश्यक नहीं है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हों, जिन्हें वह सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध या उनमें से कोई ऐसे कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उस मजदूरी को लागू नहीं होगी जो नियोजक द्वारा अपने कुटुम्ब के किसी ऐसे सदस्य को संदेय हो जो उसके साथ रह रहा है और उस पर आश्रित है ।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा में नियोजक के कुटुम्ब के सदस्य के अन्तर्गत नियोजक का पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, माता–पिता या भाई–बहन आते हैं, यह समझा जाएगा ।

27. अनुसूची में समुचित सरकार की जोड़ने की शक्ति.–समुचित सरकार ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात् अनुसूची

so to do, may, by like notification, add to either Part of the Schedule any employment in respect of which it is of opinion that minimum rates of wages should be fixed under this Act, and thereupon the Schedule shall in its application to the State be deemed to be amended accordingly.

28. Power of the Central Government to give directions .-The Central Government may give directions to a State Government as to the carrying into execution of this Act in the State.

29. Power of the Central Government to make rules .-The Central Government may, subject to the condition of previous publication, by notification in the Official Gazette, make rules prescribing the term of office of the members, the procedure to be followed in the conduct of business, the method of voting, the manner of filling up casual vacancies in membership and the quorum necessary for the transaction of business of the Central Advisory Board.

30. Power of appropriate Government to make rules .-(1) The appropriate Government may, subject to the condition of previous publication, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may,-

(a) prescribe the term of office of the members, the procedure to be followed in the conduct of business, the method of voting, the manner of filling up casual vacancies in membership and the quorum necessary for the transaction of business of the committees, sub-committees, and the Advisory Board;

(b) prescribe the method of summoning witnesses, production of documents relevant to the subject-matter of the enquiry before the committees, sub-committees, and the Advisory Board;

(c) prescribe the mode of computation of the cash value of wages in kind and of concessions in respect of supplies of essential commodities at concession rates;

(d) prescribe the time and conditions of payment of, and the deductions permissible from wages;

(e) provide for giving adequate publicity to the minimum rates of wages fixed under this Act;

(f) provide for a day of rest in every period of seven days and for the payment of remuneration in respect of such day;

(g) prescribe the number of hours of work which shall constitute a normal working day;

(h) prescribe the cases and circumstances in which an employee employed for a period of less than the requisite number of hours constituting a normal working day shall not be entitled to receive wages for a full normal working day;

(i) prescribe the form of registers and records to be maintained and the particulars to be entered in such registers and records;

(j) provide for the issue of wage books and wage slips and prescribe the manner of making and authenticating entries in wage books and wage slips;

(k) prescribe the powers of Inspectors for purposes of this Act;

(l) regulate the scale of costs that may be allowed in proceedings under section 20;

(m) prescribe the amount of Court-fees payable in respect of proceedings under section 20; and

(n) provide for any other matter which is to be or may be prescribed.

में के दोनों भागों में से किसी में भी किसी ऐसे नियोजन को, जिसकी बाबत उसकी राय हो कि मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिनियम के अधीन नियत की जानी चाहिए, वैसी ही अधिसूचना द्वारा जोड़ सकेगी, और तदुपरि यह समझा जाएगा कि वह अनुसूची उस राज्य में तदनुसार संशोधित रूप में लागू है ।

28. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति.–केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को उस राज्य में इस अधिनियम का निष्पादन करने के संबंध में निदेश दे सकेगी ।

29. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति.–केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, कारबार के संचालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, मतदान की पद्धति, सदस्यता में हुई आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति और कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति को विहित करने वाले नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

30. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति.–(1) समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम–

(क) समितियों, उप–समितियों, और सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, कारबार के संचालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, मतदान की पद्धति, सदस्यता में हुई आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति और कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति विहित कर सकेंगे;

(ख) समितियों, उप–समितियों, और सलाहकार बोर्ड के समक्ष साक्षियों को समन करने की और जांच की विषय–वस्तु से सुसंगत दस्तावेजों को पेश कराने की पद्धति विहित कर सकेंगे;

(ग) वस्तु रूप में मजदूरी के और आवश्यक वस्तुओं के रियायती दरों पर प्रदायों की बाबत रियायतों के नकद मूल्य की संगणना का ढंग विहित कर सकेंगे;

(घ) मजदूरी दिए जाने के समय और शर्तें और उसमें से अनुज्ञेय कटौतियां विहित कर सकेंगे;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन नियत की गई मजदूरी के न्यूनतम दरों की यथायोग्य प्रचार के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(च) सात दिनों की हर कालावधि में एक विश्राम–दिन के लिए और ऐसे दिन की बाबत पारिश्रमिक के संदाय के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(छ) काम के घंटों की वह संख्या, जो प्रसामान्य कार्य–दिवस को गठित करेगी, विहित कर सकेंगे;

(ज) वे दशाएं और परिस्थितियां विहित कर सकेंगे जिनमें प्रसामान्य कार्य–दिवस गठित करने वाले घंटों की अपेक्षित संख्या से कम कालावधि के लिए नियोजित कर्मचारी पूरे प्रसामान्य कार्य–दिवस के लिए मजदूरी पाने का हकदार नहीं होगा;

(झ) रखे जाने वाले रजिस्टरों और अभिलेखों के प्ररूप और ऐसे रजिस्टरों और अभिलेखों में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां विहित कर सकेंगे;

(ञ) मजदूरी–पुस्तिकाओं और मजदूरी–पर्चियों के दिए जाने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे और मजदूरी–पुस्तिकाओं और मजदूरी–पर्चियों में प्रविष्टियां करने और अधिप्रमाणीकृत करने की रीति विहित कर सकेंगे;

(ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों की शक्तियां विहित कर सकेंगे;

(ठ) धारा 20 के अधीन की कार्यवाहियों में अनुज्ञात किए जा सकने वाले खर्चों का मापमान विनियमित कर सकेंगे;

(ड) धारा 20 के अधीन की कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय–फीसों की रकम विहित कर सकेंगे; तथा

(ढ) किसी अन्य ऐसे विषय के लिए उपबन्ध कर सकेंगे जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

30-A. Rules made by the Central Government to be laid before Parliament .- (1) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(2) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

31. Validation of fixation of certain minimum rates of wages .-Where during the period-

(a) commencing on the 1st day of April, 1952, and ending with the date of the commencement of the Minimum Wages (Amendment) Act, 1954 (26 of 1954); or

(b) commencing on the 31st day of December, 1954, and ending with the date of the commencement of the Minimum Wages (Amendment) Act, 1957 (30 of 1957); or

(c) commencing on the 31st day of December, 1959, and ending with the date of the commencement of the Minimum Wages (Amendment) Act, 1961 (31 of 1961),

minimum rates of wages have been fixed by an appropriate Government as being payable to employees employed in any employment specified in the Schedule in the belief or purported belief that such rates were being fixed under clause (a) of sub-section (1) of section 3, as in force immediately before the commencement of the Minimum Wages (Amendment) Act, 1954 (26 of 1954), or the Minimum Wages (Amendment) Act, 1957 (30 of 1957), or the Minimum Wages (Amendment) Act, 1961 (31 of 1961), as the case may be, such rates shall be deemed to have been fixed in accordance with law and shall not be called in question in any Court on the ground merely that the relevant date specified for the purpose in that clause had expired at the time the rates were fixed:

Provided that nothing contained in this section shall extend, or be construed to extend, to affect any person with any punishment or penalty whatsoever by reason of the payment by him by way of wages to any of his employees during any period specified in this section of an amount which is less than the minimum rates of wages referred to in this section or by reason of non-compliance during the period aforesaid with any order or rule issued under section 13.

THE SCHEDULE

(See sections 2(g) and 27)

PART I

1. Employment in any woollen carpet making or shawl weaving establishment.
2. Employment in any rice mill, flour mill or dal mill.
3. Employment in any tobacco (including bidi making) manufactory.
4. Employment in any plantation, that is to say, any estate which is maintained for the purpose of growing cinchona, rubber, tea or coffee.
5. Employment in any oil mill.
6. Employment under any local authority.

30क. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना.–(1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के हर एक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन समहत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु ऐसे कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

31. मजदूरी की कतिपय न्यूनतम दरों के नियत किए जाने को विधिमान्य बनाना. –जहां कि–

(क) 1952 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाली और मिनिमम वेजेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1954 (1954 का 26) के प्रारम्भ की तारीख को समाप्त होने वाली, अथवा

(ख) 1954 के दिसम्बर के 31वें दिन को प्रारम्भ होने वाली और मिनिमम वेजेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1957(1957 का 30) के प्रारम्भ की तारीख को समाप्त होने वाली, अथवा

(ग) 1959 के दिसम्बर के 31वें दिन को प्रारम्भ होने वाली और मिनिमम वेजेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1961(1961 का 31) के प्रारम्भ की तारीख को समाप्त होने वाली,

कालावधि के दौरान मजदूरी की न्यूनतम दरें अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय के रूप में समुचित सरकार द्वारा इस विश्वास पर या इस तात्पर्यित विश्वास पर नियत की गई हैं कि ऐसी दरें धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन, जैसी वह, यथास्थिति, मिनिमम वेजेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1954 (1954 का 26) या मिनिमम वेजेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1957 (1957 का 30) या मिनिमम वेजेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1961 (1961 का 31) के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी या नियत की जा रही हैं वहां ऐसी दरें विधि के अनुसार नियत की गई समझी जाएंगी और किसी भी न्यायालय में केवल इसी आधार पर प्रश्नगत न की जाएंगी कि उस खण्ड में इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट सुसंगत तारीख का उस समय अवसान हो चुका था जब वे दरें नियत की गई थीं :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का ऐसा विस्तार न होगा और न उसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसका ऐसा विस्तार है कि वह किसी भी व्यक्ति पर इस धारा में विनिर्दिष्ट किसी कालावधि के दौरान अपने कर्मचारियों में से किसी को मजदूरी के रूप में ऐसी रकम के, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम हो, देने के कारण या धारा 13 के अधीन निकाले गए किसी आदेश या नियम के पूर्वोक्त कालावधि के दौरान अनुपालन के कारण किसी भी प्रकार के किसी दण्ड या शास्ति के दायित्वाधीन करती है ।

अनुसूची

(धारा 2(छ) और धारा 27 देखिए)

भाग 1

1. ऊनी कालीन बनाने वाले या दुशाला बुनने के किसी स्थापन में नियोजन ।
2. किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन ।
3. किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना आता है) विनिर्माणशाला में नियोजन ।
4. किसी बागान अर्थात् ऐसी भू–सम्पदा में, जो सिंकोना, रबड़, चाय या काफी उगाने के प्रयोजन के लिए रखी जाती है, नियोजन ।
5. किसी तेल मिल में नियोजन।
6. किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन ।

7. Employment on the construction or maintenance of roads or in building operations.
8. Employment in stone breaking or stone crushing.
9. Employment in any lac manufactory.
10. Employment in any mica works.
11. Employment in public motor transport.
12. Employment in tanneries and leather manufactory.

Employment in gypsum mines.

Employment in barytes mines.

Employment in bauxite mines.

Employment in manganese mines.

Employment in the maintenance of buildings and employment in the construction and maintenance of runways.

Employment in China clay mines.

Employment in Kyanite mines.

Employment in copper mines.

Employment in clay mines covered under the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

Employment in magnesite mines covered under the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

Employment in white clay mines.

Employment in stone mines.

Employment in steatite mines (including the mines producing seapstone and tale).

Employment in ochre mines.

Employment in asbestos mines.

Employment in fire clay mines.

Employment in chromite mines.

Employment in quartizite mines.

Employment in quartz mines.

Employment in silica mines.

Employment in graphite mines.

Employment in felspar mines.

Employment in laterite mines.

Employment in dolomite mines.

Employment in redoxide mines.

Employment in wolfram mines.

Employment in iron ore mines.

Employment in granite mines.

7. सड़कों के सन्निर्माण या उन्हें बनाए रखने में या निर्माण–क्रियाओं में नियोजन ।)

8. पत्थर तोड़ने या पत्थर चूरने में नियोजन ।

9. किसी लाख–विनिर्माणशाला में नियोजन ।

10. किन्हीं अभ्रक–कर्मशाला में नियोजन ।

11. लोक मोटर परिवहन में नियोजन ।

12. चर्म–शोधनशालाओं में और चर्म–विनिर्माणशाला में नियोजन ।

जिप्सम खानों में नियोजन ।

बैराइट्रस खानों में नियोजन ।

बोक्साइट खानों में नियोजन ।

मैंगनीज खानों में नियोजन ।

भवनों को बनाए रखने में नियोजन तथा धावन–पथों के सन्निर्माण या उन्हें बनाए रखने में नियोजन ।

चीनी मिट्टी की खानों में नियोजन ।

कैनाईट खानों में नियोजन ।

तांबा खानों में नियोजन ।

खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अन्तर्गत आने वाली मृत्तिका खानों में नियोजन ।

खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अन्तर्गत आने वाली मैंगनेसाईट खानों में नियोजन ।

श्वेत मिट्टी खानों में नियोजन ।

पत्थर खानों में नियोजन ।

स्टिएटाइट खानों में नियोजन (जिसके अंतर्गत सेलखड़ी और टेल्क का उत्पादन करने वाली खानें भी हैं) ।

आकरेव खानों में नियोजन ।

एस्बेस्टास खानों में नियोजन ।

अग्नि सह मिट्टी खानों में नियोजन ।

क्रोमाइट की खानों में नियोजन ।

कार्टीजाइट खानों में नियोजन ।

क्वार्ट्ज खानों में नियोजन ।

सिलिका खानों में नियोजन ।

ग्रेफाइट खानों में नियोजन ।

फेल्सपर खानों में नियोजन ।

लैटेराइट खानों में नियोजन ।

डोलोमाइट खानों में नियोजन ।

रेडोक्साइड खानों में नियोजन ।

वोलफ्राम खानों में नियोजन ।

लोह अयस्क खानों में नियोजन ।

ग्रेनाइट खानों में नियोजन ।

Employment in rock phosphate mines.

Employment in hematite mines.

Employment in loading and unloading in Railways, goods sheds, docks, ports and airports (both International and Domestic terminals).

Employment in marble and calcite mines.

Employment in ashpit cleaning in railways.

Employment in uranium mines.

Employment in mica mines.

Employment in lignite mines.

Employment in gravel mines.

Employment in slate mines.

Employment in magnetite mines.

Employment in laying of underground cables, electric lines, water supply lines and sewer a pipe lines.

Employment of Watch and Ward.

Employment of Sweeping and cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.

PART II

1. Employment in agriculture, that is to say, in any form of farming, including the cultivation and tillage of the soil, dairy farming, the production, cultivation, growing and harvesting of any agricultural or horticultural commodity, the raising of livestock, bees or poultry, and any practice performed by a farmer or on a farm as incidental to or in conjunction with farm operations (including any forestry or timbering operations and the preparation for market and delivery to storage or to market or to carriage for transportation to market of farm produce).

रॉक फास्फेट खानों में नियोजन।

हेमेटाइट खानों में नियोजन।

रेलों, माल गोदामों, डॉक, पत्तनों और हवाई अड्डों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनल दोनों) संगमरमर तथा कैलसाइट खानों में नियोजन।

संगमरमर तथा कैलसाइट खानों में नियोजन।

रेलवे में ऐशपिट की सफाई में नियोजन।

यूरेनियन खानों में नियोजन

अभ्रक खानों में नियोजन।

लिग्नाइट खानों में नियोजन।

ग्रेवल खानों में नियोजन।

स्लेट खानों में नियोजन।

मेग्नेटाइट खानों में नियोजन।

भूमिगत केबल, विद्युत लाइनें, जलापूर्ति लाइनें, तथा सीवरेज पाइप लाइनें बिछाने में नियोजन।

पहरा और निगरानी में नियोजन।

बुहारने और सफाई हेतु नियोजन जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निषिद्ध कार्यकलाप शामिल नहीं हैं।

भाग 2

1. कृषि में, अर्थात् किसी भी रूप में कृषिकर्म में नियोजन, जिसके अंतर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि–संबंधी या उद्यान–कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, जीवधन पालन, मधु–मक्खी पालन या कुक्कुट पालन और किसी कृषक द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषिकर्म की आनुषंगिक रूपी या उनके साथ–साथ की गई क्रियाएं (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियाएं और कृषि उपज को मण्डी के लिए तैयार करने और भंडार में या मंडी को या मंडी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है) आती है ।

TRADE UNIONS ACT, 1926

ACT NO. 16 OF 19261

[25th March, 1926.]

(All amendments have been duly incorporated at their respective places and are not separately indicated.)

An Act to provide for the registration of Trade Unions and in certain respects to define the law relating to registered Trade Unions.

WHEREAS it is expedient to provide for the registration of Trade Unions and in certain respects to define the law relating to registered Trade Unions .

It is hereby enacted as follows:—

Chapter I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Trade Unions Act, 1926.

(2) It extends to the whole of India .

(3) It shall come into force on such date4 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act "the appropriate Government" means, in relation to Trade Unions whose objects are not confined to one State, the Central Government, and in relation to other Trade Unions, the State Government, and, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "executive" means the body, by whatever name called, to which the management of the affairs of a Trade Union is entrusted;

(b) "office-bearer", in the case of a Trade Union, includes any member of the executive thereof, but does not include an auditor;

(c) "prescribed" means prescribed by regulations made under this Act;

(d) "registered office" means that office of a Trade Union which is registered under this Act as the head office thereof;

(e) "registered Trade Union" means a Trade Union registered under this Act;

(f) "Registrar" means—

(i) a Registrar of Trade Unions appointed by the appropriate Government under section 3, and includes any Additional or Deputy Registrar of Trade Unions, and

(ii) in relation to any Trade Union, the Registrar appointed for the State in which the head or registered office, as the case may be, of the Trade Union is situated;

(g) "trade dispute" means any dispute between employers and workmen or between workmen and workmen, or between employers and employers which is connected with the employment or non-employment, or the terms of employment or the conditions of labour, of any person, and "workmen" means all persons employed in trade or industry whether or not in the employment of the employer with whom the trade dispute arises; and

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

(1926 का अधिनियम संख्यांक 16)

(25 मार्च, 1926)

(सभी संशोधनों को उनके संबंधित स्थानों पर विधिवत सम्मिलित किया गया है और उन्हें अलग से प्रदर्शित नहीं किया गया है।)

व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करने के लिए और रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों से संबंधित विधि को कतिपय विषयों में परिभाषित करने के लिए अधिनियम

व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध करना और रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों से संबंधित विधि को कतिपय विषयों में परिभाषित करना समीचीन है ;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.–(1) यह अधिनियम व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं.–इस अधिनियम में "समुचित सरकार" से, ऐसे व्यवसाय संघों के संबंध में, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार और अन्य व्यवसाय संघों के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है, और, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,–

(क) "कार्यपालिका" से वह निकाय, उसका नाम चाहे जो भी हो, अभिप्रेत है, जिसे किसी व्यवसाय संघ के कार्यकलाप का प्रबंध न्यस्त किया गया है ;

(ख) "पदाधिकारी" के अन्तर्गत, व्यवसाय संघ के दशा में, उसकी कार्यपालिका का कोई सदस्य आता है, किन्तु उसके अन्तर्गत संपरीक्षक नहीं आता ;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(घ) "रजिस्ट्रीकृत कार्यालय" से किसी व्यवसाय संघ का वह कार्यालय अभिप्रेत है जो उसके प्रधान कार्यालय के रूप में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;

(ङ) "रजिस्ट्रकृत व्यवसाय संघ" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है ;

(च) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है–

(i) समुचित सरकार द्वारा, धारा 3 के अधीन नियुक्त व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रार, और इसके अन्तर्गत व्यवसाय संघों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार आता है, तथा

(ii) किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, वह रजिस्ट्रार जो उस राज्य के लिए नियुक्त किया गया हो जिसमें व्यवसाय संघ का, यथास्थिति, प्रधान कार्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है ;

(छ) "व्यवसाय–विवाद" से नियोजकों और कर्मकारों के बीच का या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का या नियोजकों और नियोजकों के बीच का ऐसा विवाद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निबन्धनों या श्रम परिस्थितियों से संसक्त हो, और "कर्मकारों" से वे सभी व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो व्यवसाय या उद्योग में नियोजित हों, चाहे वे उस नियोजक के नियोजन में हों, या न हों, जिसके साथ व्यवसाय–विवाद उद्भूत होता है ; तथा

(h) "Trade Union" means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers or between workmen and workmen, or between employers and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of two or more Trade Unions:

Provided that this Act shall not affect—

(i) any agreement between partners as to their own business;

(ii) any agreement between an employer and those employed by him as to such employment; or

(iii) any agreement in consideration of the sale of the goodwill of a business or of instruction in any profession, trade or handicraft.

Chapter II

Registration of Trade Unions

3. Appointment of Registrars.—(1) The appropriate Government shall appoint a person to be the Registrar of Trade Unions for each State.

(2) The appropriate Government may appoint as many Additional and Deputy Registrars of Trade Unions as it thinks fit for the purpose of exercising and discharging, under the superintendence and direction of the Registrar, such powers and functions of the Registrar under this Act as it may, by order, specify and define the local limits within which any such Additional or Deputy Registrar shall exercise and discharge the powers and functions so specified.

(3) Subject to the provisions of any order under sub-section (2), where an Additional or Deputy Registrar exercises and discharges the powers and functions of a Registrar in an area within which the registered office of a Trade Union is situated, the Additional or Deputy Registrar shall be deemed to be the Registrar in relation to the Trade Union for the purposes of this Act.

4. Mode of registration.—(1) Any seven or more members of a Trade Union may, by subscribing their names to the rules of the Trade Union and by otherwise complying with the provisions of this Act with respect to registration, apply for registration of the Trade Union under this Act:

Provided that no Trade Union of workmen shall be registered unless at least ten per cent. or one hundred of the workmen, whichever is less, engaged or employed in the establishment or industry with which it is connected are the members of such Trade Union on the date of making of application for registration:

Provided further that no Trade Union of workmen shall be registered unless it has on the date of making application not less than seven persons as its members, who are workmen engaged or employed in the establishment or industry with which it is connected.

(2) Where an application has been made under sub-section (1) for the registration of a Trade Union, such application shall not be deemed to have become invalid merely by reason of the fact that, at any time after the date of the application, but before the registration of the Trade Union, some of the applicants, but not exceeding half of the total number of persons who made the application, have ceased to be members of the Trade Union or have given notice in writing to the Registrar dissociating themselves from the applications.

(ज) "व्यवसाय संघ" से अस्थायी या स्थायी कोई भी ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है जो कर्मकारों और नियोजकों के बीच के या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच के या नियोजकों और नियोजकों के बीच के सम्बन्ध को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए या किसी व्यवसाय या कारबार के संचालन पर निर्बन्धनात्मक शर्तें अधिरोपित करने के लिए प्रथमतः बनाया गया है और इसके अन्तर्गत दो या अधिक व्यवसाय संघों का कोई परिसंघ आता है :

परन्तु यह अधिनियम–

(i) भागीदारों के बीच के, उनके अपने कारबार के किसी करार पर,

(ii) किसी नियोजक और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के बीच नियोजन के बारे में किसी करार पर, अथवा

(iii) किसी कारबार की गुडविल के विक्रय के या किसी वृत्ति, व्यवसाय या हस्तशिल्प में शिक्षण के, प्रतिफलस्वरूप किसी करार पर,

प्रभाव नहीं डालेगा ।

अध्याय 2
व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण

3. रजिस्ट्रारों की नियुक्ति.–(1) समुचित सरकार हर एक राज्य के लिए किसी व्यक्ति को व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी ।

(2) समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का, जिन्हें वह आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन प्रयोग और निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए व्यवसाय संघ इतने अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उपरजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और उन स्थानीय सीमाओं को जिनके अंदर ऐसा कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार इस प्रकार विनिर्दिष्ट शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा, परिनिश्चित कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन के किसी आदेश के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहां कि कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसके अन्दर किसी व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, रजिस्ट्रार की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करता है वहां वह अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यवसाय संघ के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार समझा जाएगा ।

4. रजिस्ट्रीकरण का ढंग.–(1) व्यवसाय संघ के कोई भी सात या अधिक सदस्य उस व्यवसाय संघ के नियमों पर अपने नामों के हस्ताक्षर करके तथा रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों का अन्यथा अनुपालन करके, इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे :

परंतु कोई कर्मकार व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे स्थापन या उद्योग में, जिससे वह संसक्त है, लगे हुए या नियोजित कर्मकारों के कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार, इनमें से जो भी कम हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए जाने की तारीख को ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य न हों :

परंतु यह और कि कोई कर्मकार व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास आवेदन किए जाने की तारीख को उसके सदस्यों के रूप में कम से कम सात ऐसे व्यक्ति न हों जो ऐसे स्थापन या उद्योग में, जिससे वह संसक्त हैं, लगे हुए या नियोजित कर्मकार हैं ।

(2) जहां कि किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, वहां ऐसा आवेदन केवल इसी तथ्य के कारण अविधिमान्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि आवेदन की तारीख के पश्चात् किसी समय किन्तु व्यवसवाय संघ के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व कुछ आवेदक, जिनकी संख्या आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो, व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं रह गए हैं, या उन्होंने उस आवेदन से अपने आप को अलग करने के लिए रजिस्ट्रार को लिखित सूचना दे दी है ।

5. Application for registration.—(1) Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar and shall be accompanied by a copy of the rules of the Trade Union and a statement of the following particulars, namely:—

(c) the Commissioner may at any time rectify the register;

(a) the names, occupations and address of the members making application;

(aa) in the case of a Trade Union of workmen, the names, occupations and addresses of the place of work of the members of the Trade Union making the application;

(b) the name of the Trade Union and the address of its head office; and

(c) the titles, names, ages, addresses and occupations of the office-bearers of the Trade Union.

(2) Where a Trade Union has been in existence for more than one year before the making of an application for its registration, there shall be delivered to the Registrar, together with the application, a general statement of the assets and liabilities of the Trade Union prepared in such form and containing such particulars as may be prescribed.

6. Provisions to be contained in the rules of a Trade Union.—A Trade Union shall not be entitled to registration under this Act, unless the executive thereof is constituted in accordance with the provisions of this Act, and the rules thereof provide for the following matters, namely:—

(a) the name of the Trade Union;

(b) the whole of the objects for which the Trade Union has been established;

(c) the whole of the purposes for which the general funds of the Trade Union shall be applicable, all of which purposes shall be purposes to which such funds are lawfully applicable under this Act;

(d) the maintenance of a list of the members of the Trade Union and adequate facilities for the inspection thereof by the office-bearers and members of Trade Union;

(e) the admission of ordinary members who shall be persons actually engaged or employed in an industry with which the Trade Union is connected, and also the admission of the number of honorary or temporary members as office-bearers required under section 22 to form the executive of the Trade Union;

(ee) the payment of a minimum subscription by members of the Trade Union which shall not be less than—

- (i) one rupee per annum for rural workers;
- (ii) three rupees per annum for workers in other unorganised sectors; and
- (iii) twelve rupees per annum for workers in any other case;

(f) the conditions under which any member shall be entitled to any benefit assured by the rules and under which any fine or forfeiture may be imposed on the members;

(g) the manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded;

(h) the manner in which the members of the executive and the other office-bearers of the Trade Union shall be elected and removed;

(hh) the duration of period being not more than three years, for which the members of the executive and other office-bearers of the Trade Union shall be elected;

5. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.—(1) व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए हर आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाएगा और उसके साथ व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि और निम्नलिखित विशिष्टियों का एक कथन भी संलग्न होगा, अर्थात् :—

(क) आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, उपजीविकाएं और पते ;

(कक) कर्मकार व्यवसाय संघ की दशा में, आवेदन करने वाले व्यवसाय संघ के सदस्यों के नाम, उपजीविकाएं और कार्य—स्थान के पते ;

(ख) व्यवसाय संघ का नाम और उसके प्रधान कार्यालय का पता ; तथा

(ग) व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों के अभिधान, नाम, आयु, पते और उपजीविकाएं।

(2) जहां कि कोई व्यवसाय संघ, अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए जाने से पूर्व एक वर्ष से अधिक तक विद्यमान रहा है, वहां रजिस्ट्रार को आवेदन के साथ व्यवसाय संघ की आस्तियों और दायित्वों का साधारण विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार किया हुआ और ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए दिया जाएगा जैसी विहित की जाएं ।

6. व्यवसाय संघ के नियमों में अन्तर्विष्ट किए जाने वाले उपबन्ध.—व्यवसाय संघ इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी कार्यपालिका इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित न कर ली गई हो और उसके नियम निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध न करते हों, अर्थात् :—

(क) व्यवसाय संघ का नाम ;

(ख) वे सभी उद्देश्य जिनके लिए व्यवसाय संघ स्थापित किया गया है ;

(ग) वे सभी प्रयोजन जिनके लिए व्यवसाय संघ की साधारण निधियां उपयोज्य होंगी, जो सभी प्रयोजन ऐसे प्रयोजन होंगे जिनके लिए ऐसी निधियां इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक उपयोजित की जा सकती हैं ;

(घ) व्यवसाय संघ के सदस्यों की सूची का रखा जाना और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा उसके निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं ;

(ङ) उन साधारण सदस्यों का प्रवेश जो ऐसे उद्योग में, जिससे वह व्यवसाय संघ संसक्त है,वस्तुतः लगे हुए या नियोजित व्यक्ति होंगे, और पदाधिकारियों के रूप में उतने मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश जितने व्यवसाय संघ की कार्यपालिका बनाने के लिए धारा 22 के अधीन अपेक्षित हैं ;

(ङङ) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा चंदे का न्यूनतम संदाय, जो निम्नलिखित से कम नहीं होगा :—

(i) ग्रामीण कर्मकारों के लिए एक रुपया प्रतिवर्ष ;

(ii) अन्य असंगठित सेक्टरों में कर्मकारों के लिए तीन रुपए प्रतिवर्ष ; और

(iii) किसी अन्य दशा में कर्मकारों के लिए बारह रुपए प्रतिवर्ष ;

(च) वे शर्तें जिन पर सदस्य किसी ऐसे फायदे का हकदार होगा जिसका आश्वासन नियमों द्वारा दिया गया है और वे शर्तें जिनके अधीन कोई जुर्माना या समपहरण सदस्यों पर अधिरोपित किया जा सकेगा ;

(छ) वह रीति जिससे नियमों को संशोधित किया जाएगा, उनमें फेरफार किया जाएगा या उन्हें विखंडित किया जाएगा ;

(ज) वह रीति जिससे कार्यपालिका के सदस्यों को और व्यवसाय संघ के अन्य पदाधिकारियों को (निर्वाचित) किया जाएगा और हटाया जाएगा ;

(जज) वह कालावधि जो तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी जिसके लिए व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी के सदस्य और अन्य पदाधिकारी निर्वाचित किए जाएंगे ;

(i) the safe custody of the funds of the Trade Union, an annual audit, in such manner as may be prescribed, of the accounts thereof, and adequate facilities for the inspection of the account books by the office-bearers and members of the Trade Union; and

(j) the manner in which the Trade Union may be dissolved.

7. Power to call for further particulars and to require alteration of names.—(1) The Registrar may call for further information for the purpose of satisfying himself that any application complies with the provisions of section 5, or that the Trade Union is entitled to registration under section 6, and may refuse to register the Trade Union until such information is supplied.

(2) If the name under which a Trade Union is proposed to be registered is identical with that by which any other existing Trade Union has been registered or, in the opinion of the Registrar, so nearly resembles such name as to be likely to deceive the public or the members of either Trade Union, the Registrar shall require the persons applying for registration to alter the name of the Trade Union stated in the application, and shall refuse to register the Union until such alteration has been made.

8. Registration.—The Registrar, on being satisfied that the Trade Union has complied with all the requirements of this Act in regard to registration, shall register the Trade Union by entering in a register, to be maintained in such form as may be prescribed, the particulars relating to the Trade Union contained in the statement accompanying the application for registration.

9. Certificate of registration.—The Registrar, on registering a Trade Union under section 8, shall issue a certificate of registration in the prescribed form which shall be conclusive evidence that the Trade Union has been duly registered under this Act.

9A. Minimum requirement about membership of a Trade Union.—A registered Trade Union of workmen shall at all times continue to have not less than ten per cent. or one hundred of the workmen, whichever is less, subject to a minimum of seven, engaged or employed in an establishment or industry with which it is connected, as its members.

10. Cancellation of registration.—A certificate of registration of a Trade Union may be withdrawn or cancelled by the Registrar—

(a) on the application of the Trade Union to be verified in such manner as may be prescribed;

(b) if the Registrar is satisfied that the certificate has been obtained by fraud or mistake or that the Trade Union has ceased to exist or has wilfully and after notice from the Registrar contravened any provision of this Act or allowed any rule to continue in force which is inconsistent with any such provision or has rescinded any rule providing for any matter provision for which is required by section 6;

(c) if the Registrar is satisfied that a registered Trade Union of workmen ceases to have the requisite number of members:

Provided that not less than two months' previous notice in writing specifying the ground on which it is proposed to withdraw or cancel the certificate shall be given by the Registrar to the Trade Union before the certificate is withdrawn or cancelled otherwise than on the application of the Trade Union.

(झ) व्यवसाय संघ की निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा, उनके लेखाओं की ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, वार्षिक संपरीक्षा, और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लेखाबहियों के निरीक्षण के लिए यथायोग्य सुविधाएं ; तथा

(ञ) वह रीति जिससे व्यवसाय संघ को विघटित किया जा सकेगा ।

7. अतिरिक्त विशिष्टियां मांगने और नाम में परिवर्तन करने की अपेक्षा करने की शक्ति.–(1) रजिस्ट्रार अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि कोई आवेदन धारा 5 के उपबन्धों का अनुपालन करता है या व्यवसाय संघ धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार है अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा और जब तक ऐसी जानकारी नहीं दे दी जाती तब तक उस व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर सकेगा ।

(2) यदि वह नाम जिसमें किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकृत किए जाने की प्रस्थापना है वही है जिसमें कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत हुआ है या रजिस्ट्रार की राय में ऐसे नाम के इतना अधिक सदृश है कि उससे जनता का या उन व्यवसाय संघों में से किसी के भी सदस्यों का धोखे में पड़ जाना संभाव्य है, तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा करेगा कि वे आवेदन में कथित व्यवसाय संघ के नाम को परिवर्तित कर दें और जब तक ऐसा परिवर्तन नहीं कर दिया जाता तब तक उस संघ को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर देगा ।

8. रजिस्ट्रीकरण.–अपना यह समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय संघ ने रजिस्ट्रीकरण के बारे में इस अधिनियम की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया है रजिस्ट्रार उस व्यवसाय संघ को उस रजिस्टर में, जिसे ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा, जो विहित किया जाए, व्यवसाय संघ से सम्बद्ध ऐसी विशिष्टियां प्रविष्ट करके रजिस्ट्रीकृत करेगा, जो रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ दिए गए कथन में अन्तर्विष्ट हों ।

9. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र.–रजिस्ट्रार धारा 8 के अधीन किसी व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत कर लेने पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में देगा, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हो गया है ।

9क. किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता के बारे में न्यूनतम अपेक्षा.–किसी रजिस्ट्रीकृत कर्मकार व्यवसाय संघ में, ऐसे स्थापन या उद्योग में, जिससे वह संसक्त है, लगे हुए या नियोजित कर्मकारों के, न्यूनतम संख्या सात के अधीन रहते हुए, कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार, इनमें से जो भी कम हो, उसके सदस्यों के रूप में हमेशा ही बने रहेंगे ।

10. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.–व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा–

(क) व्यवसाय संघ के आवेदन पर, ऐसी रीति से सत्यापित किया जाएगा जो विहित की जाए, अथवा

(ख) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि प्रणामपत्र कपट या भूल से अभिप्राप्त किया गया है, या व्यवसाय संघ अस्तित्वहीन हो गया है, या उसने जानबूझकर और रजिस्ट्रार से सूचना मिलने के पश्चात् इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है या किसी ऐसे नियम को, जो किसी ऐसे उपबन्ध से असंगत है प्रवृत्त रहने दिया है, अथवा किसी ऐसे विषय का, जिसका उपबन्ध धारा 6 के अधीन अपेक्षित है, उपबन्ध करने वाले किसी नियम को विखंडित किया है,

(ग) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत कर्मकार व्यवसाय संघ में सदस्यों की अपेक्षित संख्या नहीं रही है,

प्रत्याहृत या रद्द किया जा सकेगा :

परन्तु प्रमाणपत्र को व्यवसाय संघ के आवेदन पर से अन्यथा प्रत्याहृत या रद्द करने से पूर्व रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ को लिखित रूप में कम से कम दो मास की पूर्व सूचना देगा, जिसमें वह आधार विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उस प्रमाणपत्र को प्रत्याहृत या रद्द करना प्रस्थापित है ।

11. Appeal.—(1) Any person aggrieved by any refusal of the Registrar to register a Trade Union or by the withdrawal or cancellation of a certificate of registration may, within such period as may be prescribed, appeal—

(a) where the head office of the Trade Union is situated within the limits of a Presidency town to the High Court, or

(aa) where the head office is situated in an area, falling within the jurisdiction of a Labour Court or an Industrial Tribunal, to that Court or Tribunal, as the case may be;

(b) where the head office is situated in any area, to such Court, not inferior to the Court of an additional or assistant Judge of a principal Civil Court of original jurisdiction, as the appropriate Government may appoint in this behalf for that area.

(2) The appellate Court may dismiss the appeal, or pass an order directing the Registrar to register the Union and to issue a certificate of registration under the provisions of section 9 or setting aside the order or withdrawal or cancellation of the certificate, as the case may be, and the Registrar shall comply with such order.

(3) For the purpose of an appeal under sub-section (1) an appellate Court shall, so far as may be, follow the same procedure and have the same power as it follows and has when trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), and may direct by whom the whole or any part of the costs of the appeal shall be paid, and such costs shall be recovered as if they had been awarded in a suit under the said Code.

(4) In the event of the dismissal of an appeal by any Court appointed under clause (b) of sub-section (1) the person aggrieved shall have a right of appeal to the High Court, and the High Court shall, for the purpose of such appeal, have all the powers of an appellate Court under sub-sections (2) and (3), and the provisions of those sub-sections shall apply accordingly.

12. Registered office.—All communications and notices to a registered Trade Union may be addressed to its registered office. Notice of any change in the address of the head office shall be given within fourteen days of such change to the Registrar in writing, and the changed address shall be recorded in the register referred to in section 8.

13. Incorporation of registered Trade Union.—Every registered Trade Union shall be a body corporate by the name under which it is registered, and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold both movable and immovable property and to contract, and shall by the said name sue and be sued.

14. Certain Acts not to apply to registered Trade Unions.—The following Acts, namely:—

(a) The Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);

(b) The Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912);

(c) The Companies Act, 1956 (1 of 1956)[1],

shall not apply to any registered Trade Union, and the registration of any such Trade Union under any such Act shall be void.

1. *Now See*, the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

11. अपील.–(1) किसी व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करने से रजिस्ट्रार के इन्कार करने से, या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रत्याहृत या रद्द किए जाने से व्यथित व्यक्ति ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी विहित की जाए,–

(क) जहां कि व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय किसी प्रेसिडेन्सी नगर की सीमाओं के अन्दर स्थित है वहां उच्च न्यायालय में; अथवा

(कक) जहां कि प्रधान कार्यालय किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आता है वहां, यथास्थिति, उस न्यायालय या अधिकरण में;

(ख) जहां कि वह प्रधान कार्यालय किसी अन्य क्षेत्र में स्थित है वहां ऐसे न्यायालय में, जो आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय के अपर न्यायाधीश या सहायक न्यायाधीश के न्यायालय से अवर न हो और जिसे समुचित सरकार उस क्षेत्र के लिए इस निमित्त नियुक्त करे,

अपील कर सकेगा ।

(2) अपील न्यायालय अपील को खारिज कर सकेगा या रजिस्ट्रार को यह निदेश देने वाला आदेश पारित कर सकेगा कि वह संघ को रजिस्ट्रीकृत करे और धारा 9 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दे या, यथास्थिति, प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण या रद्दकरण के आदेश को अपास्त करने वाला आदेश पारित कर सकेगा, और रजिस्ट्रार ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा ।

(3) अपील न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अपील के प्रयोजन के लिए यावत्शक्य उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका, और उसे वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय वह अनुसरण करता है या उसे होती है, और यह भी निदेश दे सकेगा कि अपील का पूरा खर्चा या उसका कोई भाग किसके द्वारा संदत्त किया जाएगा, और ऐसे खर्चे उसी प्रकार वसूल किए जाएंगे मानो वे उक्त संहिता के अधीन किसी वाद में अधिनिर्णीत किए गए हों ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त किसी न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने की दशा में, व्यथित व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा और उच्च न्यायालय को ऐसी अपील के प्रयोजन के लिए उपधाराओं (2) और (3) के अधीन अपील न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और उन उपधाराओं के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे ।

12. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.–रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को दी जाने वाली सभी संसूचनाएं और सूचनाएं उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते से भेजी जा सकेंगी । प्रधान कार्यालय के पते में हुई किसी तब्दीली की सूचना, ऐसी तब्दीली के चौदह दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को लिखित रूप में दी जाएगी और बदला हुआ पता धारा 8 में निर्दिष्ट रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा ।

13. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का निगमन.–हर रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ उस नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसमें उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति दोनों को ही अर्जित और धारित करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

14. कतिपय अधिनियमों का रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को लागू न होना.–निम्नलिखित अधिनियम, अर्थात् :–

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21),

(ख) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2),

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)[1],

किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को लागू न होंगे और ऐसे किसी अधिनियम के अधीन हुआ ऐसे किसी व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण शून्य होगा ।

---

1. अब देखें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

Chapter III

Rights and liabilities of registered trade unions

15. Objects on which general funds may be spent.—The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects than the following, namely:—

(a) the payment of salaries, allowances and expenses to office-bearers of the Trade Union;

(b) the payment of expenses for the administration of the Trade Union, including audit of the accounts of the general funds of the Trade Union;

(c) the prosecution or defence of any legal proceeding to which the Trade Union or any member thereof is a party, when such prosecution or defence is under taken for the purpose of securing or protecting any rights of the Trade Union as such or any rights arising out of the relations of any member with his employer or with a person whom the member employs;

(d) the conduct of trade disputes on behalf of the Trade Union or any member thereof;

(e) the compensation of members for loss arising out of trade disputes;

(f) allowances to members or their dependants on account of death, old age, sickness, accidents or unemployment of such members;

(g) the issue of, or the undertaking of liability under, policies of assurance on the lives of members, or (under) policies insuring members against sickness, accident or unemployment;

(h) the provision of education, social or religious benefits for members (including the payment of the expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependants of members;

(i) the upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers or workmen as such;

(j) the payment, in furtherance of any of the objects on which the general funds of the Trade Union may be spent, of contributions to any cause intended to benefit workmen in general, provided that the expenditure in respect of such contributions in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and

(k) subject to any conditions contained in the notification, any other object notified by the appropriate Government in the Official Gazette.

16. Constitution of a separate fund for political purposes.— (1) A registered Trade Union may constitute a separate fund, from contributions separately levied for or made to that fund, from which payments may be made, for the promotion of the civic and political interests of its members, in furtherance of any of the objects specified in sub-section (2).

(2) The objects referred to in sub-section (1) are—

(a) the payment of any expenses incurred, either directly or indirectly, by a candidate or prospective candidate for election as a member of any legislative body constituted under the Constitution or of any local authority, before, during, or after the election in connection with his candidature or election; or

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के अधिकार और दायित्व

15. उद्देश्य जिन पर साधारण निधियां व्यय की जा सकेंगी.—रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की साधारण निधियां निम्नलिखित से भिन्न किन्हीं उद्देश्यों पर व्यय न की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) व्यवाय संघ के पदाधिकारियों को सम्बलम्, भत्तों और व्ययों का संदाय ;

(ख) व्यवसाय संघ के प्रशासन के लिए व्ययों का संदाय, जिसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ की साधारण निधियों के लेखाओं की संपरीक्षा आती है ;

(ग) जब कि किसी विधिक कार्यवाही का, जिसका वह व्यवसाय संघ या उसका कोई सदस्य पक्षकार है, अभियोजन या प्रतिवाद, व्यवसाय संघ के उस रूप में के अधिकारों को या ऐसे अधिकारों को, जो किसी सदस्य के उसके नियोजक के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसे वह सदस्य नियोजित करता है, सम्बन्धों से उद्भूत होते हों, सुनिश्चित या संरक्षित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है तब ऐसा अभियोजन या प्रतिवाद ;

(घ) व्यवसाय संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से व्यवसाय—विवादों का संचालन ;

(ङ) व्यवसाय—विवादों से उद्भूत होने वाली हानि के लिए सदस्यों को प्रतिकर का दिया जाना;

(च) सदस्यों की मृत्यु, वृद्धावस्था, रुग्णता, दुर्घटनाओं या बेकारी के कारण ऐसे सदस्यों या उनके आश्रितों को दिए जाने वाले भत्ते ;

(छ) सदस्यों के जीवन के बीमा की पालिसियों अथवा रुग्णता, दुर्घटना या बेकारी के विरुद्ध सदस्यों का बीमा करने वाली पालिसियों का दिया जाना या उनके अधीन के दायित्व का ग्रहण ;

(ज) शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक प्रसुविधाओं का (जिसके अन्तर्गत मृत सदस्यों की अन्त्येष्टि या धार्मिक कर्मों के ब्ययों का संदाय आता है) सदस्यों के लिए या सदस्यों के आश्रितों के लिए उपबन्ध ;

(झ) मुख्यतः नियोजकों या कर्मकारों पर उनकी उस हैसियत में प्रभाव डालने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिए सामयिकी को चालू रखना ;

(ञ) उन उद्देश्यों में से, जिन पर व्यवसाय संघ की साधारण निधियां व्यय की जा सकती हैं, किसी को अग्रसर करने में, अभिदायों का किसी ऐसे हेतुक के लिए संदाय, जिसका आशय साधारणतया कर्मकारों को फायदा पहुंचाना है, परन्तु ऐसे अभिदायों की बाबत किसी भी वित्तीय वर्ष में व्यय किसी भी समय उस कुल योग के चतुर्थांश से अधिक नहीं होगा, जो उस वर्ष के दौरान में उस सकल आय को, जो उस व्यवसाय संघ की साधारण निधियों में उस वर्ष के दौरान उस समय तक प्रोद्भूत हुई हो, और उस वर्ष के प्रारम्भ पर उन निधियों में जमा अतिशेष को मिलाकर हो ; तथा

(ट) अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कोई ऐसा अन्य उद्देश्य जो समुचित सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो ।

16. राजनीतिक प्रयोजनों के लिए पृथक् निधि का गठन.—(1) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ एक पृथक् निधि का ऐसे अभिदायों से गठन कर सकेगा जो उस निधि के लिए पृथक्तः उद्गृहीत किए गए हों या दिए गए हों, जिसमें से संदाय, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी को अग्रसर करने में उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों की अभिवृद्धि के लिए किए जा सकेंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(क) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अपनी अभ्यर्थिता निर्वाचन के संसंग में निर्वाचन के पूर्व, दौरान या पश्चात् किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपगत व्ययों का संदाय ; अथवा

(b) the holding of any meeting or the distribution of any literature or documents in support of any such candidate or prospective candidate; or

(c) the maintenance of any person who is a member of any legislative body constituted under the Constitution or for any local authority; or

(d) the registration of electors or the selection of a candidate for any legislative body constituted under the Constitution or for any local authority; or

(e) the holding of political meetings of any kind, or the distribution of political literature or political documents of any kind.

(2A) In its application to the State of Jammu and Kashmir, references in sub-section (2) to any legislative body constituted under the Constitution shall be construed as including references to the Legislature of that State.

(3) No member shall be compelled to contribute to the fund constituted under sub-section (1); and a member who does not contribute to the said fund shall not be excluded from any benefits of the Trade Union, or placed in any respect either directly or indirectly under any disability or at any disadvantage as compared with other members of the Trade Union (except in relation to the control or management of the said fund) by reason of his not contributing to the said fund; and contribution to the said fund shall not be made a condition for admission to the Trade Union.

17. Criminal conspiracy in trade disputes.—No office-bearer or member of a Registered Trade Union shall be liable to punishment under sub-section (2) of section 120B of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860)[1] in respect of any agreement made between the members for the purpose of furthering any such object of the Trade Union as is specified in section 15, unless the agreement is an agreement to commit an offence.

18. Immunity from civil suit in certain cases.—(1) No suit or other legal proceeding shall be maintainable in any Civil Court against any registered Trade Union or any 1[office-bearer] or member thereof in respect of any act done in contemplation or furtherance of a trade dispute to which a member of the Trade Union is a party on the ground only that such act induces some other person to break a contract of employment, or that it is in interference with the trade, business or employment of some other person or with the right of some other person to dispose of his capital or of his labour as he wills.

(2) A registered Trade Union shall not be liable in any suit or other legal proceeding in any Civil Court in respect of any tortious act done in contemplation or furtherance of a trade dispute by an agent of the Trade Union if it is proved that such person acted without the knowledge of, or contrary to express instructions given by, the executive of the Trade Union.

19. Enforceability of agreements.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an agreement between the members of a registered Trade Union shall not be void or voidable merely by reason of the fact that any of the objects of the agreement are in restraint of trade:

Provided that nothing in this section shall enable any Civil Court to entertain any legal proceeding instituted for the express purpose of enforcing or recovering damages for the breach of any agreement concerning the conditions on which any members of a Trade Union shall or shall not sell their goods, transact business, work, employ or be employed.

---

1. *Now See*, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(ख) ऐसे किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी के समर्थन में किसी सभा का आयोजन, या किसी साहित्य या दस्तावेजों का वितरण ; अथवा

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति का भरण–पोषण जो संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का सदस्य है ; अथवा

(घ) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय के लिए या किसी स्थानीय प्राधिकारी के लिए निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण या अभ्यर्थी का चयन ; अथवा

(ङ) किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभाओं का आयोजन या किसी भी प्रकार के राजनीतिक साहित्य या राजनीतिक दस्तावेजों का वितरण ।

(2क) उपधारा (2) में संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय के प्रति निदेशों का, उनके जम्मू–कश्मीर राज्य को लागू होने के संबंध में इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि उस राज्य के विधान–मंडल के प्रति निर्देश उनके अंतर्गत हैं ।

(3) कोई भी सदस्य उपधारा (1) के अधीन गठित निधि में अभिदाय करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और कोई सदस्य, जो उक्त निधि में अभिदाय नहीं करता है, व्यवसाय संघ के फायदों में से किसी से भी अपवर्जित न किया जाएगा और न उक्त निधि में उसके द्वारा अभिदाय न किए जाने के कारण उसे (उक्त निधि के नियंत्रण या प्रबंध के संबंध में के सिवाय) व्यवसाय संघ के अन्य सदस्यों की तुलना में किसी भी मामले में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी निर्योग्यता या किसी अलाभ के अधीन रखा जाएगा, और उक्त निधि में अभिदाय करना व्यवसाय संघ में प्रवेश के लिए शर्त के रूप में नहीं होगा ।

17. व्यवसाय विवादों में आपराधिक षड्यंत्र.–रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य व्यवसाय संघ के किसी ऐसे उद्देश्य को, जैसा धारा 15 में विनिर्दिष्ट है, अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों के बीच हुए किसी करार के बारे में, जब तक कि वह करार किसी अपराध को करने का करार न हो, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)[1] की धारा 120ख की उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय नहीं होगा ।

18. कतिपय दशाओं में सिविल वाद से उन्मुक्ति.–(1) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के बारे में जो ऐसे व्यवसाय–विवाद को, जिसका व्यवसाय संघ का सदस्य एक पक्षकार है, अनुध्यात करते हुए या उसे अग्रसर करने में किया गया है, उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में केवल इसी आधार पर नहीं चलाई जा सकेगी कि ऐसा कार्य नियोजन की संविदा भंग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय, कारबार या नियोजन में, या किसी अन्य व्यक्ति के अपनी पूंजी या अपने श्रम को अपनी इच्छानुसार व्ययन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, किसी व्यवसाय–विवाद को अनुध्यात करते हुए या उसे अग्रसर करने में उस व्यवसाय संघ के किसी अभिकर्ता द्वारा किए गए किसी अपकृत्य की बाबत किसी सिविल न्यायालय में, किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में दायी न होगा, यदि यह साबित हो जाए कि उस व्यक्ति ने व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के ज्ञान के बिना या उस कार्यपालिका द्वारा दिए गए अभिव्यक्त अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य किया था ।

19. करारों की प्रवर्तनीयता.–रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच हुआ करार, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल इसी तथ्य के कारण शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगा कि उस करार के उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य व्यापार के अवरोधक है :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात उन शर्तों से संपृक्त किसी करार के भंग के लिए, जिन पर व्यवसाय संघ के कोई सदस्य अपना माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे कारबार का संव्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे, नियोजन करेंगे या नहीं करेंगे या नियोजित किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, नुकसानी दिला पाने या वसूल करने के अभिव्यक्त प्रयोजन के लिए संस्थित किसी विधिक कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए किसी सिविल न्यायालय को समर्थ नहीं करेगी ।

1. अब देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)।

20. Right to inspect books of Trade Union.—The account books of a registered Trade Union and the list of members thereof shall be open to inspection by an office-bearer or member of the Trade Union at such times as may be provided for in the rules of the Trade Union.

21. Rights of minors to membership of Trade Unions.—Any person who has attained the age of fifteen years may be a member of a registered Trade Union subject to any rules of the Trade Union to the contrary, and may, subject as aforesaid, enjoy all the rights of a member and execute all instruments and give all acquittances necessary to be executed or given under the rules:

21A. Disqualifications of office-bearers of Trade Unions.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being member of the executive or any other office-bearer of a registered Trade Union if—

(i) he has not attained the age of eighteen years;

(ii) he has been convicted by a Court in India of any offence involving moral turpitude and sentenced to imprisonment, unless a period of five years has elapsed since his release.

(2) Any member of the executive or other office-bearer of a registered Trade Union who, before the commencement of the Indian Trade Unions (Amendment) Act, 1964, has been convicted of any offence involving moral turpitude and sentenced to imprisonment, shall on the date of such commencement cease to be such member or office-bearer unless a period of five years has elapsed since his release before that date.

(3) In its application to the State of Jammu and Kashmir, reference in sub-section (2) to the commencement of the Indian Trade Unions (Amendment) Act, 1964, shall be construed as reference to the commencement of this Act in the said State.

22. Proportion of office-bearers to be connected with the industry.—(1) Not less than one-half of the total number of the office-bearers of every registered Trade Union in an unorganised sector shall be persons actually engaged or employed in an industry with which the Trade Union is connected:

Provided that the appropriate Government may, by special or general order, declare that the provisions of this section shall not apply to any Trade Union or class of Trade Unions specified in the order.

Explanation.—For the purposes of this section, "unorganised sector" means any sector which the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

(2) Save as otherwise provided in sub-section (1), all office-bearers of a registered Trade Union, except not more than one-third of the total number of the office-bearers or five, whichever is less, shall be persons actually engaged or employed in the establishment or industry with which the Trade Union is connected.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, an employee who has retired or has been retrenched shall not be construed as outsider for the purpose of holding an office in a Trade Union.

(3) No member of the Council of Ministers or a person holding an office of profit (not being an engagement or employment in an establishment or industry with which the Trade Union is connected), in the Union or a State, shall be a member of the executive or other office-bearer of a registered Trade Union.

20. व्यवसाय संघ की पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार.—रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की लेखा—बहियां और उसके सदस्यों की सूची व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसी समयों पर खुली रहेंगी जो व्यवसाय संघ के नियमों में उपबन्धित किए जाएं ।

21. व्यवसाय संघों की सदस्यता के लिए अप्राप्तवयों के अधिकार.—कोई भी व्यक्ति जिसने पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य, उस व्यवसाय संघ के तत्प्रतिकूल नियमों के अध्यधीन रहते हुए हो सकेगा और यथापूर्वोक्त अध्यधीन रहते हुए, सदस्य के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकेगा और सभी ऐसी लिखतों का निष्पादन कर सकेगा और सभी ऐसे निस्तारण पत्र दे सकेगा जिनका निष्पादन किया जाना या दिया जाना नियमों के अधीन आवश्यक हो।

21क. व्यवसाय संघों के पदाधिकारियों की निरर्हताएं.—(1) कोई व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या उसका कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि—

(i) उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ;

(ii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध और कारावास से दंडदिष्ट किया गया है, जब तक कि उसे छोड़े जाने के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो ।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के किसी ऐसे सदस्य का या उसके किसी ऐसे पदाधिकारी का जो भारतीय व्यवसाय संघ (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 का 38) के प्रारंभ के पूर्व, ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, दोषसिद्ध और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है ऐसे प्रारम्भ की तारीख को ऐसा सदस्य या पदाधिकारी रहना समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उस तारीख के पूर्व उसे छोड़े जाने के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो ।

(3) उपधारा (2) में, भारतीय व्यवसाय संघ (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 का 38) के प्रारंभ के प्रति निर्देश का जम्मू—कश्मीर राज्य को लागू होने के संबंध में, इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के उस राज्य में प्रारम्भ के प्रति निर्देश है ।

22. उद्योग से संसक्त पदाधिकारियों का अनुपात.—(1) किसी असंगठित सेक्टर में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की कुल संख्या की कम से कम आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो किसी ऐसे उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ संसक्त है, वास्तव में लगे हुए हैं या नियोजित हैं :

परंतु समुचित सरकार, विशेष या साधारण आदेश द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय संघ को या व्यवसाय संघों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "असंगठित सेक्टर" से कोई ऐसा सेक्टर अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(2) उपधारा (1) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सभी पदाधिकारी, सिवाय पदाधिकारियों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक संख्या या पांच, इनमें से जो भी कम हो, ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसे स्थापन या उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ संसक्त है, वास्तव में लगे हुए या नियोजित हैं ।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में, जो सेवानिवृत्त हो चुका है या जिसकी छंटनी कर दी गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यवसाय संघ में कोई पद धारण करने के प्रयोजन के लिए बाहरी व्यक्ति है ।

(3) संघ या किसी राज्य मंत्रि—परिषद् का कोई सदस्य या उसमें लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी ऐसे स्थापन या उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ संसक्त है, लगा हुआ या नियोजित है) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का सदस्य या अन्य पदाधिकारी नहीं होगा ।

23. Change of name.—Any registered Trade Union may, with the consent of not less than two thirds of the total number of its members and subject to the provisions of section 25, change its name.

24. Amalgamation of Trade Unions.—Any two or more registered Trade Unions may become amalgamated together as one Trade Union with or without dissolution or division of the funds of such Trade Unions or either or any of them, provided that the votes of at least one-half of the members of each or every such Trade Union entitled to vote are recorded, and that at least sixty per cent. of the votes recorded are in favour of the proposal.

25. Notice of change of name or amalgamation.—(1) Notice in writing of every change of name and of every amalgamation signed, in the case of a change of name, by the Secretary and by seven members of the Trade Union changing its name, and in the case of an amalgamation, by the Secretary and by seven members of each and every Trade Union which is a party thereto, shall be sent to the Registrar and where the head office of the amalgamated Trade Union is situated in a different State, to the Registrar of such State.

(2) If the proposed name is identical with that by which any other existing Trade Union has been registered or, in the opinion of the Registrar, so nearly resembles such name as to be likely to deceive the public or the members of either Trade Union, the Registrar shall refuse to register the change of name.

(3) Save as provided in sub-section (2), the Registrar shall, if he is satisfied that the provisions of this Act in respect of change of name have been complied with, register the change of name in the register referred to in section 8, and the change of name shall have effect from the date of such registration.

(4) The Registrar of the State in which the head office of the amalgamated Trade Union is situated shall, if he is satisfied that the provisions of this Act in respect of amalgamation have been complied with and that the Trade Union formed thereby is entitled to registration under section 6, register the Trade Union in the manner provided in section 8, and the amalgamation shall have effect from the date of such registration.

26. Effects of change of name and of amalgamation.—(1) The change in the name of a registered Trade Union shall not affect any rights or obligations of the Trade Union or render defective any legal proceeding by or against the Trade Union, and any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by or against it by its new name.

(2) An amalgamation of two or more registered Trade Unions shall not prejudice any right of any of such Trade Unions or any right of a creditor of any of them.

27. Dissolution.—(1) When a registered Trade Union is dissolved, notice of the dissolution signed by seven members and by the Secretary of the Trade Union shall, within fourteen days of the dissolution be sent to the Registrar, and shall be registered by him if he is satisfied that the dissolution has been effected in accordance with the rules of the Trade Union, and the dissolution shall have effect from the date of such registration.

(2) Where the dissolution of a registered Trade Union has been registered and the rules of the Trade Union do not provide for the distribution of funds of the Trade Union on dissolution, the Registrar shall divide the funds amongst the members in such manner as may be prescribed.

23. नाम में तब्दीली.—रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो–तिहाई की सम्मति से और धारा 25 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अपना नाम बदल सकेगा ।

24. व्यवसाय संघों का समामेलन.—कोई भी दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, ऐसे व्यवसाय संघों या उनमें से किसी का विघटन करके, या विघटन किए बिना, या उनकी या उनमें से किसी की निधियों का विभाजन करके या विभाजन किए बिना, मिलकर एक व्यवसाय संघ के रूप में समामेलित हो सकेंगे परन्तु यह तब जब कि ऐसे हर एक व्यवसाय संघ के ऐसे सदस्यों के, जो मत देने के हकदार हों, कम से कम आधे सदस्यों के मत अभिलिखित किए गए हों और अभिलिखित किए गए मतों का कम से कम साठ प्रतिशत उस प्रस्थापना के पक्ष में हो ।

25. नाम बदलने या समामेलन की सूचना.—(1) नाम की हर तब्दीली की और हर समामेलन की लिखित सूचना जिस पर, नाम बदले जाने की दशा में अपना नाम बदलने वाले व्यवसाय संघ के सचिव और सात सदस्यों के, और समामेलन की दशा में ऐसे हर एक व्यवसाय संघ के, जो उसमें पक्षकार हो, सचिव और सात सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और जहां कि समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय किसी भिन्न राज्य में स्थित हो वहां उस राज्य के रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी ।

(2) यदि प्रस्थापित नाम वही है जिसमें कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत हुआ है या रजिस्ट्रार की राय में ऐसे नाम के इतना अधिक सदृश है कि उससे जनता का या उन व्यवसाय संघों से किसी के भी सदस्यों का धोखे में पड़ जाना संभाव्य है तो रजिस्ट्रार उस नाम की तब्दीली को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर देगा ।

(3) उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि नाम की तब्दीली के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो गया है, नाम की तब्दीली धारा 8 में निर्दिष्ट रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करेगा और नाम की तब्दीली ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगी ।

(4) जिस राज्य में समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है उसका रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि समामेलन के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो गया है और जो व्यवसाय संघ तद्द्वारा बना है वह धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, धारा 8 में उपबंधित रीति से उस व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करेगा और समामेलन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

26. नाम की तब्दीली और समामेलन का प्रभाव.—(1) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम में की गई तब्दीली व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारों या दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न उस व्यवसाय संघ द्वारा या उसके विरुद्ध की गई किसी विधिक कार्यवाही को ही त्रुटियुक्त बनाएगी, और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही जो उसके पूर्व नाम में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारम्भ की जा सकती थी उसके नए नाम में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रारम्भ की जा सकेगी ।

(2) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का समामेलन ऐसे व्यवसाय संघों में से किसी के अधिकार पर या उनमें से किसी के लेनदार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

27. विघटन.—(1) जब कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ विघटित किया जाता है, तब विघटन की सूचना, जिस पर उस व्यवसाय संघ के सात सदस्यों और उसके सचिव के हस्ताक्षर होंगे, विघटन के चौदह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और यदि उसका समाधान हो जाए कि विघटन व्यवसाय संघ के नियमों के अनुसार किया गया है तो वह सूचना उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और विघटन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(2) जहां कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का विघटन रजिस्ट्रीकृत हो गया है और व्यवसाय संघ के नियम विघटन पर व्यवसाय संघ की निधियों के वितरण के लिए उपबंध नहीं करते वहां रजिस्ट्रार उन निधियों को सदस्यों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगा जैसी विहित की जाए ।

28. Returns.—(1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement, audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on such 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected upto the date of the despatch thereof to the Registrar.

(3) A copy of every alteration made in the rules of a registered Trade Union shall be sent to the Registrar within fifteen days of the making of the alteration.

(4) For the purpose of examining the documents referred to in sub-sections (1), (2) and (3), the Registrar, or any officer authorised by him by general or special order, may at all reasonable times inspect the certificate of registration, account books, registers, and other documents, relating to a Trade Union, at its registered office or may require their production at such place as he may specify in this behalf, but no such place shall be at a distance of more than ten miles from the registered office of a Trade Union.

Chapter IV

Regulations

29. Power to make regulations.—(1) The appropriate Government may make regulations for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters namely:—

(a) the manner in which Trade Unions and the rules of Trade Unions shall be registered and the fees payable on registration;

(b) the transfer of registration in the case of any registered Trade Union which has changed its head office from one State to another;

(c) the manner in which, and the qualifications by whom, the accounts of registered Trade Unions or of any class of such Unions shall be audited;

(d) the conditions subject to which inspection of documents kept by Registrars shall be allowed and the fees which shall be chargeable in respect of such inspections; and

(e)any matter which is to be or may be prescribed.

(3) Every notification made by the Central Government under sub-section (1) of section 22, and every regulation made by it under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the notification or regulation, or both Houses agree that the notification or regulation should not be made, the notification or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification or regulation.

28. विवरणियां.—(1) रजिस्ट्रार को प्रति वर्ष ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो विहित की जाए, हर रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की ऐसी विहित तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिसम्बर के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान की सभी प्राप्तियों और व्ययों का और व्यवसाय संघ की ऐसे दिसम्बर के 31वें दिन को विद्यमान आस्तियों और दायित्वों का विहित रीति से संपरीक्षित साधारण विवरण भेजा जाएगा । विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां समाविष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं ।

(2) साधारण विवरण के साथ रजिस्ट्रार को एक ऐसा विवरण, जिसमें उस वर्ष के दौरान जिसके प्रति निर्देश से साधारण विवरण बना है, व्यवसाय संघ द्वारा की गई पदाधिकारिया की सभी तब्दीलियां दिखाई जाएंगी, और व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि भी, जो उसे रजिस्ट्रार को प्रेषित करने की तारीख तक शुद्ध की हुई होगी, भेजी जाएगी ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियमों में किए गए हर परिवर्तन की एक प्रतिलिपि, ऐसा परिवर्तन करने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी ।

(4) उपधाराओं (1), (2) और (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई भी आफिसर व्यवसाय संघ से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, लेखा—बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी युक्तियुक्त समयों पर कर सकेगा या यह अपेक्षा कर सकेगा कि उन्हें ऐसे स्थान पर जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पेश किया जाए, किन्तु ऐसा कोई भी स्थान व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से दस मील से अधिक की दूरी पर न होगा ।

अध्याय 4

विनियम

29. विनियम बनाने की शक्ति.—(1) समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिससे व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के नियम रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और रजिस्ट्रीकरण के समय देय फीसें ;

(ख) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की दशा में, जिसने अपना प्रधान कार्यालय एक राज्य से बदल कर दूसरे राज्य में कर लिया है रजिस्ट्रीकरण का अन्तरण ;

(ग) वह रीति जिससे और उन व्यक्तियों की अर्हताएं जिनके द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के या ऐसे संघों के किसी वर्ग के लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे ;

(घ) वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए, ऐसे दस्तावेजों का, जो रजिस्ट्रार द्वारा रखी जाती हैं, निरीक्षण अनुज्ञात किया जाएगा, और वे फीसें जो ऐसे निरीक्षणों के बारे में प्रभार्य होंगी ; तथा

(ङ) कोई भी विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना और उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, उसके निकाले या बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए या वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु अधिसूचना या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) Every notification made by the State Government under sub-section (1) of section 22 and every regulation made by it under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

30. Publication of regulations.—(1) The power to make regulations conferred by section 29 is subject to the condition of the regulations being made after previous publication.

(2) The date to be specified in accordance with clause (3) of section 23 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as that after which a draft of regulations proposed to be made will be taken into consideration shall not be less than three months from the date on which the draft of the proposed regulations was published for general information.

(3) Regulations as made shall be published in the Official Gazette, and on such publication shall have effect as if enacted in this Act.

Chapter V

Penalties and procedure

31. Failure to submit returns.—(1) If default is made on the part of any registered Trade Union in giving any notice or sending any statement or other document as required by or under any provision of this Act, every 1[office-bearer] or other person bound by the rules of the Trade Union to give or send the same, or, if there is no such 1[office-bearer] or person, every member of the executive of the Trade Union, shall be punishable with fine which may extend to five rupees and, in the case of a continuing default, with an additional fine which may extend to five rupees for each week after the first during which the default continues:

Provided that the aggregate fine shall not exceed fifty rupees.

(2) Any person who willfully makes, or causes to be made, any false entry in, or any omission from, the general statement required by section 28 or in or from any copy of rules or of alterations of rules sent to the Registrar under that section, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

32. Supplying false information regarding Trade Unions.—Any person who, with intent to deceive, gives to any member of a registered Trade Union or to any person intending or applying to become a member of such Trade Union any document purporting to be a copy of the rules of the Trade Union or of any alterations to the same which he knows, or has reason to believe, is not a correct copy of such rules or alterations as are for the time being in force, or any person who, with the like intent, gives a copy of any rules of an unregistered Trade Union to any person on the pretence that such rules are the rules of a registered Trade Union, shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.

33. Cognizance of offences.— (1) No Court inferior to that of a Presidency Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

(2) No Court shall take cognizance of any offence under this Act, unless complaint thereof has been made by, or with the previous sanction of, the Registrar or, in the case of an offence under section 32, by the person to whom the copy was given, within six months of the date on which the offence is alleged to have been committed.

(4) राज्य सरकार द्वारा धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना और उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।)

30. विनियमों का प्रकाशन.–(1) धारा 29 द्वारा प्रदत्त विनियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अध्यधीन है कि विनियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएं ।

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 23 के खण्ड (3) के अनुसार विनिर्दिष्ट किए जाने वाली वह तारीख, जिसके पश्चात् उन विनियमों के प्रारूप पर विचार किया जाएगा जो बनाए जाने के लिए प्रस्थापित हों, उस तारीख से तीन मास से कम की न होगी जिसको प्रस्थापित विनियमों का प्ररूप सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था ।

(3) इस प्रकार बनाए गए विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसा प्रकाशन हो जाने पर इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हों ।

अध्याय 5

शास्तियां और प्रक्रिया

31. विवरणियां भेजने में असफलता.–(1) यदि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के द्वारा या अधीन यथापेक्षित कोई सूचना देने या कोई विवरण या अन्य दस्तावेज भेजने में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की ओर से कोई व्यतिक्रम होगा तो हर पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो उसे देने या भेजने के लिए व्यवसाय संघ के नियमों द्वारा आबद्ध है, या यदि कोई ऐसा पदाधिकारी या व्यक्ति नहीं है तो व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का हर सदस्य जुर्माने से, जो पांच रुपए तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले व्यतिक्रम की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले सप्ताह के पश्चात् के हर एक ऐसे सप्ताह के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु संकलित जुर्माना पचास रुपए से अधिक नहीं होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 28 के अधीन अपेक्षित साधारण विवरण में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या कराएगा या उसमें से कोई लोप करेगा या कराएगा या नियमों की या नियमों के परिवर्तनों की उस प्रतिलिपि में जो उस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी गई हो कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या कराएगा या उसमें से कोई लोप करेगा या कराएगा, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

32. व्यवसाय संघों के संबंध में मिथ्या जानकारी देना.–कोई भी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किसी सदस्य को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे व्यवसाय संघ का सदस्य होने का आशय रखता है या होने के लिए आवेदन करता है, कोई ऐसी दस्तावेज प्रवंचना करने के आशय से देगा, जो व्यवसाय संघ के नियमों की या उनमें किए गए किन्हीं परिवर्तनों की एक प्रतिलिपि होनी तात्पर्यित है और जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह ऐसे नियमों या परिवर्तनों की शुद्ध प्रतिलिपि नहीं है जो तत्समय प्रवृत्त है, या कोई भी व्यक्ति, जो वैसे ही आशय से किसी व्यक्ति को किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियमों की कोई प्रति इस बहाने से देगा कि ऐसे नियम रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियम हैं, जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

33. अपराधों का संज्ञान.–(1) प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका परिवाद रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से, या धारा 32 के अधीन के अपराध की दशा में उस व्यक्ति द्वारा, जिसे वह प्रतिलिपि दी गई थी, उस तारीख से जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर न किया गया हो ।

THE MATERNITY BENEFIT ACT, 1961

(53 OF 1961)

[12th December, 1961]

(All amendments have been duly incorporated at their respective places and are not separately indicated.)

An Act to regulate the employment of women in certain establishments for certain periods before and after child-birth and to provide for maternity benefit and certain other benefits.

Be it enacted by Parliament in the Twelfth Year of the Republic of India as follows:

1. Short title, extent and commencement .—(1) This Act may be called The Maternity Benefit Act, 1961.

(2) It extends to the whole of India .

(3) It shall come into force on such date as may be notified in this behalf in the Official Gazette—

(a) in relation to mines and to any other establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances, by the Central Government; and

(b) in relation to other establishments in a State, by the State Government.

2. Application of Act .— (1) It applies, in the first instance,—

(a) to every establishment being a factory, mine or plantation including any such establishment belonging to Government and to every establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances;

(b) to every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishments in a State, in which ten or more persons are employed, or were employed, on any day of the preceding twelve months:

Provided that the State Government may, with the approval of the Central Government, after giving not less than two month's notice of its intention of so doing, by notification in the Official Gazette, declare that all or any of the provisions of this Act shall apply also to any other establishment or class of establishments, industrial, commercial, agricultural or otherwise.

(2) Save as otherwise provided in sections 5-A and 5-B, nothing contained in this Act shall apply to any factory or other establishment to which the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), apply for the time being.

3. Definitions .—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "appropriate Government" means, in relation to an establishment being a mine or an establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances the Central Government and in relation to any other establishment, the State Government;

(b) "child" includes a still-born child;

[1][(ba) "commissioning mother" means a biological mother who uses her egg to create an embryo implanted in any other woman;]

---

1. Ins. by Act No. 6 of 2017, Sec. 2 (w.e.f. 1-4-2017)

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम संख्यांक 53)

[12 दिसंबर, 1961]

(सभी संशोधनों को उनके संबंधित स्थानों पर विधिवत सम्मिलित किया गया है और उन्हें अलग से प्रदर्शित नहीं किया गया है।)

कतिपय स्थापनों में शिशु जन्म के पूर्व और पश्चात् की कतिपय कालावधियों में स्त्रियों के नियोजन को विनियमित करने तथा प्रसूति प्रसुविधा और कतिपय अन्य प्रसुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.– यह अधिनियम प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर हैं ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो –

(क) खानों के में और किसी ऐसे अन्य स्थापन के संबंध में, जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा, तथा

(ख) किसी राज्य के अन्य स्थापनो के संबंध में, उस राज्य सरकार द्वारा, शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित की जाए ।

2. अधिनियम का लागू होना .–(1) यह प्रथमतः–

(क) हर ऐसे स्थापन को, जो कारखाना, खान या बागान हैं, जिसके अन्तर्गत सरकार का ऐसा कोई स्थापन भी हैं, और प्रत्येक ऐसे स्थापन को लागू होता हैं जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता हैं;

(ख) किसी राज्य में दुकानों और स्थापनो के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक दुकान या स्थापन को लागू होता हैं जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन नियोजित थे :

परन्तु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसा करने के अपने आशय की दो मास से अन्यून की सूचना देने के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबंध औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषिक या अन्य प्रकार के किसी अन्य स्थापन या स्थाफनों के वर्ग को भी लागू होंगे ।

(2) धारा 5क और धारा 5ख में जैसा अन्यथा उपबंधित हैं उसके सिवाय इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे कारखाने या अन्य स्थापन को लागू न होगी जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंध तत्समय लागू होते हों ।

3. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "समुचित सरकार" से ऐसे स्थापन के संबंध में, जो खान हैं ऐसा स्थापन हैं जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता हैं, केन्द्रीय सरकार और किसी अन्य स्थापन के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत हैं;

(ख) "शिशु" के अंतर्गत मृतजात शिशु भी हैं;

[1][(खक) "अधिकृत माता" से ऐसी जैविक माता अभिप्रेत है, जो किसी अन्य स्त्री में रोपित भ्रूण को पैदा करने के लिए अपने अंडाणु का उपयोग करती है;]

---

1. 2017 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा अन्तः स्थापित ।

(c) "delivery" means the birth of a child;

(d) "employer" means—

(i) in relation to an establishment which is under the control of the Government a person or authority appointed by the Government for the supervision and control of employees or where no person or authority is so appointed, the head of the department;

(ii) in relation to an establishment under any local authority, the person appointed by such authority for the supervision and control of employees or where no person is so appointed, the Chief Executive Officer of the local authority;

(iii) in any other case, the person who, or the authority which, has the ultimate control over the affairs of the establishment and where the said affairs are entrusted to any other person whether called a manager, managing director, managing agent, or by any other name, such person;

(e) "establishment" means—

(i) a factory;

(ii) a mine;

(iii) a plantation;

(iv) an establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances;

(iv-a) a shop or establishment; or

(v) an establishment to which the provisions of this Act have been declared under sub-section (1) of section 2 to be applicable;

(f) "factory" means a factory as defined in clause (m) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948);

(g) "Inspector" means an Inspector appointed under section 14;

(h) "maternity benefit" means the payment referred to in sub-section (1) of section 5;

(ha) "medical termination of pregnancy" means the termination of pregnancy permissible under the provisions of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971);

(i) "mine" means a mine as defined in clause (j) of section 2 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

(j) "miscarriage" means expulsion of the contents of a pregnant uterus at any period prior to or during the twenty-sixth week of pregnancy but does not include any miscarriage, the causing of which is punishable under the Indian Penal Code (45 of 1860)[1];

(k) "plantation" means a plantation as defined in clause (f) of section 2 of the Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951);

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "State Government", in relation to a Union territory, means the Administrator thereof;

1. *Now See*, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(ग) "प्रसव" से शिशु का जन्म अभिप्रेत हैं;

(घ) "नियोजक" से –

(i) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जो सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी, या जहां कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे नियुक्त नहीं हैं वहां विभागाध्यक्ष, अभिप्रेत हैं;

किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन के स्थापन के संबंध में, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति या जहां कोई भी व्यक्ति ऐसे नियुक्त नहीं हैं, वहां उस स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक आफिसर अभिप्रेत हैं;

(iii) किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति या वह प्राधिकारी जो स्थापन के कार्यकलाप पर अंतिम नियंत्रण रखता हैं और जहां उक्त कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा गया हैं, चाहे वह प्रबंधक, प्रबंध–निदेशक, प्रबंध–अभिकर्ता कहलाता हैं या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हैं, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

(ङ) "स्थापन" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं –

(i) कोई कारखाना;

(ii) कोई खान;

(iii) कोई बागान;

(iv) कोई ऐसा स्थापन जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी, और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता हैं;

(ivक) कोई दुकान या स्थापन; या

(v) कोई ऐसा स्थापन जिसे इस अधिनियम के उपबंध धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन लागू घोषित किए गए हैं;

(च) "कारखाना" से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कारखाना अभिप्रेत हैं;

(छ) "निरीक्षक" से धारा 14 के अधीन नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत हैं;

(ज) "प्रसूति प्रसुविधा" से धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय अभिप्रेत हैं;

(जक) "गर्भ का चिकित्सीय समापन" से गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञेय गर्भ का समापन अभिप्रेत हैं;

(झ) "खान" से खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथापरिभाषित खान अभिप्रेत हैं;

(ञ) "गर्भपात" से गर्भावस्था के छब्बीसवें सप्ताह के पूर्व या दौरान की किसी कालावधि में सगर्भ गर्भाशय की अंतर्वस्तुओं का निष्कासन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा गर्भपात नहीं आता हैं जिसका कारित किया जाना भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)[1] के अधीन दंडनीय हैं;

(ट) "बागान" से बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बागान अभिप्रेत हैं;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं ;

(ड) "राज्य सरकार" से किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत हैं;

---

1. अब देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)।

(n) "wages" means all remuneration paid or payable in cash to a woman, if the terms of the contract of employment, express or implied, were fulfilled and includes—

(1) such cash allowances (including dearness allowance and house-rent allowance) as a woman is for the time being entitled to;

(2) incentive bonus; and

(3) the money value of the concessional supply of food grains and other articles,

but does not include—

(i) any bonus other than incentive bonus;

(ii) over-time earnings and any deduction or payment made on account of fines;

(iii) any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or for the benefit of the woman under any law for the time being in force; and

(iv) any gratuity payable on the termination of service;

(o) "woman" means a woman employed, whether directly or through any agency, for wages in any establishment.

4. Employment of, or work by, women prohibited during certain period .—(1) No employer shall knowingly employ a woman in any establishment during the six weeks immediately following the day of her delivery, miscarriage or medical termination of pregnancy.

(2) No woman shall work in any establishment during the six weeks immediately following the day of her delivery, miscarriage or medical termination of pregnancy.

(3) Without prejudice to the provisions of section 6, no pregnant woman shall, on a request being made by her in this behalf, be required by her employer to do during the period specified in sub-section (4) any work which is of an arduous nature or which involves long hours of standing or which in any way is likely to interfere with her pregnancy or the normal development of the foetus, or is likely to cause her miscarriage or otherwise to adversely affect her health.

(4) The period referred to in sub-section (3) shall be—

(a) the period of one month immediately preceding the period of six weeks, before the date of her expected delivery;

(b) any period during the said period of six weeks for which the pregnant woman does not avail of leave of absence under section 6.

5.Right to payment of maternity benefits .—(1) Subject to the provisions of this Act, every woman shall be entitled to, and her employer shall be liable for, the payment of maternity benefit at the rate of the average daily wage for the period of her actual absence, that is to say, the period immediately preceding the day of her delivery, the actual day of her delivery and any period immediately following that day.

Explanation .—For the purpose of this sub-section, the average daily wage means the average of the woman's wages payable to her for the days on which she has worked during the period of three calendar months immediately preceding the date from which she absents

(ढ) "मजदूरी" से वह सब पारिश्रमिक अभिप्रेत हैं जो किसी स्त्री को, नकदी में संदत्त किया गया या यदि नियोजन की संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो गई होती तो संदेय होता और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी आते हैं—

(1) ऐसे नकद भत्ते (जिनके अंतर्गत मंहगाई भत्ता और गृह भाटक भत्ता भी हैं) जिनकी कोई स्त्री तत्समय हकदार हो;

(2) प्रोत्साहन बोनस; तथा

(3) खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय का धन मूल्य,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) प्रोत्साहन बोनस से भिन्न कोई बोनस;

(ii) अतिकालिक उपार्जन और जुर्मानों के लिए की गई कोई कटौती या संदाय;

(iii) किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में या उस स्त्री की प्रसुविधा के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय कोई अभिदाय; तथा

(iv) सेवा के पर्यवसान फर संदेय कोई उपदान;

(ण) "स्त्री" से किसी स्थापन में मजदूरी पर नियोजित स्त्री अभिप्रेत हैं चाहे वह सीधे नियोजित हो या किसी अभिकरण के माध्यम से ।

4. कतिपय कालावधियों के दौरान स्त्रियों का नियोजन या उनके द्वारा काम का किया जाना प्रतिषिद्ध.—(1) कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके प्रसव, गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में जानते हुए नियोजित न करेगा ।

(2) कोई भी स्त्री अपने प्रसव गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में काम नहीं करेगी।

(3) धारा 6 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह हैं कि किसी भी गर्भवती स्त्री से इस निमित्त उसके द्वारा प्रार्थना की जाने पर उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान उसके नियोजक द्वारा कोई ऐसा काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो कठिन प्रकृति का हो या जिसमें दीर्घकाल तक खड़ा रहना अपेक्षित हो या जिससे उसके गर्भवतित्व में या भ्रूण के प्रसामान्य विकास में किसी भी प्रकार विघ्न होना संभाव्य हो या जिससे उसका गर्भपात कारित होना या अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि निम्नलिखित होगी—

(क) उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख के पूर्व के छह सप्ताह की कालावधि के अव्यवहित पूर्ववर्ती एक मास की कालावधि;

(ख) उक्त छह सप्ताह की कालावधि के दौरान की कोई कालावधि जिसके लिए वह गर्भवती स्त्री अनुपस्थिति की छुट्टी का उपभोग धारा 6 के अधीन नहीं करती ।

5. प्रसूति प्रसुविधा के संदाय के लिए अधिकार.—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, हर स्त्री अपनी वास्तविक अनुपस्थिति की कालावधि, अर्थात अपने प्रसव के दिन के अव्यवहित पूर्ववर्ती कालावधि, अपने प्रसव के वास्तविक दिन और उस दिन की अव्यवहित पश्चात्वर्ती किसी कालावधि, के लिए औसत दैनिक मजदूरी की दर पर, प्रसूति प्रसुविधा के संदाय की हकदार होगी और उसका नियोजक उसके लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण.— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए औसत दैनिक मजदूरी से उस तारीख के, जिससे वह स्त्री प्रसूति के कारण अनुपस्थित होती हैं, अव्यवहित पूर्ववर्ती तीन कलैंडर मासों की कालावधि के दौरान के उन दिनों के लिए जिन दिनों उसने काम किया हैं उसको संदेय उसकी मजदूरी

herself on account of maternity, the minimum rate of wage fixed or revised under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), or ten rupees, whichever is the highest.

(2) No woman shall be entitled to maternity benefit unless she has actually worked in an establishment of the employer from whom she claims maternity benefit, for a period of not less than eighty days in the twelve months immediately preceding the date of her expected delivery:

Provided that the qualifying period of eighty days aforesaid shall not apply to a woman who has immigrated into the State of Assam and was pregnant at the time of the immigration.

Explanation **.**—For the purpose of calculating under this sub-section the days on which a woman has actually worked in the establishment the days for which she has been laid-off or was on holidays declared under any law for the time being in force to be holidays with wages, during the period of twelve months immediately preceding the date of her expected delivery shall be taken into account.

(3) The maximum period for which any woman shall be entitled to maternity benefit shall be[1][twenty-six weeks of which not more than eight weeks] shall precede the date of her expected delivery:]

[2][Provided that the maximum period entitled to maternity benefit by a woman having two or more than two surviving children shall be twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the date of her expected delivery;]

[1][Provided further that] where a woman dies during this period, the maternity benefit shall be payable only for the days up to and including the day of her death:

[1][[Provided also that] where a woman, having been delivered of a child, dies during her delivery or during the period immediately following the date of her delivery, for which she is entitled for the maternity benefit, leaving behind in either case the child, the employer shall be liable for the maternity benefit for that entire period but if the child also dies during the said period, then, for the days up to and including the date of the death of the child.

[2][(4) A woman who legally adopts a child below the age of three months or a commissioning mother shall be entitled to maternity benefit for a period of twelve weeks from the date the child is handed over to the adopting mother or the commissioning mother, as the case may be.

(5) In case where the nature of work assigned to a woman is of such nature that she may work from home, the employer may allow her to do so after availing of the maternity benefit for such period and on such conditions as the employer and the woman may mutually agree.

5-A. Continuance of payment of maternity benefit in certain cases .—Every woman entitled to the payment of maternity benefit under this Act shall, notwithstanding the application of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), to the factory or other establishment in which she is employed, continue to be so entitled until she becomes qualified to claim maternity benefit under section 50 of that Act.

1. *Subs.* by Act No. 6 of 2017, Sec. 3 (w.e.f. 1-4-2017).
1. *Ins.* by Act No. 6 of 2017, Sec. 3 (w.e.f. 1-4-2017).

का औसत मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन नियत या पुनरीक्षित मजदूरी की न्यूनतम दर या दस रुपए प्रतिदिन, जो भी अधिक हो ।

(2) कोई भी स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की तब तक हकदार न होगी, जब तक उसने अपने प्रत्याशित प्रसव की तारीख के अव्यवहित पूर्ववर्ती बारह मासों में अस्सी दिन से अन्यून दिन की कालावधि पर्यन्त उस नियोजक के जिससे प्रसुविधा का वह दावा करती है किसी स्थापन में वस्तुतः काम न किया हो:

परंतु पूर्वोक्त अस्सी दिन की अर्हक कालावधि उस स्त्री को लागू न होगी जिसने असम राज्य में अप्रवास किया हो और अप्रवास के समय गर्भवती रही हो ।

स्पष्टीकरण.– इस उपधारा के अधीन उन दिनों की जिन दिनों स्त्री ने स्थापन में वस्तुतः काम किया संगणना करने के प्रयोजनार्थ, उन दिनों को गणना में लिया जाएगा जिन दिनों उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख के अव्यवहित पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के दौरान उसकी कामबंदी की गई हो या वह ऐसे अवकाश पर हो जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजदूरी सहित अवकाश घोषित किया गया हो ।

(3) वह अधिकतम कालावधि, जिसके लिए कोई स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी, [1][छब्बीस सप्ताह होगी, जिसमें से आठ सप्ताह से अनधिक] उसके प्रसव की प्रत्याशित तारीख से पूर्व होंगी:

[2][परंतु वह अधिकतम कालावधि जिसके लिए कोई ऐसी स्त्री, जिसके दो या दो से अधिक बालक हैं, प्रसूति सुविधा की हकदार है, बारह सप्ताह होगी जिसमें से छह सप्ताह से अनधिक उसके प्रसव की प्रत्याशित तारीख से पूर्व होगी:]

[1][परंतु यह और कि] कोई स्त्री इस कालावधि के दौरान मर जाए, वहां प्रसूति प्रसुविधा उसकी मृत्यु के दिन तक के लिए ही, जिसके अंतर्गत वह दिन भी सम्मिलित होगा, संदेय होगी।

[1][परन्तु यह और भी कि] जहां कोई स्त्री शिशु को जन्म देकर अपने प्रसव के दौरान या अपने प्रसव की तारीख के अव्यवहित पश्चात्वर्ती उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा के लिए हकदार हैं, इन दोनों दशाओं में से किसी भी दशा में उस शिशु को छोड़कर मर जाती हैं, वहां नियोजक उस संपूर्ण कालावधि के लिए, यदि शिशु भी उक्त कालावधि के दौरान मर जाए तो शिशु की मृत्यु के दिन तक की, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित होगा, कालावधि के लिए, प्रसूति प्रसुविधा का दायी होगा ।

[2][(4) कोई स्त्री, जो वैध रुप से तीन मास से कम आयु के शिशु का दत्तक ग्रहण करती है या कोई अधिकृत माता, उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, दत्तक माता या अधिकृत माता को शिशु सौंपा जाता है, बारह सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी।

(5) उस दशा में, जहां किसी स्त्री को सौंपा गया कार्य ऐसी प्रकृति का है कि वह घर से कार्य कर सकती है, वहां नियोजक उसे प्रसूति प्रसुविधा का उपभोग करने के पश्चात् ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, जिन पर नियोजक और स्त्री की पारस्परिक सहमति हो, ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।]

5क. कुछ दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का बना रहना.–इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा पाने की हकदार हर स्त्री, उस कारखाने या अन्य स्थापन को जिसमें वह नियोजित हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के लागू होते हुए भी, तब तक पूर्ववत् हकदार बनी रहेगी जब तक वह उस अधिनियम की धारा 50 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दावा करने के लिए अर्हित न हो जाए ।

---

1. 2017 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. 2017 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित ।

5-B. Payment of maternity benefit in certain cases .—Every woman—

(a) who is employed in a factory or other establishment to which the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), apply;

(b) whose wages (excluding remuneration for over-time work) for a month exceed the amount specified in sub-clause (b) of clause (9) of section 2 of that Act; and

(c) who fulfils the conditions specified in sub-section (2) of section 5, shall be entitled to the payment of maternity benefit under this Act.

6. Notice of claim for maternity benefit and payment thereof .—(1) Any woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit under the provisions of this Act may give notice in writing in such form as may be prescribed, to her employer, stating that her maternity benefit and any other amount to which she may be entitled under this Act may be paid to her or to such person as she may nominate in the notice and that she will not work in any establishment during the period for which she receives maternity benefit.

(2) In the case of a woman who is pregnant, such notice shall state the date from which she will be absent from work, not being a date earlier than six weeks from the date of her expected delivery.

(3) Any woman who has not given the notice when she was pregnant may give such notice as soon as possible after the delivery.

(4) On receipt of the notice, the employer shall permit such woman to absent herself from the establishment during the period for which she receives the maternity benefit.

(5) The amount of maternity benefit for the period preceding the date of her expected delivery shall be paid in advance by the employer to the woman on production of such proof as may be prescribed that the woman is pregnant, and the amount due for the subsequent period shall be paid by the employer to the woman within forty-eight hours of production of such proof as may be prescribed that the woman has been delivered of a child.

(6) The failure to give notice under this section shall not disentitle a woman to maternity benefit or any other amount under this Act if she is otherwise entitled to such benefit or amount and in any such case an Inspector may either of his own motion or on an application made to him by the woman, order the payment of such benefit or amount within such period as may be specified in the order.

7. Payment of maternity benefit in case of death of a woman .—If a woman entitled to maternity benefit or any other amount under this Act, dies before receiving such maternity benefit or amount, or where the employer is liable for maternity benefit under the second proviso to sub-section (3) of section 5, the employer shall pay such benefit or amount to the person nominated by the woman in the notice given under section 6 and in case there is no such nominee, to her legal representative.

8. Payment of medical bonus .—(1) Every woman entitled to maternity benefit under this Act shall also be entitled to receive from her employer a medical bonus of one thousand rupees, if no pre-natal confinement and post-natal care is provided for by the employer free of charge.

5ख. कतिपय दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय.–प्रत्येक स्त्री–

(क) जो किसी ऐसे कारखाने अथवा अन्य स्थापन में नियोजित हैं जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंध लागू होते हैं;

(ख) जिसकी मजदूरी (अतिकाल काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) एक मास के लिए उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हैं; और

(ग) जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तें की पूर्ति करती हैं,

इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा के संदाय की हकदार होगी ।

6. प्रसूति प्रसुविधा के दावे की सूचना और उसका संदाय.–(1) किसी स्थापन में नियोजित और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री अपने नियोजक को ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए, यह कथन करते हुए लिखित सूचना दे सकेगी कि उसकी प्रसूति प्रसुविधा और कोई अन्य रकम, जिसकी वह इस अधिनियम के अधीन हकदार हो, उसे या उस व्यक्ति को, जिसे वह सूचना में नामनिर्देशित करे संदत्त की जाए और यह कि वह उस कालावधि के दौरान जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती हैं किसी स्थापन में कार्य नहीं करेगी ।

(2) ऐसी स्त्री की दशा में जो गर्भवती हैं ऐसी सूचना में वह तारीख कथित होगी जिससे वह काम से अनुपस्थित रहेगी और वह तारीख उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से छह सप्ताह के पूर्वतर की नहीं होगी।

(3) कोई स्त्री जिसने तब सूचना न दी हो जब वह गर्भवती थी प्रसव के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी सूचना दे सकेगी ।

(4) उस सूचना की प्राप्ति पर, नियोजक उस स्त्री को यह अनुज्ञा देगा कि वह उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती हैं स्थापन से अनुपस्थित रहे ।

(5) किसी स्त्री के प्रत्याशित प्रसव की तारीख की पूर्ववर्ती कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की रकम, इस बात के कि वह स्त्री गर्भवती हैं ऐसे सबूत के जैसा विहित किया जाए, पेश किए जाने पर, उस स्त्री को नियोजक द्वारा अग्रिम दी जाएगी, और पश्चात्वर्ती कालावधि के लिए देय रकम, इस बात के कि उस स्त्री ने शिशु का प्रसव किया हैं ऐसे सबूत के जैसा विहित किया जाए, पेश किए जाने के अड़तालीस घंटों के अंदर उस स्त्री को नियोजक द्वारा संदत्त की जाएगी ।

(6) इस धारा के अधीन सूचना न दे पाना किसी स्त्री को इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम के हक से वंचित न करेगा यदि वह ऐसी प्रसुविधा या रकम के लिए अन्यथा हकदार हो और ऐसे किसी मामले में निरीक्षक या तो स्वप्रेरणा से या उसको उस स्त्री द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसी प्रसुविधा या रकम का संदाय ऐसी कालावधि के अंदर करने का आदेश दे सकता जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो ।

7. किसी स्त्री की मृत्यु की दशा में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय.– यदि इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम की हकदार कोई स्त्री ऐसी प्रसूति प्रसुविधा या रकम को प्राप्त करने से पूर्व मर जाए तो, या जहां नियोजक धारा 5 की उपधारा (3) के द्वितीय परंतुक के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दायी हो वहां नियोजक ऐसी प्रसुविधा या रकम धारा 6 के अधीन दी गई सूचना में स्त्री द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति को, और उस दशा में जबकि कोई ऐसा नामनिर्देशिती न हो उसके विधिक प्रतिनिधि को, संदत्त करेगा ।

8. चिकित्सीय बोनस का संदाय.– (1) यदि नियोजक द्वारा प्रसवपूर्व रखने और प्रसवोत्तर देखरेख की कोई भी व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की गई हो तो इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार हर स्त्री अपने नियोजक से एक हजार रुपए का चिकित्सीय बोनस भी पाने की हकदार होगी ।

(2) The Central Government may before every three years, by notification in the Official Gazette, increase the amount of medical bonus subject to the maximum of twenty thousand rupees.

9. Leave for miscarriage, etc .—In case of miscarriage or medical termination of pregnancy, a woman shall, on production of such proof as may be prescribed, be entitled to leave with wages at the rate of maternity benefit, for a period of six weeks immediately following the day of her miscarriage or, as the case may be, her medical termination of pregnancy.

9-A. Leave with wages for tubectomy operation .—In case of tubectomy operation, a woman shall, on production of such proof as may be prescribed, be entitled to leave with wages at the rate of maternity benefit for a period of two weeks immediately following the day of her tubectomy operation.

10. Leave for illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of child, miscarriage, medical termination of pregnancy or tubectomy operation .—A woman suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of child [miscarriage, medical termination of pregnancy or tubectomy operation]shall, on production of such proof as may be prescribed, be entitled, in addition to the period of absence allowed to her under section 6, or, as the case may be, under section 9, to leave with wages at the rate of maternity benefit for a maximum period of one month.

11. Nursing breaks .—Every woman delivered of a child who returns to duty after such delivery shall, in addition to the interval for rest allowed to her, be allowed in the course of her daily work two breaks of the prescribed duration for nursing the child until the child attains the age of fifteen months.

[11A. Créche facility. - (1) Every establishment having fifty or more employees shall have the facility of créche within such distance as may be prescribed, either separately or along with common facilities :

Provided that the employer shall allow four visits a day to the creche by the woman, which shall also include the interval for rest allowed to her.

(2) Every establishment shall intimate in writing and electronically to every woman at the time of her initial appointment regarding every benefit available under the Act.]

12. Dismissal during absence or pregnancy .—(1) When a woman absents herself from work in accordance with the provisions of this Act, it shall be unlawful for her employer to discharge or dismiss her during or on account of such absence or to give notice of discharge or dismissal on such a day that the notice will expire during such absence, or to vary to her disadvantage any of the conditions of her service.

(2) (a) The discharge or dismissal of a woman at any time during her pregnancy, if the woman but for such discharge or dismissal would have been entitled to maternity benefit or medical bonus referred to in section 8, shall not have the effect of depriving her of the maternity benefit or medical bonus:

Provided that where the dismissal is for any prescribed gross misconduct, the employer may, by order in writing communicated to the woman, deprive her of the maternity benefit or medical bonus or both.

1. Ins. by Act No.6 of 2017, S. 4 (w.e.f. 1.4.2017)

(2) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक तीन वर्ष के पूर्व, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चिकित्सीय बोनस की रकम को, बीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, बढ़ा सकेगी ।

9. गर्भपात, आदि की दशा में छुट्टी.—गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन की दशा में, कोई स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, यथाास्थिति, अपने गर्भपात या अपने गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह सप्ताह की कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी ।

9क. टयूबेक्टोमी शल्यक्रिया के लिए मजदूरी सहित छुट्टी.—ट्यूबेक्टामी शल्यक्रिया की दशा में, कोई स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, अपनी ट्यूबेक्टामी शल्यक्रिया के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती दो सप्ताह की कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी ।

10. गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म, गर्भपात, गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया से पैदा होने वाली रुग्णता के लिए छुट्टी.—गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म, गर्भपात, गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टामी शल्यक्रिया से पैदा होने वाली रुग्णता से पीड़ित स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, यथस्थिति, धारा 6 या धारा 9 के अधीन उसे अनुज्ञात अनुपस्थिति कालावधि के अतिरिक्त, प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित अधिकतम एक मास की कालावधि की छुट्टी की हकदार होगी ।

11. पोषणार्थ विराम .—हर प्रसूता स्त्री को जो प्रसव के पश्चात काम पर वापस आती हैं उसे विश्रामार्थ अंतराल के अतिरिक्त जो उसे अनुज्ञात हैं अपने दैनिक काम की चर्या में विहित कालावधि के दो विराम शिशु के पोषण के लिए तब तक अनुज्ञात होंगे, जब तक वह शिशु पंद्रह मास की आयु पूरी न कर ले ।

[1][**11क. शिशु कक्ष सुविधा .**—पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक स्थापन में, ऐसी दूरी के भीतर जो विहित की जाए या तो पृथक्तः या सामान्य सुविधाओं सहित शिशु की सुविधा होगी :

परंतु नियोजक, स्त्री द्वारा शिशु कक्ष में दिन में चार बार जाने की अनुज्ञा देगा, जिसके अन्तर्गत उसे अनुज्ञात विश्राम अंतराल भी होगा ।

(2) प्रत्येक स्थापन, प्रत्येक स्त्री को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रुप से उसकी आरंभिक नियुक्ति के समय इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध प्रत्येक प्रसुविधा के सम्बन्ध में सूचित करेगा।]

12. गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान पदच्युति.—(1) जब कोई स्त्री काम पर से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुपस्थित रहती हैं तब उसके नियोजक के लिए यह विधिविरुद्ध होगा कि वह उसे ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या कारण उन्मोचित या पदच्युत करे या उसे उन्मोचन या पदच्युति की सूचना ऐसे दिन दे कि वह सूचना ऐसी अनुपस्थिति के दौरान अवसित हो, या उसकी सेवा की शर्तों में से किसी में उसके लिए अहितकर फेरफार करे ।

(2) (क) किसी स्त्री का, उसकी गर्भावस्था के दौरान किसी समय उन्मोचन या पदच्युति का प्रभाव उसे प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस से वंचित करना न होगा, यदि वह स्त्री ऐसे उन्मोचन या पदच्युति के अभाव में, धारा 8 में निर्दिष्ट प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस की हकदार होती :

परंतु जहां कि पदच्युति किसी विहित घोर अवचार के कारण हो वहां नियोजक स्त्री को संसूचित लिखित आदेश द्वारा उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कर सकेगा ।

---

1. 2017 के अधिनियम सं० 6 की धारा 4 द्वारा अन्तः स्थापित ।

(b) Any woman deprived of maternity benefit or medical bonus, or both, or discharged or dismissed during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Act, may, within sixty days from the date on which order of such deprivation or discharge or dismissal is communicated to her, appeal to such authority as may be prescribed, and the decision of that authority on such appeal, whether the woman should or should not be deprived of maternity benefit or medical bonus or both, or discharged or dismissed shall be final.

(c) Nothing contained in this sub-section shall affect the provisions contained in sub-section (1).

13. No deduction of wages in certain cases .—No deduction from the normal and usual daily wages of a woman entitled to maternity benefit under the provisions of this Act shall be made by reason only of—

(a) the nature of work assigned to her by virtue of the provisions contained in sub-section (3) of section 4; or

(b) breaks for nursing the child allowed to her under the provisions of section 11.

14. Appointment of Inspectors .—The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, appoint such officers as it thinks fit to be Inspectors for the purposes of this Act and may define the local limits of the jurisdiction within which they shall exercise their functions under this Act.

15. Powers and duties of Inspectors .—An Inspector may, subject to such restrictions or conditions as may be prescribed, exercise all or any of the following powers, namely:—

(a) enter at all reasonable times with such assistants, if any, being persons in the service of the Government or any local or other public authority, as he thinks fit, any premises or place where women are employed or work is given to them in an establishment, for the purposes of examining any registers, records and notices required to be kept or exhibited by or under this Act and require their production for inspection;

(b) examine any person whom he finds in any premises or place and who, he has reasonable cause to believe, is employed in the establishment:

Provided that no person shall be compelled under this section to answer any question or give any evidence tending to incriminate himself;

(c) require the employer to give information regarding the names and addresses of women employed, payments made to them, and applications or notices received from them under this Act; and

(d) take copies of any registers and records or notices or any portions thereof.

16. Inspectors to be public servants .—Every Inspector appointed under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860)[1].

---

1. *Now See*, Sec. 2 (28) , the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(ख) प्रसूति प्रसुविधा, या चिकित्सीय बोनस, या दोनों से, वंचित या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार काम से अपनी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत स्त्री, उस तारीख से, साठ दिन के भीतर जिसको ऐसे वंचित या सेवोन्मुक्त या पदच्युत किए जाने का आदेश उसे संसूचित किया गया हो, ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगी और ऐसी अपील पर उस प्राधिकारी का यह विनिश्चय अंतिम होगा कि स्त्री को प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस, या दोनों से, वंचित या सेवोन्मुक्त या पदच्युत किया जाना चाहिए या नहीं ।

(ग) इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी ।

13. कतिपय मामलों में मजदूरी में से कटौती का न किया जाना.– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री की प्रसामान्य और प्रायिक दैनिक मजदूरी में से केवल–

(क) धारा 4 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के आधार पर उसे समनुदिष्ट काम की प्रकृति; अथवा

(ख) धारा 11 के उपबन्धों के अधीन उसे शिशु के पोषण के लिए अनुज्ञात विरामों,

के ही कारण कोई भी कटौती नहीं की जाएगी ।

14. निरीक्षकों की नियुक्ति.–समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे आफिसरों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और अधिकारिता की वे स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगी जिनके अन्दर वे इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे ।

15. निरीक्षकों की शक्ति और कर्तव्य.– निरीक्षक, ऐसे निर्बन्धनों या शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, निम्नलिखित सब शक्तियों का या उनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकेगा, अर्थात :–

(क) ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हों, जो सरकार की या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में के व्यक्ति हों, और जिन्हें वह ठीक समझे, किसी भी ऐसे परिसर या स्थानों में जहां स्थापन में स्त्रियों को नियोजित किया जाता हैं, या काम दिया जाता हैं, किन्हीं ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों और सूचनाओं की जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन रखे या प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश करना और उन्हें निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करना, जिसे वह किसी ऐसे परिसर या स्थान में पाए और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक हो कि वह उस स्थापन में नियोजित हैं:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस धारा के अधीन ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या ऐसा साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसकी प्रवृत्ति स्वयं उसे अपराध में फंसाने की हो;

(ग) नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह नियोजित स्त्रियों के नामों और पतों, उन्हें किए गए संदायों और इस अधिनियम के अधीन उनसे प्राप्त आवेदनों या सूचनाओं के बारे में जानकारी दे; तथा

(घ) किन्हीं रजिस्टरों और अभिलेखों या सूचनाओं या उनके किन्हीं प्रभागों की प्रतिलिपियां लेना ।

16. निरीक्षकों का लोक सेवक होना.– इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हर निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)[1] की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा ।

---

1. अब देखें, धारा 2 (28), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)।

17. Power of Inspector to direct payments to be made .—(1) Any woman claiming that—

(a) maternity benefit or any other amount to which she is entitled under this Act and any person claiming that payment due under section 7 has been improperly withheld;

(b) her employer has discharged or dismissed her during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Act, may make a complaint to the Inspector.

(2) The Inspector may, of his own motion or on receipt of a complaint referred to in sub-section (1), make an inquiry or cause an inquiry to be made and if satisfied that—

(a) payment has been wrongfully withheld, may direct the payment to be made in accordance with his orders;

(b) she has been discharged or dismissed during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Act, may pass such orders as are just and proper according to the circumstances of the case.

(3) Any person aggrieved by the decision of the Inspector under sub-section (2) may, within thirty days from the date on which such decision is communicated to such person, appeal to the prescribed authority.

(4) The decision of the prescribed authority where an appeal has been preferred to it under sub-section (3) or of the Inspector where no such appeal has been preferred, shall be final.

(5) Any amount payable under this section shall be recoverable by the Collector on a certificate issued for that amount by the Inspector as an arrear of land revenue.

18. Forfeiture of maternity benefit .—If a woman works in any establishment after she has been permitted by her employer to absent herself under the provisions of section 6 for any period during such authorised absence, she shall forfeit her claim to the maternity benefit for such period.

19. Abstract of Act and rules thereunder to be exhibited .—An abstract of the provisions of this Act and the rules made thereunder in the language or languages of the locality shall be exhibited in a conspicuous place by the employer in every part of the establishment in which women are employed.

20. Registers, etc .—Every employer shall prepare and maintain such registers, records and muster-rolls and in such manner as may be prescribed.

21. Penalty for contravention of Act by employer .—(1) If any employer fails to pay any amount of maternity benefit to a woman entitled under this Act or discharges or dismisses such woman during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Act, he shall be punishable with imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees:

Provided that the Court may, for sufficient reasons to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment for a lesser term or fine only in lieu of imprisonment.

17. संदाय किए जाने का निदेश देने की निरीक्षक की शक्ति.–(1) इस बात का दावा करने वाली कोई भी स्त्री कि–

(क) प्रसूति प्रसुविधा या कोई अन्य रकम, जिसकी वह इस अधिनियम के अधीन हकदार हैं, अनुचित रूप से विधारित की गई है, और इस बात का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति कि वह संदाय, जो धारा 7 के अधीन शोध्य हैं, अनुचित रूप से विधारित किया गया हैं;

(ख) उसके नियोजक ने इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण, उसको सेवोन्मुक्त या पदच्युत कर दिया हैं,

निरीक्षक को परिवाद कर सकेगी ।

(2) निरीक्षक, स्वप्रेरणा से या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद की प्राप्ति पर, जांच कर सकेगा या करा सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता हैं कि–

(क) संदाय सदोषतः विधारित किया गया हैं, तो वह अपने आदेशों के अनुसार संदाय किए जाने का निदेश दे सकेगा;

(ख) स्त्री को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत किया गया हैं, तो वह ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित हों ।

(3) निरीक्षक के उपधारा (2) के अधीन के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसा विनिश्चय ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया जाए, तीस दिन के भीतर अपील विहित प्राधिकारी को कर सकेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन कोई अपील विहित प्राधिकारी को की गई हो, वहां उसका, और जहां ऐसी अपील न की गई हो, वहां निरीक्षक का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) इस धारा के अधीन संदाय रकम कलक्टर द्वारा, निरीक्षक द्वारा उस रकम के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्र पर, भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय होगी ।

18. प्रसूति प्रसुविधा का समपहरण.–यदि कोई स्त्री, अपने नियोजक द्वारा धारा 6 के उपबन्धों के अधीन अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किए जाने के पश्चात् ऐसी प्राधिकृत अनुपस्थिति के दौरान किसी कालावधि में किसी स्थापन में काम करेगी, तो ऐसी कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा का उसका दावा समफहृत हो जाएगा ।

19. अधिनियम और तद्धीन नियमों की संक्षिप्ति का प्रदर्शित किया जाना.–इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की उस परिक्षेत्र की भाषा या भाषाओं में संक्षिप्ति स्थापन के हर ऐसे भाग में, जिसमें स्त्रियां नियोजित हों, किसी सहजदृशय स्थान में नियोजक द्वारा प्रदर्शित की जाएगी ।

20. रजिस्टर, आदि.– हर नियोजक ऐसे रजिस्टर, अभिलेख और मस्टर रोल, जैसे और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, तैयार करेगा और रखेगा ।

21. नियोजक द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के लिए शास्ति.–(1) यदि कोई नियोजक, इस अधिनियम के अधीन हकदार किसी स्त्री की प्रसूति प्रसुविधा की किसी रकम का संदाय करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार काम से अनुपस्थित रहने के दौरान या उसके कारण ऐसी स्त्री को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करेगा, तो वह कारावास से, जो तीन मास से कम का नहीं होगा किंतु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु न्यायालय, पर्याप्त कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, और कम अवधि के कारावास का या कारावास के बजाय जुर्माने का दंडादेश, अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) If any employer contravenes the provisions of this Act or the rules made thereunder, he shall, if no other penalty is elsewhere provided by or under this Act for such contravention, be punishable with imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both:

Provided that where the contravention is of any provision regarding maternity benefit or regarding payment of any other amount and such maternity benefit or amount has not already been recovered, the Court shall, in addition, recover such maternity benefit or amount as if it were a fine and pay the same to the person entitled thereto.

22. Penalty for obstructing Inspector .—Whoever fails to produce on demand by the Inspector any register or document in his custody kept in pursuance of this Act or the rules made thereunder or conceals or prevents any person from appearing before or being examined by an Inspector shall be punishable with imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

23. Cognizance of offences .—(1) Any aggrieved woman, an office-bearer of a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926) of which such woman is a member or a voluntary organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or an Inspector, may file a complaint regarding the commission of an offence under this Act in any Court of competent jurisdiction and no such complaint shall be filed after the expiry of one year from the date on which the offence is alleged to have been committed.

(2) No Court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

24. Protection of action taken in good faith .—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rule or order made thereunder.

25. Power of Central Government to give directions .—The Central Government may give such directions as it may deem necessary to a State Government regarding the carrying into execution of the provisions of this Act and the State Government shall comply with such directions.

26. Power to exempt establishments .—If the appropriate Government is satisfied that having regard to an establishment or a class of establishments providing for the grant of benefits which are not less favourable than those provided in this Act, it is necessary so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt, subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified in the notification, the establishment or class of establishments from the operation of all or any of the provisions of this Act or of any rule made thereunder.

27. Effect of laws and agreements inconsistent with this Act .—(1) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law or in the terms of any award, agreement or contract of service, whether made before or after the coming into force of this Act:

Provided that where under any such award, agreement, contract of service or otherwise, a woman is entitled to benefits in respect of any matter which are more favourable to her than those to which she would be entitled under this Act, the woman shall continue to

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यत्र कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं की गई हैं, ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगाः

परंतु जहां उल्लंघन प्रसूति प्रसुविधा के बारे में या किसी अन्य रकम के संदाय के बारे में किसी उपबंध का हो और ऐसी प्रसूति प्रसुविधा या रकम पहले ही वसूल नहीं कर ली गई हो वहां, न्यायालय, उसके अतिरिक्त, ऐसी प्रसूति प्रसुविधा या रकम ऐसे वसूल करेगा, मानो वह जुर्माना हो और उसे उसके हकदार व्यक्ति को संदत्त करेगा ।

22. निरीक्षक को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति.—जो कोई इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में रखे गए अपनी अभिरक्षा में के किसी रजिस्टर या दस्तावेज को निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर पेश करने में असफल रहेगा या किसी व्यक्ति को, निरीक्षक के समक्ष उफसंजात होने से या उसके द्वारा परीक्षित किए जाने से, निवारित करेगा, या उसे छिपायेगा, वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

23. अपराधों का संज्ञान.— (1) कोई व्यथित स्त्री, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे व्यवसाय संघ का, जिसकी ऐसी स्त्री सदस्य हैं, कोई पदाधिकारी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगठन या कोई निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपराध के किए जाने की बाबत सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में परिवाद फाइल कर सकेगा और ऐसा कोई परिवाद उस तारीख से, जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित हैं, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

24. सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए परित्राण.—किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं होगी, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित हो।

25. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति.—केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों का निष्पादन करने के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

26. स्थापनों को छूट देने की शक्ति.—यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसी प्रसुविधाओं के, जो इस अधिनियम में उपबंधित प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न हों अनुदान का उपबन्ध करने वाले किसी स्थापन को या स्थापनों के वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक हैं, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस स्थापन को या स्थापनों के वर्ग को इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, यदि कोई हों, अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, छूट दे सकेगी ।

27. इस अधिनियम से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव.—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध उनसे असंगत किसी बात के किसी अन्य विधि में या किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा—संविदा के निबन्धनों में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पूर्व चाहे पश्चात् बनाई गई, किया गया या की गई हो, अन्तर्विष्ट होते हुए भी प्रभावी होंगेः

परंतु जहां किसी ऐसे अधिनिर्णय, करार, सेवा—संविदा के अधीन या अन्यथा कोई स्त्री किसी बात के बारे में ऐसी प्रसुविधाओं की हकदार हो, जो उसके लिए उन प्रसुविधाओं से अधिक अनुकूल हों जिनकी वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होती, वहां वह स्त्री उस बात के बारे में अधिक अनुकूल

be entitled to the more favourable benefits in respect of that matter, notwithstanding that she is entitled to receive benefits in respect of other matters under this Act.

(2) Nothing contained in this Act shall be construed to preclude a woman from entering into an agreement with her employer for granting her rights or privileges in respect of any matter which are more favourable to her than those to which she would be entitled under this Act.

28. Power to make rules .—(1) The appropriate Government may, subject to the condition of previous publication and by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(a) the preparation and maintenance of registers, records and muster-rolls;

(b) the exercise of powers (including the inspection of establishments) and the performance of duties by Inspectors for the purposes of this Act;

(c) the method of payment of maternity benefit and other benefits under this Act insofar as provision has not been made therefor in this Act;

(d) the form of notices under section 6;

(e) the nature of proof required under the provisions of this Act;

(f) the duration of nursing breaks referred to in section 11;

(g) acts which may constitute gross misconduct for purposes of section 12;

(h) the authority to which an appeal under clause (b) of sub-section (2) of section 12 shall lie; the form and manner in which such appeal may be made and the procedure to be followed in disposal thereof;

(i) the authority to which an appeal shall lie against the decision of the Inspector under section 17, the form and manner in which such appeal may be made and the procedure to be followed in disposal thereof;

(j) the form and manner in which complaints may be made to Inspectors under sub-section (1) of section 17 and the procedure to be followed by them when making inquiries or causing inquiries to be made under sub-section (5) of that section;

(k) any other matter which is to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made by the Central Government under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session [or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions, aforesaid]both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

प्रसुविधाओं की हकदार इस बात के होते हुए भी बनी रहेगी कि वह स्त्री अन्य बातों के बारे में, इस अधिनियम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने की हकदार हैं ।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जो किसी स्त्री को इस बात से प्रवारित करे कि वह अपने नियोजक से ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों के अनुदान के लिए करार करे जो उसे उनसे अधिक अनुकूल हों, जिनकी वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होती ।

28. नियम बनाने की शक्ति.–(1) समुचित सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे–

(क) रजिस्टरों, अभिलेखों और मस्टर रोलों को तैयार करना और बनाए रखना;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों द्वारा शक्तियों का (जिनके अन्तर्गत स्थापनों का निरीक्षण आता हैं) प्रयोग और कर्तव्यों का पालन;

(ग) प्रसूति प्रसुविधा और इस अधिनियम के अधीन की अन्य प्रसुविधाओं के संदाय का ढंग, वहां तक जहां तक उसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया हैं;

(घ) धारा 6 के अधीन की सूचनाओं का प्ररुप;

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित सबूत की प्रकृति;

(च) धारा 11 में विनिर्दिष्ट पोषणार्थ विरामों की कालावधि;

(छ) वे कार्य, जो धारा 12 के प्रयोजनों के लिए घोर अवचार गठित करें;

(ज) वह प्राधिकारी, जिसको धारा 12 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अपील होगी; वह प्ररुप और रीति, जिसमें ऐसी अपील की जा सकेगी और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण उसे निपटाने में किया जाना हैं;

(झ) वह प्राधिकारी, जिसको धारा 17 के अधीन निरीक्षक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील होगी; वह प्ररुप और रीति जिसमें ऐसी अपील की जा सकेगी और वह प्रक्रिया, जिसका अनुसरण उसे निपटाने में किया जाना हैं;

(ञ) वह प्ररुप और रीति, जिसमें धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक से परिवाद किए जा सकेंगे और वह प्रक्रिया, जिसका अनुसरण उस धारा की उपधारा (2) के अधीन जांच करने या कराने में उनके द्वारा किया जाना हैं;

(ट) कोई अन्य बात, जो विहित की जानी हैं या की जाए ।

(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

29. Amendment of Act 69 of 1951.—In section 32 of the Plantations Labour Act, 1951—

(a) in sub-section (1), the letter and brackets "(a)" before the words "in the case of sickness", the word "and" after the words "sickness allowance"; and clause (b) shall be omitted;

(b) in sub-section (2), the words "or maternity" shall be omitted.

30. Repeal .—On the application of this Act—

(i) to mines, the Mines Maternity Benefit Act, 1941 (19 of 1941); and

(ii) to factories situate in the Union territory of Delhi, the Bombay Maternity Benefit Act, 1929 (Bombay Act 7 of 1929), as in force in that territory shall stand repealed.

29. 1951 के अधिनियम 69 का संशोधन.—बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 32 में, —

(क) उपधारा (1) में, शब्द "अर्हित चिकित्सा—व्यवसायी" के पूर्व कोष्ठक और अक्षर "(क)", शब्द "रूग्णता भत्ता", के पश्चात् के शब्द "तथा", और खण्ड (ख) लुप्त कर दिए जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "या प्रसूति" लुप्त कर दिए जायेंगे ।

30. निरसन.—इस अधिनियम के—

(i) खानों को लागू होने पर, दि माइन्स मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, 1941 (1941 का 19); तथा

(ii) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में स्थित कारखानों को लागू होने पर बाम्बे मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, 1929 (1929 का मुम्बई अधिनियम सं. 7) जैसा वह उस राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है, निरसित हो जाएगा।